लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 34 में अंक 1 से 10 तक हैं)

52 (21)1
6. 9. 83.

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

सं० 2 सोमवार, 21 फरवरी, 1983/2 फाल्गुन, 1904 (शक)

असम में लोगों की जीवन-हानि	1—3
प्रश्नों के लिखित उत्तर	4—239
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	4—22
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230	23—240
नये मंत्रियों का परिचय	240—241
असम के बारे में वक्तव्य	242—243
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	242
असम के बारे में प्रस्ताव	244—361
प्रो० मधु दंडवते	244
श्री सी० एम० स्टीफन	254
श्री समर मुखर्जी	266
श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय	276
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	278
प्रो० के० के० तिवारी	293
श्री रशीद मसूद	288
श्री भेरावदन के० गधावी	308
श्री इन्द्रजीत गुप्त	312
श्री चिरंजी लाल शर्मा	325
श्री हरिकेश बहादुर	330
श्री जमीलुर्रमान	333
श्री चित्त बसु	337
बेगम आबिदा अहमद	342
श्री के० पी० उन्नी कृष्णन	344
श्री कर्ण सिंह	350
श्री गिरधारी लाल व्यास	353
श्री चन्द्र जीत यादव	355
श्री जी० एम० बनातवाला	359
कार्य-मंत्रणा समिति	362
39वां प्रतिवेदन	362

लोक-सभा

सोमवार, 21 फरवरी, 1983/2 फाल्गुन, 1904 (शक)

लोक सभा 11 वजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

असम में लोगों की जीवन-हानि

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सरकार मारती है और आपसे पढ़वाती है ।

अध्यक्ष महोदय : मित्रो, असम में पिछले कुछ दिनों में हुई जनक्षति पर हमें गहरा दुःख है और हम दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । शोक संतप्त परिवारों के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं । हमें पूरी आशा है कि सद्बुद्धि उत्पन्न होगी और स्थिति शीघ्र ही सामान्य हो जाएगी । हम दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ क्षण, मौन खड़े होते हैं ।

(तत्पश्चात् सदस्य गण कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हुए)

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है कि प्रश्न काल समाप्त किया जाए । और सदन में सीधे असम की स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाए । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष महोदय मेरी बात से सहमत हैं ।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह निर्णय सदन को करना होगा कि हत्यारे कौन हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं केवल आपका ध्यान एक विशिष्ट मुद्दे की ओर आकर्षित करूंगा । महोदय, मैं विशिष्ट नियम की बात कर रहा हूं मैंने नियम 388 के अंतर्गत नोटिस दिया है । मैं इस बात के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं कि प्रश्नकाल मंसूख किया जाए तथा हम सीधे असम के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाए...**(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : जब भारत का एक भाग जल रहा है, तो उस बारे में सुनने के लिए है ही क्या ? इस पर ठीक तरह से चर्चा होनी चाहिए भारत का एक पूरा हिस्सा जल रहा है... **(व्यवधान)**

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हमने नियम 388 के अंतर्गत नोटिस दिया है... ...**(व्यवधान)** असम में हत्याएं हो रही हैं...असम कब्रिस्तान बन गया है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सारी बातों का समाधान हमें हिसाब से और ठीक से करना चाहिए। आप मेरे पास 18 तारीख को बैठे थे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी और सारे मेरे मित्र उसमें मौजूद थे। हमने एक मत से उसमें फैसला किया था। उसके बाद और कुछ घटना घट गई इसीलिए आपने मेरे पास रूल 388 के नोटिस दिए। अपर हाऊस में भी होम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट हो गई थी। अब हमें समाधान बीच में निकालना पड़ेगा। मैं आपसे सहमत हूं। मैं आज सदन के सभी कार्यों को मंसूख करता हूं और मंत्री महोदय द्वारा असम के संबंध में वक्तन्य दिए जाने के बाद नियम 184 के अंतर्गत चर्चा लूंगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना पड़ेगा।

2 बजे, उन्हें उच्च सदन में उपस्थित होना है क्योंकि उन्हें वहां भी जवाब देना है । एक के दो नहीं हो सकते इस बीच राज्य मंत्री यहां आपकी बात सुनने के लिए उपस्थित होंगे और गृह मंत्री जवाब कल देंगे।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : राज्य सभा में भी मैं कल उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इससे समस्या का समाधान हो जाता है। मैं समझता हूं कि यह सदन का एकमत से लिया गया निर्णय है। अतः मैं आज के अन्य सभी कार्यों को मंसूख करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं नहीं जानता कि वह सहमत हैं। यदि उन्होंने राज्य सभा 2 बजे जाना है तो हम वाद-विवाद पर चर्चा कल पुनः जारी रख सकते हैं और तब उत्तर दिया जा सकता है। हम चर्चा को 2 बजे के बाद चालू रखने के बजाय ऐसा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ लोग यह कहें कि हम रह गए हैं इसलिए मैं कहें रहा हूं। वह सदन पर निर्भर करना चाहते हैं कि क्या वह चर्चा आज करना चाहते हैं अथवा कल करेंगे। यदि आप चाहें तो हम आज का भोजन काल भी निलम्बित कर सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आज का भोजन-काल रद्द किया जाता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस प्रश्न पर कोई समय-सीमा नहीं होनी चाहिए । यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है। आन्दोलन कर्त्ताओं ने भारत की एकता को चुनौती दी है···**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपने आज सदन की कार्यवाही निलम्बित करने का नोटिस स्वीकार कर लिया है, यह सदन का एकमत से लिया गया निर्णय है। फिर यह सब विवाद क्यों हो रहा है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है। इस पर समय-सीमा नहीं होनी चाहिए···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ये टिप्पणियां कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी क्योंकि मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सत्साधन चत्रवर्ती : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

एक मानवीय सदस्य : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

हर एक को अपनी-अपनी बात कहने का हक है। लेकिन मेरी बात सुन लें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो अपनी इजाजत से ही कह रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात तो सुनिये। मैं एक बात कहना चाहता हूं। प्लीज सिट डाउन जब मैंने इजाजत दी आपकी बहस की तो जो आप कहेंगे और जो पार्लियामेंटरी होगा वह रेकार्ड पर जाएगा। जो मेरी इजाजत के बगैर कहेंगे वह तो नहीं जाएगा। इजाजत से आप जो बात कहेंगे और मैं कहूंगा वह रेकार्ड पर जाएगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं हम चाहते हैं कि यह बहस शांति के साथ होनी चाहिए। मामला गम्भीर है, असम जल रहा है ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर राव।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी।

अध्यक्ष महोदय : आपके साथी नहीं कहने देना चाहते हैं। क्या यह पौइंट आफ आर्डर है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने कहा था कि वहस अच्छी हो।

अध्यक्ष महोदय : बहुत बढ़िया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गृह मंत्री जी एक बात साफ कर दें अपोजीशन ने कांस्टी-ट्यूशन अमेडमेंट के समर्थन का वायदा किया था कि नहीं?

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह जवाब में आयेगा ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर यह इस तरह से चिल्लाते रहेंगे तो डिवेट ठीक तरह से नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये ।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर): पिछले सेशन में जब यह बात आयी थी···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नो डिवेट वीफोर ए डिवेट । कुछ कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा । मैंने अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाद्यान्न उठाने की तुलना में खाद्यान्नों के भण्डार की स्थिति

*1. **श्री अमल दत्त :**

श्री आर० पी० गायकवाड : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) 1982-83 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन और वसूली कितनी है ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1982 को विभिन्न खाद्यान्नों के आंकड़े बताते हुए खाद्यान्न का भण्डार कितना था ;

(ग) सरकारी वितरण प्रणाली से कुल कितना खाद्यान्न उठाने की आशा है और उसे किस तरह पूरा करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए राज्यों द्वारा पेश की गई बीस लाख टन खाद्यान्न की मांग पर राज्यों को सरकार प्रतिमास केवल दस लाख टन खाद्यान्न दे रही है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1982-83 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुमान अगस्त/सितम्बर, 1983 में कृषि वर्ष के समाप्त होने के बाद उपलब्ध होंगे । तथापि, इस फसल में से 15 फरवरी, 1983 तक 56.5 लाख मीटरी टन खरीफ के अनाजों की वसूली हुई है ।

(ख) 31 दिसम्बर, 1982 तक सरकारी एजेंसियों के पास लगभग 126.8 लाख मीटरी

**कायंवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया ।

टन खाद्यान्नों का कुल स्टाक था जिसमें 53.4 लाख मीटरी टन चावल, 71.9 लाख मीटरी टन गेहूं और 1.5 लाख मीटरी टन मोटे अनाज शामिल हैं।

(ग) आशा है कि वर्तमान स्टाक और वर्ष के दौरान वसूल किए जाने वाले स्टाक से जरूरतों को पूरा कर लिया जाएगा। इस समय 1983 वर्ष के लिए आवश्यकताओं के ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। इस समय मासिक निकासी 12 लाख मीटरी टन से भी अधिक है।

(घ) विभिन्न राज्यों से प्राप्त लगभग 20 लाख मीटरी टन की मासिक मांग के प्रति केन्द्रीय पूल से 12 लाख मीटरी टन से भी अधिक आवंटन किए गए हैं।

खेल सुविधाओं को बढ़ाने हेतु कार्यक्रम

*2. **श्री रास बिहारी बहेरा :**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार में खेल मंत्रालय के गठन के बाद सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं और खेल संगठनों में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में खेल मंत्रालय बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो खेल कूद का स्तर सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार की क्या योजना और कार्यक्रम है ;

(घ) क्या देश के सभी भागों में कोई राष्ट्रीय खेल नीति क्रियान्वित की जा रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ) **विवरण** सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा 1968 में घोषित और संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जा चुकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक भाग के रूप में खेल सम्बन्धी नीति विवरण पहले से मौजूद है। यह नीति विवरण देश में खेलों के विकास के लिए आधार है। विवरण में निम्नलिखित शामिल है :—

> "खेल कूद : औसत छात्र तथा उत्कृष्ट छात्र की शारीरिक स्वस्थता और क्रीड़ा कौशल में सुधार करने के उद्देश्य से खेलों को बड़े पैमाने पर विकसित किया जाना चाहिए। जहां शारीरिक शिक्षा का एक राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम विकसित करने के लिए खेल के मैदान तथा अन्य सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, वहां उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुलभ कराया जाना चाहिए।"

उपर्युक्त नीति विवरण के अलावा, राज्य सरकारों के खेल प्रभारी मंत्रियों, राज्य खेल परिषदों, तथा अखिल भारतीय खेल परिषद की बैठक में सहमति होने पर 1975 में राज्य सरकारों को नीति ओर कार्यक्रमों से सम्बन्धित मार्गदर्शी रूप रेखाएं जारी की गई थीं। हाल ही में अखिल भारतीय खेल परिषद ने खेल सम्बन्धी एक राष्ट्रीय नीति प्रारूप तैयार किया है जिस पर राज्य सरकारों की टिप्पणियां मांगी गयी थीं और इस समय अखिल भारतीय खेल परिषद अपने मूल प्रारूप में टिप्पणियों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है और शीघ्र ही इसके अंतिम रूप से सिफारिशें करने की आशा है।

3. नई खेल नीति सम्बन्धी सिफारिशें आने तक नब गठित खेल विभाग का, जिसका राष्ट्रीय खेलों के सम्बन्ध में प्रथम प्रमुख अंशदान नौवे एशियाई खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन करना था, कुछ कार्यक्रम कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इन कार्यक्रमों में नीति में निरंतरता तथा सतत् नवीनता की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है। कार्यान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम ये हैं :

(i) सविधान के अंतर्गत खेल राज्य का विषय होने के नाते इसकी प्रोन्नति की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अतः खेल विभाग राज्य सरकारों के स्तर पर समय-समय पर उनके साथ परामर्श करके कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और आवश्यकतानुसार खेलों के लिए उत्तरदायी खेल मंत्रियों सम्मेलन आयोजित करेगा। इससे देश में खेलों की प्रोन्नति में राज्य सरकारों का पूर्ण सहयोग सुनिश्चित होगा।

(ii) इस बात को मानते हुए कि खेल कार्यकलापों में लोगों द्वारा व्यापक रूप से भाग लेना और उत्कृष्टता के उद्देश्य से प्रतियोगी खेलों में भाग लेना एक दूसरे का पूरक है ऐसे प्रयास किए जाएंगे ताकि दोनों पर केन्द्र और राज्य सरकारें समुचित रूप से ध्यान दे सकें।

(iii) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों के अलावा जिला और तालुक स्तरों पर आवश्यक खेल सुविधाओं का सृजन करने के कार्यक्रम को, संसाधनों तथा राज्य सरकारों की सहमति उपलब्ध होने पर ही तेज करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों से भी यह आशा की जायेगी कि वे शैक्षिक संस्थाओं में यथा सम्भव बड़े पैमाने पर ऐसी सुविधाओं का सृजन करें।

(iv) यह आवश्यक है कि उपरोक्त सुविधाओं के सृजन को सम्भव बनाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाएं कि वर्तमान खुले स्थानों को यथा सम्भव सीमा तक सुरक्षित रखा जाए तथा आवश्यक खुले स्थानों को खेल प्रयोजनों के लिए उपलब्ध किए जाएं। वर्तमान खेल-मैदानों के परिरक्षण की भी स्पष्ट रूप से आवश्यकता है।

(v) उन ग्रामीण क्षेत्रों में जिनमें संगठित खेलों में भाग लेने के अवसर इस समय अपर्याप्त हैं, खेलों को अधिकाधिक सीमा तक प्रोन्नत करने का राज्य सरकारों से आग्रह करते हुए उन पर विशेष बल देने का प्रस्ताव है। जन जातीय पुरुषों तथा महिलाओं में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष ध्यान न दिया जाना चाहिए।

(vi) केन्द्र तथा राज्यों के शैक्षिक प्राधिकारियों से शैक्षिक संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा, ल-कूदों को अनिवार्य बनाने की संभावना पर गंभीर रूप से विचार करने का आग्रह किया ाएगा ।

(vii) ix एशियाई खेलों के संदर्भ में तैयार की खेल सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग रने का प्रस्ताव है ताकि ये प्रतियोगात्मक खेलों के स्तरों को बढ़ाने के लिए एक केन्द्र के रूप में ार्य कर सकें। ऐसे उपयोग में अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय टूर्नामेन्टों के आयोजनार्थ ुविधाएं उपलब्ध करना भी शामिल होगा ।

(viii) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे उत्कृष्ट एथलीटों के पास खेल औषधि बायी-मैकेनिक्ल. खेल शरीर विज्ञान आदि जैसे खेल विज्ञानों की समुचित सहायता का अभाव है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाल के खेल विज्ञान विभाग को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है ताकि उस विभाग में केन्द्र के रूप में, भारतीय खेलों के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक सहायता की व्यवस्था करना संभव हो सके ।

(ix) खेल प्रशिक्षण की कोटि में और सुधार किया जायेगा ।

(x) राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय टीमों की शारीरिक स्थिति पर खेल फेडरेशनों के सहयोग से विशेष ध्यान दिया जायेगा । यदि हमारे ऊंचे स्तर के खिलाड़ी ऐसी बड़ी प्रतियोगिता का सामना कर सकें, जिसका उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में मुकाबला करना पड़ता है, तो जरूरी है ।

(xi) हमारे होनहार खिलाड़ियों तथा एथलीटों को विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भेजने का महत्व माना जाता है और उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं के अन्तर्गत इस बात पर प्रयास किए जाएंगे कि वे इनमें पर्याप्त रूप से भाग ले सकें ।

(xii) प्रतियोगात्मक खेलों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी निकायों के रूप में भारतीय ओलम्पिक संघ तथा राष्ट्रीय खेल फेडेरेशनों को प्रतियोगितात्मक खेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है । उनको अपना उत्तरदायित्व संतोषजनक ढंग से निभाने के लिए प्रोत्साहित करने का हर प्रयास किया जायेगा । उनको पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों का अधिक सुव्यवस्थित ढंग से चयन करने तथा प्रशिक्षित करने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा ।

(xiii) स्कूल और कालेज स्तरों पर होनहार लड़कों और लड़कियों के लिए खेल छात्र-वृत्तियों की व्यवस्था के विद्यमान कार्यक्रम को विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि उन्हें खेल कार्यकलापों को उत्साहपूर्वक जारी रखने हेतु उपयुक्त पोषण की व्यवस्था की जा सके । इससे कम उम्र में ही प्रतिभा का पता लगाने में सहायता भी मिलेगी जिसके लिए राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण कार्य करना है ।

(xiv) सामान्यतः खेल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य को भी प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ।

4. जैसा पहले उल्लेख दिया जा चुका है, खेल राज्य का विषय है और केन्द्र व राज्यों दोनों में खेलों के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों पर प्रतिबन्ध है। ओलम्पिक घोषणा-पत्र के अनुसार भारतीय ओलम्पिक संघ और राष्ट्रीय खेल संघों से सरकार के हस्तक्षेप के बिना प्रतियोगी खेल की देखभाल करने की आशा की जाती है अतः किस हद तक हमारे प्रयास सफल होंगे, यह राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपायों, भारतीय ओलम्पिक संघ और राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा किए गए प्रयासों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा खेलों के लिए उपलब्ध निधियों पर निर्भर करेगा।

5. अखिल भारतीय खेल परिषद की यह सिफारिश कि राज्य सरकारें शारीरिक शिक्षा सहित खेलों का कार्य करने हेतु खेल विभागों की स्थापना करे, राज्य सरकारों के नोटिस में पहले ही है। इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

दिल्ली में डी० डी० ए० के फ्लैटों तथा एक स्कूल की इमारत का ढह जाना

*3. **श्री रशीद मसूद :**

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हाल में विकासपुरी में डी० डी० ए० के चारमंजिले कम्पलेक्स की तीन मंजिलें तथा पश्चिम बिहार में स्कूल की एक इमारत उस समय ढह गई जब उनका निर्माण कार्य पूरा होने वाला था;

(ख) क्या यह भी सच है कि मंगोलपुरी में डी० डी० ए० के नये बने एपार्टमेंट की दीवारें भी हाल में ढह गईं और क्या इस बारे में लगातार शिकायतें की जा रही हैं कि डी० डी० ए० के मकानों के निर्माण में घटिया सामग्री लगाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और (ङ) सरकार ने डी० डी० ए० के फ्लैटों के ढह जाने और मकानों के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के लिए संबंधित ठेकेदार तथा इसके लिए उत्तरदायी पाये गए डी० डी० ए० के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अवन्तिका कालोनी में दो जनता टाइप फ्लैटों की बाहरी दीवारें वर्षा के पानी के गहरी नाली द्वारा किए गए नींव की दीवारों के कटाव के कारण ढह गई थी।

(ग) विकास पुरी की दुर्घटना की प्रारम्भिक जांच के तुरन्त बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूतपूर्व महानिदेशक (निर्माण), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में, ढह जाने के कारणों की जांच करने तथा डिजाइन, प्रयुक्त निर्माण सामग्री की कोटि, निष्पादन तथा

पर्यवेक्षण आदि की कोटि जैसे अन्य प्रासंगिक पक्षों का व्यापक अध्ययन करने के लिए तथा निर्माता अभिकरण सहित संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी के बारे में निष्कर्ष बताने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति से सभी अन्य परियोजनाओं के बारे में मानकों तथा विशिष्टियों में किसी गिरावट के विरुद्ध सुरक्षा बरतने के लिए उपचारात्मक उपायों तथा निरीक्षण पद्धतियां सुझाने संबंधी सिफारिशें करने का भी अनुरोध किया गया है। पश्चिम बिहार में स्कूल भवन के ढह जाने के बारे में, दिल्ली के उप राज्यपाल ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है।

(घ) और (ङ) विकास पुरी में मकान गिरने की दुर्घटना की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। प्रारम्भिक जांच तथा प्रत्यक्षतः साक्ष्य के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित कार्यवाही की है :—

(i) इस निर्माण के कार्य प्रभारी कार्यपालक इंजीनियर, सहायक इंजीनियर तथा कठिन इंजीनियर को निलम्बित कर दिया है।

(ii) विकासपुरी में घटिया निर्माण कार्य निष्पादित करने के जिम्मेदार ठेकेदारों को दिल्ली विकास प्राधिकरण का आगे और निर्माण कार्य लेने से रोक दिया गया है तथा ठेका रद्द करने की कार्यवाही के एक अंग के रूप में "कारण बताओ" नोटिस ठेकेदारों को भेज दिए गए हैं।

(iii) त्रुटियों को सुधारने तथा अन्य सुदृढ़ीकरण उपाय आरम्भ किए गए हैं;

(iv) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आवंटियों को एककों का कब्जा देने से पूर्व ये रचनात्मक रूप से सुदृढ़ एवं त्रुटियां रहित हैं, सम्पूर्ण चालू आवास निर्माण कार्य की जांचकरने के लिए मुख्य इंजीनियर (कोटि नियंत्रिण) के अधीन एक विशेष कार्य दल गठित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, गृह निर्माण कार्यक्रम की समीक्षा करने तथा डिजाइन के पक्षी, विशष्टियों तक ही पर्यवेक्षण, निर्माण सामग्री की कोटि, निरीक्षण पद्धतियों, ठेकेदारों का नामांकन तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर सलाह देने के लिए उप-राज्यपाल दिल्ली अध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक वस्तुस्थिति जांच समिति का भी गठन किया है।

गुजरात में आवासीय योजनाओं को सहायता

*4. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने 1982 और 1983 के दौरान गुजरात की निभिन्न आवासीय योजनाओं के बारे में केन्द्र को बहुत से अभ्यावेदन भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटा ब्यौरा क्या है और उन पर केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या गुजरात हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन तथा अधिकारी इस अवधि में केन्द्र के विभिन्न प्राधिकारियों से मिले हैं;

(घ) केन्द्र ने कितनी योजनाओं को स्वीकार किया है और कितनी योजनाएं विचाराधीन हैं; और

(ङ) इन योजनाओं तथा परियोजनाओं के लिए उपर्युक्त अवधि में केन्द्र द्वारा दी गई नकद सहायता तथा वस्तु रूप में सहायता का ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) (ग) आवास राज्य का विषय है और सभी आवास योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं तथापि, केन्द्रीय सरकार तथा आवास नगर विकास द्वारा गुजरात आवास बोर्ड सहित राज्यों तथा उनके अभिकरणों से पत्र प्राप्त किये जाते हैं। आवश्यक ब्यौरों की अनुपलब्धता किए गए पत्राचार तथा किए गए दौरों का पता लगाना सम्भव नहीं है।

(घ) तथा (ङ) 1-1-82 से 1-3-83 की अवधि के दौरान हुडको ने 11.03 करोड़ रुपये की लागत तथा हुडको की 7.99 करोड़ रुपये की ऋण की बचनबद्धता से गुजरात आवास बोर्ड 15 परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

खाद्यान्न के रक्षित भण्डार में कमी

***5. श्री चन्द्रपाल शैलानी :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न के रक्षित भण्डार में कमी हो गई है;

(ख यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के रक्षित भण्डारों में सदैव कितनी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध रहना चाहिए;

(घ) भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सरकारी एजेसियों के रक्षित भण्डारों में इस समय कितना खाद्यान्न है; और

(ङ) यदि इसमें कमी हो गई है, तो इसके क्या कारण है?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) सरकारी एजेंसियों के पास 1-1-1983 को खाद्यान्नों का कुल स्टाक लगभग 126.8 लाख मीटरी टन था जबकि 1-3-1982 को यह स्टाक 115.0 लाख मीटरी टन था। अतः 1982 के दौरान स्टाक की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है।

(ग) सरकार की नीति के अनुसार, सरकारी एजेंसियों के पास विभिन्न तारीखों को 155 से 208 लाख मीटरी टन के बीच खाद्यान्नों का स्टाक होना चाहिए जिसमें 120 लाख

मीटरी टन वफर स्टाक, साथ में 35 से 88 लाख मीटरी टन के बीच परिचालन स्टाक शामिल है।

(घ) सरकारी एजेंसियों के 1-1-1983 को खाद्यानों का कुल स्टाक 126.8 लाख मीटरी टन था।

(ङ) स्टाक के अपेक्षित स्तर में कमी मुख्यतया सूखा वर्ष 1979-80 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों की भारी निकासी होने के कारण हुई है।

नगरीय भूमि के मूल्यों में वृद्धि की रोकथाम के लिए उपाय

*6. **श्री के० मालन्ना :**

श्री उत्तमराव पाटिल : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को नगरीय भूमि के उपयोग को नियमित हेतु उनके द्वारा तैयार की जाने वाली समग्र नगरीय भूमि नीति के अंग के रूप में नगरीय भूमि के मूल्य में आवांछित वृद्धि रोकने के कुछ उपाय सुझाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त मात्रा में नगरीय भूमि विकसित करने के लिए दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ताकि समाज के गरीब वर्गों की आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी की जा सकें ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। शहरी भूमि नीति के तत्वों के रूप में तथा भूमि की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार को कई उपाय सुझाये गए हैं।

(ख) शहरी विकास, भूमि तथा आवास राज्य का विषय है। राज्य सरकारें भू अर्जन, विकास तथा निपटान के बारे में विभिन्न नीतियों का अनुसरण कर रही है। छठी योजना में इस बात को स्वीकार किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को मलिन बस्ती सुधार शहरी गरीबी के लिए आवास सहायता और इस क्षेत्र के लिए बढ़ाए गए संस्थानिक वित्त तक ही सीमित करना होगा। इस योजना की रीति की दीर्घावधि के लिए रियायती ब्याज की दर पर देय ऋणी के माध्यण से स्थल और सेवा योजनाओं की व्यवस्था करना है। राज्य क्षेत्र में लगभग 485 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लगभग 16.2 लाख एककों के निर्माण का लक्ष्य है। आवास अभिकरणों को हुडको द्वारा 180 करोड़ रुपये की सीमा तक ऋण देकर इसकी प्रतिपूर्ति की जानी है। भूमि, ऋण, तकनीकी सहायक और अन्य प्रोत्साहनों में वृद्धि के माध्यम से कम लागत की आवास तकनीक भवन उपनियमों संशोधन और भू उपयोग को नियंत्रित करने तथा निजी आवास के प्रयासों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सामूहिक और सहकारी आवास प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। हर कार्यक्रम का 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निरंतर प्रबोधन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाज दिया जाना

*7. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री बी० बी० देसाई : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा पूर्ण उपयोग रिपोर्टें प्रस्तुत न किए जाने के बावजूद केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982-83 के लिए अनाज की दूसरी खेप देने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय देश के बड़े भागों में पड़े सूखे, अकाल और बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया था;

(ग) पहली खेप में कितना अनाज सप्लाई किया गया था, यथा दूसरी खेप में कितना अनाज निया गया है;

(घ) राज्यों द्वारा केन्द्र की धनराशि और अनाज के उपयोग की रिपोर्टें न भेजे जाने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) उनके उचित उपयोग के लिए क्या नियंत्रण रखा जा रहा है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ङ) चूंकि खाद्यान्नों के बारे में बंटन आदेश जारी करने तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा कार्यान्वयन ऐजेंसियों को इसकी वास्तविक सप्लाई के बीच कुछ अन्तर था अतः कुछेक मामलों में खाद्यान्नों के बंटन राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा उन्हें पहले बंटित किए गए संसाधनों की 50 प्रतिशत मात्रा को उपयोग में लाए जाने की सूचना देने से पहले किए गए थे तथा जहां निष्पादन के आधार पर बंटन किए गए थे वहां यह स्पष्ट था कि सम्भवतः 50 प्रतिशत संसाधनों को 1982-83 के दौरान उपयोग में लिया जाएगा । राज्य को खाद्यान्नों की वास्तविक मात्रा बंटित करते समय उपलब्ध नकद संसाधनों, खाद्यान्नों तथा वर्ष की शेष अवधि में सृजित किए जाने वाले रोजगार के श्रमदिनों के आधार राज्य की अनुमानित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्नों की आवश्यकता को आंका गया था ।

नकद निधियों तथा खाद्यान्नों के बारे में उपयोगिता रिपोर्टें राज्यों, केन्द्र शासित क्षेत्रों से आम तौर पर प्राप्त हो रही हैं । राज्यों को समय से रिपोर्टें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता पर समय-समय पर बल दिया जाता है तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत संसाधनों के उपयोग पर निगरानी रखी जा रही है ।

विभिन्न राज्यों, केन्द्रों शासित क्षेत्रों को चालू वर्ष खे दौरान किए गए बंटनों, पुनर्वेधीकृत की गई मात्रा तथा 1-4-82 तक उपयोग में न लाए गए खाद्यान्नों की मात्रा और अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों की मात्रा को अनुबन्ध में दर्शाया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5788/83]

गुजरात में समुद्री तूफान से हानि

8. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री सुभाष यादव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1982 में आए समुद्री तूफान से गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में फसलों तथा मछली पालन उद्योग को कितना नुकसान हुआ है; और

(ख) प्रभावग्रस्त क्षेत्रों तथा समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्र द्वारा गुजरात को दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) राज्य सरकार ने बताया है कि 10528.28 लाख रुपये के अनुमानित मूल्य की फसल की हानि हुई है। अन्य सम्पत्तियों का नुकसान, जिसमें मछुओं की नावें भी शामिल हैं, 1105.30 लाख रुपये का होने का अनुमान है।

(ख) 17 जिले—जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, राजकोट, भढ़ौच, खेड़ा, सूरत, वडोदरा, सावरकंठा मेहसान, सुरेन्द्रनगर, जामनगर, वालसाद, अहमदाबाद, पंचमहल, गांधीनगर और कच्छ तूफान से प्रभावित हुए थे। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिसों के आधार पर भारत सरकार ने तूफान से प्रभावित क्षेंत्रों में लोगों को राहत और पुनर्वास तथा सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति की मरम्मत/पुनर्स्थापन करने के लिए 4194.09 लाख रुपए की सीमा तक खर्च की स्वीकृति दी है।

भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि

*9. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या **खेल** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1951 की तुलना में 1982 में हुए एशियाई खेलों के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की क्या उपलब्धि रही;

(ख) इन्हीं दो एशियाई खेलों में जापान, और चीन उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों की तुलनात्मक उपलब्धि कैसी रही;

(ग) भारतीय खिलाड़ियों की बहुत संतोषजनक उपलब्धि न होने के कारण क्या हैं; और

(घ) भारतीय खेल-प्रदर्शन में उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए थे ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) **विवरण** सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1951 और 1982 के एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदकों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है :—

वर्ष	स्वर्ण	रजत	कांस्य	योग
1951	17	17	21	55
1982	13	19	25	57

दोनों एशियाई खेलों में जापान, चीन, दक्षिण और उत्तर कोरिया द्वारा जीते गए पदकों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है :—

देश	वर्ष	स्वर्ण	रजत	कांस्य	योग
जापान	1951	24	21	15	60
जापान	1982	57	52	44	153
चीन	1982	61	51	41	153
कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया)	1982	28	28	57	93
डी० पी० आर० के० (उत्तर कोरिया)	1982	17	19	20	56

चीन, कोरिया गणराज्य तथा डी० पी० आर० के० कोरिया ने नई दिल्ली में हुए 151 के एशियाई खेलों में भाग नहीं लिया था ।

1982 के एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का खेल प्रदर्शन उत्साहवर्धक था यहां तक कि भारत ने 1951 में जीते पदकों के मुकाबले में इस एशियाड में अधिक पदक जीते । उल्लेखनीय है कि चीन तथा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया ने 1951 के एशियाड में भाग नहीं लिया था । उन्होंने 1982 के एशियाड में भाग लिया और इससे भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदकों की संख्या पर अपरिहार्य प्रभाव पड़ा है । इसके अलावा, एथलेटिक्स में, भारतीय एथलीटों ने चार एशियाई खेल रिकार्ड कायम किए, अन्य आठ एशियाड खेल रिकार्डों को बेहतर बनाया और दस नए राष्ट्रीय रिकार्ड कायम किए । समय पदक तालिका में भारत ने पांचवां स्थान प्राप्त किया । बैंकाक में 1978 में आयोजित पिछले एशियाई खेलों में भारत ने 28 (11 स्वर्ण, 11 रजत, तथा 6 कांस्य) पदक लेकर छठवां स्थान प्राप्त किया था ।

1982 के एशियाड में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा ऊंचे स्तर के खेल प्रदेर्शन की सफलता को सुकर बनाने के लिए सरकार ने संबंधित राष्ट्रीय खेल फेडेरेशनों की सहायता करने के लिए निम्न-लिखित कदम उठाए :—

(i) शिक्षा मंत्रालय, जो उस समय खेलकूद की प्रोन्नति के लिए जिम्मेदार था, के अनुरोध पर राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों द्वारा भारतीय एथलीटों को तैयार करने की योजनाएं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला तथा अखिल भारतीय खेल परिषद के परामर्श से तैयार की गई थी।

(ii) श्री राम विलास मिर्धा की अध्यक्षता में एक प्रशिक्षण निरीक्षण सीमित भारतीय टीमों तथा प्रतियोगिताओं को तैयार करने की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए गठित की गई थी।

(iii) 27 विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं भी वहां प्राप्त की गई जहां राष्ट्रीय खेल फेडेरेशनों ने ऐसी सेवाएं प्राप्त करना आवश्यक समझा था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला ने भी भारतीय संभावित खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए अपने विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की सेवाएं उपलब्ध की थी।

(iv) अनुमोदित योजनाओं के अनुसार, वर्ष 1981 और 1982 के दौरान सम्भावित खिलाड़ियों के लिए 244 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए थे।

(v) सरकार ने प्रशिक्षण शिवरों में आहार भत्ते की राशि बढ़ा दी थी ताकि सम्भावित खिलाड़ियों को पर्याप्त तथा पौष्टिक आहार प्रदान किया जा सके।

(vi) एशियाड, 1982 की संभावित जैसी परिस्थितियों में भारतीय संभावित खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण तथा अभ्यास की व्यवस्था करने के लिए, हॉकी के वास्ते कृत्रिम तल तथा मैदान के लिए कृत्रिम ट्रैक और ट्रैक प्रतियोगिताओं की व्यवस्था पटियाला और दिल्ली में की गई थी।

(vii) प्रशिक्षण शिविरों में उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु संभावित खिलाड़ियों के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टियों के रूप में सुविधाओं की व्यवस्था गई थी।

(viii) वर्ष 1981 और वर्ष 1983 में भारत तथा विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भारतीय संभावित खिलाड़ियों को उदार अवसर प्रदान किए गए थे। उन्हें सोवियत रूस, जर्मन जनवादी गणराज्य और संघीय जर्मन गणराज्य जैसे कुछ विदेशी देशों में प्रशिक्षण के लिए भी भेजा गया था।

सतलुज यमुना सम्पर्क नहर

*10 **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के सतलुज यमुना सम्पर्क परियोजना प्रशासन द्वारा

हरियाणा से वित्तीय अनुशासन का पालन किये बिना अधिकाधिक धनराशि के नियतन की मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो बर्बादी रोकने तथा परियोजना को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इसके प्रशासन को अपने हाथ में लेगी जिससे बर्बादी को रोका जा सके तथा परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच हस्ताक्षरित 31-12-1981 के करार के अनुसार, पंजाब अपने क्षेत्र में सतलुज-यमुना लिंक नहर के भाग का निर्माण कर रहा है। हरियाणा नहर के निर्माण के लिए पंजाब के अनुरोध पर और निर्माण-कार्य के लिए आवश्यकतानुसार धन दे रहा है। पंजाब के भाग में निर्माण-कार्य का कार्यान्वयन पंजाब के प्रबन्ध नियंत्रण के अन्तर्गत किया जा रहा है और यह पंजाब राज्य के सामान्य वित्तीय नियमों के अध्यधीन है। इस परियोजना के इस निर्माण-कार्य की प्रगति की केन्द्रीय जल आयोग में समय-समय पर पुनरीक्षा की जा रही है।

(ग) इस परियोजना के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

*11. **श्री ए० के० राय :** क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सार्वजनिक वितरण केन्द्रों (उचित दर दुकानों) की संख्या तथा उसके अन्तर्गत लोगों की संख्या का अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का राज्यवार अलग-अलग पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन केन्द्रों में वर्ष 1982 के अनुसार खाद्यान्नों की सामान्य सप्लाई बनाये रखने के लिए इस वर्ष में कितने खाद्यान्न की मांग है ; और

(घ) क्या इस स्थिति को बनाये रखा गया था, यदि नहीं, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त अद्यतन सूचनानुसार, देश में कुल लगभग 2.81 लाख उचित दर की दुकानें हैं जिनके अन्तर्गत देश की समस्त जनसंख्या आती है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5789/83]

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1982 के दौरान उचित दर दुकानों के माध्यम से लगभग कुल 114 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण किया गया था। इस स्तर पर आवश्यकताओं को वर्तमान स्टाक और वर्ष के दौरान की जाने वाली वसूली से पूरा किया जा सकता है।

दिल्ली में स्टेडियमों का अनुरक्षण

*12. **श्री भीम सिंह :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हाल ही में "इनडोर" और "ओपन" स्टेडियम बनाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

उनके अनुरक्षण की क्या व्यवस्था की है और उन पर वार्षिक व्यय का प्राक्कलन कितना है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली में हाल ही में बनाये गए स्टेडियमों के नाम और उनके अनुरक्षण पर किए जाने वाले वार्षिक प्राक्कलित खर्चे को दर्शाने वाला एक **विवरण** सभा पटल रख दिया गया है। इस समय निर्माण सम्बन्धी एजेन्सियां इन स्टेडियमों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं।

विवरण

बनाये गये स्टेडियमों के नाम, निर्माण सम्बन्धी एजेन्सी के नाम तथा अनुरक्षण का वार्षिक अनुमानित लागत दर्शाने वाला विवरण।

क्रम संख्या	स्टेडियमों के नाम	निर्माण एजेन्सी	संचालन लागत को छोड़कर अनुरक्षण की वार्षिक प्राक्कलित लागत
			रुपये लाखों में
1.	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड़।	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	29.40
2.	लॉन टेनिस स्टेडियम, हाउज खास	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	1.20

1	2	3	4
3.	इन्द्रप्रस्थ अन्तरंग स्टेडियम	दिल्ली विकास प्राधिकरण	58.00
4.	यमुना वेलोड्रोम इन्द्रप्रस्थ एस्टेट	दिल्ली विकास प्राधिकरण	3.00
5.	तुगलकाबाद शूटिंग रेंज	दिल्ली विकास प्राधिकरण	6.90
6.	तालकटोरा तरण ताल	नई दिल्ली नगर पालिका	31.00

टाटा (टिसको) की जमीन का स्वामित्व बहाल करने के बारे में बिहार सरकार का विधान

*13. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा (टिसको) को जमीन का स्वामित्व बहाल करने के बारे में बिहार ने कोई विधान पारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उप-किरायेदारों की कुल संख्या, राज्य के राजकोष को राजस्व की हानि सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह कार्यवाही उस भूमि सुधार नीति के विरुद्ध है जो राष्ट्रीय नीति के रूप में मान्य है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं प्रदान की जा रही है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) बिहार विधानमण्डल ने 1982 में एक विधेयक पारित किया था जिसमें बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के कुछुक उपबन्धों जहां तक वे टाटा आयरन एण्ड स्टीख कम्पनी (टिसको) तथा बिहार के सिंहभूम जिले में कुछेक अन्य औद्योगिक उपक्रमों, सोसायटियों और व्यक्तियों द्वारा अपने स्वामित्व में रखी गई भूमि से सम्बन्धित है, में संशोधन करने की मांग की गई है ।

विधेयक में मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्था करने की मांग की गई है :—

(क) टिसको द्वारा अपने औद्योगिक उपक्रमों के लिए अपने पास रखी गई भूमि तथा विशिष्ट नागरिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए उपयोग में लाई गई भूमि जिसे टिसको के

स्वामित्व में समझा गया है, को पूर्वव्याप्ति अर्थात 1959 से टिसको को पट्टे पर दिया गया समझा जाएगा ।

(ख) टिसको के अलावा अन्य औद्योगिक उपक्रमों एवं सोसायटियों तथा व्यक्तियों द्वारा अपने पास रखी गई भूमि जिसे अभी राज्य सरकार द्वारा उन्हें पट्टे पर दी गई समझा गया है, को अब टिसको को पट्टे पर दी गई समझा जाएगा और ये अन्य औद्योगिक उपक्रम, सोसायटियां, व्यक्ति टिसको के उप-पट्टाधारक समझे जाएंगे । उन व्यवस्थापितों/पट्टाधारकों जिनकी इन उपबन्धों से प्रभावित होने की सम्भावना है, की संख्या अभी तक राज्य सरकार द्वारा नहीं आंकी गयी है ।

इन परिवर्तनों की वित्तीय अड़चनों का भी अभी राज्य सरकार द्वारा पता लगाया जाना है ।

राज्य सरकार से कई मुद्दों पर कुछेक स्पष्टीकरण मांगे गए थे । विधेयक पर अंतिम निर्णय हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ।

भारतीय क्रिकेट टीम का कार्यकरण

*14. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री पी० एम० सईद : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान में हाल ही में खेली गई टेस्ट शृंखला में भारतीय क्रिकेट टीम की करारी हार की ओर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सरकार को ज्ञात है कि पाकिस्तान में हाल ही में खेली गई टेस्ट शृंखला में भारतीय क्रिकेट टीम हार गई है ।

(ख) बेहतर खेलने वाली टीम से भारतीय क्रिकेट टीम शृंखला में हार गई ।

दिल्ली ओलम्पिक खेल

*15. **श्री उत्तम राठौर :**

श्री हरीश रावत : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी औलम्पिक खेल दिल्ली में आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राजधानी में नवें एशियाई खेलों के समय अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार किये गये मूलभूत ढांचे की रोशनी में इस प्रस्ताव की जांच की गई है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) भारतीय औलम्पिक संघ ने सरकार को यह सूचित किया है कि उनका दिल्ली में 1992 के औलम्पिक खेल की मेजबानी करने का प्रस्ताव है । उनका विस्तृत औपचारिक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ताकि उसकी जांच की जा सके ।

आंध्र प्रदेश को लघु सिंचाई के लिए आबंटन

*16. **श्री पी० रंजगोपाल नायडू :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कार्यान्वयन हेतु लम्बित पड़ी स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार लघु सिंचाई कार्य के लिए आंध्र प्रदेश को आबंटन बढ़ा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सिंचाई एक राज्य-विषय है । लघु सिंचाई के लिए आबंटनों की व्यवस्था राज्यों द्वारा, राज्यों के वित्तीय साधनों की तंगी के कारण, लघु सिंचाई के लिए 1982-83 के दौरान आंध्र प्रदेश को कोई अतिरिक्त आबंटन स्वीकृत नहीं किया जा सका है ।

आवास समस्या के कारण

*17. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जनवरी, 1983 के अंग्रेजी दैनिक इण्डियन एक्सप्रेस में "पब्लिक सेक्टर रूट काज आफ हाउसिंग, प्राब्लम" (आवास समस्या का मूल कारण सरकारी क्षेत्र) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र द्वारा भूमि के अधिग्रहण तथा मकानों के निर्माण के कारण इस क्षेत्र में गैर सरकारी उद्यमों का गला घुट गया है ;

(ग) क्या भूमि की पट्टाधारिता के सिद्धान्त ने स्थिति को और अधिक बिगाड़ दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) 19 जनवरी, 1983 को इण्डियन एक्सप्रेस में "पब्लिक सेक्टर रूट काज आफ हाउसिंग प्रोबलम" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार से सन्दर्भित "कामन काज" द्वारा दी गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति इस मंत्रालय में प्राप्त हुई है । आवास के क्षेत्र में, निजी क्षेत्र की भूमिका को सरकार द्वारा मान्यता दी गई है और योजना दस्तावेज में इसका उल्लेख किया गया है । आवास में निजी क्षेत्र द्वारा अदा की जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार ने निजी आवास पर एक कार्यकारी मेल गठित किया जिसने भूमि, कानूनी मामलों, वित्तीय तथा सांस्थानिक मामलों से संबंधित कतिपय सिफारिशें की हैं । सरकार ने इन सिफारिशों पर कार्यवाही आरम्भ कर दी है । सार्वजनिक क्षेत्र का बल समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों पर है ।

एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आवास तथा नगर विकास निगम भी स्थल तथा सेवा जैसी योजनाओं और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के आवास के लिए कम ब्याज दर पर ऋण निधियां देता है। हुडको की ऋण सहायता से निर्मित या निर्माण किये जाने वाले एककों का 87 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए है। वह सही नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा भूमि अर्जन एवं मकानों के निर्माण के कारण इस क्षेत्र में निजी उद्यमियों को दबा दिया गया है। दूसरी ओर भूमि एवं आवास मकानों में जन हस्तक्षेप का शहरी तथा ग्रामीण गरीबों के आश्रय पर वास्तविक सुझाव है। यह भी सही नहीं है कि लीज होल्ड (पट्टा) भूमि की संकल्पना से स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई है।

कावेरी जल विवाद का हल

*18. **श्री के० टी० कौसलराम** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल इन तीन राज्यों के बीच कावेरी नदी के जल के बटवारे के बारे में समझौता समाप्त हो जाने के पश्चात् अब तक तीन मुख्य मंत्रियों की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) कावेरी नदी जल विवाद के हल होने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) कावेरी घाटी प्राधिकरण की स्थापना के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1974 से, जबकि भूतपूर्व मद्रास प्रदेश और मैसूर रियासत के बीच हुए 1824 के करार के कुछ खण्डों पर विचार करना आवश्यक हो गया था, बेसिन वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों की अब तक नौ बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

(ख) कावेरी जल के बटवारे में 1976 में हुए समझौते के संबंध में बेसिन वाले राज्यों के बीच अभी भी मतभेद बने हुए हैं। जल के बटवारे के बारे में किसी सौहार्दपूर्ण हल ढूंढने के लिए, राज्यों पर जोर डालने की दृष्टि से, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के तीनों राज्यों और पाण्डिचेरी संघ राज्य-क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों की शीघ्र ही एक और बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है।

अगस्त, 1976 के समझौते में कावेरी घाटी प्राधिकरण को स्थापित किया जाना परिकल्पित था। तथापि, चूंकि समझौते की अभिपुष्टि नहीं की गई थी, कावेरी घाटी प्राधिकरण का गठन नहीं किया जा सका था। किसी सौहार्दपूर्ण हल पर पहुंचने के लिए पक्षकार राज्यों को राजी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रोम में आयोजित पटसन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व

19. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोम में 26 अक्तूबर, 1982 तक खाद्य और कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) जूट, कैन्फ और एलायड फाइवर के "इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप" नामक जूट अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का कोई प्रतिनिधि नहीं था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और क्या इससे पहले के सम्मेलनों में हमारा प्रतिनिधि इनमें भाग लेता था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका चयन किस प्रकार किया जाता था ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक **विवरण** सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए वस्त्र उद्योग विभाग के पटसन आयुक्त को भेजने का निर्णय किया गया था । यह निर्णय वस्त्र उद्योग विभाग के सचिव को औपचारिक रूप में भेजा गया था । उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वे पटसन आयुक्त को इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए रोम जाने की सलाह दें । तथापि, पटसन आयुक्त रोम नहीं जा सके ।

केन्द्र द्वारा भूमि और भवनों के मूल्य कम करने के लिए उठाए गए कदम ।

*20. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल :**

श्री भीकू राम जैन : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने हाल ही में भूमि और भवनों के मूल्य कम करने लिए विभिन्न कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त कदमों की घोषणा के पश्चात् क्या प्रतिक्रिया तथा प्रभाव हुए हैं; और

(घ) जो लोग मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं उनके विरुद्ध क्या कठोर कदम उठाए गए हैं ।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) नगरीय विकास, भूमि तथा आवास राज्य के विषय हैं । नगरीय भूमि नीति के घटकों के रूप में तथा भूमि के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों को कतिपय उपाय सुझाए गए हैं ।

राज्य सरकारें भू-अर्जन विकास तथा विक्रय हेतु उपाय कर रही हैं। छठी योजना के अन्तर्गत, ब्याज की रिआयती दर पर दी अवधि ऋणों के माध्यम से स्थल तथा सेवा योजनाएं मुहैया करने का ध्येय है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 16.2 लाख एककों के निर्माण के लक्ष्य हेतु राज्य क्षेत्र में लगभग 485 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है इसको 180 करोड़ रुपये की सीमा तक आवास अभिकरणी को हुडको के ऋण से पूरा किया जाना है। भूमि बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास तथा विक्रय की नीति दिल्ली में कार्यान्वित की जा रही है कम लागत आवास तकनीकी, भवन उप नियमों का संशोधन तथा भू उपयोग नियंत्रण एवं भूमि, ऋण, तकनीकी सहायता तथा अन्य प्रोत्साहनों की उपलब्धि के माध्यम से गैर-सरकारी आवास प्रयासों को प्रेरित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सामूहिक तथा सहकारी आवास प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। कतिपय व्यक्तियों के हाथों में भूमि के संचयन को रोकने, सट्टेबाजी रोकने तथा नगर भूमि का अपेक्षाकृत अधिक समान वितरण करने के लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा विनयमन) अधिनियम, 1976 पारित किया गया था।

मुनाफाखोरी के विरुद्ध कार्यवाही समेत केन्द्रीय सरकार द्वारा सुझाए गए विभिन्न उपायों कार्यवाही पर मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की जानी है। केन्द्रीय सरकार सम्पत्ति के लेने देन से हुए पूंजीगत लाभों पर कर लगाती है।

फ्लैटों के आबंटितियों (शालीमार बाग खाता) को ब्याज का भुगतान

1. **श्री भीखा भाई :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिनांक 12-7-82 के अतारांकित प्रश्न 447 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्याज के भुगतान (शालीमार बाग खाता) के लिए लम्बित प्रार्थनापत्रों पर अब तक कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने दावे स्वीकार किए गए/रद्द किए गए, लम्बित पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं तथा क्या औपचारिकताएं बरती जाती हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इनफ्लैटों को ठेकेदारों द्वारा जुलाई, 81 से पहले पूरा नहीं किया गया था किन्तु जैसे ही ये फ्लैट तैयार हो गये, वे आबंटितियों को सुपुर्द किए गए; पूरा ब्यौरा क्या है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान कितने मामलों में आबंटितियों को ब्याज का भुगतान किया गया और उन मामलों का पूरा ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि आबंटितियों को अधूरे हस्तांतरण पक्ष जारी किए गए थे और उन्होंने इन्हें वापिस कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो संशोधित हस्तांतरण पत्र कब तक जारी किए जाएंगे।

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बात से इनकार किया है कि ठेकेदार इन फ्लैटों को को जुलाई, 1980 से पूर्व नहीं था। आगे यह बताया गया है कि जैसा ये फ्लैट कब्जे के लिए प्राप्त हुए, वैसे ही उन्हें आबंटियों को सौंप दिया गया था।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसके लिए कोई ब्याज नहीं दिया गया है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सूची और फ्लैटों की चारदिवारी को भरे बिना अन्तरण पक्षों को आबंटियों को उन पर स्टाम्प कलेक्टर से टाइम्प लगाने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भेजा गया था। फ़्लैटों की सूची तथा चारदिवारी को पंजीकरण करते समय भर जाता है। हाल ही में स्टाइम्प कलैक्टर ने निर्णय लिया है कि फ्लैटों की सूची तथा चार-दिवारी स्टाम्प लगाने से पूर्व भरा जाना चाहिए। तदनुसार कई मामलों में आबंटियों को अन्तरण पत्र वापस करने पड़े।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आवश्यक कार्यवाही करने के बाद इन अन्तरण पत्रों को आबंटियों को भेजा जा रहा है।

उड़ीसा में सूखा

2. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री चिन्तामणि जैना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश भागों में सूखे की स्थिति के कारण उड़ीसा में अधिकांश बहुत ही अधिक प्रभावित क्षेत्रों में वर्तमान फसल नष्ट हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से कहा है कि ऐसे सूखेग्रस्त क्षेत्रों में खरीफ फसल अग्रिम ऋण मार्च, 1983 में देय हो जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इन ऋणों पर ब्याज समाप्त करने की आवश्यकता पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किस तरह और उस राज्य में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस समस्या पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या विचार किया गया;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के अनुरोध पर 1982-83 के दौरान अल्पावधि ऋण को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित करने के लिए उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक द्वारा रखी जाने वाली राज्य कृषि ऋण स्थरीकरण निधि के लिए 75.06 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गयी है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहकारी बैंक की गैर अतिदेय की कमी को पूरा करने के लिए 20 लाख रुपये प्रदान किये गए हैं ताकि यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक से अधिक ऋण सीमा प्राप्त कर सके।

रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों को प्रोत्साहन

3. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे तथा सीमांत किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वे प्रोत्साहन क्या हैं; और

(ग) कृषि उत्पादन बढ़ाने के उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि की में प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां।

(ख) फास्फेट युक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के अतिरिक्त नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों पर भी छोटे और सीमान्त किसानों को 25 प्रतिशत और 33 1 3 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों को 50 प्रतिशत की दर से राजसहायता देने का प्रस्ताव है।

(ग) किये जा रहे अन्य उपाय इस प्रकार हैं, अर्थात् (1) उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धि को सुनिश्चित, करना (2) रेल-शीर्षों की बजाय उनकी ब्लाक स्तर पर सुपुर्दगी करना (3)104 चुनिन्दा जिलों में गहन उर्वरक सम्बर्धन अभियान शुरू करना, (4) राज्यों आदि को दिये जाने वाले अल्पावधि ऋण को बढ़ाना।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों की राशि का आबंटन

4. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा आयोजित त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 1982-83 के लिए निर्धारित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि दी है ;

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए और विशेषकर उड़ीसा के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(घ) उड़ीसा के कितने गांवों को समस्या वाले गांव घोषित किया गया है और उनमें से कितने गांवों को चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत लाये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ से दी गई राशि 127.50 करोड़ रुपये थी । बाद में 24.00 करोड़ रुपये की एक अतिरिक्त राशि दी गई । इन राशियों का नियतन 2.50 करोड़ रुपये छोड़कर जो कि राज्यों तथा केन्द्र के प्रबोधन तथा अन्वेषण एककों के लिए उदृष्टि थी, **संलग्न विवरण** में दिखाया गया है ।

(घ) 1-4-80 को उड़ीसा में समस्याग्रस्त ग्रामों के रूप में पता लगाए गए ग्रामों की संख्या 23618 थी । 1982-83 के दौरान लाभान्वित किए जाने के लिए लक्ष्यित ग्रामों की संख्या 2280 है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	125 6 करोड़ रुपये से 1982-83 के लिए कुल एआरपी नियतन	24.00 करोड़ रुपयों से अतिरिक्त एआरपी नियतन	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	373.5000	100.0000	473.5000
2.	असम	488.5000	93.0000	581.5000
3.	बिहार	582.5000	281.2500	863.7500
4.	गुजरात	138.0000	—	138.0000
5.	हरियाणा	93.5000	179.5000	273.0000
6.	हिमाचल प्रदेश	94.0000	179.7500	273.7500
7.	जम्मू और कश्मीर	905.5000	—	905.0000
8.	कर्नाटक	591.5000	200.0000	791.5000
9.	केरल	641.0000	—	641.0000
10.	मध्य प्रदेश	947.5000	300.0000	1247.5000
11.	महाराष्ट्र	516.5000	200.0000	716.5000

1	2	3	4	5
12.	मणिपुर	93.5000	60.3000	154.0000
13.	मेघालय	295.0000	—	295.0000
14.	नागालैण्ड	139.5000	66.0000	205.5000
15.	उड़ीसा	566.5000	200.0000	766.5000
16.	पंजाब	83.0000	100.0000	183.0000
17.	राजस्थात	2029.5000	200.0000	2229.5000
18.	सिक्किम	106.5000	—	106.5000
19.	तमिलनाडु	550.5000	200.0000	750.5000
20.	त्रिपुरा	41.50000	40.0000	81.5000
21.	उत्तर प्रदेश	2203.0000	—	2203.0000
22.	पश्चिम बंगाल	887.5000	—	887.5000
23.	अण्डमान और निकोवार द्वीप समूह	23.5000	—	23.5000
24.	अरुणाचल प्रदेश	61.0000		61.0000
25.	दिल्ली	—	—	—
26.	गोआ, दमण और दीव	26.5000	—	26.5000
27.	मिजोरम	6.5000	—	6.5000
28.	पण्डिचेरी	14.5000	—	14.5000
	योग	12500.0000	2400.0000	14900.0000

उत्तर प्रदेश को गेहूं की सप्लाई

5. **जैनल बशर :** क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितम्बर, 1982 से जनवरी, 1983 तक महा-वार कितने गेहूं की मांग की गई थी;

(ख) उस राज्य को उसकी मांग की अपेक्षा कितना गेहूं सप्लाई किया गया; और

(ग) यदि मांग पूर्णतः पूरी नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा सितम्बर, 1982 से जनवरी, 1983 तक मांगी गई और वास्तव में आवंटित की गई गेहूं की मात्रा और केन्द्रीय पूल से उठाई गई मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(हजार मीटरी टन में)

	मांगी गई मात्रा	आवंटित की गई मात्रा	वास्तविक उठान
सितम्बर, 1982	125.0	68.0	53.1
अक्तूबर, 1982	125.0	60.0	50.6
नवम्बर, 1982	125.0	70.0	53.7
दिसम्बर, 1982	125.0	70.0	73.7
जनवरी, 1983	150.0	80.0	17.5 (15-1-83 तक)

(ग) केन्द्रीय पूल में गेहूं की उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत बातों कों ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को गेहूं का आवंटन प्रत्येक मास के आधार पर किया जाता है। खुले बाजार में सामान्य उपलब्धता की तुलना में केन्द्रीय पूल से आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं।

बिहार के नालन्दा जिले में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम

6. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के नालन्दा जिले में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के निर्माण के लिये लगातार मांग की जाती रही है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि गोदाम न होने के कारण नालन्दा जिले के लोगों को भारी कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार नालन्दा जिले में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के निर्माण के लिये धन कब तक मन्जूर करेगी ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा अजाद) : (क) से (ग) सरकार को ऐसी किसी मांग और इस संबंध में किसी कठिनाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राज्य सरकार को वितरण करने के चिए खाद्यान्नों का भण्डारण करने हेतु भारतीय खाद्य निगम के बड़े-बड़े बफर डिपों होते हैं और ये डिपों परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते

हुए उपयुक्त स्थानों पर स्थित होते हैं। इस समय निगम पटना जिले के मोकामेह में स्थित निकटस्थ डिपों से इस क्षेत्र की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खाद्यान्नों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। बिहार के सुविधाजनिक उप-वितरण केन्द्रों पर सार्वजनिक वितरण करने और गोदाम चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

शान्ति निकेतन कालौनी में खाली प्लाटों का दुरुपयोग

7. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री शान्ति निकेतन कालोनी में खाली प्लाटों के दुरुपयोग के बारे में दिनांक 18 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2329 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राइवेट संस्थाओं को स्कूल आरम्भ करने के लिए खाली पड़े प्लाटों के आबंटन के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या प्लाट का लगातार मानव जाति और गोजाति दोनों के लिए जनता की "सुविधाएं" स्थान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और दिल्ली नगर निगम न तो इसे रोकने में सफल हुआ है और न ही दैनिक प्रयोग करने वालो के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में सफल हुआ है तथा बिना किसी हल व निराकरण के कई वर्षों से अनेक प्रकार के रोगों के कारण इस पर्यावरण प्रदूषण व अन्य प्रकार के दूषण से वहां के निवासियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) इस भयंकर उत्तेजक स्थिति को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुरानी तकनीक के कारण सेवों की बर्बादी

8. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पैकिंग की पुरानी तकनीक के कारण देश में उत्पादित 30 प्रतिशत सेव बर्बाद हो जाते हैं (टाइम्स आफ इण्डिया दिनांक 20 जनवरी, 1983);

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थाओं को प्रेरित करने के लिये क्या सही कदम उठाये गये ;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उसके द्वारा नियंत्रित और वित्तीय सहायता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालयों की असफलता के कारण गत 10 वर्षों के दौरान सेवों की उत्पादकता में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्ध को पुनर्गठित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) क्या गत 10 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्ध ने सेवों पर फसल के बाद किया जाने वाला कोई अनुसंधान और विकास कार्य किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस कार्य का किस सीमा तक क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकार को यह मालूम है कि सेव की फसल करीब 25% सामान्यतः घटिया किस्म की है तथा ताजे फल के रूप में बाजार में नहीं भेजे जा सकते क्योंकि इस पर लाभकारी कीमत नहीं मिलती । तथापि, इसे संसाधन प्रायोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ।

(ख) बाद की कटाई के निपटान से सम्बन्धित समस्या पर अनुसंधान को हाथ में लेने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सेव सहित बागबानी फसल की बाद की कटाई की प्रौद्योगिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम की स्वीकृति दे दी है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दो केन्द्र यानी हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, सोलन तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली पैकिंग तथा परिवहन के समय होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सक्रिय रूप से अनुसंधान कार्य में लगे हैं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता । सेव का उत्पादन 5.03 लाख टन (1976-77) से बढ़कर 8.98 लाख टन (1981-82) हो गया है ।

(ङ) जी हां, श्रीमान् । 1978 से बागबानी फसल के गाद की कटाई की प्रौद्योगिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सेव सहित बागबानी फसल की बाद की कटाई की प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान कार्य हाथ में लिया हैं ।

(च) कथित कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए अनुसंधान से यह पता चला है कि चोट लगे नुकसान वाले सेवों को 5% तक कम किया जा सकता है जब कारूगोटिड फाइबर बोर्ड कारटोन वाली टोकरियों में सेवों को पैक किया जाता है । इन कारटोन का उपयोग पहले से ही शुरू में हिमाचल प्रदेश बागबानी उत्पादन विपणन तथा प्रोसेसिंग कारपोरेशन, शिमला, जम्मू तथा कश्मीर और उत्तर प्रदेश बागबानी निदेशालय द्वारा सीमित पैमाने पर किया गया है । तथापि, परम्परागत टिम्बर बक्सों की तुलना में इन कारटोनों में अधिक खर्च आने के कारण इसमें और सुधार लाने के लिए कोई नया कार्य नहीं किया जा सका है ।

मिल-मालिकों द्वारा गन्ना उत्पादकों का शोषण

9. **श्री निहाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना उत्पानक राज्यों में निजी क्रशरों के मालिक सरकारी दर से आधी दर पर किसानों से गन्ना खरीद रहे हैं और किसानों को भारी हानि हो रही है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने का है कि निजी क्रशरों के मालिक भी सरकारी दरों पर अदायगियां करें ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार केवल निर्वाद पात्र चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। प्राईवेट क्शर असंगठित क्षेत्र में आते हैं और उनके लिए ये मूल्य देना अनिवार्य नहीं है।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से राज्य सरकार खण्डसारी चीनी के उत्पादकों द्वारा अदा किए जाने वाले न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर सकती है। उद्योग के स्वरूप को दृष्टि में रखने हुए, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, केन्द्रीय सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल राज्य सरकार की सिफारिश पर ही करती है। वर्तमान मौसम के दौरान क्शरों के लिए न्यूनतम मूल्य केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद केवल आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं। किसी अन्य राज्य के लिए इस प्रकार के मूल्य निर्धारित करने के बारे में कोई भी प्रभाव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आगामी खरीफ के मौसम से पूर्व समर्थक मूल्यों की घोषणा

10. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :**

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी खरीफ का मौसम शुरू होने के बहुत पहले कृषि मूल्यों की घोषणा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है ताकि किसान अपने बुवाई कार्यक्रम की अग्रिम रूप से योजना बना सकें;

(ख) क्या आर्थिक अध्ययन संस्थान ने कोई अध्ययन किया है और भारतीय अर्थ व्यवस्था के पुनरुज्जीवन के लिए केन्द्र सरकार को कुछ उपायों का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की मूल्य निर्धारण नीति पर अंतर्राष्ट्रीय तथा देशी बाजार मूल्यों के साथ इन मूल्यों की तुलना करते हुए, नियंत्रण रखने के बारे में ब्यौरा क्या है;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि भारत सरकार की आम नीति यह है कि, विभिन्न फसलों के अधिप्राप्ति या समर्थन मूल्य मौसम के दौरान यथा शीघ्र घोषित किए जायें।

(ख) ऐसा कोई अध्ययन हमारी जानकारी में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

बाढ़ के कारण उड़ीसा में सहकारिता संस्थान भवन को नुकसान

11. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा में पिछली बाढ़ के कारण विभिन्न सहकारिता

संस्थानों के भवनों को काफी नुकसान पहुंचा है और उर्वरकों सहित विभिन्न पदार्थों का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य के कुछ जिलों में सहकारी संगठनों का सम्पत्ति को हुए नुकसान के अनुमान का ब्यौरा दिया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में कितनी सहायता दी है ;

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने सहकारी समितियों की सहायता के लिए 100 लाख रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की है ।

तालंबा, महाराष्ट्र में बांध निर्माण परियोजना

12. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले में तालंबा में बांध निर्माण परियोजना एक एक ऐसी प्रमुख परियोजना है जो केन्द्रीय सहायता पाने योग्य है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सहायता देते समय केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जिन गांव वालों की कृषि योग्य भूमि इस बांध के लिए ली गई है उन्हें अन्यत्र भूमि देकर उनका पुनर्वास किया जायेगा; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा स्वयं की जाती है । राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता एक मुक्त ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और ऐसी वित्तीय सहायता विकास के किसी पृथक सेक्टर या परियोजना से संबद्ध नहीं होती है । भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास सम्बन्धी काम राज्य सरकार के उत्तरदायित्व हैं और ये स्वीकृत मापदण्डों के अनुसार किए जाते हैं जिनको उत्तरोत्तर रूप में और अधिक उदार बनाया जा रहा है । भूमि अधिग्रहण और बृहद् जल संसाधन परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास संबंधी उपायों के लिए राष्ट्रीय मानदण्ड निर्धारित करने के लिए इस मन्त्रालय द्वारा मंत्रियों की एक समिति स्थापित की गई है ।

तालम्बा बृहद सिंचाई परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में, महाराष्ट्र सरकार परामर्श करके जांच की जा रही है और उसे योजना आयोग की सलाहकार समिति के समथ विचारार्थ अभी प्रस्तुत किया जाना है ।

नई कीटनाशक औषधियों के पंजीकरण हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत

13. **श्री एन० ई० होरो :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खासतौर पर निर्यात किए जाने हेतु उत्पादन की जाने वाली नई कीटनाशक औषधियों के पंजीकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे;

(ख) क्या पंजीकरण के लिए पृथक प्रक्रिया अपनायी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

ग्रामीण विकास के बारे में राज्यों के सचिवों का सम्मेलन

14. **श्री नवीन रवानी** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में नवम्बर, 1982 के दौरान ग्रामीण विकास के कार्य से सम्बन्धित राज्यों के सचिवों तथा वरिष्ठ अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां तो देश में उक्त कार्यक्रम के विकास के लिए पया-क्या सुझाव दिये गए हैं।

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के सचिवों का 8 तथा 9 नवम्बर, 1982 को एक सम्मेलन हुंआ था जिसका उद्देश्य मन्त्रालय के मुख्य कार्यक्रमों अर्थात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, भूमि सुधार, कृषि विपणन, ग्रामीण गोदाम आदि के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करना था। यह सम्मेलन नीति सम्बन्धी मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए नहीं बुलाया गया था।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के चथम सामिल्स के मजदूरों को छुट्टी के लाभ

15. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिल डिवीजन चथम (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) के मजदूरों को सी० सी० एस० (लीव) रूल्स, 1972 के अतर्गत छुट्टियों का विस्तार करने के सम्बन्ध में कोई पत्र मिला है;

(ख) इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए कितने स्मृति-पत्र मिले हैं;

(ग) क्या अंडमान और निकोवार द्वीप समूह के चथम सा मिल्स के मजदूर आन्दोलन कर रहे है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मिल प्रभाग चथम (अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह) के मजदूरों को सी० सी० एस० (छुट्टी) नियम, 1972 के अन्तर्गत छुट्टियों का विस्तार करने के लिए 17-9-1982 को मुख्य आयुक्त अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह से दिनांक 6-9-1982 का एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जी नहीं i

(घ) अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के परामर्श से इस मामले में विचार किया जा रहा है। निकोबार प्रशासन से कुछ स्पष्टीकरण ब्यौरे मांगे गये हैं जो अभी प्राप्त होने हैं।

आरक्षित वन क्षेत्रों की घोषणा के कारण विकास कार्यों में रुकावट

16. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नए वन अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्रों की घोषणा के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों के पास पहले से हाथ में और चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य रुक गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों के लिए पर्याप्त अधिकार वाली सुयोग्य समितियों की स्थापना करेंगी ताकि स्वीकृत कार्यों में विलम्ब न हो सके और परिस्थिति की पूर्णतः रक्षा हो सके ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) आरक्षित वनों का आरक्षण रद्द करने अथवा किसी गैर-वन प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि का उपयोग करने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में विचार करने और सरकार को सलाह देने के लिए केन्द्र में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत मामलों का यथा शीघ्र निपटान किया जा रहा है।

फिलहाल किसी अन्य समिति की आवश्तकता महसूस नहीं की गई है।

सेन्ट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा आर्थिक क्षेत्र में जीवन्त संसाधनों का मूल्यांकन

17. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मैरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने देश के समुद्र तटीय आर्थिक 'जोन'

के 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जीवन संसाधनों का समुचित मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) केन्द्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान नियमित आधार पर विभिन्न क्षेत्रों द्वारा समुद्री मछली उत्पादन का मोनीटर करता है महाद्वीपीय शेल्फ में जीवन संसाधनों का 50 मीटर की गहराई तक विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है । मध्य तथा बाहरी महाद्वीपीय क्षेत्रों की कुछ अंश तक खोज की गयी तथा वेलापवर्ती तथा डिमरसल संसाधनों की क्षमता का पता लगाया गया । समुद्र में पाये जाने वाले महाचिगट तथा झींगा संसाधनों की खोज की गई है । अन्तः शेल्फ के सेफेलापीड का आकलन किया गया है तथा महासागरीय समुद्र फेनी पर गुणात्मक सूचना प्राप्त की गई है । एकमात्र आर्थिक जोन का टूना संसाधन तथा हिन्द महासागर से और आगे अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ों के आधार पर दर्शाया गया है । केन्द्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान का अपना नया अनुसंधान पोत आर० वी० स्कीपजैक एक मात्र आर्थिक जोन के जीवित संसाधनों पर गहन अध्ययन के लिए दिसम्बर, 1982 में भेजा गया था, अपना कार्य शुरू कर दिया है ।

हाकी खिलाड़ियों का चयन

18. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस संस्था का नाम व उसके सदस्यों के नाम क्या हैं जो भारतीय हाकी टीम में खेलने के लिए हाकी खिलाड़ियों का चयन करती है ;

(ख) खिलाड़ियों के चयन का मानदण्ड क्या है और ऐसे चयन कितनी अवधि के लिए किए जाते हैं

(ग) भारतीय हाकी टीम के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों (कोचों) के नाम क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय हाकी टीम के खिलाड़ियों का चयन करने में योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता है जो कि हमारी हाकी टीम की पराजय का मुख्य कारण है ; और

(ङ) टीम में सही खिलाड़ियों का चयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ) भारतीय हाकी संघ, जो भारत में हाकी के लिए राष्ट्रीय खेल संघ के रूप में मान्यता प्राप्त है,

भारतीय हाकी टीम के चयन, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है । भारतीय हाकी संघ ने सूचित किया है कि :—

(1) हाकी टीम का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाता है जिसमें निम्न लिखितसम्मिलित हैं :—

(i) श्री आई एम० महाजन, अध्यक्ष भारतीय हाकी संघ (अध्यक्ष)

(ii) कमाण्डर नन्दी सिंह (उपाध्यक्ष) भूतपूर्व ओलिम्पिक खिलाड़ी

(iii) श्री गूरुबक्श सिंह—भूतपूर्व ओलिम्पिक खिलाड़ी

(iv) श्री राजा गोपाल—भूतपूर्व ओलिम्पिक खिलाड़ी

(v) श्री राज कुमार—भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी

(2) संघ द्वारा टीम चयन के लिए अपनाए गए मानदण्ड मुख्यतः स्वस्थता और अन्य कौशल हैं जिसमें खिलाड़ियों का पिछला और वर्तमान कार्य सम्मिलित है। ऐसी कोई विशिष्ट अवधि नहीं है जिसके लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाता है ।

(3) भारतीय हाकी संघ के प्राशिक्षकों का कोई निर्धारित पैनल नहीं है । तथापि निम्नलिखित प्रशिक्षकों ने एशियाई खेल, 82 के लिए भारतीय हाकी टीम को तैयार किया :—

1. सरदार बलबीर सिंह	भूतपूर्व ओलम्पिक खिलाड़ी
2. कप्तान बलबीर सिंह	भूतपूर्व ओलिम्पिक खिलाड़ी
3. श्री एम० किन्दो	भूतपूर्व ओलिम्पिक खिलाड़ी
4. सी० देशमुतु	भूतपूर्व ओलम्पिक खिलाड़ी

(iv) खिलाड़ियों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है ।

सरकार से ऐसी कोई आशा नहीं की जाती कि वह रा;ष्ट्रीय खेल संघों के कार्य में हस्तक्षेप करें। तथापि भारतीय हाकी संघ से आग्रह किया गया है कि वे हमारी प्रतिनिधि टीमों के उचित चयन की आवश्यकता पर ध्यान दें।

तिलहनों का उत्पादन

19. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 में तिलहनों के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में तिलहनों के उत्पादन का राख्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और प्राप्त किया गया है; और

(ग) विभिन्न राख्यों में वर्ष 1983-84 के लिए उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) 1982-83 से सम्बन्धित तिलहन उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) 1982-83 के तिलहन उत्पादन लक्ष्य 118.0 से 120.0 लाख मीटरी टन विर्धारित किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

राज्य	उष्पादन (लाख मीटरी टन)
1. आन्ध्र प्रदेश	13.42
2. असम	0.86
3. बिहार	1.44
4. गुजरात	27.45
5. हरियाणा	0.90
6. जम्मू और कश्मीर	0.40
7. कर्नाटक	9.33
8. केरल	0.24
9. मध्य प्रदेश	12.01
10. महाराष्ट्र	10.40
11. उड़ीसा	3.83
12. पंजाब	1.66

1	2
13. राजस्थान	4.95
14. तमिलनाडु	12.74
15. उत्तर प्रदेश	19.15
16. पश्चिम बंगाल	1.05
17. अन्य	055
कुल	120.33 अर्थात् 12.00

(ग) 1983-84 के लिए तिलहन उत्पादन के लक्ष्य को योजना आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

वन विकास के लिए मध्य प्र देश को जारी किए गए निर्देश

20. **श्री लक्ष्मण कर्मा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सरकार को वन विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान क्या निदेश जारी किए गए हैं; और

(ख) उनके अनुसरण में वन विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवारा) : (क) (1) मध्य प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों को वृहत वनरोपण कार्यक्रम शुरू करने तथा इस कार्यकलाप में स्थानीय जनता, स्वैच्छिक एजेंसियों आदि को शामिल करने तथा वन विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गए।

(2) ग्रामीण ईंधन के वृक्षारोपण सहित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत इन 10 जिलों को चुना गया जिसमें ईंधन की भारी कमी है। हाल ही में इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के पांच और जिलों को चुना गया है।

3. वन रोपण के लिए वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए :—

वर्ष	पौध की संख्या
1981-82	350.00 लाख
1982-83	2500.00 लाख

वर्ष 1980-81 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) (1) ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी से सम्बन्धित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 1980-81 से मध्य प्रदेश के चुनिन्दा जिलों में क्रियान्वित की जा रही है ।

2. 1981-82 और 1982-83 (दिसम्बर, 1982) के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां हुई है :—

वनरोषण : वर्ष	पौध की संख्या
1981-82	2456 लाख
1982-83	2761.70 लाख

3. मध्य प्रदेश 1981-82 से 29 जिलों में संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से प्राप्त वित्तीय सहायता से एक सामाजिक वानिकी परियोजना भी लागू कर रहा है ।

एशियाई खेल-गांव के लिए सफाई कर्मचारी तथा अटेन्डेंट उपलब्ध कराने हेतु ठेका

21. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेल अधिकारियों ने एशियाई खेल-गांव में 450 सफाई कर्मचारी तधा अटेन्डेंट उपलब्ध कराने हेतु, नेहरू प्लेस काम्पलैक्स, नई दिल्ली स्थिति एक कंपनी से ठेका किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त ठेके का ब्यौरा क्या है उस कंपनी को अग्रिम रूप में कितनी राशि दी गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त ठेकेदार द्वारा सप्लाई किए गए श्रमिकों ने, कम मंजूरी दिए जाने के कारण हड़ताल कर दी थी और खेल-गांव अधिकारियों को उन्हें अधिक मंजूरी पर नियुक्त करना पड़ा था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त श्रमिकों को स्थायी कर दिया गया है;

(च) क्या ठेकेदार को दी गई अग्रिम रा शि वापस ले ली गई थी;

(छ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त ठेका कैसे समाप्त किया गया ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) विशेष आयोजन समिति ने 9,56,000 रु० के एक मुश्त व्यय पर 40 दिनों की अवधि के लिए गांव में पूरी व्यवस्था और सम्बद्ध सेवाएं प्रदान करने हेतु मैसर्स सेक्यूरिटी आरगेनाइजेशन एण्ड मेयड्स कन्सल्टेशन्स के साथ ठेका किया जिसका क्षेत्रीय कार्यालय, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में है । ठेका

में मुख्यतः सफाई कर्मचारियों, गृह परिचरों, पर्यवेक्षकों और भण्डारहालों की श्रेणियों में 405 कार्मिकों की सेवाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई । विशेष आयोजन समिति द्वारा इस फर्म को अग्रिम रूप से कोई धन नहीं दिया गया ।

(ग) और (घ) फर्म द्वारा काम में लगाए गए कामगर अपनी सेवा शर्तों से संतुष्ट नहीं थे और ठेके के प्रारम्भ होने के पहले ही दिन अर्थात् 1 नवम्बर, 1982 को उन्होंने काम बन्द कर दिया । विशेष आयोजन समिति द्वारा नोटिसों के बावजूद फर्म ने कोई सुधार नहीं किया और 13 नवम्बर, 1982 को ठेके को रद्द करना पड़ा । इसके बाद इन कामगरों को सीधे ग्राम प्रशासन द्वारा काम में लगाया गया और उन्हें फर्म द्वारा दी मजदूरी से अधिक मजदूरी दी गई। तथापि, ग्राम प्रशासन द्वारा दी गई मजदूरी विशेष आयोजन समिति द्वारा फर्म को देय ठेके की मजदूरी से कम थी ।

(ङ) ये कामगर बिल्कुल तदर्थ और अस्थाई आधार पर नियुक्त किए गए थे और उन्हें ग्राम बन्द होने के बाद कार्य मुक्त कर दिया गया ।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में गन्ने की बकाया राशि

22. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार अथवा चीनी निगम द्वारा चलाये जा रहे मिलों, गैर सरकारी क्षेत्र उद्यमों द्वारा चलाए जा रहे मिलों और केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण अथवा संरक्षण के अधीन कार्यरत मिलों पर दिनांक 20 जनवरी, 1983 को किसानों का गत पिराई के समय का उनके गन्ने के मूल्य का क्रमशः 22 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया और 2 करोड़ रुपया बकाया था;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में किसानों की बकाया राशि का मिलवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो सरकार प्राक्कलन के अनुसार कुल कितनी राशि बकाया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के अधीन अपेक्षित 15 दिन के अन्दर किसानों की राशि का भुगतान न करने के कारण देय ब्याज की कितनी राशि मिलवार बकाया है और ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें 15-1-83 तक उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ने के

मूल्य के बकायों का ब्यौरा दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5790/83] 20-1-83 तक सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचनानुसार, केवल कुछेक फैक्ट्रियां ही गन्ने के मूल्य का विलम्ब से भुगतान करने के कारण गन्ना उत्पादकों को ब्याज दे रही हैं। कोई और विवरण उपलब्ध नहीं हैं। गन्ना (नियंत्रण) आदेश का उल्लंघन करने के मामलों के बारे में चूककर्त्ता यूनिटों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जानी होती है क्योंकि उनके पास इस संबंध में आवश्यक शक्तियां और फील्ड संगठन हैं ।

बाढ़ तथा अकाल से निपटने के लिए योजना

23. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थायी तौर पर बाढ़ तथा अकाल से निपटने के लिए बनाई गई योजना के अन्तर्गत अब तक क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) बाढ़ तथा अकाल की स्थितियों से निवटने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान, कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा बाढ़ और अकाल के कारण कितनी वार्षिक हानि हुई है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए भौतिक कार्यों की प्रगति को दर्शाने वाला **विवरण-1** और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को दर्शाने वाला **विवरण-2** संलग्न है [ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी० 5791/83]

(ख) उपलब्ध की गई केन्द्रीय सहायता

आपदा की प्रकृति	1979-80	1980-81	1981-82
			(करोड़ रुपए में)
बाढ़ (जिसमें प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल है)	94,14	221,94	161,87
सूखा	193,09	264,22	192,41

बाढ़ों से हुई हानि

वर्ष	प्रभावित शस्यगत क्षेत्र (लाख हैक्टार)	प्रभावित आबादी	सार्वजनिक सम्पत्ति की हानि	मृत व्यक्तियों की संख्या
		(लाख)	(करोड़ रुपए)	
1979-80	12,57	195,2	233,62	256,2
1980-81	571,34	540,5	301,66	1788
1981-82	29,01	209,1	494,86	10,14

सूखे से हुई हानि

वर्ष	प्रभावित शस्यग्रस्त क्षेत्र	प्रभावित आबादी	प्रभावित पशुओं की संख्या
	(लाख हैक्टार)	(लाख)	(लाख)
1979-80	385,99	2204,83	1285,40
1980-81	258,84	2659,60	1938,05
1981-82	243,27	965.89	1068,50

तिलहनों और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु भारत की स्टेट फार्म कारपोरेशन की योजना

24. **श्री चतुर्भुज :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इंडिया ने वर्ष 1983-84 के दौरान तिलहनों तथा दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) तथा (ख) भारतीय राज्य फार्म निगम ने वर्ष 1983-84 के दौरान दलहनों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है । इस कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :—

(1) 1983-84 में दलहनों के अन्तर्गत लाया जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्र 14,039 हैक्टार है जबकि 1982-83 में यह 11,935 हैक्टार था ।

(2) 1983-84 में 1.50 लाख क्विंटल दलहन उत्पादन का लक्ष्य नियत किया गया है, जबकि 1982-83 में 1.00 लाख क्विंटल उत्पादन होने की संभावना है ।

(3) ग्रीष्म, 1983 के लिए मूंग के बीजों के 88,100 मिनिकिट वितरित किए गए हैं, जबकि ग्रीष्म, 1982 ने 54,600 मिनिकिट वितरित किए गए थे ।

(4) 1983-84 के दौरान तिलहनों के अन्तर्गत 3,330 हैक्टार क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है, 1982-83 के दौरान यह क्षेत्र 2,418 हैक्टार था ।

(5) 1983-84 में 19,545 क्विंटल तिलहन उत्पादन का लक्ष्य नियत किया गया है, जबकि 1982-83 में 15,086 क्विंटल उत्पादन होने की सम्भावना है ।

राजस्थान नहर क्षेत्रों में बसने वालों को विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम ने राजस्थान नहर क्षेत्रों में बसने वालो तथा मजदूरों के लिए अधिक खाद्य सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हा, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में बसने वाले नये व्यक्तियों के लिए लगभग 131 लाख अमरीकी डालर (12,4 करोड़ रुपए) के मूल्य की खाद्य सहायता देने का बचन दिया है।

(ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दी जाने वाली खाद्य सहायता में 31,018 मीटरी टन गेहूं 2482 मीटरी टन वनस्पति तेल और 2482 मीटरी टन टन दलहन शामिल है। पांच वर्षों की अवधि से 1,90,000 हैक्टार भूमि का सुधार करने और उसमें खेती करने वाले लगभग 30,000 परिवारों को आवास के प्रारम्भिक 18 महीनों के दौरान परियोजना से लाभ मिलने की आशा है विश्व खाद्यकार्यक्रम को सहायता से इस क्षेत्र में आवास की दर में वृद्धि होने की सम्भावना है।

शहरी भूमि की बढ़ती हुई कीमत

26. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **निर्माण और आवास** मत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में विशेष रूप से बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली कानपुर, अहमदाबाद, आदि जैसे मुख्य महानगरों में पिछले तीन वर्षों से भूमि की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या इस बात से यह तथ्य निकलता है कि मध्यम आय वर्ग के लोग भूमि खरीदने और उसमें एक छोटा मकान बनाने के लिए समर्थ नहीं होंगे;

(ग) क्या उस भूमि की कीमत जो केन्द्र और राज्यों में सरकारी एजेन्सियों द्वारा बेची जा रह है इतनी अधिक है कि मध्यम आय वर्ग के लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते और जिन फ्लैटों का निर्माण सरकार जनता में बेचने के लिए कर रही है, ये बहुत मंहगे हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार लगातार भूमि की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने और मध्यम तथा छोटी आय वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्शों में कई बड़े शहरों में शहरी भूमि की कीमत में वृद्धि हुई है तथापि यह वृद्धि किस सीमा तक हुई इसकी कोई यथार्थ सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) शहरी विकास भूमि तथा आवास राज्य के विषय हैं। तथापि हुडको द्वारा समाज के निम्न आय वर्ग और आर्थिक दृष्टि ने कमजोर वर्गों की आवास योजनाओं को सहायता दी जाती है। हुडको द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं में लाभ भोगियों की सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम लागत निर्धारित की जाती है और मकान तथा प्लाट पूर्व निर्धारित दरों पर आबंटित किए जाते हैं।

(घ) शहरी भूमि की कीमतों में आबंटित वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को मार्ग निर्देशन परिचालित कर दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं :—

(i) सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा विकसित भूमि की पूर्ति तथा निम्न आय आवास में वृद्धि करना।

(ii) निजी आवास को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यकारी दल द्वारा दी गई सिफारिशें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं।

(iii) इस मामले पर जनवरी, 1983 में शहरी विकास की केन्द्रीय परिषद में चर्चा हुई थी और यह संकल्प किया गया था कि भूमि की सट्टेबाजी को रोकने के लिए कदम उठाये गए और निजी विकासकर्त्ताओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए।

(iv) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा सामूहिक तथा सहकारी आवास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(v) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियम) अधिनियम, 1976 लागू है।

(vi) आवास के लिए विभिन्न स्रोतों से सांस्थानिक वित्त की उपलब्धता में वृद्धि की जा रही है।

विनियमित बाजार के विकास के लिए सहायता

27. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनियमित बाजार के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) तमिलनाडु सरकार को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) चुने नियमित बाजारों के लिए आधारभूत ढांचे की सुविधाएं सुलभ करने हेतु निम्नलिखित दरों पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है जो कि योजना की आश्यकताओं को पूरा करती है :—

(1) वाणिज्यिक फसलों (जूट, तम्बाकू कपास, मूंगफली, काजू, नारियल, आलू, प्याज, लाल मिर्च तथा पान पत्ते का व्यापार करने वाले बाजार...4 लाख रुपए प्रति बाजार।

(2) कमाण्ड क्षेत्रों में स्थित नियमित बाजार... 5 लाख रुपए प्रति बाजार।

(3) फलों तथा सब्जियों के लिए टर्मिनल बाजार...15 लाख रुपए प्रति बाजार।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने योजना के अन्तर्गत अभी तक किसी भी केन्द्रीय सहायता का लाभ नहीं उठाया है।

"पैडी लाइंग इन दी ओपन" शीर्षक समाचार

28. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब में खुले में पड़े धान तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूरे स्टाक को दो सप्ताह के भीतर उठा लेने के वचन की ओर दिलाया गया है, और यदि हां तो क्या यह कार्य समय पर कर लिया गया था (इकोनोमिक टाइम्ज, दिनांक 3-1-1983);

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए विकेन्द्रीयकरण पर विचार करेगी ताकि अनाज के घट जाने के कारण होने वाली क्षतियों तथा व्यय को कम किया जा सके और इस प्रकार अनाज का आयात घटाया अथवा समाप्त किया जा सके;

(ग) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार की भण्डार एजेंसियों द्वारा अनाज की ढुलाई/भण्डारण करने में राज्य-वार हुई क्षति का वर्षवार हिसाब लगाया है; और

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा बड़े पैमाने पर अच्छी किस्म की गेहूं मिलने तथा सरकार द्वारा उस गेहूं को कई वर्षों तक बीज के रूप में इस्तेमाल करने के परिणामस्वरूप "कारनल बंट" नामक बीमारी व्यापक रूप से फैली है?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) खुली में पड़े हुए धान के स्टाक को जनवरी, 1983 के अन्त तक निपटान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा शुरू किए गए अभियान के फलस्वरूप, अब पंजाब में कंवर और प्लि (कैम्प) भण्डारण में धान का कोई भी स्टाक असुरक्षित नहीं पड़ा है।

(ख) भण्डारण में हानियों और उन पर खर्चा कम से कम करना सुनिश्चित करने के लिए कई एक पग पहले ही उठाए जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में भविष्य में जो भी अन्य उपयुक्त उपाय करना आवश्यक समझा जाएगा वे भी किए जाएंगे।

(ग) जी हां।

(घ) भारतीय खाद्य निगम सामान्यतया बीज के प्रयोजन के लिए गेहू सप्लाई नहीं करता है। तथापि, जब कभी राज्य सरकारों को बीज के प्रयोजन के लिए गेहूं सप्लाई किया जाता है, वह केवल ठोस और रोग-मुक्त स्टाक से ही सप्लाई किया जाता है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा अंकुरण संबंधी परीक्षण करने के बाद ही स्वीकार किया जाता है।

दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के विवरण में कदाचार

29. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना लोगों को ग्रुप प्रणाली के आधार पर अथवा प्रथम आओ प्रथम जाओ प्रणाली के आधार पर दूध वितरित करती है,

(ख) क्या सराई रोहिल्ला, किशन गंज, समुद्र कालोनी और अन्य डिपुओं में ग्रुप प्रणाली के आधार पर दूध वितरित किया जाता है और कुछ लोगों को दूध काले बाजार में खरीदना पड़ता है;

(ग) क्या यह सच है कि इन डिपुओं पर दूध वितरण कर्मचारियों के अतिरिक्त उनके परिचित व्यक्ति भी दूध वितरण कर रहे हैं और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 4 या 5 थैले/दूध की बोतल ले जाते हैं जिनमें प्रत्येक थैले में 8 से 10 बोतल आती हैं; और

(घ) क्या सरकार इस कदाचार की जांच करेगी और टोकन प्रणाली लागू करके बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं में सुधार करेगी ताकि नागरिक आसानी से दूध प्राप्त कर सकें;

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) दिल्ली दुग्ध योजना "पहले आओ" के आधार पर दूध वितरित करती है। तथापि, सराय रोहिल्ला, किशनगंज, सुभद्रा कालोनी के लगभग 10 डिपुओं में प्रातः और सायं) में से तीन डिपुओं में प्रातः पारी में ग्रुप प्रणाली अभी प्रचलित है। जांच के दौरान पिछले छः महीनों में इन डिपुओं से दूध के काले बाजार की कोई घटना सामने नहीं आयी है।

दिल्ली दुग्ध योजना प्राधिकारियों द्वारा ठिपो कर्मचारियों को कड़े अनुदेश दिए गए हैं कि वे बाहरी व्यक्तियों की सहायता के बिना दूध वितरित करें।

क्रमबद्ध ढंग से अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने से पहले करोल बाग, देवनगर, वैस्टर्न एक्सटैंशन एरिया, राजेन्द्र नगर, दरियागंज, हौजकाजी, जामा मस्जिद, रानी बाग और हौज खास के क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा टोकन प्रणाली पुनः चालू की जा रही है

ईस्ट आफ कैलाश (सूरज पर्वत) में डी० डी० ए० के एम० आई० जी० फ्लैटों का पंजीकरण

30. **डा० वी० कुलनदईवेलू:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ईस्ट आफ कैलास (सूरज पर्वत) नई दिल्ली में डी० डी० ए० के एम० आई० जी० फ्लैटों के पंजीकरण के कार्य के लिए अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है जो कि नवम्बर, 1976 से पहले नकद खरीददारों के आधार पर आबंटित किए गए थे;

(ख) क्या इससे सरकारी कोष को राजस्व की लगातार हानि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का डी० डी० ए० का सचेत करना और ऐसे फ्लैटों के पंजीकरण के लिए कोई तारीख निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) मामलों की संख्या क्या है और ऐसे कितने मामले हैं जहां आबंटितियों ने अपने पति पत्नियों सहित संयुक्त नाम पर पंजीकरण के लिए प्रार्थनापत्र दिए थे तथा डी० डी० ए० इन अनुरोधों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अधिकांश मामलों में अन्तरण करारनामे पंजीकृत कर दिए गए हैं या उन्हें स्टाम्प कलेक्टर से स्टाम्प लगाने के लिए आबंटियों को भेज दिया गया है । शेष मामलों में आबंटियों को बिलम्बित भुगतान का ब्याज, देय तिथियों पर बकाया का भुगतान न करने पर जुर्माना, भूमि किराया इत्यादि जैसे बकायों के भुगतान के लिए कहा जा रहा है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इससे इन्कार किया है ।

(ग) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आफ कैलाश में पति पत्नी के संयुक्त नाम से आबंटन प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में कोई अनुरोध नहीं प्राप्त नहीं हुआ है ।

समिति द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पशु परियोजनाओं की समीक्षा

31. **श्री राम किंकर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1970 में मंजूर की गई पशु परियोजनाएं अभी चल रही हैं;

(ख) 1970 से जिन व्यक्तियों ने परियोजना समन्वयकर्त्ता (प्रोजेक्ट कार्डिनेटर) (पशु परियोजना) का पद संभाला था उनमें से प्रत्येक के नाम तथा यह पद संभालने की तारीखें क्या-क्या हैं और इस समय उनकी क्या हैसियत है;

(ग) क्या विशिष्ट समिति ने कभी पशु परियोजना की समीक्षा की थी और यदि हां, तो सदस्यों के नाम क्या हैं और उनके प्रमुख निष्कर्ष क्या-क्या हैं;

(घ) किस अवधि की समीक्षा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुतीकरण तारीख क्या है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ङ) समीक्षा समिति की प्रत्येक बैठक की तारीख कौन-कौन सी है और प्रत्येक बैठक में बैठक-वार भाग लेने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(च) पशु परियोजना में आरम्भ से ही एकक-वार कुल कितना व्यय किया गया और निर्धारित लक्ष्य के कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) अधिकारी का नाम	नियुक्ति की अवधि	वर्तमान स्थिति
डा० ओ० बी० टंडन	1961 से 1971	सहायक महानिदेशक (ए० डी० एण्ड बी०), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली

1	2	3
डा० पी० एन० भट	8-6-70 से 1-1-71	
डा० पी० एन० भट	1-1-71से 8-9-74	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर के पशुआनुवंशिकी प्रभाग के अध्यक्ष, उनके सामान्य कार्य के अतिरिक्त कार्य-भार के रूप में
डा० बी० जी० कटपतल	सितम्बर, 74 से जुलाई, 1981	पशु आनुवंशिकी और प्रजनन पशु चिकित्सा कालेज जबलपुर के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष ।
डा० पी० एन० भट	2 सितम्बर, 1981 आजतक	निदेशक, केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, पोस्ट-फराह ।

(ग) जी हां, श्रीमान् । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जून, 1980 में गठित एक मध्य समीक्षा समित द्वारा प्रयोजना की समीक्षा की जा रही है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या 14-3/80-ए० एस० आर० 11, दिनांक 9-6-1980 के द्वारा एक समिति का गठन किया जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :—

1. डा० सी०कृष्णा राव	अध्यक्ष
2. डा० पी० भट्टाचार्या	सदस्य
3. डा० डी० सुन्दरेशन	सदस्य
4. श्री० बी० एन० अमले	सदस्य
5. श्री बी० जी० कटपतल*	संयोजक
6. डा० ओ० बी० टन्डन	भारतीय कृषि असंधान परिषद के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए ।

*उनके अपने मूल विभाग में वापस चले जाने के फलस्वरूप परिषद ने अपने आदेश संख्या 16-11/74- ई. ई. 1 दिनांक 26-8-1981 के द्वारा गोपशुओं से संबंधित ए० आई० सी० आर० पी० के प्रयोजना समन्वयक के कार्य को देखने के लिए डा० पी० एन० भट को नियुक्त किया । प्रायोजना समन्यक अपनी हैसियत से इस समिति के पदेन संयोजक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया ।

प्रत्येक यूनिट के कार्य को विस्तृत रूप में देखने के बाद समिति ने सिफारिश की है कि इन सभी यूनिटों को छठी प्रंच-वर्षीय योजना के दौरान जारी रखा जाय ।

(घ) मध्यावधि समीक्षा समिति ने 1970 से 1980 के प्रायोजना के कार्यों की समीक्षा की । चेयरमैन से वह रिपोर्ट 7-2-1983 को प्राप्त की गई । परिषद में रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

(ङ) प्रत्येक बैठक के स्थान और उसमें भाग लेने वाले सदस्यों के नाम तथा तिथियां **विवरण** में दी गई हैं ।

(च) प्रत्येक यूनिट का खर्च :

यूनिट का नाम	खर्च रु० में
जबलपुर	2,31,18,978.00
हिसार	1,04,21,014.00
लैम (गंटूर)	2,35,99,000.00
राहुरी	1,46,49,083.03
हरिनघाटा	2,37,72,745,00
इज्जतनगर*	
कुल	3,55,60,820.00

*भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा इसके बजट को पृथक से नहीं रखा जा रहा है क्योंकि यह संस्थान के अनुसंधान कार्यों का एक अभिन्न अंग है ।

यह आशा की जाती है कि 7वीं योजना के अन्त तक अधिकांश उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया जाएगा ।

विवरण

समीक्षा समिति की बैठक

बैठक की तिथि	स्थान	उपस्थित सदस्य
19-7-80	कृषि भवन, नई निल्ली	डा० सी० कृष्णा राव डा० पी० भट्टाचार्या डा० ओ० बी० टंडन डा०बी०जी० कटपतल
15-10-80	कृषि भवन, नई दिल्ली	डा० सी० कृष्णा राव डा० पी० भट्टाचार्य डा० एम० पी० सिंह डा० बी०जी० कटपतल

1	2	3
2-11-81 से 4-11-81	आई० वी० आर० आई०, इज्जतनगर	डा० सी० कृष्णा राव डा० पी० एन० भट
19-12;81 से 21-12-81	मखदूम	डा० सी० कृष्णा राव डा० पी० भट्टाचार्या (20-12-1981 को) डा० पी० एन० भट
3-5-82 से 4-5-82	कृषि भवन, नई दिल्ली	डा० सी० कृष्णा राव डा० पी० भट्टाचार्या डा० पी० एन० भट
20-7-82	कृषि भवन, नई दिल्ली	डा० पी० भट्टाचार्या डा० ओ० बी० टंडन डा० पी० एन० भट
28-8-82 से 30-8-82	हैदराबाद	डा० सी० कृष्णा राव डा० पी० भट्टाचार्या डा० ओ० बी० टंडन डा० पी० एन० भट
27-9-82 से 30-9-82	कृषि भवन, नई दिल्ली	डा० सी० कृष्णा राव डा० पी० भट्टाचार्या डा० पी० एन० भट
2-11-82 से 4-11-82	कृषि भवन, नई दिल्ली	डा० सी० कृष्णा राव डा० पी० भट्टाचार्या डा० ओ० बी टंडन डा० पी० एन० भट
7-1-83 से 9-1-83	मखदूम	डा० सी० कृष्णा राव डा० पी० भट्टाचार्य डा० पी० एन० भट

पश्चिम बंगाल में कराटी और माल्टा नदियों में गाद जमा होना

32. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिम बंगाल के क्षेत्र सुन्दरबन में कराटी और माल्टा नदियों में गाद जमा होने से उत्पन्न संकट के बारे में जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप इस अत्यन्त पिछड़े व निर्धन क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ है : और

(ख) यदि हां, तो इन दो नदियों के गाद को नियमित रूप से पटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्तमान ज्वारीय चल-निकास प्रणाली, जिसमें करातिया, विद्याधरी तथा मतला नदियां सम्मिलित हैं, में गाद भरने के कारण उत्पन्न हुई जल-निकास के अनरोध संबंधी समस्या को हल करने के लिए 540 लाख रुपये की लागत पर अगस्त, 1980 में करातिया नगरटाला जल-निकास स्कीम तैयार की है। गाद को इस प्रकार हटाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने प्रस्तावों की जांच करने के पश्चात्, अक्तूबर, 1980 में और पुनः सितम्बर, 1982 में अपने प्रेक्षण भेजे थे। उन पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरणों की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

अन्डों की बढ़ती कीमतें

33. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडों की कीममों में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) जनवरी, 1983 के मध्य में दिल्ली में अंडों के मूल्यों में तेज वृद्धि का रुख देखा गया था। अंडे का थोक मूल्य 63 पैसे प्रति अंडा पहुंच गया था और इसका खुदरा मूल्य 76 पैसे प्रति अंडा के लगभग था। सरकार ने तत्काल कदम उठाए तथा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को अंडों की अधिगात्सि तथा उपभोक्ताओं को अंडों के खुदरा वितरण के लिए सुपर बाजार, दिल्ली, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सरकारी समिति दिल्ली, दिल्ली फल एवं सब्जी उपभोक्ता सहकारी संघ आदि द्वारा चलाए जा रहे फुटकर बिक्री केन्द्रों को अंडों की थोक आपूर्ति का कार्य सौंप दिया। नेफेड और सुपर बाजार ने अंडों का फुटकर वितरण करने के लिए बहुत सी चलती-फिरती गाड़ियां कार्य में लगा दीं। दिल्ली में नेफेड और अन्य सहकारी समितियों द्वारा की गई सम्मिलित कार्रवाई का बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। दिल्ली में अब प्रति अंडे का मूल्य 44 पैसे से 50 पैसे है। सरकारी समितियां प्रति अंडा 44 पैसे का बेच रही हैं।

डी० डी० ए० काउंटरों पर प्रस्तुत किए जाने वाले पत्रों/आवेदन पत्रों के बारे में शिकायतें

34. **श्री सुभाष चन्द्रबोस अल्लूरी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को ग्राउंड फ्लोर के काउंटर पर प्रस्तुत किए जाने वाले पत्र-आवेदन पत्र संबंधित अनुभागों/विभागों को 15 से 20 दिन बाद पहुंचते हैं और संबंधिन अनुभाग अथवा संबंधित क्लर्क उन आवेदन पत्रों की, प्राप्ति के 20 से 30 दिन पश्चात उन पर कार्यवाही करता है;

(ख) यनि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और गत दो वर्षों के दौरान कितनी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) ऐसे कितने मामलों का पता लगा है जहां आवेदन पत्रों को आगे भेजने में इतना अधिक समय लगा है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोआ में आवास की कमी

35. **श्री एडआर्डो फ्लोरो** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोवा में आवास की अत्यधिक कमी की समस्या के हल के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : आवास राज्य का विषय है। अनुमोदित योजना नियतनों के अन्तर्गत राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विधियां उद्दृष्टि करने और आवास सहित राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र है। गोवा, दमण और दीव के लिए छठी योजना (1980-85) में आवास के लिए 650.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। योजना कार्यक्रम में रूप में गोवा, दमण तथा दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन निम्न आय वर्ग, पुलिस आवास और किराया आवास के लिए आवास योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। वे ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के परिवारों को आवास-स्थल तथा निर्माण सहायता देने के 20 सूत्री कार्यक्रम का भी कार्यान्वयन कर रहे हैं।

केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान में ऊन तथा खरगोश के लोभ की मात्रा

36. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **कृषि** मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्य निगम को दी गई अग्रिम धनराशि के बारे में 11 अक्टूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1148 के सम्बन्ध में यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भेड़ एवं उन अनुसंधान में 1-1-1983 तक गत तीन वर्षों के दौरान उन तथा खरगोश के लोभों का कितनी मात्रा में उपयोग किया गया और उनका मूल्य मास-वार कितना है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान शालों तथा अन्य उत्पादों की विक्री से, पृथक-पृथक कितने राजस्व को प्राप्त हुई;

(ग) प्रत्येक नस्ल के पृथक-पृथक (मास वार) आयु के उन नर तथा मादा खरगोशों की संख्या कितनी थी जो। जनवरी, 1979, 1980, 1981,1982 और 1983 को केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध थे; और

(घ) केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान में खरगोशों को आहार देने पर गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान कितना वार्षिक व्यय हुआ और प्रयोग की गई प्रत्येक खाद्य सामग्री का नाम तथा मात्रा कितनी है और उसका मूल्य कितना है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय भेड़ और उन असुसंधान संस्थान से सूचना एकत्र की जा रही और उपलब्ध हो जाने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड द्वारा डी० डी० ए० एलैटों का निरीक्षण

37. **श्री त्रिलोक चन्द :**
श्री जयनारायण रोट :
श्री विजय कुमार यादव :
श्री सुभाष यादव :
श्री जगपाल सिंह :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री इरा अन्नबरासु :
श्री पीयूश तिरको : क्या **निर्माणऔर आवास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न वर्षो के फ्लैटों का निरीक्षण करने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री जूटा सिंह) : (क) उप राज्यपाल, दिल्ली ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवास परियोजना का सर्वेक्षण आरम्भ करने, डिजाइन के पहलुओं, विशिष्टियों, कोटि तथा तकनीकी पर्यवेक्षण, निर्माण सामग्री की कोटि, ठेकेदारों के नामान की पद्धति में किए जाने वाले सुधारों, निर्माण कार्यों का चरण निरीक्षण तथा सम्बन्ध मामलों पर परामर्श देने के लिए एक वस्तुस्थिति जांच समिति का गठन किया है ।

(ख) निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुए है ।

एशियाई खेलों के आयोजन पर हुआ व्यय

38. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**
श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या **खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नवम एशियाई खेल के आयोजन पर एशियाई खेल समिति ने कुल कितना व्यय किया ;

(ख) मदवार अर्थात् सुरक्षा, निर्माण, मनोरंजन, परिवहन, अधिकारियों तथा कर्मचारियों, पर प्रशासनिक तथा खेल के संबंध में कितना कितना व्यय हुआ ;

(ग) दैनिक मजदूरी पर कितने व्यक्ति तथा कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए; गए और

(घ) स्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनका श्रेणीवार वेतन कितना है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) नवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति द्वारा 31 जनवरी, 1983 तक दर्ज किया गया खर्चा 1033 करोड़ रुपये है। तथापि, गदवार ब्यौरे देना संभव नहीं है क्योंकि विधि अभियोजन समिति के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) विधि आयोजन समिति ने 4 दिन से 65 दिन की अवधि के लिए दिहाड़ी पर 1339 व्यक्ति नियुक्त किए थे।

(घ) कुछ नहीं।

टिकटधारियों को नेशनल स्टेडियम में प्रवेश करने से इन्कार किया जाना

39. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाकी फाईनल खेल के लिये अनेक टिकटधारियों को नेशनल स्टेडियम में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वैध टिकटधारी किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोका गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास के लिए मध्य प्रदेश को निधियां

40. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने ग्रामीण विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 1982 के दौरान कितनी निधियां दीं;

(ख) क्या उक्त खर्च से बारे में क्या निगरानी रखी जा रही है; और

(ग) उक्त खर्च संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है;

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) वर्ष 1982-83 के दौरान ग्रामीण विकास के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के लिए मध्य प्रदेश को दिए गए केन्द्रीय बंटन तथा उन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किए गए व्यय को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) जी हां।

विवरण

वर्ष 1982-83 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार को दिए गए केन्द्रीय बंटन तथा राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम	केन्द्रीय बंटन	दिसम्बर, 1982 दी गई निधियों, जिसमें राज्य का अंश भी शामिल है में से किया गया व्यय (अनन्तिम)*
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	916.00	1902.92
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	1390.00	1604.26
3. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	115.00	123.43**

* राज्य सरकार द्वारा सूचित

(** सितम्बर, 1982 तक)

कृषि उत्पादों के उप-उत्पादों के उपयोग के बारे में नीति

41. **श्री उत्तमराव पाटिल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के विचार से कृषि उत्पादों जैसे गन्ना, कपास, चावल आदि तथा उनके उप-उत्पादों का भारी उत्पादन होने से, उनकी वसूली, भण्डारण, विपणन तथा निपटान की समस्या पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने अब तक क्या नीति अपनाई है अथवा अपनाने का विचार किया है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

एशियाई खेलों पर खर्च

42. **श्री आनन्द पाठक :**

श्री एम० रमना रमन्ना राय :

श्री रामावतार शास्त्री : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों पर वस्तुतः कितनी राशि खर्च हुई और इसके लिए अनुदान किस लेखे से दिया गया; और

(ख) क्या उक्त खर्च करने से कोई आय हुई और लोक कल्याण के लिए निधि का सृजन हुआ ?

संसदीय कार्य खेल, निर्माण तथा आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) खेल विभाग द्वारा 15-2-83 तक एशियाई खेलों के लिए दर्ज किया गया खर्च 51.02 करोड़ रु० है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, एशियाई खेलों पर सरकार का कुल खर्चा 67 करोड़ रुपये होने की संभावना है। यह सारा खर्च सरकार की योजनेत्तर राशि में से वहन किया जा रहा है।

(ख) विशेष आयोजन समिति को 31-1-1983 तक 5.84 करोड़ रुपयें की आय हुई है जिसे उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित खर्च के आंकड़ों का हिसाब करते समय ध्यान में रखा गया है।

एशियाड-82 पर हुआ वास्तविक खर्च

43. **श्री हरीश कुमार गंगवार :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

श्री सुशील भट्टाचार्य :

प्रो० मधु दण्डवते :

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एशियाड-82 पर हुए वास्तविक खर्च ब्यौरा देते हुए सभा पटल पर एक श्वेत पत्र रखेगी ;

(ख) क्या सरकार की इस पूर्व घोषणा के समक्ष कि खेलों पर 57 करोड़ रुपये लागत आएगी, राजकोष पर 1100 करोड़ रुपए का भार पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। एशियाई खेल 82 पर हुए व्यय की जानकारी विभिन्न संसद प्रश्नों के उत्तर में समय-समय पर सदन को दी जाती रही है।

(ख) जी नहीं। एशियाई खेलों पर 15-2-83 तक दर्ज किया गया व्यय 51.02 करोड़ रु० है। विद्यमान संकेतों के अनुसार एशियाई खेलों पर सरकार का व्यय कुल 67 करोड़ रुपये के लगभग होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई खेलों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में सुविधायें

44. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

प्रो० फूल चन्द वर्मा : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों के सम्बन्ध में कुछ सुविधाओं की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने कुल कितनी राशि खर्च की ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने एशियाई खेलों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुविधाओं की घोषणा की :—

(i) विभिन्न कोचिंग/प्रशिक्षण शिविरों के लिए चुने गये व्यक्तियों के लिए, जो एशियाई खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए चुने गए थे, आहार राशि बढ़ा दी गई थी।

(ii) उन सरकारी कर्मचारियों का, जो कोचिंग/प्रशिक्षण शिविरों तथा खेलों में भाग लेने के लिए चुने गए थे, विशेष आकस्मिक अवकाश बढ़ाने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे।

(iii) समारोह सम्बन्धी किए और एशियाई खेल गांव में सभी भारतीय भाग लेने वालों के ठहरने के खर्चे की व्यवस्था।

(iv) एशियाई खेलों की अवधि के दौरान दिल्ली में शैक्षिक संस्थाएं बन्द करना।

इसके अलावा, सरकार ने एशियाड, 1982 के विभिन्न खेलों के आयोजन के लिए नये स्टेडियमों का निर्माण तथा विद्यमान स्टेडियमों का नवीकरण करके प्रशिक्षण और खेलों के आयोजन के लिए उपस्करों का आयात करके, भारतीय पुरुष खिलाड़ियों महिला खिलाड़ियों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करके और राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा मांग करने पर तथा आवश्यक समझने पर विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं प्राप्त करके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने का भी वचन दिया। नवें एशियाई खेलों से सम्बन्धित विशेष आयोजन समिति को खेलों के आयोजन के लिए आवश्यक वित्तीय तथा अन्य सहायता भी प्रदान की गई।

विभिन्न विभागों एजेन्सियों ने कुछ फ्लाई ओवरों, होटलों, रास्तों को चौड़ा करने, रिंग रेलवे के विद्युतीकरण इत्यादि जैसी अपनी सामान्य विकास योजनाओं को समय से पहले पूरा किया, ताकि इस प्रकार तैयार की गई सुविधाएं एशियाड के लिए सुलभ कराई जा सकें।

(ग) एशियाई खेलों से सम्बन्धित आवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं तथा अन्य प्रबन्धों, जिसके लिए सरकार ने वचन दिया था, की व्यवस्था करने के लिए खेल विभाग द्वारा 15-2-1983 तक एशियाई खेलों के लिए दर्ज किया गया कुल खर्च 51.02 करोड़ रुपये है। वर्तमान संकेतों के अनुसार एशियाई खेलों पर सरकार का कुल खर्चा 67 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

केरल में सूखा

45. **श्री के० ए० राजन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल में मानसून के विफल होने से भयंकार सूखे की स्थिति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र कौन-कौन से हैं और फसलों आदि को हुई अनुमानित क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राहत कार्यों के लिए कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां।

(ख) केरल सरकार से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार राज्य सरकार ने पालघाट जिले के 62 गांव, एलेप्पी जिले के 66 गांव तथा समस्त इदुक्की जिला (42 गांव) सूखे से प्रभावित घोषित किए हैं। 1.04 लाख हैक्टार के फसल-क्षेत्र को क्षति पहुंची है।

(ग) व (घ) भारत सरकार ने वर्ष 1982-83 के दौरान 410 लाख रुपए व्यय की अधिकतम सीमा तया इसके अतिरिक्त वर्ष 1983-84 के दौरान 531.95 लाख रुपए का व्यय करने की स्वीकृति दी है, जो इस प्रकार है :—

	1982-83	1983-84
		(लाख रुपए में)
1. कृषि क्षेत्र (उत्पादन क्षति को पूरा करने की योजना)	30.00	—
2. पेय जल की आपूर्ति	60.00	60.75
3. चिकित्सा और स्वास्थ्य सुरक्षा	10.00	—
4. विशेष पोषाहार कार्यक्रम	15.00	16.20
5. राहत रोजगार कार्यक्रम	295.00	455.00
	410.00	531.95

केरल में इन्डोर स्टेडियम के निर्माणार्थ सहायता

46. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में एक इण्डोर स्टेडियम के निर्माणार्थ सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) केरल सरकार से केरल में इनडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए चालू वर्ष के दौरान सहायता प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पहले केरल सरकार से इनडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु कुछ अनुरोध प्राप्त हुए थे जिनके लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई थी :—

परियोजना	कब प्राप्त हुए	दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे
1. त्रिचूर में इनडोर स्टेडियम	1976-77	1976-77 और 1978-79 में मुक्त किए गए अनुदान।
2. बादगारा में इनडोर स्टेडियम	1976-77	1976-77 में मुक्त किए गए अनुदान।
3. बंगानूर में इनडोर स्टेडियम	1978-79	1978-79 और 1979-80 में मुक्त किए गए अनुदान।
4. कालिकट में इनडोर स्टेडियम	1979-80	1979-80 और 1981-82 में मुक्त किए गए अनुदान।
5. मालाप्पुरम में इनडोर स्टेडियम	1980-81	1980-81 में मुक्त किए अनुदान
6. गान्धीनगर कोटायाम में इनडोर स्टेडियम	1981-82	1981-82 में दिए गए अनुदान

शालीमार बाग स्थित एम० आई० जी० तथा एल० आई० जी० फ्लैटों के ढह जाने का डर

47. **डा० यू० ए० आजमी :**

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शालीमार बाग, नई दिल्ली के ए० एन० ब्लाक स्थित 300 एम० आई० जी० तथा एल० आई० जी० फ्लैटों के ढह जाने का डर है—दो जीने पहले ही ढह चुके हैं—और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनके निर्माण में प्रयुक्त हुई कंकरीट के नमूनों की जांच करने के बारे में निवासियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है;

(ग) क्या वहां दीवारों में दरारें पड़ना, अत्यधिक मात्रा में पानी का रिसना उचित रूप में नालियों का न होना आदि कुछ प्रमुख दोष हैं; और

(घ) यदि हां, तो वहां मरम्मत कार्य करने हेतु उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि यह सही नहीं है कि शालीमार बाग के पाकेट ए० एन० में 300 मध्यम आय वर्ग तथा बिम्ब आय वर्ग के फ्लैटों के गिरने का भय है। इसने यह भी बताया है कि यह सही नहीं है कि दो जीने पहले ही गिर चुके हैं। इसने आगे यह भी बताया है कि इन मकानों का मुख्य इंजीनियर (कोटि नियंत्रण) द्वारा निरीक्षण किया गया है और ध्यान में आई छोटी-मोटी खामियों को आबंटियों की सन्तुष्टि के अनुसार ठीक किया जा रहा है।

(ख) उपयुक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इससे इन्कार किया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लेवी चीनी का वितरण

48. **श्री नीरेन घोष** : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 24 महीनों में चीनी के कुल उत्पादन की कितनी प्रतिशत चीनी लेवी चीनी के रूप में वितरित की गई;

(ख) पिछले 2 वर्षों में चीनी का कुल वार्षिक उत्पादन क्या था;

(ग) क्या यह सच है कि लेवी मुक्त चीनी के रूप में आबंटित चीनी की प्रतिशतता से अधिक लेवी चीनी खुले बाजार में बेची गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) पिछले दो चीनी वर्षों 1980-81 और 1981-82 के दौरान क्रमश: 51.48 लाख मीटरी टन और 84.38 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था इस प्रकार दोनों चीनी वर्षों में कुल मिलाकर 135.86 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। नवम्बर, 1980 से जनवरी, 1983 तक की अवधि के दौरान आन्तरिक खपत के लिए वितरण हेतु और निर्यात के लिए लेवी चीनी के रूप फैक्ट्रियों से उक्त कुल उत्पादन की लगभग 59 प्रतिशत चीनी निर्मुक्त की गई थी यद्यपि सामान्यतया फैक्ट्रियों को मौसम विशेष के दौरान अपने उत्पादन का 65 प्रतिशत लेवी चीनी के रूप में और 35 प्रतिशत खुली बिक्री की चीनी के रूप में देना होता है फिर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आने वाली नई फैक्ट्रियों/विस्तार यूनिटों की खुली बिक्री की चीनी की अधिक हकदारी होने के कारण उत्पादन को लगभग 6 प्रतिशत लेवी चीनी खुली बिक्री की

चीनी में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार लेवी चीनी के रूप में वसूली के लिए उत्पादन का लगभग 59 प्रतिशत रह जाता है।

(ग) और (घ) प्रत्येक फैक्ट्री के बारे में मौसम विशेष के उत्पादन में से लेवी और खुली बिक्री की चीनी की सुपुर्दगी निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार सुनिश्चत की जाती है। तथापि, जहां तक आन्तरिक खपत के लिए लेवी और खुली बिक्री की चीनी के मासिक कोटे की नियुक्ति का सम्बन्ध है, उसके लिए कोई प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गई है। यद्यपि आन्तरिक खपत के प्रत्येक मास निर्धारित मात्रा में लेवी कोटा निर्मुक्त किया जाता है, अर्थात् 2.49 लाख मीटरी टन, लेकिन खुली बिक्री की चीनी के कोटे की मात्रा उपलब्धता-स्थिति, मांग, प्रवृत्ति, गुड़ और खंडसारी आदि जैसे अन्य स्वीटनिंग एजेन्ट्स, की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक मास भिन्न-भिन्न होती है।

वेजीटेबल प्रोसेसिंग प्लांट

49. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री बेजीटेबल प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में 26 जुलाई, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 235 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्डन बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड ने हरियाणा में जिला गुड़गांव के पटौदी में टमाटर की चटनी के उत्पादन के लिए वेजीटेबल प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या हरियाणा सरकार ने हरियाणा के जिला गुड़गांव में बागवानी विकास परियोजना शुरू करने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस प्रस्ताव से सम्बन्धित एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद इस सम्बन्ध में निर्णय किया जाएगा।

(ख) परियोजना की मुख्य-मुख्य बातों को बताना अभी जल्दबाजी होगी।

(ग) उपलब्ध सूचना से यह संकेत मिलता है कि हरियाणा सरकार ने बागवानी विकास परियोजना की अभी मंजूरी नहीं दी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दालों का उत्पादन बढ़ने के सम्बन्धी योजनाएं

50. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने विभिन्न राज्यों में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो बिहार में दालों का उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी योजनाएं क्या हैं; और

(ग) बिहार में इस क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार में दो योजनाओं अर्थात् गहन दलहन विकास कार्यक्रम को केन्द्र प्रायोजित योजना जिसमें ग्रीष्म मूंग उत्पादन कार्यक्रम शामिल है तथा दलहन की मिनिकिट प्रदर्शनों की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

दलहन के गहन विकास की केन्द्र-प्रायोजित योजना, जिसमें ग्रीष्म मूंग उत्पादन कार्यक्रम शामिल है, के अन्तर्गत किसानों के लिए प्रदर्शनों, प्रमाणीकृत बीज की सप्लाई, पौध रक्षण रासायनिक उपकरणों और परिचालन शुल्क और "राईजोबियम कल्चर" के उत्पादन और बिवरण तथा ग्रीष्म मूंग के उत्पादन के सिंचाई शुल्क प्रदान करने के लिए राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है। दलहन के मिनिकिट प्रदर्शनों की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत दलहन की उन्नत अल्पकालीन किस्मों के मिनिकिट किसानों में निःशुल्क वितरित किए जाते हैं, जिससे उनका शीघ्र प्रसार हो तथा अधिक क्षेत्र उनके अन्तर्गत आ सके।

(ग) बिहार में पिछले वर्षों के दौरान निम्नलिखित प्रगति हुई है :—

वर्ष	क्षेत्र (हजार हैक्टर)	उत्पादन (हजार मी० टन
1979-80	1244.1	634.6
1980-81	1367.8	833.0
1981-82	1365.6	779.9

मिलों के गेहूं उत्पादों की लागत तथा आधार में उनके बिक्री मूल्यों में असमानता

51. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **खाद्य नागरिक पूर्ति** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) आटा मिलों को गेहूं किस दर पर सप्लाई किया जाता है;

(ख) उनको उचित दर के डिपोओं के माध्यम से बिक्री हेतु सरकार को किस दर पर गेहूं उत्पाद सप्लाई करने पड़ते हैं तथा खुले बाजार को किस दर से गेहूं के उत्पाद बेचे जाते हैं;

(ग) क्या मिलों के गेहूं के उत्पादों की लागत तथा खुले बाजार में गेहूं के उत्पादों की लागत के बीच भारी अन्तर है; और

(घ) क्या सरकार गेहूं के उत्पादों के सम्बन्ध में मुनाफे को कम करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस समय रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं 185 रुपये प्रति क्विंटल के समान मूल्य पर दिया जा रहा ।

(ख) एक **विवरण** संलग्न है जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित गेहूं के मुख्य उत्पादों-मैदा और सूजी के निकासी मूल्य दिये गये हैं । मिलों को अपने उत्पादों की उचित दर की दूकानों और अन्य दोनों को उसी मूल्य पर बेचना होता है ।

(ग) राज्यों सरकारें इन उत्पादों के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण रखती है, उनसे ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । निकासी मूल्य और उपभोक्ता मूल्य के बीच अन्तर मुख्यत: थोक विक्रेता-मार्जिन, हैंडलिंग खर्च, खुदरा विक्रेता-मार्जिन, परिवहन, पैकिंग प्रभार, आदि जैसी मध्यवर्ती लागत के कारण हैं ।

(घ) राज्य सरकारें मिल मालिकों को केवल उचित लाभ दिलाने के लिए गेहूं के उत्पादों के मूल्यों को विनियमित करती हैं ।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मैदा तथा सूजी के निकासी मूल्य को बताने वाला विवरण (गेहूं का निर्गम मूल्य 1-8-1982 से 185 रु० प्रति क्विंटल)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	निकासी मूल्य प्रति क्विंटल	
		मैदा	सूजी
1.	आन्ध्र प्रदेश	263.61	262.64
2.	असम	268.02	265.00
3.	बिहार	212.00	212.00
		250.00	250.00
4.	गुजरात	245.00	245.00
5.	हरियाणा	248.00	241.00
6.	हिमाचल प्रदेश	250.00	250.00
7.	जम्मू और कश्मीर	243.00 (के)	243.00 (के)
		230.00 (जे)	230.00 (जे)
8.	कर्नाटक	261.00	261.00
9.	केरल	260.00	255.00
10.	पाण्डिचेरी	243.40	249.70
11.	महाराष्ट्र	246.66	257.77

1	2	2	3
12.	मणिपुर	260.00	250,00
13.	मेघालय	260.14	255.00
14.	नागालैण्ड	268.40	257.70
15.	उड़ीसा	247.00	247.80
16.	पंजाब	230.00	230.00
17.	राजस्थान	245.00	245.00
18.	सिक्किम	260.00	280.00
19.	तमिलनाडु	257.00	255.85
20.	उत्तर प्रदेश	260.00	सू० न०
21.	पश्चिम बंगाल	242.60	256.60
		258.00	272.00
22.	चण्डीगढ़	230.00	230.00
23.	दिल्ली	245.00	251.00
24.	गोआ, दमन और दीव	250.00	268.00
25.	मिजोरम	267.93	261.00
26.	लक्षद्वीप	274.38	269.03
		(क्रय मूल्य)	

सू० न०=सूचित नहीं किया गया ।

तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई नगरीय जल सप्लाई तथा जल मल विकास योजनाएं

52. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिल सरकार ने छटी योजना के दौरान नगरीय जल सप्लाई तथा नगरीय जल-मल निकास की कितनी योजनाएं शुरू की गई तथा दोनों तरह की योजनाएं किन-किन नगरों में शुरू की गई;

(ख) छठी योजना के आरम्भ से अब तक इनमें से कितनी योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं; और

(ग) उन पर तमिलनाडु सरकार का परिव्यय कितना था तथा वर्ष 1980-81, 1981-82 और दिसम्बर, 1982 तक; ग्रामीण जल सप्लाई तथा स्वच्छता और नगरीय जल सप्लाई तथा स्वच्छता पर तमिलनाडु सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) क्योंकि पेय जलपूर्ति राज्य का विषय है तथा योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं। इसलिए अपेक्षित विस्तृत सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगी।

(ग) उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	जलपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए अनुमोदित परिव्यय।		वास्तविक व्यय	
	जोड़	एम० एन० पी०	जोड़	एम० एन० पी०
	(करोड़ रुपयों में)			
1980-81	30.49	11.00	32.25	11.00
1981-82	38.00	11.00	43.7575	11.00
1982-83	57.90	13.00	51.32 (अनुमानित व्यय)'	11.00

एम० एन० पी० = न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
(समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल पूर्ति हेतु)

पेय जल समस्या हल करने के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता

53. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेय जल समस्या हल करने हेतु राज्यों को पर्याप्त आर्थिक सहायता के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है तथा इस कार्यक्रम के लिए प्रावधान राज्य बजट में किया जाता है। केन्द्रीय सरकार पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल मुहैया करने के प्रयासों में राज्य सरकारों की सहायता त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम (ए० आर० पी०) के अन्तर्गत अनुदान देकर करती है। छठी योजना अवधि लिए त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। ए० आर० पी० के अन्तर्गत योजना के तीन वर्षों के दौरान राज्यों को धन का प्रावधान निम्न प्रकार है :—

वर्ष	ए० आर० पी० (रुपये करोड़ रुपयों में)
1980-81	100.00
1981-82	110.00
1982-83	151.50

एशियाई खेल गांव का उपयोग

54. **श्री एडुआर्डो फ्लोरी :**
श्रीमती किशोरी सिन्हा :
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री के० मालन्ना : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवें एशियाई खेलों के अवसर पर दिल्ली में बनाए गए एशियाई खेल गांव के लगातार उपयोग के बारे में कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गंगा के पानी का बटवारा करने के लिए भारत बंगलादेश संयुक्त आयोग

55. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा के पानी को बढ़ाने और वितरण करने संबंधी समस्या का हल ढूंढने के लिए गत छः महीनों में भारत बंगलादेश संयुक्त आयोग की कोई वार्ता हुई है;

(घ) दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर कितनी बातचीत हुई है;

(ग) उपरोक्त मसले पर इस समस्या हल के लिए क्या के नवीनतम उपाय सोचा गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ख) भारत और बंगलादेश के बीच अक्तूबर, 1982 में एक समझौता हुआ था जिसमें अगली दो शुष्क ऋतुओं में फरक्का में उपलब्ध गंगा के जल प्रवाह के बटवारे के लिए जल छोड़े जाने तथा फरक्का में गंगा के प्रवाहों में वृद्धि करने के लिए जिन दो स्कीमों का आदान-प्रदान किया गया था, भारत बंगला देश संयुक्त नदी आयोग के जरिए उनके व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन करने की भी व्यवस्था है ।

उसके अनुसरण में, पिछले 6 महीनों के दौरान भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की दिसम्बर, 82 और फरवरी, 83 में दो बैठकें भी की जा चुकी हैं। संयुक्त नदी आयोग ने व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति स्थापित की है।

भारतीय खाद्य निगम में मजूरी संशोधन

56. **श्री सुधीर कुमार गिरी** : क्या खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम में इसके कर्मचारियों की मजूरी में पिछली बार कब संशोधन किया गया था;

(ख) उपर्युक्त मजूरी संशोधन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई मजूरी संशोधन नहीं किया गया तो कब तक इसमें संधोधन करने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) पिछली बार निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों में 1976 में 1-1-1973 से पूर्व प्रभावी तारीख से संशोधन किया गया था। तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में सशोधन करने के फलस्वरूप निगम द्वारा नियुक्त की गई वेतन समिति की सिफारिशों के आधार पर यह संशोधन किया गया था। एक **विवरण** संलग्न है जिसमें वह व्यापक पैटर्न दिया गया है जिसके आधार पर वेतनमानों में संशोधन किया गया था।

(ग) क्योंकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में 1-1-1973 के बाद कोई संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए सामान्यतया भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों में कोई और संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठेगा। तथापि, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों पर मंहगाई भत्ते के औद्योगिक फार्मूले को लागू करने और उस संदर्भ में वेतनमानों में उपयुक्त सशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया था जैसा कि कर्मचारियों के कुछेक वर्गों ने मांग की थी। सरकार ने इसे सिद्धान्त रूप में मान लिया है बशर्ते कि निगम की प्रमुख यूनियनें सरकार द्वारा उल्लिखित पैरामीटरों और शर्तों के अन्दर-अन्दर मंहगाई भत्ते के औद्योगिक फार्मूले को अपनाने के लिए तैयार हों।

विवरण

क्रम संख्या	31-12-72 को वेतनमान	1-1-73 से संशोधित वेतनमान
1.	रु० 80-2-100	रु० 210-4-250-5-290
2.	" 85-2-95-3-110	" 225-5-260-6-308
3.	" 100-5-130	" 260-6-326-8-350

1	2	3
4.	रु० 120-5-150	रु० 290-6-326-8-390-10-400
5.	" 125-5-155	" 290-6-326-8-390-10 400
6.	" 120-10-240	" 290-10-380-12-440-15-385
7.	" 150-10-300	" 380-12-440-15-560-20-640
8.	" 200-10-250-15-400	" 425-15-560-20-700
9.	" 225-10-235-15-430-20-550	" 450-15-555-20-675-25-850
10.	" 300-25-600	" 650-30-740-35-880-40-1200
11.	" 350-25-500-30-620-40-700	" 650-30-740-35-880-40-1200
12.	" 400-40-800-50-950	" 700-40-1100-50-1300
13.	" 700-50-1250	" 1100-50-1600
14.	" 900-50-1400	" 1200-50-1700
15.	" 1100-50-1300-60-1600	" 1300-50-1 '00-60-1800
16.	" 1600-100-2000	" 1800-100-2000-125/2-2250 इस व्यवस्था के साथ कि :
	" 1800-100-2000	(1) मुख्य ट्रैफिक प्रबन्धक, मुख्य विधि प्रबन्धक के पद और शेष बचे पदों का 1/3 पद 2250-125/2-2500 रुपये के सैलेक्शन ग्रेड में होंगे ;
	" 2000-100-2500	(2) सैलेक्शन ग्रैड पदों में से दो पद अर्थात् कार्मिक प्रबन्धक और वित्तीय सलाहकार के पद 2250-100-2750 रुपये के वेतनमान में होंगे ।

एशियाई खेलों से आय और उन पर व्यय

57. **श्री अम्मरराय प्रधान** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु कितना धन आवंटित किया गया है;

(ख) नवें एशियाई खेलों में अब तक कितना धन खर्च हो चुका है;

(ग) नवें एशियाई खेलों से अब तक कितनी आमदनी हुई है;

(घ) नवें एशियाई खेलों पर अभी भी कितना खर्च होने की सम्भावना है;

(ङ) नवें एशियाई खेलों के लिए निर्मित स्टेडियमों और एशियाई खेलगांव की लगातार उपयोगिता किस प्रकार की जाएगी; और

(च) नवें एशियाई खेलों पर किए गए खर्च को पूरा करने, वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खेलों को बढ़ावा देने पर केन्द्र में निधियों का कुल योजनागत आवंटन 1075 लाख रु० है। इसमें शारीरिक क्रिया के लिए रखे गए 125 लाख रु० का आवंटन शामिल नहीं है।

(ख) एशियाई खेलों से सम्बन्धित खेल विभाग में 15-2-83 तक दर्ज किया गया कुल व्यय 51.02 करोड़ रु० है।

(ग) नवम् एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति ने 31-1-83 तक 5.84 करोड़ रु० अर्जित किए थे। वर्तमान संकेतों के अनुसार, एशियाई खेलों पर कुल 67 करोड़ रु० का व्यय होने की सम्भावना है।

(ङ) एशियाड स्टेडियम पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए आने वाले लंबे अर्से तक उपलब्ध होते रहेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण से एशियाड गांव काम्पलेक्स की लगातार प्रयोग करने को सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है।

(च) नवम् एशियाई खेलों से सम्बन्धित व्यय मुख्यतः अवस्थापना और अन्य सुविधाओं पर है तथा उनका देश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु उपयोग किए जाने का विचार है। वे व्यावसायिक उद्यम किस्म के नहीं हैं। अतः सरकार द्वारा एशियाड पर किए गए व्यय की वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

चुनी हुई विनियमित मार्केटों के विकासार्थ केन्द्रीय सहायता के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव

58. **श्री शान्तु भाई पटेल** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान, चुनी हुई विनियमित मार्केटों के विकासार्थ सहायता हेतु विभिन्न राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए थे;

(ख) प्रत्येक राज्य के लिए कितने प्रस्ताव अनुमोदित किए गए और आज ऐसे कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष विनियमित मार्केटों के लिए राज्यवार कितनी निधियों का वितरण किया गया; और

(घ) इसके फलस्वरूप कितनी नियमित मार्केटों का विकास हुआ ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) वर्ष 1981-82 के दौरान चुने नियमित बाजारों के विकास की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता की मंजूरी के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या तथा अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या के बारे में राज्यवार सूचना दर्शाने वाला **विवरण अनुबन्ध-1** में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5792/83] उन प्रस्तावों जिनमें योजना की आवश्यकताएं पूरी नहीं की गई थी, को सम्बधित राज्य सरकारों को वापस कर दिया था। वर्ष 1981-82 का कोई प्रस्ताव इस मन्त्रालय के पास लम्बित नहीं पड़ा हुआ है।

(ग) व (घ) जैसा कि **अनुबन्ध-2** में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5792/83]

राज्यवार पेय जल की समस्या से पीड़ित ग्रामीण लोग

59. **श्री जय नारायण रौत** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी क्षेत्रों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित पेयजल पूर्ति कार्यक्रम में आदवासी क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों के समस्याग्रस्त ग्राम शामिल हैं। राज्य सरकारों से प्रांप्त आंकड़ों के अनुसार 1-4-80 को देश में 2.31 लाख समस्याग्रस्त ग्राम थे समस्याग्रस्त ग्राम वे ग्राम हैं जहां जल का चिरकालिक अभाव है या जहां पर स्वच्छ पानी का स्रोत नहीं है। ये समस्याग्रस्त गांव आदिवासी क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल की पूर्ति को नये 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है। छठी योजना अवधि के दौरान पता लगाये गये सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को पूरे वर्ष जल उपलब्ध

रहने वाले कम से कम एक स्रोत की व्यवस्था करके लाभान्वित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनुसूचित जन जाति जनसंख्या को पर्याप्त प्राथमिकता दी जाएगी। पांचवी योजना (1974-79) के 429.27 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना में इस लिए परिव्यय को 2007.11 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है।

छठी योजना के लिए अतिरिक्त सिंचाई का लक्ष्य

60. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** :

स्वामी इन्द्रवेश : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचर्षीय योजना के लिए अतिरिक्त सिंचाई का लक्ष्य पूरा होने की संभावना नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई लक्ष्य प्राप्त करने में कितनी कमी रहने की संभावना है और इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) 13.74 मिलियन हैक्टेयर क्षमता के लक्ष्य की तुलना में, योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान जून, 1983 तक 7.06 मिलियन हैक्टेयर की क्षमता सृजित हो जाने की प्रत्याशा है। शेष दो वर्षों में उपलब्धि की उसी दर पर योजना के शेष दो वर्षों में 4.7 मिलियन हैक्टेयर और क्षमता सृजित होने की प्रत्याशा की जा सकती है। इस प्रकार, संभावित कमी लगभग 2 मिलियन हैक्टेयर की रहेगी।

इस कमी का मुख्य कारण लागतों में वृद्धि होने के कारण, धन की कमी होना है।

गन्दी बस्ती सुधार योजनाओं की प्रशासकीय और आर्थिक समस्याएं

61. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्ती सुधार योजनाओं में कानूनी और प्रशासकीय समस्याओं और वित्तीय कमियों के कारण कोई प्रगति नहीं हो पायी है ; और

(ख) गन्दी बस्ती सुधार योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) मलिन बस्ती पर्यावरणीय सुधार की योजना के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के कारणों में निधियों के पर्याप्त प्रावधान, सांस्थानिक प्रबन्धों, सामाजिक सहयोग, प्रभावी प्रबोधनों, भवन निर्माण सामग्री की पूर्ति तथा सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण में कमी शामिल हैं। राज्य सरकारों/संघ

क्षेत्र प्रशासनों से कार्यक्रम के कार्यान्वियन में तेजी लाने तथा नियत किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। "मलिन बस्ती सुधार" राज्य क्षेत्र में होने से उचित उपचारात्मक उपाय करना राज्य सरकारों का काम है। 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार निरन्तर इस योजना का प्रबोधन कर रही है।

विभिन्न राज्यों में गन्ने का अलग-अलग मूल्य ढांचा

62. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री रामावतार शास्त्री : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी गन्ना उत्पादक राज्य में गन्ने का मूल्य 25 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं और यदि विभिन्न राज्यों में विभिन्न मूल्य निर्धारित किए गए हैं तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खुली बिक्री के लिए और अधिक चीनी का कोटा जारी करने की अपनी वर्तमान नीति को बदलने/पुनरीक्षण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किए गए हैं और इन निर्णयों को जब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) क्योंकि गन्ने का मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने के बारे कोई निर्देश नहीं जारी किया गया है इसलिए 25 रुपये के मूल्य के बारे में किन्हीं कठिनाइयों के होने अथवा न होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित और केन्द्रीय सरकार को सूचित गन्ने के मूल्य संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) खुली बिक्री चीनी के मासिक कोटे की मात्रा, उपलब्धता, मांग आवश्यकता मूल्य प्रवृत्ति और गुड़ तथा खंडसारी जैसे अन्य स्वीटनिंग एजेंट्स की उपलब्धता को ध्यान में रख-कर निश्चित की जाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, 1983 के खुली बिक्री के कोटे को कम करके क्रमशः करके 2.50 लाख मीटरी टन और 2.00 लाख मीटरी टन कर दिया गया है जबकि नवम्बर, 1982 के लिए 3.20 लाख मीटरी टन और दिसम्बर, 1982 के लिए 3 लाख मीटरी टन की निर्मुक्ति की गई थी।

विवरण

	राज्य	(आंकड़े रुपये प्रति क्विंटल) 1982-83 मौसम
1.	पश्चिम उत्तर प्रदेश	21.50
2.	मध्य उत्तर प्रदेश	21.50
3.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	20.50
4.	बिहार	20.50
5.	महाराष्ट्र	15.80
6.	आन्ध्र प्रदेश	18·50 (आरम्भिक अग्रिम) 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर
7.	केरल	17.00 से 20.00
8.	पाण्डिचेरी	14.38 (अनन्तिम)
9.	पंजाब	20.00 (अनन्तिम) (बढ़िया किस्म के लिए 22 रुपए)

नर्मदा बांध सिंचाई परियोजना

63. **श्री छोटू भाई गामित :**

श्री नरसिंह मकवाना :

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नर्मदा बांध सिंचाई परियोजना पूरी करने के लिए कितना समय निर्धारित किया है;

(ख) अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है और भारत सरकार इसके लिए कितना धन आबंटित करेगी;

(घ) अब तक कुल कितना खर्च हो गया है, सरकार ने कितना धन आबंटित किया है; और

(ङ) सरकार इस परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) माननीय सदस्य संभवतः नर्मदा नदी पर गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं, जिसका क्रियान्वयन गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना को, वर्ष 1981-82 से आरम्भ करके 17 वर्ष की अवधि में उस सरकार द्वारा पूरा किए जाने की योजना बनाई गई है।

(ख) परियोजना के निर्माण कार्य कार्यान्वयन की प्रारंभिक अवस्थाओं में हैं। काफर बांधों, निर्माण जलमार्गों तथा व्यपवर्तन चैनलों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। मुख्य बांध की नींव की खुदाई, गहरे नदी जलमार्ग में नींव की खुदाई और दोषपूर्ण क्षेत्र को सुधारने का कार्य भी पूरा हो गया है। बांध पर निर्माण-कार्यों और 9 से 17 कि० मी० तक के भाग में मुख्य नहर की खुदाई कार्य प्रगति पर है। निर्माण-पूर्व के कार्य, जैसे सड़कें, कालोनी, भवन इत्यादि, अंशतः पूरे हो गए हैं।

(ग) और (घ) बांध, बिजलीघर और नहर प्रणाली सहित, सम्पूर्ण परियोजना पर इस समय 4240 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है। 1982-83 के अन्त तक इस परियोजना पर 203.50 करोड़ रुपए खर्च होने का पूर्वानुमान है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करना राज्यों की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार इस परियोजना के लिए धन नहीं दे रही है। इस परियोजना के लिए धन की व्यवस्था लाभ भोगी राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान द्वारा की जानी है।

(ङ) इस परियोजना की यूनिट-एक (बांध तथा आनुषंगिक निर्माण कार्य) और यूनिट-तीन (नहरें) का पर्यवेक्षण करने और उनका निर्माण समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सचिव (सिंचाई) की अध्यक्षता में सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति गठित की गई है, जिसमें भागीदार राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसी प्रकार, नर्सरी नियंत्रण प्राधिकरण इस परियोजना दी यूनिट-दो (जल-विद्युत) का पर्यवेक्षण करेगा।

केन्द्र भी संबंधित राज्य सरकारों को अपने-अपने हिस्से की लागत को गुजरात सरकार को जो इस परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, समय पर भुगतान करने हेतु राजी करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। परियोजना को विश्व बैंक की सहायता के लिए भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिल्ली में त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई के लिए योजनायें/परियोजनाएं

64. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई के लिए कौन-कौन सी योजनायें चल रही हैं ?

(ख) केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इन कार्यों को चलाने के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) समस्याग्रस्त गांव कितने हैं और इनमें से इस वर्ष के दौरान कितने गांवों को शामिल किया जाएगा ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली में भी पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए स्वच्छ पेय जल पूर्ति कार्यक्रम किया जा रहा है ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए 23 लाख रुपए की राशि का नियतन किया गया था । सम्पूर्ण राशि दे दी गई है ।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पता लगाए कुल क्षसमस्याग्रस्त गांव 99 थे । मार्च 1982 के अन्त तक 62 समस्याग्रस्त ग्राम लाभान्वित किए गए । वर्ष 1982-83 में 27 गांवों को लाभान्वित किए जाने का विचार है ।

दिल्ली में एशियाड सम्बन्धी निर्माण पर हुआ खर्च

65. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में एशियाई खेलों की घोषणा के बाद से सरकार, सरकारी ऐजेन्सियों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों ने (एक) (दिल्ली नई दिल्ली में नई सड़कों के निर्माण; (दो) दिल्ली/नई दिल्ली में सड़कों को चौड़ा करने और पुनः चिह्नित करने; (तीन) स्टेडियम के निर्माण, मरम्मत और आधुनिकीकरण (चार) सार्वजनिक क्षेत्र में नए होटलों के निर्माण और गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों के निर्माण के लिए दिए गए अनुदान या अग्रिम धनराशि और (पांच) विशेष रूप से एशियाई खेल के निर्माण पर, कुल कितनी धनराशि खर्च की और उन वित्तीय स्रोत अथवा स्रोतों का ब्यौरा क्या है जहां से इतना खर्च वहन किया गया; और

(ख) दिल्ली नई दिल्ली के स्टेडियमों के रख-रखाव पर कितना व्यय होगा ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सम्बन्धित प्राधिकरणी से सूचना एकत्र की जा रही है और तथा सभापटल पर रख दी जाएगी ।

हिमाचल प्रदेश को सूखे के लिए आर्थिक सहायता

66. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सूखे की परिस्थितियों के कारण, वर्ष 1982-83 में इस काम के लिए केन्द्रीय अध्ययन दल की रिपोर्ट राज्य को भेजने के बाद राहत के लिए कोई आर्थिक सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए दी गई वास्तविक धनराशि कितनी है और क्या उसमें किसी विशेष मद का भी उल्लेख किया गया था, जिस पर खर्च किया जाना था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्रारम्भिक खर्च के बारे में कोई प्रतिवेदन मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां। भारत ने वर्ष 1982-83 के लिए सूखे की स्थिति से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए 13.02 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा स्वीकार की है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए अपने ज्ञापन में बताया है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित बातों की घोषणा की है।

(1) जहां 25 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, वहां भूराजस्व का स्थगन।

(2) जहां 25 प्रतिशत तक क्षति हुई है वहां भू राजस्व में 25 प्रतिशत की छूट तथा जहां 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई वहां शत प्रतिशत की छूट।

(3) एक वर्ष की अवधि के लिए ऋणों की वसूली का स्थगन।

(4) अत्यन्त आवश्यकता को दृष्टि में रखकर केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की जाने वाली सहायता की प्रयाशा में विभिन्न राहत कार्यों पर 7.00 करोड़ रुपये धनराशि खर्च की जा रही है।

31-3-1982 तक उर्वरक पर राजसहायता देना जारी रखना।

विवरण

मद	व्यय की अधिकतम सीमा (करोड़ रुपये)
(क) गैर-योजना :	
1. पशुओं के लिए आहार तथा चारा हेतु राजसहायता	0.45

1	2	3	4
	2. बूढ़े और दुर्बल व्यक्तियों के लिए सहायता		0.05
		कुल गैर योजना	0.50
(ख)	योजना :		
	1. छोटे और सीमान्त किसानों को आदानों के लिए लागत दर क्रमशः 23 प्रतिशत और 33 1/3 प्रतिशत की दर से राजसहायता		1.50
	2. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत रोजगार सृजन योजनाएं		10.58
	(1) सार्वजनिक निर्माण सड़कें	3.00	
	(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग सिंचाई और जल सप्लाई	0.43	
	(3) बन	1.02	
	(4) बागवानी	0.20	
	(5) उपायुक्त (वन संरक्षण सहित)	5.88	
	3. पोषहार कार्यक्रम :		
	6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भणी तथा दूध पिलाने वाली माताओं के लिए		0.22
	4. सिंचाई :		
	चालू रबी मौसम के दौरान लगभग 1350 हैक्टार अतिरिक्त भूमि सिंचाई करने के लिए उठाऊ सिंचाई नलकूपों योजनाओं जैसी सिंचाई योजना स्कीमों को पूरा करने के लिए		0.22
		कुल योजना	12.52
		कुल योग योजना तथा गैर योजना	13.02

गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य निर्धारित करना

67. **श्री चित्त महाटा :** क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश पर आगामी पेराई मौसम के लिए गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और इस पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में अकाल

68. **डा० कृपा सिन्धु भोई :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में 1982 के दौरान तूफान, बाढ़ और सूखे जैसी निरंतर प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखकर संभावित अकाल से उड़ीसा को बचाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) चल समत्ति की घबराहटपूर्ण बिक्री तथा लोगों को भूख से मरने और लोगों को राज्य छोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उड़ीसा में अनाज की कितनी कमी है और इस कमी को आपातिक आधार पर पूरा करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनः चालू करने और बेईमान व्यापारियों द्वारा लोगों का शोषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(घ) किसानों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) राज्य में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए दीर्घावधि की कौन सी योजना बनाई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूखा (मानसून के बाद, 1982-83) रिपोर्ट संबंधी ज्ञापन के अनुसार राज्य सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) किसानों की सहायता करने के लिए किए गए विशिष्ट राहत-2 और पुनर्वास के उपाय निम्नलिखित हैं :—

राज सहायता प्राप्त दरों पर 91.691 क्विंटल बीज, 60.000 हैक्टार के लिए निःशुल्क पौध संरक्षण उपाय, 9200 हैक्टार में सामुदायिक नर्सरी उगाना, लघु और सीमांत कृषकों को डीजल पम्प और उर्वरकों की राजसहायता प्राप्त दरों पर बिक्री, बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 2·8 लाख एकड़ में सिंचाई के प्रावधान, और नये नलकूप लगाना।

(2) खरीफ क्षेत्र में उठाऊ सिंचाई के लिए पानी दर को 50 प्रतिशत की राज-सहायता दी गई थी।

(3) खरीफ और रवी के दौरान डीजल पम्प रियायती दरों पर किराए पर दिए गए थे।

(4) बच्चों और गर्भणी तथा शिशुओं की देखभाल करने वाली माताओं के लिए विशेष आहार सम्बन्धी कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है।

(5) उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा काफी संख्या में उचित मूल्य की दुकानों उपभोक्ता भण्डारों को खोलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है।

(6) बड़े पैमाने पर सघन श्रम कार्यों का प्रावधान।

(7) पेय जल की व्यवस्था का विस्तार किया गया है।

उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर एक केन्द्रीय दल ने 11 और 15 जनवरी के बीच राज्य का दौरा किया और इसकी रिपोर्ट को उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए शीघ्र ही व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी जा रही है। तब तक उड़ीसा सरकार को 5 करोड़ रुपये की तदर्थ अग्रिम राशि मंजूर की गई है।

तूफान और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से पैदा होने वाली स्थिति से निपटने से उड़ीसा सरकार को सहायता देने हेतु भारत सरकार ने 1982-83 के दौरान 19,377,97 लाख रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी है।

(ख) उड़ीसा सरकार ने बताया है कि आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर राहत रोजगार की व्यवस्था से राहत और भूख से होने वाली मोतों को रोकने में सहायता मिली है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दृढ़ीकरण और प्रभावी प्रवर्त्तन से कदाचारों की रोक-थाम की गई है। भारत सरकार ने जनवरी में 10.000 मीटरी टन चावल उपलब्ध कराया है और फरवरी के दौरान 40.000 मीटरी टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा भी प्राप्त की।

(घ) भाग (क) में दिए गए उत्तर के तहत।

(ङ) सिंचाई सम्भावना में वृद्धि, सूखा प्रवर्ग क्षेत्र के कार्यक्रम का तीव्रीकरण और उच्च और सीमांत भूमि को दलहन और तिलहन में परिवर्तित करना, उन महत्वपूर्ण उपायों में से हैं

जिन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। लघु अवधि में पैदा होने वाली धान की किस्म का विस्तार करना भी सूखा स्थिति से बचने के लिए अपनायी गई नीति का ही भाग है ।

छठी पंचवर्षीय योजना में गन्दी बस्तियों का विकास

69. **श्रीमती माधुरी सिंह :**

श्री चित्त महाटा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गन्दी बस्तियों के विकास का क्या लक्ष्य रखा गया है और कितने लक्ष्य की प्राप्त हुई है और छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है शेष अवधि का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल निर्माण तथा आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : छठी योजना दस्तावेज अनुसार छठी योजना के दौरान मलीन बस्ती सुधार के लिए निर्धारित लक्ष्य 100 लाख व्यक्ति हैं । छठी योजना के पहले दो वर्षों के दौरान बताई गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

1980-81	10,26,404 व्यक्ति
1981-82	16,27,706 व्यक्ति
योग	26,54,200 व्यक्ति

पहले दो वर्षों के दौरान कार्यक्रम पर किया गया व्यय इस प्रकार है ।

1980-81	2101.39 लाख रुपए
1981-82	2881.84 लाख रुपए
योग :	4983.23 लाख रुपए

1982-83 के लिए निर्धारित कुल वास्तविक लक्ष्य 16,96,470 व्यक्ति हैं और राज्य योजना प्रावधान 30.59 करोड़ रुपये हैं। 1983-84 तथा 1984-85 के लिए निश्चित लक्ष्यों को अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बाढ़ नियंत्रण योजना

70. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बन इलाकों के सम्बन्ध में कोई बाढ़ नियंत्रण परियोजना प्रस्तुत की है जो प्रति वर्ष छोटी और बड़ी नदियों की बाढ़ से प्रभावित होते हैं और जहां भारी नुकसान होता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने प्रति वर्ष प्रभावित होने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश को भयावह बाढ़ से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कोई निदेश जारी किए हैं अथवा इस दिशा में केन्द्रीय सरकार का स्वयं ही कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) राज्य सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ समस्या को हल करने के लिए बहुत सी स्कीमें तैयार की हैं। इनमें से 60 लाख रुपये से अधिक की 11 स्कीमें गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की जांच और टिप्पणियों के आधार पर स्वीकृति की कार्रवाई के लिए विभिन्न अवस्थाओं में हैं जिनको बाद में योजना आयोग द्वारा स्वीकृति किया जाना है।

इन 11 स्कीमों में से 3 को योजना आयोग द्वारा स्वीकार्य पाया गया है। एक-एक स्कीम योजना आयोग तथा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के साथ जांच के अधीन है तथा 6 स्कीमों को स्पष्टीकरण भेजने के लिए राज्य सरकार को वापस भेजा गया है।

चीनी के निर्यात में चीनी मिलों को भारी घाटा

71. **श्री तारिक अनवर** : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में चीनी के मूल्यों में कमी हो जाने के कारण चीनी मिलों को चीनी के निर्यात में भारी घाटा उठाना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारत के राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चीनी का निर्यात किया जाता है। निर्यात के लिए चीनी का वसूली मूल्य चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य द्वारा प्रभावित नहीं होता है और इसलिए देश की चीनी मिलों को कोई हानि नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा सफाई दशक योजना को अपनाना

72. **श्री चित्त बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा सफाई दशक योजना को अपना लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) क्रियान्वयन में राज्यवार कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) केन्द्र ने राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाये गए संकल्प का भारत समर्थक है। इस दशक के दौरान जल पूर्ति तथा स्वच्छता क्षेक्ष में योजनाओं तथा कार्यक्रमों को बढ़ाया जाना है। भारत में यह दशक अप्रैल, 1981 में आरम्भ किया गया था और मार्च, 1991 में समाप्त होगा। इस दशक के लिए योजनाएं तथा कार्यक्रम छठी योजना के भाग हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ग का भी एक भाग होंगे। पांचवीं योजना (1974-79) के 1030.68 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में जल पूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र के लिए परिव्यय को छठी योजना में पर्याप्त रूप से 3922.02 करोड़ रुपये तक बढ़ाकर एक शुरूआत की गई है। पता लगाए गए समस्या-ग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने के कार्यक्रमों को छठी योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(ग) तथा (घ) चूंकि जल पूर्ति तथा स्वच्छता राज्य का विषय है इसलिए कार्यक्रमों को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के संकल्प तथा अपने क्षेत्रों में अपनी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को बढ़ाने की आवश्यकता को नोट किया है। इस क्षेत्र के लिए छठी योजना परिव्यय का एक मुश्त राज्य योजनाओं में भी है। तथापि, पता लगाए गए समस्या-ग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने के लिए राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में 1407.11 करोड़ रुपये के परिव्यय को बढ़ाने हेतु केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम में 600 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है। वर्ष 1981-82 (भारत में दशक के प्रथम वर्ष के दौरान लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों में राज्यवार प्रगति संलग्न **विवरण** में दी गई है। 1982-83 के लिए लगभग 42,000 समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

विवरण

1981-82 में लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों का राज्यवार विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2032
2.	असम	1143
3.	बिहार	2700

1	2	3
4.	गुजरात	531
5.	हरियाणा	295
6.	हिमाचल प्रदेश	1180
7.	जम्मू और कश्मीर	304
8.	कर्नाटक	2906
9.	केरल	83
10.	मध्य प्रदेश	5562
11.	महाराष्ट्र	2932
12.	मणिपुर	210
13.	मेघालय	95
14.	नागालैण्ड	82
15.	उड़ीसा	2439
16.	पंजाब	50
17.	राजस्थान	3854
18.	सिक्किम	30
19.	तमिलनाडु	749
20.	त्रिपुरा	193
21.	उत्तर प्रदेश	870
22.	पश्चिम बंगाल	1148
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	7
24.	अरुणाचल प्रदेश	294
25.	चण्डीगढ़	—
26.	दिल्ली	27
27.	दादर तथा नागर हवेली	—
28.	गोआ, दमन और	9
29.	लक्षद्वीप	—
30.	मिजोरम	13
31.	पाण्डिचेरी	39
	योग	29837

राज्यों में सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन

73. **श्री हरिहर सोरण :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां केन्द्र द्वारा प्रवर्तित बाढ़ कार्यक्रम को कार्यान्वित किया किया जा रहा है;

(ख) इस प्रकार का कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में कब से चलाया गया है ;

(ग) क्या यह कार्यक्रम उड़ीसा में चलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यक्रम के अधीन इस राज्य के कितने जिले अब तक शामिल किये गए हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) **विवरण** संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) धेनकनाल, क्योंझर, पुरी और कटक जिले इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। भारतीय डेरी निगम ने सितम्बर, 1980 में उड़ीसा में आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए धनराशि दी और 2 अक्तूबर, 1980 क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए। तुलनाखारा डेरी संयंत्र की क्षमता को प्रतिदिन 6000 लीटर से बढ़ाकर 10,000 लीटर करने का विचार कार्य प्रगति पर है। राउरकेला में तरल संयंत्र के लिए स्थान चुने गए हैं। धेनकनाल और क्योंझर में 10,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले प्रतशीतन केन्द्रों का निर्माण शुरू हो गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आपरेशन फ्लड 2 समझौते के कार्य निष्पादन की तारीख
1	2	3
1.	अन्दमान तथा निकोवार	जनवरी 29, 1980
2.	आंध्र प्रदेश	जनवरी 8, 1981
3.	असम	सितम्बर 17, 1979
4.	बिहार	मार्च 25, 1980
5.	गोवा	जुलाई 29, 1979
6.	गुजरात	जुलाई 11, 1978
7.	हरियाणा	अगस्त 9, 1979

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	अक्तूबर 26, 1979
9.	जम्मू और कश्मीर	मार्च, 5 1980
10.	कर्नाटक	जून 5, 1982
11.	केरल	जून 7, 1979
12.	मध्य प्रदेश	फरवरी 6, 1970
13.	महाराष्ट्र	मई 14, 1981
14.	मिजोरम	जून 5, 1980
15.	नागालैंड	नवम्बर 9, 1981
16.	उड़ीसा	मई 30, 1979
17.	पाण्डिचेरी	मार्च 26, 1980
18.	पंजाब	दिसम्बर 31, 1979
19.	राजस्थान	जून 18, 1980
20.	सिक्किम	दिसम्बर 6, 1979
21.	तमिलनाडु	नवम्बर 20, 1980
22.	त्रिपुरा	जनवरी 23, 1980
23.	उत्तर प्रदेश	अगस्त 22, 1979
24.	पश्चिम बंगाल	अगस्त 10, 1978

प्रत्येक राज्य, संघ शासित क्षेत्र में बेघर लोगों की संख्या

74. **श्री मूल चन्द डागा : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शहरी और गांवों में इस समय बेघर लोगों की संख्या कितनी है और ऐसे लोगों की प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र में संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 1980-81 और 82 में कौन से राज्यों में धनराशि, लेकर या मुफ्त जमीन बांटी गई और कितनी जमीन अवंटित की गई और यह जमीन किन व्यक्तियों को आवंटित की गई और कितनी जमीन अभी आवंटित की जानी है; और

(ग) शहरों में निर्धनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को आवासीय भूमि के आवंटन सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है और सरकार इस योजना को कब तक लागू करेगी ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में बेघर लोगों की संख्या 1,9,85761 थी जिस में से 1,519,898 ग्रामीण तथा 465,863 शहरी क्षेत्रों में थे। राज्य-वार आंकड़े संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) "आवास" राज्य का विषय है अनुमोदित योजना परिव्यय के अन्तर्गत या राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, निधियों को उद्दिष्ट करने, योजनाओं का कार्यान्वयन करने एवं प्राथमिकताओं को देने के लिए स्वतन्त्र हैं। तथापि, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि हीन कृषि मजदूरों को निःशुल्क आवास स्थल आवंटित किए जाते हैं। छठी योजना अवधि के दौरान अभी तक (1-4-80 से 31-12-82 तक) ऐसे लगभग 27 लाख परिवारों को विभिन्न राज्यों तक संघ राज्य क्षेत्रों में आवास स्थल आवंटिक किए गए हैं। छठी योजना (1980-85) में 68 लाल ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आवास स्थलें देने का उद्देश्य है।

विवरण

भारत में गृहहीन जनसंख्या का विवरण

(1971 की जनगणना)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	158,099	39,981	198,080
2.	असम	10,612	2,541	13,154
3.	बिहार	27,829	8,951	36,780
4.	गुजरात	208,741	42,429	251,170
5.	हरियाणा	35,297	4,456	39,753
6.	हिमाचल प्रदेश	22,816	756	23,572
7.	जम्मू और कश्मीर	14,265	413	14,688
8.	केरल	8,679	6,372	15,051
9.	मध्य प्रदेश	359,380	31,462	390,842
10.	महाराष्ट्र	378,812	106,200	485,072
11.	मणिपुर	443	44	487
12.	मेघालय	808	244	1,052
13.	कर्नाटक	87,775	28,9 26	116,701

1	2	3	4	5
14.	नागालैंड	442	453	895
15.	उड़ीसा	38,837	6,490	45,327
16.	पंजाब	24,561	7,488	32,049
17.	राजस्थान	17,432	48,340	65,772
18.	सिक्किम	34	—	34
19.	तमिलनाडु	44,235	28,724	72,956
20.	त्रिपुरा	8,279	1,786	10,065
21.	उत्तर प्रदेश	34,087	13,680	47,767
22.	पश्चिम बंगाल	29,557	64,876	94,433

1	2	3	4	5
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	10	83	93
2.	अरुणाचल प्रदेश	1134	—	1134
3.	चण्डीगढ़	7	1285	1292
4.	दादर तथा नागर हवेली	1007	—	1007
5.	दिल्ली	3435	15728	19163
6.	गोवा दमन और द्वीव	2387	1891	4278
7.	लक्षद्वीप, मिनिकांय अमीनदीव समूह	11	—	11
8.	पाण्डिचेरी	877	2203	3080

मिजो जिला सहित जिसे अब संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम बना दिया गया है।

उड़ीसा पशुओं की लाशों के कारण प्रदूषण

75. **श्री के० प्रधानी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाया गया है कि बाढ़ के दौरान मरे पशुओं की लाशों के कारण उड़ीसा में प्रदूषण हो गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : बाढ़ों के दौरान मरे पशुओं की लाशों के कारण प्रदूषण के बारे में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, राज्य सरकार को दिए गए अपने ज्ञापन में बताया कि बाढ़ राहत कार्यकलापों के एक भाग के रूप में 220 दलों ने क्षेत्र में कार्य किया तथा लाशों को हटाने, टीका लगाने तथा पशुओं के इलाज का कार्य किया। उच्च भूमि पर फेनायल और नमक से लाशों को जलाने में 1 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। बाढ़ राहत के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत व्यय की अधिक क्षेत्र सीमा में लाशों को हटाने के एक लाख रुपए शामिल हैं।

एशियाड-82 से आय तथा उस पर व्यय

76. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड खेलों में स्टेडियम के निर्माण, उपकरणों और आपरेटसों की खरीद सहित प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कितना व्यय हुआ तथा उससे कितनी आय हुई; और

(ख) क्या एशियाड-82 के लेखे बनाए गए हैं और उनकी लेखा परीक्षा की गई है और एक रिपोर्ट तैयार की गई है और क्या उसकी एक प्रति लोक सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नौवें एशियाई खेलों के लिए स्टेडियमों के निर्माण, उपस्करों और उपकरणों इत्यादि की खरीद पर खेल विभाग में 15-2-83 तक दर्ज किया गया खर्च निम्नलिखित है :

मद	करोड़ रुपये
(i) लोधी रोड़ में स्टेडियम होज खास में लान टेनिस स्टेडियम का निर्माण और राष्ट्रीय स्टेडियम का नवीकरण	21.94
(ii) राजघाट खेल परिसर में अंतरंग स्टेडियम के लिए सरकार का योगदान	9.42 (इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों से किया गया खर्चा शामिल नहीं है)
(iii) राजघाट खेल परिसर में साइकिल वेलोड्रोम का निर्माण	1.12
(iv) शूटिग रेंज का निर्माण	0.70
(v) तालकटोरा गार्डन में तरणताल के लिए सरकार का योगदान	4.34 (इसमें नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अपने संसाधनों से किया गया खर्चा शामिल नहीं है)

1	2
(vi) विद्यमान स्टेडियों अर्थात अम्बेडकर स्टेडियम, माडल टाउन स्टेडियम, हरबक्स स्टेडियम तथा निकलसन रेंज, दिल्ली विश्वविद्यालय मैदानों तथा दिल्ली गोल्फ क्लब का नवीकरण	1.32
(vii) उपस्करों तथा उपकरण की खरीद तथा भारतीय प्रतियोगियों तथा दलों की तैयारी सहित व्यय प्रबन्ध	12.18
कुल	51.02

31-1-83 तक विशेष आयोजन समिति की कुल आय 5.84 करोड़ रुपये थी। वर्तमान औसत के अनुसार विशेष आयोजन समिति की उपर्युक्त आय को ध्यान में रखते हुए एशियाई खेलों पर 67 करोड़ रुपये तक खर्च आने का सम्भावना है।

(ख) एशियाड परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ये एजेंसियां अपनी सामान्य प्रक्रिया अपनाएगी। नौवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति की 1981-82 और 1982-83 की वार्षिक रिपोर्ट तथा परीक्षित लेखा विवरणों को संसद के दोनों के समक्ष सामान्य तरीके से रखा जाएगा।

"गोल्डन शूज" का गायब होना

77. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी की स्पोर्टस गुड्स फर्म, एडिडैस द्वारा निकाले गए "गोल्डन शूज" एशियाई खेलों की समाप्ति पर सर्वोत्तम पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को दिए जाने थे ;

(ख) क्या यह सच है कि इनका पता नहीं चल सका और पुरस्कार हेतु दिए जाने वाले समारोह से पहले ही गायब हो गए;

(ग) क्या "एशियन ट्रैक एण्ड फील्ड स्टेटिस्टिक्स सोसाइटी" के पेनल में चीन के दो एथलीटों का चयन किया था;

(घ) क्या जर्मनी की फर्म एडिडैस के दक्षिण-पूर्व प्रतिनिधि, श्री गिल खोये हुए "गोल्डन शूज" को ढूंढने के लिए मलयेशिया से आये थे परन्तु उनका पता नहीं लगा सके; और

(ङ) यदि हां, तो "गोल्डन शूज" पुरस्कार की तथ्यात्मक स्थिति क्या है और उनके गायब हो जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा इसके लिए किसे उत्तरदायी ठहराया गया ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दि एडिडैस "गोल्डन शूज" आम तौर पर एशियन ट्रैक एण्ड फील्ड कोचिस एसोसिएशन द्वारा अच्छे पुरुष और महिला एथलीटों को दिए जाते हैं । इस कार्य से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं । उपरोक्त (क) के उत्तर में उल्लिखित संघ द्वारा जापान एक महिला एथलीट और चीन के एक पुरुष एथलीट का चयन किया गया था ।

(घ) भारत में एशियन ट्रैक एण्ड फील्ड कोचिस एसोसिएशन के सचिवालय को जूते देने के लिए एडिडैस का दक्षिण पूर्वी प्रतिनिधि मलयेंशिया से आया । क्योंकि संदर्भत जूते गुम नहीं हुए, अत: उन्हें ढूंढ़ने का प्रश्न नहीं उठा ।

(ङ) वास्तविक ब्यौरे उपरोक्त (क) के अनुसार हैं । उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

इन्द्रप्रस्थ इन्डोर स्टेडियम और जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम का उपयोग

78. **श्री ईरा अनबारासु :**

श्री नारायण चौबे : क्या **खेल कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ इन्डोर स्टेडियम को किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या गैर सरकारी उपक्रम को कार्यालय के लिए किराए पर देने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में उपलब्ध स्थान को भी किराए पर देने के लिए विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एशियाई खेलों के लिए बनाए गए विभिन्न स्टेडियमों के अनुरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) इन्द्रप्रस्थ इन्डोर स्टेडियम अथवा जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में स्थान किराए पर देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

इस समय, विभिन्न स्टेडियमों का अनुरक्षण विशेष आयोजन समिति द्वारा ही किया जा रहा है और ये बहुत अच्छी स्थिति में हैं ।

एशियाई खेलों का विदेशों में प्रचार

79. **श्री नारायण चौबे :** क्या **खेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है एशियाई खेल प्रबन्धों के सम्बन्ध में खेलों के दौरान विदेशी प्रचार माध्यमों में विपरीत रिपोर्ट प्रकाशित होती रही थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि एशियाई खेल आयोजन समिति के विदेशों में खेलों के प्रचार की देखरेख करने वाले कर्मचारी ऐसे विपरीत प्रचार को सक्षमता से विरोध नहीं कर सके; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसी रिपोर्ट इन आशंकाओं से सम्बन्धित थी आवश्यक सुविधाएं समय पर तैयार नहीं हो पाएंगी और अधिक राशि खर्च की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं । नवें एशियाई खेलों का विशेष आयोजन समिति ने सभी ऐसी आशंकाओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बाढ़ तथा सूखे से पश्चिम बंगाल को हुआ नुकसान

80. **श्री ई० बालानन्दन :**

श्री इन्तान मोल्लाह : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल को वर्ष 1982 में बाढ़ तथा सूखे से कितना नुकसान हुआ है;

(ख) राज्य सरकार ने सहायता के रूप में कितनी धनराशि की मांग की थी ; और

(ग) केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जानकारी नीचे दी गयी है :—

बाढें (1982)	
(1) प्रभावित क्षेत्र	मुर्शिदाबाद और मालदा के जिले प्रभावित हुए थे ।
(2) प्रभावित जनसंख्या	97,500 व्यक्ति प्रभावित हुए थे ।
(3) पूर्ण/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर	1303
सूखा (1982-83)	
(1) प्रभावित जिलों की संख्या	17

(2) प्रभावित जनसंख्या	400
(3) प्रभावित पशु संख्या	जानकारी नहीं मिली ।
(4) प्रभावित सत्यगत क्षेत्र	20.14 लाख हैक्टार
(ख) बाढ़ें	शून्य
सूखा (मानसून-पूर्व)	6,666.03 लाख रुपए
सूखा (मानसून-बाद)	20,538.00 लाख रुपए
(ग) बाढ़ें	शून्य
सूखा:	
(मानसू पूर्व)	2477.00 लाख रुपए
मानसून-बाद	4950.00 लाख रुपए + 300.00 लाख रुपए का ऋण

इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, 1982 और जनवरी 1983 के लिए 18,800 मीटरी टन खाद्यान्न का विशेष आवंटन किया गया था, जिससे कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता से चलाए जा रहे राहत कार्यों के एक भाग की मजदूरी जिन्स के रूप में दे सके ।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशें

81. **श्री डी० पी० यादव** :

श्री राजेन्द्र यादव : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों का पूरी तरह अध्ययन कर लिया है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट पर राज्य सरकारों के विचार तथा परामर्श जानने के लिए इसे राज्यों को परिचालित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) भारत द्वारा स्थापित दो विशेष अन्तर मन्त्रालय समितियों द्वारा मार्च, 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों की विस्तृत जांच की गई थी । उन्हें राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने और अधिकांश राज्यों की लिखित टिप्पणियां प्राप्त होने का लाभ मिला था ।

इस प्रकार के अध्ययन और सलाह के आधार पर, समितियों ने सिफारिशों और पद्धति तथा सीमा जिस तक उन्हें क्रियान्वित किया जा सकता है, पर विचार किया था। दोनों समितियों की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार ने मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुमोदित कर दिये थे और सितम्बर, 1981 में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित विभागों अभिकरणों को आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए थे। दिसम्बर, 1982 में हुए राज्यों के सिंचाई मन्त्रियों के सम्मेलन के दौरान, राज्य सरकारों और केन्द्रीय अभिकरणों से पुनः अनुरोध किया गया था कि वे विभिन्न सिफारिशों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए एक कार्यक्रम तैयार करें और केन्द्र को समय-समय पर रिपोर्टें भेजें।

हेमावती सिंचाई परियोजना

82. **श्री के० लकप्पा** : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में हेमावती सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) माननीय सदस्य सम्भवतः हेमावती सिंचाई परियोजना की वर्तमान स्थिति का उल्लेख कर रहे हैं। हेमावती सिंचाई परियोजना को अभी अनुमोदित किया जाता है और कावेरी जल पर करार न होने के कारण स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी है। तथापि, कर्नाटक सरकार इस परियोजना पर योजना-भिन्न व्यय-राशि से खर्च कर रही है इसके पूर्ण हो जाने पर 2.63 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता परिकल्पित है।

प्रथम एशियाई खेलों से अब तक भारत द्वारा जीते गए पदक

83. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम एशियाई खेलों से नवें एशियाई खेलों तक भारत द्वारा खेलवार तथा प्रतियोगितावार जीते गये पदकों की संख्या कितनी है और इनमें भाग लेने वाले अन्य देशों की तुलना में भारत की क्या स्थिति है; और

उन सभी देशों जहां अब तक एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है, को तुलनात्मक पदक आंकड़े क्या हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारत द्वारा प्रथम एशियाई खेलों से लेकर नवम एशियाई खेलों तक जीते गए पादकों की खेल-प्रतियोगितावार संख्या **अनुबन्ध-1** में संलग्न है और भाग लेने वाले अन्य देशों तुलनात्मक स्थिति **अनुबंध-2** में संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 5793/83]

(ख) उन सभी देशों का तुलनात्मक पदक हिसाब जिन्होंने अब तक एशियाई खेलों की मेजवानी की है, **अनुबन्ध-3** में संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 5793/83]

निम्न-स्तर के निर्माण के लिए जिम्मेदार दिल्ली विकास प्राधिकरण अभियन्ताओं की पदोन्नति

84. **श्री कमलनाथ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ अभियन्ताओं को जो कि निम्न-स्तर के निर्माण तथा अन्य अनियमितताओं के लिए जिम्मेवार हैं हाल ही में पदोन्नति की गई है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के आवास के लिए विकसित आवासीय क्षेत्र पर हुआ खर्च

85. **श्री बापू साहेब पारुलेकर** :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मोती भाई आर० चौधरी :
श्री जेवियर अराकल : क्या **खेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों में भाग लेने खिलाड़ियों के आवास के लिए दिल्ली में विकसित क्षेत्र में भवनों के निर्माण तथा उनकी सज्जा पर, नये स्टेडियमों के निर्माण पर तथा पुराने स्टेडियमों के आधुनिकीकरण पर, प्रत्येक मद के अन्तर्गत, कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) प्रत्येक निर्माण व आधुनिकीकरण पर पूर्व परिकल्पित कितनी राशि खर्च होनी थी और वस्तुतः कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सम्बन्धित एजेंसियों से विस्तृत सूचना मांगी गई है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मत्स्यन पत्तन परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब

86. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अनेक मत्स्य पत्तन परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन मत्स्य पत्तन परियोजनाओं के क्या नाम हैं जिनका निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है और जो निर्माणाधीन हैं;

(ग) वे परियोजनाएं किन राज्यों से सम्बन्धित हैं; और

(घ) उन परियोजनाओं को पूरा किए जाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां। कुछ मामलों में विलम्ब हुआ है।

(ख) से (घ) एक **विवरण** संलग्न है।

विवरण

स्वीकृति पत्तन परियोजनाओं की राज्यवार सूची जो अभी पूरी नहीं हुई

कार्य जो अभी पूरा नहीं हुआ		निर्माण किया जा रहा है	
पत्तन का नाम	वर्तमान स्थिति	पत्तन का नाम	वर्तमान स्थिति
आन्ध्र प्रदेश		**आन्ध्र प्रदेश**	
भावनापाडू	आदर्श अध्ययन जारी है	काकोनाड़ा	55 प्रतिशत
		निजाम पत्तनम	55 प्रतिशत
		विशाखापत्तनम (चरण-2)	80 प्रतिशत
कर्नाटक		**गुजरात**	
ताडरी	द्विपक्षीय सहायता के अन्तर्गत हाल ही में स्वीकृत किया गया	वेरावल	75 प्रतिशत
		मंगरोल	70 प्रतिशत
		पोरबन्दर	50 प्रतिशत
मंगलोर	निविदायें आमन्त्रित की गई		
		कर्नाटक	
		मालपे	पूरा होने वाला है
		होन्नावर	पूरा होने वाला है
तमिलनाडु		**केरल**	
चिनमुट्टम	निविदायें आमन्त्रित की जा रही हैं	नींदकारा	25 प्रतिशत
वालिनोकम	—तदेव—	विजिन्जम (चरण-2)	25 प्रतिशत
पाजयार	—तदेव—		
तोंदी	—तदेव—		
पश्चिम बंगाल		**महाराष्ट्र**	
डिगा	निविदायें आमन्त्रित की जा रही हैं।	सासून डाक	35 प्रतिशत
		रत्नागिरि	40 प्रतिशत
		तमिलनाडु	
		मद्रास	85 प्रतिशत

उर्वरक की कमी

87. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मांग की तुलना में उर्वरकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) विशेष रूप से छठी पंचवर्षीय योजना में इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं। मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए देशी तथा आयातित उर्वरकों का पर्याप्त भण्डार उपलब्ध है।

(ख) प्रश्न नहीं होता है।

(ग) उर्वरकों की मांग तथा देशी उत्पादन के बीच के अन्तर को कम करने के लिए क्षमता का पर्याप्त विस्तार किया जा रहा है। तथापि, छठी पंचवर्षीय योजना (1984-85) के अंत तक उर्वरकों का उत्पादन उनकी अनुमानित मांग से कम होने की सम्भावना है। योजना में ही इस स्थिति को स्वीकार किया गया है।

कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार के आवासीय क्रिया-कलापों को सीमित किए जाने का प्रस्ताव

88. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही में समाचारपत्रों में दिए गए इस सुझाव की कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा गैर सरकारी क्षेत्र और सहकारिता मुक्त संकार्य के लिए सरकार अपने आवासीय क्रिया कलापों को सीमित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि भूमि के अधिग्रहण से लेकर उसके विकास तथा निर्माण तक सरकारी क्षेत्र के विस्तार के परिणामस्वरूप वास्तविक सम्पत्ति मूल्यों में वृद्धि हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा विचार किए जा रहे कदम क्या हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) आवास में, छठी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक लक्ष्य के वर्ग वे है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ई० डब्ल्यू० एस०) तथा निम्न आय वर्ग (एल० आई० जी०) से सम्बन्धित हैं। इस योजना में कमजोर वर्गों के आवास के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को भी मान्यता दी गई है। आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिए अपनी निधियों का 55 प्रतिशत नियतन करता है। हुडको द्वारा

स्वीकृति रिहायशी एककों का लगभग 88 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिए है। यह सही नहीं है कि भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र को शामिल करना वास्तविक सम्पदा मूल्यों में वृद्धि का परिणाम है। इसके विपरीत, इसने नगरीय गरीबों के लिए आश्रय पर वास्तविक प्रभाव डाला है।

एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को दी गई वर्दियां

89. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राजधानी में हुए एशियाई खेलों में भाग लेने वाले विभिन्न भारतीय दलों को उनकी वर्दियां प्राप्त नहीं हुई या अधूरी वर्दियां प्राप्त हुई और वह भी खेलों के मध्य में; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार द्वारा इस त्रुटि के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृमिनाशक, कीटनाशक तथा घासपातनाशी दवाओं के आयात की मात्रा

90. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से आयात की गई कृमिनाशक, कीटनाशक तथा घासपातनाशी दवाओं की मात्रा क्या है;

(ख) इन कृमिनाशक, कीटनाशक तथा घासपातनाशी दवाओं की आपूर्ति करने वाली विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) उपरोक्त दवाओं का उत्पादन करने वाली भारतीय कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(घ) भारतीय कम्पनियों द्वारा इनका कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति तथा सफाई दशक में भारत का योगदान

91. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1981-90 को अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति तथा सफाई दशक मनाए जाने में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार समस्या प्रधान गांवों की संख्या क्या है तथा छठी पंचवर्षीय योजना में 1981-82 तथा 1982-83 वर्षों के लिए पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए निर्धारित केन्द्रीय सहायता राशि क्या है;

(ग) क्या पेयजल की व्यवस्था के लिए रेगिस्तान तथा पहाड़ी क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता दी जाएगी;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या इन क्षेत्रों के सभी समस्या प्रधान गांवों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। भारत में इस दशक की अवधि अप्रैल, 1981 से मार्च 1991 तक होगी।

(ख) 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या का राज्यवार **विवरण-एक** में दिया गया है। **विवरण-दो** में छठी योजना अवधि के लिए त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के लिए दी गई निधियों का विवरण दिया गया है।

(ग), (घ) और (ङ) छठी योजना के दौरान पता लगाये गए सभी समस्याग्रस्य ग्रामों को जल का कम से कम एक स्रोत, जिसमें पूरे वर्ष जल उपलब्ध हो, की व्यवस्था करके लाभान्वित करने का प्रयास किया जायेगा। रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्रों में पता लगाये गये समस्याग्रस्त ग्राम भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं।

विवरण-एक

ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

1-4-1980 तक जल पूर्ति मुहैया कराने के लिए शेष बचे समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या

क्र० सं०	नाम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8,206
2.	असम	15,743
3.	बिहार	15,194
4.	गुजरात	5,318
5.	हरियाणा	3,440
6.	हिमाचल प्रदेश	7,815
7.	जम्मू और कश्मीर	4,698

1	2	3
8.	कर्नाटक	15,456
9.	केरल	1,158
10.	मध्य प्रदेश	24,944
11.	महाराष्ट्र	12,935
12.	मणिपुर	1,212
13.	मेघालय	2,927
14.	नागालैण्ड	649
15.	उड़ीसा	23,616
16.	पंजाब	1,767
17.	राजस्थान	19,803
18.	सिक्किम	296
19.	तमिलनाडु	6,649
20.	त्रिपुरा	2,800
21.	उत्तर प्रदेश	28,505
22.	पश्चिम बंगाल	25,243
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	173
24.	अरुणाचल प्रदेश	1,740
25.	चण्डीगढ़	शून्य
26.	दिल्ली	99
27.	दादर तथा नागर हवेली	—
28.	गोवा दमन और द्वीव	66
29.	लक्षद्वीप	—
30.	मिजोरम	214
31.	पाण्डिचेरी	118
	योग	2,30,784

विवरण-दो

केवल निर्माण कार्यों के लिए निधियों की स्थिति त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम—कार्यों के लिए निधियों की स्थिति—छठी योजना नियतन, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान दी गई निधियां

राशि : लाख रुपये में

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छठी योजना नियतन (1980-85)	दी गई दिधियां 1981-82	1982-83 11-2-83 तक
1.	आन्ध्र प्रबेश	1891.00	370.75	473.50
2.	असम	2250.00	400.75	581.50
3.	बिहार	3062.50	862.50	863.75
4.	गुजरात	1152.50	396.25	138.00
5.	हरियाणा	963.00	335.00	273.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1200.00	364.50	273.73
7.	जम्मू और कश्मीर	3575.00	424.95	905.50
8.	कर्नाटक	2457.50	485.50	491.50
9.	केरल	2722.00	526.25	641.00
10	मध्य प्रदेश	4482.00	1033.75	1247.50
11.	महाराष्ट्र	2715.00	552.00	716.50
12.	मणिपुर	523.00	146.00	154.00
13.	मेघालय	1250.00	242-00	200.48
14.	नागालैण्ड	735.00	178.50	149.18
15.	उड़ीसा	2550.00	393.00	766.50
16.	पंजाब	458.50	88.17	183.00
17.	राजस्थान	7971.75	1504.19	2229.50
18.	सिक्किम	400.00	69.74	62.43
19.	तमिलनाडु	2667.00	563.71	750.50
20.	त्रिपुरा	319.50	85.50	81.50

1	2	3	4	5
21.	उत्तर प्रदेश	8378.50	1018.13	1140.99
22.	पश्चिम बगाल	3600.00	571.30	887.50
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	94.00	19.50	6.64
24.	अरुणाचल प्रदेश	247.50	35.00	30.00
25.	चण्डीगढ़	—	—	—
26.	दिल्ली	23.00	9.00	शून्य
27.	दादर तथा नागर हवेली	—	—	—
28.	गोवा, दमन और द्वीव	120.50	14.25	20.94
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम	44.50	शून्य	3.00
31.	पाण्डिचेरी	61.50	12.00	14.50
		55696.75	10902.49	13586.14

"डिस्कवरी आफ ग्रीन मेन्थोरिंग" शीर्षक समाचार

92. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस समाचार (इकनामिक टाइम्स-18 जनवरी (1983) की ओर दिलाया गया है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की एक परियोजना अधीन पंजाब कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा की गई "हरी खाद" की खोज के सम्बन्ध में है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इसी प्रकार का प्रयोग कई दशक पूर्व अमरीका तथा अन्य देशों में किया गया था और यह तरीका सारे संसार में एक मानक व्यवहार के रूप में है;

(ग) यदि हां, तो भारत में 1983 में इस प्रकार का अनुसंधान किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय हुआ है और क्या सरकार व्यर्थ के इस व्यय का उत्तरदायित्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक और पंजाब कृषि विश्व विद्यालय के उप-कुलपति पर निर्धारित करेगी ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां श्रीमान्। इन अध्ययनों का मुख्य ध्येय खरीफ में, जब भूमि को पड़ती छोड़ दिया जाता है और मक्का अथवा हरी खाद वाली फसलों की रोपाई की जाती है, मृदा आर्द्रता का अनुश्रवण करना, हरी खाद का पोषण आर्थिकी में योगदान तथा पड़ती गेहूं, मक्का-गेहूं और हरी खाद-गेहूं इन तीन फसल क्रमों से किसान को लाभ प्रद प्राप्तियां। इन अध्ययनों से पता चला कि यदि खरीफ के दौरान उन मृदाओं में जल संरक्षण किया जाये तो उर्वरक या हरी खाद देने पर गेहूं दो फसलों के क्रम (मक्का-गेहूं) से अधिक लाभप्रद है।

(ख) जी नहीं श्रीमान्। दिनांक 18 जनवरी, 1983 के इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित परीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में हरी खाद प्रणाली पर किये गए पूर्व परीक्षणों की पुनरावृत्ति नहीं है क्योंकि वे सिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत किए गए थे। जिन परीक्षणों का प्रसंग है वे पंजाब के बारानी प्रधान कृषि क्षेत्र (कांडी) में किए गए जहां वार्षिक बरसात 100 से० मी० के लगभग होती है और वहां काफी क्षेत्र मृदा गठन वाला है। इन मृदाओं कम नयी धारण क्षमता में खासकर जबकि मानसून अनियमित हो फसल नहीं उगाई जा सकती। इस विशेष परिस्थिति के अन्तर्गत, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की बारानी प्रायोजना टीम ने यह उचित समझा कि सामान्य खरीफ फसल मक्का की अपेक्षा एक अल्पावधि हरी खाद की फसल लेने की संभावना का मूल्यांकन किया जाए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बारानी कृषि पर पंजाब के कांड़ी क्षेत्र में चल रही अनुसंधान प्रायोजना का कुल व्यय रु० 5,42,700 है। इस विशेष परीक्षण पर, जोकि किसानों के लगभग 4 एकड़ वाले क्षेत्र के खेतों पर किया गया, 8 परीक्षणों में कुल लागत लगभग 2000 रु० आई। पंजाब के कांडी क्षेत्र में बारानी केन्द्र भारी अभिनव एवं उत्पादन उन्मुख अनुसंधान कार्य कर रहा है इस पर व्यय का उल्लंघन करने का उत्तरदायित्व डालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेश में मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपनाये गए कदम

93. **श्री राम लाल राही** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि वर्ष 1982-83 के दौरान उत्तरी भारत में मूंगफली के उत्पादन में भारी कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरी भारती की मूंगफली की प्रमुख मन्डी सीतापुर (उत्तर प्रदेश) में मूंगफली की आमद बहुत कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मूंगफली के उत्पादन के लिए बीज की किस्म में सुधार के कुछ उपाय करने के बारे में विचार किया गया है;

(घ) क्या मूंगफली के कम और घटिया किस्म के उत्पादन के कारण किसानों में व्याप्त

असंतोष को दूर करने के लिए सरकार सीतापुर (उत्तर प्रदेश) में कोई अनुसंधान संस्थान खोलना आवश्यक समझती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) तथा (ख) वर्ष 1982-83 के दौरान राज्यों में मूंगफली उत्पादन के अंतिम आकलन अभी उपलब्ध नहीं हैं। गत वर्ष की तुलना में 1982-83 के मौसम में सीतापुर मंडी में मूंगफली की आमद में कुछ कमी आई। प्रारम्भिक आकलन के अनुसार, कुछ राज्यों ने खरीफ 1982 में मूंगफली के अंतर्गत बुआई क्षेत्र में कमी होने की रिपोर्ट दी है।

(ग) मूंगफली की उन्नत किस्में विकसित करने के लिये अनुसंधान के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खेती के लिए एक उन्नत किस्म "चन्द्रा", पहचानी गई है जो उपलब्ध स्थानीय किस्मों से पैदावार में श्रेष्ठ है।

(घ) तथा (ङ) तिलहन में सुधार करने के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में एक केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है जहां उन्नत किस्मों तथा प्रबन्ध प्रौद्योगिक को विकसित करने और कीट कृमियों के नियंत्रण पर अनुसंधान किया जाता है। सीतापुर में अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चीनी का उत्पादन

94. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 का देश में चीनी के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय देश में चीनी के भण्डार की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी के भंडार को देखते हुए चीनी के मूल्य कम करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1983-84 के दौरान चीनी के उत्पादन को बढ़ाने की सरकार की क्या योजना है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1982-83 मौसम के दौरान देश में 31 जनवरी तक चीनी का उत्पादन 32.76 लाख मीटरी टन के स्तर तक पहुंच गया है। अनुमान है कि उक्त मौसम के दौरान चीनी का कुल उत्पादन लगभग 80 लाख मीटरी टन होगा।

(ख) चीनी फैक्ट्रियों के पास 31-1-1983 तक लगभग 41.71 लाख मीटरी टन चीनी का स्टाक था ।

(ग) और (घ) दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की प्रमुख मंडियों में जनवरी, 1982 के प्रथम सप्ताह से चीनी के थोक मूल्य 580 रुपये से 633 रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रहे थे। आन्तरिक खपत के लिए मुक्त बिक्री की चीनी की उदारतापूर्वक निर्मुक्तियां करने से चीनी के मूल्यों में निरन्तर गिरावट आ रही थी और 10-2-1983 को चीनी के थोक मूल्य 409 रुपए से 458 रुपए प्रति क्विंटल के रेंज में चल रहे थे। क्योंकि चीनी फैक्ट्रियों से गन्ना उत्पादकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य देने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए चीनी के मूल्यों में कोई अनुचित कमी करना वांछनीय नहीं समझा जाता है ।

(ङ) आगामी वर्षों में चीनी का पर्याप्त उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार चीनी फैक्ट्रियों द्वारा किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य का भुगतान करवाना सुनिश्चित कर रही है । बफर स्टाक तैयार करने, बैंक मार्जिन को कम करने आदि जैसे अन्य उपाय करने से भी उद्योग भविष्य में अधिक स्तर तक उत्पादन करने में सक्षम होगा जिसके फलस्वरूप गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्यों का भुगतान हो पाएगा ।

राजस्थान नहर परियोजना

95. **श्री दौलत राम सारण :** क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर परियोजना के पूरा होने में कुल कितना (अब तक) विलम्ब हुआ है और इसके परिणामस्वरूप इसकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) परियोजना के निष्पादन कार्यक्रम की निर्धारित तिथि को निरंतर और बार-बार बदलने के लिए कौन से मुख्य कारण उत्तरदायी हैं और इसके पूरा होने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1970 के परियोजना अनुमानों के अनुसार, इस परियोजना को इसके वर्तमान आकार में 1980-81 तक पूर्ण किया जाना अनुसूचित था । अब इसे 1984-85 तक काफी हद तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है 1970 के अनुसार इस परियोजना की लागत 207 करोड़ रु० थी और इसकी अद्यतन अनुमानित लागत 534.5 करोड़ रुपए होने की संभावना है ।

(ख) प्रारम्भिक वर्षों के दौरान राज्य द्वारा अपर्याप्त मात्रा धनराशि आबंटित किए जाने के कारण, परियोजना को अनुसूची में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था ।

वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, प्रायः सभी पहलुओं से मुख्य नहर और वितरण चैनलों जो अधिकाशतः कच्ची होगी, का मार्च 1985 तक पूर्ण किया जाना अनुसूचित है । वितरणियों को पूरा करने तथा उन्हें पक्का करने के शेष कार्य को सातवीं योजना में आगे ले जाया जाएगा ।

गुजरात में 1982-83 के लिए सिंचाई योजना

96. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के लिए गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सिंचाई योजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) सरकार द्वारा मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों के कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1982-83 के दौरान गुजरात सरकार द्वारा दी सिंचाई स्कीमों केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी जांच के लिए और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए प्रस्तुत की गई है।

(ख) 1982-83 के दौरान अनुमोदित की गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	लाभ हजार (हैक्टेयर)	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने की तारीख
1.	जन्खारी (वृहद)	1869.77	20.61	13-9-82
2.	मजाम (मध्यम)	1099.75	5.26	16-4-82

(ग) सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह विकास अथवा परियोजना के किसी विशिष्ट क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं होती।

गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों को मिलाया जाना

97. **श्री अजित बाग :**

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांगला देश के क्षेत्र में से ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों को जोड़ने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) गंगा प्रवाह से वृद्धि करने के संबंध में मार्च, 1978 में बंगला देश भेजे गए भारत के प्रस्ताव में ब्रह्मपुत्र-मेघना प्रणाली पर तीन जल संचयनों द्वारा सम्पूरित ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक नहर की परिकल्पना की गई है, जिससे असम में जोधीगोपा में ब्रह्मपुत्र पर एक बराज और गंगा को जोड़ने वाली 324 कि० मी० लम्बी एक लिंक नहर, जिसका एक-तिहाई भाग बंगला देश के क्षेत्र में पड़ता है, का निर्माण शामिल है। अक्तूबर, 1982 के भारत बंगलादेश के समझौता ज्ञापन के अनुसार, तत्काल कार्यान्वयन हेतु इष्टतम समाधान तय करने के लिए इस प्रस्ताव का व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन भारत बंगला देश संयुक्त नदी आयोग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

"हुडको" ड्रा के दायाधिकारियों को सौंपे गए मकान

98. **श्री केशवराव पारथी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुडको योजना में कितने ड्रा निकाले गए हैं तथा उनका श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मकान दायाधिकारियों को सौंपे नहीं गए; और

(ग) उसके क्या कारण हैं तथा किस तारीख तक दिल्ली विकास प्राधिकरण सभी श्रेणियों के दायाधिकारियों को स्वामित्व सौंप देगा ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा जनता की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत न्यू पैटर्न स्कीम (हुडको) के फ्लैटों के आबंटन हेतु निम्नलिखित तारीखों पर चार ड्रा निकाले गए थे :—

फ्लैटों की संख्या

मास तथा वर्ष	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता
3/81	839	953	3185
3/82	557	3538	4560
5/82	32	107	140
2/83	3336	3771	2718

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सम्बन्धित आबन्टियों द्वारा अपेक्षित अदायगियां करने तथा अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर दिए जाने के बाद अब तक 415 एम० आई० जी०, 460 एल० आई० जी० तथा 1355 जनता फ्लैटों के बारे में दखल पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्रधिकरण ने सूचित किया है कि आवन्टियों को अधिकार पत्र उनके द्वारा अपेक्षित भुगतान कर देने तथा फ्लैटों के आबंटन के सम्बन्ध में अपेक्षित कागजात प्रस्तुत कर देने के बाद जारी किए जाते हैं। आबंटियों को भुगतान करने तथा अपेक्षित कागजात प्रस्तुत करने में समय लगता है। किसी आवंटी को अधिकार पत्र जारी कर देने के बाद वह स्थल पर फ्लैट का प्रत्यक्ष कब्जा लेने के लिए पात्र हो जाता/जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आगे बताया है कि 30-3-81 को पहला ड्रा करने के बाद, इस योजना के अधीन फ्लैटों के आवंटन विषयक् मामला न्यायाधीश हो गया तथा आवंटियों को अधिकार पत्र जारी करना मार्च, 1982 में न्यायालय द्वारा वाद खारिज कर देने के बाद ही आरम्भ किया गया था। इन परिस्थितियों में आवंटियों को जो निकाले गए ड्रा में सफल हुए थे, किस तारीख तक अधिकार पत्र जारी कर दिए जाएंगे, बताना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना

99. **श्री राम अवध :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्य में क्या प्रगति हुई है तथा उसके अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : इस मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में गत 3 वर्षों में की गई प्रगति इस प्रकार है :—

वर्ष	लाभान्वित समस्या ग्रस्त ग्रामों की संख्या	लाभान्वित जनसंख्या (हजार में)
1980-81	912	554.73
1981-82	870	533.15

वर्ष 1982-83 में सितम्बर, 1982 तक उत्तर प्रदेश में 431,000 की जनसंख्या के 702 समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित किया गया है।

जल्दी खराब हो जाने वाले कृषि पदार्थों के लिए राष्ट्रीय निगम

100. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ताजी सब्जियों तथा फलों के विपणन के लिए एक राष्ट्रीय निगम के गठन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य रूप रेखा क्या है;

(ग) क्या निगम के प्रशासक मंडल में देश के सभी क्षेत्रों से प्रगतिशील किसानों तथा उद्यानविदों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा; और

(घ) क्या निगम इस वर्ष से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) सरकार ने एक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड स्थापित करने की स्वीकृति दी है ताकि समेकित बागवानी विकास पर अधिक बल दिया जा चुके और बागवानी उत्पादों के उत्पादन, विपणन और संसाधन के प्रबोधन और समुचित समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकमंच उपलब्ध हो सके ।

बोर्ड निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों में फल और सब्जी परिसंस्करण उद्योग का संवर्धन करेगा और उत्पादन , कटाई के बाद संभाल, विपणन, परिसंस्करण के बीच निकट सम्पर्क स्थापित करेगा तथा घरेलू और निर्यात विपणन को प्रोत्साहन देगा । अखिल भारतीय स्तर पर कार्य-कलापों का समन्वय करने के अतिरिक्त, बोर्ड अपेक्षित सहायता, परामर्शदात्री सेवाएं और गुणवता नियंत्रण भी उपलब्ध कराएगा ।

(ग) बोर्ड के गठन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । सभी के हितों की संतुलित प्रतिनिधित्व देने के प्रयास किए जाएंगे ।

(घ) जी हां । संभवतः बोर्ड चालू वर्ष 1983 के दौरान कार्य करना शुरू कर देगा ।

कमजोर वर्गों के लिए आवास का लक्ष्य

101. **श्री एच० एम० नन्जे गौडा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक राज्यों ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास सम्बन्धी निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्यों द्वारा वार्षिक योजनाओं में रखा गया परिव्यय इस कार्यक्रम से सम्बन्धित प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों में इसे तेजी से कार्यान्वित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) वर्ष 1982-83 जो अभी समाप्त नहीं हुआ है के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । योजना आयोग के अनुसार अप्रैल से दिसम्बर, 1982 के मध्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 0.81 लाख रिहायशी एककों की व्यवस्था की है ।

आवास राज्य का विषय है । अनुमोदित योजना नियतनों के अन्तर्गत राज्य सरकारें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों सहित विभिन्न आवास योजनाओं के लिए उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिक-

ताओं के आधार पर निधियां उद्दिष्ट करने में स्वतन्त्र हैं। तथापि, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास योजना पर बल देने का अनुरोध किया है। इस मामले को स्वायत शासन और नगर विकास मन्त्रियों की केन्द्रीय परिषद की 20वीं बैठक में भी उठाया गया था जिसमें राज्यों से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना के कार्यान्वयन को बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।

गांवों में पीने का पानी

102. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां इस समय पीने के पानी की सुविधायें नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार पीने के पानी सुलभ कराने की योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यापार और उद्योग की सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना धन खर्च किया गया;

(घ) छठी योजना के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक उसमें कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ है; और

(ङ) छठी योजना की निर्धारित अवधि के भीतर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह): (क) 1983 के आरंभ में लगभग 1.50 लाख समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल की सुविधायें देना शेष था। समस्या ग्रस्त ग्राम प्रमुख रूप से वे ग्राम हैं जहां पानी की अत्यधिक कमी है या जहां पानी के असुरक्षित स्रोत हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 665 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। 1982-83 के लिए व्यय के आंकड़े केवल वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर उपलब्ध होंगे।

(घ) छठी योजनावधी के लिए लगभग 2.31 लाख समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है जिसमें से दिसम्बर, 1982 के अन्त तक कुल 79,864 समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित किया गया था। लाभान्वित ग्रामों की संख्या का प्रतिशत 34.61 है।

(ङ) इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसे 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पांचवीं योजना की तुलना में इस कार्यक्रम के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में उच्च पूंजीगत परिव्यय किया गया है। चूंकि पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और योजनायें राज्य सरकारी द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसलिए नई दिल्ली में जनवरी, 1983 में हुए सम्मेलन में इस मामले पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में संकल्प किया गया कि छठी योजना की शेष अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें अत्यावश्यक कार्यवाही करें।

एशियाई खेलों के लिए स्टेडियम पर खर्च किया गया धन या राज्यों में खेल सुविधायें

103. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **खेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई खेलों के लिए दिल्ली के अतिरिक्त स्टेडियमों के निर्माण पर अथवा खेल सम्बन्धी सुविधायें जुटाने पर कोई राशि खर्च की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) नवें एशियाई खेल की विशेष आयोजन समिति ने भारतीय नौकायन संघ को एशियाड, 1982 की नौकायन प्रतियोगिता आयोजित करने के सम्बन्ध में जयपुर (राजस्थान) की रामगढ़ झील की अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिए 5 लाख रु० दिए थे।

एशियाई खेल नौकायन आयोजन समिति की भी बम्बई में नौकायन प्रतियोगिता के सम्बन्ध में सुविधाएं सुलभ करने के लिए धन उपलब्ध कराया गया था।

चकबन्दी कार्यक्रम के लिए राज्यों को मार्ग-निर्देश

104. **श्री ए० सी० दास** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने चकबन्दी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने लिए विभिन्न राज्यों को मार्ग निर्देश भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन राज्यों ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) उड़ीसा में उपर्युक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा वया है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) जैसी कि छठी पंचवर्षीय योजना में सिफारिश की गई थी, सभी राज्य सरकारों से भूमि की चकबन्दी योजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुरोध किया गया है। छठी योजना अवधि के लिए 39.8 लाख हैक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के आरम्भ से लेकर 1981-82 के अन्त तक देश में 486.31 लाख हैक्टेयर भूमि की चकबन्दी की गई है।

(ग) व (घ) उड़ीसा में 1981-82 तक 1.69 लाख हैक्टेयर भूमि की चकबन्दी की गई है तथा 1982-83 के लिए 2 लाख हैक्टेयर भूमि की चकबन्दी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अनधिकृत कालोनियों का नियमित किया जाना

105. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में 612 अनधिकृत रिहायशी कालोनियों को नियमित किए जाने के लिए पता लगाया है ताकि इन कालोनियों में रह रहे लगभग 10 लाख लोगों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके;

(ख) क्या सरकार ने इन सभी कालोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम को आदेश जारी किये हैं;

(ग) क्या इन 612 कालोनियों में से, पूर्वी दिल्ली की ऐसी अनेक कालोनियों को विभिन्न तारीखों को जारी की गई प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से नियमित किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो इन 612 कालोनियों में से, बांगलोई के निकट न्यू रोहतक रोड़ पर स्थित मुड़का गांव में राजधानी पार्क नामक ऐसी ही कालोनी को कब तक नियमित किया जाएगा।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं जिसमें 30.677 तथा 16-2-77 तक बनी क्रमशः रिहायशी वाणिज्यिक संरचनाएं शामिल हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने इन आदेशों के अनुसरण में 912 अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए सूची संकलित की है। उप राज्यपाल द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति इस सूची की जांच कर रही है अनधिकृत कालोनियों के नियमतीकरण का कार्य शीघ्र ही करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस कालोनी के मामले को अनधिकृत कालोनियों की तकनीकी समिति को विचारार्थ भेजा जा रहा है।

तमिलनाडु में कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र का विकास

106. **श्री सी० चिन्नास्वामी** क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र का विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने इस संबंध में विश्व बैंक की सहायता से इसका विकास करने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदन के लिए केन्द्र भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तमिलनाडु सरकार से केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव अथवा परियोजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) इस समय कावेरी के लिए विश्व बैंक की सहायता हेतु तमिलनाडु से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

आदिवासियों के उत्थान की योजना

107. **श्री भीखा भाई** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने कृषि, बागान तथा पौध रोपण क्षेत्र में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए क्या विशेष योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में आदिवासी क्षेत्रों का सर्वेक्षण, अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए विशेषज्ञों का कोई दल भी भेजा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके मन्त्रालय की आदिवासी क्षेत्रों की गरीबी को दूर करने के लिए क्या योजनाएं हैं जो कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में 50 गुना अधिक हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है ये संलग्न **विवरण** में दिये गए हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जन-जाति क्षेत्रों के कृषि विकास हेतु अपनायी गई योजनाओं के अलावा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो कि छठी योजना में गरीबी दूर करने के मुख्य कार्यक्रमों में से एक है, यह प्रावधान किया गया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दिए जाने वाले परिवारों का 30 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों से लिया जाना चाहिए और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता और ऋणों के रूप में प्रदान किए जाने वाले संसाधनों का कम से कम 30 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों के लाभानुभोगियों के लिए

रखा जाना चाहिए । आर्थिक सहायता के प्रावधान के रूप में लाभानुभोगी अनुसूचित जनजातियों को अधिमान्य व्यवहार भी किया जाता है । जबकि गैर-जनजाति लाभानुभोगियों के मामलों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता की दर लागत के 25 और 33सहौ 1/3 प्रतिशत के बीच रहती है, जनजाति परिवारों के मामले में यह 50 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, जनजाति परिवारों के लिए ग्राह्य अधिकतम आर्थिक सहायता 5000 रुपए हैं, जबकि गैर-जनजाति परिवारों के लिए यह सीमा केवल 3000 रुपए है ।

1. फसलोन्मुखी कार्य

1. जनजाति क्षेत्रों में मक्का प्रदर्शन

इस योजना के अंतर्गत बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और मेघालय के चुने हुए जिलों के जनजाति क्षेत्रों में बीज, उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं की लागत पर आर्थिक सहायता दी जाती है । 1980-81 से 1982-83 तक प्रति वर्ष 5.00 लाख रुपए का आबंटन किया गया है । जनजाति क्षेत्रों में प्रति वर्ष 615 प्रदर्शन आयोजित किए जाने हैं ।

2. सघन तिलहन विकास कार्यक्रम

इस योजना के अंतर्गत तिलहन फसल जैसे रामतिल, जो कि आदिवासी कृषकों द्वारा अधिक उगाई जाती है, के लिए समन्वित प्रदर्शन आयोजित किए गए । 1982-83 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 5 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं ।

3. सघन दलहन विकास कार्यक्रम

नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीष्म मूंग उत्पादन सहित दलहनों के विकास के लिए राज्य व संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित राशियों के कुछ प्रतिशत को अनुसूसित जनजातियों के लिए अलग रखने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए हैं । 1982-83 के दौरान, 2.50 लाख रुपए अलग रखे गए हैं ।

4. मिनीकिट वितरण कार्यक्रम

बीज मिनीकिटों के वितरण में अनुसूचित जाति समुदायों को तरजीह दी गई है ।

2. पशुपालन

5. केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म

इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों द्वारा अधिप्राप्त व्यापारिक संकर चूजों के 10 प्रतिशत को अनुसूचित जनजाति के किसानों को आवंटित किया जाता है ।

6. केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म

केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म से राज्यों द्वारा अधिप्राप्त संकर चूजों के दस प्रतिशत को अनुसूचित जनजाति के कृषकों को आवंटित किया जाता है ।

7. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म

इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भेड़ फार्मों में संकर नस्ल के मेढे तैयार करने के लिए केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म से विदेशी मेढों को अधिप्राप्त करने वाले राज्यों के लिए अनुसूचित जनजातियों के बीच कुछ अनुपात में संकरित नस्ल के मेढों को आवंटित करना आवश्यक हैं।

8. केन्द्रीय हिमित बीर्य बैंक, हेसरघट्टा

केन्द्रीय हिमित वीर्य बैंक, हेसरघट्टा (बंगलौर) से विदेशी नस्ल के सांडों के वीर्य को अधिप्राप्त करने राज्यों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाले पशुओं गर्भाधान हेतु, हिमित वीर्य की खुराकों के कुछ हिस्से को आरक्षित करना आवश्यक है।

9. खुर पका—मुंह पका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिव्यय के 10 प्रतिशत को अनुसूचित जनजातियों के कृषकों के स्वामित्व वाले पशुओं के लिए आरक्षित किया जाता है।

10. चारा फसलों पर मिनीकिट प्रदर्शन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 25 प्रतिशत प्रदर्शन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए रखे जाते हैं।

11. चारा (कुट्टी) उत्पादन और प्रदर्शनों के लिए क्षेत्रीय स्टेशन

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदर्शनों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के किसानों के लाभ के लिए आरक्षित हैं।

3. मृदा एवं जल संरक्षण

12. झूम खेती का नियंत्रण

संघ शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में यह योजना चालू है। इस योजना के अंतर्गत आदिवासियों को "झूम खेती" से हटाने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

4. मात्स्यकी

13. जल कृषि का विकास (मछली पालक विकास एजेंसियां)

यह कार्यक्रम दो तरीकों से अनुसूचित जनजाति के मछली पालकों को अत्यंत लाभ पहुंचाएगा अर्थात् आधुनिक मत्स्य पालन प्रोद्योगिकी में उन्हें प्रशिक्षण देकर तथा सघन मत्स्य पालन के लिए तालाब व पोखरें देकर।

5. वानिकी

14. लाख खेती

इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाख उत्पादन के लिए अनुसूचित जनजाति के किसानों को सहायता प्रदान की जाती है।

15. काष्ठ निष्कासन केन्द्र परियोजना

इस परियोजना के अंतर्गत छठी योजना के दौरान उन्नत काष्ठ निष्कासन कार्य में 5530 अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 1982-83 के दौरान कुल परिव्यय के 35 प्रतिशत का उपयोग अनुसूचित जनजातियों के लिए किया जाएगा।

6. सहकारिता

16. बड़ी कृषि बहु-उद्देशीय सहकारी समितियां (लैम्पत)

जनजातियों की विशेष आवश्यकताओं, जैसे कृषि एवं गौण वन उत्पाद का विपणन, कृषि उत्पादन के आदानों इत्यादि का वितरण के लिए ऋण प्रदान करने हेतु आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी समितियां गठित की गई हैं।

17. सहकारिता के दृष्टिकोण से अविकसित राज्यों में सहकारी ऋण संस्थाओं को सहायता

इस योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में सहकारिता के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि वे किसानों को पर्याप्त ऋण दे सकें।

7. कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण

18. अनुसूचित जनजाति के किसानों के अध्ययन दौरे

इसमें कृषि में अविकसित क्षेत्रों से समाज के कमजोर वर्गों के किसानों के कृषि में विकसित क्षेत्रों के दौरे अभिकल्पित हैं। जिससे दौरा करने वाले किसान कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में हुई प्रगति को स्वयं ही देख सकें और अपनी परिस्थितियों के अनुसार उन्हें अपना सकें। ये अध्ययन दौरे केवल अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ही हैं। 1982-83 के दौरान कुल परिव्यय के लगभग 33 प्रतिशत का उपयोग अनुसूचित जनजाति के किसानों के लाभ के लिए किया जाना है।

8. बागबानी

19. काजू पर पैकेज कार्यक्रम

20. नारियल पर पैकेज कार्यक्रम

21. संघ शासित क्षेत्रों में फलों का विकास

22. संघ शासित क्षेत्रों में मसालों का विकास

9. डेरी विकास

23. आपरेशन फ्लड-2 और अन्य डेरी विकास योजनाएं

लाभानुभोगियों का लगभग 25 प्रतिशत अर्थात् 25 लाख किसानों के अनुसूचित जातियों से होने की आशा है ।

उपरोक्त विशिष्ट कार्यक्रमों के अलावा, जो कि या तो पूरी तौर पर या पर्याप्त तौर पर आदिवासी जनसंख्या को लाभ पहुंचाएगे ।

बिना बारी आवास का आवंटन

108. **श्री भीखा भाई :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के लोगों को कितने मकानों फ्लैटों के आवास का बिना बारी के आबंटन किया गया;

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1980-81 तथा 1982 के दौरान निम्नलिखित विवरणानुसार बिना बारी के आधार पर सामान्य पूल वास के 3344 एकक आवन्टित किए गए हैं ।

आवास का टाइप	बिना बारी के आधार पर आबन्टित एकों की संख्या
ए०	569
बी०	1830
सी०	348
डी०	200
ई०	210
ई-1	47
ई-2	6
ई-3	1
होस्टल	133

(ख) तथा (ग) बिना बारी के आवटन प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं न कि जाति को ध्यान में रख कर । इसलिए इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

आदिवासी जिलों में आई० टी० डी० सी०

109. **श्री भीखा भाई** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस० एफ० डी एज/डी० पी० ए० पीज/एफ० ए० डी० एज/आई० टी० डी० पीज जैसी सभी विशेष योजनाओं का समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विलय कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आदिवासी जिलों में आई० टी० डी० पीज को आदिवासी क्षेत्र उपयोजन के विचार की भावना के अनुरूप क्यों संज्ञा दी गई है; और

(घ) उन आदिवासी जिलों को आई० टी० डी० पीज के रूप में बनाये रखने के लिए सरकार ने अनुदेश क्यों नहीं जारी किए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) केवल लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम (एफ० एफ० डी० ए०) तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०) के लाभभोगी उन्मुख स्टाक को 2 अक्तूबर, 1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मिला दिया गया है। डी० पी० पी० (क्षेत्र विकास भाग) एफ० एफ० डी० ए० तथा आई० टी० डी० पी० अलग योजना के रूप में चल रही है।

(ख) लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में इसलिए मिला दिया गया था क्योंकि लघु कृषक विकास एजेंसी के अन्तर्गत अपनाई गई नीति तथा सहायियत लक्षित वर्ग समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समान थे। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभभोगी घटक भी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समान था। यह सोचा गया था कि लक्षित वर्ग के लिए केवल एक ही समन्वित कार्यक्रम उचित होगा।

(ग) व (घ) आदिवासी जिलों में आई० टी० डी० पीज को आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के विचार की भावना के अनुरूप संज्ञा दी गई है। चूंकि आई० टी० डी० पी० हमेशा एक ही जिले तक सीमित नहीं है इसलिए उनको आई० टी० डी० पी० जिलों का नाम नहीं दिया जा सकता।

एशियाड ग्राम के लिए मंजूर की गई राशि तथा उसका भावी उपयोग

110. **श्री के मालन्ना** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड ग्राम के लिए मंजूर की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) एशियाड के उपयोग के लिये दिए गए कमरों की संख्या का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तिरहुत नहर, पर पन बिजली परियोजना

111. **श्री भोगेन्द्र झा : सिंचाई** मन्त्री गंडक नदी से निकलने वाली नहर से धन बिजली एकक स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में 4 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग ने इस बीच तिरहुत नहर पर (पूर्वी गंडक नदी) पन बिजली परियोजना के लिए प्रस्ताव की अंतिम रूप से जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भीम नगर बराज का दुबारा माडल बनाये जाने से पश्चिमी तथा पूर्वी कोसी नहरों से अधिक पन बिजली पैदा की जा सकती है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या उत्तरी और दक्षिणी बिहार में सभी नदी, नहरों आदि से पन बिजली क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए बिहार सरकार को कोई सुझाव दिया जा रहा है अथवा दिया गया हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पूर्वी गण्डक नहर जल-विद्युत परियोजना रिपोर्ट, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से मार्च, 1981 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी और जून, 1981 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की भेजी गई केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की रोशनी में, राज्य से एक संशोधित रिपोर्ट नवम्बर, 1982 में प्राप्त हुई थी जिसकी तकनीकी दृष्टि से जांच की जा रही है। उसके बाद, इस परियोजना पर सदस्य (प्रगति एवं आयोजन) केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा बिहार जल-विद्युय निगम के प्रतिनिधियों के साथ 27 दिसम्बर, 1982 को ली गई एक बैठक में बिचार-विमर्श किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि परियोजना के वरण-1 (बिजली घर-1) को अंतिम रूप दे दिया जाए ।

(ख) इस परियोजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि, परियोजना के चरण-1 (बिजली घर-1) में पूर्वी गण्डक नहर शीर्ष नियामक से आर० डी० 9.3 से 19.6 तक से शुरू होने वाली एक उपमार्ग (बाई पास) नहर का निर्माण करना तथा आर० डी० 9.60 पर एक बिजली घर का निर्माण करना शामिल है । इस बिजली घर में प्रतिष्ठापित क्षमता 18 मेगावाट (6-6 मेगावाट की तीन यूनिटें) होगी । इस स्कीम पर 22.19 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक अन्वेषण एवं अध्ययन कर रही है ।

(ङ) सिंचाई मन्त्रालय द्वारा बिहार सहित, सभी राज्यों को बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में, जहां कहीं भी संभव हो, जल-विद्युत घटक को सम्मिलित करने के लिए 15 जनवरी, 1982 को एक परिपत्र जारी किया गया था।

बिहार में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

112. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में 18 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2337 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में जिलेवार और दरभंगा तथा मधुबनी जिलों में खंडवार समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम ने खासतौर पर किन क्षेत्रों का पता लगाया गया। उत्पादी प्रयास किए गए और उत्पादी के रूप में पता करने योग्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं;

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : समन्विय ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य लाभभोगी की उत्पादी परिसम्पत्तियां सुलभ करना है जिससे उसके आर्थिक स्तर में सुधार होगा इसके परिणामस्वरूप वह गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाएगा। उलपब्ध स्थानीय संसाधनों के अनुसार प्राथमिक, द्वितीय अथवा तृतीय क्षेत्र में डेरी एककों, भेड़ एककों, मुर्गीपालन एककों कुओं, पम्प सैटों, धानियों, बैलगाड़ियों, छोटी दुकानों आदि जैसी किसी भी परियोजना पर विचार किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा संसाधनों के सर्वेक्षण चालू योजना की पुनरीक्षा आदि पर आधारित खंड योजनाओं को तैयार करने के लिए विस्तृत प्रचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल सक्षम परियोजनाएं ही शुरू की गई हैं, उपदान को बैंक ऋण से सम्बद्ध किया गया है। सभी एजेंसियों को लाभभोगियों को "विकास पत्रिका" उपलब्ध कराने हेतु सलाह दी गई है जिसके माध्यम से उन्हें प्राप्त होने वाली उत्तरोतर आय की जांच रखी जाती है। राज्य सरकारों से नमूना अध्ययन करने के लिए भी अनुरोध किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सकें कि क्या कार्यक्रम सही दिशा में चल रहा है।

दरभंगा तथा मधुबनी सहित बिहार में लाभभोगियों की जिलावार संख्या को दर्शाने वाला एक **विवरण** संलग्न है। भारत सरकार द्वारा खंडवार कोई सूचना संकलित नहीं की जाती है।

विवरण

बिहार में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभभोगियों की संख्या।

क्रम सं०	जिले का नाम	1980-81	1981-82
1.	पटना	4062	6185
2.	वालन्दा	4608	2494
3.	गया	11671	14662

1	2	3	4
4.	औरंगाबाद	3514	5504
5.	नवादा	5181	6059
6.	भोजपुर	9732	15972
7.	रोहतास	3389	6745
8.	सारण	4563	9072
9.	सिवान	12531	9611
10.	गोपालगंज	12217	7020
11.	मुजफ्फरपुर	8171	12993
12.	सीतामड़ी	6884	6202
13.	वैशाली	7756	6698
14.	पूर्वी चम्पारन	11427	10020
15.	पश्चिमी चम्पारन	16338	13901
16.	दरभंगा	6414	4378
17.	समस्तीपुर	5666	12500
18.	मधुवनी	14307	13144
19.	बेगूसराय	4266	6217
20.	भागलपुर	7660	7451
21.	संथालपरगना	5359	13129
22.	मुंगेर	4558	5523
23.	हजारीबाग	12676	7719
24.	गिरडीह	24112	4205
25.	धनवाद	6009	7029
26.	रांची	5813	21045
27.	सिंहभूमि	3255	14144
28.	पलाम	6045	9728
29.	पार्णियो	12392	5528
30.	कीटहार	3658	5001
31.	सहरसा	14448	6280
	योग :	252630	276169

पश्चिमी कोसी नहर

113. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मन्त्री पश्चिमी कोसी नहर के पानी को पम्प करने संबंधी प्रस्ताव के बारे में 11 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1280 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित विकल्प की लागत लाभ, समय सारणी तथा अन्य सम्बन्धित गुणावनुणों की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) क्या पश्चिमी कोसी नहर का पानी भूता ही वाला नदी के पूर्व में जून, 1983 तक, तथा कमला नदी के पूर्व में और भूता ही बाला नदी के पश्चिम में जून, 1985 तक दिए जाने सम्बन्धी समय सारणी का सख्ती से पालन किया जा रहा है, यदि हां, तो कार्य के ब्यौरे सम्बन्धी अद्यतन स्थिति क्या है;

(घ) क्या उत्तरी बिहार की नदी घाटी समस्याओं पर विचार करने के लिए 29 नवम्बर, 1982 की एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी जिसमें मुख्य मन्त्री, सिंचाई मन्त्री, एक संसद सदस्य, एक विधायक तथा सम्बन्धित अधिकारियों ने भाग लिया था; और

(ङ) यदि हां तो उसके परिणामस्वरूप सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) माननीय सदस्य ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के सितम्बर, 1982 के तीसरे सप्ताह में केन्द्रीय जल आयोग और बिहार के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ अपने दौरे के दौरान यह सुझाव दिया था कि कमला नदी के क्रासिंग पर कोसी नदी के सारे जल को जयनगर में कमला नदी के ऊपर वर्तमान वीयर द्वारा बनाए गए जलाशय में पम्प किया जाए और सम्बन्धित जल निकास के लिए वर्तमान सिंचाई प्रणाली के क्षेत्र को बढ़ाया जाए।

बिहार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सुझावों, प्रस्तावो पर अध्ययन किए गए हैं और बिहार द्वारा सूचित किया गया है कि (क) पश्चिमी कोसी नहर के सारे जल-प्रवाह को पम्पिंग करना न केवल महंगा पड़ेगा बल्कि यह इस अवस्था में व्यवहार्य भी नहीं है जबकि पर्याप्त सुनिश्चित विद्युत सप्लाई उपलब्ध नहीं है (ख) पश्चिमी कोसी नहर के प्रचालन में कमल वीयर कमान का एक बड़ा क्षेत्र इस प्रणाली के अन्तर्गत आ जाएगा और कपाट प्रणाली में संशोधनों के साथ वर्तमान कमलों वीयर से शेष क्षेत्र को सुविधापूर्वक सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है।

उन्होंने यह भी बताया है कि सिंचाई प्रणाली में सुधार करने के लिए पश्चिमी कोसी नहर से भविष्य किसी तारीख को जल को पम्पिंग करना संभव हो सकता है और भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग से इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में आगे सुधार करना भी संभव हो सकेगा।

(ग) भूत ही बालान के पूर्व में जल उपलब्ध करना नेपाल क्षेत्र में निर्माण-कार्यों के पूर्ण हो जाने पर निर्भर करता है। नेपाल के भाग में निर्माण कार्य कार्यक्रम के अनुसार पिछड़ गया है और जून, 1984 तक पूर्ण हो जाने की संभावना हैं। तथपि, पूर्व में जल उपलब्ध करने के अनुसार, बिहार सरकार द्वारा जून, 1985 तक कमला नदी के पूर्व में जल उपलब्ध करने के लिए प्रयास करेगी।

सितम्बर, 1982 तक हुई संचयी प्रगति नीचे दी गई हैं :—

निर्माण कार्य	निहित कुल कार्य	किया गया कार्य
मिट्टी कार्य (लाख क्यू० मि०	141.86	51.86
पक्का करना (लाख वर्ग मी०)	27.74	16.15
भूमि अधिग्रहण (हैक्टेयर)	1592.15	695.94
संरचना (संख्या)	356	6 पूर्ण 10 पर कार्य प्रगति पर है।

(घ) और (ङ) यह सूचित किया गया है कि माननीय सदस्य ने 29-11-82 को मुख्य मंत्री, बिहार से भेंट की थी जबकि बिहार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उनके विचार-विमर्श के दौरान उपर्युक्त भाग (क) में निर्दिष्ट पश्चिमी कोसी नहर से जल के पम्पिंग करने के प्रस्ताव पर और उपर्युक्त भाग (ग) में निर्दिष्ट पश्चिमी कोसी नहर के शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया समझा गया था।

गाजीपुर जिले के सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि

114. **श्री जैनुल बशर** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के लिए विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा है;

(ग) इन परियोजनाओं पर चल रहे कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) प्रत्येक मामले में इन परियोजनाओं के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सिंचाई एक राज्य-विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, अन्वेषण एवं क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा

अपनी विकास योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों एवं अनुदानों के रूप में, समग्र राज्य के लिए दी जानी हैं और यह विकास के किसी क्षेत्र अथवा परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले को लाभ पहुंचाने वाली चार सिंचाई परियोजनाए हैं जिन पर व्यय राज्य द्वारा किया जा रहा है। तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय, स्कीमों से अन्ततः सृजनीय सिंचाई क्षमता तथा 1981-82 तक सृजित की गई क्षमता तथा पूर्ण किए जाने के संभावित समय का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

इनमें से, शारदा सहायक परियोजना की मानीटरिंग केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जा रही है। इस परियोजना पर कार्य की वर्तमान प्रगति नीचे दी गई है :—

गिरजा बराज, सम्पर्क नहर, शारदा बराज तथा चैनल के निर्माण-कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। वितरण प्रणाली (नए और पुनरूपण दोनों प्रकार के निर्माण-कार्य) पर कार्य प्रगति पर है। 5,971 किलोमीटर लम्बी वितरणियों और शाखाओं में से, 12,671 किलोमीटर की लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 18,828 कि० मी० की लम्बाई में चिनाई कार्यों में से, 11,232 कि० मी० की लम्बाई में कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 426 करोड़ रुपये है। 1982-83 के अन्त तक संचयी व्यय 375.73 करोड़ रुपए होगी।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमान	1980-81 के दौरान हुआ व्यय	1981-82 के दौरान हुआ व्यय	1982-83 के दौरान हुआ व्यय (प्रत्याशित)	1982-83 के अन्त तक हुआ संचयी व्यय (प्रत्याशित)	अन्ततः सृजनीय क्षमता	81-82 तक सृजित की गई क्षमता	पूर्ण किए जाने का संभावित समय
1.	शारदा सहायक परियोजना	426.00	25.46	23.75	23.0	375.73	1582	1460	छठी योजना
2.	नारायणपुर पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि करना	20.34	0.95	093	0.70	13.49	72.92	—	सातवीं योजना
3.	जमानिया पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि करना	15.53	0.83	1.03	1.00	4.81	25.72	—	सातवीं योजना
4.	देवकली पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि करना	27.88	2.17	1.51	1.00	1569	73.60	31.30	सातवीं योजना

मात्स्यकी के विकास के लिए चुने गए जिले

115. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मात्स्य के विकास के लिए देश में सरकार द्वारा कौन-कौन से जिले चुने गए हैं;

(ख) उक्त विकास के लिए सरकार द्वारा (जिला-वार) क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उठाए गए कदमों के अब तक क्या परिणाम निकले हैं?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र के अन्तर्गत चुनिन्दा जिलों में मत्स्य-पालन के विकास के लिए 108 मत्स्य पालक विकास एजेंसियों की स्थापना की गई है। चुनिन्दा जिलों की एक सूची विवरण में दी गयी है।

(ख) मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के समक्ष निम्नलिखित हेतु पैकेज प्रस्ताव हैं : —

मत्स्य पालन हेतु उपयुक्त जल क्षेत्रों का पता लगाना, लाभानुभोगियों का पता लगाना और प्रशिक्षण, मछली पालकों को अभिज्ञात सार्वजनिक जलाशयों को पट्टे पर देना, संस्थागत वित्त के रूप में वित्तीय सहायता देना, तालाब सुधार और आदानों हेतु मछली पालकों को राज सहायता देना, और विस्तार और तकनीकी सहायता देना।

चूंकि मत्स्य पालन हेतु अपेक्षित बुनियादी आदान बढ़िया मत्स्य बीज होता है, अतः परियोजना क्षेत्र में मत्स्य-बीज फार्मों हेचरियों की स्थापना की गयी है।

(ख) मत्स्य पालकों द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रत्येक मत्स्य पालक विकास एजेंसी में 20 प्रगतिशील मत्स्य पालकों को उत्प्रेरित जनन मिनीकिट दिए जा रहे हैं।

प्रत्येक मत्स्य पालक विकास एजेंसी में समूचे मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए और अन्य मत्स्य पालकों के सघन मत्स्य पालन हेतु विकसित प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए दो तालाबों की स्थापना की गयी है।

(ग) उन्नत मत्स्य पालन के अंतर्गत लगभग 18.000 हैक्टार जल क्षेत्र लाया गया है। इसके अतिरिक्त, अभी तक मछली पालकों को 1300 लाख बढ़िया किस्म के मत्स्य-बीज वितरित किए गए हैं। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, विकसित जल क्षेत्र की प्रति हैक्टार औसत उपज 50 किलोग्राम के आधार स्तर से बढ़कर 1979-80 में 582 किलोग्राम हो गयी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 20,500 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित किया गया है।

विवरण

मत्स्य पालक विकास एजेंसी कार्यक्रम हेतु चुनिन्दा जिलों की सूची

1. असम

कामरूप
दारांग
सिबसागर
नौगांव

2. आंध्र प्रदेश

करीमनगर
कुरनूल
मेडक

3. बिहार

डुमका
पश्चिमी चम्पारन
मधुबनी
गोपालगंज
मुजफ्फरपुर
समस्तीपुर
पटना
पूर्वी चम्पारन
सहरसा
सिवन
वैशाली
बेगूसराय
मुंगेर
सीतामढ़ी
पूर्णिया
सारण
दरभंगा
कटिहार

4. गुजरात

सूरत
पंचमहल
बलसार

5. हरियाणा

करनाल
रोतक
सोनीपत
गुड़गांव

6. हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय
म० पा० वि० ए०

7. जम्मू व कश्मीर

कश्मीर क्षेत्रीय म० पा० वि० ए०
जम्मू क्षेत्रीय म० पा० वि० ए०

8. कर्नाटक

मैसूर
धारवाड़
शिमोगा

9. केरल

पालघाट
त्रिचूर
क्विलोन

10. **महाराष्ट्र**
    भण्डारा
    चन्द्रपुर
    नागपुर

11. **मणिपुर**
    मध्य
    दक्षिण

12. **मध्य प्रदेश**
    रायपुर
    राजनांदगांव
    दुर्ग
    रायगढ़
    बिलासपुर
    शहडोल

13. **नागालैंड**
    नागालैंड राज्य स्तरीय
    म० पा० वि० ए०

14. **उड़ीसा**
    ढेंकानाल
    मयूरभंज
    बालासोर
    गंजम
    ~~पुरी~~
    कटक
    बोलांगिर
    पुरी
    सम्बलपुर

15. **पंजाब**
    गूरदासपुर
    जलन्धर
    अमृतसर
    लुधियाना
    संगरूर

16. **राजस्थान**
    भीलवाड़ा
    टोंक
    अजमेर

17. **त्रिपुरा**
    दक्षिण जिला
    उत्तर जिला
    पश्चिम जिला

18. **तमिलनाडु**
    तंजौर
    त्रिजी
    मदुरै
    धर्मपुरी
    दक्षिण अर्काड

19. **उत्तर प्रदेश**
    बदायूं
    मेरठ
    लखनऊ
    बाराबंकी
    आजमगढ़
    गाजीपुर
    बलिया
    प्रतापगढ़
    उन्नाव
    फैजाबाद
    बस्ती
    इलाबाद
    वाराणसी
    सुल्तानपुर
    गोंडा
    जौनपुर
    गोरखपुर
    देवरिया
    राय बरेली

20. **पश्चिम बंगाल**

मिदनापुर
हुगली
नादिया
मालदा
बांकुरा
पुरुलिया
वीरभूमि
पश्चिम दिनाजपुर
हाबड़ा
बर्दवान
मुर्शिदाबाद

राजोरी गार्डन एम० आई० जी० फ्लैट वैल्फेयर एसोसिएशन को उपराज्यपाल को विरोध पत्र भेजा जाना

116. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजोरी गार्डन एम० आई० जी० फ्लैट वैल्फेयर एसोसिएशन ने उन्हें आवंटित डी० डी० ए० फ्लैटों की हालत की और दिल्ली विकास प्राधिकरण की उदासीनता के बारे में उप राज्यपाल को कोई विरोध-पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उप राज्यपाल, के कार्यालय के माध्यम से राजोरी गार्डन एम० आई० जी० फ्लैट्स वैल्फेयर संघ से एक शासन प्राप्त हुआ था तथा यह कि इस ज्ञापन में सफाई पाइपों को साफ करना, नालियों की सफाई करना, पार्कों का अनुरक्षण करना, कूड़े दानों आदि की सफाई करने जैसी कतिपय रोजमर्रा की सेवाओं के अनुसक्षण के बारे में लिखे गए पत्रों का सन्दर्भ था ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1981 में इस कालोनी की सभी सेवाएं दिल्ली नगर निगम को अन्तरित कर दी गई थीं । उन्होंने आगे बताया है कि जब कभी इन फ्लैटों में पानी रिसने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उन्हें ठीक कर दिया गया था ।

शहरी भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम में संशोधन

117. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) उक्त विधेयक में संशोधन करने वाला चिर-प्रतीक्षित विधेयक लोक सभा में संभवतः कब पेश किया जाएगा जिसके बारे में गत तीन वर्षों से वायदे किए जा रहे हैं तथा आश्वासन दिए जा रहे हैं;

संसदीय कार्य, तथा खेल निर्माण आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) अधिनियम को संशोधन करने का प्रस्ताव अभी भी प्रक्रिया में है और ज्यों ही अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, संशोधन का बिल पेश कर दिया जाएगा।

धनबाद जिले में वन क्षेत्र

118. **श्री ए० के० राय** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले में कुल कितना वन-क्षेत्र है और 1-1-1983 के अनुसार इस समय वहां कितने क्षेत्र में बन मौजूद हैं;

(ख) वर्ष 1982 में कितने क्षेत्र में वन रोपण किया गया था और कितने क्षेत्र में वनों को काटा गया;

(ग) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष में बिराजपुर पंचायत (बिहार का धनबाद जिला) में गोविन्दपुर ब्लाक के अच्छे वन-क्षेत्र को वन रोपण कार्यक्रम से अलग रखा गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि गांवों के लिए लाभप्रद परम्परागत फल वाले पेड़ नहीं लगाए गए हैं; जिससे उस क्षेत्र में बड़ी अशांति व्याप्त है;

(ङ) क्या सरकार की लोगों की भावना और इच्छा के विरुद्ध इस प्रकार के फल रहित पेड़ों के वनरोपण की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को आवंटित राशि

119. **श्री निहाल सिंह** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 190 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने उनको आवंटित धन का अभी तक उपयोग नहीं किया है; और

(घ) क्या धन का शीघ्र उपयोग करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जाने का विचार है;

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरि नाथ मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 190 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के राज्यवार आवंटन का ब्यौरा दर्शाने वाला **विवरण**-1 संलग्न है इसमें राज्य सरकारों द्वारा अपनी बराबर की धनराशि शामिल की जानी है।

(ग) और (घ) 190 करोड़ रुपये के केन्द्रीय आवंटन के शुकाबले में 15-2-83 तक राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 164.42 करोड़ रुपये के बंटन किए गए हैं। सम्बन्धित राज्यों को निधियों के आगामी बंटन उपयोग की गति को देखते हुए किए जाएंगे। विभिन्न राज्यों/केन्द्र शाशित क्षेत्रों में राज्य के अंश सहित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के संसाधनों की उपयोगिता जैसी कि उन्होंने अभी तक सूचित की है, को भी दर्शाने वाला **विवरण**-2 संलग्न है। उन राज्य सरकारों जिनमें कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है, से अनुरोध किया गया है कि कार्य निष्पादन तथा निधियों के उपयोग की गति में सुधार लाने हेतु कदम उठाएं।

(विवरण-एक)

1982-83 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के राज्यवार आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1983.00
2.	असम	400.00
3.	बिहार	2540.00
4.	गुजरात	590.00
5.	हरियाणा	160.00
6.	हिमाचल प्रदेश	120.00
7.	जम्मू और कश्मीर	160.00
8.	कर्नाटक	874.00

1	2	3
9.	केरल	847.00
10.	मध्य प्रदेश	1390.00
11.	महाराष्ट्र	1498.00
12.	मणिपुर	20.00
13.	मेघालय	20.00
14.	नागालैण्ड	20.00
15.	उड़ीसा	861.00
16.	पंजाब	266.00
17.	राजस्थान	492.00
18.	सिक्किम	16.00
19.	तमिलनाडु	1560.00
20.	त्रिपुरा	60.00
21.	उत्तर प्रदेश	3513.00
22.	पश्चिम बंगाल	1414.00
	केन्द्र शासित क्षेत्र	
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	32.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	32.00
25.	चण्डीगढ़	8.00
26.	दादर तथा नागर हवेली	16.00
27.	दिल्ली	4.00
28.	गोआ, दमन और	32.00
29.	लक्षद्वीप	8.00
30.	मिजोरम	32.00
31.	पाण्डिचेरी	32.00
	योग	190,00.00

(विवरण-दो)

1982-83 के दौरान राज्य के अन्श सहित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के संसाधनों की उपयोगिता को दर्शाने वाला विवरण (राज्यवार स्थिति)

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	उपयोगिता	अवधि जिससे कालम(2) में दी गई सूचना सम्बन्धित है
1.	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1864.73	सितम्बर, 82
2.	असम	157.14	दिसम्बर. 82
3.	बिहार	1883.26	दिसम्बर, 82
4.	गुजरात	1150.90	जनवरी, 83
5.	हरियाणा	103.54	सितम्बर, 82
6.	हिमाचल प्रदेश	129.90	अक्तूबर, 82
7.	जम्मू और कश्मीर	73.08	नवम्बर, 82
8.	कर्नाटक	1467.55	नवम्बर, 82
9.	केरल	517.19	अक्तूबर, 82
10.	मध्य प्रदेश	1604.26	दिसम्बर, 82
11.	महाराष्ट्र	1353.00	दिसम्बर, 82
12.	मणिपुर	17.22	दिसम्बर, 82
13.	मेघालय	8.87	जुलाई, 82
14.	नागालैंड	10.12	सितम्बर, 82
15.	उड़ीसा	730.23	दिसम्बर, 82
16.	पंजाब	176.31	दिसम्बर, 82
17.	राजस्थान	439.24	नवम्बर, 82
18.	सिक्किम	13.32	जनवरी, 83
19.	तमिलनाडु	2675.31	दिसम्बर,82
20.	त्रिपुरा	52.30	सितम्बर, 82
21.	उत्तर प्रदेश	1867.44	दिसम्बर, 82
22.	पश्चिम बंगाल	1907.84	नवम्बर, 82

1	2	3	3
	केन्द्र शासित क्षेत्र		
23.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	7.63	नवम्बर, 82
24.	अरुणाचल	1.85	सितम्बर, 82
25.	चण्डीगढ़	शून्य	अगस्त, 82
26.	दादरा तथा नगर हवेली	शून्य	सितम्बर, 82
27.	दिल्ली	शून्य	फरवरी, 83
28.	गोवा दमन तथा द्वीव	शून्य	सितम्बर, 82
29.	लक्ष्य द्वीप	शून्य	नवम्बर, 82
30.	मिजोरम	20.40	अक्तूबर, 82
31.	पाण्डिचेरी	13.66	दिसम्बर, 82
	योग :	182,46.29	

सी० जी० एच० एस० औषधालय खोलने हेतु डी० डी० ए० मकानों का आवंटन

120. **श्री निहाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए मकानों के आवंटन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन-कौन से हैं, जहां प्राधिकरण द्वारा क्रय आशय हेतु मकान आवंटित किए गए हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के निदेशक से औषधालयों के लिए फ्लैटों के आवंटन के कुछ अनुरोध प्राप्त किए हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि त्रिलोक पुरी में मध्यम आय वर्ग के तीन फ्लैटों की पेशकश की गई है।

सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि आवंटित की गई परन्तु कब्जा नहीं दिया गया

121. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी सहकारी गृह-निर्माण समितियां कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं जिनको भूमि आवंटित की गई है परन्तु कब्जा नहीं दिया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) ऐसी सरकारी गृह-निर्माण समितियां कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं जिनको अभी तक भूमि आवंटित नहीं की गई है, इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रोहिणी में आवेदकों को भूमि आवंटित करने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है और रोहिणी में विकासकार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) तक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खेल बाजार में गेहूं की कीमतों को स्थिर बनाना

122. **मोहन लाल पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के कुछ भागों में खुले बाजार में गेहूं का भाव अत्यधिक चढ़ गया है, अर्थात 4 से 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि मजदूर लोग अतिरिक्त गेहूं खुले बाजार से उचित मूल्य पर खरीद सकें ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) आम किस्मों के गेहूं का मूल्य 4 रु० से 5 रु० प्रति किलोग्राम के स्तर पर नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम

123. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री नवीन रवाणी : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या स्थानीय सरकार नगरीय विकास तथा आवास सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद की एक बैठक इस बारे में हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी और;

(ग) यदि हां, तो उसमें किन-किन समस्याओं पर चर्चा की गई और उक्त अधिनियम में संशोधन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) हाल ही में दिल्ली में हुई स्थानीय शासन तथा नगर विकास की केन्द्रीय परिषद की 20वीं बैठक में नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 पर विशेष रूप से चर्चा नहीं हुई । तथापि, परिषद ने संकल्प पारित किया कि शहरी भूमि की कीमतों में अवांछित वृद्धि के नियंत्रण के उपाय के संदर्भ में नगर भूमि (अधिनियम सीमा तथा विनियमन) में आवश्यक संदर्भ करने के लिए कार्यवाही की जाय ।

चीनी उद्योग को संकट से बचाने के लिए लेवी की चीनी के मूल्यों में वृद्धि का प्रस्ताव

124. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने के ऊंचे दामों और खुली बिक्री की चीनी की वसूली में गिरावट के कारण आए वित्तीय संकट से चीनी उद्योग को बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार का विचार लेवी चीनी के मूल्यों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति के सुझावों सहित इसकी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

खरीफ की फसल की संभावना

125. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में सूखे तथा अन्यों में बाढ़ के कारण चालू वर्ष में खरीफ की फसल निर्धारित लक्ष्य से कही कम है; और

(ख) यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिए उचित स्तर तथा रक्षित भंडार को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) तथा (ख) जी हां ।

"चाथम सा मिल्स", अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कर्मचारियों की शिकायतें

126. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मिल डिवीजन चाथम (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) में औद्योगिक कर्मचारियों के पदनामों तथा वेतनमानों में असंगति के कारण तथा अतिरिक्त

पद व बनाए जाने और वर्तमान पदों को फिर से पदनामित न किए जाने के कारण उनमें अत्यधिक असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि, हां तो कर्मचारियों की उक्त शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या मंत्रालय को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो वह कब प्राप्त हुआ था और इस विषय पर क्या कार्रवाई की गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), से (घ) डिल डिवीजन चाथम में, कुछ पदों का पुन: पदनामन, कुछ पदों का दर्जा बढ़ाने और कुछ और अतिरिक्त पदों का सृजन करने के लिए एक प्रस्ताव वर्ष 1979 में अण्डमान वन विभाग से प्राप्त हुआ था। पदों का दर्जा बढ़ाने और अतिरिक्त पदों के सृजन पर सामान्य प्रतिबंध हैं। फिर भी, इस सम्बंध में आगे कार्यवाही करने के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से ब्यौरा मांगा गया है।

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में वन संरक्षण बल

127. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में वन संरक्षण बल की श्रेणीवार कुल कितनी संख्या है;

(ख) क्या सरकार को अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह वन विभाग के लिए वन संरक्षण बल के लिए चयन ग्रेड पद बनाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ और उस पर क्या कार्रवाई की गयी है !

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में वन सुरक्षा बल की कुल संख्या 105 ह, जिसमें 200 रु० से 250 रु० के वेतनमान की एक श्रेणी है।

(ख) जी हां।

(ग) वन सुरक्षा बल में प्रवरण ग्रेड के सृजन संबंधी प्रस्ताव जून, 1979 में प्राप्त हुआ था। चूंकि ये पद शत प्रतिशत प्रोन्नति से भरे जाते हैं, वे वर्तमान अनुदेशों के अनुसार प्रवरण ग्रेड के लिए उपयुक्त नहीं हैं। तथापि, अत्यधिक स्थिरता को देखते हुए प्रवरण ग्रेड सृजित करने के प्रश्न पर प्रशासन की सलाह से विचार किया जा रहा है।

अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के वन के विभाग के अन्तर्गत काम करने वाले हाथी महावत

128. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि** मन्त्री तह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के वन विभाग के अन्तर्गत कितने हाथी महावत काम कर रहे हैं और उनमें से कितने डिविजन-वार, एफ० आर० तथा एस० आर० के अन्तर्गत आने वाले नियमित स्थापना के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) क्या महावत श्रेणी के लिए चयन ग्रेड लागू किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस आशय का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह प्रस्ताव किससे प्राप्त हुआ है तथा उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के वन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत हाथी महावतों की कुल संख्या 102 है। सभी महावत औद्योगिक संस्थान के अन्तर्गत आते हैं, अतः उन पर एफ० आर० और एस० आर० लागू नहीं होते। महावतों की मंगलवार संख्या नीचे दी गई है :—

(1) दक्षिण अन्डमान मण्डल	48
(2) मध्य अन्डमान मंडल	47
(3) उत्तरी अन्डमान मण्डल	7

(ख) जी, नहीं।

(ग) महावतों के लिए चयन ग्रेड सृजित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और जांच करने पर पता चला कि इस प्रयोजन के लिए बनाए गए मानदण्ड के अन्तर्गत इस ग्रेड में चयन ग्रेड का सृजन नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में वन विकास की समस्या

129. **श्री० टी० एस० नेगी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्वतीय क्षेत्रों में गैस, मिट्टी के तेल, सीमेंट, आदि की कमी के कारण इन क्षेत्रों में वन विनाश एक गम्भीर समस्या बन गई है; और

(ख) क्या सरकार वनों को बचाने तथा पर्वतीय लोगों को उपयुक्त वस्तुओं की नियमित और समय पर पूर्ति करने के लिए इन क्षेत्रों में इन वस्तुओं की रियायती मूल्यों पर नियमित बिक्री करने के मामले पर विचार करेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई एक गम्भीर समस्या है। तथापि, गैर, मिट्टी का तेल, सीमेंट आदि की कमी ही केवल इसके लिए उत्तरदायी तत्व नहीं हैं।

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों में इन जिन्सों के नियमित विपणन हेतु व्यवस्था मौजूद है। मिट्टी के तेल और सीमेन्ट के सम्बन्ध में, इन जिन्सों की कमजोर वर्गों को साह्य दरों पर सप्लाई करने के

लिए दोहरी मूल नीति पहले से ही है। नए 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को मार्ग-दर्शी सिद्धांत जारी कर दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उन क्षेत्रों (विशेषतया दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में) को यथोचित रूप से शामिल किया जाये जहां पूर्ण सेवा उपलब्ध नहीं है अथवा सापेक्षतः अंशतः सेवा उपलब्ध है।

लेवी चीनी मूल्य में वृद्धि करने का प्रस्ताव

130. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी निर्माताओं ने चीनी पर उत्पादन शुल्क में अधिक से अधिक छूट देने का सुझाव दिया है जिससे चीनी कारखाने किसानों को गन्ने का संतोषजनक मूल्य दे सकें;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

सूखाग्रस्त राज्यों को केन्द्रीय वन योजना

131. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री के० प्रधानी : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखाग्रस्त राज्यों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को रबी की फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी तथा बिजली की सप्लाई की जा रही है, केन्द्र सरकार ने कृषि, सिंचाई और ऊर्जा मन्त्रालयों के अधिकारियों का एक अन्य दल, इन राज्यों को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या नवम्बर, 1982 में इन राज्यों को भेजे गए केन्द्रीय दल ने केन्द्रीय मन्त्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया है कि उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे सूखाग्रस्त राज्यों को केन्द्रीय राहत किस प्रकार उपलब्ध की जाएगी;

(घ) क्या पश्चिमी बंगाल, गुजरात और कर्नाटक को कोई दूसरा दल भेजा गया; और

(ङ) यदि हां, तो दिसम्बर, 1983 के अन्त तक सूखाग्रस्त राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है और उन्हें वर्ष 1983 में कितनी और सहायता दी जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त केन्द्रीय दल प्रमुख रबी का उत्पादन करने वाले राज्यों—पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु में किसानों को बिजली,

डीजल, नहर जल और अन्य महत्वपूर्ण आदानों की आपूर्ति का संचालन करने के लिए भेजे गए थे। इन दलों ने दौरे के तुरन्त बाद अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उनके निष्कर्षों और सिफारिशों को स्थिति में सुधार करने लाने के लिए संबन्धित राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया था।

(ग) सूखे से प्रभावित राज्यों को राहत अग्रिम योजना सहायता के रूप में उनकी योजना के 5 प्रतिशत तक की सीमा तक दी जाती है। 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक राशि 50 प्रतिशत ऋण और 50 प्रतिशत अनुदान के आधार पर दी जाती है। यह राहत 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में है।

(घ) द्वितीय केन्द्रीय दल केवल पश्चिम बंगाल को सूखे से सम्बन्धित दूसरा ज्ञापन प्राप्त होने पर भेजा गया था।

(ङ) पीने के पानी जैसी कुछ मदों के लिए वित्त वर्ष में निर्धारित बजट से अधिक व्यय की सहायता दी जाती है। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए राज्यों को और किसी प्रकार की सहायता राज्यों से प्रतिपूरक ज्ञापन प्राप्त होने तथा केन्द्रीय दलों के दौरे के बाद निर्धारित की जाएगी।

वर्ष 1982-83 के दौरान स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा तथा 1983-84 में निर्धारित बजट से अधिक व्यय को दर्शाने वाला **विवरण** संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	प्रकोप की किस्म	व्ययय की अधिकतम सीमा 1982-83 के लिए निर्धारित	निर्धारित राशि से अधिक व्यय 1983-84
			लाखो रुपयों में	
1.	आन्ध्र प्रदेश	सूखा (पूर्व मानसून)	6877.00	—
2.	बिहार	सूखा (मानसून के बाद)	2500.63	—
3.	गुजरात	सूखा (मानसून के बाद)	3059.56	262.00
4.	हरियाणा	सूखा (मानसून के बाद)	1182.00	—
5.	हिमाचल प्रदेश	सूखा (मानसून के बाद)	1302.00	—
6.	केरल	सूखा	469,00	—
7.	मध्य प्रदेश	सूखा (पूर्व मानसून)	663.00	—
8.	महाराष्ट्र	सूखा (मानसून के बाद)	4868.00	770.00

1	2	3	4	5
9.	उड़ीसा	सूखा (पूर्व मानसून)	28.40	—
10.	कर्नाटक	सूखा (मानसून के बाद)	विचार किया जा रहा है।	
11.	राजस्थान	सूखा (पूर्व मानसून)	केन्द्रीय दल राज्य का 17 फरवरी, से 22 फरवरी, 1983 तक दौरा कर रहा।	
12.	त्रिपुरा	सूखा (पूर्व मानसून)	91.20	—
13.	पश्चिम बंगाल	सूखा (पूर्व मानसून)	2477.00	—
14.	तमिलनाडु	सूखा (मानसून के बाद)	केन्द्रीय दल राज्य का दौरा जल्दी ही कर रहा है।	
15.	उत्तर प्रदेश	सूखा	—	—
16.	सिक्किम	सूखा	17.23	—

कर्नाटक को सूखे के लिए सहायता

132. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार को नवम्बर, 1982 के अन्त तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई थी; और

(ख) राज्य सरकार ने राज्य को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कितनी धनराशि की मांग की थी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) कर्नाटक सरकारी ने जनवरी, 1982 तक सूखे की की स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए सहायता की मांग नहीं की है। अतः राज्य सरकार के लिए केन्द्रीय सहायंता निर्मुक्त करने का प्रश्न ही नहीं होता।

(ख) राज्य सरकार से 4 फरवरी, 1983 को प्राप्त हुए ज्ञापन के अनुसार, उन्होंने राज्य में सूखा राहत उपाय शुरू करने के लिए 52.45 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मांगी है।

डी० डी० ए० फ्लैट बदलने के लिए आवंटियों का अनुरोध

133. **श्री पियुष टिरकी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यदि पर्याप्त कारणों से अलाटी अपने फ्लेट को बदलने का अनुरोध करें तो दिल्ली विकास प्राधिकरण का उसे बदलने की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) यदि हां, तो यदि कोई परिपत्र जारी किया गया हो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली विकास विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि फ्लैट की बदली के लिए अध्यक्ष (दिल्ली के उपराज्यपाल और उपाध्यक्ष द्वारा गुणावगुण आधार पर अनुमति दी जाती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है ।

विदेशों द्वारा नवें एशियाई खेलों के लिए वित्तीय सहायता

134. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों में नवें एशियाई खेलों के लिए वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है और उन देशों ने कितनी धनराशि दी है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) भारत में एशियाई खेलों के लिए इन्दौर स्टेडियम के निर्माण के लिए कुवैत के अमीर द्वारा दिए गए 12 करोड़ रुपये के नकद अनुदान को छोड़कर किसी भी अन्य देश ने एशियाई खेलों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी है ।

छठी योजना के दौरान "हुडको" परियोजनाएं

135. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान मकानों तथा आवासों के निर्माण के लिए आवास तथा शहरी विकास निगम द्वारा बढ़ाई गई परियोज़नाओं के ब्यौरे क्या हैं; और

(ख) परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है और उससे कौन-कौन से राज्यों को लाभ पहुंचेगा ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जब कभी भी विभिन्न अभिकरणों से हुडको के मार्ग निर्देशनों के अनुसार आवास परियोजनाएं प्राप्त होती हैं तो वह उनके लिए ऋण स्वीकृत करता है । छठी योजना में शामिल 600 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय कार्यक्रम और इस योजना के दौरान 1055 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति कार्यक्रम की तुलना में हुडको ने अभी तक 31-1-83 तक विभिन्न अभिकरणों को 523. 77 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये हैं ।

(ख) हुडको द्वारा विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की छठी योजना अवधि (1980-81 से 1982-83, 31-1-1983 तक) के दौरान स्वीकृत योजनाओं, ऋणों का ब्यौरा **विवरण** में दिया गया है।

विवरण

हुडको द्वारा छठी योजना 31-3-83 तक अर्थात् 1-4-80 से 31-3-83 तक स्वीकृत राज्यवार योजनाएं, ऋण रिहायशी एकक

राज्य	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	ऋण स्वीकृत (करोड़ रुपयों में)	रिहायशी एकक
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	128	39.37	58.03	122770
असम	4	2.72	1.89	832
बिहार	26	24.67	14.11	32846
गुजरात	115	87.93	51.14	119517
हरियाणा	28	22.85	15.85	11629
हिमाचल प्रदेश	19	3.61	2.41	560
जम्मू और कश्मीर	13	6.66	4.75	250
कर्नाटक	128	72.93	37.42	133855
केरल	36	39.42	24.42	70404
मध्य प्रदेश	44	21.62	14.80	15918
मणिपुर	3	3.16	2.09	266
महाराष्ट्र	159	115.37	74.75	51225
नागालैण्ड	1	2.58	1.57	—
उड़ीसा	27	28.68	19.61	36259
पंजाब	68	42.67	28.22	25706
राजस्थान	132	74.84	55.62	57102
तमिलनाडु	91	62.59	41.49	43672

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	65	66.61	48.70	37108
पश्चिम बंगाल	16	19.65	13.16	3242
चण्डीगढ़	12	16.76	10.93	6548
दिल्ली	2	1.22	0.04	696
पाण्डिचेरी	3	7.77	1.24	1012
योग	1133	818.08	523.77	771414

चावल के उत्पादन में गिरावट

136. **श्री अमल दत्त :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में गत खरीफ सीजन के दौरान चावल का उत्पादन कितना कम हुआ है;

(ख) निर्धारित लक्ष्य की तुलना में चावल का उत्पादन कितना कम हुआ है; इसका कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितनी मात्रा खरीदी गई;

(ग) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से चावल की बिक्री के लिए इसकी कितनी मांग की सम्भावना है; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने सोवियत रूस को लगभग 4 लाख टन चावल निर्यात करने के लिए समझौता किया है और इस निर्यात से होने वाली क्षति की पूर्ति चावल का अतिरिक्त स्टाक का आयात करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1981-82 के दौरान 580 लाख मीटरी टन चावल के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 540 लाख मीटरी टन खरीफ के दौरान और 40 मीटरी टन रबी के दौरान । इसकी तुलना में 535.9 लाख मीटरी टन का कुल उत्पादन हुआ था खरीफ के दौरान 496.2 लाख मीटरी टन और रबी मौसम के दौरान 39.7 लाख मीटरी टन ।

(ख) चावल की वसूली के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा रहे हैं । वर्तमान विपणन मौसम 1982-83 के दौरान, 15-2-83 तक 55.05 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) वसूल किया जा चुका है ।

(ग) इस समय 1983 वर्ष के लिए आवश्यकताओं के ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव

नहीं हैं । 1982 के दौरान चावल की औसत मासिक निकासी लगभग 6.2 लाख मीटरी टन हुई थी ।

(घ) वर्तमान निर्यात नीति के अधीन केवल बासमती चावल ही खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०-2) के अधीन आता है । 1983 के लिए भारत-सोवियत रूस व्यापार योजना में पंचांग वर्ष 1983 के दौरान सोवियत रूस को एक से दो लाख मीटरी बासमती चावल का निर्यात करने की व्यवस्था की गई है । तथापि, फिलहाल चावल का आयात करने का कोई इरादा नहीं है ।

स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता

137. **श्री अमल दत्त** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण रेखा सिचाई परियोजना (बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल) को कार्यान्वित करने के लिए विश्व बैंक ने ऋण के रूप में अथवा सहायता के रूप में धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना का और इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (घ) सुवर्ण-रेखा सिंचाई प्रणाली के पहले चरण (1982-1986 के क्रियान्वयन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 9 नवम्बर, 1982 को 116.3 मिलियन एस० डी० आर० (127 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर) के ऋण के लिए एक करार पर हस्तक्षर किए गए थे । वर्तमान अनुमानों के अनुसार, समूची सुवर्णरेखा सिंचाई प्रणाली के पूरा होने में लगभग 11 वर्षों (1982-83 से 1993-93) का समय लगेगा । परियोजना के पहले चरण में, जो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से सम्बद्ध है, निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) निम्नलिखित पर निर्माण कार्य;

(1) चांडिल बांध और बायी नहरें;

(2) गालुडिह बराज और नहरें;

(3) इचा बांध और नहरें;

(4) सरकई नहरें ।

(ख) बिहार में, परियोजना-क्षेत्र में लगभग 21,000 हैक्टेयर के क्षेत्र में लघु वितरण प्रणालियों पर निर्माण कार्य ।

(ग) 1. परियोजना क्षेत्र में बिहार और उड़ीसा में लगभग 250-250 हैक्टेयर के पायलाट सिंचाई क्षेत्रों की व्यवस्था करना;

2. लघु वितरण प्रणालियों के विकास तथा जल प्रबन्ध सम्बन्धी तकनीकी में प्रतिशत के लिए बिहार खानगोल और उड़ीसा में सम्बलपुर में सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

(घ) बिहार में, परियोजना क्षेत्र में जल प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम की व्यस्था करना ।

(ङ) अनुसंधान, अध्ययन, तथा मानीटरिंग और मूल्यांकन ।

यह करार 10 जनवरी, 1983 से लागू हो गया है । 116.3 मिलियन का एस० डी० आर० का अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का ऋण अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सामान्य शर्तों पर दिया गया है ।

(ग) करार में समाविष्ट कार्यक्रम के अनुसार, इस परियोजना का क्रियान्वयन और मानीटरिंग राज्य सरकार द्वारा की जा रही ।

दामोदर घाटी निगम योजना और कांगसावती जलाशय परियोजना का आधुनिकीकरण

138. **श्री अमल दत्त :** क्या **सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम आधुनिकीकरण योजना चरण एक और कांगसावटी परियोजना के आधुनिकीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) पानी का नुकसान कम करने और अतिरिक्त क्षेत्रों में सिंचाई बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा इन योजनाओं के सम्बन्ध में आज तक की गई कार्यवाही और किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अतिरिक्त क्षेत्रों में सिंचाई बढ़ाने, पानी की हानि कम करने के लिए शुरू की जाने वाली आधुनिकीकरण योजनाओं का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दामोदर घाटी परियोजना, चरण एक में वर्तमान नहर प्रणाली के चुने हुए भागों को पक्का किया जाना परिकल्पित है । नहरों को पक्का करके बचाए जाने वाले 49 क्यूमेक्स (527 क्यूमेक्स) जल की मात्रा से पश्चिम बंगाल के वर्दवान, हुगली, हावड़ा तथा बीकुरा जिलों में 36,498 हैक्टेयर (90,150 एकड़) के अतिरिक्त क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई करने के लिए उपयोग किया जाना प्रस्तावित है । 1979 की दरों के आधार पर इस स्कीम की अनुमानित लागत 157,21 लाख रुपये है ।

कांगसावती जलाशय परियोजना के आधुनिकीकरण में अतिरिक्त नियंत्रण संरचनाओं, जैसे पारगामी नियायकों (क्रास रेगुलेटर्स) और मुख्य तथा शाखा नहरों पर निकासों की व्यवस्था करना, मुख्य नहर तथा शाखा नहरों के कुछ भागों को पक्का करना, भूमिगत जल क्षमता के उपयोग के जरिए जल की आपूर्ति में वृद्धि करना तथा जल निकास एवं संचार व्यवस्था में सुधार करना परिकल्पित है ।

इस परियोजना में नहरों को पक्का करके बचाए गए जल से तथा जल का संयुक्त रूप से उपयोग करने हेतु भूमिगत जल को ऊपर उठाकर रबी की फसल की अवधि के दौरान, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा जिलों में 32, 388 हैक्टेयर (80,00 एकड़) के अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई करना प्रस्तावित है। 1979 की दरों के आधार पर, इस परियोजना की अनुमति लागत 2855 लाख रुपये हैं।

(ख) दामोदर घाटी परियोजना, बराज तथा सिंचाई चरण एक, केन्द्रीय जल आयोग में जुलाई, 1979 प्राप्त हुई थी और उन पर टिप्पणियों राज्य सरकार को जनवरी और मार्च, 1980 में भेजी गई थी। राज्य से इन टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अब समग्र प्रणाली के लिए एक व्यापक आधुनिकीकरण स्कीम तैयार करने का निर्णय किया गया है, जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है। इस परियोजना पर कुछ प्रारम्भिक निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं, जिन पर मार्च, 1983 तक 303.57 लाख रुपए का कुल व्यय होने की सम्भावना है।

कांगसावती जलाशय परियोजना के आधुनिकीकरण की स्कीम केन्द्रीय जल आयोग में फरवरी 1979 में प्राप्त हुई थी और उस पर टिप्पणियां राज्य सरकार को दिसम्बर, 1979 में भेजी गई थी। राज्य के इन्जीनियर जनवरी, 1982 मार्च, 1982, जुलाई, 1982 तथा अगस्त, 1982 में केन्द्रीय जल आयोग में आए थे और उन्होंने केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न संबंधित निदेशालयों एवं सिंचाई मंत्रालय के जल प्रबंध डिवीजन के साथ विचार विमर्श किए थे। इन विचार-विमर्शों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा एक संशोधित रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके जून, 1983 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रारम्भिक निर्माण-कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं जिन पर मार्च, 1983 तक लगभग 40.00 लाख रुपये व्यय होने की संभावना है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी जांच और स्वीकृति के लिए प्राप्त हुई आधुनिकीकरण स्कीमों के राज्यवार और स्कीम-वार नाम, अनुमानित लागत तथा लक्षणों को दिखाने वाला विवरण सलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी जांच/स्वीकृति के लिए प्राप्त हुई आधुनिकीकरण स्कीमों का राज्यवार, उनकी अनुमानित लागत अनुमानित लागत तथा लाभों सहित, ब्यौरा ।

क्रम सं०	राज्य	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	अतिरिक्त लागत (हजार हैक्टेयर में)
1.	2	3	4	5
	(क) **वृहत स्कीमें**			
1.	आंध्र प्रदेश	कृष्णा डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण	29171.00	18.00
2.	बिहार	कमला सिंचाई स्कीम का आधुनिकीकरण	1149.00	25.95
3.	-तदेव-	कांची सिंचाई स्कीम का पुनर्रूपण	405.57	16.19
4.	-तदेव-	दुर्गावती नहर प्रणाली का पुनर्रूपण एवं आधुनिकीकरण	1246.00	17.570
5.	-तदेव-	कर्मनासा पुनर्रूपण स्कीम	704.00	उपलब्ध नहीं
6.	-तदेव-	सोन नहर का आधुनिकीकरण	33918.40	433.81
7.	गुजरात	खारीकट नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	547.423	1.00

1	2	3	4	5
8.	-तदेव-	पोलीथाना में सत्रुंजी का आधुनिकीकरण	1343.00	0.20
9.	-तदेव-	फतेहाडी नहर प्रणाली का सुधार और आधुनिकीकरण	1350.65	9.70
10.	-तदेव-	मचूक-1 का आधुनिकीकरण	580.04	2.60
11.	गुजरात	उकईकाकरापार का आधुनिकीकरण	7125.00	52.857
12.	-तदेव-	दन्तीवाडा जलाशय का आधुनिकीकरण	1952.91	4.90
13.	-तदेव-	वादर परियोजना का आधुनिकीकरण	910.91	4.62
14.	कर्णाटक	तुंगभद्रा परियोजना की वर्तमान सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	1877.35	6.00
15.	पंजाब	पंजाब सिंचाई परियोजना, चरण-दो (चेनलों, ब्रांच नहरों, वितरणियों तथा माइनरों को पक्का कराना)	36448.00	483.81
16.	-तदेव-	पंजाब सिंचाई परियोजना चरण-दो (जल-मार्गों को पक्का करना)	88360.00	306.88
17.	राजस्थान	गुणा सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	496.00	4.488
18.	-तदेव-	गलवा सिंचाई परियोजना का आनुनिकीकरण	258.54	0.641
19.	-तदेव-	पारबती नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	584.04	6.995
20.	-तदेव-	मोरेल सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	1000.00	11.23

1	2	3	4	5
21.	-तदेव-	जैसानन्द टैंक का आधुनिकीकरण	625.00	8.35
22.	-तदेव-	गम्भीरी का आधुनिकीकरण	449.82	5.05
23.	तमिलनाडु	पैरियार वैगई प्रणाली का आधुनिकीरण	4600.00	26.00
24.	उत्तर प्रदेश	अपर गंगा नहर आधुनिकीकरण	1167.00	51.40
25.	-तदेव-	घागर नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	786.54	शून्य
36.	पश्चिम बंगाल	मयूराक्षी नहर प्रणाली को पक्का करना	2426.21	55.69
27.	-तदेव-	कांनसावती जलाशय परियोजना का आधुनिकीकरण	2855.00	32.39
28.	-तदेव-	दामोदम घाटी परियोजना, वराज सिंचाई आधुनिकीकरण स्कीम चरण-1, नहरों के चुने हुए भागों को पक्का करना।	1570.00	36.50
	लघु-मध्य स्कीमें			
1.	तमिलनाडु	कोडियार प्रणाली का आधुनिकीकरण	246.00	2.389
2.	राजस्थान	अलिनिया सिंचाई का आधुनिकीकरण	125.78	1.819
3.	बिहार	खुदिया जलाशय स्कीम (आधुनिकीकरण)	296.14	4.65

पश्चिम बंगाल में निर्धारित समय से पीछे चल रही सिंचाई परियोजनाएं

139. **श्री अमल दत्त** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य में अनेक बड़ी और छोटी ऐसी सिंचाई परियोजनाएं हैं जिन.पर काम निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ख) राज्य में प्रत्येक परियोजना का निर्माण पूरा होने के उपरान्त उनमें पैदा होने वाली सम्भावित क्षमता का ब्यौरा क्या है; और प्रत्येक परियोजना के निर्माण कार्य आरम्भ होने की तिथि क्या है और कितना प्रतिशत काम पूरा हुआ है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है; अब तक कितनी राशि व्यय की गई और प्रत्येक परियोजना के पूरा होने की संभावित तिथि क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक **विवरण** संलग्न है, जिसमें प्रत्येक परियोजना से सृजित की जाने वाली क्षमता, निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने की, तारीख पूर्ण हो गए निर्माण-कार्य की प्रतिशतता, अनुमानित व्यय, अब तक किया गया व्यय तथा पूर्ण होने की प्रत्याशित तारीख का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

दिसम्बर, 1982 में कार्यकारी दल के 1983-84 के संबंध में हुए विचार-विमर्श के अनुसार, पश्चिम बंगाल में निर्माणाधीन वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा ।

लाख रुपए/हजार हैक्टेयर

क्रम सं०	परियोजना का नाम	परियोजना के निर्माण कार्य के प्रारम्भ करने की तारीख	अद्यतन अनुमानित लागत	अन्ततः सृजनीय क्षमता	मार्च, 82 तक हुआ व्यय	जून, 82 तक सृजित की गई क्षमता	वित्तीय प्रगति की प्रतिशतता	पूर्ण होने की प्रत्याशित तारीख	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निर्माण धीन वृहद् स्कीम								
1.	मयूराक्षी जलाशय	1946	2046	205.86	1813.15	250.86	88	1984-85	
2.	कांसाबती जलाशय	1961	8981	401.66	7404.83	364.00	82	सातवीं योजना	
3.	दामोदर घाटी निगम की वराज और सिंचाई प्रणाली (नर्माण-कार्यों का विस्तार तथा सुधार)	1948	3000	515.38	2606.97	425.00	87	सातवीं योजना	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	तोस्ता बराज परियोजना सोपान-एक (ख) के पहले चरण का								
	पहला उप-चरण	1975	21372	379.60	10,331.72	—	48	सातवीं योजना	
	कुल वृहद स्कीमें		35399	1547.50	22,156,37	1039.86			
	मध्यम स्कीमें								
1.	हिंगलो	1965	340			309.17	91	छठी योजना के दौरान	
2.	सहारजोर	1961	177			145.93	82		
3.	साली ब्ययवर्तन	1975	200			129.12	65		
4.	साली जलाशय	1975	100			32.19	32		
5.	बारभूम	1974	189.80			136.63	72		
6.	तारोगोनिया	1972	104.58			60.84	58		
7.	परगा	1974	92.71	48.28		58.13	24.81	63	
8.	मोनोटरजोर	1974	112.00			70.74	63		
9.	बाको	1975	160.00			63.00	39		
10.	पटलोई	1975	172.50			112.75	65		
11.	टाटको	1975	180.44			51.73	29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	गोलामवाजसोर	1976	85.00		63.69		75		
13.	लिपनियाशोर	1976	150.00		68.13		45		
14.	तुरगा	1976	192.20		121.41		63		
15.	करवायर	1979	158.52		59.16		37		
16.	दिमु	1978	159.52		103.05		64		
	कुल मध्यम स्कीमें		2574.27	48.28	1585.70	24.81			

उड़ीसा में सिंचित क्षेत्र

140. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में कुल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कृषि विभाग के आर्थिक एवं सांख्यिकी डिवीजन द्वारा वर्ष 1978-79 के लिए संकलित भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में 8.275 मिलियन हैक्टेयर के सकल बुआई क्षेत्र से 1.583 मिलियन हैक्टेयर के सकल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता 19.2 है, जब कि इसकी तुलना में तदनुरूपी अखिल भारतीय औसत 27.5 है ।

(ख) और (ग) इस समय राज्य में सात वृहत और 31 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है । इनके पूर्ण हो जाने पर इससे क्षमता में 1.59 मिलियन हैक्टेयर की वृद्धि हो जाएगी । इसमें से 8.685 मिलियन हैक्टेयर की क्षमता जून, 1982 तक सृजित की जा चुकी है ।

छठी योजना में वृहत और मध्यम सिंचाई से 254,000 हैक्टेयर और लघु सिंचाई से 406,000 हैक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता को सृजित किया जाना परिकल्पित है ।

सूखे की संभावना वाले क्षेत्र

141. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन राज्यों और क्षेत्रों को (राज्यवार और जिलावार) सूखे की संभावना वाले तथा चिर सूखे की संभावना वाले क्षेत्र माना गया है;

(ख) उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जिलों तथा राज्यों के नामों सहित उन खण्डों जिन्हें इस समय सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है, की एक सूची **विवरण-1** पर दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5794/83]

(ख) सूखे का सामना करने के लिए उन्मुक्ति उपाय सृजित करने तथा ऐसे क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को 1970-71 में शुरू किया गया

था। मरुस्थल क्षेत्रों के विकास के लिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम के नाम से 1977-78 से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया था।

(ग) इन दोनों कार्यक्रमों को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में कार्यान्वित किया जाता है तथा इनकी लागत को केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच बराबर-बराबर आधार पर वहन किया जाता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 1974-75 से लेकर दिसम्बर, 1982 के अन्त तक कुल 503 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 31-12-1982 तक 59 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

कार्यक्रम की भौतिक उपलब्धियां **विवरण-2** में दी गई हैं।

भारतीय हाकी टीम का खेल

142. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह अनुभव हुआ है कि एशियाई खेल के हाकी फाईनल मैच में पाकिस्तान के हाथों भारत की करारी हार से पूरे देश को सदमा पहुंचा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके बाद मेलबोर्न के 'एसेन्डा कप' में भारत आस्ट्रेलिया से हार गया; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) भारतीय हाकी टीम (पुरुष) की एशियाड में हाकी फाईनल में अप्रत्याशित रूप से हाकी अन्तर से हार हुई। तथापि, टीम ने रजत पदक जीता और हांग कांग, मलेशिया, बंगला देश, ओमन और जापान को काफी अन्तर से हराया। दिसम्बर, 1982 में मेलबोर्न में आयोजित एसेंडा कप में भी भारत की फाइनल में काफी अन्तर से हार हुई। तथापि, भारतीय टीम ने पाकिस्तान, हालैंड और न्यूजीलैंड को हराया और विश्व की सर्वोत्तम टीमों में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

(ग) सरकार ने पुरुषों की हाकी टीम के प्रदर्शन के सम्बन्ध में भारतीय हाकी संघ से रिपोर्ट मांगी है। संघ से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

अपर इन्द्रावती परियोजना की प्रगति

143. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालाहांडी, उड़ीसा की अपर इन्द्रावती परियोजना के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या 'नहर डिवीजन' के कार्य तथा 'बांध डिवीजन' कार्य की प्रगति संतोषजनक है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जांच की है ताकि ये परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी की जा सकें;

(घ) विभिन्न चरणों पर अब तक इस कार्य पर कितना व्यय किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अपर इन्द्रावती परियोजना उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापुट जिलों में स्थित है और अनिवार्यतः एक जल-विद्युत परियोजना है जिसमें इन्द्रावती (गोदावरी बेसिन) के हटी नदी (महानदी बेसिन) पर विद्युत उत्पादन के लिए जल का बेसिन के उस पार व्यववर्तन करना तथा अन्तिम छोर के जल का सिंचाई के लिए उपयोग करना परिकल्पित है। इस परियोजना में इन्द्रावती नदी और उसकी सहायक नदियों पर चार बांधों, 8 मिट्टी के डाइको, एक जल संचलन प्रणाली, जिसमें शीर्ष-प्रवाह चैनल से बिजली घर के लिए एक सुरंग (टनल) द्वारा जल ले जाना सम्मिलित है, और हटी नदी में डालते हुए अन्तिम छोटे चैनल जिस पर दोनों किनारों से निकलते हुए सिंचई नहरों को पानी देने के लिए एक बराज का निर्माण करना प्रस्तावित है, का निर्माण करना शामिल है।

अवसंरचनात्मक निर्माण कार्य, जैसे परियोजना सड़कें और कालोनी लगभग पूर्ण हो चुके हैं। मुख्य इन्द्रावती बांध पर निर्माण कार्य प्रगति पर है और अन्य तीन बांधों पर प्रारम्भिक खुदाई कार्य आरम्भ किया जा चुका है। बिजली घर और सुरंगों की खुदाई का कार्य प्रारम्भिक अवस्थाओं में है।

(ग) से (ङ) इस परियोजना की प्रगति की मानीटरिंग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जा रही है और 147,38 करोड़ रुपये तथा 275,70 करोड़ रुपये की सिंचाई और विद्युत की अनुमातित बटवारे की लागत की तुलना में मार्च, 1983 तक 29.7 करोड़ रुपये विद्युत घटक पर और 22.28 करोड़ रुपये सिंचाई घटक पर व्यय होने की संभावना है। परियोजना के विद्युत घटक को विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है और विश्व बैंक के साथ बात चीत को अन्तिम रूप दिए जाने पर परियोजना के कार्य में तेजी लाने की संभावना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में भवन-सामग्री की चोरी

144. **श्री रशीद मसूद** :
श्री मनोहर लाल सैनी :
श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण के सीमेंट, आयातित इस्पात तथा अन्य सामग्री के भरे हुए ट्रक कई बार पकड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1981 और 1982 के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला तथा उनमें बरामद हुई सामग्री की मात्रा तथा मूल्य कितना था; और

(ग) इस मामले में तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) तक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राज्यों में शहरी भूमि में मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाया जाना

145. **श्री रशीद मसूद :**

श्री त्रिलोक चन्द :

श्री अमर राय प्रधान : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी भूमि, विशेष रूप से महानगरों में भूमि के मूल्यों में बढ़ोत्तर की प्रवृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकारों को कोई सुझाव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रया क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या सुनिश्चित उपाय किए हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां । शहरी भूमि नीति के तत्व के रूप में तथा भूमि की कीमतों को नियन्त्रित करने के लिए राज्य सरकारों को कई उपाय सुझाये गए हैं ।

(ख) शहरी भूमि की कीमतों में अनुचित वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाये गए हैं :—

(i) सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा विकसित भूमि की आपूर्ति को बढ़ाना ।

(ii) निम्नलिखित के द्वारा अपने आपको आश्रय प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयास के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए :—

(क) सेवाओं से संगठित अत्यधिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए भूमि उप नियमों भू-उपयोग नियन्त्रण का उदार बनाना ।

(ख) भूमि तथा रिहायशी एककों के सरल अन्तरण, उत्तराधिकार तथा बहन को बढ़ावा देने के लिए और भूमि की बिक्री तथा खरीद के उपयुक्त परिचालन के लिए भूमि अवधि की शर्तों, विशेषकर पट्टे, का पुनरीक्षण करना ।

(ग) निर्माण कार्य के लिए विभिन्न संस्थाओं से वित्त की पहुंच में वृद्धि तथा पूर्वनिर्धारित वर्गों पर भूमि का आबंटन ।

(घ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए शीघ्र ही अपेक्षित न होने वाली जिस भूमि पर काफी समय से अनधिवासी बसे हुए हैं दीर्घावधि पट्टे पर अवधि की सुरक्षा दी जाए ।

(ङ) समुदाय स्व सहायता के विकास माध्यम से स्थानीय उद्यमों, विशेषकर गरीबों के उद्यमों, को गतिशील बनाना ।

(च) निर्माण गतिविधियों तथा पुराने मकानों के अनुरक्षण को न्यायसंगत बनाने हेतु अड़चनों को समाप्त करने के लिए किराया नियन्त्रण अधिनियम का पुनरीक्षण ।

(छ) सरकार तथा स्थानीय अभिकरणों तथा संस्थाओं व गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा रखी गई खाली भूमि को अधिक मात्रा में बाजार में लाने के लिए कार्यवाही करना और इस भूमि पर रिहायशी एककों के निर्माण को बढ़ावा देना ।

(ज) इन सुझावों पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है । नगरीय विकास तथा स्थानीय शासन के मन्त्रियों की केन्द्रीय परिषद ने शहरी भूमि की कीमतों में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए इस मन्त्रालय द्वारा प्रस्तावित उपायों का समर्थन करते हुए एक संकल्प पारित किया है । विकासित भूमि और सामर्थ्य योग्य कीमतों पर रिहायशी एककों की अधिक मात्रा में देने के लिए तथा व्यक्तिगत तथा सहकारी आधार पर रिहायशी एककों के निर्माण में अड़चनों को समाप्त करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने हेतु केन्द्रीय परिषद द्वारा केन्द्र तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है । केन्द्रीय परिषद ने यह भी संकल्प किया है कि निजी आवास निर्माण गतिविधि को बढ़ाने के लिए और शहरी भूमि (अधिकतम सीमा विनियमन) अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के लिए वित्तीय तथा सांस्थानिक पहलुओं पर निर्णय लिया जाए ।

(ग) विकाश प्राधिकरणों तथा आवास अभिकरणों के माध्यम से विकासित भूमि अधिक मात्रा में देने तथा आवास निर्माण को बढ़ाने के लिए कार्यवाही की गई है । शहरी भूमि (अधिकतम सीमा विनियमन) अधिनियम, 1976 संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है । शहरी भूमि की सट्टेबाजारी को रोकने के लिए वित्तीय उपाय आरम्भ किए गए हैं । शुरू विषय का 20-सूत्री कार्यक्रम के एक भाग रूप में प्रबोधन किया जा रहा है ।

खाद्यान्न उत्पादन में संभावित कमी

16. **श्री रशीद मसूद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में लम्बे समय तक चलने वाले सूखे, अपर्याप्त और असमय वर्षा एवं बाढ़ों के कारण 1982 में खाद्यान्नों के उत्पादन में कितनी कमी होने का अनुमान है;

(ख) उत्पादन में कमी के कारण खाद्यान्नों की मांग एवं आपूर्ति में कितनी कमी रह जाने का अनुमान है; और

(ग) खाद्यान्नों में उत्पादन में कमी एवं मांग की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) देश के विभिन्न भागों में लम्बे समय तक चलने वाले सूखे, अपर्याप्त और विषय वर्षा के कारण खरीफ 1982 के दौरान् गत वर्ष के स्तर की तुलना में खाद्यान्नों के उत्पादन में इस समय 90 से लेकर 100 लाख मीटरी टन तक की कमी होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि, चालू रवी के दौरान शुरू किए गए जोरदार उत्पादन अभियान के परिणामस्वरूप रिकार्ड उत्पादन होने की सम्भावना है, जिसमें खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई कमी में कटौती होगी।

(ख) और (ग) देश द्वारा अपनायी गयी खाद्य प्रणाली के अंतर्गत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रचालनात्मक आवश्यकताओं तथा कुछ बफर स्टाक सहित आरक्षित खाद्यान्न बनाए रखती है। इस आरक्षित खाद्यान्न में आंतरिक अधिप्राप्ति और आवश्यकता पड़ने पर आयातित खाद्यान्न से वृद्धि की जाती है। बफर स्टाक में वृद्धि करने के लिए, सरकार ने गत कुछ महीनों में लगभग 39.5 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने का करार किया। इसमें से 1982 के अंत तक लगभग 8 लाख मीटरी टन प्राप्त हो चुका है और शेष मात्रा प्राप्त की जा रही है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों को प्रति माह नियमित तौर पर आवंटन कर रही है।

खाद्यान्न का आयात

147. **श्री चन्द्रपाल सैलानी**
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :
श्री नारायण चौबे :
श्री शांतु भाई पटेल : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्नों की कमी है;

(ख) यदि हां तो क्या यह कमी पूरी करने के लिए सरकार अन्य देशों से खाद्यान्न आयात करेगी; और

(ग) किन देशों से कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्न आयात किया जाना है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) बफर स्टाक बनाने के उद्देश्य से और मूल्यों पर दबाव को रोकने के उपाय के रूप में, 1982-83 के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका से कुल 39.50 लाख मी० टन गेहूं का आयात करने का ठेका किया गया है।

डी० डी० ए० द्वारा इन्जीनियरों को स्टाफ क्वार्टरों का आवंटन

148. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि डी० डी० ए० के गत पांच वर्षों के दौरान इन्जीनियरों को स्टाफ क्वार्टर आवंटित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या और ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन्जीनियरों को निम्नलिखित आवंटन किये हैं :—

टाईप-ii-iv	31
टाईप-v	125
टाईप-vi	2
टाईप-vii	2
योग	160

खरीफ की फसल का अनुमान

149. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ की पैदावार में मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 30 प्रतिशत कमी हुई है;

(ख) क्या बड़े बड़े क्षेत्रों में लाखों लोग अकालग्रस्त हैं तथा सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में भूमि में पर्याप्त नमी न होने के कारण रवी की फसल अच्छी होने की आशा नहीं है;

(ग) क्या तीन उत्तरी राज्य जिनमें कुल खरीफ की पैदावार का 20 प्रतिशत भाग पैदा होता है, अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में से है तथा बाकी राज्यों में से है तथा बाकी राज्यों में बाढ़ों, चक्रवात तथा मानसून के देर से पहुंचने के कारण रवी तथा खरीफ की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) क्या खरीफ और रवी की फसलों में कितनी कमी हुई है यह जानने के लिए कोई अनुमान लगाया गया है और क्या दिसम्बर, 1982 तथा जनवरी, 1983 में कम वर्षा के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं। प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ के उत्पादन में 10 से 12.5 प्रतिशत की कमी हो सकती है।

(ख) जी, नहीं। वर्ष, 1982-83 के दौरान अधिकांश राज्यों में रबी की फसल के आसार अच्छे दिखाई देते हैं। तथापि कुछ क्षेत्रों में सूखे अथवा वर्षा की कमी से रबी फसल के आसार कम हुए हैं।

(ग) जी, नहीं। खरीफ के उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत भाग पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होता है। इन राज्यों में से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई की उपलब्धता होने की वजह से अधिक नुकसान नहीं हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में फसलों को बाढ़, तूफान, देरी से मानसून आने की वजह से क्षति हुई है। देश में कुल मिलाकर रबी की फसल की संभावनाएं अच्छी हैं।

(घ) यद्यपि खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई है, तथापि दिसम्बर, 1982 और जनवरी, 1983 में कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा होने के बावजूद रबी का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक होने की सम्भावना है। चालू वर्ष 1982-83 में पिछले वर्ष की तुलना में कुल मिलाकर 50 से 80 लाख मीटरी टन कम होने की संभावना है।

चीनी उद्योग में संकट

150. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री माधवराव सिन्धिया :
श्री तारिक अनवर :
श्री मूलचन्द डागा :
श्री जगदीश टाईटलर : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य की तुलना में राज्य सरकारों द्वारा बहुत अधिक मूल्य पर गन्ना खरीदने के कारण चीनी उद्योग में व्यापक पैमाने पर रुग्णता है :

(ख) क्या चीनी के उत्पादन में तेजी से हुई वृद्धि के लिए गन्ने का अवास्तविक मूल्य जिम्मेदार था; और

(ग) चीनी उद्योग 1981-82 के सीजन में हुई हानि का विवरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने उसे क्या सहायता देने का विचार किया है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) चीनी उद्योग में ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं जिनमें लगातार कई वर्षों से क्षमता का कम उपयोग,

प्रबन्ध सम्बन्धी अध्यक्ष आदि जैसे कारणों से रुग्णता आई है। अतः फैक्ट्रियों द्वारा दिए गए गन्ने के अधिक मूल्य के कारण अनिवार्यरूप से रुग्णता नहीं आ सकती है।

(ख) गन्ने के लिए दिए गए अधिक मूल्य के कारण गन्ने के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और इसके फलस्वरूप चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है। केन्द्रीय सरकार केवल गन्ने का नयूनतम मूल्य निर्धारित करती है। तथापि, यह मालूम हुआ है कि बहुत सी फैक्ट्रियां सम्बन्धित राज्य सरकारों की सलाह पर गन्ने का अपेक्षाकृत अधिक मूल्य दे रही हैं।

(ग) जैसाकि ऊपर बताया गया गया है, केन्द्रीय सरकार केवल गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती हैं और यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ने का निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य देने के कारण कोई हानि होती है तो केन्द्रीय सरकार चीनी फैक्ट्रियों को सहायता करने की स्थिति में नहीं होगी। तथापि 1981-82 के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने पहली अगस्त, 1982 से 30 नवम्बर, 1982 तक की अवधि के लिए खुली बिक्री की चीनी पर उत्पादन शुल्क को मूल्यानुसार 15.9 प्रतिशत से घटाकर 11.25 प्रतिशत करके बफर स्टाक बनाकर, खुली बिक्री की चीनी निर्मुक्तियों को नियंत्रित करके तथा बेहतर ऋण सुविधाएं दिलाकर और बैंकों के पास बंधक रखे चीनी के स्टाक के बारे में मार्जिन-राशि में कमी करके उद्योग की सहायता की है।

एच० पी० एस० मूंगफलियों के निर्यात हेतु 'नाफेड' द्वारा तैयार किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त

151. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नाफेड' ने उत्पादकों की सहायता हेतु एच० पी० एस० मूंगफलियों के निर्यात के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का प्रारूप तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कहां तक यह किसानों के लिए लाभदायक है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय के निर्यात अनुदेशों के अनुसार, लाईसेंस वर्ष 1983 के दौरान निजी व्यापारियों को एच० पी० एस० मूंगफली के निर्यात में नाफेड के सहयोगी निर्यातकों के रूप में अनुमति दी गई थी। नाफेड ने निजी व्यापार को शामिल करने की प्रक्रिया का ब्यौरा देते हुए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हैं। मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ साथ निजी पार्टियों/सहकारी समितियों के पंजीकरण, मात्रा का आवंटन, मरम्मत भाड़ा, नौ-परिवहन अनुसूची का ब्यौरा दे दिया गया है।

मार्गदर्शी सिद्धांत निजी व्यापारियों की जानकारी के लिए थे और इनका किसानों से एच० पी० एस० मूंगफली की खरीद करने से विशेष सम्बन्ध नहीं है।

एशियाड परियोजनाओं पर व्यय

152. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान :

श्री राम प्रसाद अहिरवार :

श्री मोती भाई आर० चौधरी :

श्री रामावतार शास्त्री :

श्री भीम सिंह :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **खेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवें एशियाड की प्रत्येक परियोजना अर्थात्, इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम तथा वेलोड्रम, नेहरू स्टेडियम, एशियाई खेल ग्राम, तालकटोरा तरुण ताल के निर्माण में भूमि, श्रम, सामग्री और अन्य शीर्षों के अन्तर्गत तथा अम्बेदकर स्टेडियम, शिवाजी छत्रसाल, राष्ट्रीय हरबख्श, तालकटोरा (इनडोर) तथा हाल आफ स्टेट्स, शूटिंग रेंज, दिल्ली विश्वविद्यालय आर्मस फ़ील्ड, हौज खास स्टेडियमों तथा आखाड़ों के सुधार तथा नवीकरण पर अलग अलग तथा कुल मिलाकर कितना व्यय हुआ; और

(ख) प्रत्येक व्यय में विदेशी मुद्रा का अंश कितना था ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) संबंधित विभिन्न एजेंसियों से सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है, जिसकी अभी प्रतीक्षा है ।

यमुना नदी घाटी में हथनी नहर बराज

153. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी पर हथनी नहर बराज के निर्माण पर हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के बीच विवादों पर सिफारिशें करने के लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति नियुक्त की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विद्यमान ताजेवाला वीयर के स्थान पर प्रस्तावित हथनीकुंड बराज के लिए अभिकल्प प्राचलों (पेरामीटरों) का सुझाव देने के लिए सिंचाई मंत्रालय द्वारा, फरवरी, 1982 में एक उच्चाधिकार प्राप्त तकनीकी समिति स्थापित की गई थी । यह उच्चाधिकार प्राप्त तकनीकी समिति निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करके गठित की गई थी । :—

(1) श्री ई० सी० सल्दाना,
भूतपूर्व सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग तथा
भूतपूर्व सचिव, सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार ...अध्यक्ष

(2) श्री एस० पी० सेन,
प्रमुख इन्जीनियर एवं पदेन सचिव,
सिंचाई और जलमार्ग विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार ...सदस्य

(3) डा० एस० वी० चिताले,
भूतपूर्व संयुक्त निदेशक,
केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला ...सदस्य

(4) श्री सिंहेश्वर प्रसाद,
सेवा-निवृत्त प्रमुख इन्जीनियर एवं ...सदस्य
विशेष सचिव (सिंचाई)
बिहार ...सदस्य

(ख) तकनीकी समिति ने हाल में, जनवरी, 1983 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अभिकल्प सम्बन्धी पहलुओं के बारे में कई सिफारिशें की हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राज्य सरकारों के ध्यानों में ला दिया गया है।

महत्वपूर्ण सिफारिशें ये हैं :—

(1) जल-मार्ग के लिए अभिकल्पित निस्सरण		20,000 क्यूमेक्स (7 लाख क्यूसेक)
(2) बराज	उमड़-मार्ग	10 बे
	वाम अधो-जलमार्ग (अन्डर स्लूसिज)	3 बे
	दक्षिण अधो-जलमार्ग (अन्डर स्लूसिज)	5 बे
	कुल :	18 बे
(3) उच्चतम स्तर		
उमड़-मार्ग के लिए		330.0 मीटर
अधो-जलमार्गों (अन्डर स्लूसिज) के लिए		329.0 मीटर
(4) स्थल (लोकेशन)		बांए पीलपाए को 2 बे दायीं ओर खिसकाया गया।

समस्या वाले गांवों में पेय जल की व्यवस्था

154. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान देश के सभी 2.31 लाख गांवों, जिनमें

पानी की समस्या का होना पाया गया है, में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ख) क्या इसके लिए किसी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल पूर्ति करना नये 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पांचवी योजना (1974-79) के 429.27 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में छठी योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए इस परिव्यय को 2007.11 करोड़ रुपये तक पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है। पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं तथा कार्योन्वित की जाती हैं। इस कार्यक्रम के लिए निधियों का एक बड़ा अंश राज्य क्षेत्र में भी दिया जाता है। तथापि केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत, पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों का पेय जल मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संसाधनों की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। पेय जल पूर्ति सुविधा मुहैया कराए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या जोकि 1980-81 में 25,978 थी। वह 1981-82 में बढ़कर 29,837 तक हो गई है। यह आशा की जाती है कि वर्ष 1982-83 के दौरान 42,000 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल मुहैया कर दिया जाएगा। नई दिल्ली में 19-1-1983 को राज्य मन्त्रियों एवं अधिकारियों के साथ हुए सम्मेलन में यह संकल्प किया गया कि सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन छठी योजना का शेष अवधि के दौरान सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को कम से कम पेय जल का एक स्रोत मुहैया करने के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन को तेज करने के कदम उठाए।

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्यय को 1980-81 में 100 करोड़ रुपए से 1981-82 में 110 करोड़ रुपए तथा 1982-83 में 151.50 करोड़ तक उत्तरोत्तर बढ़ा दिया गया है।

देश में आवास की कमी

155. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आवास सम्बन्धी कमी का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आवास की कितनी कमी है और उसे पूरा करने हेतु कितनी निधि की जरूरत है;

(ग) उक्त निधि का प्रबन्ध करने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे; और

(घ) क्या आवास कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को भी शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) तक भारत के महापंजीकार द्वारा 1971 में की गई जनगणना तथा 1981 के लिए प्रक्षेपणों के आधार पर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने देश में आवास की कमी का अनुमान निम्न प्रकार से 213 लाख रिहायशी एकक लगाया है :—

(i) ग्रामीण क्षेत्र	165 लाख
(ii) शहरी क्षेत्र	48 लाख

'आवास' राज्य का विषय है। योजना नियतनों के भीतर राज्य सरकारों को निधियां "समेकित ऋण" तथा "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती हैं। राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के लिए उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का नियतन करने के लिए स्वतन्त्र हैं। छठी योजना (1980-85) में आवास के लिए 1490.87 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है। जीवन बीमा निगम। सामान्य बीमा निगम के ऋण, जो योजना निधि का एक भाग है, और राज्य सरकारों को सामाजिक आवास योजना के लिए उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 1983 के दौरान वाणिज्यक बैंकों द्वारा आवास के लिए 150.00 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। छठी योजनावधि के दौरान आवास तथा नगर विकास निगम का भी आवास के लिए 600.00 करोड़ रुपए व्यय करने का विचार है।

(ख) निजी क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को सरकार द्वारा मान्यता दी गई है और योजना प्रलेखों में इसका उल्लेख किया गया है। सरकार ने निजी आवास पर एक कार्यकारी दल का भी गठन किया है जिसने निजी क्षेत्र में आवास गतिविधियों को प्रेषित करने के लिए भूमि कानूनी मामलों, वित्तीय तथा सांस्थानिक उपायों से सम्बन्धित कतिपय सिफारिशों पर कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी गई हैं।

बिहार और पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न का आवंटन और सप्लाई

156. **श्री ए० के० राय** : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री निम्नलिखित दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के अन्तिम तीन महीनों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकारों द्वारा खाद्यान्न सम्बन्धी की गई मांग का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि में इन दोनों राज्यों को खाद्यान्न की वास्तविक रूप से कितनी-कितनी सप्लाई की गई;

(ग) क्या इस सामान्य कोटे से अधिक मात्रा में कोई अनाज उपलब्ध कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) एक **विवरण** संलग्न है जिसमें अक्तूबर, 1982 से, दिसम्बर, 1982 तक पश्चिमी बंगाल और बिहार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मांगी गई खाद्यान्नों की मात्रा और केन्द्रीय पूल से वास्तव में किए गए आवंटन और निकासी का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(ग) और (घ) पश्चिमी बंगाल और बिहार के राज्यों में सूखे की स्थिति के संदर्भ में बिहार के मामले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के मासिक आवंटन को नवम्बर, 1982 से 20,000 मीटरी टन तक बढ़ा दिया गया था और पश्चिमी बंगाल के मामाले में इसमें 5000 मीटरी टन तक वृद्धि कर दी गई थी। इनमें से प्रत्येक राज्य को पंजाब और हरियाणा के खुले बाजार से 15,000 मीटरी टनें लेवी मुक्त चावल की खरीदारी करने को भी अनुमति प्रदान की गई थी। इसके आलावा, पश्चिमी बंगाल और बिहार की सरकारों को राहत कार्यों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने वाली योजना के अधीन दिसम्बर, 1982 के महीनों के लिए क्रमशः 3,850 मीटरी टन और 460, टन गेहूं आवंटित किया गया था।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

पश्चिमी बंगाल और बिहार की केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल की मांग और उनको किए गए आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

	मांग				आवंटन				उठान			
		गेहूं				गेहूं				गेहूं		
	चावल	सा० वि० प्र०	से० फ० म०	जोड़	चावल	सा० वि० प्र०	रो० फ्० मि०	जोड़	चावल	सा० वि० प्र०	रो० फ्० म०	जोड़
1982												
	पश्चिमी बंगाल											
अक्तू०	200.0	120.1	55.0	375.0	150.0	60.0	35.0	245.0	134.5	75.4	24.9	234.8
नव०	200.0	120.0	55.0	375.0	120.0	*95.0	35.0	250.0	107.0	91.1	37.7	235.8
दिस०	200.0	145.0	55.0	400.0	120.0	*95.0	35.0	250.0	107.1	90.4	34.2	231.7
	बिहार											
अक्तू०	50.0	100.0	33.0	183.0	20.0	25.0	15.77	60.77	17.6	32.5	19.4	69.5
नव०	50.0	100.0	33.0	183.0	15.0	x50.0	15.77	80.77	11.9	45.9	12.1	69.9
दिस०	50.0	100.0	33.0	183.0	15.0	x50.0	15.77	80.77	9.5	47.5	18.5	76.5

*राज्य में सूखे की स्थिति के सदर्भ में 5,000 मीटरी टन की आवंटित मात्रा शामिल है।

xराज्य में सूखे की स्थिति के कारण 20,000 मीटरी टन की मात्रा शामिल है।

सा० वि० प्र०=सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

रो० फ्० झि०=रोलर फ्लोर मिलें।

खाद्यान्नों की वसूली एवं आयात

157. **श्री ए० के० राय** : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 तथा 1982 में खाद्यान्नों की कितनी वसूली हुई तथा क्या वसूली की दर गिर रही है;

(ख) विगत 2 वर्षों में खाद्यान्नों की कितनी मात्रा में आयात किया गया है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ग) लोगों को खाद्यान्नों की निर्बाध आपूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कितना रक्षित भंडार होना वांछित है;

(ख) क्या वास्तविक भंडार तथा वांछित भंडार/अधिकतम आवश्यक भंडार के बीच अंतर है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1980-81 की फसल से कुल 123.1 लाख मी० टन खाद्यान्नों की वसूली की गई थी जब कि 1981-82 की फसल से 152.1 लाख मी० टन खाद्यान्नों की वसूली हुई थी अर्थात वसूली में वृद्धि हुई थी। वसूली का यह स्तर सबसे अधिक था। इसने 1978-79 की फसल से वसूल किए गए 144.6 लाख मी० टन के अतीत के रिकार्ड को भी पार कर दिया था 1982-83 की वर्तमान फसल से, 15-2-1983 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, 56.5 लाख मी० टन खरीफ के अनाजों की वसूली की जा चुकी थी जबकि पिछले वर्ष इसी तारीख तक 57.5 लाख मी० टन की वसूली की गई थी।

(ख) 1981-82 के दौरान, भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 15.15 लाख मी० टन गेहूं आस्ट्रेलिया से 7.50 लाख मी० टन गेहूं आयात करने का ठेका किया था। इन आयातों पर लगभग 2799 लाख यू० एस० डालर और 1214 लाख आस्ट्रेलियन डालर की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी थी। भारत सरकार ने 1982-83 के दौरान कुल 6547.78 लाख यू० एस० डालर के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य पर संयुक्त राज्य अमेरिका से 39.50 लाख मी० टन गेहूं आयातीत करने का ठेका किया है।

(ग) सरकार की नीति के अनुसार वर्ष की विभिन्न तारीखों को 35 से 88 लाख मी० टन के बीच के रैंज में परिचालन स्टाक के अलावा 12 लाख मी० टन खाद्यान्नों का बफर स्टाक रखना अपेक्षित है।

(घ) और (ङ) सरकारी एजेंसियों के पास 1-1-1983 तक लगभग 127 लाख मी० टन

खाद्यान्नों का कुल स्टाक था जब कि पिछले वर्ष उसी तारीख तक 1.15 मी० टन का स्टाक था। क्योंकि स्टाक का वर्तमान स्तर अपेक्षित स्तर से कम है, इसलिए वसूली में वृद्धि कर, केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की निर्मुक्तियों को विनियमित कर और यथा-व्यवहार्य आयात कर स्टाक तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सूखा और बाढ़ों के कारण फसल को हुई क्षति का मूल्यांकन

158. **श्री एस० के० राय :**

श्री अमर राय प्रधान :

श्री शांतुभाई पटेल :

श्री तारिक अनवर :

श्री चित्त बसु :

श्री नारायण चौबे :

श्री चिन्तामणि जैना :

श्री जैनुल बशर :

श्रीमती जयंती पटनायक : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सनकार ने वर्ष 1981 तथा 1982 में सूखे तथा बाढ़ के कारण फसलों को हुई क्षति का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो सम्पूर्ण देश के संबंध में ब्यौरे क्या हैं और राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) पूर्वोत्तर राज्य पिछले 2 वर्षों से लगातार सूखे और बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान उत्तरी राज्यों में ओलावृष्टि के कारण कुल लगभग 20 लाख मीटरी टन गेहूं की क्षति होने का अनुमान लागाया गया। राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	लाख/मीटरी टनों में अनुमानित क्षति
पंजाब	6-7
हरियाणा	4
उत्तर प्रदेश	7-8

खरीफ, 1982

खरीफ मौसम के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन करीब 80 से 100 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कम है। राज्यों से खरीब उत्पान के आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं।

(ग) तथा (घ) जी नहीं। इस वर्ष उत्तर और मध्य भारत के कुछ भाग बाढ़ और सूखे से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित हुए थे। इन राज्यों में हर वर्ष बाढ़ आने का कारण हिमालयसे निकलने वाली वे नदियां हैं, जो पूर्वी राज्यों में बहती हैं। हिमालय की नदियों में पानी बसन्त और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ और महान हिमालय पर्वतमाला के ग्लेशियर के पिघलने तथा मानसून के दौरान वर्षा से आता है, जिससे पूर्वी राज्यों में बाढ़ आती है। सूखा मानसून के न आने से पड़ता है।

किए गए उपाय

गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने में अत्यधिक बाढ़ की समस्या को देखते हुए मास्टर प्लान तैयार करने और पूर्वी राज्यों को विभिन्न बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों तथा उनकी गतिविधियों को समन्वित करने के लिए अलग से गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन किया गया है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार ने बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने हेतु ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के अनुसरण में ब्रह्मपुत्र बोर्ड भी स्थापित किया है। केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल और असम में बाढ़ से अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में राज्य सरकारों की सहायतार्थ आवश्यक बाढ़ अंचल उपाय करने के लिए सर्वेक्षण करने के उपाय शुरू किए हैं। सूखे की स्थिति से बचने के लिए सिचाई सुविधाओं का विस्तार करने, सूखे से प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, बरानी खेती, बाढ़ नियंत्रण उपाय जैसे कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

एशियाई खेलों में भाग लेने वालों पर हुआ व्यय

157. **श्री भीम सिंह :**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों में कुल कितने भारतीय तथा विदेशी खिलाड़ियों ने भाग लिया;

(ख) इन खिलाड़ियों के साथ कितने और किन-किन श्रेणियों के अन्य व्यक्ति आए थे; और

(ग) इन व्यक्तियों के लिए व्यवस्था करने पर विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) 1982 के नवें एशियाई खेलों 406 भारतीय तथा 3005 विदेशी खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन खिलाड़ियों के साथ 13 के 1184 अन्य व्यक्ति आये।

(ग) भाग लेने वालों के भोजन के सम्बन्ध में किए गए 1.25 करोड़ रुपये के खर्चे के मुकाबले में उनसे 1.18 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई। आवास और गृह व्यवस्था के खर्चे के बिलों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था पर लगभग 60 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

नुमथार में बागमती नदी पर बांध

158. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई** मंत्री बागमती नदी पर बांध के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 222 दिनांक 18 अक्तूबर, 1982 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागमती बृहत योजना का सम्बन्ध लाल बकाया, सखन्डी, खिरोई तथा ढोंस बागमती सहित सारी बागमती (अधवाड़ा समूह) नदियों से है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या महा महिम नेपाल सरकार के साथ भारतीय बृहत योजना और नेपाली बहु-प्रयोजनीय भण्डारण बांध पर बातचीत हो गई है और इन दोनों को नुमथार बहु-प्रयोजनीय बांध के अन्तर्गत लाने के लिए एक संसद् सदस्य द्वारा दिये गए सुझाव पर विचार कर लिया गया है और उस बारे में क्या किया गया है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) बाढ़ नियंत्रण की बागमती व्यापक (मास्टर) योजना में बागमती नदी के वाम तथा दक्षिण किनारों पर बागमती और लाल बकैया के दोआब पर तटबन्ध मीनापुरधार से बागमती के पुराने तल तक सम्पर्क चनल, बल्वाधार के साथ, वाम तथा दक्षिण तटबन्ध, लाखनदेई और बल्वा चैनल के दोनों किनारों के साथ तटबन्ध तथा कालझर घाट, मनुसमारा तथा अन्य नियंत्रण संरचनाओं पर बाढ़-रोधी जलमार्गों का निर्माण जिनमें हयाघाट के नीचे बागमती के साथ वर्तमान तटबन्ध को ऊपर उठाना और उसे सुदृढ़ करना सम्मिलित है। तथापि, इस व्यापक योजना में अधवारा एव धोंस के बीच नदियां शामिल नहीं हैं, जिनके लिए बिहार सरकार द्वारा अलग से योजना तैयार की जाएगी क्योंकि ये बागमती बेसिन से बाहर स्थित हैं।

(ग) हालांकि, इस विषय पर आगे विचार-विमर्श करने के लिए नेपाल की महामहिम सरकार से अनुरोध किया गया है, परन्तु फरवरी, 1982 के पश्चात् सरकारी स्तर पर अभी तक कोई बातचीत नहीं की जा सकी है।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास

161. **श्री लक्ष्मण वर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आवास सुविधा प्रदान

करने की कोई योजना बना रही है ताकि दूरस्थ वनों में काम कर रहे कर्मचारियों को यह सुविधा मिल सके ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : ग्रामीण। जंगलात के क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सामान्य पूलवास निर्माण करने के लिए इस समय मन्त्रालय में कोई योजना नहीं है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भैंस की परियोजना की भैंसों को दिए जा रहे चारे की मात्रा

162. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भैंस परियोजना की भैंसों को वर्ष 1979 से 1980 तक प्रति केन्द्र पर प्रति वर्ष कितना हरा चारा, सूखा चारा एवं कन्सन्टेट्स खिलाये गए तथा प्रत्येक का औसत प्रति क्विंटल मूल्य क्या था; और

(ख) वर्ष 1979-80 में प्रत्येक केन्द्र पर प्रति वर्ष कितना दूध बेचा गया तथा उनके दूध का मूल्य क्या था और लिंगवार भैंसों की बिक्री से कितना राजस्व प्राप्त हुआ तथा अन्य राजस्व वसूलियां क्या थीं ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) भैंस प्रजनन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रयोजना पांच केन्द्रों यानी हरियाणा पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक तथा गुजरात में यानी (i) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (ii) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (iii) उदयपुर विश्वविद्यालय, वल्लभनगर (iv) कृषि विज्ञान केन्द्र, धारवाड़ तथा (v) गुजरात कृषि विश्व विद्यालय, आनन्द में क्रमशः चल रही है। करनाल तथा आनन्द को छोड़कर 1979-80 से बाद वाले वर्षों में भैंसों को हरे चारे, तथा सूखे चारे तथा दाना युक्त आहार की केन्द्र वार तथा वर्षवार कुल मात्रा **विवरण** 1 संलग्न में दी गई है। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में यूनिट का बजट संस्थान के गैर योजना बजट से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यह प्रयोजना संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों का समाकलित भाग है तथा कोई अलग से आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। आगे चूंकि आनन्द केन्द्र में प्रजनक पशु नहीं रखे जाते बल्कि पुनरोत्पादन अध्ययन के लिए कुछ संख्या में परीक्षण वाले पशुओं को रखा जाता है, इसलिए प्रजनन वाले पशुओं के समूह से संबंधित आंकड़े का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

चूंकि हरे चारे, सूखे चारे और दानों के प्रति टन औसत मूल्य से सम्बन्धित सूचना मौजूदा समग में केवल धारवाड़ केन्द्र का उपलब्ध है और उसे **विवरण दो** में दिया गया है। लुधियाना और वल्लभनगर के अन्य केन्द्रों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) लुधियाना, वल्लभनगर और धारवाड़ के सम्बन्ध में 1979-80 तथा बाद के वर्षों में केन्द्रवार और वर्षवार बेचे गए दूध और उससे प्राप्त आय का **विवरण तीन** (संलग्न) में दिया गया है अनुसंधान संस्थान. करनाल की यूनिट संस्थान के अनुसंधान क्रियाकलापों का एक अभिन्न अंग है इसलिए इसका अलग से लेखा (हिसाब) नहीं रखा गया गया है। फिर चूंकि आनन्द केन्द्र प्रजनक पशुओं को नहीं रखा जाता इसलिए इस तरह के आंकड़े दिए नहीं जा सकते। लिंगवार (नर और मादा) भैंसों की बिक्री से प्राप्त आय और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे बाद में सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण-एक

भैंसों को खिलाए गए हरे चारे तथा सूखे चारे और दाना युक्त आहार की कुल मात्रा

(टन में)

	लुधियाना			उदयपुर			धारवाड़		
	79-80	80-81	81-82	79-80	80-81	81-82	79-80	80-81	81-82
हरा चारा	3787	6965	4315	1203.5	1203.3	1203.4	1453	3522	1778
सूखा चारा									
दानायुक्त	715	350	561	756.3	888.1	651.8	756	922	610
आहार	396	360	1092	292.0	370.8	236.9	404	371	343

विवरण दो

हरे चारे, सूखे चारे तथा दानायुक्त आहार का औसत मूल्य प्रति टन (रु० में)

	धारवाड़		
	70-80	80-81	81-82
*हरा चारा	65	57.2	67
सूखा चारा	175	254.5	320
दानायुक्त आहार	1000	1190.0	1344.0

*केन्द्र में खेती लागत

विवरण-तीन

बेचा गया दूध तथा प्राप्त आय

	लुधियाना			उदयपुर			धारवाड़		
	79-80	80-81	81-82	79-80	80-81	81-82	79-80	80-81	81-82
बेचा गया दूध (क्विंटल)	3557.9	3882.3	3403	1034.5	1357.7	9484	1821.6	1395	1468
बेचे गए दूध से प्राप्त आय (रु० लाख में)	4.98	5.43	6.12	243	2.72	2.60	3.64	2.92	3.67

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भैंस परियोजनाएं

163. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) लुधियाना और धारवाड़ केन्द्रों पर क्रमशः 382 और 379 भैंस रखने किन्तु उदयपुर और करनाल केन्द्रों पर केवल 310 और 311 भैंसें रखने के क्या कारण हैं जबकि 4 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न सं० 96 के भाग (घ) के उत्तर में उनकी संभावित संख्या केवल 250-300 बताई गई थी;

(ख) क्या इस अधिक व्यय का लेखा तैयार कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) 1979-80 से वर्षवार लुधियाना और धारवाड़ केन्द्रों पर मादा भैंसों की करनाल में प्रौढ़ भैंसों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं और क्या ऐसा होना अपरिहार्य था; और

(ङ) 1979-80 से केन्द्र-वार कितने प्रतिशत भैंसें वर्ष-बार दूध देती रहीं, और कितनी उम्र तक भैंस को कटिया कहा जाता है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) भैंस प्रजनन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रयोजना (1) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (2) पंजाब कृषि विश्व विद्यालय, लुधियाना (3) उदयपुर विश्वविद्यालय, वल्लभनगर उदयपुर (4) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ (कर्नाटक) तथा (5) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय आनन्द में क्रमशः चालू हैं। प्रयोजना का मुख्य उद्देश्य भैंसों को उनकी सन्तति कार्य के आधार पर चयन के माध्यम से प्रमुख भैंस-नस्लों में सुधार करना तथा पोषण, पुर्नउत्पादन, स्वास्थ्य तथा प्रबन्ध पर आनुषंगिक अध्ययन करना है।

प्रायोजना के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम समूह की संख्या 250-300 प्रजनक भैंसों के बची है। तथापि, आनुषंगिक अध्ययन पर कार्य को चलाने के लिए अतिरिक्त भैंसों का रख रखाव किया जाना है तथा इनकी संख्या किस्म तथा किए जा रहे परीक्षणों की संख्या पर निर्भर होगी। यही कारण हैं कि लुधियाना तथा धारबाड़ केन्द्रों में प्रौढ़ भैंसों की संख्या 382 तथा 379 है; उदयपुर तथा करनाल केन्द्रों में 310 तथा 311 है। आगे कार्यक्रम के अनुसार मूल्यांकन के अन्तर्गत सभी कटियों को फार्म पर अपने पहले दूध काल के समय पूरी अवधि तक रखा जाता है क्योंकि ऐसी प्रजनन योग्य कटियों की निर्धारित संख्या को बिना ध्यान में रखे दूध काल के दौरान फार्म पर अवश्य रखा जाना चाहिए।

(ख) तथा (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) लुधियाना तथा धारवाड़ केन्द्रों में 1979-80 से भैंसों की संख्या तथा करनाल में प्रौढ़ मादाओं में कमी नहीं हुई है तथापि, वर्षानुवर्ष संख्या में भिन्नता थी जो कि सामान्य है तथा पुनर्उत्पादन की दर, छटाई की दर तथा केन्द्र में किए जा रहे अन्य अपेक्षित परीक्षणों पर निर्भर करती है।

(ङ) सन 1979 से केन्द्रवार दूध देने वाली प्रौढ़ मादाओं का प्रतिशत निम्नलिखित है :

दूध देने वाली भैंसों का अनुपात

केन्द्र	1979-80	1980-81	1981-82
लुधियाना	58	56	62
करनाल	68	59	69
उदयपुर	47	55	40
धारवाड़	47	46	47

आनन्द केन्द्र में चूंकि कार्यक्रम पुर्नउत्पादन पर अध्ययन के कार्यक्रम सम्बन्धित है, इसलिए यहां पर परीक्षण के लिए कुछ पशुओं को रखा गया है न कि प्रजनन के लिए। इस प्रकार दूध देने वाली भैंसों के प्रतिशत के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं दिए जा सकते। मादा भैंस एक बार ब्याने के बाद प्रौढ़ में गिनी जाती है तथा जिन पशुओं ने अभी तक बच्चा नहीं दिए हैं उन्हें युवा पशु में गिना जाता है।

मिल मालिकों की ओर गन्ने की बकाया राशियां

164. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री जगपाल सिंह :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री तारिक अनवर : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में किसानों का गन्ने का कितना पैसा 31 दिसम्बर, 1882 तक सरकारी तथा गैर-सरकारी चीनी मिलों की ओर अलग अलग बकाया था;

(ख) उक्त राशि की अदायगी न किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में किसानों को देय राशियों पर कितना ब्याज अदा किया गया; और

(घ) किसानों की राशियों की समय पर अदायगी सुनिश्चित कराने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला **विवरण एक** तथा **विवरण दो** सलग्न हैं।

(ख) मुख्य-मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) 1981-82 मौसम के दौरान गन्ने का असामान्य रूप से भारी उत्पादन;

(2) गन्ने के ऊंचे मूल्य;

(3) गैर-लेवी की चीनी बिक्री से कम प्राप्तियां; और

(4) बैंक ऋण की सीमित उपलब्धता।

(ग) विभिन्न राज्यों में किसानों के गन्ने के मूल्य के अविलम्बित भुगतान पर ब्याज के विवरण केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जिनके पास आवश्यक शक्तियां हैं और ब्याज का भुगतान करवाने के बारे में सांविधिक व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए फील्ड संगठन हैं।

(घ) फैक्ट्रियों को अधिक बैंक ऋण उपलब्ध किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार गन्ने के मूल्य के बकायों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा भी करती रहती है और जहां कहीं आवश्यक होता वहां राज्य सरकारों की बकायों को शीघ्र भुगतान करने के लिए उपयुक्त निदेश भी जारी करती है।

विवरण-एक

सरकारी, सहकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में (1) 1982-83 और (2) 1981-82 और पहले के मौसम के लिए 31-12-82 को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि को बताने वाला विवरण

मौसम	31-12-1982 को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि करोड़ रुपयों में			
	सरकारी क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र	प्राइवेट क्षेत्र	जोड़
(1) 1982-83 में खरीदे गए गन्ने के लिए	11.08	57.98	56.98	126.04

	1	2	2	3	4
(2)	1981-82 और पहले के मौसमों में खरीदे गए गन्ने के लिए	13.18	12.13	23-98	49.59

विवरण-दो

1982-83 मौसम में 31 दिसम्बर, 1982 तक खरीदे गए गन्ने के बारे में गन्ने के देय मूल्य, दिए गए मूल्य और शेष बकायों और पिछले मौसमों के 31-12-1982 को गन्ने के मूल्य के बकायों की राज्यवार स्थिति बताने वाला विवरण ।

(आंकडे लाख रुपयों में)

राज्य	1982-83 मौसम के दौरान 31-12-82 तक खरीदे गए गन्ने का कुल देय मूल्य	31-12-82 तक दिए गए गन्ने का मूल्य	31-12-82 को देय गन्ने का शेष मूल्य	31-12-82 को अथवा उपलब्ध अद्यतन तारीख को पिछले मौसमों के गन्ने के मूल्य की बकाया राशि	
				1981-82 मौसम	1980-81 और पहले के मौसमों का
1. पश्चिम उत्तर प्रदेश	2315.02	907.16	1407.86	767.43	54.00
2. मध्य उत्तर प्रदेश	2709.43	1075.23	1624.20	1092.93	171.49
3. पूर्वी उत्तर प्रदेश	1441.89	290.30	1151.59	916.72	41.59
4. जोड़ उत्तर प्रदेश	6466.34	2272.69	4193.65	2777.08	267.08
5. बिहार	1043.63	61.12	982.51	736.50	31.96
6. पश्चिम बंगाल	65.25	20.24	45.01	1.49	2.18
7. असम	6.19	—	6.19	0.08	0.34

1	2		3	4	5
8. पंजाब	580.17	142.38	437.79	7.95	—
9. हरियाणा	462.47	60.74	401.73	2.30	1.00
10. राजस्थान	20.62	—	30.62	2.69	0.70
11. मध्य प्रदेश	84.43	—	84.43	0.68	25.56
12. उड़ीसा	92.68	27.69	64.99	—	0.28
13. महाराष्ट्र	13060.42	9954.91	3105.51	166.55	184.72
14. गुजरात	1541.06	1164.07	376.99	87.04	0.11
15. कर्नाटक	3675.08	230.50	1367.58	241.20	19.67
16. केरल	192.83	171.15	21.68	0.72	43.00
17. आन्ध्र प्रदेश	1569.05	843.87	725.18	267.30	34.14
18. तमिलनाडु	2031.62	1317.91	713.71	7.40	4.35
19. पांडिचेरी	58.00	30.11	27.89	0.07	0.95
20. नागालैण्ड	—	—	—	13.70	—
21. गोआ	40.10	21.54	18.56	—	—
अखिल भारत	30999.94	18395.92	12604.02	4312.75	616.04
			40%		

नोट : (1) इसमें उन 14 फैक्ट्रियों की सूचना शामिल नहीं हैं जिन्होंने 1982-83 मौसम के आंकड़े नहीं दिए ।

(2) 23 फैक्ट्रियों की सूचना 31-12-82 को उपलब्ध नहीं थी और अद्यतन तारीख की जो सूचना उपलब्ध थी उसे यहां लिया गया है ।

खेलों के विकास के लिए राज्यों को अनुदान

165. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खेलों के विकास के लिए राज्यों को अनुदान दे रही है; और

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को खेलों के विकास के लिए खेल विभाग गठित करने को कहा है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय खेल परिषद के इस सुझाव को कि राज्य सरकारों को शारीरिक शिक्षा सहित खेलों के लिए अलग विभाग बनाने चाहिए, कुछ समय पहले राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया था ।

खेलों के लिए सुविधायें

166. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :**
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :
श्री आनन्द पाठक :
डा० कृपालसिंघु भोई : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में हुए एशियाई खेलों का देश में खेलों के संवर्धन पर पड़े प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या देश में खेलों के लिए और अधिक सुविधायें मुहैया कराने और विभिन्न प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों का स्तर बढ़ाने के लिए कोई योजनायें तैयार की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यद्यपि इस विषय पर ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है, फिर भी यह तो स्पष्ट है कि नौवें एशियाई खेलों ने देश में काफी खेल जागरुकता पैदा की है ।

(ख) और (ग) पहले से चल रही योजनाओं का उद्देश्य राज्य सरकारों के सहयोग से देश में सामान्यतः खेलों का स्तर बढ़ाने के लिए अधिक और बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है । जल रही योजनाओं का विवरण उल्लेख किया गया है ।

विवरण

1. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के कार्यकलाप ।

2. राष्ट्रीय खेल संघों को (1) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीमों की तैयारी के लिए प्रशिक्षण शिविरों; (2) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीमों के लिए यात्रा खर्च; (3) सीनियर, जूनियर और उप जूनियर के लिए राष्ट्रीय चेम्पियनशिपों के आयोजन इत्यादि के लिए अनुदान ।

3. ग्रामीण खेल केन्द्रों की स्थापना करने, वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, खेल के मैदानों का विकास करने, गैर खर्चीले स्वरूप के खेल उपस्कर खरीदने, स्टेडियमों, तरणताल इत्यादि का निर्माण करने के लिए राज्य खेल परिषदों/राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

4. खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियों (प्रति वर्ष 400 राष्ट्रीय और 800 राज्य स्तर की छात्रवृत्तियां) की योजना के माध्यम से युवावस्था में खेल प्रतिभाओं का पता लगाने में राज्यों की सहायता करना ।

5. राष्ट्रीय खेल संगठन के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्व-विद्यालय संघ के माध्यम से कालेजों और विश्वविद्यालयों में खेलों के विकास के लिए खेल के मैदानों के विकास, व्यायाम शालाओं के निर्माण और प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता शिविर आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता ।

6. राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना और निचले स्तरों पर ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना ।

7. प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला खेल समारोह, आयोजित करना और केन्द्र सरकार की सहायता से निचले स्तरों पर ऐसे ही समारोह आयोजित करना ।

8. लोगों में शारीरिक स्वस्थता और स्वास्थ्य चेतना पैदा करने के लिए राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम आयोजित करना ।

9. अर्जुन पुरस्कार ।

10. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि ।

11. द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा, खेल टीमों/विशेषज्ञों का आदान-प्रदान ।

चावल विकास निगम/बोर्ड

167. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोई चावल विकास निगम अथवा चावल विकास बोर्ड कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त संस्थान के पदाधिकारियों के नाम, पद और पते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में संस्थान की मुख्य उपलब्धियां प्रति वर्ष क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

आवास के लिए राज्यों को और अधिक धन राशि दिया जाना

168. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्यों को आवास के लिए और अधिक धनराशि देने का आश्वासन दिया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) 1980, 1981, 1982 और चालू वर्ष 1983 के दौरान प्रत्येक राज्य को (राज सहायता और ऋण के रूप में पृथक-पृथक कितनी धनराशि आवंटित की गई और भुगतान की गई तथा 1-1-79 तक और कब से कितनी संचित धनराशि का नियतन किया गया और कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सम्बन्धित सरकारों से उपयोग में लाए जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या जनवरी, 1983 में किसी समय स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए हुई केन्द्रीय परिषद की 20वीं बैठक के समय दिए गए अपने विदाई भाषण में और अखिल भारतीय मैयर परिषद की केन्द्रीय परिषद् और कार्यकारिणी समिति की 9वीं संयुक्त बैठक में उन्होंने किन्हीं निर्णयों की घोषणा की थी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) स्थानीय शासन तथा नगरीय विकास मन्त्रियों को केन्द्रीय परिषद् की हाल ही में हुई 20वीं बैठक के दौरान, अपने समापन्न भाषण में निर्माण और आवास मन्त्री ने कहा कि आवास तथा मलिन बस्ती सुधारार्थ परिव्ययों को बढ़ाने के प्रयास जारी रहेंगे। क्योंकि आवास राज्य का विषय है, आवास हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा धन नहीं दिया जाता है सिवाय बागान कर्मचारियों की सहायता प्राप्त आवास योजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के। तथापि, आवास तथा नगर विकास नगम, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम वाणिज्यिक बैंक धन देते हैं। वाणिज्यिक बैंकों ने आवास के लिए अपने नियतनों को बढ़ा दिया है। आवास तथा नगर विकास के लिए अतिरिक्त धन मुहैया करने के लिए उपाय किए गए हैं। आवास हेतु जीवन बीमा निगम। सामान्य बीमा निगम से अतिरिक्त धन के नियतन के प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्रीय क्षेत्र योजना को बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना छः राज्यों में चालू हैं। इस योजना के अन्तर्गत बागान श्रमिकों के आवास हेतु राज्य सरकारों के माध्यम से नियोक्ताओं को ऋण तथा सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत नियतन किए गए धन के ब्यौरे अनुलग्नक-में हैं। बागान श्रमिक योजना के अन्तर्गत दी गई निधियों के बारे में समय पर राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाते हैं।

विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य नाम	1980-81			1981-82			1982-83		
	ऋण	सहायता	योग	ऋण	सहायता	योग	ऋण	सहायता	योग
1. असम	75.00	30.00	105.00	36.00	10.00	46.00	20.00	10.00	30.00
2. पश्चिम बंगाल	40.00	25.00	65.00	80.00	60.00	140.00	45.00	25.00	70.00
3. त्रिपुरा	1.00	—	1.00	शून्य	शून्य	शून्य	—	1.00	1.00
4. कर्नाटक	—	—	—	2.00	—	2.00	5.00	4.00	9.00
5. केरल	3.00	5.00	8.00	शून्य	शून्य	शून्य	5.00	7.00	12.00
6. तमिल नाडु	1.00	—	1.00	7.00	5.00	12.00	8.00	6.00	14.00

मेट्टूर जलाशय का सूख जाना

169. **श्री के० टी० कोसलराम :**

श्री ईरा अनबारासु : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने बरसात न होने के कारण मेट्टूर जलाशय के सूख जाने की सूचना केन्द्रीय सरकार को दी है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक के मुख्य मंत्री का तमिलनाडु को कावेरी नदी के जल की सप्लाई करने से इनकार किए जाने पर ध्यान दिया है; और

(ग) तमिलनाडु के अनाज के भंडार "धन्जावूर" को शुष्क क्षेत्र बनने से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश में महत्वपूर्ण जलाशयों की जलसंचयन संबधी स्थिति की मानीटरिंग करने के लिए प्राप्त की गई सूचना से यह बात ध्यान में आई है कि कावेरी बेसिन में कम वर्षापात होने के कारण 1982 के दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी मानसूनों के दौरान मैट्टूर जलाशय में जल के अन्तर्वाह सामान्य से कम रहे थे। तमिलनाडु सरकार ने भी जलाशय में जल-संचयन की कम उपलब्धता के बारे में सूचित किया है।

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से अनुरोध प्राप्त होने पर, स्थितियों के दौरान मैट्टूर जलाशय के कमान क्षेत्र में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्नाटक में जलाशयों से संचित जल को छोड़ने के लिए कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया गया था। कर्नाटक सरकार ने कुरुवाई धान की फसल को बचाने के लिए जुलाई, 1982 के दौरान 12 टी० एम० सी० जल और सितम्बर, 1982 में 5 टी० एम० सी० जल तथा अक्तूबर, 1982 में 5 टी० एम० सी० और अधिक जल कुरुवाई फसल के पकाने में सहायता देने के लिए और साम्बा फसल प्रतिरोपित करने में सहायता करने के लिए छोड़ा था। कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि सितम्बर, अक्तूबर के दौरान छोड़े गए जल के कारण कर्नाटक में हमारी फसल उगाने के लिए हानि हुई थी। इसके बावजूद, तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर सहायता देने के लिए जल की कुछ अतिरिक्त मात्रा को छोड़ने के लिए कर्नाटक सरकार से पुनः अनुरोध किया है।

(ग) कावेरी जल के बटवारे की समस्या के लिए एक आपसी संतोषजनक हल ढूंढने के लिए, 1970 से समय-समय पर सरकारी स्तरों पर तथा तमिलनाडु कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी के मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों के स्तरों पर भी अनेक बैठकें आयोजित की गई हैं। इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, अगस्त, 1976 में एक समझौता हुआ था, तथापि उसकी अभिपुष्टि नहीं की जा सकी थी। राज्यों के परस्पर विरोधी विचारों को समाप्त करने तथा कोई सौहार्दपूर्ण हल निकालने के उद्देश्य से बाद में मुख्य मंत्रियों के स्तर पर और आगे बैठकें की गई थीं और एक और बैठक शीघ्र ही आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

तमिलनाडु सरकार से भी इस्टतम लाभों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान कावेरी डेल्टा

सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण करने तथा भूतल और भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग के लिए एक एकीकृत स्कीम तैयार करने का अनुच्छेद किया गया हैं।

नकली कीट-नाशक दवाओं के प्रति राज्यों की शिकायतें

170. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

डा० ए० यू० आजमी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में नकली कीट-नाशक दवाओं के संबंध में हुई शिकायतों की जानकारी है;

(ख) किस-किस प्रकार की कीट-नाशक दवाओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और किन-किन राज्यों में उन्हें इस्तेमाल किया गया; और

(ग) उन्हें रोकने के सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए;

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अधिकांश कृमिनाशियां, जिनके संबंध में घटिया होने की रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं, सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली कीटनाशी और फफूंदीनाशियों की श्रेणी में आती हैं। वर्ष 1981-82 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, नागालैण्ड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यों और दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में जो कृमिनाशी घटिया पाए गए, वे डी० डी० टी०, बी० एच० सी०, मैलाथियोन, कारबारायल, डायजिनन, मेथाइल पैराथियोन, आरगनो मरक्यूरियल्स और एल्ड्रिन थे। गुण नियंत्रण व्यवस्थाओं से सम्बन्धित्त रिपोर्ट देने के लिए गठित किए गए क्षेत्रीय सर्वेक्षण दलों ने डी० डी० टी०, बी० एच० सी०, एल्ड्रिन, जिनेब, मेन्कोजेब, फास्फामिडोन, सी० ओ० सी०, मैलाथियोन, फोरेट, पैराथियान, लिन्डने, कारबाराइल-डी० डी० वी० पी०, सल्फर एल्ड्रिन, इन्डोसल्फान, डामिथोट, फेनीट्रोथियोन, एम० ई० एम० सी०, और सिफाजिनोन को घटिया कृमिनाशी पाया।

(ग) सरकार ने घटिया (नकली) कृमिनाशियों की बिक्री/प्रयोग की रोकथाम के लिए अनेक कदम उठाए हैं, अर्थात्—

1. राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे कृमिनाशी विश्लेषणों के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं को सुदृढ़ करें।

2. राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे कार्यशील प्रवर्तन तंत्र को अधिक प्रभावी बनाएं।

3. केन्द्र सरकार ने उन राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ष 1200 नमूनों के विश्लेषण की क्षमता निर्धारित की है, जिनमें प्रयोगशालाएं विद्यमान नहीं हैं। पूरी तरह कार्य नहीं कर रही हैं।

4. राज्य कर्मचारियों विशेषकर कीटनाशक निरीक्षकों के लाभ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में कृमिनाशियों के नमूने और विश्लेषण के लिए प्रशिक्षण देना भी शामिल है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन पश्चिम बंगाल सरकार को आवंटित धनराशि/खाद्यान्न

171. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान सूखे की विकट स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी धनराशि और कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया है; और

(ख) इसी अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कितनी धनराशि और कितने खाद्यान्त की मांग की थी ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) राष्ट्रीण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एक सामान्य योजना कार्यक्रम होने के कारण इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को संसाधन एक फार्मूला के आधार पर वितरित किए जाते हैं जिसके अन्तर्गत कृषि श्रमिकों की संख्या को 75 प्रतिशत तथा निर्धनता।

पश्चिम बंगाल के गांवों को पानी सप्लाई सम्बन्धी सुविधाएं

172. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अधीन ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अनुसार अप्रैल, 1982 को पश्चिम बंगाल के कितने गांवों को पानी की सप्लाई की जानी थी।

(ख) 1982-83 के दौरान कितने गांवों को यह सुविधा प्राप्त हो सकेगी; और

(ग) इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार की कितनी राशि प्रदान की है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस मन्त्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार 1-4-1982 को उस राज्य में पता लगाए गए 23221 समस्याग्रस्त ग्राम थे जिनको अभी पेय जलपूर्ति की जानी है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार 2,918 पता लगाए गए समस्या-ग्रस्त ग्रामों/को 1982-83 के दौरान लाभान्वित किए जाने की सम्भावना है।

(ग) पेय जयपूर्ति राज्य का विषय है तथा इस कार्यक्रम के लिए राज्य बजट में प्रावधान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल पूर्ति की व्यवस्था

करने में राज्य सरकार के प्रयासों की सहायता करने के लिए केन्द्र त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान देता है। भारत सरकार ने छठी योजना अवधि में पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित निधियां उपलब्ध कराई : —

वर्ष	दी गई राशि (लाख रुपये में)	
	निर्माण कार्य	आरोहण तथा अन्वेषण एकक
1980-81	448.50	—
1981-82	571.30	9.66
1982-83	887.50	6.00

नोट एम० एण्ड आई० =माउंटिंग एण्ड इन्वेस्टीगेटिंग यूनिट्स (तथा अन्वेषण एकक)

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को स्वीकृति धनराशि

173. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि (राज्यवार आंकड़े) स्वीकृत की गई;

(ख) इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में इन राज्यों में कितनी धनराशि का उपयोग किया;

(ग) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम परियोजनाओं के लिए इन राज्यों से प्रत्येक में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी धनराशि ऋण स्वीकृत किया गया; और

(घ) इन राज्यों में से प्रत्येक में बैंक में कितनी परियोजना अभी तक लम्बित पड़ी हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क), (ख) व (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को बंटित निधियों, उपयोग में लाई गई निधियों तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित आवधिक ऋण को दर्शाने वाला एक **विवरण** संलग्न है (अनुबन्ध-1) [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5795/83] भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई ऋण सहायता के बारे में अलग से कोई सूचना संकलित नहीं की जाती।

(घ) उपलब्ध आंकड़ों को दर्शाने वाला **विवरण** संलग्न है (अनुबन्ध-2)। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी 5795/83] तथापि, इस स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है।

दिल्ली, गुजरात तथा देश के अन्य भागों में भूमि तथा मकानों की दरें

174. **श्री उत्तम भाई पटेल** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली, गुजरात और देश के अन्य भागों में भूमि तथा मकानों की वर्तमान दरें क्या हैं तथा 1 जनवरी, 1982 में 31 दिसम्बर की अवधि में ये दरें क्या थीं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : नगर विकास राज्य का विषय है। इसलिए भूमि की वर्तमान दरें सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होंगी। दिल्ली से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और संभा पटल पर रख दी जाएगी।

नए बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनों को अलाट किए गए मकानों के स्थान और फ्लैट

175. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न अधिकारियों ने नए बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसार गुजरात और दिल्ली में 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 के दौरान हरिजनों, अल्प संख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों का कई मकान (मकानों के स्थान) मकान, फ्लैट आदि दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1983 और 1984 के दौरान उपयुक्त एलाटमेन्ट के लिए क्या कार्यक्रम हैं;

(घ) 1982 के लिए क्या लक्ष्य था;

(ङ) क्या यह सच है कि इस मामले में अफसरशाही नए बीस सूत्री कार्यक्रम को लाभान्वित करने में रुचि नहीं ले रही हैं;

(च) यदि हां, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) उपर्युक्त अवधि में केन्द्र द्वारा घोषित की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों ने जुलाई, 1982 में 2,206 आवास स्थल आवंटित किए हैं।

(ग) 1983-84 के दौरान 2,000 आवास स्थल आवंटित करने का प्रस्ताव है।

(घ) आरम्भ में 1982-83 के लिए 2282 आवास स्थल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) केन्द्र ने 1982 के दौरान कोई आवास योजना घोषित नहीं की है।

नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात में हरिजनों को आवंटित मकान स्थल और फ्लैट

176. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा हरिजनों, अल्प संख्यकों समुदाय और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान बड़ी संख्या में मकान स्थल, मकान फ्लैट आदि दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1983 और 1984 के दौरान उपरोक्त आवंटन के लिए क्या कार्यक्रम है;

(घ) वर्ष 1982 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या था;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इस मामले में अफसरशाही नए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु ध्यान से काम नहीं कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) उपर्युक्त अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा घोषित विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) 20-सूत्री कार्यक्रम का सूत्र संख्या 9 हरिजनों, अल्पसंख्यक समुदाय तथा कमजोर वर्ग के लोगों के साथ-साथ ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल एवम् निर्माण सहायता से सम्बन्धित है। इस कार्यक्रम में लगभग 100 वर्ग गज के आवास स्थलों के आवंटन और उन पर रिहायशी एककों के निर्माण के लिए सहायता पर विचार किया गया है। गुजरात सरकार पहले से ही इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है और 1982-83 के लिए लक्ष्य 75000 आवास स्थलों का आवंटन तथा 60,000 परिवारों को निर्माण सहायता देना है। राज्य सरकार द्वारा 1983-84 के लिए कार्यक्रम अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

(ङ) तथा (च) गुजरात में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन सन्तोषजनक है।

(छ) आवास राज्य का विषय है और ऐसी योजनायें राज्य सरकार द्वारा बनाई तथा निष्पादित की जानी हैं। केन्द्रीय सरकार ने 1982 के दौरान इस प्रकार की कोई योजना नहीं चलाई है।

भारतीय महिलाओं के बारे में टिप्पणियां

177. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों ने उन भारतीय महिलाओं के कतिपय निन्दाजनक टिप्पणियां की थी जिन्होंने भारत में नवें एशियाई खेलों को सफल बनाने में अपनी उत्कृष्ट सेवायें दी थी; और

(ख) यदि हां, तो वे टिप्पणियां क्या हैं तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) इस प्रकार की कोई विशिष्ट टिप्पणी सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है। यदि की गई होती, तो इस प्रकार की टिप्पणी को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समझा जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति और स्वच्छता दशक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

178. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति और स्वच्छता दशक कार्यक्रम के निर्दिष्ट लक्ष्य क्या हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के रास्ते में किस प्रकार की बाधाएं पायी गई हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान शहरी जल आपूर्ति और मल-व्ययन योजनाओं तथा पता किए गए समस्याग्रस्त गांवों से सबन्ध योजनाओं को दी गई तुलनात्मक प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारत में दशक के लिए अनुशासित लक्ष्य हैं :—

1. **नगरीय जलपूर्ति** : मार्च, 1991 तक शत प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित की जानी है।

2. **ग्रामीण जलपूर्ति** : मार्च, 1991 तक शत प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित की जानी है।

3. **नगरीय मल निर्यास तथा स्वच्छता** : श्रेणी-1 नगरों के बारे में 100 प्र० श० तथा श्रेणी-2 तथा अन्य कस्बों के बारे 50 प्र० श० जनसंख्या लाभान्वित की जानी

है। मार्च, 1991 तक मल निर्यास अथवा इसकी सामान्य स्वच्छता पद्धतियों के जरिए प्रत्येक राज्य में नगरीय जनसंख्या का 80 प्र० श० तक सम्पूर्ण लाभान्वित होना चाहिए।

4. **ग्रामीण स्वच्छता** : मार्च, 1991 तक सफाई शौचालयों से जनसंख्या का 25 प्र० श० लाभान्वित किया जाना है।

(ख) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पेय जलपूर्ति तथा स्वच्छता दशक अप्रैल, 1981 में आरम्भ किया गया था, अतः कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली अड़चनों को विकृत रूप में पहचान लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं गुजरा है। तथापि, कतिपय समस्यास्याएं पहले ही जान ली गई हैं जोकि सीमित वित्तीय संसाधनों, प्रशिक्षित मानवशक्ति की अपर्याप्ता तथा कुछ निर्माण सामग्रियों की कमी से सम्बन्धित हैं। लागत की वसूली के पहलुओं तथा प्रदत्त सुविधाओं के अपेक्षा- कृत अधिक योग्य संचालन तथा अनुरक्षण पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक के कार्यक्रम छठी तथा इसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं के अंग के रूप में होंगे। छठी योजना में, उच्च प्राथमिकता लगाए गए समस्या-ग्रस्त ग्रामों की योजनाओं को दी गई हैं जिसके लिए योजनावधि में परिव्यय 2,00,711 करोड़ रुपये है। छठी योजना में नगरीय जलपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए परिव्यय 1753,56 करोड़ रुपये है।

एशियाई परियोजनाओं पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय की गई राशि

179. **श्री त्रिलोक चन्द्र :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पास उपलब्ध राशि में से "एशियाड" से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) उपरोक्त भाग (क) के परिणामस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास सम्बन्धी गतिविधि और अन्य गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित व्यय से आवास तथा अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

गांवों के लिए पेय जल सुविधाएं दिए जाने के सम्बन्ध में 1982 में हुई उपलब्धियां

180. **श्री त्रिलोक चन्द्र :**

श्री दौलत राम सारण : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों को पेय जल सुविधाएं दिए जाने के सम्बन्ध में, 1982 में (आज तक) लक्ष्य की तुलना में, यदि कोई है, तो क्या उपलब्धियां हुई हैं;

(ख) लक्ष्य में कमी के, यदि कोई है तो, क्या कारण हैं; और

(ग) समस्या वाले कितने गांवों को 1982 और 1983 के दौरान पेय जल सुविधायें देने का प्रस्ताव है और किस प्रकार लक्ष्य को प्राप्त किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) निधियों का नियतन किया जाता है और अप्रैल से मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्षों के सन्दर्भ में उपलब्धियों का प्रबोधन किया जाता है। तदनुसार योजना आयोग द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1982-83 (अप्रैल 82 से मार्च, 83 तक) के दौरान अप्रैल से दिसम्बर, 1982 तक की अवधि में देश में कुल 24,049 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल की सुविधायें दी गई थीं। वर्ष 1982-83 के लिए वर्तमान लक्ष्य लगभग 42,000 समस्याग्रस्त ग्राम को लाभान्वित करने का है। उपलब्धि में यदि कोई कमी है तो उसका पता 31-3-1983 की स्थिति के अनुसार की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही चल सकेगा।

(ग) 1982-83 के लक्ष्य को इस प्रश्न के पहले भाग में बताया गया है। त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता द्वारा राज्य क्षेत्र में बढ़ायी गई उपलब्ध निधियों के भीतर कार्यक्रम को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट प्रावधान को 1981-82 में 11 करोड़ रुपये से 1982-83 में 151.50 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है ताकि राज्य सरकारों को वर्ष 1982-83 के लिए उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में सहामता मिल सके। वर्ष 1983-84 के लिए लक्ष्य को अगले वर्ष के दौरान निर्धारित किया जाएगा।

रबी की फसल सम्बन्धी संशोधित लक्ष्य

181. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखे और बाढ़ के कारण खरीफ की फसल को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने रबी की फसल के लिए खाद्यान्न उत्पादन का 620 लाख टन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या हाल में हुई अन्तर मन्त्रालय बैठक के बाद लक्ष्य को संशोधित किया गया है;

(ग) क्या संशोधित लक्ष्यों में गेहूं का 420 लाख टन, बालों का 100 लाख टन और तिलहनों का 56.4 लाख टन उत्पादन करना निर्धारित किया गया है;

(घ) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई जाएगी;

(ङ) रवी के लक्ष्यों की कितनी पूर्ति हो जाएगी; और

(च) क्या यह सच है कि यदि रवी की फसल के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए तो काफी हद तक खाद्य समस्या हल हो जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जो हां। खरीफ के उत्पादन में हुई हानि को पूरा करने के लिए रवी खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य में संशोधन कर के उसे बढ़ा कर 62 मी० टन निर्धारित किया गया है।

(ग) महत्वपूर्ण फसलों के संशोधित रवी लक्ष्य निम्न है :—

फसल	उत्पादन के संशोधित लक्ष्य
1. गेहूं	420 लाख मी० टन
2. दलहन	100 लाख मी० टन
3. तिलहन	58.4 लाख मी० टन

(ख) बढ़े हुए रवी उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों की निम्नलिखित नीति अपनाने की सलाह दी गई थी :—

1. रवी की फसलों के लिए बीजों, उर्वरकों, ऋण इत्यादि की समय पर आपूर्ति;

2. गेहूं, सरसों, चना और अन्य रवी फसलों की समय पर बुआई;

3. नहरों और नलकूपों के द्वारा सिंचाई जल की समुचित उपलब्धता को सुनिश्चितता; और

4. उचित समय पर पर्याप्त वनस्पति संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान।

रवी अभियान को कार्य रूप देने के लिए उपर्युक्त नीति विभिन्न राज्यों की प्रचारित चैक लिस्ट में विस्तार से बताई गई है।

(ङ) और (च) चढ़ाए गए लक्ष्य खाद्य समस्या को हल करने निर्धारित किए गए हैं। फिर भी इस वर्ष रवी के उत्पादन के यथार्थ स्तर का अनुमान लगाना अभी समयोचित नहीं है।

खेलों को स्कूल स्तर तक अनिवार्य विषय बनाया जाना

182. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **खेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि कम से कम स्कूल स्तर तक खेलों को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई नीति निर्धारित की गई है और राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) राज्य खेल मंत्रियों, राज्य खेल परिषदों के अध्यक्षों और अखिल भारतीय खेल परिषद के अध्यक्ष-सदस्यों को नवम्बर, 1974 में हुई बैठक में हुई सहमति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद की, नीति के रूप में, स्कूल स्तर पर अनिवार्य बनाने की सम्भावना पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने की सलाह दी ।

स्कूलों में खेल की अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है ।

बम्बई में गन्दी बस्तियों के साफ करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की योजना

183. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने शहरी विकास परियोजना के अन्तर्गत बम्बई शहर में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए एक योजना पेश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परियोजना के लिए आर्थिक सहायता मंजूर की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) तक मलिन क्षेत्रों के पर्यावरणीय सुधार के लिए योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राज्य क्षेत्रों में चलायी जाती है । राज्य सरकार ने बम्बई में नगरीय विकास के लिए एक परियोजना तैयार की जिसमें मलिन बस्तियों के लगभग एक लाख परिवारों का उन्नयन करने का प्रस्ताव है । यह परियोजना विश्व बैंक से सहायतार्थ विचाराधीन है ।

ठेकेदारों तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा निर्मित एशियाई खेल सम्बन्धी परियोजनाएं

184. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) ठेकेदारों तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में नवें एशियाई खेलों की कौन-कौन सी परियोजनाओं का परिवीक्षण किया, निर्माण किया और उन्हें तैयार किया;

(ख) एशियाई-खेलों के उपयोग के लिए नियत समय पर पूरी हो गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजनाओं के पूरा न होने अथवा उन्हें अधूरा छोड़ देने के लिए ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी;

खतरनाक कीट नाशक

185. **श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कीट नाशकों केखतरे से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कीटनाशकों जो कि बहुत जहरीले या खतरनाक सिद्ध हुए हैं और जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खतरनाक बताया है उनके उत्पादन तथा वितरण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार कर रही है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अन्तर्गत गठित की गई पंजीकरण समिति यह सुनिश्चित करती है कि देश में आयात अथवा विनिर्माण के लिए सुरक्षित और प्रभावोत्पादन कीटनाशियों को ही पंजीकृत किया जाता है । कीटनाशियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण समिति द्वारा किए गए कुछ उपाय नीचे दिये गए हैं :—

(1) 18 अधिक खतरनाक कीटनाशियों को पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकरण के लिए स्वीकृति नहीं दी गई है ।

(2) उच्च विषाक्तता के कारण एशिन और इथाइल पराथियन को भी देश में अलग कर दिया गया है ।

(3) दो कीटनाशियां अर्थात टोक्साफीन डी० बी० सी० पी०, यद्यपि मूलतः पंजीकृत है, फिर भी देश में आयात के लिए भी स्वीकृत नहीं की गई है ।

(4) हाल ही में निट्रोफीन के प्रतिकूल प्रभाव के कारण इसका विनिर्माण स्वेच्छा से बन्द कर दिया गया है ।

भारत में उपयोग के लिए 118 पंजीकृत क्रिमनाशियों में से 7 का संबंध कृमिनाशियो के अत्यन्त खतरनाक वर्ग से हैं, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्गीकृत किया

गया है। इनका प्रयोग कुछ विशिष्ट और सीमित शर्तों के अन्तर्गत किया जाता है। ये कीटनाशियां (क) अल्डीकार्व (ख) केल्शियम साइनाइड (ग) मेघाइल पराथियन (घ) फोरेट (ङ) क्लोरोफेनबेनफास (च) फोसफामीडोन और (छ) फीनाइल मरकरी एसीटेट, हैं।

वातावरण, मानव स्वास्थ्य और परिस्थिति की पद्धति में अधिक जोखिम को रोकने के लिए पंजीकरण समिति ने एक समिति गठित करने का निर्णय किया ताकि सुरक्षित स्थानापन्न का पता लगाने और उन रसायनों, जिन्हें इस चरण पर निकाला जा सकता है, के पंजीकरण को रद्द करने के लिए कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों में उपयोग किए जा रहे विशिष्ट कृमिनाशियों की समीक्षा की जा सके।

1981-82 के दौरान मध्य प्रदेश स्वीकृत की गई सिंचाई परियोजनाएं

186. **श्री एन० के० पुजवलकर : सिंचाई**, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए कौन-कौन सी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई और उनमें से प्रत्येक के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया;

(ख) क्या सरकार मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर नलकूप से सिंचाई चालू करने वाली है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) योजना आयोग द्वारा 1981-82 के दौरान मध्य प्रदेश की कोई बृहद सिंचाई परियोजना अनुमोदित नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) राज्य में लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत, भूमिगत जल के विकास में सरकारी गहरे नलकूपों तथा उथले नलकूपों का प्रतिष्ठान भी शामिल है। यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। तथापि, राज्य में नलकूपों की गुंजाइश बहुत सीमित है क्योंकि अधिकांश क्षेत्र ठोस चट्टानी स्तर का है। अतः भूमिगत जल के विकास के लिए अधिकांश गुंजाइश खुदाई कुओं के निर्माण के जरिए है, जिसके लिए राज्य सरकार छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देती है। छठी योजना (1980-85) के लिए 5.0 लाख खुदाई कुओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मार्च, 1982 तक नलकूपों के सम्बन्ध में प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार है :—

किसानों के उथले नलकूप	3121 संख्या
सरकारी उथले नलकूप	124 संख्या
सरकारी गहरे नलकूप	149 संख्या

"एशियार्ड में खेलों पर व्यय की राशि

187. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

एशियाड 1982 में केबल खेतों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) एशियाड, 1982 में, मदवार, अन्य किन मदों पर, राशि व्यय की गई ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) **विवरण** संलग्न है ?

विवरण

	मद	खेल विभाग द्वारा 15-2-83 तक दर्ज किया गया खर्चा
		करोड़ों में रुपये
(i)	सीधी रोड में स्टेडियम, होज खास में लॉन टेनिस स्टेडियम का निर्माण तथा राष्ट्रीय स्टेडियम का नवीकरण	21.94
(ii)	राजघाट खेल परिसर में अन्तर्गत स्टेडियम के लिए सरकार का योगदान	9.42 (इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों में किया गया खर्चा शामिल नहीं है)
(iii)	राजघाट खेल परिसर में साइकिल वेलीडीम का निर्माण	1.12
(iv)	शूटिंग रेंज का निर्माण	0.70
(v)	तालकटोरा गार्डन में तरण ताल के लिए सरकार का योगदान	4.33 (इसमें नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अपने संसाधनों से किया गया खर्चा शामिल नहीं है)
(vi)	विद्यमान स्टेडियम अर्थात अम्बेदकर स्टेडियम, मोडल टाऊन स्टेडियम, हरबक्श स्टेडियम तथा निक्लसन रैंज दिल्ली विश्वविद्यालय मैदानों तथा दिल्ली गोल्फ क्लब का नवीकरण	1.32

(vii)	उपस्करों तथा उपकरणों की खरीद तथा भारतीय प्रतियोगियों तथा दालों की तैयारी सहित अन्य प्रबन्ध	12.18
	कुल	51.02

वर्तमान संकेतों के अनुसार एशियाई खेलों पर सरकार का कुल खर्चा 67.00 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है।

वर्ष 1982-83 के लिए कृषि उत्पादों का उत्पादन

188. **श्री उत्तम राव पाटिल :**

श्री नारायण चौबे :

श्री शान्तुभाई पटेल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में अब तक देश में चीनी, प्याज और अन्य कृषि उत्पादों का अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उपरोक्त उत्पादों में से कितनी मात्रा निर्यात की गई; और

(ग) इससे कितनी लाभ अथवा हानि हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) वर्ष 1982-83 के लिए फसल उत्पादन के अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्ष 1982-83 (अक्तूबर, 1982 से जनवरी, 1983) के दौरान चीनी का उत्पादन 32.76 लाख टन है।

(ख) 1982-83 (अप्रैल-सितम्बर) के पूर्वार्द्ध के लिए चुनिन्दा और सहायक कृषि उत्पादों के निर्यात के अन्तिम अनुमान प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) इनमें से अधिकांश जिनसे निजी तौर से निर्यात की जाती हैं, अतः उपरोक्त निर्यात से होने वाले लाभ या हानि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी चीनी का निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है जिसने 1982 के दौरान 5 लाख टन चीनी का निर्यात किया और सम्भवतः 58 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

विवरण

क्रम सं०	मुख्य जिन्स शीर्ष	यूनिट	अप्रैल से सितम्बर, 1982	
			मात्रा	मूल्य (करोड़ रुपये में) अनन्तिम
1.	2	3	4	5
1.	जीवित पशु मुख्यतया भोजन के लिए	मूल्य	—	3.94
2.	गोश्त और गोश्त से तैयार सामग्री	मूल्य	—	35.46
3.	मत्स्य क्रस्टेशियम, चूर्ण प्रचार और इनसे तैयार की गई सामग्री	000 टी	42.70	169.41
4.	चावल	,,	285.8	113.63
5.	गेहूं	,,		,,
6.	धान्य, से तैयार की गई सामग्री मैदे से तैयार की गई सामग्री और फलों और सब्जियों के स्टार्च	मूल्य	—	5.40
7.	सब्जियों और फल			
	(क) काजू गिरी	000टी	17.9	79.48
	(ख) अन्य	मूल्य	—	66.75
8.	चीनी और चीनी से निर्मित वस्तुएं	000टी	59.74	27.74
9.	काफी और काफी का स्थानापन	मि० कि० ग्राम	52.7	128.49
10	चाय और संबंधित वस्तु	मि० कि० ग्राम	77.0	150.75
11.	मसाले	000टी	34.7	34.79
12.	खली	,,	544.1	77.96
13.	तम्बाकू अनिर्मित और तम्बाकू अविशिष्ठ	000टी	72.6	161.38

1	2	3	4	5
14.	तिलहन और तेलिया फल	मूल्य	—	13.20
15.	कच्ची कपास	000टी	52.1	69.27
16.	कच्चा रेशम	मूल्य	—	0.21
17.	कच्चा पटसन	000टी	21.8	7.72

स्रोत : डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०, कलकत्ता

अमरीका से गेहूं का आयात

189. **श्री उत्तम राव पाटिल :** क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1982-83 में अमेरिका या किसी अन्य देश से गेहूं का आयात किया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि शुरू में जितना गेहूं आयात करने की योजना थी उसकी तुलना में काफी गेहूं आयात किया गया; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवंत झा आजाद) : (क) से (ग) जी हां। 1982-83 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से दो हिस्सों में कुल 39.50 लाख मीटरी टन गेहूं खरीदा गया था। अगस्त, 1982 में 164.66 यू० एस० डालर प्रति मीटरी टन के जहाज तक निष्प्रभार औसत मूल्य पर 24.95 लाख मीटरी टन गेहूं आयात करने के लिए ठेका किया गया था। नवम्बर, 1982 में 157.66 यू० एस० डालर प्रति मीटरी टन के जहाज तक निष्प्रभार औसत मूल्य पर 14.55 लाख मीटरी टन और गेहूं आयात करने का ठेका किया गया था।

(घ) बफर स्टाक तैयार करने के उद्देश्य से और मूल्यों पर दबाव को रोकने के लिए एक उपाय के रूप में गेहूं का आयात किया गया था।

भेड़ और ऊन अनुसंधान परिषद् संस्थान (सी० एस० डब्ल्यू आर० आई०) में मिन्क, लोम और कराकुल पेल्ट भेड़ों पर किया गया अनुसंधान कार्यक्रम

190. **श्री राम किंकर :** क्या **कृषि** मन्त्री सोवियत रूप से 'मिंक की प्राप्ति और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्य व्यापार निगम को दी गई अग्रिम राशि के बारे में क्रमशः दिनांक 4 और 11 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 135 और 1140 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भेड़ और ऊन अनुसंधान परिषद् संस्थान में मिंक, लोम

खरगोशों और कराकुल पेल्ट भेड़ों पर अनुसंधान कार्यक्रम चलाये जाने के क्या हैं जबकि देश में ऊन और मांस उत्पादन की वृद्धि अपर्याप्त है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : केन्द्रीय भेंड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान एक प्रमुख संस्थान है जो विभिन्न पशु प्रजातियों से पशुओं के रेशे, माश, पेल्ट (खाल) और फर स्कीन के उत्पादन पर अनुसंधान कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पेल्ट और फर स्कीन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कराकुल के प्रजनन और मिंक तथा खरगोशों के प्रजनन के क्षेत्र में केवल अनुसंधान कार्य कर रही है। वर्तमान समय में देश में बिशेष तौर पर जम्मू और कश्मीर में पेल्ट और फर स्कीन का एक बड़ा कारखाना है जो बहुत हद तक आयातित पेल्ट और फर स्कीन पर निर्भर है। देश में पेल्ट और फर स्कीन वाले पशुओं के विकास से निश्चित रूप से आयात को कम करने में सहायता मिलेगी। कारपेट ऊन, एपेरल वूल और मटन में सुधार लाने से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रमों पर परिषद में पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। मिंक और फर वाले खरगोशों के प्रजनन से भेंड़ के ऊन और मांस उत्पादन कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। बल्कि ऊन और फर स्कीन और मांस के लिए खरगोशों के प्रजनन से क्रमशः ऊन और मांस उत्पादन में सहायता मिलेगी। इसी तरह पेल्ट उत्पादन के लिए भेड़ों के प्रजनन से ऊन उत्पादन और गुण में सुधार होगा और इससे मांस उत्पादन और इस कार्यक्रम में शामिल भेड़ों की संख्या पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और पेल्ट के लिए वध किए जाने वाले मेमनों का प्रतिशत कम होगा।

भेड़ और ऊन अनुसंधान परिषद् संस्थान में मादा कराकुल और कराकुल मादा मैमने का आयात

191. **श्री राम किंकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975-76 से 1981 तक और 1982-83 में 31 दिसम्बर 1982 तक भेड़ और ऊन अनुसंधान परिषद् संस्थान और जम्मू काश्मीर में पृथक-पृथक किस-किस तारीख को कितनी-कितनी मादा कराकुल और मादा मैमने पैदा हुए और इसी अवधि के दौरान भेड़ और ऊन अनुसंधान परिषद् संस्थान तथा जम्मू और काश्मीर में पृथक-पृथक आयुवार कितनी मादा वर्ष भर में कराकुल और मैमने मर गए और खाल के लिए उनकी हत्या की गई;

(ख) 1975-76 से लेकर जनवरी, 1983 तक भेड़ और ऊन अनुसंधान परिषद्, संस्थान तथा जम्मू और काश्मीर में पृथक-पृथक कितनी मादा कराकुल बेची गई, उन्हें किनको बेचा गया और उसके लिए कितनी राशि वसूल की गई तथा 1 फरवरी 1983 को भेड़ और ऊन अनुसंधान परिषद, संस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में पृथक-पृथक आयुवार कितनी मादा और नर कराकुल थे; और

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सन् 1975 में रूस से 200 कराकुल मैमनों का आयात किया गया था। इनमें 173 मैमने दिनांक 19-11-75 को पालम हवाई हड्डे पर जीवित

प्राप्त किये गए । बाद में इनमें से 50 मैमनों को जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में भेजे गए सन् 1975-76 से 1981-82 1982-83 में 31 दिसम्बर, 1982 तक केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, डिविजन आफ कारपेट वूल एण्ड काराकुल पेल्ट प्रोडक्शन, बीकानेर में प्रतिवर्ष पैदा होने वाली मादा मैमनों की संख्या **सारणी-1** (संलग्न) में दी गयी है । [ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 5796/83] जम्मू और कश्मीर से सम्बन्धित सूचना मांगी गई है और उपलब्ध हो जाने पर बाद में सभा के पटल पर रख दी जाएगी । केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान में मरी हुई मादा मैमनों की आयुवार तथा पेल्ट के लिए वध किए गए मैमनों की संख्या **सारणी-2** (संलग्न) में दी गयी है । [ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 5796/83] सूचना प्राप्त हो जाने के बाद जम्मू और कश्मीर से सम्बन्धित सूचना सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान द्वारा 1975-76 से जनवरी, 1982 तक वार्षिक तौर पर बेची गयी मादा काराकुल भेड़ों की संख्या तथा ये किसको बेची गयीं और कितना मूल्य लिया गया इसमें सम्बन्धित सूचना **सारणी-3** में दी गई है । [ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 5796/82] जम्मू और कश्मीर से सम्बन्धित सूचना प्राप्त हो जाने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा । केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान में एक फरवरी, 1983 को मौजूद आयुवार मादा और नर भेड़ों की संख्या **सारणी-4** में (संलग्न) दी गयी है । [ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 5796/83] जम्मू और कश्मीर से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध हो जाने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान में 1975-76 वार्षिक काराकुल और संकर नस्ल की भेड़ों से प्राप्त होने वाले पेल्ट (खाल) की संख्या **सारणी-5** (संलग्न) में दी गई हैं । [ग्रंथायल में रखी गई **देखिए** संख्या एल० टी० 5796/83] जम्मू और कश्मीर से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध हो जाने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा । काराकुल और संकर नस्ल की भेड़ों की पेल्ट को बेचने से प्राप्त आय **सारणी-6** (संलग्न) में दी गयी है । [ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी 5796/83] जम्मू और कश्मीर से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध हो जाने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

केन्द्रीय पशु-विकास फार्म

192. **श्री राम किंकर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 से 1981-82 तक कितने केन्द्रीय पशु-विकास फार्म तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की पशु अनुसंधान परियोजनायें कार्यरत रही है;

(ख) प्रति वर्ष दाने-चारे पर, कुल कितना खर्च हुआ, प्रत्येक वित्त वर्ष के अन्त में पशु गृहों में व्यस्क तथा छोटे मादा-पशुओं की संख्या कितनी रही और उनसे प्रति वर्ष कितने राजस्व की प्राप्ति की अपेक्षा की गई तथा कितनी प्राप्ति वस्तुतः हुई;

(ग) क्या उपरोक्त प्रत्येक पशु-विकास फार्म के कार्यकरण से संतुष्ट रही है, और सरकार का विचार कब तक इन फार्मों को वित्त पोषण करते रहने का जबकि इतना समय बीतने के बाद भी, प्राप्त होने वाला राजस्व वहां के दाने-चारे के खर्च के बराबर भी नहीं पहुंचा है;

(घ) यदि ऐसे खर्चीले परिणामों को किसान अपना नहीं सकते तो फिर अनुसंधान परियोजनाओं के अधीन भी ऐसे व्यर्थ के खर्चों को जारी रखने के लिए सरकार के पास क्या कारण औचित्य है; और

(ङ) उक्त व्यर्थ खर्ज तथा असफलताओं के लिए दायित्व निश्चित करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वांछित ब्यौरे वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(क) कृषि और सहकारिता विभाग के शासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म

क्र० सं०	उस स्थान का नाम जहां केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है ।	फार्म स्थापित करने की तिथि
1.	सूरतगढ़, जिला श्री गंगा नगर, राजस्थान	30.9.1967
2.	धामरोद, जिला सूरत गुजरात,	17-11-1967
3.	चिपलिमा, जिला सम्बलपुर, उड़ीसा,	15-1-1968
4.	सुनाबेदा, जिला कोरापुट, उड़ीसा,	1-5-1972
5.	अवादी (मद्रास) तमिलनाडु,	1-4-1973
6.	अन्देश नगर, जिला लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश,	20-5-1976

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परियोजनायें

पशुओं से सम्बन्धित एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना से कार्य कर रही है और देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित छः अनुसंधान एककों पर कार्य कर रहा है। ये इस प्रकार हैं; अर्थात् हिसार कृषि विश्वविद्यालय हिसार, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, लाभ, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश, कृषि विश्वविद्यालय तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर का सहयोगी हरिंगघाटी स्थित पशुपालन विभाग, पश्चिम बंगाल

अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के वन विभाग नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करने का प्रस्ताव

193. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्डमान-निकोबार द्वीपसमूह के वन विभाग के उन 760 नैमित्तिक मजदूरों को, जिन्होंने 5 से 14 वर्षों तक के बीच नियमित सेवा पूरी कर ली है, 196-232 रु० के वेतनमान में मजदूरों के नियमित पदों पर लाने का कोई प्रस्ताव मिला है ?

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव कब मिला था और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ये 760 नैमित्तिक मजदूर कौन-कौन से कार्य करते हैं और क्या निकट भविष्य में इस कार्य के समाप्त हो जाने की संभावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) सितम्बर, 1979 में प्राप्त प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है। अन्डमान प्रशासन से कहा गया है कि कार्य मापन-अध्ययन के आधार पर पदों की संख्या निर्धारित करे। अन्डमान वन विभाग ने सूचित किया है कि प्रशासन के कार्य अध्ययन एकक ने विभाग के कार्य भार का अध्ययन आरम्भ कर दिया है।

(ग) ये 760 आकस्मिक मजदूर निष्कर्षण, पुनरोत्पादन, वन रोपण, ट्रैम-लाईन और आरामशीन भवन निर्माण, पशुधन के संवर्धन आदि सम्बन्धी कार्य करते हैं। इन निर्माण सम्बन्धी कार्यों को निकट भविष्य में समाप्त करने की कोई संभावना नहीं है ।

उन्नत कृषि उत्पादन के लिए उठाए गए कदम

194. **श्री गुलाम रसूल कौचक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन्नत कृषि उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से आवश्यक कदम उठाने को कहा है;

(ख) क्या अब तक 3500 से अधिक गांवों की उन्नत कृषि उत्पादन और 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली वन सम्पदा की मदों सम्बन्धी योजना के गहन कार्यान्वयन के लिए चयन किया गया था;

(ग) उन्नम कृषि उत्पादन की योजनाओं के गहन कार्यान्वयन हेतु चयन किए गए गांवों में अब तक कुल कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार और अधिक राज्यों तथा संघशासी क्षेत्रों में और अधिक गांवों का चयन करेगी; ओर

(ङ) यदि हां, तो अब तक गांवों का कहां तक चयन किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे 20 सूत्री कार्य-क्रम के अन्तर्गत बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता और कृषि मदों के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी अथवा गैर-सरकारी अभिकरणं द्वारा अंगीकृत प्रति ब्लाक कम से कम एक गांव अथवा इससे अधिक गांव अपने हाथ में लें ।

(ख) जी हां ।

(ग) मोटे तौर पर विभिन्न अंगीकृत अभिकरणों द्वारा अंगीकृत गांवों में बारानी खेती व सम्बन्धी कार्यक्रम, तिलहनों और दालों के बढ़े हुए उत्पादन, सामाजिक वानिकी, बायोगिस विकास पशु विकास, उर्वरक संवर्धन, सहकारी ऋण, मिनिकिट प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से विपणन और प्रोद्योगिकी का हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ।

(घ) व (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार विभिन्न राज्यों में 5000 गांवों के लक्ष्य की तुलना में 3975 गांव अंगीकृत किए जा चुके हैं ।

माही बजाज सागर परियोजना

195. **श्री भीखा भाई** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माही बजाज सागर को पूरा किये जाने हेतु गुजरात अथवा राजस्थान द्वारा पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की गई हैं;

(ख) उनके मतभेदों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने अपने प्रभाव का कहां तक उपयोग किया है; और

(ग) क्या माही नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन ने कभी परियोजना स्थल का दौरा किया और बेदखल होने वालों, जोकि शत प्रतिशत जन जातियों के लोग हैं, की समस्याओं को हल करने का कोई प्रयास किया है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। इस परियोजना के लिए गुजरात और राजस्थान, दोनों राज्यों द्वारा पर्याप्त धन दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) गुजरात और राजस्थान के साझे निर्माण-कार्यों का क्रियान्वयन माही नियंत्रण बोर्ड के निदेश के अधीन किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री हैं। विस्थापित हुए व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान और उनके पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रम से संबंधित मामलों को 13 फरवरी, 1979 को हुई माही नियंत्रण बोर्ड की 10वीं बैठक में, और साथ ही 13 फरवरी, 1979 को माही नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के बांध स्थल के दौरे के समय तय कर लिया गया था। विस्थापितों को मुआवजे का भुगतान और पुनर्वास कार्यक्रम का क्रियान्वयन राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है और इस मुद्दे पर गुजरात और राजस्थान के बीच किसी मतभेद की सूचना बोर्ड को नहीं दी गई थी।

एशियाई खेलों के लिए 'खेल गांव' परिसर का उपयोग

196. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक बड़े आवासीय परिसर 'खेल गांव' का निर्माण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो एशियाई खेलों के दौरान इस आवासीय परिसर के उपयोग किए जाने की कुल अवधि कितनी थी ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) खेलों की पूरी अवधि में इस काम्लेक्स का प्रयोग किया गया था।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मांगें

197. **श्री के० ए० राजन** : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के 50,000 से अधिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए 10 दिसम्बर, 1982 को देश में "काम बन्द" हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, इसका ब्यौरा क्या है और उनकी मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) एक स्टाफ यूनियन अर्थात् खाद्य निगम कर्मचारी यूनियन ने 10 दिसम्बर, 1982 को शुरू की जाने वाली काम बन्द हड़ताल करने का नोटिस दिया था। यूनियन के कहने पर भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों के कुछ कर्मचारियों ने उक्त दिन काम बन्द हड़ताल की थी। यूनियन की प्रमुख मांग कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने सहित वेतन में वृद्धि करने से सम्बन्धित थी। यूनियन के प्रतिनिधियों को 2 फरवरी, 1983 को एक बैठक में आमन्त्रित किया गया था और उन्हें सूचित किया गया था कि सरकार ने निगम के श्रेणी-3 और 4 के कर्मचारियों के बारे में पहली अक्तूबर, 1982 से वेतन में वृद्धि करना सिद्धान्त रूप में मान लिया और उन्होंने कुछेक शर्तों पर पहली अक्तूबर, 1982 से श्रेणी-3 और 4 के सभी कर्मचारियों को प्रतिमास 40.00 रुपये को तदर्थ सहायता देने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया है।

एशियाई खेलों में भाग लेने वालों तथा एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति के सदस्यों के भुगतान किए गए भत्ते

198. **श्री के० ए० राजन** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेलों (एशियाड) में भाग लेने हेतु आए भारतीय खिलाड़ियों को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन्हें नाश्ते, मध्याह्न भोजन, रात्रिकालीन भोजन, दूध, चाय और फलों के लिए 25 रुपए प्रति व्यक्ति भुगतान किए गये थे;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति के सदस्यों को रात्रिकालीन भोजन के लिए 80 से 100 रुपये प्रतिदिन भुगतान किए थे; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) नौवें एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के सदस्यों को समारोह और प्रदर्श निःशुल्क प्रदान किए गए थे। भाग लेने वाले इन सदस्यों का खेलों के दौरान निःशुल्क भोजन और आवास भी प्रदान किया गया, साथ में अन्य आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराई गई, जो कि अन्य भाग लेने वालों को एशियाई खेल ग्राम में प्रदान की गईं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाड के लिए केरल से आए हाथी

199. **श्री के० ए० राजन :**
श्री मनोहर लाल सैनी :
श्री एन० ई० होरो :
डा० बसन्त कुमार पण्डित : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड के अवसर पर उद्घाटन और समापन समारोहों में भाग लेने हेतु हाथी केरल से दिल्ली लाए गए थे;

(ख) यदि, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) कब और किसने इस सम्बन्ध में निर्णय लिया था;

(घ) इन हाथियों के साथ देखभाल करने वाले कुल कितने व्यक्ति और महावत आए थे;

(ङ) क्या हाथियों के साथ आने वाले दस्ते में नाई, धोबी तथा अन्य व्यक्ति थे;

(च) इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(छ) क्या जिस प्रयोजन के लिए इन्हें लाया गया वह पूरा हो गया; और

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ज) नवें एशियाई खेलों के अवसर पर केरल सरकार द्वारा दिल्ली को 34 हाथी, परिचार, महावत, पशु-चिकित्सा, चिकित्सा तथा अन्य आवश्यक स्टाफ एक स्वतः सम्पूर्ण टुकड़ी संख्या 315 के रूप में भेजा गया था। 32 हाथियों ने नवें एशियाई खेल 1982 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया जिस प्रयोजन के लिए उन्हें केरल से भेजा गया था।

राज्य सरकार के उद्घाटन समारोह में एक योगदान के रूप में हाथियों को दिल्ली भेजने का निर्णय खेलों के आयोजन से सम्बन्धित विशेष आयोजन समिति के परामर्श से केरल राज्य सरकार द्वारा लिया गया था, और इस पर भारत सरकार की कोई धनराशि खर्च नहीं हुई थी।

उत्तर प्रदेश में गन्ने की खरीद की अलग-अलग दरें

200. **श्री हरीश रावल :** क्या खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत मिलों तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मिलों द्वारा अलग-अलग दरों पर गन्ने की की जा रही खरीद के बारे में उत्तर प्रदेश से समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस तरह की बातों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की पांच चीनी फैक्ट्रियों का प्रबन्ध कर रही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जोनों के लिए गन्ने के आर्थिक रूप से लाभकारी मूल्यों का हिसाब लगाया गया है और उत्तर प्रदेश में जिन मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया गया उनको परामर्श दिया गया है कि वे चीनी मौसम 1982-83 के लिए इन्हीं मूल्यों का भुगतान करें। यह मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रबन्धित फैक्ट्रियां राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के तीन जोनों के लिए घोषित किए गए राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों का भुगतान कर रही हैं। क्योंकि दोनों केन्द्र तथा राज्य द्वारा प्रबन्धित मिलों द्वारा गन्ने का वास्तव में दिया जा रहा मूल्य गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से बहुत अधिक है, यह समझा जाता है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल रहा है।

अनधिकृत कालोनियों का नियमित किया जाना

201. **श्री हरीश रावत** :

श्री डी० पी० यादव : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान कुल कितनी अनधिकृत कालोनियां नियमित की गईं; और

(ख) इन कालोनियों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 1-8-1982 से 31-1-83 तक छः महीनों में इसने 79 अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया किया है कि 11-2-1983 तक छः महीनों की अवधि के दौरान इसने 49 अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया।

(ख) सरकार ने नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों के विकास के लिए वर्ष 1982-83 के लिए संशोधित बजट प्राक्कलन में 11.25 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है।

केरल की स्वीकृति हेतु सिंचाई परियोजनाएं

202. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सिंचाई परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है;

(ख) कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं और कितनी स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) जनवरी, 1971 से केरल सरकार से तकनीकी जांच करने और योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में सात बृहत् तथा तीन मध्यम स्कीमों की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इनमें से, दो मध्यम स्कीमें अर्थात् करापुझा तथा वामनपुरम् योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं। शेष स्कीमों का ब्यौरा, जिसमें इन परियोजनाओं के नाम, आयोग में उनकी प्राप्ति की तिथि तथा जांच की वर्तमान अवस्था बताई गई है, संलग्न **विवरण** दिया गया है।

राज्य सरकार से केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तरों/स्पष्टीकरणों के प्राप्त हो जाने तथा उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने के पश्चात् ही इस स्कीम की स्वीकृति के लिए आगे कार्रवाई की जा सकती है। कावेरी बेसिन में लम्बित पड़ी स्कीमों को, बेसिन वाले राज्यों द्वारा कावेरी जल ने बंटवारे में करार हो जाने पर ही अनुमोदित किया जा सकता है।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का काम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की निधि	वर्तमान स्थिति
	बृहत् स्कीमें		
1.	केरल भवानी	18-6-1972	कावेरी जल के बारे में करार न होने के कारण लम्बित पड़ी है।
2.	काक्काडावु	17-9-1974	लाभ-लागत अनुपात के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तरों की केरल सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने परियोजना के लाभ-लागत अनुपात का अध्ययन करने

1	2	3	4
			के लिए एक समिति का गठन किया है और उक्त समिति द्वारा पुनः अध्ययन पूरा कर लिए जाने के पश्चात् टिप्पणियों के उत्तर भेज दिए जाएंगे।
3.	मुवास्तुतुन्ना	8-1-1975	इस परियोजना को योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा 24-7-1981 को हुई उसकी बैठक में पर्यावरण विभाग द्वारा स्वीकृति दिए जाने के अध्यधीन स्वीकार्य पाया गया था, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।
4.	कुट्टीयाडी संवर्धन बहुद्देश्यीय स्कीम (सिंचाई भाग)	2-9-1977	कावेरी जल के बारे में करार न होने कारण लम्बित पड़ी है।
5.	इद्मलायार	30-6-1978	अगस्त और सितम्बर, 1982 में राज्य सरकार से जल-विज्ञान तथा लागत अनुमान सम्बन्धी पहलुओं पर आगे मांगे गए स्पष्टीकरणों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।
6.	चिमौनी	17-9-1978	योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा इस पर पुनः विचार किया जा रहा है। पर्यावरण सम्बन्धी दृष्टिकोण से स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

1	2	3	4
7.	कारपाड़ा कुरियारकुट्टी बहुद्देश्यीय स्कीम (सिंचाई विभाग)	22-2-1979	केन्द्रीय जल आयोग की जून और सितम्बर, 1979 तथा जनवरी, 1980 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तरों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।
	मध्यम स्कीमें		
1.	अट्टापाडी	30-6-1971	कावेरी जल के बारे में करार न होने के कारण लम्बित पड़ी है।

केरल में नारियल पेड़ों की जड़ सूखने के रोगों के कारण हानि

203. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल पेड़ों की जड़ सूखने के रोग के कारण पिछले तीन वर्षों में वार्षिक हानि का अनुमान क्या है ;

(ख) इस रोग की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) इस दिशा में अनुसंधान के ब्यौरे क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि क्रयमकुलन स्थिति अनुसंधान केन्द्र ने जड़ सूखने के रोग के सफल अनुसंधान के लिए इलैक्ट्रान माइक्रो स्कोप खरीदने हेतु मंजूरी मागी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) चूंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया इसलिए तीन वर्षों 1979, 1980 तथा 1981 की कुल हानि का किसी प्रकार का सही आकलन देना संभव नहीं होगा। तथापि 1972 में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर 340 मिलियन गिरी की हानि का अनुमान लगाया गया था।

(ख) इन रोगों की रोकथाम के लिए ये कदम उठाये गये हैं ;

(i) रोग सहिष्णु तथा अधिक उपज के लिए नारियल के कल्टीवर्स और संकरों का चयन करना और उचित प्रबन्ध प्रक्रिया के अन्तर्गत उनका उपयोग करना।

(ii) रोग से नष्ट हुए नारियलों का पता लगाने तथा उसके रोग समाप्त करने के लिए त्रिचूर, पालघाट तथा मालापुरम जिलों तथा कालीकट के कुछ इलाके का गहन सर्वे-

क्षण 1400 से अधिक शेष जड़ मुरझान रोग से ग्रसित नारियलों का उन्मूलन किया गया है। किसानों को बिना पैसों के अच्छी किस्म की पौद तथा उर्वरक के साथ 75 रु० प्रति नारियल के पेड़ की क्षतिपूर्ति के लिए दिये गये थे।

सीमावर्त्ती क्षेत्रों से इन रोग से नष्ट हुए नारियलों को इसलिए हटाया गया है ताकि रोग रहित बगीचों को इस रोग के फैलने से बचाया जा सके। हटाये गये नारियल के पेड़ों की जगह अच्छी किस्म की पौद उगाई जा रही है तथा उसे अच्छे प्रबन्ध क्रियाओं जैसे पुनचक्र, मिली जुली खेती, अन्तः खेती, पौध पोषकों उपयोग तथा कीटनाशी दवाई का छिड़काव किया जाता है।

(ग) अनुसंधान का वर्तमान कार्य रोग जन्यता पर अन्वेषण, संचारण, आकस्मिक अवयवों; सीरम विज्ञान की पहचान हेतु इलैक्ट्रान सूक्ष्मदर्शिकी तथा रोग के आरम्भिक चरण में निदान करने हेतु जैव विज्ञानिक अध्ययन, महामारी विज्ञान तथा रोग फैलना तथा उसका व्यापक नियन्त्रण करना है। प्रबन्ध परीक्षण तथा किस्मों का चयन और सभी शाखाओं में संकर किस्मों के चयन कार्य में प्रगति जारी है। हाल के अध्ययनों में प्रभावित नारियलों के ऊतकों में अवयवों (जीवों) जैसे माइको-प्लाजम पाये गये हैं और इस पर अनुसंधान की गति को तेज किया गया है।

(घ) जी हां, श्रीमान। कयाकुलम में सी० पी० सी० आर० आई० के क्षेत्रीय केन्द्र ने रोग से सम्बन्ध अतिसूक्ष्मदर्शी पाये गये अवयवों पर अन्वेषण के लिए इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी खरीदने के लिए अनुरोध किया है।

(ङ) सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है तथा इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शी के लिए आदेश दे दिया है। इसकी सप्लाई का अभी इन्तजार है।

शीतलहर के कारण हुई हानि/क्षति

204. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में हाल की (जनवरी 83) शीतलहर के कारण आदमियों, फसलों तथा पशुओं की अनुमानतः कितनी हानि/क्षति (राज्यवार) हुई है; और

(ख) इससे पीड़ित राज्यों की सरकार द्वारा क्या सहायता (राज्यवार) प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शारिफ मोहम्मद खान) : (क) सभी राज्य सरकारी और संघ राज्य क्षेत्र से रिपोर्ट मानी गयी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल राज्य की सरकारी तथा दादरा और नगर हवेली, चण्डीगढ़, लक्ष्यद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों से शून्य उत्तर मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पड़े शीत के कारण निम्नलिखित हानि होने की सूचना दी है :—

(1) मृत व्यक्तियों की संख्या — 101

(2) मरे पशुओं की संख्या — 5

फसल की क्षति का जायजा लिया जा रहा है ।

अन्य राज्य सरकारी संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी अभी प्राप्त होनी है और शेष राज्यों से जानकारी प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) किसी भी राज्य सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि प्रत्येक राज्य सरकार के पास आपाती व्यय पूरा करने के लिए सीमान्त धन राशि है ।

ईमानदारी अधिकारी को परेशान करने के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय

205. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान किसी ईमानदार अधिकारी को पीड़ित और परेशान करने के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्याय मूर्ति एस० बी० बोर्ड द्वारा हाल ही में दिये गये निर्णय की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय की प्रति सभापटल पर रखी जायेगी;

(ग) उन लोगों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है जो सम्बन्धित आधिकारों की सेवानिवृत्ति करवाने में सक्रिय रहे हैं और जिससे यह धारणा बनी है कि इस विषय से सम्बन्धित नियम ऐसे हैं जिनके कारण दबाव डाला जा सकता है;

(घ) क्या इन नियमों को तत्काल पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है ताकि अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले शक्तियों के दुरुपयोग पर नियन्त्रण रखा जा सके ; और

(ङ) राजस्व की भारी हानि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा एल० एण्ड डी० ओ० में सुधार करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं क्योंकि यह एक प्राप्य प्रलेखन है।

(ग) से (ङ) सरकार ने फैसले के विरुद्ध अपील दायर की है और संपूर्ण मामला न्यायिक है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उपलब्धियों के बारे में किसानों को अवगत कराना

206. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि उत्पादिता वृद्धि अनुसंधान परिषद की कृषि उत्पादिता वृद्धि हेतु उसके अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से हुई प्रत्येक उपलब्धि के बारे में किसानों को अवगत कराने के लिए कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निष्कर्ष लागू करने से पूर्व सम्बन्धित क्षेत्र में किस्म का उत्पादन कितना हुआ और इसके बाद में किस्म-वार उत्पादन कितना हुआ; और

(ग) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यों की संगतता तथा कुशलता सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर इन पहलुओं की निगरानी रखती है और इस बारे में सरकार के निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान । भा० कृ० अ० प० के पास प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण की प्रयोजनाएं है, जैसे राष्ट्रीय प्रदर्शन, प्रचालन अनुसंधान प्रायोजनाऐं, कृषि विज्ञान केन्द्र और प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम, जो कि कृषि एवं संबद्ध उत्पादों को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण विस्तार कार्य कलाप हैं । इन प्रायोजनाओं को देश भर में फैले भा० कृ० अ० प० के अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, राज्यों के कृषि विभाग और कुछ प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठन लागू करने का कार्य कर रहे हैं ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन 1965 में किया गया था । 1965 में मुख्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, और बाजरा के उत्पादन आंकड़े क्रमशः 30.59, 10.39, 7.58, 4.82 और 3.75 मिलियन टन थे । चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का और बाजरा का सर्वोच्च उत्पादन क्रमशः 53.77, 35.51, 12.06, 7.49 और 8.03 मिलियन टन तक पहुंच चुका है । चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का और बाजरा की प्रति हेक्टर औसत उपज भी क्रमशः 154, 189, 172, 127 और 198 प्रतिशत बढ़ी है ।

(ग) प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण कार्यक्रमों को लगातार क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन/पुनर्वीक्षा समितियों की भी नियुक्ति जहां कहीं आवश्यक समझा गया, सुधार के उपाय सुझाने के लिये की गई है । की गई सिफारिशों पर भा० कृ० अ० प० द्वारा गंभीरता से विचार किया गया और जिन्हें अंतिम रूप में स्वीकृत किया गया उन्हें सुधार के लिये संबंधित प्रायोजनों में क्रियन्वित किया गया । मूल्यांकन द्वारा की गई सिफारिशें/परिणाम आमतौर पर उपयोगी पाये गये ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मुर्गी-पालन परियोजना पर खर्च

207. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० वी० आर० आई/मुर्गीपालन संस्थान स्थिति भारतीय कृषि अनुसंधान

परिषद की मुर्गीपालन परियोजना पर वर्ष 1970-71 में उसकी स्थापना के समय से ही अण्डों पर एक करोड़ रुपये से अधिक और मांस पर 50 लाख रुपये से अधिक राशि खर्च हो चुकी है;

(ख) केवल खाद्य पर ही 1.2-83 तक कुल कितनी राशि खर्च हो चुकी है और कितना राजस्व प्राप्त हो चुका है तथा प्रतिवर्ष कितने व्यस्त पक्षी रखे गये;

(ग) वाणिज्यिक स्तर पर अण्डों तथा मांस देने वाले पक्षियों के विकास के संदर्भ में इस मुर्गीपालन परियोजना/संचालन की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं;

(घ) इस मुर्गीपालन संस्थान तथा भारतीय कृसि अनुसंधान परिषद मुर्गीपालन परियोजना के बीच परस्पर संबंध क्या है ;

(ङ) वाणिज्यिक स्तर पर स्टाक मूल्यांकन की दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुर्गीपालन परियोजना के प्रत्येक केन्द्र की आज तक क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(च) जैसा कि 11-10-82 के अतारांकित प्रश्न सं० 1211 के उत्तर में परिशिष्ट 'एफ' तथा 'जी' में कहा गया है कि छठी योजना के दौरान प्रत्येक केन्द्र से अपेक्षित राजस्व की राशि तदनुरूप खाद्य-लागत से कम रही है तो उन्हें जारी रखने का क्या औचित्य है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान (पूर्व में) भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का मुर्गीपालन प्रभाग में स्थित अण्डों और मांस के लिये अखिल भारतीय समन्वित मुर्गीपाल प्रायोजना कों दो इकाइयों का 1970-74 वर्षों में कुल व्यय क्रमश 19,51,702.47 रु० और 14,71,002.26 रु० रहा है। इस अवधि के पश्चात दोनों प्रायोजना इकाइयां संस्थान के अनुसंधान कार्यों का अंगभूत भाग बन गयी तथा इनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं की गई ।

(ख) प्रत्येक इकाई के लिए वर्ष 1770 से 1974 तक वर्ष वार केवल चारे पर किया गया व्यय और प्राप्त राशि **सारणी**-1 (संलग्न) में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखी गई **देखिए** । संख्या एल० टी० 5797/83] इसके बाद कोई आंकड़े नही रखे गये क्योंकि बाद में ये इकाइयां संस्थान के अनुसंधान कार्यों से संबद्ध हो गई थी ।

केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान में अण्डों के लिए रखे गए वयस्क पक्षियों की वर्ष वार संख्या **सारणी** -2 (संलग्न) में दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एल० टी० 5797/83]

केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में मांस के लिए रखे गये वयस्क पक्षियों की वर्ष वार संख्या **सारणी**-3 (संलग्न) में दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एल० टी० 5797/83]

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में अण्डों और मांस के लिए एक अखिल भारतीय समन्वित मुर्गीपालन प्रायोजना प्रारम्भ की गई थी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे :—

(1) 590 दिन की उम्र में कम से कम 220 मानक आकार के अण्डे देने वाली व्यावसायिक मुर्गियों का विकास करना।

(2) 8 सप्ताह की उम्र में कम से कम 1200 ग्राम वजन के मांस वाले व्यवसायिक पक्षियों का विकास करना।

अनुसंधान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देश से उपलब्ध अथवा बाहर से आयातित कुछ प्रजातियों का विशुद्ध प्रजनक के रूप में और परस्पर संकरण तथा फिर प्रजातियों के अन्तर्गत चयन द्वारा मूल्यांकन किया गया। अण्डे देने वाली और मांस देने वाली दोनों ही प्रकार की किस्मों की व्यावसायिक सकर प्रजाति विकसित की गई। इस योजना के अन्तर्गत विकसित अण्डे देने वाली सकर नस्ल (आई० एल० आई०-80) को व्यावसायिक स्तर पर उपयोग हेतु केन्द्रीय मुर्गीपालन किस्म रिलीज समिति ने जारी किया है। इनकी अण्डा उत्पादन क्षमता 262 अण्डे हेन हाउस्ड आधार पर 272 अण्डे मुर्गी दिन के आधार पर है। दो और प्रजातियां आई० एल० जे० 83 और आई० एल० एच०-83 का भी विकास किया गया है तथा जनवरी 1983 में भुवनेश्वर में मुर्गीपालन प्रजनन पर हुई पिछली ए० आई० सी० आर० पी० कार्य गोष्ठी में इसको व्यावसायिक उपयोग के लिये जारी करने की सिफारिश की गई। आई० एल० एच-80 के प्रजनक भंडार को विभिन्न राज्य सरकरों को भेजा गया।

इसी तरह, मांस वाली व्यावसायिक बी-77 और आई० बी० एल०-80 का विकास किया गया तथा इसके प्रजनक भंडार को विभिन्न राज्य एवं केन्द्र सरकार के फार्मों को भेजा गया। आई० बी० एल०-80 प्रजाति 8 सप्ताह की उम्र में 1.6 कि० ग्राम भार प्राप्त कर लेती है तथा इसमें चारा रूपान्तरण और जीविता क्षमता भी अच्छी है। दूसरी प्रजाति आई० बी० बी०-80 की भी मुर्गीपालन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना पर कार्य गोष्ठी ने व्यवसायिक उपयोग हेतु जारी करने की सिफारिश की। यह प्रजाति 8 सप्ताह में 1500 ग्राम शरीर भार तथा चारा दक्षता 2.4 वाली है।

कई प्रजातियों की चयन द्वारा और विशुद्ध प्रजनकों व संकरों पर लगातार परीक्षणों से भावी सुधार पर निरन्तर अनुसंधान किये जा रहे हैं ताकि अधिक बढ़िया व्यावसायिक संकर नस्ल प्राप्त की जा सकें।

(घ) मुर्गी प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना संस्थान का एक एकीकृत अंग है और जहां तक अण्डों और मांस पर मुर्गी प्रजनन कार्य का सम्बन्ध है अनुसंधान प्रयासों का दोहरीकरण (डुप्लीकेशन) नहीं है।

(ङ) व्यावसायिक भंडार विकास के लिये प्रत्येक केन्द्र की उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

हैदराबाद केन्द्र : इस केन्द्र में जो व्यावसायिक, अण्डा प्रजनक संकर किस्म विकसित की गई उसकी क्षसता 500 दिन की उम्र में 237 अण्डे देने की है और प्रायोजना की 1983 में हुई वार्षिक कार्य गोष्ठी में इसकी सिफारिश की गई ।

जबलपुर केन्द्र : इस केन्द्र में जो व्यावसायिक अण्डा प्रजनक संकर विकसित की गई उसकी 500 दिन की उम्र में 241 अण्डे देने की क्षमता है और 1983 में हुई प्रायोजना की कार्य गोष्ठी में इसकी सिफारिश की गई ।

सी० ए० आर० आई० केन्द्र : इस केन्द्र में जो व्यावसायिक अण्डा प्रजनक संकर विकसित की गई उसकी 500 दिन की उम्र में 275 अण्डे देने की क्षमता है। केन्द्रीय मुर्गीपालन किस्म रिलीज समिति ने इसे पहले ही रिलीज के लिये स्वीकृत कर दिया है ।

बंगलौर केन्द्र : इस केन्द्र में व्यावसायिक मांस वाली संकर किस्म विकसित की गई जिसकी 8 सप्ताह की उम्र में 1500 ग्राम वजन प्राप्त करने की क्षमता है ।

सी० ए० आर० आई० केन्द्र : एक व्यावसायिक मांस वाली प्रजाति बी-77 को व्यावसायिक उपयोग के लिए जारी किया गया ।

लुधियाना केन्द्र : इस केन्द्र में विकसित व्यावसायिक संकर नस्ल की 8 सप्ताह में 1600 ग्राम बजन प्राप्त करने की क्षमता है और केन्द्रीय मुर्गीपालन किस्म रिलीज समिति ने व्यावसायिक उपयोग हेतु इसको जारी किया है ।

व्यावसायिक उपयोग के लिये मुर्गी की नयी संकर प्रजातियों का विकास करने के लिए अनुसंधान कार्य प्रगति पर है ।

(च) चारे की कमी और प्राप्त धन राशि के बीच में तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि मुर्गीपालन प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना व्यावसायिक प्रतिष्ठान न होकर अण्डा प्रजनकों के सम्बन्ध में अण्डा उत्पादन आनुवंशिकी और अन्य लक्षणों तथा मांस वाली मुर्गी के सम्बन्ध में प्राप्त भार तथा चारा परिवर्तन दक्षता तथा अन्य सहायक लक्षणों पर अनुसंधान उद्देश्यों वाली एक अनुसंधान प्रायोजना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुर्गीपालन अनुसंधान प्रायोजना में आय की प्राप्ति परीक्षण पक्षियों से प्राप्त अतिरिक्त अण्डों और मांस की बिक्री से होती है । अनुसंधान के मुख्य लाभ प्रजनक नीति और व्यावसायिक की तुलना में प्रजनन परीक्षणों के दौरान अधिक संख्या में नर और मादा दोनों प्रकार के पक्षी काफी संख्या में रखे गये क्योंकि अध्ययन के दौरान उत्पादन क्षमता अथवा क्षमता के आधार पर अन्यान्य के साथ उनके चयन करने के लिए ऐसा आवश्यक है । व्यावसायिक प्रजनक फार्मों में मुख्य आय व्यावसायिक चीजों की बिक्री से होती है । इस प्रकार प्रजनक फार्मों का व्यय व्यावसायिक प्रजनक फर्मों की तुलना में अधिक होता है और दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है ।

कोडरमा वन को राष्ट्रीयता वन घोषित करना

208. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोडरमा वन की राष्ट्रीय वन घोषित न करने के क्या कारण हैं जब कि यह सभी शर्तें पूरी करता है और इसके लिए लोगों की लम्बे समय से चली जा रही मांग है;

(ख) क्या कोडरमा का 20 किलो मीटर का वन क्षेत्र और डिबयू घाटी, जो एक सुन्दर तथा सुरम्य घाटी है, को राष्ट्रीय वन घोषित किया जाएगा;

(ग) क्या इस नया पर्यटक स्थल विकसित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्तमान कानून के तहत, किसी भी वन के "राष्ट्रीय वन" के रूप में घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः कोडरमा वन 'राष्ट्रीय वन' घोषित नहीं किया जा सकता।

(ख) बक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न के इस भाग के उत्तर का प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) तथा (घ) बिहार सरकार से जानकारी मांगी गई है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में सरकारी मकानों के खुले बरामदों आदि को ढकने के बारे में नीति

209. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नई दिल्ली में सरकारी मकाओं में टाइप-वार और कालोनी-वार, क्रमशः पूर्ति-जल पर खुले बरामदों तथा सामने और पीछे के भाग को ढकने के बारे में सरकार की नीति क्या है और कब से;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट मकानों के मासिक किराए पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो कालोनी और टाइम-बार कितना प्रभाव पड़ता है;

(ग) बरामदे ढकने के लिए ठेकेदार को क्या शुल्क अदा किया जाता है; और

(घ) क्या ढके हुए क्षेत्र में बत्ती। प्लग पौइन्ट लगाये जाते हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सरकारी रिहायशी क्वार्टरों के बरामदे और खुली जगह को बन्द करने का कार्य, संरचनात्मक और वास्तुकीय

व्यवहार्यता तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार आवंटियों के विशेष अनुरोध पर किया जाता है।

(ख) कार्य की समाप्ति की तारीख से परिवर्धन और परिवर्तन की लागत के 9 प्रतिशत की दर से या यदि रिहायशी स्थान प्रभावित हुआ हो, रिहायशी क्षेत्र में हुई वृद्धि की पूलित यूनिट दर से गुणा करके, जिसे सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करता है, इन दोनों में जो भी अधिक हो, के आधार पर अतिरिक्त लाइसेंस फीस वसूल की जाती है।

(ग) करार की शर्तों के अनुसार और किए गए कार्य की अनुमानित लागत के आधार पर ठेकेदार को भुगतान किया जाता है।

(घ) जी, हां। व्यवहार्यता, निधियों की उपलब्धता और अतिरिक्त लाइसेंस के भुगतान की शर्त के अनुसार किया जाता है।

कुण्डघाट जलागार योजना तथा अपर सरकारी योजना

210. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग के पास बिहार की कुण्डघाट जलागार योजना तथा अपर सरकारी योजना काफी अवधि से लम्बित पड़ी है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा उनके बारे में किए गए प्रश्नों तथा मांगी गई जानकारी के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार उन योजनाओं को कब तक मंजूरी दे देने का है?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कुण्डघाट जलाशय स्कीम केन्द्रीय जल आयोग में नवम्बर, 1982 में और अपर सकरी जलाशय स्कीम अप्रैल, 1978 में प्राप्त हुई थी और उनके बारे में राज्य के प्राधिकारियों के साथ पत्राचार और विचार-विमर्श किया जाता रहा है।

(ख) जहां तक कुण्डघाट जलाशय स्कीम का सम्बन्ध है, केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां 21-12-1982 को बिहार सरकार को भेज दी गई थी, जिनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

जहां तक अपर सकरी जलाशय स्कीम का सम्बन्ध है, टिप्पणियों के अन्तर्गत बैंच के उत्तर अक्तूबर, 1982 में प्राप्त हुए थे, जिन पर जनवरी, 1983 में आगे और स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। साथ ही, इस परियोजना के सम्बन्ध में सदस्य (प्रगति एवं आयोजन) द्वारा राज्य के इन्जीनियरों के साथ ली गई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य के इन्जीनियों ने दिसम्बर, 1982 और फिर फरवरी, 1983 में केन्द्रीय जल आयोग के

विभिन्न सम्बन्धित निदेशालयों के साथ विचार-विमर्श किया था । यह विचार-विमर्श अभी जारी है ?

(ग) राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से, परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता संतोषजनक रूप से सिद्ध कर लिए जाने के पश्चात इन परियोगनाओं को योजना आयोग की सलाहकार समिति के समक्ष उसके विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

आयातित गेहूं का आना

211. **श्री बी० वी० देशाई :** क्या **खाद्य तथा नागरिक** पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका से आयात किया जा रहा लगभग छः लाख टन गेहूं दिसम्बर, 1982 के दौरान भारत आ पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं की आवक का शीघ्र और कारगर निकासी के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा में 10 लाख रुपए निकासी राशि के रूप में प्राप्त किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस धनराशि में भारत को कितना भुगतान करना पड़ा और अमेरिका से संविदा वाला गेहूं कब तक आएगा ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ग) 6547.50 लाख यू० एस० डालर को जहाज तक निष्प्रभार लागत पर संयुक्त राज्य अमेरिका से कुल 39.50 लाख मीटरी टन गेहूं आयात करने का ठेका किया गया था और इसमें से दिसम्बर, 1982 तक 5.65 लाख मीटरी टन गेहूं भारत पहुंच गया था । ठेके के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका से समस्त मात्रा को सितम्बर, 1982 से मई, 1983 के दौरान जहाज द्वारा भेजा जाना है ।

(ख) जी हां । यह सूचित किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम ने इस गेहूं की निकासी करने के लिए दिसम्बर, 1982 तक लगभग 34.00 लाख रुपये (अनन्तिम) को निवल डिस्पैच मनी कमायी है ।

गंगा और तीस्ता के पानी का बंटवारा

213. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री अमर राय प्रधान :

श्री चित्त बसु :

श्री माधव राव सिंधिया :

श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार :

श्री डी० पी० जदजा :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगाल देश को गंगा के पानी की दीर्घकालीन अवधि के आधार पर दृढ़ीकरण करने तथा तीस्ता एवं अन्य छोटी नदियों के पानी के अल्पकालीन अवधि के आधार पर बंटवारे की समस्या को सुलझाने का विश्वास है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिसम्बर, और जनवरी के दौरान दोनों देशों के विशेषज्ञों ने स्थिति का मौके पर अध्ययन करने के लिए फरक्का तथा अन्य स्थानों का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो इन दौरों का क्या परिणाम रहा तथा इस सम्बन्ध अनन्तिम समझौता कब तक होने की आशा है;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच विवाद के मुद्दे कम हुए हैं और किस सीमा तक समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारत और बंगला देश की संयुक्त समिति ने फरक्का में उपलब्ध गंगा के प्रवाह का बटवारा करने से सम्बन्धित व्यवस्था का संयुक्त रूप में निरीक्षण और मानीटरिंग करने के लिए जनवरी, 1983 में फरक्का का दौरा किया था और उसने गंगा के जल में दीर्घकालिक आधार पर वृद्धि करने या तीस्ता के जल का तदर्थ आधार पर बटवारा करने के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए उक्त दौरा नहीं किया था। तथापि, भारत बंगला देश संयुक्त नदी आयोग ने, दिसम्बर, 1982 में दिल्ली में हुई अपनी 23वीं बैठक में इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था, जब काफी हद तक समझौता हो गया था। तथापि, आयोग इन मुद्दों के बारे में अब भी अध्ययन कर रहा है।

विश्व बैंक (आई० डी० ए०) की वित्तीय सहायता से ग्रामीण जल प्रदाय योजना

213. **श्री के० राममूर्ति :**

श्री ईरा अनबारासु : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक (आई० डी० ए०) की वित्तीय सहायता से आरम्भ की गई ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं और सफाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं की क्या प्रगति है और इन पर कितना पूंजीगय परिव्यय होगा; और

(ग) क्रियान्बित की जा रही ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और अन्य बाह्य दान देने वाले कौन-कौन हैं और उसकी क्या प्रगति है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) विश्व बैंक (आई० डी ए०) की सहायता से कार्यान्वयनाधीन जलपूर्ति तथा मल निर्यास परियोजनाओं का एक **विवरण** संख्या-1 संलग्न है ।

(ग) दानी अभिकरणों के नामों सहित इन परियोजनाओं का एक **विवरण** संख्या-2 संलग्न है।

विवरण संख्या-1

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपयों में)	विश्व बैंक आई०डी०ए० की सहायता (अमरीकी चालर्स मिलियन) (समझौते के अनुसार)	पूरा होने की तारीख (लाख अन्तिम तिथि
1.	बम्बई जलपूर्ति तथा मल निर्यास परियोजना-2 (शहरी)	354	196	31-3-1985
2.	महाराष्ट्र जलपूर्ति तथा मल निर्यास परियोजनाएं (शहरी तथा ग्रामीण)	86	48	30-6-1984
3.	उत्तर प्रदेश जलपूर्ति तथा मल निर्यास परियोजना (शहरी तथा ग्रामीण)	60	40	31-12-1982
4.	राजस्थान जलपूर्ति तथा मल निर्यास परियोजना (शहरी तथा ग्रामीण)	138	80	31-12-1982
5.	पंजाब जलपूर्ति तथा मल निर्यास परियोजना (शहरी)	67	38	31-3-1984
6.	गुजरात जलपूर्ति तथा मल निर्यास परियोजना (शहरी तथा ग्रामीण)	136	72	30-9-1987

विवरण संख्या-2

क्र० सं०	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपयों में)	सहायता की मात्रा (डी० एफ० एल० मिलियन)
	नीदरलैंड सहायता		
1.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जलपूर्ति (जिले रायबरेली, इलाहाबाद तथा वाराणसी)	14.91	35.2
2.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जलपूर्ति 2 (जिले आगरा मथुरा तथा इटावा)	9.24	21.8
3.	गुजरात ग्रामीण जलपूर्ति	9.0	24.0
4.	नटिका-फिरका तथा चिरायनकिल जलपूर्ति योजना, केरल (ग्रामीण)	10.16	28.5
5.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण जलपूर्ति	11.40	29
6.	हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के द्योत सिद्ध गांव के समूह के लिए जलपूर्ति योजना	1.24	3
	डच सहायता		**(क्रोनर मिलियन)**
7.	तमिलनाडु ग्रामीण जलपूर्ति	11	16.0
8.	कर्नाटक ग्रामीण जलपूर्ति	1.2	19.1
9.	उड़ीसा ग्रामीण जलपूर्ति (प्रारम्भिक चरण)	15.5	10.5
10.	तमिलनाडु के सलीम तथा दक्षिणी अरकाट जिलों में हैंडपम्पों का नवीकरण	0 93	7.8
	पश्चिमी जर्मनी सहायता		**(डी० एम० मिलियन)**
11.	मध्य प्रदेश में ग्रामीण जलपूर्ति योजना	19.47	230.0
	ई० ई० सी० सहायता		**(ई० सी० यू० मिलिमन)**
12.	हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना	15.5	18.0
			(रुपये का प्रतिरूप निधि

ये सभी परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

सफाई कार्यक्रम के बारे में हुए सम्मेलनों की सिफारिशें

224. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफाई कार्यक्रय के बारे में उदयपुर और ऊटकमंड में अगस्त और अक्तूबर, 1982 में सरकारी स्तरीय पर हुए दो सम्मेलनों में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जहां तक स्वच्छता कार्यक्रम का सम्बन्ध है अगस्त तथा अक्तूबर, 1982 में जयपुर तथा ऊटकमण्ड में हुए सरकारी स्तर के दो सम्मेलनों की मुख्य सिफारिशें **विवरण** में दी गई हैं।

(ख) इन सम्मेलनों की सिफारिशों को नई दिल्ली में 19 जनवरी, 1983 को हाल ही में हुए राज्य मन्त्रियों, सचिवों मुख्य इन्जीनियरों तथा जलपूर्ति तथा स्वच्छता के प्रभारी कार्यान्वयन अभिकरणों के प्रधानों के सम्मेलन के समक्ष रखा गया थ' तथा सम्मेलन ने संकल्प किया था कि राज्यों तथा सघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत के जलवाही शौचालय कार्यक्रम की उच्च प्राथमिकता दी जाए। सम्मेलन ने ऊटी तथा उदयपुर सम्मेलनों की सिफारिशों पर भी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से त्वरित अनुवर्ता कार्यवाही करने की सिफारिश की।

आवास तथा नगर विकास निगम, भारत सरकार का एक उद्यम, कम लागत शौचालय योजनाओं को धन देने के लिए सहमत हो गया है। इस योजना के लिए ब्याज की दर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वग लाभभोगियों के बारे में त्वरित भुगतान के लिए 1/4 प्र० श० तक कम कर दी गई है।

विवरण

सिफारिशें

(1) एक राज्य स्तरीय निकाय की (क) कम लागत जलवाही शौचालय योजनाओं के बनाने तथा कार्यान्वयन में कार्यान्वयक अभिकरणों को तकनीकी मार्गनिर्देशन (ख) कार्यक्रम का प्रबोधन (इसका कार्यान्वयन, संचालन तथा अनुरक्षण) तथा मल ढोने वालों के पुनर्वास में सम्बद्ध कार्यक्रमों (ग) दुर्लभ सामग्रियों की खरीद में तथा दर संविदा आदि के माध्यम से सामग्रियों केन्द्रीयकृत खरीद के प्रबन्ध जहां व्यवहार्य तथा आवश्यक समझा जाए पूर्ण मितव्ययिता लाने तथा (घ) अन्य सम्बन्धित कार्य करने में सहायता देनी चाहिए।

(2) राज्य स्तरीय निकाय में सक्षम प्रशासकों तथा तकनीकी व्यक्तियों एवम् जन सेवियों विशेषत: महिला संगठनों से जोकि कार्यक्रम को प्रोन्नत कर सकें, प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

(3) प्रत्येक राज्य सरकार एक उचित स्थायी अभिकरण राज्य स्तर निकाय के रूप में नामित करे अथवा यदि आवश्यकता हो तो एक नया अभिकरण सृजित करे ।

(4) जिलों में अभिकरणों द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन व, समन्वय करने के लिए एक जिला स्तरीय निकाय भी गठित किया जाना चाहिए ।

(5) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए गैर सरकारी अभिकरणों को भी रखा जाना चाहिए । उन्हें लोगों को प्रेरणा देने तथा कार्यक्रम को प्रोन्नत करने के काम में लगाया जाना चाहिए ।

(6) सामुदायिक शौचालयों संचालन तथा अनुरक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों अथवा विशेष गैर सरकारी अभिकरणों की होनी चाहिए ।

(7) ठेकेदारों को शामिल करके कार्यक्रम में लगे सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए उचित संस्थानों में उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ।

(8) मल ढोने वालों के लिए साथ ही साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि वे दूसरे व्यवसाय कर सकें । स्वयं रोजगार के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं देने की आवश्यकता है ।

9. केन्द्र तथा राज्य स्तर पर कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने चाहिए ।

(10) भारत सरकार द्वारा छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास का केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना में दी गई सहायता कम लागत शौचालय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उपयोग में लायी जाए ।

(11) आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको), जीवन बीमा निगम (एल० आई० सी०) तथा वाणिज्यिक बैंकों जैसी संस्थाओं से ऋण लिया जाना चाहिए जिन्होंने कार्यक्रम को धन देने में रुचि प्रदर्शित की है ।

(12) उधार देने वाले अभिकरणों के ऋण की ब्याज दर तथा भुगतान की अवधि उचित होनी चाहिए जिसमें लाभभोगियों की देय क्षमता का ध्यान रखा जाए ।

(13) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उद्योगपतियों को शामिल करने की सम्भावना भी खोजी जाए ।

(14) मल ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता है ।

(15) जहां कहीं उचित समझा जाए परिवारों से ऋण की वसूली करने में बैंक जैसे अभिकरणों को शामिल किया जाए ।

(16) प्रत्येक नगरपालिका में एक राशि सृजित की गई जिससे शुष्क शौचालयों नए जल वाही शौचालयों में बदला जा सके ।

(17) एक गड्डा पद्धति में ताजा मल मूल के नियन्त्रण में स्वास्थ्य की हानि सम्मिति है तथा मल ढोने की सेवा निरन्तर रहती है । अतः दोहरा गड्डा पद्धति केम लागत जलवाही शौचालयों के लिए अपनायी जानी चाहिए ।

(18) कार्यक्रम को कानूनी सहायता देने के लिए वर्तमान अधिनियमों, नियमों, विनियमनों तथा उपविधियों जोकि स्थानीय प्राधिकारियों तथा किराया नियन्त्रण अधिनियमों एवम् वहां अपेक्षित हो वहां किए गए संशोधनों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि कार्यक्रम त्वरित कार्यान्वयन सुचारू रूप से हो ।

(19) सार्वजनिक स्थानों तथा किसी खुले स्थान—सार्वजनिक अथवा निजी खुले स्थान में शौच करना कानूनन निषिद्ध किया जाना चाहिए ।

(20) निर्माण, संचालन, अनुरक्षण तथा शौचालयों के नियन्त्रण को विनियिमित करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आदर्श उपविधियां अपनाई जानी चाहिये जोकि भारत वर्ष में कम लागत जलवाही शौचालयों के अभिकल्पन, निर्माण तथा अनुरक्षण के मेनुअल से निर्दिष्ट किए गए हैं । जहां तक सम्भव हो, इन्हें अपनाया जाए ।

(21) यदि सम्भव हो, नगरपालिकाओं के प्रमुख कर्त्तव्यों में मल ढोने की प्रथा को समाप्त करने तथा मल ढोने वालों का व्यवसाय बदलने को शामिल किया जाए ।

(22) यदि कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर अपनाया जाना हो तो समाज, गैर सरकारी तथा ऐच्छिक अभिकरणों के भाग लेने को सुनिश्चित किया जाए ।

(23) साथ ही साथ मल ढोने वालों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए ।

(24) नगरीय विकास, स्वाथ्य एवम् सामाजिक कल्याण क्षेत्रों के सम्बद्ध कार्यक्रमों में कम लागत जलवाही शौचालय कार्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए ।

फुटबाल के खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनाने की योजना

215. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फुटबाल के खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में सुब्रोतों कप टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी खेले उनमें से कितने खिलाड़ियों को इस कार्य के लिए सुना गया है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) यद्यपि, फुटबाल खेल के स्तरों को बढ़ाने की फिर भी मुख्य जिम्मेदारी अखिल भारतीय फुटबाल संघ की है, सरकार राष्ट्रीय फुटबाल टीमों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उनके भाग लेने से पूर्व शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करती हैं । प्रदान की गई सुविधाओं में, शिक्षण शिविरों को चलाने से सम्बन्धित व्यय को बहन करना, शिक्षण शिविर के दौरान भोजन सम्बन्धी राशि की व्यवस्था और ऐसे शिविरों के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को उपलब्ध कराना, जहां कहीं संघ द्वारा मांग की गई हो, सम्मिलित है । अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विदेशों में जाने वाली राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को दोनों तरफ का विमान किराया देकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदर्शन को प्रोत्साहन भी दिया जाता है । इसी प्रकार देश में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

(ग) अपेक्षित सूचना की अखिल भारतीय फुटबाल संघ से प्रतीक्षा है जिसे इस मामले में लिख दिया गया है ।

भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ द्वारा मंत्री महोदय को ज्ञापन

216. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने 1982 के अन्तिम दिनों में मन्त्री महोदय को कोई ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त ज्ञापन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की कई यूनियनें हैं जोकि समय-समय पर मन्त्री को पत्र भेजती रहती हैं मंत्री को सम्बोधित कुछेक अभ्यावेदन दिसम्बर, 1982 के दौरान प्राप्त हुए थे और इनमें वेतन में वृद्धि करने और निगम में हड़ताले रोकने विषयक अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन जारी किए गए आदेशों को निरस्त करने के बारे में कई एक मांगें रखी गई थीं ।

(ग) सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर विधिवत विचार किया ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक कार्यवाही

117. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने दिसम्बर, 1982 में औद्योगिक कार्यवाही की थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी औद्योगिक कार्यवाही के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम की विभिन्न स्टाफ यूनियनों की प्रमुख माँग वेतन में संशोधन होने तक वेतनमानों में वृद्धि करने और अन्तरिम सहायता देने से संबंधित थीं। सरकार ने कुछ शर्तों पूरी करने पर निगम के श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों के वेतन में 1-10-1982 से संशोधन करना सिद्धान्त रूप में मान लिया है और उसके फलस्वरूप सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के श्रेणी 3 और 4 के सभी कर्मचारियों को 40% रुपये प्रति मास को तदर्थ अन्तरिम सहायता देने विषयक प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया है ।

दिल्ली में खेल कूद स्टेडियमों का उपयोग

218. **श्री एडुआर्दो फलोरो :**
श्री बापू साहिब पारुलेकर :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नवम् एशियाई खेलों के अवसर पर जीर्णोद्धार कराए गए या नये खेल कूद के विभिन्न स्टेडियमों और रिहायशी कम्प्लेक्स के पूरे तथा लगातार उपयोग के लिए कोई योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) एशियाड '82 के लिए निर्मित किए गए स्टेडियमों तथा उन स्टेडियमों, जिनका नवीकरण किया गया है, इनमें स्टेडियमों के अन्दर के आवासीय परिसर भी शामिल हैं, को सही रखने के लिए उन्हें अधिकाधिक प्रयोग में लाया जाएगा। पुरुष खिलाड़ियों महिला खिलाड़ियों तथा खेलों से सम्बन्धित अन्यों के लिए आवासीय निवास हेतु उचित लागत पर जहां कहीं भी स्टेडियमों में सम्भव होगा, सुविधायें प्रदान की जाएंगी जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में पहले से ही एक आवासीय खण्ड स्थापित कर दिया गया है। यह योजना बनाई गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं द्वारा इन स्टेडियमों को अधिकाधिक उपयोग में लाकर खेल चेतना में जागरुकता को बढ़ावा दिया जाएगा। इन स्टेडियमों को ठीक बनाए रखने तथा इनके प्रबन्ध पर भी पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा ।

राज्यों में खाद्यान्न का अभाव

216. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री चित्त महाटा : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ राज्यों में खाद्यान्न का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें खाद्यान्न का भण्डार अपर्याप्त है;

(ग) इन राज्यों में लोगों की आवश्यकता पूर्ति हेतु खाद्यान्न की सप्लाई के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) प्राकृतिक विपदाओं, सूखे और अन्य कारणों, जिनके परिणामस्वरूप खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्यों में बृद्धि होती है, से खाद्यान्नों की कमी के बारे में जब कभी सूचना प्राप्त होती है, तब राज्यों के आवंटनों में वृद्धि कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यय से अधिक मात्रा में खाद्यान्न जारी करने के लिए कार्रवाई की जाती है वर्ष 1982 के दौरान सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से 148 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का वितरण किया गया था। इस प्रकार के पग उठाने से यह सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्यान्नों की कोई कमी न होने पाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम सुविधाएं

220. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि परीक्षण सुविधाओं की कमी के कारण प्रतिवर्ष लाखों टन अनाज का नुकसान हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त गोदाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ग) गोदाम सुविधाओं के अभाव में पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यवार कितने अनाज का नुकसान हुआ है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) सरकार को अपर्याप्त भण्डारण सुविधाओं के कारण खाद्यान्नों की हानि की जानकारी है लेकिन ऐसी हानियों के अलग-अलग अनुमान हैं।

(ख) इस मन्त्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण गोदामों के एक राष्ट्रीय जाल की स्थापना की योजना के अन्तर्गत छठी योजना 1980-85 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 2 मिलियन मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डार क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है।

सहकारी क्षेत्र में भी ग्रामीण गोदामों के निर्माण का एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) व (घ) गत दो वर्षों में गोदाम के सुविधाओं के अभाव में खाद्यानों की हानि के कोई राज्यवार अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी

221. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को प्रायद्वीपीय नदियों के जल के उचित उपयोग के सम्बन्ध में एक विस्तृत अध्ययन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो वे नदियां कौन-सी हैं जिनके बारे में अध्ययन किए गए हैं;

(ग) क्या महानदी नदी के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अध्ययन का ब्यौरा क्या है और यदि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) प्रायद्वीपीय नदियों पर जलाशयों का निर्माण करके और उन नदियों को आपस में जोड़कर, जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण आरम्भ करने के लिए सिंचाई मन्त्रालय ने जुलाई, 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का एक सोसायटी के रूप में गठन किया है। अन्वेषणों और व्यवहार्यता रिपोर्टों को तैयार करने का कार्य 7-10 वर्षों की अवधि में पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। अभिकरण में अभी कर्मचारियों और सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। अभिलेखों तथा आंकड़ों आदि का संग्रहण आरम्भ कर दिया गया गया है तथापि, महानदी वेसिन आदि के बारे में कोई विस्तृत अध्ययन अभी आरम्भ नहीं किया गया है।

उड़ीसा को खाद्यान्न

222. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु उड़ीसा को पर्याप्त मात्रा में चावल और गेहूं की सप्लाई की है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा को गत छः महीने के दौरान, महीनेवार कितना-कितना गेहूं और और चावल आवंटित किया गया; और

(ग) वर्ष 1983 के आगामी महीनों में कितनी अतिरिक्त मात्रा देने का विचार किया गया है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सूखे की स्थिति से उत्पन्न बढ़ी हुई मांग के सन्दर्भ में सार्वजनिक वितरण के लिए गेहूं के मासिक आवंटन को अक्तूबर, 1982 के 7,090 मीटरी टन से बढ़ाकर नवम्बर, 1982 तथा उसके बाद 12,000 मीटरी टन कर दिया गया था। चावल के आवंटनों को भी 10,000 मीटरी टन प्रतिमास के स्तर पर बनाए रखा गया है। इसके अलावा, विशेष तदर्थ आवंटन भी किए हैं—दिसम्बर, 1982/जनवरी, 1983 के लिए दो महीनों की अवधि के लिए 5,000 मीटरी टन गेहूं और फरवरी, 1983 के लिए 10,000 मीटरी टन गेहूं और 8,000 मीटरी टन चावल।

दिसम्बर, 1982 में राज्य में राहत कार्यों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने विषयक योजना के अधीन 3,000 मीटरी टन गेहूं की अतिरिक्त मात्रा भी आवटित की गई थी।

(ख) एक **विवरण** संलग्न है, जिसमें सितम्बर 1982 से फरवरी, 1983 तक उड़ीसा की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के आवंटनों का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आवंटन प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं की प्रत्येक मास समीक्षा की जाती है और उपर्युक्त कसौटी को दृष्टि में रखकर आवंटनों के बारे में निर्णय किया जाता है।

विवरण

सितम्बर, 1982 से फरवरी, 1983 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उड़ीसा को गेहूं और चावल के किए गए आवंटन को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

मास	गेहूं	चावल
सितम्बर, 1982	7.0	20.0*
अक्तूबर, 1982	7.0	10.0
नवम्बर, 1982	12.0	10.0

1	2	3
दिसम्बर, 1982	12.0	10.0
जनवरी, 1983	17.0**	10.0
फरवरी, 1983	22.0=	18.0=

* इसमें बाढ़ राहत कार्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सितम्बर, 1982 के दौरान तदर्थ आधार पर 10,001 मीटरी टन चावल की अतिरिक्त मात्रा शामिल है।

** इसमें दिसम्बर, 1982/जनवरी, 1983 के लिए 5000 मीटरी टन का किया गया तदर्थ विशेष आवंटन शामिल है।

= इसमें फरवरी, 1983 के दौरान 10,000 मीटरी टन गेहूं और 8,0८0 मीटरी टन चावल का अतिरिक्त विशेष आवंटन शामिल है।

गेहूं का आयात

223. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :**

श्री रामलाल राही :

श्री रघुनन्दन भाटिया : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परकार ने गेहूं का आयात करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो तसम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार के हाल ही के दावों के अनुसार गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो गेहूं के आयात के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ग) जी हां। बफर स्टाक तैयार करने की की दृष्टि से और मूल्यों पर दबाव को रोकने के लिए एक उपाय के रूप संयुक्त राज्य अमेरिका से 6547.78 लाख यू० एस० डालर की जहाज तक निष्प्रभार लागत पर कुल 39.50 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने के लिए एक ठेका किया गया है, जिसे सितम्बर, 1982 से मई, 1983 की अवधि के दौरान जहाज द्वारा भेजा जाएगा।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान देश में अनुमानतः 378 लाख मीटरी टन गेहूं का रिकार्ड उत्पन्न हुआ था। वर्तमान वर्ष 1982-83 के लिए उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के कारण कृषि अनुसंधान और विकास की असफलता

224. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महा निदेशक सभी प्रबन्धकीय सिद्धान्तों के विपरीत इसके शासी निकाय के भी चेयरमैन हैं और इस तरह वह अपने ही कार्य और निष्पादन का मूल्यांकन करता है; और

(ख) क्या इसका कृषि अनुसंधान और विकास तथा आयात पर कोई प्रभाव पड़ता है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय का चेयरमैन है जो परिषद के कार्यों और नीतियों का नियन्त्रण करता है । लेकिन शासी निकाय का निर्णय अनिवार्य रूप से महानिदेशक का निर्णय नहीं होता । शासी निकाय के निर्णय, कार्यवाही को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय कृषि मन्त्री की स्वीकृति लेनी होती है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी का अध्यक्ष है । इस तरह महानिदेशक को न केवल शासी निकाय द्वारा लिए गए निर्णय सम्बन्धित विचारों की जानकारी होती है बल्कि इन निर्णयों को कार्यान्वित करने की भी उसकी जिम्मेवारी होती है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । बल्कि इससे परिषद के अनुसंधान और शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार होता है ।

भारतीय/विदेशी नस्ल पशुओं की अलग-अलग संख्या

225. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में भारतीय तथा विदेशी नस्ल के पशुओं की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : पशु गणना (1977) के अनुसार; भारत में पशुओं की कुल संख्या 1801.4 लाख है । इस गणना में देश में भारतीय तथा विदेशी नस्ल के पशुओं का पृथक्-पृथक् ब्यौरा नहीं दिया है ।

गन्ने के सांविधानिक न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर अदायगी

226. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री रामावतार शास्त्री : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ राज्यों में चीनी मिलें चालू वर्ष में गन्ने का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कम दे रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और पिछले वर्ष की तुलना में कितना मूल्य कम दिया जा रहा है; और

(ग) गन्ने का कम मूल्य देने का क्या औचित्य है ?

खाद्य तथा मागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) एक तुलनात्मक **विवरण** संलग्न है जिसमें 1981-82 और 1982-83 मौसमों के दौरान विभिन्न राज्यों में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा वास्तव में दिये गए गन्ने के मूल्यों को बताया गया है।

(ग) गन्ने के जो मूल्य दिए जाते हैं वे सामान्यतया केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक होते हैं और इनका हिसाब मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा लगाया जाता है।

विवरण

चीनी फैक्ट्रियों द्वारा फैक्ट्री के द्वार पर जिन मूल्यों पर गन्ना खरीदा जा रहा है/था के रैंज को बताने वाला विवरण।

(आधार : चीनी फैक्ट्रियों/राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना)

मूल्य रुपयों/क्विंटल में)

राज्य	1981-82 मौसम	1982-83 मौसम
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	21.50	18.85 से 21.50
मध्य उत्तर प्रदेश	21.50	17.60 से 21.50
पूर्वी उत्तर प्रदेश	20.50	17.40 से 20.50
बिहार	20.50	20.50
पंजाब	23.00 से 26.00	20.00 से 23.00
हरियाणा	22.00	20.00 से 23.00
असम	18.00 से 20.51	20.00
पश्चिमी बंगाल	17 50 से 23.00	16.00 से 20.00
उड़ीसा	17.00 से 23.00	14.38 से 20.00
मध्य प्रदेश	20.00 से 21.00	—सू०न०—
राजस्थान	14.99 से 25.00	18.00 से 25.00
महाराष्ट्र	18.00 खेत पर अग्रिम	14.25 से 17.00 खेत पर अग्रिम
गुजरात	10.00 से 18.00 खेत पर अग्रिम	10.00 से 21.50 खेत पर अग्रिम

1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	13.37 से 23.67	13.64 से 23.65
तमिलनाडु	17.50 से 20.61	13.00 से 16.21
कर्नाटक	14.84 से 27.50	17.00 से 22.70 खेत पर अग्रिम
केरल	17.00 से 20.00	17.00 से 20.00
पांडिचेरी	17.69	14.38
नागालैंड	19.50	—सू०न०—
गोआ	19.50 खेत पर	15.05 अग्रिम

सू०न० = सूचित नहीं किया

"स्टेट्स टोल्ड टू आर्नमन्ट रूलर वाटर सप्लाई" शीर्षक समाचार

227. **मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेय जल सप्लाई के लिए समस्या वाले गांवों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) समस्या वाले गांव समझे जाने हेतु क्या आधार और तथ्य है; और

(घ) वर्ष 1983-84में राज्यवार किसी धनरशि देने का विचार है?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1-4-80 की स्थिति के अनुसार पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों का **विवरण** में विया गया है ।

(ग) समस्याग्रस्त ग्राम, उन ग्रामों को चुना गया है (i) जिनमें 1.6 कि० मी० की पर्याप्त दूरी या 15 मीटर की गहराई तक पेय जल का निश्चित स्रोत नहीं है ।

(ii) ग्राम जो हैजा, नहरूआ आदि जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं; और

(iii) ग्राम, जहां उपलब्ध पानी में लवणता, लोहा, पलोराइड या अन्य विषैले तत्व अधिक मात्रा में हों, ऐसे ग्रामों का चयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

(घ) संसद् द्वारा बजट को पारित करने बाद 1983-84 में राज्यवार दी जाने वाली प्रस्तावित राशियों को निर्धारित किया जायेगा।

विवरण

ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम

1-4-80 की स्थिति के अनुसार उन समस्या ग्रस्त ग्रामों की संख्या जहां जलपूर्ति राशियों की व्यवस्था की जानी शेष थी।

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8,206
2.	असम	15,743
3.	बिहार	15,194
4.	गुजरात	5,318
5.	हरियाणा	3,440
6.	हिमाचल प्रदेश	7,815
7.	जम्मू तथा कश्मीर	4,698
8.	कर्नाटक	15,456
9.	केरल	15,18
10.	मध्य प्रदेश	24,954
11.	महाराष्ट्र	12,935
12.	मणिपुर	1,212
13.	मेघालय	2,927
14.	नागालैण्ड	649
15.	उड़ीसा	23,616
16.	पंजाब	1,757
17.	राजस्थान	19,803
18.	सिक्किम	296
19.	तमिलनाडु	6,649
20.	त्रिपुरा	2,800
21.	उत्तर प्रदेश	28,505

1	2	3
22.	पश्चिम बंगाल	25,243
23.	अण्डमान निकोबार	173
24.	अरुणाचल प्रदेश	1,740
25.	चण्डीगढ़	शून्य
26.	दिल्ली	99
27.	दादर तथा नागर हवेली	—
28.	गोआ दमन तथा दीव	66
29.	लक्ष द्वीप	—
30.	मिजोरम	214
31.	पांडिचेरी	118
	योग	2,30,784

सेमीफाइनल कोरिया और कुबैत के बीच में हिंसा

228. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाड-एशियाई खेलों के दौरान सेमीफाइनल में कोरिया और कुबैत के बीच हुई हिंसा के परिणाम स्वस्थ थाई के रेफरी पर हमला हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) तिब्बत बोर्डर पुलिस की क्या भूमिका थी;

(घ) क्या उन्हें एशियाई खेल अधिकारियों ने उन्हें तिब्बती बार्डर पुलिस) बुलाया था; और

(ङ) क्या कोरिया के ब्यक्तियों ने एशियाई खेल अधिकारियों से तिब्बती बार्डर पुलिस द्वारा ज्यादती किए जाने की शिकायत की है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कुबैत और कोरिया के बीच हुए सेमीफाइनल फुटवाल मैच के शीघ्र बाद कुछ लोगों ने थाई रेफरी पर हमला किया । तथापि, स्टेडियम में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के हस्तक्षेप से स्थिति को संभाल गया था ।

(ग) भारत तिब्बत सीमा पुलिस का कार्य दिल्ली पुलिस की सहायता करना था जो मोर्चे एशियाई खेलों के दौरान सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) जी, नहीं ।

सरकारी चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों को दिए गए गन्ने के मूल्य

229. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन चल रहे चीनी मिलों के नाम क्या हैं;

(ख) इन मिलों द्वारा तथा निजी क्षेत्र के अन्य मिलों द्वारा एवम राज्य सरकार के अधीन चल रहे मिलों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किसानों को गन्ने का प्रति क्विंटल क्या मूल्य दिया गया;

(ग) क्या केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन चल रहे चीनी मिल में पृथक-पृथक मूल्य ढांचा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समय तत्सम्बन्धी स्थिति क्या है;

(ङ) क्या इन मिलों को गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों को भी राज्य सरकार द्वारा आरम्भ से ही निश्चित किए गए मूल्य अदा किए जायेंगे; और

(च) क्या इस तरह का कोई आश्वासन सरकार तथा कस्टोडियन द्वारा दिया गया है ?

उपाबन्ध-1 के रूप में एक विवरण संलग्न हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5798/83]

(ख) **उपाबन्ध-2** से iv के रूप में विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5798/83]

(ग) जी हां । केवल 1982-83 मौसम के लिए।

(घ) केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध के अधीन मिलों के अभिरक्षकों को परामर्श दिया गया था कि वे वही मूल्य अदा करें जो कि आर्थिक रूप से लाभकारी समझे जाते हों ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा सुझाए गए मूल्य बराबर अदा किए जा रहे हैं ।

(ङ) इस समय राज्य सरकारों द्वारा गिर्धारित किए गए मूल्यों को अदा करने बिषयक कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है ।

(च) जी नहीं ।

ग्रामीण विकास के लिए राजस्थान को नियतन

230. **श्री विरदाराम फुलवारिया :** क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को 1982-83 के दौरान ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने कितनी धन-राशि नियत की है; और

(ख) जालौर जिले के पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा सिरोही जिले के आदिवासियों के उत्थान के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) वर्ष 1982-83 के दौरान ग्रामीण विकाम के कुछ मुख्य कार्य अर्थात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए राजस्थान को दिए निधियों के केन्द्रीय आबंटन को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है;

(ख) इस प्रकार की जिलावार सूजना इस मन्त्रालय में एकत्र नहीं की जाती है ।

विवरण

वर्ष 1982-83 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को दिए गए केन्द्रीय आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

कार्यक्रम	(लाख रुपये में) निधियों का केन्द्रीय आवटन
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	928.00
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	492.00
3. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	290.00
4. मरुभूमि विकास कार्यक्रम	785.50

नए मन्त्रियों का परिचय

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का अपने कुछ सहयोगियों से, जिनमें से कुछ हाल ही में मन्त्री पर नियुक्त किए गए हैं जबकि कुछ को पदोन्नत किया गया है परिचय कराता हूं ।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : नौवहन और परिवहन मन्त्री;

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वाणिज्य और पूर्ति विभाग के मन्त्री ।

श्री वी० एन० गाडगिल : संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री वह अभी दूसरे सदन में है ।

श्री हरिनाथ मिश्र : ग्रामीण विकास मन्त्रालय में स्वतन्त्र प्रभार राज्य मन्त्री ।

श्री० आर० एन० मिर्धा : सिंचाई मत्रालय में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ।

श्री एस० एम० कृष्णा : उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री; वे मन्त्री जिनकी पदोन्नति की गई है ।

श्री बूटा सिंह : संसदीय कार्य, खेल और निर्माण तथा आवास मन्त्री ।

श्री के० पी० सिंह देव : रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ।

श्री धर्मवीर : श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री; वह अब दूसरे सदन में हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री;

श्री कल्पनाथ राय : संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री, वह भी दूसरे सदन में हैं ।

(व्यवधान)

सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : जिस तरह आपने आज की कार्य सूची नोटिस बोर्ड पर लगायी है कृपया उसी तरह आज के मन्त्रियों की सूची भी नोटिस-बोर्ड पर लगा दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो इस बारे में भी बात की जाएगी ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अन्यथा, हमें कैसे पता चलेगा ?

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : हमें मन्त्रियों की सूची **(व्यवधान)** ।

श्री बाबूराव पराजये (जबलपुर) : हर 15 दिन में कर देते हैं, कौन मन्त्री हटा है और कौन, यह पता लगना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हमें सूची चाहिए । महोदय, क्या आप मेरा सुझाव स्वीकार करेंगे । जिस तरह हमें रोज कार्य-सूची दी जाती है । मन्त्रियों की सूची भी दी जानी चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सर्कुलेट कर देंगे आपको प्रोफेसर साहब दिल लगा रहेगा ।

असम के बारे में वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : असम में हाल ही में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उससे हमें बहुत दुःख हुआ है। कल, मैंने कुछ बहुत प्रमाणित पीड़ित लोगों का दौरा किया भोले-भाले लोगों जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जो निर्दयता और संत्रास किया गया और जो बड़े पैमाने पर आगजनी और सम्पत्ति की तबाही हुई, उसका वर्णन करना मुश्किल है। प्रधान मन्त्री स्वयं कुछ प्रभावित स्थानों का दौरा आज कर रही है।

इस समय हमारे समक्ष सबसे आवश्यक कार्य प्रभावित परिवारों को संकट के समक्ष हर संभव सहायता प्रदान करना है। यह कार्य बड़ी शीघ्रता से किया जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : नहीं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उन्हें डाक्टरी सहायता और अन्य वस्तुएं भेज दी गई हैं। उनको राहत और पुनर्वास के लिए जो भी आवश्य हुआ सरकार करेगी।

लम्बा आंदोलन...(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, क्या आप गृह मन्त्री को सदन को गुमराह करने की अनुमति देंगे। असम में जीवन बचाने वाली दवाइयों की कमी है और इस कारण भी लोग मर रहे हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमने उन्हें औषधियां भेजी हैं। मैं बता चुका हूं।

असम में लम्बे आन्दोलन ने विभिन्न वर्गों और दलों में अविश्वास और कटुता का वातावरण पैदा किया है और आपसी मैत्री को भंग किया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आंदोलन के बाद जो वाद-विवाद पैदा हुआ उसने जातीय और साम्प्रदायिक मनोभावों को उभारा है।

...(**व्यवधान**)

इस विध्वन्स के लिए शीघ्र उत्तेजना का एक कारण कुछ व्यक्तियों का उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जो अपने प्रजातांत्रिक मताधिकार का प्रयोग करना चाहते, शेष बनाया जाता है। यह सर्वविदित है कि कुछ तत्त्वों ने चुनाव कराने का विरोध किया है और इसे बिफल बनाने के लिए सभी उपायों का सहारा लिया है। मुझे इस बात का दुःख है कि बड़ी संख्या में लोगों की जानें गईं।

(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कितने लोगों की जानें गईं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी :हालांकि उनमें से सभी लोगों का चुनाव से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राजनैतिक दलों ने इन तत्त्वों को सहायता देने का मार्ग चुना है (**व्यवधान**) और यहां तक कि हिंसा की भी निन्दा नहीं की है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार ने असम में विदेशियों की जटिल समस्या का संतोषजनक समाधान ढूंढ़ने का हर सम्भव प्रयास किया है । इसमें, समय-समय पर विपक्षी नेताओं के साथ परामर्श करने के अतिरिक्त, निपक्षीय वार्त्ता के सात दौर किए गए हैं ।

जब जनवरी 1983 में गतिरोध समाप्त करने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता का अन्तिम दौर असफल हो गया तो प्रधान मंत्री 5 जनवरी, 1983 को विपक्षी नेताओं से मिलीं और उन्हें स्थिति से अवगत कराया । संविधान में संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के संबंध में विपक्षी नेताओं में सहमति न हो सकने के कारण 18 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाली राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने का एकमात्र विकल्प संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (5) के अनुसार कार्यवाही करना था । परन्तु सरकार इस प्रकार के कदम के पक्ष में नहीं थी ।

निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के तत्काल बाद अखिल असम विद्यार्थी संघ तथा अखिल असम गण संग्राम परिषद द्वारा आन्दोलन का एक लम्बा, गहन तथा उग्र कार्यक्रम चलाया गया । डराने के लिए सभी प्रकार के हथकण्डे अपनाए गए तथा हिंसा के द्वारा आतंक का वतावरण बनाने का प्रयत्न किया गया । उम्मीदवारों, उनके समर्थकों, उनके परिवार के सदस्यों उनके दल के कार्यालयों को तथा उनके दल के कार्यकर्त्तायों को हमले का निशाना बनाया गया । विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक उम्मीदवार को तथा एक दूसरे मामले में उम्मीदवार के नाम के प्रस्तावक को जान से मार दिया गया । कुछ मामलों में उम्मीदवारों के परिवार के सदस्यों का अपहरण किया गया तथा उम्मीदवारों पर और उनके निवास-स्थानों पर बम फैंके गए । आन्दोलनकारियों और उनके समर्थकों द्वारा नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया में रुकावट डालने की नाकाम कोशिशों के वावजूद लगभग 600 उम्मीदवारों ने विधान सभा तथा लोकसभा स्थानों के लिए नामांकन पत्र भरे ।

यह बड़े खेद की बात है कि इसके पश्चात् भी हर तरीके से चुनावों में बाधा डालने के प्रयास किए । नामांकन पत्र भरने तथा चुनावों के बीच की अवधि में शरारती तत्वों द्वारा आगजनी की गई तथा पुलों को नष्ट करके और रेल लाइनों और टेलीफोन लाइनों में तोड़फोड़ करके संचार सुविधाओं को भंग किया गया । कुछ स्थानों पर भीड़ ने पुलिस पार्टियों । थानों और मतदान केन्द्रों पर प्राणघातक तथा आग्नेय अस्त्रों से हमले किए । पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी ।

यह हमारे लोगों की खूबी और साहस ही है कि इन सभी कठिनाइयों के बावजूद वे अपने बुनियादी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आगे आए और यह दिखा दिया कि उनका लोकतान्त्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास है ।

1979 से चल रहे आन्दोलन से लेकर अब तक हिंसा में तथा उग्रवादियों की गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है । सरकार ने गम्भीर उत्तेजक परिस्थितियों के बावजूद स्थिति से निपटने के लिए अत्यन्त धैर्य का परिचय दिया है । सरकार ने प्रत्येक स्रोत का पूर्ण प्रयोग किया तथा स्वतन्त्र

और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबन्ध किए। असम की दुखद और निन्दनीय घटनाओं के कारण अत्यन्त वेदना का वातावरण उत्पन्न हो गया है और इसकी सभा के सभी वर्गों द्वारा निंदा की जानी चाहिए क्योंकि लोकतन्त्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है।

सरकार का सदैव यह विश्वास रहा है कि मामलों को बातचीत के द्वारा हल किया जाना चाहिए तथा शांति भंग करने वाला कोई भी काम नहीं किया जाना चाहिए। यह आशा की जाती है कि प्रतिनिधि सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के पश्चात् राज्य के विकास की गति तीव्र होगी तथा असम की जनता की समस्याओं को सन्तोषजनक ढंग से हल किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से विदेशी नागरिकों की समस्या को शान्ति से हल करने के लिए प्रयास करती रहेगी।

अन्त में, मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि उनके विचार या नीतियां जो भी हों, वे असम में विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच सौहार्द तथा मैत्री लाने में सहयोग दें। अब जख्मों उग्र पर नमक छिड़कने की बजाय मरहम लगाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि सभा के सभी सदस्य, जो कुछ हुआ है उसकी निन्दा करने तथा निरर्थक हिंसा के शिकार लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देंगे।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास तीन नाम हैं। प्रो० मधु दण्डवते को प्राथमिकता मिलेगी। वह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

असम के बारे में प्रस्ताव

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा असम के बारे में गृह मन्त्री द्वारा 21 फरवरी, 1983 को दिए गए वक्तव्य पर विचार करती है।"

असम की स्थिति के बारे में मैं अत्यन्त दुःख और विक्षोभ के साथ चर्चा आरम्भ करता हूं। मुझे यह देखकर दुःख और विक्षोभ हुआ है कि विदेशियों के मामले के बारे में, कराए गए चुनावों तथा अन्य सभी संबंधित मामलों के बारे में और कोई नहीं बल्कि स्वयं प्रधान मंत्री सम्पूर्ण देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं। **(व्यवधान)** वे अनुभव करते हैं कि मैं गलती कर रहा हूँ। इसलिए वे प्रधान की तरफ हैं।

महोदय, मैं इन मामलों की पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा ताकि स्थिति को स्पष्ट किया जा सके। तब विदेशियों का मामला उठा था तब विपक्षी नेताओं ने यह सुझाव दिया था कि विपक्षी दलों द्वारा प्रधान मंत्री तथा विभिन्न मन्त्रियों के साथ इस समस्या पर विचार किये जाने की बजाए

यह बेहतर है कि हम त्रिपक्षीय वार्ता करे और उसमें विपक्ष के एक छोटे से वर्ग को, दलों के केवल कुछ चुनींदा नेताओं से, राष्ट्रीय दल के नेताओं से तथा आन्दोलनकारियों के नेताओं से बात करनी चाहिए तथा सरकार के प्रतिनिधियों को साथ बैठकर इस मामले को हल करने का प्रयत्न करना चाहिए । महोदय, आप मुझसे सहमत होंगे कि जहां तक विपक्ष दलों का सम्बन्ध है हमने पूरे दिल से सहयोग किया था तथा विभिन्न प्रकार के हल निकालने में भी पूरी सहायता की थी । वार्ता चल रही थी । संसद का पिछला सत्र समाप्त होने को आ गया । तब सरकार ने उदासीनता का रुख अपनाया । सरकार को लगा कि चुनाव करना संभव नहीं है क्योंकि असम में अधिकांश लोग चुनाव कराने के वे विरुद्ध हैं अत: हमने प्रधान मन्त्री के साथ बैठक की तथा हमने राज्यसभा के नेता के साथ बैठक की ।

जब हम राज्य सभा के नेता श्री प्रणव मुखर्जी के कक्ष में मिले तो हमने यह कहा कि यदि आप सत्र को एक दिन बढ़ाने और संविधान संशोधन लाने का प्रयत्न करेंगे तो इसका नवम्बर को जब आन्दोलन के नेताओं से वार्ता होगी तब उस वार्ता को पहले ही फेल हुआ समझा जाएगा और वार्ता जारी रखना आन्दोलनकारियों से धोखाधड़ी होगी । इसका अर्थ होगा हमने आपस में गुप्त रूप से यह समझौता कर लिया है कि हम संविधान संशोधन लाएंगे और राष्ट्रपति शासन को एक सीमित अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा और यदि इस पृष्ठभूमि के साथ त्रिपक्षीय वार्ता जारी रखी जाती है तो वह धोखाधड़ी होगी तथा आन्दोलनकारियों के साथ धोखा होगा ।

अत: राज्यसभा के नेता के समक्ष अपनी भावनाओं को प्रकट करते समय हमने, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लोकदल तथा अन्य कुछ दलों के प्रवक्ताओं ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति शासन को एक सीमित अवधि के लिए बढ़ाया जाए और इस बीच विदेशियों के मामलों को हल किया जाए । परन्तु यदि आप इसे 6 और 7 तारीख से पहले करते हैं तो इसका अर्थ होगा उन लोगों के साथ धोखा करना जिनसे हम वार्ता कर रहे हैं; उनसे इस तथ्य को छिपाना कि हमने यह समझ लिया है कि वार्ता असफल रही है । अत: 6 और 7 तारीख को वार्ता समाप्त होने दीजिए । वार्ता के असफल होने पर, हम एक भद्र व्यक्ति की तरह करार करते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन की अवधि एक सीमित समय के लिए बढ़ाने सम्बन्धी संविधान संशोधन का पूरा समर्थन करेंगे और इस बीच हम यह भी सुनिश्चित करने में सहयोग देंगे कि विदेशियों का मामला सद्भावपूर्ण ढंग से हल हो जाए । निस्संदेह हमने श्री प्रणव मुखर्जी को बताया था कि यदि 6 और 7 तारीख से पहले आप इसकी घोषणा करते हैं तो हम इसका प्रतिवाद या खण्डन करेंगे परन्तु यदि आप 6 और 7 तारीख के बाद ऐसा करते हैं तो हम सार्वजनिक रूप से यह वक्तव्य देंगे कि हमने सरकार को यह आश्वासन दिया था । स्थिति यह थी ।

प्रधान मंत्री इस स्थिति से अवगत थी और इसके बावजूद असम में चुनाव प्रचार के पूरे समय कुछ विपक्षी दलों के विरुद्ध यह बदनाम करने वाला प्रचार करती रही कि वे न तो चुनावों में सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार थे और न ही संविधान संशोधन को समर्थन देने के लिए तैयार थे । मैं सभा में यह स्पष्ट करता हूं कि यदि यह सिद्ध कर दिया जाता है कि प्रणव मुखर्जी

के साथ हुई हमारी बैठक में हमने यह आश्वासन नहीं दिया था कि 6 और 7 तारीख के बाद हम संविधान संशोधन को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है तो न केवल मैं संसद से त्यागपत्र देने के लिए अपितु जीवनभर के लिए राजनीति से सन्यास लेने के लिए तैयार हूं। मैं प्रधान मन्त्री को यह चुनौती देता हूं और उन्हें यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिये।

महोदय ये बातें हैं जो कि बहुत सदस्यों की उपस्थिति में कहीं गई है और मैं अपने सहयोगी श्री इन्द्रजीत गुप्त का धन्यवादी हूं मुझे कल असम की स्थिति पर दूरदर्शन कार्यक्रम देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने, जो असम की स्थिति के प्रश्न पर हम से सहमत नहीं हैं, दूरदर्शन पर साक्षातकार के समय यह स्पष्ट किया कि प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी का जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और लोक दल जैसे कुछ विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाना सही नहीं है कि वे संवैधानिक संशोधन के लिए तैयार नहीं थे। इस बात के लिए मैं उनका अति धन्यवादी हूं। यह वह व्यक्ति है जो हमसे सहमत नहीं हैं परन्तु वह बात-चीत के समय उपस्थिति रहे और उन्होंने इस बारे में स्पष्ट बातें कही। यह एक साक्षी है जिसने यह सिद्ध कर दिया है कि हमने संविधान में संशोधन के बारे में यही रवैया अपनाया था। अतः मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री महोदया यह आरोप लगाते हुए जो यह कहा कि जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी और लोकदल ने न तो चुनावों का समर्थन किया और न ही संविधान संशोधन मैं कहूंगा कि वह बिल्कुल असत्य है क्योंकि झूठ 'शब्द' असंसदीय होगा। यह घोर असत्य है और जब देश में सर्वोच्च सत्ता द्वारा ही असत्य का सहारा लिया जाता है तो महोदय आप देख सकते हैं कि निम्न स्तरों पर क्या कुछ हो रहा होगा। यह तो इस देश की त्रासदी है। अतः मैं उस स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं।

हम चुनावों की ही बात लेते हैं। प्रधान मन्त्री महोदया और उनके सहयोगियों द्वारा इस मामले को इस प्रकार पेश किया जा रहा है जैसे कि जो दल चुनावों का वहिष्कार कर रहे हैं वे लोकतान्त्रिक जीवन पद्धति के विरुद्ध हैं और हम लोकतान्त्रिक चुनावों की प्रक्रिया में बाधा बन रहे हैं।

महोदय, हमने विदेशियों के मामले में समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया। इसमें तीन या चार महत्वपूर्ण मामले थे यथा विदेशियों का पता लगाना, मतदाताओं की सूची से उनका नाम निकालना, फिर उनको इधर-उधर भेजना और अन्त में उनको देश से बाहर निकालना। ये सब काम चरणबद्ध ढंग से किए थे और हम असम आन्दोलन के नेताओं से और आगे बात-चीत करके इस समस्या को हल करने का तरीका निकाल सकते थे परन्तु इस बीच एकदम अचानक चुनाव हम पर थोप दिए गए। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा परन्तु मेरी सूचना है और यह एक विश्वसनीय सूचना है कि सरकार ने संवैधानिक संशोधन का प्रारूप तैयार कर लिया था सम्बद्ध मन्त्रालय ने इस पर विचार किया था और संवैधानिक संशोधन का प्रारूप पहले ही तैयार किया जा चुका था परन्तु फिर एक राजनैतिक निर्णय लिया गया "हमें पहले चुनाव करा लेने चाहिए और हमें राजनैतिक दलों और असम आन्दोलनकर्त्ताओं को राजनैतिक पाठ पढ़ाना

चाहिए।" यद्यपि विधि मन्त्रालय का दिमाग संवैधानिक संशोधन तैयार करने की दिशा में पहले से ही लगा हुआ था, परन्तु वास्तव में चुनाव थोप दिए गए। लोकतन्त्र का इतना शोर सुना जाता है परन्तु जिनका उससे कुछ लेना देना नहीं है वे ही उसका ढोल पीटने में सबसे आगे हैं और हमें बताया जाता है कि जो लोकतन्त्र के हिमायती हैं उन्हें इन चुनाबों का समर्थन अवश्य करना चाहिए किस प्रकार के चुनाव ? अतः, हिटलर ने सैनिकी की सहायता से चुनावों में भाग लिया। अतः हिटलर के समय में जर्मनी में सेना के मार्गदर्शन में जो चुनाव और असम में हजारों की संख्या में अर्ध-सैन्यबलों की उपस्थिति में 6 गोली से उड़ा दो, के नारे के साथ जो चुनाव हुए वे एक जैसे हैं। अतः हिटलर के सैनिकों द्वारा कटाए गए चुनावों तथा इस चुनाव में वास्तव में कोई अन्तर नहीं है। केवल सैनिक ही भिन्न हैं, परन्तु बात वही है। और विधि और संविधान की औपचारिकताओं की क्या स्थिति हैं ? इन चुनावों में देश के कानून का उल्लंघन किया गया है। चुनाव के सभी मान-दण्ड तारक पर रख दिये गये हैं। महोदय, यह कहीं अच्छा होगा कि आप असम राज्य जायें और देखें कि हां चुनाव किस प्रकार कराए गये।

महोदय, मैंने चुनावों के बारे में विचित्र कार्टून देखा जिसके एक कब्रिस्तान दिखाई गई है और शव के ऊपर बहुत से पत्थर रखे हुए हैं और वे कह रहे हैं, "निस्सन्देह, हमारे पास शव हैं परन्तु हमारे चुनाव तो जीवन्त हैं।" अतः जीवन्त चुनाव और शव साथ-साथ हैं। सह-अस्तित्व की यह नवीन राजनीति, जिसे आरम्भ किया जा रहा है। चुनाव किस प्रकार कराये जा रहे हैं ? चुनाव सभाओं पर पावन्दी रही हैं। जब मेरे सहयोगी श्री रवीन्द्र वर्मा और सुरेन्द्र मोहन ने असम का दौरा किया तो उन्हें सभाएं करने की अनुमति दी गई, जिनमें कुछ सीमित सभाएं करने की ही अनुमति दी गई। परन्तु उनसे कहा गया था कि गोहाटी शहर और असम के अन्य भागों में आपकी सभाओं का प्रचार करने के लिए लाउडस्पीकर लगी गाड़ी नहीं जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि आप बैठक तो कीजिए परन्तु स्रोताओं को आकर्षित करने का प्रयास न कीजिए। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने यह पाबन्दी नहीं लगाई कि आप सभाएं तो कर सकते हैं परन्तु आप सभाओं में बोल नहीं सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि वे इस सीमा तक नहीं पहुंचे हैं अतः सार्वजनिक सभाओं पर पावन्द्रियां उगाई गई थीं चुनावों के दौराग असम में कठोर सेंसरशिप लगी हुई है।

महोदय, अपने विश्व भ्रमण किया है। मैं नहीं जानता कि आपने कोई ऐसा लोकतान्त्रिक देश भी देखा होगा कि जहां पर चुनाव बिना नागरिक स्वतन्त्रता के कराये जा सकते हैं; जहां चुनाव लोगों को रेडियो पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दिए बिना कराये जा सकते हैं; जहां नेताओं के वक्तयों को पूर्णतया प्रकाशित करने की अनुमति दिये बिना चुनाव कराये जा सकते हैं। वहां पर कठोर सेंसरशिप लागू है।

जहां तक मतदाता सूचियों की बात है यह एक स्वीकृत परम्परा रही है कि जहां तक निर्वाचन आयोग का सम्बन्ध है हर बार जब जब भी जनगणना होती है तो उसके प्रकाश में मत-दाता सूचियां संशोधित और सही करनी पड़ती हैं और उन मतदाता सूचियों के आधार पर ही चुनाव कराये जाते हैं। परन्तु ये चुनाव 1979 की मतदाता सूचियों के आधार पर कराये जा रहे हैं। हजारों ही असंगतियां है। बहुत से संगठनों ने सरकार और चुनाव आयोग को लिखा है कि

मतदाता सूचियों में खामियां हैं। सौभाग्य से भूतपूर्व चुनाव आयुक्त ने भी अपना मत व्यक्त किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गलत ढंग से चुनाव कराये जा रहे हैं तथा किस प्रकार इन परिस्थितियों में चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं। अतः हम देखते हैं कि सभी प्रकार के मानदण्डों और विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। ये चुनाव 1979 असंशोधित मतदाता सूचियों के वास्तव में आधार पर मुक्त रूप से सभाएं करने की स्वतन्त्रता के बिना और कठोर सेंसर की परिस्थितियों में कराये जा रहे हैं।

मैं सदन को गढ़वाल संसदीय चुनावों के दिनों की याद ताजा करना चाहता हूं। क्या सभा को उन परिस्थितियों की याद है जिनमें चुनाव-आयोग ने यह आदेश दिया था कि चुनाव स्थगित कर दिए जाएं चुनाव आयोग से किसी प्रकार का सलाह-मशविरा किए बिना, तीन राज्य सरकारों ने बड़े उत्साह से वहां पर अपनी पुलिस भेज दी और चुनाव आयोग ने उस समय यह रुख अपनाया था कि अन्य राज्यों से गढ़वाल चुनाव-क्षेत्र में बड़ी संख्या में अर्ध-सैन्य बल लगाने का अर्थ भय का वातावरण तैयार करना है और इस तरह स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों का वातावरण समाप्त करना है। इन सभी बातों के आधारों पर गड़वाल के चुनाव स्थगित किये गये थे चुनाव प्रक्रिया के मध्य में ही वे स्थगित किये गये थे। कई गुप्त गढ़वाल की स्थिति को बढ़ाकर देखें तो आपको असम की तसवीर स्पष्ट हो जायेगी। इसे हजार गुणा बढ़ाकर देखें तो आपको गढ़वाल की बदलकर तसवीर असम की नजर आयेगी। वहां पर कितनी बटालियन तैनात की गई हैं? वे कितनी गोलियां चला रहे हैं और किस प्रकार मतदाताओं को भयभीत और त्रस्त कर रहे हैं और उससे भी बढ़कर स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों को पूर्णतया नष्ट करने के लिए किस प्रकार सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग किया जा रहा है।

वर्तमान केन्द्रीय रेल मन्त्री श्री ए० वी० ए० गनीखान चौधरी जो कि प्रजातन्त्र और स्वतन्त्रता के महत् प्रतीक हैं, वहां पर चुनाव अभियान के प्रमुख प्रवक्ता है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने उनकी सार्वजनिक सभाओं में भाग लिया है। पहली बात तो यह है कि वह वहां चुनाव कराने के लिए असम की समस्या मालीगांव रेलवे कालोनी से काम ले रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रयोजन से इन कालोनियां का राष्ट्रीयकरण कर दिया है और मालीगांव के रेल तन्त्र का हर सम्भव उपयोग किया है।

वह किस प्रकार के भाषण दे रहे हैं? मैंने उन दोनों ही घड़ों से जो कि चुनावों में भाग ले रहे हैं और जो नहीं ले रहे हैं यह बात पते की है। मैं यहां उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। मैंने इस जानकारी की उन लोगों से पुष्टि की है जो आज चुनावों का वहिष्कार नहीं कर रहे हैं और उन लोगों से भी की है जो बहिष्कार कर रहे हैं। श्री गनी खान चौधरी ने वहां क्या कहा? उन्होंने ऐसे भाग भड़काने वाले भाषण दिए जिनकी तुलना विभाजन के समय के उन भाषणों से की जा सकती हैं जो कि देश में धर्मनिर्पेक्षता के विनाश का कारण बने। श्री गनी खान चौधरी ने सार्बजनिक सभाओं में धमकी दी "आपका एक आदमी मरता है तो आप चार मारिये, मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा।" श्री गनी खान चौधरी ने ऐसे उत्तेजक भाषण दिये हैं। मैं संसद से बाहर

यह बात कहने के लिए तैयार हूं जिससे कि यदि गनी खान महोदय में साहस है तो वह न्यायालय में मेरे विरुद्ध अभियोग दायर कर सकते हैं। मुझे वह चुनौती स्वीकार है क्योंकि मैं उन स्रोताओं को हाजिर कर सकता हूं। जिन्होंने उनका भाषण सुना है। उनका कहना था "यदि एक व्यक्ति मरता है तो आप चार मारने का प्रयास करें।" यह उनका उत्तर था। इससे भी बढ़कर उन्होंने मतदाताओं से कहा—स्रोतावर्ग से कहा यदि आप असम और भारत में रहना चाहते हैं तो कांग्रेस (इ) का समर्थन कीजिए और यरि आप कांग्रेस का समर्थन नहीं करते हैं तो आपको देश से निकाल बाहर किया जायेगा। श्री गनी खान चौधरी यही कहना चाहते थे।

श्री गनी खान चौधरी को यह रखना चाहिये कि विपक्ष के समर्थकों को देश से बाहन फेंकना इतना सरल नहीं है जितना कि रेलवे के कुछेक अधिकारियों को रेलवे बोर्ड से बाहर फेंकना यह इतना सरल नहीं है। रेलवे बोर्ड गनी खान चौधरी का साम्राज्य हो सकता है भारतवर्ष नहीं और यह श्रीमती इन्दिरा गांधी महोदया का भी साम्राज्य नहीं है। यह भारत की जनता की धरती और हम जांच पड़ताल के बाद यह निर्णय करेंगे कि इस देश के कौन नागरिक हैं। वे सभी जो देश के प्रति निष्ठावान हैं, जो देश हित में समर्पित हैं उन्हें इस प्रकार नहीं डराया जा सकता है। परन्तु रेल मन्त्री श्री गनी खान चौधरी ऐसे आज भड़काने वाले भाषण दे रहे हैं और यह बात न केवल प्रेस के प्रतिनिधियां से पता की जा सकती है अपितु चुनावों का बहिष्कार करने वाले दलों के नेताओं और चुनावों में भाग लेने वाले दलों के नेताओं से भी पता की जा सकती है। दोनों ही तरह से आप देखेंगे कि यह विशेष स्थिति उत्पन्न की गई है।

महोदय, जब मेरे सहयोगी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गृहमन्त्री महोदय के वक्तव्य पर यह टिप्पणी की कि वहां जीवनदायी औषधियों की कमी है तो वह इस बारे में कुछ नहीं कह सके। आप रेड-क्रास संगठन के किसी भी कार्मिक से मिलिए, असम में कार्यरत कितने ही डाक्टरों से मिलिए और उनसे भी मिलिये जो चुनावों का समर्थन कर रहे हैं और तथ्यों के आधार पर उनसे पता कीजिए कि क्या इन्हें जीवनदायी औषधियां मिल रही हैं ? गोली चलाई जाती है। रोटी कमाने वालों को मारा जाता है, अन्यों को तथा परिवार के सदस्यों को मारा जाता है और जब हमें जीवनदायी औषधियों की आवश्यकता होती है तो वे उपलब्ध नहीं होती हैं। मैं समझता हूं कि समग्र कांड का यह सर्वाधिक अमानवीय पहलू है।

मैं एक और पहलू की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस सब कारण-जारी का उद्देश्य इन थोपे गये चुनावों को बन्दूक की नोक पर कराना है। और बहुत कम मतों के आधार पर भी कुछ लोगों को जिता कर विधान सभा में लाना है। मुझे यह बात की आशंका है कि बहुत से उम्मीदवार जो इस चुनाव के द्वारा विधान सभा तथा संसद के लिए निर्वाचित किये जायेंगे अपनी जमानत भी जब्त करा लेंगे लेकिन वास्तव में उनकी जमानतें जब्त नहीं होंगी, क्योंकि उनको यह बता दिया गया है कि जो भी उम्मीदबार निर्वाचित किये जायेंगे। उनकी जीत को ध्यान में रखते हुए उनकी जमानतें बनी रह सकती हैं। अन्यथा मुझे पूरा विश्वास है कि उनको जितने भी मत प्राप्त होंगे उनके आधार पर अधिकतर उम्मीदवार अपनी जमानतों को बचाने के लिये भी पर्याप्त मत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चुनावों की स्थिति यह है।

क्या आप समझते हैं कि विधान सभा असम के लोगों की इच्छाओं और अकांक्षायों का का प्रतिनिधित्व कर सकेगी ? असम के लोगों की इच्छायें असम की गलियों में व्यक्त की जा रही है। उनको खेतों तथा गांवों में व्यक्त किया जा रहा है। उनको कस्बो तथा गांवों में व्यक्त किया जा रहा हैं। वे लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। महोदय मुझे याद है कि रूस की क्रांति के समय जो लोग सेना का कार्यभार सम्भाल रहे थे, उन्होंने सेना से त्यागपत्र देकर क्रांति में भाग लिया था। उम सयय लेनिन ने कहा था सेना ने अपनी ताकत से क्रांति में भाग लिया है। मैं इस बात पर अत्यन्त जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि असस के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जिन हजारों मतदाताओं ने मतदान में भाग लेने से इंकार कर दिया था और आन्दोलनकर्त्ताओं का साथ दिया है ये वे मतदाता हैं जिन्होंने अपने बल पर आन्दोलनकर्त्ताओं का साथ दिया है। वहां पर गोलियां तथा संगीनों का प्रयोग किया गया सभी प्रकार की जोर जबरदस्ती की गई, उनको डराया-धमकाया गया और यह इस प्रकार का लोकतन्त्र है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह लेनिन का नाम उद्धृत न करें।

प्रो० मधु दण्डवते : शायद वह यह समझते हैं कि लेनिन कोई निजी सम्पत्ति है। लेनिन एक समाजवादी थे जो निजी सम्पत्ति में कोई विश्वास नही रखते थे। अतः लेनिन किसी की निजी सम्पत्ति नहीं समझा जा सकता। यह एक सार्वजनिक सम्पत्ति है जिस पर सभी राष्ट्रों कां अधिकार है कोई भी इसका उपयोग कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा भी उनको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रो० मधु दण्डवते : इस स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है। कि जैसे लोकतन्त्र के साथ मजाक किया जा रहा है। क्या यह कहा जा सकता है कि जो लोग निर्वाचित होगे वे असम के लोगों का प्रतिनिधित्व करेगे मैं यह कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति निर्वाचित होंगे वे असम के लोगों का सही रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर पायेंगे। मैं इस राजनीति के खेल को समझता हूं। मैं यह समझ सकता हूं कि सरकार क्या करना चाहती है। वह यह जानती है कि ये लोग तो निर्वाचित हो ही जायेंगे। उनमें से अधिकतर मतदाताओं के पास नहीं गये और न ही चुनाव अधिकारियों के अपने नामांकन पत्र भरने के लिए गये हैं। उनको यह कहा गया कि आप अपने घर पर ही रहिए और अपने नामांकन पत्र भर दिये जायेंगे। नामांकन पत्रों को इस प्रकार एकत्रित किया गया जैसे मानों एक डाकिया विभिन्न स्थानों पर जाकर यह पूछता है। "क्या आपके पास भेजने के लिए पत्र हैं ?" मैं पहले ही डाकखाना जा रहा हूं। मैं आपके पत्रों को ले जाऊगा तथा उनको डाकखाने में डाल दूंगा। इसी प्रकार जैसे एक डाकिया पत्रों को एकत्रित करता है इसी तरह से नामांकन पत्रों को एकत्रित किया गया तथा उनको चुनाव अधिकारियों को दिया गया।

इस तरह लोकतन्त्र का मजाक उड़ाया गया जब इस तरह की विधान सभा निर्वाचित होती है तो मुझे यह भय है कि क्या हो सकता है। जब इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचित

होती है तब वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यह विधान सभा कार्य करने में समर्थ नही हो सकेगी। क्या आप यह जानते हैं कि जिन्होंने लोगों के पास जाकर सम्पर्क भी नहीं किया और उनको अपने लिए मतदान करने तक के लिए भी नहीं कहा क्या वे विधान सभा में बैठने के लायक हैं और क्या वे असम का प्रशासन चला पायेंगे ? मैं यह जानता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन सा षड्यन्त्र किया जायेगा। वह उनको एक अथवा दो दिन तक सत्ता मे बने रहने देगी। संभवत: वे मरने वाले लोगों का निधन सम्बन्धी उल्लेख करके यह घोषणा कर देंगे "मरने वाले को श्रद्धांजलि दे दी गई है। हम भी मृतक हैं। हमें भी श्रद्धांजलि दीजिए।" और फिर सरकार को समाप्त कर दिया जायेगा। राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। जो लोग असम में विधान के लिए निर्वाचित होंगे उनके बहुमत से राज्य सरकार नहीं चलाई जायेगी। इस प्रकार की सरकार वहां पर गठित की जायेगी।

वह केवल ऐसा उपाय ढूंढना चाहती है जिससे संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया जा सके। और इसके साथ ही राज्य प्रशासन को चलाने की अप्रिय जिम्मेवारी से बचा जा सके। अत: वे सदस्य जो कल निर्वाचित होंगे, मेरा तात्पर्य सत्ता दल के सदस्यों से ही है—वे श्रीमती गांधी से कहेंगे "हमारी आप में अटूट निष्ठा है। यदि आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करके दिल्ली से ही शासन चलाना चाहती हैं तो बेहतर ही रहेगा आप जो कुछ भी करना चाहें दिल्ली से ही करते रहें और यदि आप हमें अनुमति दें तो हम भी असम छोड़कर दिल्ली की किसी कालोनी में रहने लगेंगे। क्योंकि हम भी असम के लोगों से दूर हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : रेलवे कालोनी में।

प्रो० मधु दण्डवते : जो लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं उनको यह याद रखना चाहिए कि उनका हाल भी 1942 की क्रान्ति की भांति होगा। जबकि लोगों से पूर्णत: दूर कर दिए जा सकें जो लोग झूठे चुनाव में भाग ले रहे हैं, वे लोगों से पूर्णत: दूर हो जायेंगे। इस देश के साथ यह विडम्बना रही है कि राजनैतिक जीवन जनता से विमुख होता जा रहा है। यह महात्मा गांधी के भारत में सबसे घटित चीज है। कभी-कभी मैं यह विचार करता हूं कि वर्तमान गांधी के स्थान पर यदि पुराने गांधी जी जीवित रहते। असम के लिए क्या किया जाता ? क्या आपको उन दिनों की याद है जब आप और मैं भारत की विभिन्न राजधानियों में 15 अगस्त, 1947 का उत्सव मना रहे थे ? उस समय वह वृहद व्यक्ति महात्मा गाँधी कलकत्ता के वह्याँचल में जा-जाकर यह नहीं कर रहे थे कि आप में से कोई एक मरता है तो आप उसके बदले में चार व्यक्तियों को मारो। बल्कि उन्होंने यह कहा था कि आप गोलियों का सामना करो और अपने साथ कभी भी मत उठाओ। आपके शहीद होने से हम धर्म-निरपेक्षता का वातावरण बनायेंगे।

इन दो गाँधियों के बीच कितना अन्तर हैं ? अब गाँधी ही गाँधी हैं। हमारे यहाँ दो गाँधी हैं। पहले वाले गाँधी जी 15 अगस्त, 1947 को कलकत्ता के बाह्याँचल में घूम रहे थे और इसी प्रकार उन्होंने स्वतन्त्रता से पूर्व नोआखाली का दौरा किया था जहाँ पर मुस्लिम तथा हिन्दू लोग

मारे गये थे और उन्होंने शाँति की धर्मयात्रा जारी रखी। मुझे याद है, मैं उस बात को बताना चाहता हूं जब नोआखाली में उनका शाँति अभियान चल रहा था, तब श्रीमती सुचेता कृपलानी से जो इस सदन की एक सस्या भी थीं; पत्रकारों ने पूछा था कि आप इस विस्फोटक स्थिति में वहाँ क्यों जा रही हैं। "आप को कोई मार देखा।" आपके साथ बलात्कार किया जा सकता है, इस प्रकार की स्थिति से निपटने का क्या रास्ता है ?" उन्होंने एक बोतल निकाली और कहा "इसका यह रास्ता है।" पत्रकारों ने पूछा बोतल में क्या है ? तब उन्होंने कहा इसमें "बहुत तेज जहर।" उन्होंने कहा "मैं धर्मनिर्पेक्षता तथा महात्मा गाँधी के शान्ति अभियान के प्रति वचनबद्ध हूं। यदि मैं यह देखूंगी कि मेरी इज्जत नहीं बच सकती तब मैं जहर पीकर मर जाऊंगी, लेकिन में धर्म-निर्पेक्षता को कभी भी नहीं छोड़ूंगी महात्मा गाँधी की ये गौरवपूर्ण परम्परायें हैं।"

अब नये गांधी की क्या परम्परायें हैं ? यदि स्थानीय पुलिस स्थिति को नहीं संभाल पाती हैं तो बन्दूकें, गोलियां तथा संगीने देकर असम; लीजिये । आप जानते ही हैं कि क्या हुआ है ? स्थानीय पुलिस तथा सी० आर० पी० तथा देश सेना पुलिस तथा स्थानीय पुलिस के बीच गोली चलाने की मुठभेड़े हुई। इस प्रकार की घटनायें हो रही है।

एक बार हाऊस आफ कामन्स में श्री चर्चिल ने श्री अटली को यह बताया था कि "हमने इंग्लैंड के शानदार साम्राज्य का निर्माण किया है और आप इसको समाप्त कर रहे हैं। श्री चर्चिल ने कहा :"भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना की ताकत पर बनाया गया था। सुभाष बोस ने एक नई चेतना उत्पन्न की है। सेना ने अपनी देश भक्ति समाप्त कर दी है। महात्मा गांधी जी ने आजाद हिन्द फौज मदद में संघर्ष किया था कलकत्ता, करांची तथा बम्बई में विद्रोह हुआ। वहां पर सैन्य विद्रोह हुआ और जब हमने यह देखा कि सेना नौ सेना तथा वायु सेना देश के प्रति अब वफादार नहीं रही है, ऐसी स्थिति में उस देश में बने रहने की कोई बुद्धिमानी नहीं है अतः हम अपने राज्य को समाप्त कर भारत को छोड़कर आ गये।" अटली को चर्चिल ने यह बताया था।

वर्तमान गांधी को पुराने इतिहास वृद्ध गांधी के पुराने इतिहास को याद करना चाहिए। आज भी हमको यह याद रखना चाहिए कि असम में पुलिस कर्मी भी यह महसूस करते हैं कि वे इन आन्दोलनकारियों को मारने के लिए नहीं जा रहे हैं। बल्कि वे यह दखना चाहते हैं कि असम अस्तित्व को बनाये रखा जाये। इसलिए उनको स्थानीय पुलिस पर कोई विश्वास नही है और इसी कारण से एक बटालियन के बाद दूसरी बटालियन भेजी जा रही है। इसके परिणामस्वरूप संघर्ष उत्पन्न हुआ है स्थानीय पुलिस तथा सैन्य बलों में मुठभेड़ें हुई हैं।

मैं इस सबसे बहुत खुश नहीं हूं बल्कि हमारे लोकतन्त्रीय जीवन में ये खतरे के चिह्न हैं। श्रीमती गांधी को बैठकर शांत और ठण्डे वातावरण में इन समस्याओं पर विचार करना चाहिए।

इस प्रकार के चुनावों में वह हमको हरा सकती हैं। चुनाव में हमारे द्वारा हिस्सा न लेने पर सत्ता रुढ़ हो सकती है। लेकिन यदि इस तरीके से वह सतारूढ़ होती हैं, जैसा कि हिटलर ने जर्मनी में किया था तो वह असम पर भी कब्जा कर सकती है। लेकिन वह असम की जनता के दिलों पर कब्जा नहीं कर सकती। चालबाजी से कुछ मतों को प्राप्त करना एक बात है और असम के लोगों के दिलों तथा भावनाओं को जीतना बिलकुल भिन्न बात है।

मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि "आप देश में नये तनावों को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं।" लोग देश के प्रति निष्ठावान हैं।

एक बार असावधानी से पहले ऐसा हो चुका है जबकि चीनी लोग असम में आगे बढ़ रहे थे उस समय श्री जवाहर लाल नेहरू ने असावधानी में यह कहा था "इस समय मेरे हृदय में तेजपुर के लोगों के प्रति घोर व्यथा है।" और तेजपुर के लोगों ने उस समय यह महसूस किया था कि पण्डित जवाहर लाल नेहरू हमें विदाई दे रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न किया गया था।

लेकिन कुछ लड़कों ने यह कहा था "हम तेजपुर में मर जायेंगे लेकिन हम आत्म समर्पण नहीं करेंगे और हम तेजपुर को भी नहीं छोड़ेगे।" ऐसा वातावरण उत्पन्न किया गया था।

आज इन लोगों के लिए इसी प्रकार का वातावरण उत्पन्न किया गया है। प्रतिदिन यह आरोप लगाया जाया है कि ये आन्दोलनकारी पृथकवादी हैं। प्रतिदिन आप उनके कान में यह कटु असत्य बात पहुंचायेंगे कि "आप पृथकवादी हैं तो कुछ दुःसाह लाभ उठाने की कोशिश करेंगे तथा उनके दिलों में गम्भीर पृथकवादी भावना आ सकती है। हम इसको रोकना चाहते हैं। हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि असम के लोग भारत के साथ मिलकर चलें। इसलिए हम यह चाहते हैं कि सरकार को स्थिति की वास्तविक बातों पर विचार करना चाहिए।

वास्तव में, मैंने पहले ही एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, क्योंकि मैं उन लोगों में से एक हूं जो यह महसूस करते हैं कि केवल नियम 184 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव के द्वारा हम अपनी उत्कंठा नाराजगी को जाहिर नहीं कर सकते। क्योंकि हम असम की स्थिति पर न केवल चर्चा करना चाहते हैं बल्कि हम यह चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो और चर्चा करने से सरकार पर यह आरोप लगाया जाये कि निन्दा करने का कोई तरीका निकाला जाना चाहिए। इसी कारण मैं चाहता था कि एक स्थगन प्रस्ताव लाया जाये।

खैर, अपने उस स्थगन प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया हमें अपने विचार नियम 184 के प्रस्ताव के द्वारा व्यक्त करने पड़ेंगे।

मैं भारत के प्रधान मंत्री को एक चेतावनी देकर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों में जो हो रहा है, हम उसे देख रहे हैं। आपके पैरों से यानि दक्षिण से धीरे-धीरे सत्ता निकलती जा रही है।

आपने सारे पूर्वोत्तर में समस्याएं पैदा की हैं। आप अपनी सत्ता को क्षति पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप देश की एकता और अखण्डता को क्षति न पहुंचाएं। रास्ते से परे हटकर असम के लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। मगर वह जनता की भावनाओं और विचारों को नहीं समझती, तो में कहना चाहूंगी कि किसी अन्य लोकतन्त्रीय देश में अगर सैकड़ों लोगों की सामूहिक हत्या की जाती है, वे मर जाते हैं तो कोई भी प्रधान मन्त्री इन लाशों के ढेर पर सत्ता में नहीं बना रह सकता, ऐसा किसी भी अन्य लोकतान्त्रिक देश में नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्यवश, हमारे देश में, असम में, श्रीमती इन्दिरा गांधी अर्धसैनिक बलों द्वारा बनाये गये लाशों के ढेरों पर वही मुस्तैदी से खड़ी हुई है। गांधी जी के इस देश में, आजादी और तोकतन्त्र की इच्छा हमेशा ही गोलियों और संगीनों, जो कि इन्हें दबाने के लिए प्रयोग की जा रही है से ज्यादा असरदार रहेगी और असम में इसे सिद्ध कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा असम के बारे में गृह मन्त्री द्वारा सता में 21 फरवरी, 1983 को दिए गए वक्तव्य पर विचार करने के पश्चात सिफारिश करती है कि एक संसदीय समिति असम भेजी जाये, जो उस राज्य में कुछ सप्ताहों से व्याप्त गम्भीर अशान्ति का घटना स्थल पर अध्ययन तथा सर्वेक्षण करे और वहां पुनः सामान्य स्थिति स्थापित करने हेतु उपचारात्मक उपायों का सुझाव दे।"

श्री सी० एम० स्टीफन (गुलवर्गा) : अध्यक्ष महोदय, सत्ता इस समय एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रही है, जिसने कि समूचे राष्ट्र के दिल को दुख पहुंचाया है। असम में जिस प्रकार की घटना हुई है, उससे देश में कोई भी खुश नहीं है। यह एक दुःख और पीड़ा का विषय है। काफी लोगों को मार दिया गया है, मकानों को लूटा गया है, और खुले आम आगजनी और हत्या की घटनायें हो रही हैं। इसलिए यह उचित है कि गृह मन्त्री खुद ही एक वक्तव्य देने आए और सरकार ने प्रश्नकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है ताकि इस पर आगे चर्चा की जाए। यह इसलिए जरूरी है कि यह मामला देश के लिए वर्तमान और भविष्य के काफी महत्व का है।

मेरे मित्र, प्रो० मधु दण्डवते ने अपने भाषण में विभिन्न पहलुओं की चर्चा की जिनमें से कुछ तो संगत हैं और कुछ असंगत हैं।

जहां तक असम समस्या का सबन्ध है, दो प्रश्न उठाए गये हैं : प्रथम यह कि चुनाव ठीक ढंग से नहीं किए जाएं और दूसरा यह कि चुनाव से पहले ऐसी घटनायें हुई जिनमें कई लोगों की जानें गई। यह सब सरकार के चुनाव करने के निर्णय के कारण हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी व कुछ अन्य पार्टियों द्वारा इस पेशकश के बावजूद कि वे संविधान में संशोधन के लिए सर-

कार का समर्थन करेंगे, वहां चुनाव करवायेंगे। और सरकार ने इस पेशकश को ठुकराकर, वहां कराने का एक राजनैतिक निर्णय लिया।

जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कि क्या वहां चुनाव सही ढंग से हुए हैं, मैं इस समय इस पर कुछ वही कहना चाहता क्योंकि वहां की दुखद घटनाओं की वजह से इसका महत्व कम हो गया है। उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, जिनका न तो मै जिक्र ही करना चाहता हूं कि और न ही खंडन करना चाहता हूं कि चुनाव कराने के लिए क्या किया गया था क्या नहीं किया जाना चाहिए था।

जहां तक लोगों के मारे जाने आदि का प्रश्न है, यह सभी के लिए एक चिन्ता का विषय है। मैं चाहूंगा कि कि गृह मन्त्री जब उत्तर दें तो मरने वालों की संख्या और चुनाव अभियान में जो हमले किए गए, उसका ब्यौरा दें। तीन प्रकार की मारने की घटनाओं की कल्पना की जा सकती है—(1) चुनाव में हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप हुई मौतें, जो कि मतदान के लिए जा रहे मतदाताओं को आन्दोलनकारियों द्वारा मारे जाने के परिणामस्वरूप हुई। दूसरे, कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस द्वारा की ईग कार्यवाहियों के फलस्वरूप हुई मौतें। इस तरह कितनी मौतें हुई, इनकी संख्या भी सदन बताई जायें। तीसरे प्रकार की मौतें नेल्ली गांव और अन्य स्थानों पर हुईं, जहां रात के समय ग्रामवासियों पर हमला किया गया, मकान लूटे गए और सैकड़ों की तादाद में लोगों का कत्ल किया गया। इस प्रकार वे हमले और हत्याओं को देखकर प्रश्न यह उठता है कि क्या यह सब चुनाव कराने से सम्बन्धित हैं या ये पिछले काफी अर्से से चली आ रही घटनाओं के क्रम से सन्बन्धित हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या चुनावों से बचा जा सकता था। मैं इसका उत्तर एक और प्रश्न उठाकर देना चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर दे सकूं। यदि चुनाव न होते तो क्या स्थिति उत्पन्न होती? इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। जब 1980 में लोकसभा के चुनाव हुए तो ऐसे ही हथकंडे अपनाये गए थे। लोगों को नामांकन पत्र तब तक भरने से रोका गया था। एक माननीय सदस्य जो अब इस सदन के सदस्य हैं, को नामांकन पत्र भरने से रोका गया, उनका घेराव किया गया, जिसके फलस्वरूप कुछेक निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर, चुनाव रोक देने पड़े। उसके बाद से उन्होंने यही नीति अपनाई हुई है कि "हम असम में चुनाव नहीं होने देंगे।"

यह कल की ही घटना नहीं है। ऐसा पिछले 3 वर्षों से चला आ रहा है। इन तीन वर्षों में सभी चुप नहीं बैठे रहे। इन तीन वर्षों में लगातार बातचीत होती रही। सही तरीके से बातचीत की गई और इन तीन वर्षों में हिंसा की वारदातें होती रहीं, सार्वजनिक संस्थानों पर हमले किए गए और सामान्य जीवन-व्यस्त किया गया। कई तरह तरह से हमले किए गए और इन तीन वर्षों में कई लोगों को मारा गया। मैं गृह मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इन लगातार हमलों, हिंसा और लोगों के जीवन से खेलने की घटनाओं और अपनी कुछ मांगों को

स्वीकार करवाने के लिए चुनाव न होने देने के एवज में, कितने लोगों को मारा गया। मैं इस पहलू को सदन में रखना चाहता हूं।

ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने इसके प्रति उदासीनता दिखाई हो। उन्होंने कहा कि वे वार्ता के लिए दिल्ली नहीं आयेंगे, बल्कि प्रधान मन्त्री गोहाटी आयें।

प्रधान मन्त्री छात्र नेताओं से वार्ता के लिए गोहाटी गई और उनसे चर्चा की। उन्होंने उनसे कहा कि आइये पहले इस बात का पता लगाये कि कितने लोग विदेशी हैं। संख्या मर्जी से बताई जा रही है। ये सिर्फ अन्दाज से ही बताए जाते हैं। ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जिनसे विदेशियों का पता लगाया जा सके।

इस मसले पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे कि हम इस मसले को कैसे सुलझाये, इसके लिए जरूरी है कि हम पता लगायें कि 1961, 1971 और 1976 के बाद कितने-कितने लोग वहां आयें। आइये हम इसका विवेचन करें। आइये, विदेशियों की संख्या जानने के लिए अपनाये गये तरीके पर गौर करें। इसमें सहयोग करने को तैयार नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि गृह मन्त्री वार्ता के लिए गोहाटी आयें क्योंकि वे दिल्ली नहीं आयेंगे।

गृह मन्त्री बातचीत के लिए गोहाटी गये और उनसे वार्ता की। इसके बाद वार्ता के कई दौर चले। पहले वे विपक्षी को बातचीत में शामिल नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यह मामला और सरकार के बीच का है। किसी भी राष्ट्रीय दल को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने ऐसा रुख अपनाया हुआ था। सरकार ने उस सीमा तक उनका साथ दिया, लेकिन अंततः सरकार को विपक्षी दलों को स्थिति से अवगत कराना पड़ा। विपक्षी दलों का सम्मेलन बुलाया गया। विपक्षी दलों को असली स्थिति से अवगत कराया गया।

इसके बाद ही त्रिपक्षीय बातचीत में भाग लेने के लिए तैयार हुए। इस त्रिदलीय वार्ता में श्री रवीन्द्र वर्मा ने, जो कि जनता पार्टी से सम्बन्धित हैं, जिसके कि प्रो० मधु दण्डवते नेता हैं, ने कुछ प्रस्ताव रखे, जिसे सरकार भी मानने को तैयार थी। श्री रवीन्द्र वर्मा ने उनसे बातचीत की। श्री दण्डवते ने दूरदर्शन पर कल दिये गये श्री इन्द्रजीत गुप्त के वक्तव्य का हवाला दिया, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया···

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कल दूरदर्शन पर सार्वजनिक रूप से कहा कि श्री रवीन्द वर्मा ने कहा है कि उन्होंने कुछ भिन्न प्रस्ताव पेश किए थे। वे लोग इन्हें मानने को तैयार नहीं हैं। श्री रवीन्द्र वर्मा ने यह शब्द कहे हैं, जिनके प्रस्ताव सरकार मानने को तैयार थी, लेकिन फिर भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला।

अनुभव यह रहा है कि वे कुछ प्रस्ताव लेकर सामने आते हैं। सरकार उनमें से अधिकांश प्रस्ताव मान लेती है। वे यह कहते हुए वापस जाते हैं कि हम भी प्रस्ताव मान रहे हैं, लेकिन जब वे गोहाटी पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हम इन प्रस्तावों को नहीं मानते। यह छानबीन का विषय है कि वे यहां कुछ प्रस्ताव क्यों मान लेते हैं और दिल्ली से गोहाटी जाकर अन्तरात्मा या ऊपरी दबाव के कारण इस स्थिति से हट जाते हैं।

इन तीन वर्षों के दौरान, हमने उस स्थिति को स्वीकार किया, जिसमें असम के निर्वाचित सदस्यों का प्रतिधित्व नहीं था। हम स्थिति से बंधे हुए थे। चुनाव स्थगित किए। जहां तक सम्भव था, हमने हिंसा की स्थिति को बरदाश्त किया।

उनके द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रस्तावों से हम एक-एक करके सहमत होते गये, परन्तु नतीजा कुछ नहीं निकला। उनके साथ चर्चा के 22 दौर हुए जिनमें विपक्षी दल भी शामिल थे परन्तु कुछ नतीजा नहीं निकला। इस स्थिति को हमें ध्यान में रखना चाहिए।

मैं पुनः प्रश्न पूछता हूं। मान लीजिए चुनाव नहीं होते; वर्तमान विधान सभा के जो मार्च, 1978 में बनी थी, मार्च 1983 में पांच वर्ष पूरे हो जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 172 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। कि पांच वर्ष के बाद विधान सभा भग मानी जाएगी। 21 मार्च, 1983 के पश्चात् विधान सभा नही रहेगी। सभा को इस स्थिति को समझना चाहिए। विधान सभा भंग कर दी गई थी। और यदि इसको भंग न भी किया जाता तो भी यह मार्च, 1983 के बाद समाप्त हो जाती। अब वहां राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन के इन तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रपति शासन को तीन बार बढ़ाया गया। अतः ऐसी बात नहीं है कि कोई सत्ता को हथियाना चाहता है। स्थिति बड़ी कठिन थी और जितना अच्छा प्रबन्ध किया जा सकता था किया गया। राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और 18 मार्च, 1983 को एक वर्ष की अवधि के पश्चात राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। मूल सविधान के अन्तर्गत इस अधिसूचना को तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता था। परन्तु पक्के संशोधन के अनुसार जो कि जनता सरकार द्वारा लाया गया था, संविधान का संशोधन किया गया और अनुच्छेद 356 में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाता।

अतः 18 मार्च, 1983 को ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि न कोई विधान सभा होगी न राष्ट्रपति शासन होगा न कोई सरकार होगी न कोई पुलिस कार्यवाही सम्भव होगी; न राज्य सरकार के पास और नहीं केन्द्र-सरकार के पास वहां के लिए कोई कार्यपालक शक्ति होगी। यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो, बिना पुलिस के, बिना सेना के बिना सरकार के और बिना वैधानिक रूप से गठित प्राधिकार के आसाम की क्या हालत होगी इस प्रश्न पर सभा को विचार करना है।

मैं यह अब पिछले तीन वर्षों के दौरान जो हुआ उसको ध्यान में रखते हुए कर रहा हूं। महोदय, पिछले तीन वर्षों में गांवों में पर एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर, एक गुट द्वारा दूसरे

गुट पर हमले किए जाते रहे हैं। अन्तर्साम्प्रदायिक तनाव, दुश्मनी, नफरत, तथा शत्रुता को बड़े ही व्यवस्थित ढंग से घोषित किया जा रहा है आसाम में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक रहते हैं। 62% असमी भाषी लोग हैं तथा 38% गैर असमी भाषी लोग हैं जनजाति के लोग हैं। मुसलमान लोग हैं। वहां पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। उनमें से सभी आन्दोलन में सम्मिलित नहीं हैं। यदि इस राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है और वहां पर कोई सरकार न हो तो आहट कौन होगा ? क्या कोई इस बात की गारण्टी दे सकता है कि जनता पर हमले नहीं होंगे और निस्सहाय ग्रामीणों को निर्दयता पूर्वक कत्ल नहीं किया जाएगा।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों का एक ऐसा गुट है जिसको बिल्कुल दया नहीं है, कोई मानवभाव की भावना नहीं हैं। लोगों का एक इस प्रकार का गुट बन गया है । यह देश के इस भाग में हुई घटनाओं से स्पष्ट हो गया है। मैं उनकी पहचान नहीं बताना चाहता। परन्तु वे निर्दयी लोगों का गुट हैं। एक गुट बनाया गया और शत्रुता उस बिन्दु तक पहुंच गयी है वहां पर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई होती जिसमें बिना पुलिस हस्तक्षेप के बिना सेना हस्तक्षेप के, बिना सरकार के बीच में आये उन्मुक्त रूप से हमला किया जाता जिसका तात्पर्य आसाम में संवैधानिक व्यवस्था का पूर्णतः समाप्त हो जाना होता। पृथकता वाद का उल्लेख किया गया।

अब आप यह कहते हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिए तो आप पृथकतावाद की बात नहीं करते। अब जैसा संविधान है उनके अनुसार चुनाव होने चाहिए। आप एक ऐसा तर्क दे रहे हैं कि आसाम को संविधान के बाहर रखना चाहिए। वास्तव में पृथकतावाद आ गया होता। यदि स्थिति पैदा हो गई होती। महोदय, तो जितने लोग अब मारे गए हैं उस स्थिति में मारे जाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक होती।

इससे अल्पसंख्यकों की कत्ले आम होती और निस्सहाय ग्रामीणों को निर्दयतापूर्वक कत्ल कर दिया जाता।

श्री अटल बिहारी वापेयी ने गोहाटी या किसी दूसरी जगह कहा है कि आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के बराबर खून बहेगा तो यह नहीं बहा परन्तु यदि वहां पर चुनाव नहीं कराए जाते तो ब्रह्मपुत्र नदी से भी अधिक खून बह जाता और आसाम अराजकता तथा पृथकतावादी शक्तियों के हाथों चला जाता। यही होता। सभा को इस स्थिति को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार आसाम में चुनावों को टाल सकती थी। हम संविधान की सपथ लेते हैं और निर्वाचन आयोग संविधान की सफथ लेता है यदि यह सरकार आसाम में बिना चुनाव के जारी रहती तो आसाम अराजकता तथा पृथकतावादी शक्तियों के हाथों में चला जाता।

यह नहीं हो सकता। अब देश के सामने प्रश्न यह था। आन्दोलन कारियों ने हमारे सामने केवल दो विकल्प रखे थे। आन्दोलन कारियों ने कहा था कि हमें उनकी मांगों को पूर्ण रूप

से मान लेना चाहिए अन्यथा वे चुनाव नहीं होने देंगे। वे संवैधानिक रिक्ति पैदा कर देंगे। या तो संवैधानिक रिक्ति या उनकी मांगों को पूर्णतः मान लेना, देश के सामने ये दो विकल्प थे। उनकी इस बात को मान लेना कोई आसान कार्य नहीं है।

छात्र नेताओं ने प्रैस सम्मेलन में कहा है, जो कि आज प्रकाशित हुआ है, कि 20 लाख विदेशियों को सूची शामिल किया गया है। हमारे पास जनगणना के आंकड़े हैं जिनके बारे में सभा को जानकारी होनी चाहिए। विवादास्पद अवधि 1961 और 1971 के बीच की है। 1971 के बाद कोई यह विवाद नहीं करता कि उनको वापस भेजा जायेगा। उनको वापस भेज दिया गया।

जनगणना 1961 में हुई तथा 1971 में भी हुई। जनगणना के कागजात उपलब्ध हैं। मैं आपको बतला सकता हूं कि 1961 में असमी भाषी जनसंख्या 62% थी; 1971 में भी वही संख्या थी एक भी प्रतिशत कम या अधिक नहीं। फिर जो नए लोग आए हैं कहां हैं? यह मेरी समझ में नहीं आता। असमी भाषी लोगों का अनुपात वही है। हिन्दुओं का वही है, मुसलमानों का वही है। कुल संख्या में वृद्धि उसी अनुपात में हुई जिसमें कि पूरे देश में। यह स्थिति है। अतः इतनी क्षति स्थिति में पहुंचने के लिए कोई कारण नहीं था और उसके लिए कोई दूसरा कारण होना चाहिए। उस कारण के बारे में सभी को सोचना चाहिए। इस मुद्दे को मैं प्रतिपादित करना चाहता था।

यह क्यों हुआ? वे चुनावों कार्य को आवरुद्ध करना चाहते थे। राष्ट्रीय पार्टियों का क्या रुख था। भ० झ० पा०, जनता पार्टी तथा लोक दल का क्या रुख था? वे चुनावों का बहिष्कार करना चाहते थे। किस बात के लिए बहिष्कार क्या यह बहिष्कार संवैधानिक रिक्ति पैदा करने के लिए था या यह इसलिए था ताकि हत्याओं के लिए उन्मुक्त हमले कर सके और करोड़ों निस्सहाय को मार डाले? आन्दोलन कारियों को चुनवों का बहिष्कार करने का साहस किसने दिया। उनमें स्वयं में उतना साहस नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा वे दिल्ली आते हैं और कुछ बातों से सहमत होते हैं गोहाटी वापस जाकर मुकर जाते हैं।

कुछ राष्ट्रीय पार्टियों को इसमें क्या भूमिका रही? वे इस विनाशकारी; असंवैधानिक नकारात्मक तथा आन्दोलनकारी रुख की प्रसन्शा के गीत गाते रहे। उन्होंने उन्हें चुनावों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें समर्थन न देती और लोक दल ने ऐसा न किया होता तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, कि वे छात्र बहिष्कार न करते।

और इस सब के फलस्वरूप ये हत्याएं हुई इन दुखद घटनाओं के लिए मैं बच्चों, को छात्रों को माफ कर दूंगा परन्तु श्री वाजपेयी को इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा। आपने उनको भड़काया, आपने यह स्थिति पैदा की आप इनको हमेशा से भड़काते रहे हैं। यह कार्य किसी को अपराध करने के लिए है केवल अपराध करना ही नहीं, उकसाना भी अपराध है। उकसने वालों ने ही यह स्थिति पैदा की है। उन्हें राष्ट्र को उत्तर देना है। सारी स्थिति उन्होंने पैदा की है।

क्या मैं श्री वाजपेयी से पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने शरणार्थियों के प्रतिशत का विश्लेषण किया है ? आप उन्हें विदेशी कहते हैं। क्या आपका शरणार्थियों के बारे में कोई विचार है ? क्या आप जो शरणार्थियों के बारे में अवधारणा है ? उससे सहमत है ?

महोदय विभाजन हुआ और भारत पाकिस्तान व भारत में बट गया था। हम सब अपने देश में सुरक्षित थे परन्तु हमारे भाई पाकिस्तानी क्षेत्र से भगा दिए गए थे। वे वहीं पर रहना चाहते थे परन्तु नहीं रह सके। वे 1963 में आए 1964 में आए औ रहमें मालूम है कि उन्हें आते ही रहना पड़ा। हमें इनका स्वागत करना पड़ा और यहां रखना पड़ा यदि कोई शरणार्थी के रूप में या किसी अन्य रूप में 1961 के बान आया तो क्या उसको विदेशी माना जाएगा ? बहुत से लोग जो पंजाब से आए और दिल्ली में बस गए क्या उन्हें भी यह कहना पड़ेगा कि आप विदेशी हैं और आपको यहां से जाना चाहिए ? क्या आप कहने यह कहना चाहते हैं ? क्या आप यह कहने के लिए तैयार हैं। क्या हम इन लाखों हिन्दुओं को यह के लिए तैयार हैं जो डर की वजह से आसाम में आकर बस गए हैं ? क्या आप चाहते हैं कि हम उन्हें इस प्रकार से निकाल दे। उनको बाहर भेजा जा सकता है, परन्तु इसके लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए। क्या उनको इस तरीके से बाहर फैंक दिया जाना है ? क्या यह इतना आसान कार्य है ? ये परिवार यहां पर 1951 से रह रहे हैं 20 वर्ष बीत गए। उनमें से बहुत से वहां का अंग बन चुके हैं। उनके बच्चे वहीं का अंग बन गए उन्होंने चुनावों में मतदान किया है। और एक दिन आप आकर कहते हैं कि वे विदेशी हैं और उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। क्या यह तकनीकी मामला नहीं है ? क्या मानवमात्र के लिए चिन्ता का विषय नहीं है ? और केवल वही व्यक्ति इसको समझ सकते हैं जिन्हें मानवीय चिन्ता है। श्री वाजपेयी यह नहीं समझ सकते। अतः हमें इससे एक विशेष ढंग से निपटना है।

महोदय मैं यह नहीं कहता कि उनका कोई मुद्दा नहीं। उनकी अपनी चिन्ता है। ठीक है उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखा जाना चाहिए प्रत्येक बात को पूर्णतया तथा ठीक प्रकार से समझा जाना चाहिए।

किन्तु असम में जनजातियों की संस्कृति का क्या होगा ? असम में रह रही अन्य जातियों की संस्कृति का क्या होगा ? असम में आदिवासियों की संस्कृति का क्या होगा ? क्या केवल ब्रह्म-पुत्र घाटी की संस्कृति की ही सुरक्षा करने की आवश्यकता है ? अन्य लोगों की संस्कृति का क्या होगा ? वे भयाक्रांत हैं कि उनका सफाया कर दिया जाएगा। हमें इस बात को समझना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र आज अशान्त है। उन्हें यह ही है कि उनका सफाया कर दिया जाएगा और राष्ट्र का यह दायित्व है कि वे उनकी रक्षा करें और उनकी भावनाओं को शांत करने का प्रयास करें। उनके साथ पितृक्त एवं स्नेह पूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता है ताकि उनका भय दूर हो सके और दूसरों को भी शान्त करने की आवश्यकता है। इसमें कुछ समय लग सकता है। इस मामले को सभी के हितों को ध्यान में रखकर सुलझाने की आवश्यकता है। इसके लिए यही करना होगा।

महोदय, प्रो० दण्डवते ने कहा है कि वे सवैधानिक संशोधन का समर्थन करने के लिए तैयार थे। सदन के सामने दो प्रश्न हैं—क्या संवैधानिक संशोधन लाया जाना था या नहीं। मैं उस प्रश्न में नहीं जाना चाहता। क्योंकि संशोधन इसलिए तैयार किया गया था ताकि इस बुरे दिन को टाला जा सके, इसलिए संविधान में संशोधन का एक कदम उठाया जा सकता था। इसमें यह भी गारण्टी नही थी कि वह मामला जो पिछले तीन वर्षों में सुलझाया नहीं जा सका, एक ओर वर्ष में सुलझा ही लिया जाता। इस तरह सरकार अवसर का उपयोग करते हुए संविधान संशोधन लाना चाहती थी। जब उस महत्वपूर्ण समय में संसद का अधिवेशन भी चल रहा था, विपक्ष को भी इस मामले से अवगत करा दिया गया था। किन्तु सिद्धान्त के तौर पर भारतीय साम्यावादी दल तथा भारतीय साम्यावादी दल (मार्कसवादी) ने कहा था कि वे संविधान में संशोधन का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं।

मैं उनकी स्थिति को नहीं समझ सकता दूसरों ने भी कोई वचन नहीं दिये थे। उन्होंने कहा कि वे समर्थन देंगे लेकिन उस समय नहीं, पहले संसद का सत्र समाप्त हो जाये, आप इसके लिए संसद का विशेष सभा बुलाओ। अच्छा, महोदय, संसद के सत्र को पुनः बुलाने की क्या आवश्यकता थी ?

(व्यवधान)

महोदय, मैं तो केवल उस बात का उत्तर दे रहा हूं जो उन्होंने कही है। महोदय, देश के समाचार पत्र इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने यह कहा था कि संसद का स्थगन किया जाए और सत्रावसान किया जाए और तब यदि कोई प्रस्ताव आता है तो हम उसका समर्थन करने पर विचार करेंगे। उसी सत्र के दौरान क्यों नहीं ?

एक माननीय सदस्य : बाद में क्यों नहीं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : उसी सत्र में ही क्यों नहीं ?

आप चाहते थे कि संसद का एक और सत्र बुलाया जाए। क्यों ? क्योंकि आप इस मामले को विशेष महत्व देना चाहते थे कि संसद का एक सत्र विशेष रूप से बुलाया जाए ताकि संविधान में संशोधन किया जाए। और आप इसे विशेष महत्व दे रहे थे। यह बात आपकी उस नीति के अनुसार थी जिससे आप असम में आंदोलनकारियों को समर्थन देना चाहते थे। आप यही करना चाहते थे। अब हमें विशेष समर्थन देना चाहते थे।। इसमें भी क्या गारण्टी थी कि संसद का सत्र बुलाकर ऐसा किया जा सकता ?

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : यह सत्र को बढ़ाने के बारे में था।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं हार मानने वाला नहीं।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है, उन्होंने कहा है कि यदि आप इससे सहमत होते तो हैं यह

चर्चा निष्फल नहीं होगी जैसे कि अन्य चर्चाओं में से यह चर्चा अत्यन्त महत्व की चर्चा थी और जो असफल नहीं; होगी जैसे कि इसमें इस बात की गारण्टी थी कि उस चर्चा का परिणाम अवश्य निकलने वाला था। इसमें भी किसी प्रकार की गारण्टी नहीं थी। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, वार्ता समाप्त नहीं हुई है। बात चीत तो नवम्बर में लोक सभा में स्थगन के बाद भी चलती रही हम अब भी बातचीत जारी रखे हुए हैं। इन चुनावों के बाद भी हम बातचीत जारी रखेंगे क्योंकि हम इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। बातचीत जारी है और जारी रहेगी। ऐसी स्थिति में, यदि बातचीत को असफल होने से रोकने के लिए संविधान संशोधन का समर्थन नहीं किया जा सकता था तो यह स्थिति नवम्बर के बाद भी जारी रही।

अन्तिम बैठक 5 और 6 नवम्बर को थी वे पुनः मुकर गए। इसके पश्चात समय ही शेष नहीं था। चुनाव प्रक्रिया आरम्भ की जानी थी और स्थिति हमारे समक्ष रखी गई। हम इस मामले पर अर्थात यदि संसद का सत्र पुनः बुलाया जाये तो कोई दल विशेष किस प्रकार से कार्य करेगा, निर्णय नहीं ले सकते थे। हम इस मामले विशेष के बारे में उस आधार पर कार्यवाही नहीं कर सकते थे। संविधान के अन्तर्गत हमें अल्पसंख्यकों एवं अन्य लोगों की सुरक्षा का कुछ दायित्व सौंपे गए थे ऐसा ही किया गया और इसके लिए हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं।

श्री दण्डवते ने एक साथ हिटलर और गांधी जी शब्दों का खुल कर प्रयोग किया है। उन्होंने एक ओर गांधी जी का उल्लेख किया है तो दूसरी ओर हिटलर का उल्लेख किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उनके साथ गोडसे का उल्लेख नहीं किया। वे उसका भी उल्लेख कर सकते थे।

प्रो० मधु दण्डवते : गोडसे और उनके सहयोगियों का उल्लेख मैने उन पर छोड़ दिया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : गोडसे उनके इलाके का था अब वे उन लोगों से सांठ-गांठ कर रहे हैं। जो गोडसे की पूजा करते हैं। और अब वे एक ऐसे दायित्व हैं जो हिटलर का स्मरण करते हैं। गोडसे और हिटलर एक हैं और भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी एक जैसी हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूं।

मैं इस चर्चा के सम्बन्ध में बेतुकी बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। मैं इस मामले को सदन में इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि संविधान के हम सरक्षक हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा से यह पूछना चाहिए कि क्या सरकार अथवा चुनाव आयोग अपना दायित्व निभाता यदि पैदा हो जाती और लाखों लोगों को हथियारों से वैसे बदमाशों के हाथ सौंप देते उनका कत्लेआम होने दे तो जिसमें सरकार और पुलिस कुछ न कर पाती। असम में चाहे वे आदिवासी हो, असामी हो अथवा बंगाली, हिन्दू हो अथवा मुसलमान, वे भारतीय हैं; और अतः हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनमें से प्रत्येक की रक्षा हो।

इस भावना से ही हमने चुनाव करवाए हैं। विश्व को इस तथ्य को जान लेना चाहिए कि हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। हमने कर्त्तव्य का पालन किया है। और विश्व इस बात

भी रिकार्ड रखेगी कि इस विनाशका दायित्व उन व्यक्तियों पर हैं जिन्होंने भड़काने का कार्य किया और तीन मूर्ति यहां उपस्थित है जो कुछ हुआ है उन्हें उसका जवाब राष्ट्र को देना होगा।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : महोदय, जो विनाश लीला हुई है उसके कारण मैं बड़े दुखी मन से बोल रहा हूं और मैं यह भी नहीं जानता कि आने वाले दिनों में यह समाप्त हो जाएगा अथवा जारी रहेगा। केवल परसों शाम को मुझे गोहाटी से टेलीफोन से एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें मेरे दल के नेता ने अनुरोध किया है कि मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करूं और इस बात पर जोर दूं कि लोगों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान की जाये ताकि चुनावों की समाप्ति के बाद बड़े पैमाने पर झड़पें न हों। यदि आवश्यक हो तो सभी वर्गों की जनता को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए और अधिक सेना तैनात की जाए ताकि भविष्य में हिंसा न भड़के और कम से कम इस विनाश लीला को समाप्त किया जाए।

असम स्थिति में जितने भी मामले हैं उन पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा और इस विनाश के लिए उत्तरदायी शक्तियों का भी पता लगाया जाएगा। तथा इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि असम का भविष्य कैसे बचाया जाये। चुनाव के प्रश्न से स्थिति संकटपूर्ण हो गई वहां पर आन्दोलन के तीन वर्षों से अधिक अवधि से चल रहा है और प्रारम्भिक स्टेज पर भी यहां पर छोटे स्तर पर विनाश लीला हो चुकी है। अल्प संख्यकों के करों को जला दिया गया है उन पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं और अनेक मारे गये हैं हजारों लोग कैम्पों में शरण लेने को बाध्य हुए हैं। इन सब बातो पर यहां बहस हो चुकी है।

यह कोई नई बात नहीं है। जो अल्पसंख्यकों के लिए उत्तरदायी हैं, वे आल आसाम स्टुडेन्ट यूनियन के नेता हैं—अब उन्होंने चुनौती दी है कि जब तक असम से विदेशियों को निकाला नहीं जाता वे तब तक किसी चुनाव को नहीं होने देंगे।

अब प्रश्न यह है कि उनकी इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए। भारत सरकार ने स्थिति पैदा कर दी है जिससे हमारे सामने चुनाव ही एक मात्र विकल्प है।

राष्ट्रपति शासन से पहले, वहां एक विधान सभा थी; जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने वहां विधायकों को खरीदने का तरीका अपनकर वहां एक अल्प संख्यक सरकार लाद दी थी; और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 53 हो गई। जब वे सरकार विधान सभा का सामना नहीं कर सकी तो उसने त्याग-पत्र दे दिया और शीघ्र ही विधान सभा को भंग कर दिया गया जब कि यह बात पूरी तरह चालू थी कि संविधान में एक ही वर्ष के लिए राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सकता है। अतः एक वर्ष के अन्दर चुनाव होना आवश्यक होता है। इस संवैधानिक दायित्व से सरकार बच नहीं सकती थी। अतः प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता था; क्या

हम चुनाव कराते अथवा हम चुनाव लम्बित कर देते और संविधान में संशोधन कर देते। अतः हमने बार-बार मांग की कि चुनाव करवाए जाएं; यह कोई नई मांग नहीं थी। मुझे याद है जब सदन में असम पर हुई थी तो हमने यह मामला उठाया था।

मैंने इस बात पर जोर दिया था कि प्रक्रिया तभी से आरम्भ हो जानी चाहिए। यदि चुनाव प्रक्रिया तभी से आरम्भ कर दी जाती तो मेरा विचार है इस त्रासदी से बचा जा सकता था। किन्तु स्थिति सम्बन्धी मूल्यांकन में भिन्न-भिन्न राय हो सकती है। पर जिस प्रकार से आल असम स्टुडेंट यूनियन और गण संग्राम परिषद बातचीत कर रही थी और साथ ही अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि ये लोग समझौते के पक्ष में नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि इसके पीछे उनका एक निश्चित उद्देश्य है एक विशेष अभियान है।

अब यह विवाद पैदा हुआ है कि क्या यह एक पृथकता वादी आन्दोलन है अथवा आसाम के लोगों की सही मांग है। कुछ वास्तविक शिकायतें भी न हो सकती हैं हम इस समय बार-बार कह चुके हैं कि आसाम के लोगों की कुछ मांगें सही हैं। लेकिन इस सही शिकायतों का समाधान कैसे होगा ? जिस प्रकार आयु और संग्राम परिषद आन्दोलन को चला रहे हैं; जिस ढंग से थे अल्पसंख्यक को जिन्हें नागरिकता मिल चुकी है, आसाम से भाग रहे हैं; उनको प्रतीत होता है कि वे भारत का एक भाग नहीं बल्कि एक स्वतन्त्र राज्य मानते हैं। यहीं पृथकतावाद का प्रश्न उत्पन्न होता है। मैं संसद में ऐसे प्रमाण कई बार दे चुका हूं कि उनके लक्ष्य क्या हैं। मैं "इण्डिया टुडे से 24 फरवरी को नवीनतम अंक से उद्धृत कर रहा हूं :—

> "9 मई 1979 के जनता मुख्य मन्त्री श्री गोलादबोखोरा ने मोंगलडोई की मतदाता सूची ये विदेशी (बंगाल देश के अनधिकृत आप्रवारिक का पता करने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में डी० आई० जी० ने 47,658 विदेशियों के नाम ढूढ़े। चुनाव विभाग में केवल मतदाता सूत्री में दर्ज नामों पर आपत्ति दायर करने के लिए केवल 10,000 छपे फार्म थे...
>
> मोंगलडोई मतदाता सूची सम्बन्धी विवाद से राज्य व्यक्ति विदेशी विरोधी आन्दोलन उठ खड़ा हुआ...

उससे पहले विदेशियों का प्रश्न कभी भी पैदा नहीं हुआ था और ऐसा कोई बड़ा आन्दोलन भी नहीं था।

> "अगस्त 1979 में लोक सभा भंग होने के बाद, गाद बोखोरा ने भट्टाचार्य को 80 विधान सभा तथा 6 लोक सभा अर्थात घुबरी, कोकराफर, बारपेटा, मोंगलडोई, तेजपुर तथा डिफु क्षेत्रों की सूचियों में विदेशियों के नामों का पता लगाने के लिए कहा बाद में आसाम के मुख्य सचिव श्री आर० एस० परमाशिवम उन्हें आन्दोलनकारियों से हमदर्दी रखने के लिए अपमानपूर्वक राज्य से वापिस बुलाया गया, ने भट्टाचार्य के गोहाटी, डिबूगढ़

तथा जो राहत चुनाव क्षेत्रों के बारे में भी आदेश दिया 1980 के शुरू तक भट्टाचार्य तथा उनके उत्साही पुलिस सिपाहियों ने इन चुनाव क्षेत्रों में 5,87,000 विदेशियों का पता लगा दिया था। भट्टाचार्य ने कहा कि मैंने नेशनल रजिस्टर आफ सिटिजनज 1981 तथा बाद के चुनावों के मतदाता सूचियों का अध्ययन अच्छी तरह से किया। विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकता सिद्ध करने का व्यय जिन पर संदेह किया जाता है उनका क्या होता है।

पिछले पक्ष भट्टाचार्य आसाम के चाय-बागान क्षेत्रों के मजदूरों को वोट न देने के लिए राजी करने हेतु यात्रा कर रहे थे। इस पर आरोप लगाया जाता है कि हमारा एक साम्प्रादायिक आन्दोलन है जो आप्रवासी पुस्लियों तथा 1958 तथा 1976 के बीच मंगाए गए तीन लाख से अधिक उन लोगों के विरुद्ध है जिनमें से एक भी व्यक्ति हिन्दू नहीं है मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन 5 लाख 80 हजार विदेशियों में से 55 प्रतिशत हिन्दू थे। हर हिन्दू का अर्थ साम्यवादियों को मत देना है। सारी ब्रह्मपुत्र घाटी जो काफी राष्ट्रीयता का गढ़ क्यों, मार्क्सवादियों तथा बंगाली सांस्कृतिक विस्तारवादियों से घिरी है। यदि जयन्ती गांधी आसाम को एक उपनिवेश के रूप में रखना चाहती हैं तो इसकी प्रतिक्रिया उसी प्रकार होगी। आसाम अब भारतीय संघ की एक संघीय इकाई नहीं है, बल्कि एक अधिकृत क्षेत्र है।

(उपाध्यक्ष महोदय **पीटासीन** हुए)

यह पृथकतावाद है यह नहीं इसके बारे यहां एक चित्र है जिससे सिद्ध होता है कि वे चुनाव युद्ध में शहीदों के लिए पुष्पांजलिया आकर्षित कर रहे हैं उनका मुख्य नारा जय असम है असम उनकी मातृभूमि है और असम के सभी विदेशियों से मुक्त किया जाना चाहिए। मैं इस महीने की 8 तारीख के उस दिन गोहाटी में था जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा चौधरी साहब ने जाजिज कोट में एक बैठक में भाषण दिया था और उस बैठक में अप्पू का एक वक्तव्य श्री दिनेश गोस्वामी ने पढ़ा था और उस वक्तव्य में स्पष्ट कहा गया था कि "असम हमारी मातृभूमि है और जब तक हम असम को विदेशियों से मुक्त नहीं करते उस समय तक हम चैन से नहीं बैठेंगे असम उनकी मातृभूमि है और आपकी पार्टी आर. एस. एस. ने घोषणा की है कि एक अखंड हिन्दू राष्ट्र होना चाहिए और जिस नक्से को मैंने देखा उसके अनुसार इन्डोनेशिया को भी वे भारत में शामिल करना चाहते हैं।

अखंड हिन्दू राष्ट्र के समर्थक होने के नाते आप ऐसी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे जिसमें अप्पू की उन नीतियों की घोषणा की गई जिसके अनुसार वे केवल असमी है और भारत के अंग नहीं है और वे सारे आसाम को इन विदेशियों से मुक्त करना चाहते हैं

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सही नहीं है।

श्री समर मुखर्जी : मैं गोहाटी में था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं बैठक में था ।

श्री समर मुखर्जी : और यही कारण है कि श्री दिनेश गोस्वामी ने बक्तव्य पढ़ा ।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों सही हैं ।

श्री समर मुखर्जी : अब आप इस 1979 की सूची को देखिए जो इस चुनाव की आधार है अल्पसंख्या के तथा शरणार्थियों की शिकायत है कि उनके नाम हटाए गए हैं । इसी आधार पर मतदाता सूची बनी है और सभी बामपंथी पार्टियों ने इसका विरोध किया है असम में रहने वाले नेपालियों का एक प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आज और शिकायत की है कि ऐसे लगभग दो लाख नाम मतदाता सूत्री से हटाए गए हैं क्योंकि वे नेपाली हैं और उन्हें ये आन्दोलनकारी विशेष समझते हैं ।

अतः 1976 की सूची लाखों असली नागरिकों तथा मतदाताओं को हटा कर तैयार की गई इसके बावजूद भी आन्दोलनकारी यह शोर मचा रहे हैं कि वर्तमान मतदाता सूची से अव भी विदेथी नहीं निकाले गए हैं यह बात ठीक है कि जो लोग मत देने कि आयु में पहुंच गए हैं उनके नाम शामिल नहीं किए गए और असली नागरिकों के नाम निकाले गए हैं ।

अब सारी स्पष्ट स्थिति के उचित ढंग से समझा जाना चाहिए आप जानते हैं कि आसाम एक समिचित राज्य है । यह बंगाल अथवा उड़ीसा की तरह एक ऐसा राज्य नहीं जो माला पर आधारित हो ।

यह एक समुचित राज्य है जिसमें बंगाली भी है आदिवासी भी है आसामी भी है नेपाली तथा बिहारी भी हैं फिर भी यह एक समिचित राज्य है और इस बारे में घोषणा सभी आयोग ने घोषणा की थी कि आसाम एक समिचित राज्य है । आसाम उसी दशा में प्रगति कर सकता है यदि सभी भाषायी लोग सभी गैर लोग मिलकर चले । लेकिन 1979 में अप्पू ने अचानक आन्दोलन शुरू कर दिया और इसका उद्देश्य क्या है उद्देश्य उनकी आसामी संस्कृति तथा पहचान की रक्षा करना नहीं बल्कि राजनैतिक है उन्होंने सोचा कि यदि पुलिस वहां हो तो वे कांग्रेस (ई) को वोट देंगे और वहां बंगाली होंगे तो वे राज्यवादियों को वोट देंगे अतः उन्हें बाहर भेजना चाहिए और यह चुनाव 1978 के चुनाव के बाद शुरू हुआ जव बामपंथी ताकतों को वहां कुछ स्थान मिलने तथा पश्चिम बंगाल में जीत होने के बाद बहुमत मिला । मैं जानता हूं कि कलकत्ता के कुछ समाचार पत्रों **आनन्द बाजार पत्रिका** ने लोगों को उकसाया कि यदि वामपंथी यह बंगाल का उपनिवेश बन जाएगा । अतः सावधान रहे उन्हें बाहर निकाल दें और इसी कारण सभी निहित स्वार्थ वाले लोग अप्पू आन्दोलन को वित्तीय सहायता भी दी जा रही है ।

हमने बार-बार यह प्रश्न उठाया है हमें सी० आई० ए० का "आपरेशन ब्रह्मपुत्र नामक दस्तावेज मिला है यद्यपि उन्होंने इस दस्तावेज को तैयार किया है फिर भी वे इस विवाद का उपयोग इस ढंग से करना चाहते हैं जिससे समूचे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विघटन हो।

इन आंदोलनकर्त्ताओं का उस उद्देश्य के लिए साधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। केवल आसाम में ही नहीं, आप त्रिपुरा की घटनाओं के बारे में भी जानते हैं। 30 राष्ट्रीय मोर्चा और अखिल आसाम छात्र संघ के बीच, तथा नक्सलवादियों, त्रिपुरा उपजाति, पी० एल० ए० और अन्यों के बीच सम्बन्ध रहा है। उनके द्वारा स्टेनगन और आधुनिक हथियारों के प्रयोग से स्पष्ट है कि वे किस प्रकार की हिंसा कर रहे हैं उन्हें ये सब कहां से प्राप्त हुआ। इस योजनाबद्ध हमले के कारण वहां काफी लोगों की जानें गई हैं। अब वास्तविक स्थिति क्या है? अखिल आसाम छात्र संघ ने दावा किया है कि वे सम्पूर्ण असम प्रतिनिधित्व करते हैं।

लेकिन यदि आप गहराई से अध्ययन करें कि यह विध्वंस कहां हो रहा है यह मुख्यतः तीन चार जिलों नौगोंग, कामरूप और शिव सागर, में हो रहा है जहां कि आसामियों का बहुमत है अन्य जिलों में ऐसा नहीं है। आसाम केवल इन चार जिलों में ही नहीं बसा है। आसाम इन चार जिलों से कहीं ज्यादा बड़ा है। कुल 126 सीटों में से, जहां पर चुनाव होने जा रहा है, केवल 40 स्थान इस तरह के हिंसात्मक आंदोलन से गम्भीर रूप से प्रभावित हैं।

जिस दिन मैंने आसाम का दौरा किया, सौभाग्य से मुझे कलकत्ता हवाई अड्डे पर श्री शरत सिन्हा मिले। 5 तारीख को मैंने उनसे कहा कि अखिल असम छात्र संघ ने एक चुनौती, एक धमकी दी है कि यहां खून बहेगा और वह चुनाव नहीं होने देंगे। कितने निर्वाचन क्षेत्र इससे प्रभावित हो सकते हैं? उन्होंने बताया कि 40 निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित होंगे। मैंने दिनांक 9-2-83 में सम्पादकीय टिप्पणी को पढ़ा। वहां भी उन्होंने स्वीकार किया कि 40 निर्वाचन क्षेत्र गम्भीर रूप से प्रभावित होंगे इससे यह बात सिद्ध हो रही है। अतः 126 विधान सभा सीटों में से वह 14 सीटों पर चुनाव रोक सकते हैं जिस तरह प्रचार किया जा रहा है और जिस तरह हमारे विपक्षी दलों ने उनका समर्थन किया है, उससे ऐसा लगता है कि संपूर्ण असम का अखिल असम छात्र संघ और उनके दूसरे लोग प्रतिनिधित्व करते हैं।

मेरा प्रश्न यह है—यदि जनसमूह उनके पीछे है तो वे चुनाव कराने से क्यों डरते हैं। यदि वहां के लोग इनके साथ हैं तो उन्हें चुनावों में निश्चित रूप से बहुमत मिल सकता है। वे चुनाव कराने से डरते क्यों हैं?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उनके पास बन्दूकें हैं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : उनके पास बन्दूकें हैं। वे उनका इस्तेमाल करते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : वे बन्दूकें और स्वचालित रायफलों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ये सामान कहां से मिलता है?

श्री समर मुखर्जी : यह 11 तारीख का 'स्टेटसमैन' है। इसका सम्पादकीय का शीर्षक है 'चैलेंज इन रिसपौंस' (प्रत्युतर में चुनौती) मैं यह पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं :

आसामी उग्रवादियों द्वारा सभी प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे चुनाव को रोकने की धमकी और खून की नदियां बहाने के उनके खतरनाक उल्लेख से अधिक गैर-जिम्मेदाराना क्या हो सकता हैं।

उन्होंने खून बहाने की बात कही है और उस में उन्हें चौधरी चरण सिंह ओर श्री अटल बिहारी वाजपेयी से सहायता मिली इन संस्थानों को प्रोत्सहित किसने किया।

क्या लोग चुनाव चाहते हैं या नहीं, आप चुनावों की घोषणा के बाद उनके प्रत्युत्तर से यह देख सकते हैं। नामांकना पत्र जमा कराने के सम्बन्ध में विधान सभा की 126 सीटों के लिए 527 नामांकन पत्र भरे गए। यदि लोग अखिल असम छात्र संघ के साथ हैं तो फिर इतने अधिक नामांकन पत्र कैसे भरे गए ?

प्रो० मधु दंडवते : जिन लोगों की जमानत जब्त हो गई थी वे वहां हैं।

श्री समर मुखर्जी : मैं उसी पर आ रहा हूं। कुल 12 संसदीय सीटें थीं और उसके लिए 29 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। आप जानते हैं जब ए० ए० एस० यू० के सदस्य बातचीत के लिए गए और हमें बताया गया कि जनजातियों के अलावा विदेशियों की कुल संख्या 47 लाख है। जनजातियां विदेशी नहीं हैं। वे वहां के मूल निवासी हैं। आप 47 लाख लोगों के साथ-साथ जन-जातियों को भी निर्वासित करना चाहते हैं। जिन लोगों ने नामांकन पत्र भरे उनमें पी० टी० सी० ए० और आर० सी० पी० टी के प्रत्याशी भी हैं। ये जनजातियों की संस्थाएं हैं। वे चुनावों में खड़े होना चाहते हैं। यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिससे कि ए० ए० एस० यू० डरता है। यही कारण है कि हमने आरंभ से ही आग्रह किया था कि वहां चुनाव कराए जाएं। मुझे एक घटना याद है जब सतारूढ़ दल चुनावों से यह सोचकर बहुत डर गया था कि यदि ए० ए० एस० यू० ने चुनावों में भाग लिया तो वह अधिक मत बटोर लेगा और उन्हें अल्पमत प्राप्त होगा। असम सरकार के कर्मचारी और अधिकारी और बाकी सब अखिल असम छात्र संघ के आंदोलन के पक्ष हैं। यह सब जानते हैं। अल्पसंख्यक दल बिलकुल बेसहरा हैं क्योंकि संपूर्ण प्रशासन ए० ए० एस० यू० का समर्थन कर रहा है। अब वास्तविकता स्पष्ट हो गई है कि ए० ए० एस० यू० और वे लोग जो इसके साथ हैं संपूर्ण आसाम का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वहां अन्य वर्ग भी है। वहां जनजातियां भी है। और जिन लोगों को विदेशी कहां जा रहा है वे भारतीय नागरिक हैं।

मैंने क्रमशः तीन रेल मन्त्रियों का ध्यान बार-बार इस ओर आकर्षित किया है, शायद कमलापति जी को याद है या नहीं लेकिन मुझे याद हैं। श्री केदार पांडे यहां बैठे हैं। मैंने मलिगांव और पांडू में निष्कासन की कुछ घटनाओं के सम्बन्ध में श्री सेठी से भी कहा था। 1987 के विभाजन के बाद कई हजार शारणार्थी 1951 में यहां आए। अचानक, निष्कासन आरंभ हो गया

मैंने यह लिखित रूप में दिया कि चूंकि चुनाव आ रहे हैं, उन्हें उनके निवास स्थानों से हटाकर आधार बनाया जा रहा है लेंबडिंग में 6000 परिवारों को निष्कासन के नोटिस दिए गए हैं। 2-3 वर्ष से, निरन्तर मैं उनके मामले का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और हमारे द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण ही उन परिवारों को निष्कासित नहीं किया जा सका है। मैंने उन्हें दिए गए नागरिकता प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। लेकिन इन दलों द्वारा उन्हें असम से बाहर निकाल दिया गया। और पानी खेती में, बहुत से परिवारों को भी, जिनके पास भूमि के दस्तावेज थे और वे विभाजन से कई वर्ष पूर्व यहां आए थे, निष्कासित कर दिया गया। लेकिन जनता शासन के दौरान राजस्व मन्त्री के इन आदेशों के बावजूद भी उन्हें निष्कासित किया। अतः आक्रोश बढ़ रहा था। अल्पसंख्यक और बेसहारा लोग उसे कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। संपूर्ण प्रशासन ए० ए० एस० यू० का समर्थन कर रहा है।

इस स्थिति में, जब चुनाव का समय आया, ए० ए० एस० यू० ने चुनौती दी और वह चुनौती का सम्बन्ध खून की नदियां बहाने से था। उन्होंने बहिष्कार के नारे लगाये। हर व्यक्ति को चुनावों का बहिष्कार करने के लोकतांत्रिक अधिकार हैं। लेकिन क्या उन्हें यह अधिकार भी प्राप्त है कि वे पुलों को जलाकर और बंदूकें चलाकर लोगों को वोट देने से रोकें। वे अन्य लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं। क्या यह लोकतंत्र है? क्या यह असहयोग है? क्या यह निष्कासन? नहीं उन्होंने खून की नदियां बहाने की चुनौती दी है कि हम कभी नहीं चाहते की असम पर अन्य वर्गों का शासन हो।

प्रश्न यह है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। सतारूढ़ दल की मैं कटु आलोचना करता हूं। उन्होंने निष्क्रियता, अवसरवादिता और भ्रष्टाचार का प्रदर्शन किया है। वे धर्म निरपेक्षवाद की बात करते हैं लेकिन उनका कार्य इसके विपरीत है यद्यपि पृथकतावादी ताकतों की आलोचना करते हैं किन्तु त्रिपुरा में उपजाति युवा समिति के साथ उन्होंने गठबन्धन किया है।

वे चाहते हैं कि भारत की एकता और अंखड को बनाए रखी जाए। मैंने बार-बार यह प्रश्न उठाया है। उन्होंने कभी अपने साथियों और अनुयायियों से कहा इस प्रथकवादी आंदोलन के विरुद्ध राजनैतिक रूप से लड़ने के लिए नहीं कहा है। हमारे लोगों का कत्ल हुआ है; हमारे विद्यार्थियों का कत्ल हुआ है। मैंने उन लोगों के नामों का इस सदन में उल्लेख किया है, जिनका कत्ल हुआ है। हमारे छात्र संघ और मजदूर संघ के नेता वहां लड़ रहे हैं। यहां तक कि हमारे प्रगतिशील आसामी प्रोफेसरों पर भी हमला किया गया है। हमारे प्रोफेसर अभी भी अस्पताल में है। उनका विरोध किया गया क्योंकि इस तरह का पृथकतावादी आंदोलन भविष्य में असम के लोगों के लिए बिलकुल भी सहायक नहीं होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व): प्रगतिशील प्रोफेसर से उनका क्या तात्पर्य है?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : उनके लिए यह समझना बहुत कठिन है।

श्री समर मुखर्जी : वे प्रगतिशील इसलिए है क्योंकि वे भारत की एकता चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : 'प्रगतिशील' से उनका तात्पर्य है डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी से है

श्री समर मुखर्जी : मेरा तात्पर्य उनसे नहीं है—प्रश्न यह है कि क्या हम एक वर्ष तक और इन्तजार कर सकते थे और क्या कोई वातावरण बनाया जा सकता था। लेकिन मुझे याद है जब कभी भी ए० ए० एस० यू० के प्रतिनिधि संधि-वार्ता के लिए यहां आए, उन्होंने समझौते की ऐसी शर्तें रखी जिनसे बातचीत से किसी भी समझौते का आधार नहीं बना सकता था। बार-बार ऐसा होता रहा। जब एक प्रस्ताव रखा गया कि त्रिपक्षीय वार्ता होनी चाहिए। तो मैं भी पिछली बैठक में उपस्थित था और इस बैठक में मैंने सुस्पष्ट रूप से कहा "आप शायद इस भ्रम में होंगे कि त्रिपक्षीय सम्मेलनों के माध्यम से कुछ समझौता किया जा सकता है। लेकिन यह एकदम स्पष्ट है कि ए० ए० एस० यू० के प्रतिनिधि कोई समझौता करना नहीं चाहते हैं। वे इस संकट को बनाए रखना चाहते हैं और अव्यवस्था बनाने के आंदोलन नियमित रूप से चल रहे हैं।' प्रधानमन्त्री के हमें बा-बार बताया है वे यहां सहमत होते हैं। लेकिन जब वे वापिस जाते हैं, भिन्न भिन्न तरह से बात करना आरंभ कर देते हैं। यह सब उनके प्रतिनिधियों के कारण है। मुखिया कौन हैं? वे कौन है? बड़े बड़े अधिकारी हैं जो सी० आई० ए० से सम्बन्ध बनाए हुए हैं।

हमने पर्याप्त तथ्य दिए हैं। असम आंदोलन को अमेरिका के षड्यंत्र से भिन्न नहीं माना जाना चाहिए।

हाल ही में 'पेट्रीऑट' में छोटे-छोटे राज्यों को बांटने के सम्बन्ध में एक प्रकाशित हुआ है। छोटे-छोटे राज्यों को बांटने का प्रयास पूरे भारत में किया जा रहा है। मैं यह प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इसका सम्बन्ध हमारे भविष्य तथा भारत की एकता और अखडंता से है क्योंकि विघटनकारी ताकतें केवल आसाम में ही नहीं बल्कि अन्य विभिन्न राज्यों में भी सिर उठा रही है। यह बड़ी खतरनाक स्थिति है जो पनप रही है। यदि हमें इसका सामना करना है तो हमें दृढ़ सिद्धांतों के आधार पर लड़ना होगा। वह सिद्धांत क्या होना चाहिए?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : गृह मन्त्री को छोटे-छोटे राज्यों को बांटने के सम्बन्ध में उत्तर देना चाहिए।

श्री समर मुखर्जी : सिद्धांत यह होना चाहिए कि भारत ऐसा देश है जिसमें विभिन्न भाषाई लोग रहते हैं, यहां विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं और जब तक हम सभी भाषाओं को समृद्धि? उनकी संस्कृति, उनकी जातियों के अलग स्वरूप बनाये रखते भारत संगठित नहीं रह सकता यदि आप केवल इस दृढ़ सिद्धांत के आधार पर राजनैतिक रूप से लड़ाई लड़ते हैं तो ये पृथकवादी असम द्वारा लोगों से अलग पड़ जाएंगे। हम आसाम में वह लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी ताकतों में वृद्धि हो रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ओर आ रहे हैं।

इस सम्बन्ध में, मैं श्री अब्दुल गनी खान चौधरी द्वारा दिए गए भाषण के सम्बन्ध में प्रो० मधु दंडवते का समर्थन गरता हूं। मैंने भी इसी रिपोर्ट के बारे में सुना है। काग्रेस-आई के नेताओं ने अल्पसंख्यकों को उत्तेजित किया है।

मुझे वहां जन सभा में उत्तर देना पड़ा हमारा दृष्टिकोण वैसा नहीं है जैसा श्री चौधरी ने कहा है। हमारा मकसद यह है कि हम असम के लोगों के साथ एकता चाहते हैं हम परिश्रमी जनसमूह की एकता चाहते हैं। निहित हितों और प्रतिक्रियावादी ताकतों के विरुद्ध लड़ाई का हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि "यदि एक व्यक्ति मारा जाता है तो आप चार मारिए।" मेरे पास यह रिपोर्ट...है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी—'टेलिग्राफ' में इस तरह के प्रतिशोध के चित्र हैं। यदि आप चाहें तो मैं उन्हें सभा-पटल रख सकता हूं।

श्री समर मुखर्जी : यहां तक कि मुसलमानों को भी उन्होंने ऐसा कहा। मेरे पास यह रिपोर्ट। उन्होंने उनसे सभी मुस्लिम ताकतों को संघटित होने के लिए कहा है।

(श्री एन० के० शेजबलकर पीठासीन हुए)

इसका कोई फायदा नहीं मुख्य रूप से इस खूनखराबे के लिए जनता पार्टी, भा० ज० पा० तथा लोकदल इस की जिम्मेदार हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं। साथ ही कांग्रेस (ई) भी अल्पसंख्यकों को भड़काने पर जिम्मेदार हैं। वे भी अपने आपको इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकते।

चुनावों के दौरान हेरा-फेरी के सम्बन्ध में भी गम्भीर शिकायतें हैं यह वास्तविता है कि वे अल्पसंख्यकों को धमकी दे रहे हैं "यदि आप असम में रहते हो तो आपको काग्रेस (ई) को मतदान देना होगा। अन्यथा आपको बाहर निकाल दिया जाएगा।" जो कुछ श्री दंडवते ने कहा है वह ठीक है।

इस न्याययुक्त मनोस्थिति का सत्तारूढ़ दल द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। अल्पसंख्यकों को जितनी अधिक धमकी दी जाएगी वे उतनी ही अधिक सत्तारूढ़ दल को मत देंगे।

(व्यवधान)

विकल्प क्या है ? हम इस देश को संविधान के आधार पर चलायेंगे अथवा नहीं। इसलिए हम इस संविधान संशोधन का पूर्णतया विरोध करते हैं क्योंकि हमारे सामने दो विकल्प हैं या तो संविधान का संशोधन या प्रादेशिक आयातकाल का लागू किया जाना। दोनों प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है और आसाम के बारे में यही विश्वास है स्थिति को न केवल असमियों तथा अल्पसंख्यकों को बल्कि सभी जनजातियों को भी और अधिक प्रजातान्त्रिक अधिकार देकर सामान्य किया जा सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विदेशियों को भी ।

श्री समर मुखर्जी : यदि आन्दोलनकारी और उनके मित्र इस प्रकार के आन्दोलन को जारी रखना चाहते हैं तो असम के विभिन्न स्वायत्त राज्यों में विभाजित हो जाने का डर है। गोपुर गांव में जहां दंगे हुए हैं। पहले ही जनजातियों द्वारा उदयाचल की मांग की है और आसामी लोगों ने इसका घोर विरोध किया और इसके पीछे भूमि की समस्या का प्रश्न है परन्तु मुख्य रूप से वे अपना वोट देना चाहते थे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे मतदान हकदार भी नहीं है और वे सभी भारतीय नागरिक हैं ।

श्री समर मुखर्जी : वे मतदान अधिकार से वंचित रखे गए हैं क्योंकि मतदाताओं की सूची लोगों द्वारा बनायी गई है जो आन्दोलन के पक्ष में है ।

इसलिए दोनों ओर से इस प्रकार के भड़काने वाले काम किए जा रहे हैं और अन्ततः यह देखद घटना विकसित हुई ।

हमारा मुद्दा यह है कि यह केवल आसाम का ही प्रश्न नहीं है परन्तु पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रश्न है । सत्तारूढ़ रेल सिद्धातों के प्रति वफादार नहीं हैं । वे पृथकताबाद की बात कर रहे हैं परन्तु त्रिपुरा में आपने देखा है कि वे 'उपजाति युवा समिति' के साथ मिल गए । कि वे भी पृथकता वादी हैं । अतः वे पक्के अवसरवादी हैं । और हमें कोई सन्देह नहीं कि महाराष्ट्र में भी 'वेशिव सेना' के साथ मिल गए है केरल में वे हमें हटाने के लिये सभी सम्प्रदायिक दलों के साथ मिल गए । परन्तु आसाम में एक बड़ी विशेषता यह है कि सभी वामपंथी दल काग्रेस (एस) के साथ तथा अन्य प्रजातान्त्रिक तत्वों के साथ रहे ।

एक नया संगठन विकसित हो रहा है कि कुछ समय में लोग यह महसूस करेंगे कि ऐसी शक्तियां हैं जो आसाम में एकता ला सकती हैं और उन शक्तियों द्वारा आसाम के भविष्य को बचाया जा सकता है ।

इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे देश में पृथकवादी शवितयों के उत्पन्न हो जाने की स्थिति पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाए ।

साम्प्रदायिक शक्तियां हैं । खालिस्तान आन्दोलन को ही लीजिए । पंजाब में क्या होगा किसी को नहीं मालूम । पंजाब में भी उपद्रव हो सकते हैं । इसलिए सरकार को ऐसे सिद्धान्त अपनाने चाहिए जिससे प्रत्येक राष्ट्रीपता, उपराष्ट्रपति आदि को अलग मान्यता को गारन्टी हो । ऐसी स्थिति पैदा की जानी चाहिए जिनमें उनकी संस्कृति उनकी भाषा साहित्य फले फूले और यह केवल प्रजातंत्र को विकसित करके किया जा सकता और केवल इसी विकल्प के द्वारा भारत की एकता और आखण्डता को बचाया जा सकता है ।

सभापति महोदय : श्री आन्नद गोपाल मुखोपाध्याय ।

डा० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम माध्याह्न भोजन के लिए कार्यवाही स्थगित करें । मध्याह्न भोजनकाल न करने का मूल उद्देश्य यह है कि हमें 2 बजे मंत्री महोदय के लिए सदन स्थगित करना होगा । लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है । मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमें अपना माल मिलना चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : कल भी इस विषय पर बहस होगी । तो हाऊस को लंच के लिए एडजोर्न कर दीजिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (नसीहार) : इस पर सदन की प्रतिक्रिया क्यों न जानी जाए ।

श्री सतीश भगतशाल (जयपुर) : उत्तर कल दिया जाएगा चर्चा जारी रहेगी । यह कोई समस्या नहीं है ।

सभापति महोदय : पहले सदन ने तय किया था कि हम कार्यवाही जारी रखे... **(व्यवधान)** मैं तो आपके साथ हूं सदन जो सही हो निश्चित कर सकता है ।

श्री समर मुखर्जी : हम दो बजे भोजनकाल कर सकते हैं अगर मैं सही हूं तो मंत्री ने 2 बजे दूसरे सदन में जाना है वे यहां दो बजे तक उपस्थित रह सकते हैं । उस समय तक बहस जारी रह सकती है ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर आप चाहते हैं, तो हम भोजन के लिए आधा घाटा ले सकते हैं···**(व्यवधान)**

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) आधे घंटे से क्या होगा । कम से कम 1 घंटे का लंच रखिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम यह समझते हैं कि मंत्री महोदय ने हमें कहा है कि उन्हें दो बजे दूसरे सदन में उपस्थित रहना है उस हालत में हम 2 से 3 बजे तर भोजनकाल के लिए जा सकते हैं ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय की क्या राय है ?

श्री प्रकास चन्द्र सेठी : समस्या यह है कि अगर यह चर्चा 300 बजे शुरू नहीं होती है तो यह कल भी जारी रहेगी कल मुझे यहां भी इसका उत्तर देना है और दूसरे सदन में भी यह निर्णय किया गया है कि पहले मैं यहां उत्तर दूं और बाद में दूसरे सदन में. . .

(व्यवधान)

श्री रामवतार शास्त्री : इसमें कोई हर्ज नहीं है । इससे क्या फर्क पड़ता है ।

श्री सतीश अग्रवाल : इससे मध्याह्न के भोजन का कोई वास्ता नहीं है ठीक है आप कल यहां पर उत्तर देंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम भोजन काल के बाद चर्चा जारी रखेंगे ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि हमारे दिमागों को आन्दोलित कर रहा है । कृपया समय की चिन्ता न करें आइए इस पर चर्चा करें और उसके बाद अपनी सुविधानुसार उत्तर दें आप परसों भी उत्तर दे सकते हैं यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है आपको हम सबको बोलने की अनुमति देनी चाहिए । बहस आज 2 बजे तक और कल भी हो सकती है । मंत्री परसों भी उत्तर दे सकते हैं ।

सभापति महोदय : जब एक दफा यहां यह तय हो गया है कि कल मंत्री महोदय उत्तर देंगे तो हम यह नहीं कह सकते कि वे परसों उत्तर देंगे ।

कुछ माननीय सदस्य : कल

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : प्रधान मंत्री असम में हैं मंत्री भी उत्तर दे सकते हैं लेकिन यह अच्छा होगा कि हम सीधे ही प्रधान मंत्री से उनके आज के अनुभव के बारे में भी सुने ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह मंत्री द्वारा दिया गया 'उत्तर' नहीं होगा यह तो मंत्री द्वारा 'हस्तक्षेप' करता हुआ, मैंने प्रस्ताव पेश किया है और इस हैसियत से बाद में बहश का उत्तर दूंगा ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रस्ताव को मान लें । कि मैं आज राज्य सभा में बहस पूरी कर लूं ताकि कल सारा दिन यहां रह सकूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन राज्य सभा में पहले उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए उत्तर पहले यहां पर दिया जाना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस हालत में हमें 2 बजे के बाद इसे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गृह मंत्री सदन में नहीं होंगे । प्रधान मंत्री असम गई हैं सरकारी पक्ष से हमें कौन सुनेगा ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कोई साथी इन बातों को नोट कर लेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कोई आम, औपचारिक विषय नहीं है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : लेकिन तब आपको यह स्थिति भी समझनी चाहिए कि मैं दोनों सदनों में एक ही समय पर उपस्थित नहीं हो सकता हूं ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : मुझे मालूम है ।

प्रो० मधु दण्डवते : हम आपका विभाजन नहीं करना चाहते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसलिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि सदन दो बजे तक चर्चा जारी रख सकता है और बाद में अन्य विषय लिए जा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : हमने फैसला किया था कि सारा दिन इसी पर चर्चा करेंगे। आप इसमें परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस हालत में सदन मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित किया जाये और इसके बाद पुनः समवेत होंगे।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय और विपक्षी नेताओं के बीच हुई आज की बैठक में, यह बड़े स्पष्ट रूप से तय हुआ था कि आज सारे दिन यह चर्चा जारी रहेगी, मन्त्री आज अपना उत्तर यहां शुरू करेंगे और कल पूरा करेंगे, फिर वे दूसरे दिन सदन में जायेंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक सर्व-सम्मत्ति निर्णय था। नहीं तो बैठक दुबारा बुलानी पड़ेगी। (**व्यवधान**)। भोजन काल छोड़ दिया था भोजन काल समाप्त कर दिया गया था। अध्यक्ष महोदय ने इसकी घोषणा कर दी थी··· ···(**व्यवधान**)।

श्रीमन्, मगर वे भोजनकाल चाहते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन निर्णय यही है कि मन्त्री कल यहाँ उत्तर देंगे और तब दूसरे सदन में जायेंगे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, अभी, जब बैठक शुरू हुई थी तो यह निर्णय लिया गया था कि मन्त्री महोदय, दो बजे सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ने के लिए वहाँ जायेंगे यदि यह लंच के लिए हो रहा है तो या तो लंच को ब्रेक कर दीजिए, या अगर लंच देना है तो दो बजे से तीन बजे लंच दीजिये। वे वहाँ जाकर, अटेंड करके यहाँ चले आवें।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मुझे केवल वक्तव्य ही नहीं देना है, दूसरे सदन ने इस पर चर्चा भी शुरू करनी है।

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिणी मध्य) : पहले ही यह निर्णय लिया जा चुका है कि भोजनकाल नहीं होगा।

सभापति महोदय : मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। मैं समझता हूं कि हमें इसे दो बजे तक जारी रखना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : आज जब मैं इस चर्चा में भाग ले रहा हूं तो मेरा मन बहुत दुःखी है क्योंकि आजादी के 35 वर्षों बाद भी सीमावर्ती प्रदेश असम में इस प्रकार की गम्भीरता स्थिति है। इसकी सीमायें चीन और अन्य देशों से लगी हुई हैं। असम की स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर डालने से पता चलेगा कि असम में विदेशियों के मामले पर तीन साल पहले आन्दोलन चलाया गया। इसलिए मेरा प्रश्न है : तीन वर्ष पूर्व यह मसला क्यों नहीं उठाया गया ? क्या इस मसले को तीन वर्ष पहले उठाया गया था ? वही लोग जोकि असम में रह रहे हैं— हिन्दू और मुसलमान वहीं रह रहे थे। वही लोग वहाँ पर मतदाता थे। उन्हीं लोगों ने वहाँ पर मतदान किया। उन्हीं लोगों ने वहाँ पर सरकार बनाई। क्या सत्य नहीं हैं कि कुछ समय तक वहाँ

पर जनता पार्टी की सरकार थी ? लेकिन जब जनता पार्टी सत्ता से हट गयी, तभी यह आन्दोलन छेड़ा गया ।

मैं बड़ी तन्मयता के साथ अपने महान नेता प्रो० मधु दण्डवते का भाषण सुन रहा था। लेकिन मैंने उस बारे में एक भी शब्द नहीं सुना कि यह आन्दोलन तीन वर्ष पहले ही क्यों शुरू हुआ। यह पहले क्यों शुरू नहीं हुआ और अखिल असम छात्र संघ ने 1978 को आधार वर्ष मानने के लिए सुझाव क्यों नहीं दिया ? उन्होंने उसका सुझाव नहीं दिया । इसलिए इसके पीछे राजनैतिक उद्देश्य छिपा है । यही राजनैतिक उद्देश्य असम के आन्दोलन का मुख्य कारण है। यहाँ मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा ।

प्रधान मन्त्री ने कई बार असम समस्या पर विचार करने के लिए विरोधी नेताओं को बैठक बुलायी । इनमें मुझे कभी भी नहीं बुलाया गया । हमने विरोधी नेताओं द्वारा असम समस्या पर दिए गए प्रस्तावों को सुना और कई बार समाचार पत्रों से भी इसकी जानकारी मिली। इस अवसर पर विपक्षी नेताओं को यहां सदन में बताना होगा कि उन्होंने प्रधान मन्त्री को क्या सलाह दी। श्री मधु दण्डवते ने कहा है कि उन्होंने राज्य सभा के नेता को यह सुझाव दिया था कि चुनावों को स्थगित कर दिया जाये । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह व्यक्तिगत रूप से सदन में बतायें कि उन्होंने असम समस्या पर प्रधान मन्त्री को क्या-क्या सुझाव दिये थे ।

प्रो० मधु दण्डवते : वही । एक जैसे ही ।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : इस सदन की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाए । अगर हम उन कार्यवाही वृतान्त को देखें तो पायेंगे कि विरोधी पक्ष के गैर-जिम्मेदार नेतृत्व के कारण ही असम में पिछले तीन वर्षों में स्थिति खराब हुई । इसके कारण ही असम जैसे गरीब राज्य में उद्योग का विकास नहीं हुआ है । कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है इसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है और अन्य साधनों का विकास नहीं हुआ है ।

आज जब वहां तीन वर्ष तक राष्ट्रपति शासन चलता रहा तब विपक्षी दल के हमारे माननीय नेताओं ने सरकार को वहां चुनाव न कराने की सलाह दी है । उनकी सलाह क्या है ? क्या यह संवैधानिक है ? उनको सदन में बताना चाहिए कि संविधान की किस धारा के अन्तर्गत उन्होंने वहां चुनाव स्थगित करने की सलाह दी । क्या यह सही नहीं है कि केवल देश में समस्याओं को पैदा करना चाहते थे ? क्या यह सत्य नहीं है कि वे देश में गतिरोध पैदा करना चाहते थे । वास्तव में इस सलाह के पीछे कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। अगर विपक्ष ने सरकार को वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करने में मदद की होती तब तो विपक्ष यह कह सकता था कि उन्होंने सही परामर्श दिया । अन्यथा अन्य कोई उपाय नहीं था । चुनाव कराना जरूरी है, कोई भी सरकार इस जिम्मेवारी से बच नहीं सकती थी ।

असम में चुनाव कराना जरूरी था और श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी सरकार ने बहुत ही कठिन हालातों में इन चुनावों को करवाया । यह सरकार और विपक्ष के लिए एक परीक्षा की

घड़ी थी। अब विपक्ष ने क्या भूमिका निभायी है ? उन्होंने कहा कि वे चुनावों का बहिष्कार करेंगे लेकिन कैसे ? हमने देखा है कि अन्य राज्यों में दल चुनावों का कैसे बहिष्कार करते हैं लेकिन असम में हमने देखा है कि विपक्षी नेता ने वहां लोगों को चुनावों का बहिष्कार करने के लिए भड़काया। मैं अपने परम मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी से एक सीधा प्रश्न करता हूं कि वह अपने भाषण के दौरान यह बतायें कि उन्होंने चुनावों के दौरान असम में अपने दौरे के दौरान क्या-क्या किया। अगर वह ईमानदार, सच्चे और देशभक्त हैं तो वह सदन में इस बारे में अवश्य ही ईमानदार वक्तव्य देंगे। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप कितने लोगों की जानें गई हैं। यह सही है कि इस तरह से चुनावों का बहिष्कार करने की वजह से असम में काफी लोगों की जानें गई हैं और असम का दौरा करने वाले इन नेताओं ने यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया है, उन्होंने आधुनिकतम हथियारों, तोपों का प्रयोग किया करके, पुलों को, पैट्रोलपाइप लाइनों को नुकसान पहुंचाकर, वहां पर गये हुए चुनावाधिकारियों को गाली देकर व उन पर हमले करके यह विचार किया है कि उनका आन्दोलन अहिंसात्मक है। लेकिन यह घटना उस वाहन पर कभी भी घटित नहीं हुई, जिस पर कि श्री वाजपेयी जैसे नेता घूम रहे थे। वे आम लोग थे, अकुशल लोग थे, साधारण और अहिंसक थे। लेकिन निश्चय ही वहां प्रशिक्षण प्राप्त लोग थे जिन्हें यह कार्य सौंपा गया, सरकार को इस बात का नोट करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वे लोग कौन हैं। मैं समझता हूं कि वे प्रशिक्षण प्राप्त भूतपूर्व सैनिक थे। वे ये जानते हैं कि आधुनिक हथियारों का प्रयोग कैसे किया जाये, इनका निर्माण कैसे किया जाये और यह आश्चर्य की बात है कि सरकार यह पता लगाने में अभी तक नाकामयाब रही है कि इन हथियारों का स्रोत क्या है ? क्या इनका देश में निर्माण किया जाता है या उन्हें दूसरे देशों से हमारे देश में भेजा जाता है। असम स्थिति गम्भीर है, हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि असम को इस प्रकार बरबाद नहीं होने दिया जायेगा हमारे देश के या गैर-जिम्मेवार विपक्षी नेताओं द्वारा इसे बरबाद नहीं करने दिया जायेगा।

अगर लोकतन्त्र यही है तो विपक्ष जो मर्जी करे, लोगों के जीवन से खेलें, देशवासियों के खेलें, हमें अपने देश में लोकतन्त्र के स्वरूप के प्रति फिर से विचार करना होगा। अगर असम में ऐसा होता है, अगर पंजाब की स्थिति ऐसी ही रहनी है, निश्चय ही हमें इस पर दोबारा से विचार करना होगा, क्योंकि लोकतन्त्र में विपक्ष को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। अगर हमारे विपक्षी मित्र इस प्रकार का आचरण करते हैं और वे चाहते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार इसी प्रकार चलती रहे तो वे स्थिति का फायदा उठायेंगे और लोगों के जीवन से खेलेंगे और देश का विनाश करेंगे। निश्चय ही सारे मसले का समाधान होना चाहिए।

देश में कानून और व्यवस्था पुनः कायम होना चाहिए। कानून मानने वाले नागरिक को सुरक्षा अवश्य मिलनी चाहिए, देश में आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना चाहिए और हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। विदेशी धन की मदद से विपक्षी नेता अगर चाहें कि देश का विनास हो तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आजादी के 35 वर्ष बाद असम इस प्रकार की स्थिति में है। यहां हम इस स्थिति पर विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सख्ती

से देश पर शासन करे। लोकतन्त्र कमजोर लोगों के लिए नहीं है। लोकतन्त्र उन लोगों के लिए है जो कि लोगों पर हावी हो सके, जो कि निश्चय ही देश कानून और व्यवस्था की स्थिति रख सकें और देश को आर्थिक और अन्य मामलों से उभार सकें और साथ ही हमारे देश के गैर-जिम्मेवार विपक्षी नेताओं की गतिविधियों पर अंकुश लगा सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, आसाम में चुनाव के नाम पर जो नाटक हो रहा था और जो अन्त में एक ट्रेजेडी में बदल गया, वह नाटक तो कल खत्म हो गया लेकिन आसाम नरसंहार अभी जारी है। आज सवेरे का समाचार मेरे पास है :

> "तेजपुर के निकट बहुत बड़ी भीड़ ने बस्तियों हमला किया, कम से कम 100 लोग मारे गए हैं और दो हजार घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं।"

आज प्रधान मन्त्री आसाम में हैं। मैं नहीं जानता वह किन इलाकों का दौरा करेंगी। चुनाव के अभियान के सिलसिले में जब वो आसाम में गईं तो उन्होंने केवल उन्हीं इलाकों को चुना जहां बंगलादेश या पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोग बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। क्या प्रधान मन्त्री को और क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने जिस तरह के भाषण दिए, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के सदस्य, जरा उन भाषणों को पढ़ें। हम तो विरोधी दल में हैं, हम तो उत्तरदायित्वहीन हैं, हम तो देश को आग लगाना चाहते हैं, हम तो देशभक्त नहीं हैं। देशभक्ति का सारा ठेका उधर बैठने वालों ने ले लिया है। फिर आपको तो जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए थी असम में।

श्री अब्दुल गनी खां चौधरी ने किस तरह के भाषण दिए हैं इसका उल्लेख हो चुका है। क्या प्रधान मन्त्री के लिए जरूरी था कि जजेफ फील्ज में सभा करने के बजाय वह मालेगांव में सभा करतीं जहां बंगाली बड़ी संख्या में हैं। वह असम में भाषण कर रही थी, मगर उन्होंने अपना भाषण बंगाल में शुरू किया और भाषण के अन्त में जय हिन्द नहीं कहा।

भारत की प्रधान मन्त्री ने भाषण के अन्त में कहा खुदा हाफिज। क्या मतलब है इसका? खुदा हाफिज से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मगर चुनाव के दिनों में इस तरह की बातें करना क्या असम सद्भाव और साम्प्रदायिक एकता बनाने का तरीका है? प्रधान मन्त्री गई थीं मेखला पहन-कर, पहनी मेखला, बोली बंगला और जयहिन्द की जगह कहा खुदा हाफिज। यह है भारत की प्रधान मन्त्री का रूप।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : क्या आपको प्रधान मन्त्री के बारे में इस प्रकार बोलना शोभा देता है। यह एक गम्भीर वाद-विवाद है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं नहीं मान रहा हूं·····**(व्यवधान)****

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : ये सभी व्यवधान कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किए जायेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, हां मुझे मालूम है कितनी सीरियस डिवेड है । आप चुप रहिये, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं ।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

श्रीमती कृष्णा साही (वेगूसराय) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा कहना है कि माननीय सदस्य को जो भी बात कहनी हो वह राजीतिक बात कहें, प्रशासनिक बात कहें लेकिन व्यक्तिगत बातें न कहें ।

सभापति महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, जब विरोधी दल के नेताओं की देशभक्ति को चुनौती दी जा रही थी तब कोई कांग्रेसी सदस्य आपत्ति करने के लिए खड़ा नहीं हुआ । सच्चाई बुरी लगती है । प्रधान मन्त्री स्वयं उत्तर देंगी । यहां गृह मन्त्री बैठे हुए हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चेयर को एड्रेस कीजिए, सीधे बात न कीजिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभी लोग जानते हैं कि असम में भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी लोग रहते हैं, अलग-अलग मजहव मानने वाले लोग रहते हैं, वहां आदिवासी भी हैं । लेकिन प्रधान मन्त्री के किस तरह के भाषण हुए उसे मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं :

> "क्योंकि हरिजन, मुस्लिम व औरतें मुझे समर्थन करती हैं, इसलिए विपक्षी लोगों में उन पर हमले किए, ताकि सरकार को तंग किया जा सके ।"

हरिजनों पर हमला कौन कर रहा है ? विरोधी दल वाले मुसलमानों और औरतों पर हमला कौन कर रहा है ? विरोधी दल वाले ।

हम प्रधान मन्त्री का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे यह भ्रम पैदा करना चाहती हैं देश में औरतें, मुसलमान, हरिजन बचेंगे तो केवल प्रधान मन्त्री के हाथ से बचेंगे, और किसी के हाथ से नहीं बचेंगे ।

प्रधान मन्त्री ने गोहाटी की सभा में कहा कि किसी को भी असम से निकाला नहीं जायेगा, प्रधान मंत्री इन्कार करें कि उन्होंने यह भाषण दिया या नहीं दिया । हिन्दुस्तान टाइम्स का 13 फरवरी का अंक मैंने देखा है, प्रधान मंत्री ने 12 फरवरी को भाषण दिया था—

"क्या हम उनको झूठा आश्वासन दें कि उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा जबकि हम जानते हैं कि उन्हें वहां से नहीं हटाया जाएगा ?"

असम से किसी को निकाला नहीं जाएगा । कोई विदेशी भी अगर होगा तो निकाला नहीं जायेगा । क्या असम में कोई विदेशी नहीं है ? अगर असम में कोई विदेशी नहीं है तो 3 साल तक बातचीत क्या चलती रही ? क्या सरकार ने स्वयं यह स्वीकार नहीं किया था कि 1971 के बाद जो आए हैं, उन्हें पहचाना जाएगा और उनके नाम मतदाता सूची में से निकाले जायेंगे ? क्या सरकार इस समझौते से अपने को बंधा हुआ नहीं पाती ?

क्या 1979 के इलैक्टोरल रोल पर चुनाव कराने की हल मैं उसे हट कह रहा हूं—इस हठ ने असम में आग नहीं लगाई है ? अगर प्रधान मंत्री हठ नहीं छोड़ेंगी, तो देश की बरबादी इतिहास में उनके नाम लिखी जाएगी ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको भी चांस मिलेगा, तब आप भाषण कीजिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 1979 की मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने का क्या मतलब है ? क्या उसमें ऐसे लोग नहीं हैं जो 1971 के बाद आए हैं ? क्या विदेशी वोट दे सकते हैं ? असम के जो नौजवान 1980 में 21 साल के हो गए, वह 8 लाख नौजवान वोट नहीं दे सकते हैं, विदेशी वोट दे सकते हैं ?

ऐसी मतदाता सूची के आधार पर होने वाले चुनाव क्या लोकतंत्र का प्रतिबिम्बित करेंगे या लोकतंत्र को मजबूत करेंगे ? पूरे चुनाव में प्रचार इस तरह से किया जा रहा था कि विदेशी निकाले नहीं जाएंगे ।

सभापति जी, मैं असम के कई भागों का दौरा कर के आया हूं, कांग्रेस के सदस्य इसे पार्टी का सवाल न बनाएं । इतना सब खून-खराबा असम को देखकर, 1947 की याद आती है । अगर हम दोषी हैं तो हमको फांसी दे दो, मगर असम के लोगों के हृदय में जो बात घुस गई है, वह किसी पार्टी ने उनके अन्दर नहीं बैठाई है ।

अभी प्रो० समर मुखर्जी ने माना कि असम के कर्मचारी चुनाव में हिस्सा लेने को तैयार नहीं हैं । कर्मचारियों को नौकरी जाने का खतरा है, कर्मचारियों के बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, यह डर है । उनको पुलिस का पूरा पहरा था, मगर असम का कर्मचारी आज नौकरी को दांव पर लगाकर चुनाव का विरोध कर रहा है, क्योंकि वह समझ रहा है कि विदेशियों के आधार पर, विदेशियों के नामों, के आधार पर बनी हुई मतदाता सूची पर अगर चुनाव हुए तो असम की अलग संस्कृति, अलग रहन-सहन और उनका पृथक व्यक्तित्व खत्म हो जायेगा ।

वहां कत्लेआम हुआ है । किस ने किस का कत्लेआम किया है यह बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है । मैंने कभी नहीं कहा कि खून की नदियां बहा दी जायेंगी, मगर वहां नदियां बह रही हैं । आज गृह-मन्त्री ने नहीं बताया कि कितने लोग मरे हैं । लाशें गिनने वाला कोई नहीं है ।

मैं गोहपुर गया था 16 ता० को, वहां उपद्रव हुए 12 तारीख को डिप्टी कमिश्नर गोहपुर नहीं गए । जिले का डिप्टी कमिश्नर उस हत्याकांड को देखने नहीं गया स्पेशल एस० पी०

नहीं गए। 16 तारीख को मैंने ओ० सी० से पूछा, वहां के अतिरिक्त सुपरिन्टैंडैंसे पूछा कि कितने मरे ? जबाब मिला कि हमें कोई जानकारी नहीं है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : वाजपेयी जी माफ करना, आपके विचार में विदेशों की परिभाषा क्या है ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं इस पर बोलूंगा उन्होंने बड़ा संगत प्रश्न किया है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : असम और काश्मीर के संदर्भ में।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विदेशियों की परिभाषा मुझे नहीं देनी है। विदेशी की पहचान, संविधान और कानून के अनुसार होनी है। मैं कौन होता हूं परिभाषा देने वाला ?

सभापति महोदय, मैं गोहपुर की बात खत्म कर लूं, इस सवाल पर भी बाद में आऊंगा। चुनाव कराने के लिए आप वहां पर एक लाख की बटैलियन्स ले गए फिर भी गोहपुर का हत्या काण्ड होने के बाद वहां का ओ० सी० मुझसे शिकायत कर रहा था कि हमारे पास 40 लोग हैं, बार्डर सिक्योरिटी फोर्स का छोटा सा दल आया है, हम गांव के लोगों को बचा नहीं सकते हैं। जब डिप्टी कमिश्नर से सम्पर्क किया गया कि आप जाते क्यों नहीं हैं, सैकड़ों घरों में आग लगा दी गई है और लाशें जंगलों में पड़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा काम है चुनाव कराना, लोगों की जान बचाना सरकार का काम नहीं है। लाशों के ऊपर चुनाव का महल खड़ा करके सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचना सत्तारूढ़ दल का काम है (**व्यवधान**) यह कहानी केवल गोहपुर की नहीं है, मुखर्जी साहब को मालूम नहीं है—गोहपुर का झगड़ा इनका झगड़ा नहीं है जो चुनाव चाहते हैं या चुनाव के विरोधी हैं। जनजातियों के वोट नहीं हैं। वे उदयाचल जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे, इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे, कांग्रेस के नेताओं ने कचारी जनजाति के लोगों से कहा था कि 20 तरीख हो जाने दो, इन असमियों को रेलवे लाइन के पार ब्रह्मपुत्र नदी तक खदेड़ दिया जाएगा। (**व्यवधान**) दूसरा उदाहरण देखिए दिसपुर के पास एक सीट का चुनाव हुआ। क्षेत्री गांव में 13 तारीख को आग लगाई गई थी, 10 बजे से 2 बजे तक गांव जलता रहा। गांव वालों ने 11 तारीख को ही पुलिस में लिखित शिकायत की थी लेकिन कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। सारा गांव जल गया। बाद में पुलिस ने कुछ लोगों को जाकर पकड़ा लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया गया क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि ये हमारे मतदाता हैं, हमारे लिए वोट देने वाले हैं, इनको छोड़ दो। गोहपुर में भी जो वनवासी पकड़े गए थे, आग लगाते हुए, उनको पुलिस थाने से छोड़ दिया गया। हमने पूछा कैसे छोड़ा तो कहा इन्होंने आश्वासन दिया था कि कोई गड़बड़ नहीं करेंगे।

इतना बड़ा हत्याकाण्ड हो गया लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर लोगों को हमने भड़काया था तो हमें गिरफ्तार कर लेते। वहां हवालात में एक भी आदमी नहीं था। दिसपुर के पास क्षेत्र में जो नारे लग रहे थे वे इस प्रकार थे : इन्दिरा जी को हम मरने नहीं देंगे और विदे-

शियों को निकलने नहीं देंगे क्या मतलब है इसका ? इसके बावजूद आप चुनाव करा लेते तो भी समझ आता । जो कुछ हुआ है वह चुनाव नहीं हैं, असम में लोकतन्त्र की हत्या हुई है ।

(व्यवधान)

भारतीय जनता पार्टी का एक दल दस पोलिंग बूथ्स पर गया था । हाजी चुनाव क्षेत्र में शहर दस पोलिंग बूथ हैं—हाजी हायर सेकेन्डरी स्कूल, चर्चा पुरील लोबर प्राइमरी स्कूल इन केन्द्रों पर एक बजे तक हमारी पार्टी के लोग पहुंचे तो पोलिंग स्टेशन गायब थे । ढूंढ़ा गया कि पोलिंग स्टेशन कहां गए, शायद हटा दिए गए लेकिन शिफ्ट नहीं किए गये थे, प्रेजाइडिंग आभिसर्स ने पूरा पोलिंग स्टेशन अपनी जीप और बस में और लाद लिया था । प्रेजाइडिंग आफिसर्स बस में बैलट पेपर बस में, बैलट बाक्स बस में और प्रेजाइडिंग आफिसर्स बस में । उनसे पूछा गया कि क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा कोई बोट देने नहीं आया इसलिए साड़े तीन बजे तक बैठना हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम जा रहे हैं । यह चुनाव है या चुनाव का मखौल ? नामजदगी पर्चे लेने का अधिकार डाक्टरों को दे दिया गया था । पुलिस आफिसर ने घर-घर में जाकर नामजदगी पर्चे एकत्र किए ।

आम आदमी की जान बचाने के लिए पुलिस नहीं थी । मगर उसी गोहपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार के घर के बाहर बड़ी भारी हथियारबन्द पुलिस खड़ी थी । उम्मीदवार की रक्षा होनी चाहिए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, मगर क्या नागरिकों को असुरक्षित छोड़ देना चाहिए । क्या असम सरकार ने अपने दायित्व को पूरी तरह से तिलांजलि नहीं दे दी ? वहां अन्धाधुन्ध गोलियां चली है और बन्दूक की नौक पर आप चुनाव कराए गए हैं ।

सभापति महोदय, मैं जोरहाट के पास टीटाबर गया था । वहा एक दिन पहले गोली चली थी । गोली से चार लोग मारे गए और उसमें अताउर रहमान नाम का एक व्यक्ति भी था । पूरे आन्दोलन को जो लोग एक साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वे ठीक नहीं कर रहे हैं । वह व्यक्ति आन्दोलन कारियों के साथ था । असम में बड़ी संख्या में ऐसे मुसलमान हैं, जो पहले से रहते हैं और वे यह अनुभव करते हैं कि बंगला देश से जो अन्धाधुन्ध लोग आए हैं, वे नहीं आने चाहिए । आप उन्हें आन्दोलन का विरोधी क्यों समझ रहे हैं ? मगर मैं दूसरी बात कह रहा था । 40 घण्टे तक पुलिस ने गोली से मरने वालों की लाशें न हटाई; न उठाई । अरे, युद्ध में भी जब दो स्वतन्त्र देश आपस में लड़ते हैं, तो घायलों के इलाज में कोई कमी नहीं होती है । मरने वालों को बेइज्जत नहीं किया जाता है । मगर आप चुनाव में इतने व्यस्त थे कि लाशें पड़ी रहीं और सड़ती रहीं ।

मैं डिब्रूगढ़ और गोहाटी के अस्पताल में गया था । पुलिस की गोली से घायल लोगों की लाइनें पर लाइनें लगी हुई हैं और डाक्टर कह रहे हैं कि हमारे पास एन्टी-गैंगरिन-सिरम नहीं है । एक हफ्ता पहले गृह मैंने मन्त्री जी को कन्सलटेटिव कमेटी की मीटिंग में बताया था । गोली चलाना जरूरी है, मगर गोली घायल होने वालों का इलाज करना जरूरी नहीं है मेरे पास दवाओं की लिस्ट है,

जो मुझे डाक्टरों द्वारा दी गई है। दवाओं की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। कोई कांग्रेस का सदस्य हृदय पर हाथ रखकर इस स्थिति का समर्थन कर सकता है। मान लीजिए, आन्दोलनकारी गलत थे या विरोधी दल वालों ने उनको गुमराह किया मगर, पुलिस की गोली से जो घायल हुआ है, वह भारत का नागरिक है। उस नागरिक के साथ आप इसलिए दुश्मनी निभाएंगे कि वह आपकी राय से एक रास्ते पर चला गया। आज ही गृह मन्त्री जी ने कहा है कि हम दवाएं भेज रहे हैं। क्या दवाएं पहले नहीं जा सकती थी ? जो चुनाव संचालन करने के लिए कर्मचारी गए हैं, उनके लिए डबल रोटी के टन के टन जा सकते हैं, लेकिन दवाएं नही जा सकती थीं। असम वाले हमारे अपने लोग हैं आज हमने उनके मरने पर शोक प्रकट किया है। प्रधान मन्त्री जी संवेदना प्रकट करने गई हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दवाएं न होने का औचित्य क्या है ?

आपको सुनकर ताज्जुब होगा। डिब्रूगढ़ के डाक्टरों ने मुझे कहा कि आस-पास के गांवों में गोली चली है, लेकिन पुलिस घायलों को नहीं लाई और हमारे यहां एम्बूलैंस खड़ी है। जिसे लेकर हम गांवों में जाना चाहते है, लेकिन जिले के आफिसर ने कहा कि आप नहीं जा सकते हैं। इसी सवाल पर गोहाटी के डाक्टर हाईकोर्ट में गए और कहा कि हमारा गांवों में जाना प्रतिबन्ध है, हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं हो सकता। मगर दूसरे ही दिन जब डाक्टर फिर वहां पहुंचे तो उनको अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया और कहा गया कि आप गांव में मत जाओ, जो मरता है, उसको मरने दो। कांग्रेस सरकार का विरोध करने वालों को विरोध की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी।...(**व्यवधान**)...

सभापति महोदय, चुनाव की शर्त यह है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए और स्वतन्त्र होने चाहिए। श्री शिव शंकर जी यहां बैठे हुए हैं बेसिक फीचर में फ्री और फेयर इलैक्शन आता है। क्या असम में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव की परिस्थिति थी ? यद्यपि 1979 के इलैक्टोरल रोल को आप छोड़ दीजिए 1979 के इलेक्ट्रोरल-रोल को भी बदला जा सकता था। उस समय भी श्री एस० एल० शकधर ने सबसे पहले इस सवाल को उठाया था। मंगलदेई में जब हड़ताल हो रही थी, तो पता लगा कि लोक सभा के हर चुनाव क्षेत्र में 45 हजार ऐसे लोग हैं, जिनकी नागरिकता संदिग्ध है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रशासनिक असफलता के लिए, आप अब उनसे क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या इसके बाद जरूरी नहीं था कि पूरी पड़ताल होती ? क्या जांच हुई ? जुडीजियल डिव्यूनल क्यों नहीं बनाया गया ? विदेशियों के नाम निकालने की कोशिश क्यों नहीं हुई ? यहां नई दिल्ली की मतदाता सूची में एक विदेशी महिला का नाम आ गया था। पता नहीं कैसे आ गया था। अगर यहां एक विदेशी महिला का नाम मतदाता सूची में आ सकता है तो आसाम में क्या हो रहा होगा, जहां 35 लाख से लगातार विदेशियों को लाने की कोशिश हो रही है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

मै सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाना चाहता हूं—आप को देश की एकता की चिन्ता नहीं

है। आपको आसाम की चिन्ता नहीं है। आपको केवल वोटों की चिन्ता है। आप अपने वोट-बैंक को बचाना चाहते हैं। मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो शायद आपको चिल्लाने के लिए मजबूर करे। 1980 में गोहाटी में एक दंगा हुआ था। आयल-रिफाइनरी का मामला था। उस दंगे में काफी मारपीट हुई, आग लगी, फौज को बुलाया गया। फौज को बुलाने के बाद—ब्रिगेडियर काले फौज का कमाण्ड कर रहे थे— जो कुछ वहां हुआ उस की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सेन को नियुक्त किया गया। ब्रिगेडियर काले कमीशन के सामने आये और उन्होंने अपने बयान में कहा—दंगे के दौरान जब मैंने अपना टेलीफोन बातचीत करने के लिए उठाया तो मैंने ओवरहीयर किया कि केन्द्र का एक मन्त्री से कह रहा था कि गोहाटी में अभी दंगा दो घण्टे और चलने दो। यह ब्रिगेडियर काले का बयान है जो जस्टिस सेन के सामने दिया गया था। जस्टिस सेन ने कहा—मन्त्री का नाम लिखो। दोनों नाम पर्ची पर लिखे गए। सरकार ने वह रिपोर्ट दबा ली है। मैं चाहता हूं कि 1980 के दंगे की जांच के लिए नियुक्त कमीशन की रिपोर्ट सदन की टेबिल पर रखी जाय। यह कौन केन्द्रीय मन्त्री था? यह किसी राजनैतिक नेता का आरोप नहीं था ब्रिगेडियर काले आर्मी के अफसर थे। कौन दिल्ली में बैठा कह रहा था कि गोहाटी में दंगा चलने दो? गोहाटी का कौन मन्त्री था जो दिल्ली के इशारे पर दंगा रोकने में आनाकानी कर रहा था? यह आज का मामला नहीं है।

असम के लोगों में डर पैदा हो गया है। यह सही है या गलत, मैं इसमें नहीं जाना चाहता जहां औरतें, बच्चे, मर्द, मजदूर, व्यापारी सरकारी कर्मचारी जो कुछ कर रहे हैं, किसी के भड़काने से कर रहे हैं, यह बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तभी आप उन्हें आश्वासन कर सकेंगे।

मैं मानता हूं—विदेशी की परिभाषा में तय नहीं करूंगा, संविधान तय करेगा, कानून का करेगा। लेकिन कोई विदेशी केवल इसलिए नागरिक हो जाएगा कि वह मतदाता सूची में नाम लिखाने में सफल हो गया है? मैं मानता हूं बंगला देश के शरणार्थियों को कुछ आश्वासन दिए गए थे। मगर यह आश्वासन नहीं दिया गया था कि उन सब को आसाम में बसाया जाएगा आश्वासन यह था कि भारत आपकी मदद को आयेगा, भारत असम के अलावा भी है। असम वालों को शिकायत यह है कि सब यहां क्यों आ रहे हैं? उनका कहना है कि हमारा क्या होगा? क्या हम अपने घर में ही पराए हो जाएंगे, बेगाने हो जाएंगे? इसलिए असम-माता के जो नारे लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे भारत माता की जय का नारा नहीं लगाते हैं। वे भारत माता की जय का नारा भी लगाते हैं। हमारे प्रदेशों की अलग विशेषता है, विविधिता है।

मैं आन्ध्र में गया—वहां 'आन्ध्र' को राष्ट्र कहा जाता है, प्रदेश नहीं कहा जाता। मगर वह तेलगू शब्द है जो प्रदेश के लिए प्रयुक्त होता है। आन्ध्र वाले यह नहीं कह सकते हैं कि वह पृथक राष्ट्र है। महाराष्ट्र में कहा जाता है—

"प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश है।"

कोई कहेगा—क्या महाराष्ट्र की बात करते हो, राष्ट्र की बात करो। लेकिन इन शब्दों में वे महाराष्ट्र की बात भी करते हैं और राष्ट्र की बात भी करते हैं।

मैं सदन से कहना चाहता हूं आज नागालैंड की जो परिस्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। मीजोराम में अशान्ति है। मणिपुर धीरे-धीरे उपद्रवकारियों के प्रभाव क्षेत्र में आ रहा है। त्रिपुरा में शान्ति नहीं है। केवल ब्रह्मपुत्र की घाटी अभी तक ऐसी है जहां शान्ति है, जहां के लोग सौम्य हैं, जो अपनी भाषा की रक्षा करना चाहते हैं, संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, मगर देश से अलग नहीं होना चाहते हैं।

आप उन्हें पृथकवादी कह कर देश से अलग करने का प्रयास न करें। हां, उनमें कुछ तत्त्व ऐसे हो सकते हैं, जो इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि इस देश में लोकतन्त्र के आधार पर उनकी कोई सुनेगा नहीं। कुछ लोग इस परिणाम पर भी पहुंचे हैं कि राजनीतिक नेताओं को वोट की चिन्ता है उन्हें न कि देश के किसी भाग की चिन्ता हैं और न ही पूरे देश की चिन्ता हैं। क्या आप चाहते हैं कि असम घाटी के सभी लोग उनके चंगुल में चले जाएं, उनके प्रभाव में आ जाएं। क्या आप उग्रपथियों के हाथों में सारी स्थिति दे देना चाहते हैं क्या होगा इसका नतीजा ? हमने आन्दोलनकारी नेताओं से साफ कहा कि हम हिंसा का विरोध करते हैं। चौधरी सा्ब यहां पर बैठे हुए थे, उनको मालूम है। मैं इस आरोप का खंडन करना चाहता हूं कि हमने गोहाटी में हिंसा की निन्दा नहीं की। गोहाटी के बहुत से लोग हमारी सभा में सुनने के लिए आए थे। गवर्नर साहब से मेरी बातचीत हुई और गवर्नर साहब ने यह कहा कि वाजपेयी जी, आप लोग पहली बार यहां आकर यह कह रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और यह आप अच्छा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)...

आप यह भी जानते हैं कि वहां के नेताओं के साथ क्या हुआ। श्री महंन्ता और श्री भृगु कुमार फूकन जब दिल्ली में बातचीत करने के बाद गोहाटी लौट रहे थे, उन्होंने दिल्ली में कोई अपराध नहीं किया था, हवाई जहाज पर कोई जुर्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हवाई जहाज से उतरते ही उन्हें क्यों पकड़ लिया। जो बातचीत के लिए आते हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, यह परिपार्टी है, मगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वहां के लोग नेतृत्व-विहीन हो गये। सन् 1942 की स्थिति पैदा हुई। अब जरा गहराई से जांच कीजिए कि हिंसा कब शुरू हुई। 12 तारीख को गोहपुर में पहला कांड हुआ। उसको भड़काने वाले कौन थे। प्रधान मन्त्री के भाषणों और श्री अब्दुल गनी खान चौधरी के भाषणों ने पूरे आसाम में क्या भावना पैदा की। असम के लोगों ने समझा कि हमारे लिए कोई भविष्य नहीं है। बंगलादेश से आने वालों ने समझा कि हमें कौन निकाल सकता है, हमारे पीछे सरकार है, हमारे पीछे दिल्ली का दरबार हैं, हमारे पीछे पुलिस है। पुलिस किस तरह से व्यवहार करती रही, यह आप देख रहे हैं। सी० आर० पी० और असम की पुलिस में सशस्त्र लड़ाई होना कोई मामूली घटना नहीं है। कितने लोग मारे गये, जरा आप बताइए ? कुछ आंकड़े हम भी लाए हैं। ये आंकड़े यहां आपके सामने रख कर हम देश में

सनसनी पैदा नहीं करना चाहते मगर ऐसी परिस्थिति किसने पैदा की। क्या हमने सी०आर०पी० को भड़काया, क्या हमने असम पुलिस को भड़काया ? क्या सी० आर० पी० सड़क पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को डंडा मार सकती है ? क्या अन्धा धुँध गोली चला सकती है ?

सभापति महोदय, असम में एक स्थान है, मेरे पास उसका नाम लिखा हुआ है। उस स्थान के लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। सी० आर० पी० ने वहां पर गोली चलाई और वे अभी भी अस्पताल में पड़े हैं। उनके बयान हम लोग लेकर आए हैं। यह काम सी० आर० पी० ने किया। मेरे पास जोरहाट का फोटो है और वह फोटो मैं सदन की मेज पर रखने के लिए तैयार हूं। फोटो में सी० आर० पी० का आदमी एक आदमी को खींच रहा है और जबरदस्ती वोट देने को कह रहा है। ···**(व्यवधान)**··· यह फोटो है, यह मजाक नहीं है आप हंस रहे हैं, यह रोने की बात है वहां पर सरकारी वाहनों में वोटर लाए गये। क्या चुनाव के लिए सरकारी वाहन का उपयोग निषिद्ध नहीं है। अगर वोटरों के साथ जोर-जबरदस्ती की जाएगी और वोट दिलाने के लिए गोली चलाई जाएगी, तो क्या इससे लोकतन्त्र मजबूत होगा।

मेरे पास गौहाटी हाई कोर्ट का फैसला है। मैं इसका एक हिस्सा यहां पर पढ़कर सुनाना चाहता हूं। किस तरह से हमारी सेक्यूरिटी फार्सेज ने बर्ताव किया है ? यह निर्णय गोहाटी हाई कोर्ट का 28 जनवरी का है, फरवरी नही, 28 जनवरी का। हाई कोर्ट में किसी ने जाकर शिकायत की थी कि ये फोर्सेज इस तरह से बर्ताव कर रही हैं जैसे कि आकूपेशनल फोर्सेज हों। मैं हाई कोर्ट की आब्जर्वेशन्स को आपके सामने, सदन के सामने रखना चाहता हूं।

> "हमें याचिका में जो यह आरोप लगाये गये हैं कि यह वास्तव में सरकारी बलों द्वारा भोलीभाली जनता पर किया गया एक प्रकार का आक्रमण है उसमें याचिक दाताओं के वकील के तर्क काफी सशक्त हैं। हम महसूस करते हैं कि जिन्हें अपने कर्त्तव्य के पालन में इनका बल तथा शक्ति प्राप्त हैं उन प्रभारियों का यह भी उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करे कि कार्मिकों को आवश्यक यथोचित तथा उचित निर्देश देकर उन्हें यह निर्मिदिष्ट कि वे सभी आकस्मिकताओं में मानवीय प्रतिष्ठा का सम्मान करें उन्हें नियंत्रण में रखा जाये ताकि वे अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक ढंग से करें।"

गृह मन्त्री जी कहते हैं कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मामला चुनाव सम्बन्धी रद्द कर दिया। आप स्वयं चुनाव टालने के लिए तैयार नहीं थे। आप चुनाव टाल सकते थे। उसके लिए संविधान में संशोधन हो सकता था। हम मत देने को तैयार थे। आप यह कहिये कि आपने यह फैसला किया कि आप चुनाव नहीं टालेंगे मगर विरोधी दलों के बारे में यह न कहें कि वे सहयोग के लिए तैयार नहीं थे। आपको हमारा और भी सहयोग लेना है। अगर आपका यह रवैया रहा तो विरोधी दल भी यह फैसला कर सकते हैं कि हम आपके साथ बातचीत में आगे हिस्सा लें या न लें। आप यह दावा करते हैं कि आप हर समस्या को हल करने के लिए विरोधी दलों से सलाह मशविरा करते हैं। हम सलाह देने के लिए तैयार हैं, सहयोग देने को भी तैयार हैं, मगर भगवान

के लिए झूठ मत बोलिए। जो गलत हो रहा है। उसकी जिम्मा अपने ऊपर लीजिए। कुछ अच्छा होता है तो उस सबके लिए प्रधान मन्त्री साधुवाद लेने को तैयार हैं। लेकिन असम में जो रक्त की नदियां बह रही हैं, इस दोष को कौन ले? इस पाप को कौन धोएगा? (**व्यवद्यान**) हम धोएंगे? हम तो आप को भी धो रहे हैं। मगर असम की जनता आपके पाप को नहीं धोएगी।

सभापति महोदय, 1979 की मतदाता सूची हाई कोर्ट में चेलेंज किए गये और यह कहा गया कि उनके आधार पर चुनाव नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने भी पूछा कि इलेक्टोरल रोल कहा है। एडवोकेट जनरल से कहा गया कि वे चार बजे एडवोकेट जनरल ने कहा कि चार बजे नहीं कल दस बजे लायेंगे। दूसरे दिन दस बजे जब हाई कोर्ट बैठा तो उसके सामने आधी रात में इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था वह रख दिया गया। उस पर हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे साथ अब बंधे हुए हैं। उस समय न हाई कोर्ट कुछ कर सकता था; न सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता था।

लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इलेक्सन कमीशन का काम यह देखना नहीं है कि कांस्टीच्युशनल वेक्यूम हो जाएगा या नहीं। उसने अपने दायित्त्व का पालन नहीं किया। हाई कोर्ट की बैंच के निर्णय से पहले उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगर चुनाव निष्पक्ष और स्वतन्त्र नहीं हो सकते तो यह देखना इलेक्शन कमीशन का है। अगर वह इस नतीजे पर पहुंचता कि आज की हालत में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं तो वहां चुनाव नहीं होना चाहिए। यह कहना उसका दावित्व था। इलेक्शन कमीशन की आलोचना करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज हमारी इंस्टीच्युशंस, डेमाक्रेटिक इंस्टीच्युशंस बैंक एक कर आप लोगों के हमले का निशाना बन रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज ऐसे जज भरे जा रहे हैं जिनके बारे में आप या सरकार यह समझती है कि वे उसके हक में फैसला देंगे। (**व्यवधान**) इलेक्शन की भी विवाद का विषय बना दिया गया है (**व्यवधान**)

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए जिसका यहां पर सम्बन्ध नहीं है (**व्यवधान**) उन्होंने उच्चतम न्यायालय पर आक्षेप किया है उन्होंने कहा है।

ऐसे लोग बहाल किये जाते हैं जो कि सरकार को सहायता दें।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सभापति महोदय, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कांग्रेस आई की उम्मीदवारी स्वीकार की है, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट पर आंच नहीं आती?

श्री जमीलुर्रहमान : वाजपेयी जी मैं आपकी इज्जत करता हूं लेकिन यह बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती, ये लफ्ज आपके मुंह में शोभा नहीं देते। यह कहना आपके लिए अच्छा नहीं है।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उच्चतम

न्यायालय में किस प्रकार के न्यायाधीश आये हैं उनका संदर्भ देना···**(व्यवधान)**···निकाल दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सभापति जी, मैंने कहा था कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज लाने की कोशिश हो रही है जिनके बारे में सरकार यह समझती है कि वे उसके हक में फैसला देंगे। इस पर क्या आपत्ति हो सकती है ? क्या श्री बहरूल इस्लाम के बारे में मुझे पूछने का हक नहीं है जिन्होंने जगन्नाथ मिश्र को अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र दे दिया। **(व्यवधान)** सभापति महोदय, पहले व कांग्रेस में थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गये, अब फिर कांग्रेस में चले गये।

** ऐसा लगता है कि

** महरूल इस्लाम के अलावा इस देश में और कोई नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहता हूं लोकतन्त्र का आधार है 'स्वतन्त्र न्यायपालिका' उस पर आधारित···**(व्यवधान)**···

क्या उनका व्यवस्था का प्रश्न है ? वह एक साधारण सदस्य नहीं है। वह मन्त्री हैं।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं संसदीय मन्त्री भी हूं।

उन्होंने उच्चतम् न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों का जो संदर्भ दिया है और उनकी जो आलोचना की है वह गलत है उनसे इस मामले को उठाने की उम्मीद नहीं की जाती। और उनके स्तर के व्यक्ति से, श्री वाजपेयी जी से मुझे यह आशा नहीं थी। यह बहुत ही गलत है।

श्री वाजपेयी आपकी तरफ से यह कहना गलत है। उच्चतम् न्यायालय के न्यायाधीशों की आलोचना आपने पहली बार की है। आप डा० मिश्रा के बारे में चाहे जो चाहें कह सकते हैं। परन्तु आपके लिए उच्चतम् न्यायालय के न्यायाधीशों पर आक्षेप करना ठीक नहीं है आपको नियमों की जानकारी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने न्यायाधीशों पर आक्षेप नहीं किया मैं सरकार की आलोचना कर रहा हूं।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : सभापति महोदय, वाजपेयी जी ने सिर्फ यह कहा है **(व्यवधान)** कि सरकार ऐसे लोगों को बैठाना चाहती है·· **(व्यवधान)**···यह नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज खराब हैं।

** अध्यक्ष पीठ की आज्ञानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री एच० के० एल० भगत : यह बहुत गलत है यह कानून के एक दम खिलाप है। यह बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री भगत यदि कुछ गलत होगा तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि मन्त्रि मण्डल के स्तर के मन्त्रा व्यवस्था का प्रश्न उठाना शुरू करेंगे तो अगली अवस्था वह होगी जब अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था के प्रश्न उठाये जायेंगे।

सभापति महोदय : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि आसाम पर चुनाव थोप कर सरकार ने आज जो स्थिति पैदा की है, उसको सरकार ने स्वयं निमंत्रण दिया है। दमन के बल पर न चुनाव हो सकते हैं, न सरकार चल सकती है। यह कैसा चुनाव है जिसमें विरोधी दलों को सभा करने की इजाजत नहीं थी ?

श्री आचार्य भगवान देव (अजमेर) : अभी तो आपने कहा कि आपने एक बहुत बड़ी सभा की थी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां-हां एक जगह की है, लेकिन मैं दूसरी जगह का उदाहरण दे रहा हूं।

श्री आचार्य भगवान देव : उपाध्यक्ष महोदय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : उपाध्यक्ष महोदय मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जब श्री वाजपेयी उच्चयम् न्यायालय के न्यायाधीशों पर आक्षेप कर रहे थे। उसको कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि अध्यक्ष पी० ने पहले ही विनिर्दिष्ट कर दिया है कि वे कार्यबाही वृत्तान्त को देखेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर कोई आक्षेप नहीं किया श्री बहरुल इस्लाम की आलोचना करना मेरा अधिकार है। वह चुनावों में उम्मीदवार हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : आपने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का संदर्भ दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां वह न्यायाधीश थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम रिकार्ड पढ़ेंगे ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे वाद विवाद में बार-बार उत्तर देने की बजाय सत्ताधारी दल के वक्ता मैं समझाता हूं श्री तिवारी होंगे वह सभी मुद्दों को नोट करेंगे और यदि आप सहमत नहीं होते तो उनका प्रत्युत्तर देंगे । वह उचित तरीका होगा । हां श्री वाजपेयी ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जो बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था वह यह है कि जो पार्टियां चुनाव लड़ रहीं थीं और जिन्होंने···

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र ने बैठे हुए जो बात कही है वह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी सदस्य द्वारा बैठे हुए की गयी कोई टिप्पणी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जाती यह हमारा नियम है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : नहीं जाएगी रिकार्ड में, लेकिन आप ऐसी बातें सुनते ही क्यों हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि चुनाव की शर्तें "निर्भीकता के वातावरण में मतदान करने का अधिकार" इस अधिकार को दोनों तरफ से चुनौती दी गई यह सच है, लेकिन जो फैसला सरकार ने किया क्या उस फैसले पर अमल कराना सरकार का काम नहीं था ?

गोहाटी में हमें सभा करने की इजाजत दी गई, लेकिन तेजपुर में सभा करने की इजाजत नहीं दी गई टीयबर में सभा करने की इजाजत नहीं दी गई, टीटाबर में सभा करने की इजाजत नहीं दी गई । यह डिब्रूगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की लिखी हुई चिट्ठी है :—

डिब्रूगढ़ समिति के उपाध्यक्ष को सम्बोधित की गई "आपको उपरोक्त आवेदन के सम्बन्ध में खेद है कि वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 17 फरवरी, को जनसंख्या आयोजित करने की इजाजत देना सम्भव नहीं होगा ।"

लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन की बजह से सभा नहीं हो सकती, चुनाव हो सकते हैं । हमने चुनाव का बहिष्कार किया था तो हमें अधिकार था कि हमें लोगों के सामने बताएं कि हमने चुनाव का वहिष्कार क्यों किया और किन पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया । जो पार्टियां चुनाव

** कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

में हिस्सा ले रही थीं मैं उनके नेताओं से भी कहूंगा कि वे इस सदन बताएं कि उन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मैं फिर पूछता हूं कि क्या यह जरूरी था कि चुनाव कराए जाते, क्या चुनाव टाले नहीं जा सकते थे ? जिन लोगों ने एमरजेन्सी के दौरान लोक सभा की उम्र पांच साल से छः साल बढ़ा ली और वह हमारी सलाह से नहीं बल्कि हमें जेलों में डाल कर । जब लोक सभा की उम्र बढ़ा ली गई उस समय यह सवाल खड़ा नहीं किया गया कि अपोजिशन की राय क्या है।

आज प्रधानमंत्री कहती है और गृह मंत्री ने आज सवेरे दोहराया कि अपोजिशन में मतभेद है। हां मतभेद है तभी तो हम अलग-अलग हैं। मगर आपको राज्य सभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए जितना वोट चाहिए थे उतने वोट हम देने को तैयार थे। आपने संविधान में संशोधन नहीं किया इसलिए संविधान में संशोधन न करने के फैसले के बाद और आसाम में चुनाव थोपने के पश्चात आसाम में जो भी नरसंहार हुआ है, नरमेद हुआ है, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इस सरकार के हाथ आसाम के निरपराध लोगों के खून में रंगे हुए हैं।

विरोधी दलों को दोषी ठहराकर आप अपने दोष से नहीं बच सकते। मैं नहीं जानता, आसाम में क्या होगा। लोगों के दिलों में ऐसा घाव लगा है, जिसे भरना संभव नहीं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें, एक तारीका यह है कि ये जो चुनाव हुए हैं, ये रद्द होने चाहिए। मैं नहीं जानता, कैसे हो सकते हैं लेकिन, ये चुनाव रद्द करिए।

इन चुनावों से विदेशियों की समस्या का हल नहीं निकला। विदेशियों की समस्या और जटिल हो गई है इसलिए मैंने एक संशोधन दिया है, आल पार्टी कमेटी जाए आसाम। हम मतभेद भूलें। आसाम में जो कुछ हुआ है उसका सही मूल्यांकन करें। अगर हमारा दोष है तो हम स्वीकार कर लेंगे और यदि प्रधान मंत्री तथा काग्रेस पार्टी की गलती है तो वो भी स्वीकार कर लें।

आसाम के लोगों को मैं जानता हूं। वहां बंगला भाषी है और बंगलादेश से आने वाले शरणार्थी भी है, मैंने आपसे कहा है कि सरकार का इन्टरनेशनल कमिटमेंट यह नहीं है कि सभी शरणार्थियों को आसाम में बनाया जाएगा और उन्हें एकदम नागरिक बना दिया जाएगा यह भी कमिटमेंट नहीं है कि नागरिक बनाने से पहले उन्हें वोटर बना दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह खतारनाक वक्तव्य है। आपका तात्पर्य क्या है क्या शरणार्थी भारत के नागरिक नहीं हैं ?

(व्यवधाव)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं उस अर्थ में बात कर रहा जिसको हो सकता है आप नहीं समझ सके।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या शरणार्थी भारत के नागरिक नहीं है ? क्या उन्हें पशुओं की तरह भगाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री जगदीस टाईगर : (दिल्ली सदर) हमारे जैसे जो लोग पाकिस्तान से आए थे कल को वे आपके बारे में भी कहेंगे कि वे विदेशी हैं।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : में आपका सहयोग चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदव : वे अभी समाप्त करने जा रहे हैं कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। आचार्य भगवान देव ने उनसे अधिक समय लिया है।

क्या 1971 के बाद सिंध से पाकिस्तान राजस्थान आए थे ? क्या उनकी नागरिकता के लिए कानून नहीं बनाना पड़ा था एग्जीक्यूटिव आर्डर ने आप किसी को नागरिक शिव शंकर जी 1965 में ऐग्जीक्यूटिव आर्डर निकाला गया और कह दिया गया कि जो भी ईस्ट पाकिस्तान से आएगा वह नागरिक है यह संविधान के अनुकूल नहीं है। हां जानते है जो मुसीबत के मारे आए हैं उनके लिए भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है।

श्री माननीय सदस्य : वह पौलिसी डिसीजन था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पौलिसी डिसीजन को इम्पलीमेंट करने के लिए कांस्ट्रीट्यूशन ओंड कीजिए। उसके बिना कैसे कर सकते हैं। आने वालों को आश्वासन यह था कि उन्हें हिन्दुस्तान जगह मिलेगी। यह आश्वासन नहीं था कि सारा बोझ असम उठायेगा।

श्री चित्त बसु : यह नीति सम्बन्धी निर्णय है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपने विचार प्रकट करने दे। यदि आप उनके विचारों का विरोध करना, चाहते हैं तो आप उनका उत्तर तब दे सकते हैं जब उनके भाषण के बाद आपकी बारी आयेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि सारी समस्या को बातचीत से हल करने के अलावा और कोई रास्ता नही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करने का समय हो गया है। यदि आप समाप्त करने जा रहे हैं तो वे व्यवधान नहीं डालेंगे इसलिए में आपसे भाषण समाप्त करने के लिए कह रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन्होंने मेरी गाडी इतनी बार पटरी से उतारी है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, समाप्त कर रहा हूं।

आखिर में मैं एक अपील करना चाहता हूं असम की आत्मा पर लगे घावों को भरने का प्रयत्न होना चाहिए। असम के नागरिकों के एक एक आंसू को पौछने की जरूरत है। आज हम पोस्टपार्टन कर रहे हैं इस राज्य का हूं कि चुनाव टाले जा सकते थे। आप इस राज्य के हैं कि चुनाव नहीं टाले जा सकते। वें मैं पूछना चाहता हूं कि आगे क्या ? व्हाट नेम्स्ड ? चुनाव तो आपने कर लिए, इतनी बड़ी कीमत दे दी, आगे क्या होगा ? क्या इस चुनाव ने विदेशियों की समस्या का हल निकल आया है ? अब असम में जो सरकार बनेगी उसे चुनाव का बायकट करने वाले स्वीकार नहीं करेंगे। इतने बड़े पैमाने पर असहयोग हुआ है उसका अन्दाजा लगाना मुश्किल है। सरकार का करफ्यु अमल में नहीं आँता, आन्दोलनकारियों का करफ्यु अमल में आता है। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराता हूं जिस आन्दोलन में कर्मचारी नौकरी छोड़ कर भाग लेने को तैयार हैं, नौजवान मरने को तैयार हैं औरतें बच्चे लड़ने को तैयार हैं। उसके मूल से कोई तीव्र भावना है जो उनको आन्दोलित कर रही है। यह मान कर चलिए। उपहास मत करो, उसे विघटनकारी बताइए। उनके साथ फिर से बातचीत का शिलशिला शुरू होना चाहिए अगर यह सदन, हाँ सब मिल कर इसमें कुछ भाग अदा कर सकें तो जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है हां जरूर भाग लेने के लिए तैयार रहेंगे।

श्री के० के० तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय; यह महान सभा देश के राजनैतिक बुद्धि का सामूहिक प्रतिनिधित्व करती है तथा संविधान की सुरक्षा करने तथा इस देश की जनता को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व भी इसी सदन का है जब मैं प्रो० मधु दण्डवते तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण सुन रहा था तो मैं आशा कर रहा था कि कुछ ठोस और सकारात्मक बातें सामने आयेंगी और यह सभा एक सहमति पर पहुंचेगी और इस विवादास्पद मुद्दे पर सहमत होने के लिए सभा के प्रत्येक कोने से प्रयत्न किये जायेंगे और हम इस समस्या का समाधान निकालेंगे जो कि न केवल विपक्ष के सदस्यों के बल्कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के मस्तिष्कों को भी उत्तेजित कर रही हैं।

जहां तक श्री वाजपेयी के भाषण का सम्बन्ध है मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि मैंने विपस के प्रमुख सदस्य से इतना नीरस भाषण कभी नहीं सुना इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि उनका दिल उसमें नहीं था। वह केवल एक बात पुष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। यह दिन इस सभा के लिए भारत की संसद के लिए बहुत ही दुखद होगा यदि श्री वाजपेयी जी के स्तर के नेता एक कालेज के विद्यार्थी की तरह वाद-विवाद के मुद्दे रखने के प्रतियोगिता के उत्साह और विचार से कहेंगे जैसे कि वह कालेज के वाद-विवाद सभा में बोल रहे हों।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस मुद्दे पर बड़े ही ठंडे व निष्पक्ष तरीके से विचार करेंगे इसके इस सभा के सदस्यों को बौद्धिक शक्तियों को चौकन्ना रखने की आवश्यकता

है। आसाम से सम्बन्धित मुद्दों को आवश्यक रूप से समझता तथा राष्ट्रभक्ति की भावना को बनाये रखना, क्योंकि मेरे विचार से आसाम अब हाथों से निकल रहा लगता है, आवश्यक है। आसाम आज सबसे अधिक गड़बड़ी वाला क्षेत्र है और यह बहुत ही अजीब लगता है कि इस मुद्दे पर भी विपक्ष के दो दल हैं। यह बहुत ही अजीब बात है। आज उन्होंने आसाम चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय किया है। आज उन्होंने आसाम चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय किया है। इससे उन्हें हमेशा से ही परेशानी होती है। श्री दण्डवते ने सी० पी० आई० और सी० पी० आई० एम० का बहिष्कार किया और उन्होंने श्री वाजपेयी का बहिष्कार किया। श्री वाजपेयी आर० एस० एस० का बहिष्कार करते हैं। डा० स्वामी श्री चन्द्रशेखर का बहिष्कार करते हैं और इसी प्रकार से। इससे उनमें गम्भीरता के अभाव का आभास होता है।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : अन्यथा इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी विपक्ष के दो पक्ष एक तो वामपंथी·····

यह मैंने हमेशा सभा में कहा है कि·····

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी मित्र जिनका उन्होंने उल्लेख किया, उनका बहिष्कार कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : आसाम इस में अस्थिरीकरण का सामना कर है। देश के अन्य भागों में चाहे बिहार हो, दिल्ली हो या कर्नाटक या आन्ध्र प्रदेश हो वे सब एक हैं। वहां पर सी० पी० आई० एम० के मेरे मित्र जो आसाम में अपने बलिदानों व भूमिका के गीत गाते हैं उन्हें श्री वाजपेयी और श्री दण्डवते में एक प्रज्वलित उत्साह व विश्वसनीय मित्र मिल जाते हैं और आसाम में वे एक दूसरे अलग हैं।

अतः हमें इस राजनैतिक हाथ को देखना है। इससे देश को अस्थिर बनाने की पूर्ण योजना बनाई जा रही है।

श्री वाजपेयी आसाम के बारे में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कह रहे हैं। वे गोली चलाने के मामलों की गिनती कर रहे क्योंकि इनका सबको पता है।

अब जब आप इस मामले पर सभा में विचार करते हैं तो पूरे देश की निगाह आपके पथ-प्रदर्शन व आसाम के भविष्य पर आपके परिपक्व निर्णय पर रहेगी। मुझे एक कदम और आगे जाकर कहना चाहिए कि इस देश का भविष्य इस राज्य में आन्दोलनकारियों द्वारा गठाये गये मुद्दे पर निर्भर करेगा।

इस मुद्दे का सम्बन्ध कुछ हजार तथाकथित विदेशियों या कुछ बाहर या अन्य राज्यों के लोगों, जो विभिन्न भाषा-भाषी हैं, से ही नहीं है। यह प्रश्न भारत की राष्ट्रीयता से सम्बन्धित है।

उठाये गये मुद्दों का फैसला भारत के संविधान, कानूनों तथा हमारी राष्ट्रीयता के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। मैं श्री वाजपेयी को अन्य राज्यों के पैसे ही हालातों की याद दिलाना चाहता हूं।

आसाम ही केवल ऐसा राज्य नहीं है जहां पर विभिन्न भाषीय तथा विभिन्न धार्मिक दल हैं। भारत में विभिन्नतायें हैं परन्तु राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीयता की कीमत पर उपराष्ट्रीयता, स्थानीय राष्टीयता पर बल देने का हानिकर सिद्धान्त व दर्शन खतरनाक बात है। श्री वाजपेयी को इसका पता होना चाहिए। मैं यह जो कुछ वे गोहाटी में करने की कोशिश कर रहे थे उसकी वजह से कह रहा हूं वे वहां पर श्री चरणसिंह के साथ गये मैं श्री वाजपेयी के साथ कठोर होने का प्रयत्न नहीं करूंगा क्योंकि मैं अंक प्राप्त नहीं करना चाहता वाद-विवाद से हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे।

अन्यथा श्री वाजपेयी को श्रीमती गांधी के स्तर की नेता पर आक्रमण करते समय इतना नीचे नहीं आ जाना चाहिए था।

आपने अपने प्रति ही झूठा दावा किया है, आपके दल ने अपने प्रति झूठा दावा किया है, सारे दायित्व, सारी जिम्मेवारी, भारत में राष्ट्र प्रेम के एकाधिकार···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने ऐसा नहीं किया।

प्रो० के० के० तिवारी : हमें आपकी राष्ट्रभक्ति का पता है।**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे इस पर घोर आपत्ति है। वह व्यक्तिगत रूप से आरोप लगा रहे हैं। मैं उनके आरोप का उत्तर देना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० तिवारी, यदि वह बात हो भी तब भी उसका इस चर्चा से क्या सम्बन्ध है। कृपया कोई व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। यदि आप कोई व्यक्तिगत आरोप लगाना चाहते हैं, तो आपको उसे लिखित रूप में मुझे देना चाहिए।·····

प्रो० के० के० तिवारी : यह व्यक्तिगत आरोप नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यक्तिगत आरोप है। मुझे खेद है कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं रिकार्ड देखूंगा और यदि उसमें कोई व्यक्तिगत आरोप लगाया गया होगा, मैं उसे निकाल दूंगा। कृपया अब विषय पर आइये। कृपया कोई व्यक्तिगत आरोप मत लगाइये। **(व्यवधान)** जब व्यक्तिगत आरोप लगाने आरम्भ हो जाते हैं, तो विषय भुला दिया जाता है। आपको मूल विषय नहीं भूलना चाहिए और उससे हट कर बात नहीं करनी चाहिए। कृपया ठीक विषय पर ही बात कीजिए।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री के० के० तिवारी : मैं विषय से हट नहीं रहा हूं। मैं केवल पिछली बातों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा था।

प्रो० मधु दण्डवते ने हिटलर का उल्लेख किया है। ठीक है, मैं न तो विपक्षी पर निजी प्रत्यारोप लगाने में विश्वास रखता हूं न ही विवाद में और न ही उनका उपहास करने अथवा झूठी निन्दा में विश्वास रखता हूं। जब मैं स्वयं सदन में उपस्थित हूं और जब मैंने विपक्षी नेताओं की बात सुनी, तो मुझे कुछ सार्थक बात सुनने की आशा थी·····

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया असम के मामले पर बात आरम्भ कीजिए। आप इसे भूल रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : वह कह रहे हैं कि असम में खून बहाने के लिए हम जिम्मेवार हैं। मैं इस बात की ओर आपका तथा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं···**(व्यवधान)** उन्होंने असम में चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। जिन परिस्थितियों में असम में चुनाव कराने पड़े उन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था।

यह एक आवश्यक संवैधानिक दायित्व था जिसे पूरा किया जाना था। विपक्षी नेताओं को बुलाया गया और उनसे परामर्श किया गया। उन्हें पुनः सरकार को, श्रीमती गांधी को परेशान करने का मौका मिल गया। वामपंथियों ने कहा कि वे चाहते हैं कि चुनाव कराए जायें। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि असम के लोगों पर नौकरशाही, जो कि राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत सीधे केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में है, की अपेक्षा निर्वाचित विधानसभा द्वारा शासन किया जाए। अतः आधे विपक्षी नेता लोकतन्त्र अथवा लोकतान्त्रिक संस्थाओं को पुनः स्थापित करना चाहते थे और जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनमें से—यहां तक लोक दल जैसे अस्तित्व-विहीन दल, जो कि ग्राम पंचायत का एक स्वरूप है—यहां तक कि ऐसे दल जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था वे भी चुनावों का बहिष्कार करने की बात कह रहे थे। **(व्यवधान)** उन्होंने चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय किया। जब एक संवैधानिक संशोधन किया जाना था तब वे उसका समर्थन करने को तैयार नही थे। वे अपने वचन से पीछे हट गये—अब वे चाहे कुछ भी कहें अब वे परस्पर विरोधी बातें कर रहे हैं।

लेकिन यह सच है कि वे वामपंथी दल जो इस समय सदन में उनका विरोध कर रहे हैं, वे इस समय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ मिलाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। इन परिस्थितियों में चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और अब जब चुनाव हो रहे थे तब, श्री वाजपेयी ने अवसर का लाभ उठाकर वहां गए। श्री वाजपेयी और श्री चरण सिंह के दौरे से पूर्व वहां साम्प्रदायिक तनाव नहीं था। साम्प्रदायिक दंगे नहीं थे। कुछ छोटे से क्षेत्रों में तनाव जरूर था, लेकिन वह केवल भाषा के आधार पर था। लेकिन जिस दिन श्री वाजपेयी गोहाटी पहुंचे वहां इन लोगों ने, जो कि पृथक होने के अन्तिम उद्देश्य

की तैयारी कर रहे थे, उनका भव्य स्वागत किया। मैं उनके बारे में कुछ शब्द कहूंगा। जिस समय बातचीत हो रही थी तब वे हथियार एकत्रित कर रहे थे—श्री वाजपेयी और श्री दण्डवते से पूछ लीजिए। वे कहेंगे कि इस सबके लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी जिम्मेदार हैं। लेकिन वर्ष 1978 और 1979 आपको याद होंगे। आपके लोगों ने जिनमें से दो जनता पार्टी के मुख्य मन्त्री थे, जब उन्हें संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पराजय का सामना करना पड़ा, अचानक निर्णय ले लिया कि इस निर्वाचन क्षेत्र में विदेशियों का बाहुल्य है और विदेशियों के इस प्रश्न को उस समय तत्कालीन जनता पार्टी ने उछाला और अब अलग-अलग दलों जैसे जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लोक दल और शेष दलों द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है।

अतः उन परिस्थितियों में, मेरा आरोप यह है कि जब ये विपक्षी नेता वार्ताओं में भाग ले रहे थे तो वहां आन्दोलनकर्त्ता अखिल असम छात्र संघ और गण संग्राम परिषद—आधुनिक हथियारों का शस्त्रागार बनाने और गांवों में अपने संगठन बनाने के लिए इस अवसर का लाभ उठा रहे थे और श्री वाजपेयी और उनकी भारतीय जनता पार्टी तथा जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी विपक्षी नेता इस प्रयास का समर्थन कर रहे थे। उनको आम जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। यह बात मेरे दिमाग में इसलिए आयी क्योंकि एक दिन मुझे गोहाटी जाने का मौका मिला और विमान में मेरी मुलाकात जनता पार्टी के निष्ठावान सदस्य श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी से हुई और पूरा रास्ता वह मुझे यह आश्वासन देते रहे कि उनके स्वागत के लिए हजारों लोग हवाई अड्डे पर आयेंगे। जब मैं वहां उतरा, तो वास्तव में हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए केवल दो ही व्यक्ति आये हुए थे जिनमें से एक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री और उनके साथ उनका बेटा था जो कि ड्राइवर के रूप में कार्य कर रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : तीसरे व्यक्ति श्री तिवारी हैं जो उसके साथ थे।

प्रो० के० के० तिवारी : जनता पार्टी की वहां यह स्थिति है अतः आधार का पता लगाने के लिए···

प्रो० मधु दंडवते : हमारा दल बहुत बड़ा है—यहां तक के सरकार भंग होने के समय भी हमारा दल बड़ा था।

प्रो० के० के० तिवारी : आप उस समय वहां थे, अब नहीं। वह जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अड्डा है। कुछ आधार ढूंढ़ने के लिए और कुछ अपने पैर जमाने के लिए वे यह सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने रात-दिन देश की राष्ट्रीयता और अखंडता की सौगंध लेते हैं लेकिन फिर भी वे इन आन्दोलनकारियों के साथ मिल गए हैं जो कि प्रतिदिन बैठकें कर रहे हैं और ऐसे नारे लगा रहे हैं जो पृथकतावाद से कम नहीं है। अतः में इस बात पर बल देना चाहता हूं।

हाल ही में, श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद ने, सी० पी० एम० के उच्च नेता हैं, एक वक्तव्य दिया। उन्होंने असम चुनावों में जनता पार्टी और भारतीय जनता की भूमिका के बारे में

बताया । मैं यह नहीं कह रहा हूं । कांग्रेस (आई) ने आप पर सी० आई० ए० के एजेंट बनने का आरोप लगाया है । हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप अमरीकियों से मिलकर काम कर रहे हैं। आपने बहुत बड़ी विघटनकारी योजना में विघटन का समर्थन किया है। जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर विदेशी एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं । यह कितने दुःख की बात है। देश को इस बारे में पता होना चाहिए । यह कितने दुःख की बात है कि विपक्षियों में कोई भारतीय एजेंज नहीं है । वे सब विदेशी एजेंट हैं (**व्यवधान**)

महोदय, मैं भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के महासचिव श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद की बात उद्धृत करना चाहता हूं :

> "आज हमने जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और लोकदल से असम के आगामी चुनावों का वहिष्कार करने के सम्बन्ध में लिए गए उनके निर्णय को बदलने की अपील की ।"

एक संवाददाता सम्मेलन से संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन दलों ने चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था, वे सचमुच असम में पृथकतावादी आन्दोलन को पूरा समर्थन दे रहे हैं । अमरीकी साम्राज्य ने "देश को विघटित करने के क्रूर उद्देश्य से' पृथकतावादी आन्दोलनों को समर्थन दिया ।" उन्होंने कहा कि कोई भी दल जो वास्तविकता की उपेक्षा करता है "वास्तव में राष्ट्र विरोधी साम्राज्यवादी चालबाजों के हाथों में खेलता है ।"

अब यह स्पष्ट है कि आन्दोलन जो तीन वर्षों से जारी है, वह व्यर्थ में नहीं हो रहा है । उनकी कुछ सही मांगों को माना जा सकता है और सरकार तथा प्रधान मन्त्री ने इस बारे में गम्भीरता दिखाई है । श्री वाजपेयी स्वयं यह बात जानते हैं । अब वह इस प्रयास पर हंस रहे हैं। उनसे इस स्तर की चर्चा की अपेक्षा नहीं की जाती । उन्हें याद होगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी स्वयं गोहाटी गईं और असम आन्दोलनकारियों के साथ वार्ताओं के दो दौर किए और इस समस्या के निदान के लिए हर तरह से प्रयत्न किए गए लेकिन वे अन्त तक अपनी बात पर अड़े रहे । पहली बार ऐसा हुआ है—और यह एक अभूतपूर्व कदम है —कि भारत सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में विपक्ष को पूर्ण विश्वास में लिया। सरकार ने वार्ताओं के दौरान विभिन्न स्तरों पर विपक्षी नेताओं को अपने साथ लिया । जनता पार्टी के एक नेता श्रीरवीन्द्र वर्मा ने बहुत से सुझाव दिए । आन्दोलनकारियों इन सुझावों को भी अस्वीकार कर दिया । अब प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत सरकार और इस देश को आन्दोलनकर्त्ताओं की सब बातें जो वे कह रहे हैं मान लेनी चाहिए अथवा विपक्षी नेताओं को, आन्दोलनकारियों के साथ मिल रहे हैं , इस बारे में पहल करनी चाहिए कि व आन्दोलनकारियों पर दबाव डालें कि वे अपनी उचित माँगों के न्यायोचित हल को स्वीर कर लें ।

मैं विदेशियों की समस्या के बारे से विस्तार से नहीं कहूंगा । हमारा देश वहु-जातीय बहु-भाषी देश है, लेकिन मैं श्री समर मुकर्जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसमें अनेक राष्ट्र

हैं। मैं और मेरा दल इस बात में विश्वास नहीं रखते कि भारत बहु-राष्ट्रीय देश है कम्युनिस्ट पार्टी की ऐसी विचारधारा हो सकती है। हमारी विचारधारा यह कि भारत की केवल एक राष्ट्रीयता है और वह है भारतीय राष्ट्रीयता।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त शामिलित नहीं किया जाएगा।

प्रो० के० के० तिवारी : प्रो० दण्डवते, श्री वाजपेयी और श्री इन्द्रजीत गुप्ता मुझसे यह कहकर कि मैं क्या सकता हूं, मेरा उपहास उड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं निश्चय ही उनकी पण्डिताई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मुझे आपकी समझ पर पूरा विश्वास है।

उपाध्यक्ष महोदय क्योंकि आप दोनों ही प्रोफेसर हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : क्या श्री वाजपेयी और प्रो० दण्डवते कृपया पूरे मामले को देखेंगे। अब, असम की समस्या है। हमारे जैसे देश में, जब देश परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया से गुजरता है, जहां कि निर्धारित ढांचे और स्तर में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, उस समय क्षेत्रीयता-को बढ़ावा मिल सकता है।

यह एक जैसे सिद्धान्तों वाले राष्ट्रीय दलों का कार्य है कि वे राष्ट्रीय समस्याओं का इस प्रकार से हल निकालें जिससे आघातों को सहन किया जा सके। वहां जो कुछ हो रहा है उससे असम के मामले को हारा हुआ न मानिए। श्री वाजपेयी जी, स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए इस देश ने बड़ी कुर्बानियां की हैं और कुछ सैकड़े लोगों के मरने के कारण असम को राष्ट्र से अलग नहीं होने दिया जाएगा। लोग इसलिए मारे गए कि वहां निहित स्वार्थों वाले लोग थे, विशेषकर ऐसे लाभ जो देश के इस लाभ में समस्या उत्पन्न करना चाहते हैं। उन्होंने इस समस्या को उत्पन्न किया है। ये वहाँ गए हैं, और अब यह सारा आन्दोलन एक साम्प्रायिक दंगे का रूप ले रहा है और ऐसा लगता है जैसे हिन्दू लोग मुस्लिमों के खिलाप हैं, मुस्लिम लोग आदिवासियों के खिलाप हैं तथा आदिवासी लोग हिन्दुओं के खिलाफ है इस प्रकार का दृश्य कुछ ऐसे मुट्ठीभर लोगों द्वारा उत्पन्न किया गया गया है जो सारे भारत में समस्या उत्पन्न करना चाहते हैं। मेरठ में साम्प्रदायिक दंगे हुए। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? यह वे लोग हैं जो राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए साम्प्रदायिक विचारधाराओं तथा साम्प्रदायिक हिंसा का समर्थन करते हैं। क्योंकि इन लोगों ने वहां पर जाकर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की है। अतः महोदय मैं सभा से तथा विपक्ष के नेताओं तथा जो देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं उससे यह अनुरोध करता हूं, कि वे इन समस्याओं पर विचार करें।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं, श्री वाजपेयी जी के भाषण का उल्लेख करना चाहता । वे अपनी बात को इस प्रकार तल्लीनता से कहते चले जा रहे थे जैसे कि सारे देश में वे ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, जिसने इसकी हूक को महसूस किया है। महोदय, मेरा यह विचार है कि यदि सारे दलों ने संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार इसमें भाग लिया होता, चुनाव कराने की लोकतन्त्रता प्रक्रिया भाग लिया होता, और अपने उम्मीदबारों को खड़ा किया होता तथा विभिन्न वर्गों से समर्थन प्राप्त किया होता तो उसका आन्दोलनकारियों पर बड़ा गम्भीर प्रभाव पड़ता तथा वे निश्चय ही उचित प्रतिक्रिया व्यक्त करते लेकिन यह कार्य नहीं किया गया । वास्तव में उनकी भावनाओं को और भड़काया गया तथा उनको उत्तेजित किया गया । इस समय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को भुला दिया गया है तथा बहुत ही संकीर्ण तथा असाधारण राजनैतिक मुद्दों को लिया गया है, तथा असम में ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ है जहां कि सैकड़ों व्यक्ति मारे गए हैं । और अब श्री वाजपेयी जी, झूठे आंसू बहा रहे हैं । यदि असम की स्थिति के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वह हैं, श्री वाजपेयी तथा जनता पार्टी के नेतागण । अतः मेरा यह निवेदन है कि वे राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करें । इस देश ने बहुत बड़ी कुर्बानियां की हैं । कुर्बानियों के सारे लम्बे इतिहास में दशकों से स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए हमने बहुत सी कुर्बानियां की हैं । तथा भारत की एकता को बचाने के लिए हम और भी बड़ी कुर्बानी करने को तैयार हैं । श्रीमती गांधी ने बहुत से अवसरों पर यह कहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी । उन लोगों को केवल बंगला देशी तथा विदेशी कहकर जातज लोगों को बाहर नहीं भगाया जा सकता । ये वे लोग हैं जिनके जायज अधिकार हैं । तथा जिन्होंने इस देश में नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं ।

श्री वाजपेयी जी ने श्रीमती गांधी जी की बात का उल्लेख किया । श्री वाजपेयी जी को यह मालूम होना चाहिए कि आखिरकार नागरिकता के अधिकार सम्बन्धी प्रावधान मौजूद हैं नागरिकता अधिनियम मौजूद है, पारपत्र अधिनियम मौजूद है और ये सभी बातें संवैधानिक मामलों संबंधी हैं । श्री वाजपेयी जी, जो कभी-कभी प्रधान गायिका की तरह बातें करते हैं, उनका उत्तेज व्यवहार अच्छे नेत्रत्व का गुण नहीं है । श्री वाजपेयी जी, आप दर्शकों के साथ यह खेल कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय मसलों पर निर्णय लेते समय, जिनका कि भारत के भविष्य पर दूरगामी परिणाम पड़ता है, भारत की एकता पर प्रभाव पड़ता है तथा बाहरी षड्यन्त्रों और अण्दरूनी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के लोगों की एकात्मता पर प्रभाव पड़ता है, ऐसी स्थिति में आप जैसे नेताओं को गुण तथा अवगुणों को ध्यान में रखते हुए बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए । इन जटिल मामलों पर विचार करने से पूर्व विधि प्रक्रियाओं की जानकारी के बिना प्रधान मन्त्री के रूप में वह अपना वचन कैसे दे सकती हैं कि लोगों को असम से बाहर निकाला जाएगा ? वह ऐसा नहीं कह सकती । हम झूठे तथा गुमराह करने के सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखते हैं ।

असम की वर्तमान समस्याएं बहुत ही गम्भीर हैं । विभिन्न वक्ताओं द्वारा विस्तारपूर्वक विचार किया गया है । इस पर एक राष्ट्रीय परिक्षेप के अनुसार विचार किया जाना चाहिए । पिछले तीन वर्षों से यह मामला चला आ रहा है । इसी बीच देश के दूसरे भागों में पृथकताओं आन्दोलन उठ रहे हैं । प्रत्येक जिम्मेदार लोगों के वर्ग में यह बात की जा रही है कि भारत को विफल करने

तथा विमुक्त करने की योजनाएं की जा रही हैं। लेकिन यह बात कोई नई नहीं है। यह उन ताकतों के गठन के अनुसार स्वाभाविक ही हैं, जो राजनैतिक दृष्टिकोण से सक्रिय हो रही हैं।

अतः मैं एक विनम्र सुझाव देता हूं और विपक्ष के सदस्यों से निवेदन करता हूं और यह आशा करता हूं कि इस प्रश्न पर सभी लोग गम्भीरता पूर्वक विचार करें और मनन करें। उनमें से कुछ लोग जो इन बातों को महत्वपूर्ण समझते हैं और जिन लोगों ने बलिदान किए हैं उनको आगे आना चाहिए और उनको इन्दिरा भय, कांग्रेस (आई) भय से विचलित नहीं होना चाहिए। इसमें पहले ही काफी लोग मर चुके हैं तथा वामपन्थी ताकतों की विश्वसनीयता को भयंकर चोट पहुंची है?

इसलिए अगर विपक्ष को अपरी विश्वसनीयता प्राप्त करनी है और यह सिद्ध करना है कि वे वास्तव में देश भक्त हैं, वे उन लोगों के दुःखों से वास्तव में दुखी हैं, जो कि कम संख्या में हैं और जिनके संवैधानिक अधिकारों को दूसरे लोगों से बचाने की आवश्यकता है और उनको दूसरे प्रगतिशील ग्रुपों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और उन सब का बहिष्कार करना चाहिए जो कि अपने राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय मामले राष्ट्रीय प्रभु-सत्ता भारत की अखण्डता और एकता की बातें कहते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं सदन से निवेदन करता हूं कि विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले में निष्पक्ष रवैया अपनाया जाए। मैं आशा करता हूं कि इस जटिल समस्या को; जो कि आज सोर राष्ट्र के दिमाग को उत्तेजित कर रही है, सुलझाने के लिए कोई सर्वसम्मत हल ढूंढा जाएगा।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तिवारी जी ने जो भाषण दिया, उसको सुनने के बाद मुझे अन्दाज हुआ कि शायद तिवारी जी को यह मालूम नहीं है कि डिसकशन आज आसाम पर हो रहा है। वे शायद यह मालूम कर रहे हैं कि हम प्रेसीडेंट एड्रेस पर बोल रहे हैं, क्योंकि जो प्राबलम्स, जिन मामलात को लेकर हम डिसकशन करने आए हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कही गई।

मैं समझता हूं कि सबसे पहले उस बात को साफ करूं जिसके संबंध में बार-बार कहा जा रहा है। न सिर्फ हमारे उस तरफ के बड़े-बड़े लीडरों के जरिए, बल्कि हमारी प्रधान मन्त्री के जरिए और उन तमाम लोगों के जरिए यह कहा जा रहा है कि आसाम के इलेक्शन और आसाम के तमाम हलात की जिम्मेदारी अपोजीशन के ऊपर है।

अभी मैं स्टीफन साहब की तकरीर सुन रहा था फिर वही बात तिवारी साहब ने भी रिपीट की है कि पिछले सेशन में कांग्रेस पार्टी ने हमारी अपोजीशन पार्टी की हिदायत चाही थी—कांस्टीट्यूशन में तब्दीली लाने के लिए, लेकिन अपोजीशन पार्टी के लोगों ने हिदायत नहीं दी और उसने शर्त लगाई कि इसके लिए प्रेस सेशन चलाया जाए। मैं इस बात की क्लीयर कर देना

चाहता हूं कि जिस वक्त पिछले सेशन में यह प्रस्ताव आया हम लोगों के सामने, अपोजीशन के लोगों के सामने तो उस वक्त भीस्म नारायण जी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे। उन्होंने मुझ से यह कहा कि रशीद साहब अगर आप अपने राज्य सभा के वोट हमें दे दें तो हम यह अमेंडमेंट ला सकते हैं। मैंने कहा मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी की यह राय है कि आसाम के अन्दर इलेक्शन होने का मतलब वहां पर खून-खराबा होना है।

हम नहीं चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से के अन्दर, हिन्दुस्तान के अवास किसी भी जुल्म का शिकार हों, खून-खराबा हो, जाने जाएं और बिना वजह उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आए। मैंने कहा है कि आप कांस्टीट्यूशन में तब्दीली लाना चाहते हैं और यह तब्दीली हमारे वोट से ला सकते हैं। एक घण्टे के अन्दर आपको इसका जवाब दे सकता हूं। हमने महसूस किया कि इस सदन को एक्सटेंड करके इस सदन के अन्दर अमेंडमेंट आना चाहिए ताकि इलैक्शन को टाला जा सके और प्रेजीडेंट रूल ही लागू हो सके।

मैं जब भीष्म नारायण जी दफ्तर गए हैं। मैं वहां गया और उनके पी० ए० को भेजा कि उनको बुला लाइए। भीष्म नारायण जी बाहर आए, मैंने उनसे साफ अल्फाज में कहा कि हम अपने वोट को तैयार हैं और आप इसी सेशन के अन्दर कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट लाइए। हम चाहते हैं एक साल के लिए वहां प्रेसिडेंट रूल एक्सटेण्ड हो। भीष्मनारायण जी ने शुक्रिया अदा किया उसके बाद वे अन्दर चले गए और यही बात उन्होंने अपोजीशन के लीडर्स को, सी० पी० आई० आदि पार्टी के लोगों को बताई कि लोकदल ने सपोर्ट दे दी है। आज हम काफीडेंस से बात करने के लिए तैयार हैं और हमें यकीन हो गया है कि हम कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करवा लेंगे। यह कैसे कह दिया कि अपोजीशन ने सपोर्ट नहीं दिया। यह भी गलत है कि अमेंडमेंट नहीं ला सकते थे। चार बजे और सात बजे के दरम्यान ऐसी क्या बातें हुई जिसकी वजह से हमारी सरकार को यह फैसला बदलना पड़ा कि हम कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं लाएंगे। सात बजे मुझे भीष्म नारायण जी का टेलीफोन आया।

हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें सपोर्ट दे दी है। हमने अपोजीशन के लीडर्स से भी कह दिया है कि हमारे पास रिक्वायर्ड मैजोरिटी हो गई है। हम आपके ख्याल को रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सेशन बुलाकर अमेंडमेंट ले आएं। यह कहना कि अपोजीशन के लोग जिम्मेदार हैं, अपोजीशन के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, यह बिल्कुल बेबुनियाद है।

भीष्म नारायण जी से मैंने यह कहा कि आपने दो बातें पैदा कर दीं। हमने यह बेहतर समझा कि अमेंडमेंट कांस्टीट्यूशन में भी आना चाहिए और अपने अपोजीशन के साथियों के खिलाफ होकर हमने सपोर्ट एक्सटेंड कर दी है। आपने हमें लेट-डाउन किया और आपने इस मुल्क की बफा को जहन में नहीं रखा। आपके जहन में कोई और गलत फहमी आ गई। नवम्बर, में भी सेशन नहीं बुलाया गया और ना ही तब अमेंडमेंट किया गया। क्यों नहीं किया गया? इसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं। जब माईनॉरिटीज का जिक्र आता है तो अमूमन यह समझा जाता है

कि हिन्दुस्तान के मुसलमान की बात हो रही है। हिन्दुस्तान के मुसलमान आज कांग्रेस-आई को वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका सबूत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली में दिया इसलिए, तैयार नही हैं कि हिन्दुस्तान मुसलमान को आज हिन्दू से शिकायत नही है, मुरादाबाद, मेरठ और बड़ौद के अन्दर बल्कि हिन्दुस्तान के मुसलमान को शिकायत है, इस मुल्क की हुकूमत से, इस मुल्क की सरकार से पी० एं० सी० गोली चला रहा है, पी० ए० सी० मार रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन मार रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन मुसलमानों को बन्द कर रहा है। लिहाजा आज आपने ऐसा माहौल में आसाम के अन्दर पैदा करने की कोशिश की। माइनॉरिटीज का लफ्ज इस्तेमाल करने के बाद हिन्दुस्तान के अपोजीशन के लोग अटल बिहारी वाजपेयी, मधुदण्डते, रशीद मसूद, चौ० चरण सिंह और दूसरे जितने भी अपोजीशन के लोग हैं, ये माइनॉरिटीज के दुश्मन समझे लगेंगे कि आप लोग ही मुसलमान के दोस्त है। यह साजिश थी जिसकी बजह से आप अमेंडमेंट नहीं लाए, जिसकी वजह से प्रेजीडेंट रूल नहीं किया। आज आप माइनॉरिटीज का जिक्र करते हैं। माइनॉरिटीज का मतलब यह नहीं है कि वहां मुसलमान हैं। अगर, 1961 को कट-आफ इअर मान लिया जाए तो 24 मार्च, 1971 तक 10 लाख 53 हजार विदेशी थे।

क्या चाहते थे असम के ऐजीटेशन लीडर्स ? यह ऐजीटेशन हमने शुरू नहीं किया; बल्कि आपने शुरू किया था जब हमारी सरकार थी। इसकी जिम्मेदारी आपकी है शुरू करने की, उसको बढ़ावा देने की ओर लोगों को गिरफ्तार करने की ओर ऐजीटेशन की हालत में चुनाव कराने की। लिंगुइस्टक, ऐथनिक और ट्राइबल लोगों को आपस में लड़ाने की जिम्मेदारी भी आप ही की है, हमारी नहीं है। क्या चाहते थे ऐजीटेटर्स जिसको आप सुनना नहीं चाहते थे ? वह चाहते थे कि फौरेनर्स का पता लगाया जाय कि हैं या नहीं। कौन मुल्क है जो फौरेनर्स को अपने मुल्क में आने देना चाहता है ? और अगर आ गये हों तो उनका पता लग ना नहीं चाहता ? इसमें क्या बुराई है वह चाहते अगर पता लगाने के बाद आपके नेशनल और इंटरनेशनल कमिट्मेंट्स् हैं तो उसमें से उन लोगों को दूसरी जगह डिसपर्स किया जाए, और उसके पहले उनको इलेक्शन में वोट देने का हक न दिया जाय। लेकिन आप उनको उकसा रहे हैं वोट लेने के लिए, कि वह आपके पोलिटिकल वोट बैंक हैं जिससे आपकी जीत हो, और वहां के लोग अपनी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या नाजायज बात है ? उनका कहना है कि इलेक्टोरल लिस्ट में से उन लोगों के नाम निकाल दिये जायं। जिनकी नेशनेलिटी डाउटफुट है। इसमें क्या परेशानी है आपको ? एक फौरेनर के बारे में प्रैस में निकलने लगा सफदरजंग रोड के बारे में जिससे आपकी बगुलाभगत इमेज खत्म हो सकती थी इसलिये उस फोरेनर का नाम डिलीट कर दिया गया। लेकिन बाहर से जो लोग आये हुए हैं। उनके नाम को अगर डिलीट करने की बात की जाती है तो वह करने के लिए आप तैयार नहीं हैं।

माननीय स्टीफन साहब चले गये, और उनके बारे में तवक्को करना मुश्किल भी नहीं हैं; प्रधान मन्त्री ने उनकी नाअहलीरकी सर्टिफिकेट दे दिया और उनको कैबीनेट से निकाल दिया गया, वह पूछ रहे थे कि 40 साल, 30 साल, 20 साल या 10 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे निकाल दें ? वह कैसे सिटिजन नहीं हो गये ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कांस्टीट्यूशन

पढ़ा है ? आर्टिकिल पढ़ा है ? आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ा है, आपने सिटीजनशिप ऐक्ट पढ़ा है ? आपको मालूम है कि सिटीजनशिप कैसे दी जाती है ? सिर्फ बाहर का आदमी यहां रहने लगे और वह पकड़ा न जाए तो क्या वह देश का सिटीजन हो गया ? बिल्कुल नही होगा । मैं आपको बताऊं मेरा एक मुलाजिम है, जिसके बाद का नाम रशीद है, वह 30 साल पहले यहां आया और सिर्फ एक महीने के लिए पाकिस्तान गया और फिर आ गया और आने के बाद फिर वापस नहीं गया । उसके बच्चे हो गये, बीवी यहां रह गई और एक बच्चा उसका मेरे यहां ड्राइवर हो गया । उसको पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया गया कि वह पाकिस्तानी नेशनल है । यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है ? अगर सिटीजनशिप राइट 20 साल रहने के बाद औसोमेंटिकली मिल जाता है । तो उस बेचारे मेरे ड्राइवर को पकड़कर बन्द करने की क्या जरूरत थी ? मैंने 1977 में कोशिश की, उन बच्चों को सिटिजनशिप का राइट मिला । बाकायदा प्रासेस चला । तो यह बात कि 20 साल से रह रहे हैं, कहां चले जायें, ठीक है ह्युमैनिटेरियन ग्राउन्ड पर हमें हमदर्दी होनी चाहिये, आज भी अच्छा कहा है हमारे सदन के लोगों ने, लेकिन कोई भी अगर गलत बात करता है, हम उसकी गलती को प्वाइन्ट आउट नहीं करते हैं तो अपने साथ, इस मुल्क और आने वाली नस्लों के साथ गद्दारी करते हैं । हमें देखना होगा कि यह जिम्मेदारी किस पर पड़ेगी, सिर्फ आपके कहने से किसी पर नहीं पड़ेगी, हकायत की रोशनी में देखना पड़ेगा कि इसकी जिम्मेरारी कहां है, कहां खराबी आई है और कहां अच्छाई आती है ।

मैं मानता हूं कि इंटरनेशनल कमिट्मेंट्स हैं, उनको पूरा भी किया जाये, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि कौन लोग फार्नर्स आये हैं, उनमें से कौन आपके कमिट्मेंट के अन्दर आते हैं । उनका एक तरीका है प्रोसेस है, उनको देखते हुए सिटीजनशिप राइट दीजिये । जो उसमें नहीं आते हैं, उनको बाहर निकाल दीजिये । डिसमिस कीजिए ।

दूसरी बात थी उनके इलैक्टोरल रोल के में से नामों के डिलीशन डिसमिस डिलीशन की । आज क्या हो रहा है ? जिन बहुत से लोगों को आप जानते भी हैं कि फार्नर्स हैं, आज जब मैं फार्नर्स और माइनोरिटी का जिक्र यहां करूं तो उसको यह समझा जाये—फार्नर्स एण्ड माइनोरिटीज इन दी कटेवस्ट आफ असम, नोट मुस्लिमस । क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि डिस्पर्स होने वाले लोगों में ज्यादा तादाद हिन्दुओं की है । आज आप फार्नर्स की बनी हुई लिस्ट के साथ चुनाव कराना चाहते हैं लेकिन आज आप अपने हिन्दुस्तानी शहरी, सिटिजन्स को उसमें इन्वलूट नहीं करना चाहते ।

मौतरम मिनिस्टर साहब बतायें कि 3 साल के अन्दर 1979 के बाद आज 4 साल में कितने लोगों ने ऐसी लिमिट को क्रास किया है और कितने लोग आज बालिग हो गये हैं ? क्या आपने सोचा कि जब आप इलैक्शन कराने जा रहे हैं तो यह आपका बुनियादी फर्ज था कि उन हिन्दुस्तानियों को जो 3 साल में बालिग हो गये हैं, जिनका हक होना चाहिए अपनी सरकार को चुनने का क्या आप उनको वोट देने का हक देना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

वाजपेयी जी क्या सोचेंगे ? उनके हाथ में यह नहीं है ।

आज जो मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों की वजह से ही यह हो रहा है, मैं यह साफ करना चाहता हूं कि मैं भी अलहमदु लिलाह मुसलमान हूं और इस यकीन के साथ मुसलमान हूं कि अगर मुसलमानों पर कभी जुल्म होगा तो उसे मैंने न कभी बर्दाश्त किया है और न कभी आगे भी बर्दाश्त करूंगा । जनता पार्टी के जमाने में भी जब-जब भी मुसलमानों के साथ ज्यादगी हुई तो मैंने आवाज उठाई है और आइन्दा भी उठाऊंगा । जुल्म का मामला सिर्फ मुसलमान का नहीं है । जुल्म किसी के साथ भी होगा तो उसकी आवाज उठाई जाएगी । यही बजय थी कि जब सन् 1980 में त्रिपुरा में कत्लेआम हुआ ड्राइवल्स के जरिये तो मैं वहां गया । वहां मुसलमान नही मारे जा रहे थे, लेकिन एक इन्सानियत के नाते मेरा अर्ज था कि हमें जाना चाहिये ।

आज आप असम में एजीटेटर्स को बुरा बता रहे हैं । एक जगह आप अच्छा बताते हैं और दूसरी जगह नही, यह कैसे मुमकिन है ? आपने त्रिपुरा में किसके साथ समझौता किया ? वहां युवा उपजाति युवा समिति है । वह क्या कहती है ? वह यह कहती है कि सन् 1951 में उनकी पौने 4 लाख की आवादी में 3 लाख ट्राइबल थे आज सवा 13 लाख की आबादी में सिर्फ साढ़े 4 लाख ट्राइयल रह गये हैं । वहां 9 लाख आदमी बाहर से आकर बस गये हैं। उन्होंने हमारी सभ्यता और तहजीब को खत्म कर दिया है । यहां से उनको निकाला जाये । लेकिन बहुत थोड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद नहीं । लिहाजा उन्होंने गुस्सा किया 1980 में । 400,500 आदमियों को एक जगह मार दिया आपने इतना होने के बाद उन्हीं से समझौता कर लिया ।

एक तरफ आप असम के एजीटेटर्स को कह रहे हैं कि उनको फार्नर्स को निकालने का हक नहीं है और एक तरफ त्रिपुरा में उस पार्टी से समझौता कर रहे हैं नेशनलिटी में कोई डिस्पयूट नहीं है, सिर्फ खता यही है कि वह बंगाली हैं । उनको निकालने की बात करते हैं ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं । उन्होंने भाव यह मांग वापस ले ली है कि सभी लोग जायें ।

श्री रशीद मसूद : क्या उन्होंने वापस ले ली है ? यह तो और भी अच्छी बात हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने 20 मिनट लिये । आपने सब बातें कह ली हैं । मैं जानता हूं । अब आपने अन्तिम बात कहनी है ।

श्री रशीद मसूद : मैं केवल दो मिनट और लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक योग्य संसद हैं ।

श्री रशीद मसूद : जैसा कि मिनिस्टर साहब ने फर्माया कि त्रिपुरा की युवा उपजाति ये डिमांड विद्ड्रा कर चुकी हैं, यह अच्छी बात हुई लेकिन विद्ड्रा करने से क्या आप समझते हैं आप

उनको सर्टिफिकेट दे देंगे कि वे अब इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं ? गल्ती स्वीकार करने के बाद देखा जायेगा कि उनका ऐक्शन क्या है। क्या आज त्रिपुरा के बंगाली इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि उस पार्टी के लोग इनके दुश्मन नहीं है और उनको निकालना नहीं चाहते हैं ? ऐसा नहीं है। इसीलिए आपकी वहां पर डिफीट भी हुई है। अगर बंगालियों को यह यकीन हो जाए तो आप जीत भी सकते हैं। लेकिन आपकी डिफीट तो हर जगह हुई है और आगे भी होगी।

मुझे बेइन्तहा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अगर लड़ाई, नफरत, गुण्डागर्दी और बेहूदगी को बढ़ावा देंगे तो फिर यह तरक्की नहीं कर सकते कि दूसरे हमारे साथ मोहब्बत शराफत से पेश आयेंगे। इस मामले में आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है क्योंकि आप सिर्फ एक पार्टी ही नहीं हैं, इस मुल्क की सरकार भी है और इस मुल्क का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। आपको यह बात देखनी होगी कि इस मुल्क के जो रहने वाले हैं; चाहे वह आपकी पार्टी के हों, हमारी पार्टी से ताल्लुक रखते हों या किसी भी पार्टी से ताब्लुक रखते हों या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, वे इस मुल्क के अन्दर अपने को पूरी तरह से महफूज समझें और मुल्क में अमनो-अमान के साथ रहें। वे हिन्दुस्तान को अपना वतन समझें और यह अहसास करें कि हम यहां पर आराम के साथ बैठे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ?

आसाम में जैसी तकरीरें हो रही हैं एक के बदले चार को मोर्चे की बात हो रही क्या यह बरदास्त करने वाली बात है ? किसी भी मजहब का आदमी इस बात को वरदाश्त नहीं कर सकता है ? यह एक सवाल है। आखिर आप इस देश के नक्शे को कहाँ से काटना चाहते हैं इन बातों को ध्यान में रखकर इस पर सोचिए नार्थ इन्डिया मैं तीस साल तक हिन्दू राज के खिलाफ मुसलमानों को खौफजदा करके उनके वोट आप हासिल करते रहे लेकिन जब आपकी कलई खुली और यह मालूम हुआ कि हिन्दू राज के नाम देने वालों के बजाए मुसलमानों के सिर पर हाथ रखकर जो कहते हैं कि हम तुम्हारे प्रोटेक्टर हैं, वही इस खून-खराबे के जिम्मेदार हैं तो आज नार्थ इंडिया का मुसलमान आपके साथ नहीं है और साउथ इन्डिया का मुसलमान भी आपके साथ नहीं है। इसलिए आप माइनारिटीज का चक्कर चलाकर मुसलमानों को यह यकीन दिलाने की बात छोड़ दें कि सारा अपोजिशन मुसलमानों का दुश्मन हैं। हम किसी के भी दुश्मन नहीं है जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर जुल्म होगा तो उसके खिलाफ हम आवाज उठायेंगे। लेकिन आपके पास जराए हैं; आपके पास प्रोपेगैण्डा मशीनरी है।

आप यह जो काम कर रहे हैं कि जाओ, एक के बदले चार को मार कर आवो, जो हिन्दुओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्राइवल्स को ट्राइवल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, मुस्लिम को हिन्दुओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और हिन्दुओं को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं—इस पालिसी को आप छोड़ दीजिए। मुझे एक बात और याद आ गई है अभी जब असम वालों के साथ टाक्स चल रही थी तो उस दर्म्यान हमारा इम्प्रेशन पहले दिन यह रहा कि शायद एजिर्टस 1965 को कट-आफ ईयर मान लेंगे। उसके बाद हमने होम मिनिस्टर साहब

से पूछा कि इसके बाद और कितने लोगों का हर सवाल जायेगा तो उन्होंने 2 लाख 53 हजार की फीगर बताई थी।

हमने सोचा था कि 2 लाख 53 हजार को भी वे एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने कहा था कि मोड आफ डिस्पर्सल बाद में तय किया जाना चाहिए। जो भी इनकमिंग गवर्नमेंट होगी, उसकी यह रेस्पांसिविलिटी होगी।

आप समझते हैं आपकी गवर्नमेंट आएगी तो आपकी रेस्पांसिविलिटी होगी और उनकी जो भी गवर्नमेंट आएगी तो उनकी होगी जो भी गवर्नमेंट आएगी वह रेस्पांसिविलिटी के साथ काम करेगी।

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की तरफ से जो बातचीत हुई है, उससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि सरकार किसी भी तरह से कम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। जैसा कि वाजपेयी जी ने पहले ही कहा है कि पांच को मीटिंग होगी फिर बरखास्त होगी और छः की मीटिंग होगी और शाम को इलैक्शन का एलान कर दिया जायगा। हमारी मोहतरिम प्रधानमंत्री जी ने छः तारीख की शाम को हमें बुलाया और हम इस उम्मीद के साथ गए कि मोहतरिम प्रधान मंत्री जी ने बुलाया है और मुल्क के ऊपर एक संकट का वक्त है खराब वक्त है तथा इस खराब वक्त में हम सब को युनाइटेड हो जाना चाहिए। उन खराब लोगों के खिलाफ उन फोर्सेस के खिलाप और जो अइलदेशी के लोग हैं उनके खिलाफ हम वहां पर पहुंचे, बातचीत हुई। लेकिन इलैक्शन के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन मैंने वहां पर उनसे एक सवाल पूछा कि क्या आप यह समझती हैं कि अगर इलैक्शन हुआ तो वहां खून-खराबा नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि अगर इलैक्शन नहीं हुआ तो खून-खराबा तो तब भी होगा। जब एक बार यह दिमाग बना लिया कि खून-खराबा होना ही है और माइनोरिटीज का नाम लेना है और हिन्दुस्तान मुसलमानों को यह समझना है कि अपोजीशन के लोग आपके दुश्मन हैं, तो फिर समस्या का समाधान किस प्रकार है कि माइनोरिटीज के लोग मारे जा रहे हैं, हालांकि इलनोरिटीज में हिन्दुओं की मैजौरिटी है। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि इस एजिटेशन को मुसलमान चला रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ मुद्दों पर हमसे मुत्तफिक हो जायें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं। मुल्क की तरक्की हमारे पेशेंजर हैं। एजीटेटर लीडर ने कहा है कि सरकार के रवैये से यह ऐहसास होता है कि हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान की हुकूमत हुकूमत नहीं कर रही है, बल्कि बरतानिया की हुकूमत हुकूमत कर रही है।

हमारे कुछ साथियों ने कहा कि इलैक्शन का बायकांट क्यों किया? हम जानते थे। कि इलैक्शन होगा तो खून-खराबा होगा और इसके अन्दर हम शामिल नहीं होना चाहते हैं और हम यह दिखा देना चाहते हैं कि हम इस खून-खराबे से बाहार हैं। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि उसने इलैक्शन कराया है, आप कहते हैं कि यूनैनिमिटी नहीं है। मैं पूछता हूं कि जब आप इलैक्शन करवाते हैं। तो कितनी यूनैनिमिटी होती है।

नारायणपुर के कांड को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार को क्यों भंग कर दिया, उस वक्त आपकी यूनैनिमिटी कहां गई थी । आप यूनैनिमिटी उस वक्त चाहते हैं, आपने कह दिया कि गलत है । नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के वक्त भी यूनैनिमिटी नहीं थी। बहुत से जो आप लेबर के कानून बना रहे हैं, उसमें यूनैनिमिटी नहीं है । लेकिन उस पर भी आप गौर नहीं करते हैं । आपको मुसलमानों जब याद आता है, जब आपको मुसलमान का वोट चाहिए । आपको हरिजन तब याद आता है, जब आपको हरिजन का वोट चाहिए । आपको हर काम उस वक्त याद आती है, जब आपको उस काम का वोट चाहिए । उत्तर प्रदेश के अन्दर कास्टवार हो रही है ब्राह्मण राजपूत को मार रहा है और और राजपूत ब्राह्मण को मार रहा । मुसलमान हरिजन को मार रहा है और हरिजन मुसलमान को मार रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस तरह से देश को किधर ले जाना चाहते हैं ? इसलिए मैं आप से दरख्वास्त कर रहा था कि जैसे दो सवाल मैंने पहले आपके सामने रखे हैं, उनको सामने रखते हुए और हिन्दुस्तान के नक्से को सामने रखते हुए, आप देखिए कि आप हिन्दुस्तान के किस किस पोरशन को काट देना चाहते हैं। आप यह समझ लीजिए कि आप बहुत खतारनाक मोड़ पर खड़े हैं और हिन्दुस्तान के अन्दर कोई भी गलत बात होती है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी, उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी ।

श्री भेरावदन के० गधावी (*वनासकांठा*) : उपाध्यक्ष महोदय, हम देश के पूर्वोत्तर भाग में पैदा हुई स्थिति पर दुःखी मन से यहां विचार-डिमर्श कर रहे हैं । वह बड़े हम सबके लिए दुःख की बात है कि देश के उस भाग में जिससे पूरे देश को आश की किरण मिली थीं वहीं अब खून बह रहा है और वह भी उन लोगों का जोकि बिल्कुल निर्दोष हैं जिनका कि कोई भी राजनैतिक उद्देश्य नहीं है और जिन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है । उनका कत्ल किया गया है । उनका जन-संहार किया गया है। यह अच्छा ही है कि जब हम इस पहलू पर चर्चा कर रहे हैं तो अभूत-पूर्व तरीके से सादा सदन और सरकार भी अपनी जिम्मेवारी को अच्छी प्रकार से समझती है । अध्यक्ष की ओर से हमने मृत लोगों के प्रति संवेदना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और हम प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं । आज सदन ने यह अनोखी बात की है और इसको ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रकार इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए ? हमारे कारण तर्कशील हो सकते हैं, हमारे भाषण निपुण हो सकते हैं पर क्या हमें एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप लगाना चाहिए और कटुता दिखानी चाहिए, जिससे कि हम अपने बचाव के लिए भाषण कर सकें ? क्या आज हम सबके लिए इतना ही काफी होगा ? और क्या हम इससे ही संतोष कर लेंगे कि हमारा कर्त्तव्य पूरा हो गया है ।

श्रीमान्, मैं गुजरात से आया हूं और हम जानते हैं कि काफी दूर गुजरात से टक्कर बादा जैसे लोग असम के भीतरी हिस्सों और जनजातीय लोगों के साथ जब हमारे देश के ऐसे भाग में खून खराब हो रहा है। जबकि एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा है, जबकि औरतों को कत्ल किया जा रहा है, जब बच्चों को बाहर फैंका जा रहा है तो, क्या विपक्ष के लिए केवल इतना कहना काफी होगा कि सरकार ने यह कार्य नहीं किया या सरकार वह कार्य विशेष करने में असमर्थ रही है ? क्या हमारा यह कहना सही होगा कि यह एक राजनैतिक चाल है ? क्या यह काफी होगा ?

मेरे विचार से ऐसा नहीं है। क्योंकि कल में 'गांधी' नामक फिल्म देख रहा था, जिसमें एक दृश्य था कि कलकत्ता के जिस दंगों को हजारों की संख्या में नहीं दबा सकी उसे एक दुबले-पतले व्यक्ति ने उपवास रखकर दबा दिया। जो कि एक आश्चर्य था। हम सब महात्मा गांधी के अनुयायी होने दवा करते हैं। सारा राष्ट्र कहता है। हम गांधी जी के दिखाये हुये रास्ते पर चल रहे हैं। तो क्या हमें हिंसा पर चलना चाहिए यह कोई भी दल हो कोई भी जाति हो, देश के किसी भी भाग में युवा वर्ग हिंसा पर उतारू हो सकता है। क्या हमें हिंसा से दूर नहीं रहना चाहिए। क्या हमें हिंसा की निन्दा नहीं करनी चाहिए ? असम में क्या हो रहा है ? चुनाव घोषणा के बाद ही असस में हिंसक गतिविधयाँ शुरू नहीं हुई हैं। चुनाव घोषणा से पूर्व भी 150 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। उन लोगों की ही नहीं जो कि या तो विदेशियों के मामले यार किसी और मामले के विरुद्ध थे उन लोगों की भी जो शीर्षस्थ तकनीकी व्यक्ति तथा शीर्षस्थ अधिकारी थे उनको उनके दफ्तरों में ही बम्ब से उड़ा दिया गया। उस समय जबकि चुनावों के बारे में सोचा तक नहीं था। यहाँ तक कि चुनावों की घोषणा तक नहीं की गई थी, उससे पहले ही 150 जानें ली जा चुकी थी क्या हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं क्या श्रीमती गाँधी को छोड़कर अन्य नेताओं ने जो देश का नेता होने का दाबा करते हैं इस हिंसा की निन्दा की है।

क्या अपने लोगों को इसका दमन करने के लिए कहा था ? आसू के लोग तथा विद्यार्थी असम के प्रश्न को लेकर आन्दोलन चला रहे हैं ? आपका योगदान क्या है ? आप बार्तायें करते हैं। यह एक विडम्बना है कि जो लोग प्रजातन्त्र और चुनाव में विश्वास नहीं रखते वे सी० पी० एम० की तरह चुनाव का सरर्थन कर रहे हैं यह भी एक विडम्बना त कि जो लोग गांधीवाद प्रजातन्त्र आदि आदि का समर्थन करते हैं वे कहते हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिये। वे कुछ ऐसे बहाने बना रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र होने चाहिये और अभी चुनाव नहीं होने चाहिये।

जब हम यहां आये तो हमनें शपथ ली थी। मैं पहली बार लोक सभा में आया हूं। पहला काम हमने यह शपथ ग्रहथ करने का किया कि हम संविधान का फलन करेंगे तथा इस देश की प्रभुसत्ता तथा एकता को कायम रखेंगे। क्या हम अपनी शपथ को इतनी जल्दी भूल गये ? संविधान के अन्तर्गत क्या समाधान है ? प्रो० मधु दण्डवते एक सुविज्ञ व्यक्ति हैं और वैसे ही श्री वाजपेयी भी हैं। लेकिन मुझे सामने बैठे मित्रों के भाषणों से डर लगता है·····

प्रो० मधु दण्डवते : इस सभा में कोई भी महानुभाव नहीं हैं। वे माननीय सदस्य हैं।

श्री भेरावदन के० गधावी : आप एक माननीय सदस्य भी हैं और एक महानुभाव भी हैं।

मैं कोई भी भाषण न सुन सका **(व्यवधान)** मैं अनुभवहीन तथा एक छोटा आदमी हूं मैं वह भाषण न सुन सका जो हम आपसे सुनना चाहते थे। बात जो दिल से निकलती हैं, असर ख्याल हैं। यह एक विशात्र का प्रेम है। ये मगरमच्छ के आँसू हैं जिन्हें फैंकने की आप हमेशा कोशिश करते हैं।

वाजपेयी जी मैं जानता हूं कि आपकी वाकपटुता सराहनीय है। मैं यह भी जानता हूं कि आप कुछ समय के लिये लोगों को बहुत आसानी से गुमराह भी कर सकते हैं लेकिन इस सभा अथवा देश के अन्दर मेरे जैसे कुछ अनुभवहीन व्यक्तियों को छोड़कर जो लोग सचमुच देशभक्ति, देश की एकता आदि के बारे में सोचते हैं उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण आपको अभी-अभी दिल्ली से मिला है और इस बात से मिला है कि आपने चुनाव का बहिष्कार किया है मैं इस बात को जानता हूं कि हम आन्ध्र तथा कर्नाटक में हारे हैं लेकिन आपको एक राष्ट्रीय दल के नाते कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और इसी कारण आपका विश्वास प्रजातन्त्रीत चुनावों से उठता जा रहा है और इसी कारण आप बहिष्कार कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद यदि देशभर में क्षेत्रवाद यथा प्राँतीयता की भावना जगायी प्रश्न इस प्रकार उठतें हैं जिससे देश की एकता को खतरा पैदा होता है, तो क्या इसका समाधान ढूंढना हमारा सामूहिक कर्त्तव्य नहीं है ? अन्यथा, हम नौजवान् पीढ़ियों के मनों में एक पश्चातपूर्ण भावना पैदा करेंगे। एक बार जब वे किसी खराब दिशा में गुमराह हो जाते हैं तो जैसे कि इतिहास कहता हैं, तो उन्हें पुनः सीधे रास्ते पर लाना कठिन हो जायेगा। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो क्या हम राष्ट्र को चाहते हैं अथवा क्या हम केवल विभिन्न राज्यों के बीच एकता चाहते हैं ?

यह बात बहुत ही दुभाग्य की है कि असम के लोग मारे जा रहे हैं। यह बात बहुत दुभाग्य की है कि चुनाव कराने के वातावरण इतना सुखद् नहीं था जितना कि होना चाहिये था। मैं लोक दल के लोगों की सराहना करता हू। यदि वे वास्तव में ही संविधान में संशोधन के लिये सहमत हो गये थे।

श्री रशीद मसूद : क्या आपको इस बारे में कोई संदेह है ?

श्री भेराव्दन के० गधावी : लेकिन आप एक विशेष अधिवेशन बुलाना चाहते थे और बात-चीत करना चाहते थे। विद्यार्थी यहाँ आ रहा है विद्यार्थी चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और चुनाव का बहिष्कार करके समर्थन दे रहे हैं तो किसकी स्पष्टगांठ से ऐसा हो रहा है ? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि वे भारत से बाहर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन एक छोटी सरिता भी आगे बढ़तें बढ़ते अन्ततः गंगा बन जाती हैं इसी प्रकार यदि किसी चोटी सी पृथकवादी प्रवृत्ति को न रोका जाये और विपक्ष इसका समर्थन करता रहे तो और अनुमान लगा सकते हैं कि देश के लिए इसके कैसे परिणाम निकलेंगे ? काँग्रेस के लिये यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या यह राज करती है या नहीं। हमेशा सत्ता प्राप्ति के लिये प्रयत्न करते रहना काँग्रेस की परम्परा नहीं रही है लोगों ने ही इसे सत्ता दी है। लोगों ने एक बार सत्ता वापिस भी ली थी। कांग्रेस जन हमेशा सत्ता के पीछे नहीं पड़े रहते। ऐसा न समझें आप हमारा इतिहास पढ़ें लेकिन विपक्ष हमेशा 'तुरन्त लाभ' की तलाश में रहता है। मेरे विचार में देश की समस्याओं का उस समय तक हल नहीं हो सकता जब तक हम 'तुरन्त लाभ' की बात को तिलांजल न दें। आपकी इच्छा आज क्या है ?

यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है विदेशियों का प्रश्न। उनकी मांग क्या है ? 1961 आधार वर्ष होना चाहिये। 1961 के बाद असम में कितने चुनाव हुये हैं ? क्या आसू के सभी लोग कल पैदा

हुये थे ? तीन चुनाव हुये जिनमें से एक 1978 में हुआ था। लोक सभा चुनाव हुये विधान सभा चुनाव हुये। आपके शासनकाल में ये प्रश्न क्यों नहीं उठाये गये ? जब विदेशियों का मामला विवादग्रस्त था, तो क्या आपने इसके बारे में कोई छानबीन की थी ? क्या आपने इसे हल करने की कोशिश की थी ? अब आप इस प्रकार को दोषी ठहराते हैं। इस सरकार ने पेशकश की थी कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मतदाताओं सूची का सत्यापन तथा इसकी छानबीन करने के लिये 126 न्यायाधिकरण होने चाहिये। इस सरकार से यह पेशकश भी की थी कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मतदाताओं सूची का सत्यापन तथा इसकी छानबीन करने के लिये 129 न्यायाधिकरण होने चाहिये। इस सरकार ने यह पेशकश भी की थी कि हम अपने सामने बैठकर बात करने तथा हल ढूंढ़ने के लिये आ रहे हैं। लेकिन आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे मामलों में यदि विपदा की ओर से स्वाभाविक प्रतिक्रिया न हो तो क्या सरकार ऐसी समस्याओं को हल कर सकती है ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आपका तात्पर्य यह है कि विपक्ष आपको सहयोग नहीं दे रहा है।

श्री भेरावदन० के गधावी : असहयोग हीं नहीं कर रहे बल्कि लोगों को लड़का भी रहे हैं। अतः चुनाव की घोषणा के बाद ही आप इसका विश्लेषण करते हैं। चुनाव अभियान इतनी शांति से नहीं चल रहा था जितनी कि आश थी लेकिन स्थिति उस समय बिगड़ी जब माननीय नेता राज्य के सूर दराज क्षेत्रों में गये। आज दुर्भाग्यवश, यदि भारत विघठित हो रहा है तो इसका कारण यही होगा कि हम गरीबी की समस्या ह ल नहीं कर सकते आज हमने इन लोगों के समर्थन देकर क्या किया ? छः सौ पुल नष्ट किये जत चुके हैं। आप असम का विकास जिसके लिये आप बचनबद्ध हैं। कैसे कर रहे है ? क्या आपको ये गतिबिधिया बंद नहीं करनी चाहिये और उनकी निंदा नहीं करनी चाहिये ? यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या हम यह दाबा कर सकते हैं कि हम सचमुच इस देश की भलायी में रुचि रखते हैं ? यदि यही रवैया है तो संसद और हमारा यहां आकर लम्बी चौड़ी बातें करना निष्फल हीं होगा।

अतः मैं सरकार को इस बात की बधायी देना चाहता हूं कि वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों का फलन करने के लिये इसने अटल और दृढ़ निश्चिय के साथ संविधान के उस खोखलेपन को रोकने का काम किया जिसे कुछ लोग दुनिया को यह दिखाने के लिये पैदा करना चाहते थे कि भारत एक ऐसा देश है जो देश के एक भाग में चुनाव कराने में भी असमर्थ है। भारत उस दृष्टि-कोण से राजनैतिक खोखलेपन को दूर करना चाहता है।

मैं नहीं जानता कि नई सरकार कैसी होगी। हो सकता है कि नई सरकार प्रशासन न चला सके। उस मामले में एक भिन्न बात सामने आयेगी। लेकिन इससे निश्चिय ही उन लोगों को सबक मिलेगा। जो शस्त्रों का प्रयोग करके अल्पसंख्यकों को मारने में विश्वास रखते हैं।

हम जानते हैं कि कुछ लोगों ने अपने आप में शस्त्र ले रखे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि असम के लोग इसका समर्थन करते हैं। असम में 10 जिले हैं। तीन जिलों में दंगे हैं और सिबर-

फगर जिले के कुछ भाग में भी हैं। 60 से 70 प्रतिशत तक मतदान हुआ है। इन लोगों ने सोचा कि यदि इस प्रक्रिया को चलते रहना है तो उनका सारा मामला निष्फल सिद्ध हो जायेगा। अतः दूसरे और तीसरे चरण में इन लोगों ने चाहा कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान न दें और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन लोगों ने स्थिति को अधिक खराब किया। इसी कारण ऐसा कुछ हुआ।

अब जो होना था, वह हो चुका है। इससे पहले दूसरी सभा में, हरिजनों पर अत्याचारों के मामले में, समूचे सदन ने सहमत होकर प्रस्ताव किया था। यह उससे भी अधिक गम्भीर प्रश्न है क्योंकि हमें विपरीत परिस्थितियों वाले इस देश की एकता को बचाये रखना है और उसके लिए एक छोटे आदमी तरह मैं आपसे कहता हूं कि आप इसकी छानबीन करें और अपने मन को टटोलें और देखें कि क्या आपका योगदान उचित है और यदि नहीं तो आवश्यक हो तो इसका संशोधन करें। भगवान के लिए इसका संशोधन करें ताकि दर्दनाक वातावरण। को हमेशा हमेशा के लिए देश से हटाया जा सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बरफीरहाट) उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इन दर्दनाक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्रति कुछ ईमानदार होना चाहिए। घटना के बाद समझदार होना आसान होता है। लेकिन मुझे कहना चाहिए कि पिछले नवम्बर में इस प्रश्न को ऐसी चर्चा के लिए उठाया गया कि क्या कोई ऐसा संवैधानिक संशोधन किया जाना चाहिए जिसके द्वारा असम में राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सके अथवा हमें चुनाव कराने चाहिए। उस समय जब मैं सभी दलों ने भाग लिया था तो क्या वे आसानी से कह सकते हैं कि उस समय चुनाव के लिए उनका विरोध और संवैधानिक संशोधन के लिए उनका समर्थन इस कारण था कि उनका दृष्टिकोण इतना स्पष्ट था कि वे जानते थे कि यदि चुनाव चार महीनों के बाद कराए जाएं तो इस प्रकार की जनहत्याएं तथा नर संहार होगा ?

इस तर्क को उस समय किसी ने भी सामने नहीं लाया। मेरे मित्रों ने केवल यही तर्क दिया कि वार्ताएं कुछ और समय तक चलायी जानी चाहिए ताकि मतभेद कम हो सकें और हल निकल सके और उसी कारण हमें राष्ट्रपति शासन बढ़ाकर वार्ताएं और जारी रखनी चाहिए। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि और न ही मैंने, सरकार तथा लोगों ने दावा किया था जो अब कर रहे हैं। निस्संदेह घटना के बाद बुद्धिमान होना आसान होता है और यह कहना भी हमेशा आसान है कि चुनाव के कारण ही ये अभूतपूर्व घटनाएं हुई हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने प्रधान मन्त्री से कहा था कि इसके फलस्वरूप असंख्य मौतें होंगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को मैं बाद में लूंगा।

जब चुनावों की घोषणा की गई, यदि उसके बाद सभी विपक्षी दल सहमत होकर यह घोषणा कर देते कि इस चुनाव में भाग लेंगे और कांग्रेस (आई) को हराने की कोशिश करेंगे मुझे

विश्वास है कि व्यापक स्तर पर दंगे तथा मारकाट कभी भी नहीं हुई होती। कुछ दलों द्वारा आन्दोलनकारियों की ओर से चुनावों का खुले आम बहिष्कार करने के कारण दंगों ने व्यापक रूप धारण कर लिया।

खैर कुछ भी हो, मैं उस सम्बन्ध में नहीं जाना चाहता हूं सरकार द्वारा पहले यह प्रस्ताव रखा गया था कि क्यों न संविधान में संशोधन करने पर विचार किया जाए।

प्रारम्भ में ही भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) तथा भारतीय साम्यवादी दल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और हम इसका अभी भी विरोध करते हैं। जो कुछ हुआ है उसके बावजूद, हम इसका विरोध करते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस विषय को अस्पष्ट ही छोड़ दिया जाए।

इस प्रश्न पर, मैं इन लोगों के विचारों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि दल दिन रात यह दावा कर रहे हैं कि वे इस सरकार के अधिनायकवाद के खिलाफ लड़ने में अग्रणी हैं। ये लोग हमेशा यह दावा करते हैं कि श्रीमती गांधी के अधिनायकवाद के खिलाफ देश में लड़ने वाले तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने वाले केवल वे ही लोग हैं। संवधान में संशोधन करने के लिए ये दल श्रीमती गांधी को पूरी तरह से समर्थन देने को तैयार थे, ताकि सम में राष्ट्रपति शासन को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सके। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता हूं। वे अपने हित तथा अहित को देखकर बदलते रहते हैं।

हम सैद्धान्तिक रूह से इसका विरोध करते हैं क्योंकि संविधान संसद का एक अधिनियम मात्र नहीं है। यह एक भौतिक दस्तावेज है, हमारे सम्पूर्ण राजनैतिक ढांचे का एक मौलिक दस्तावेज संविधान के अनुच्छेद 356 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस प्रकार की उद्घोषणा की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात केवल दो परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

पहली यह है कि आपात काल लागू हो लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है।

दूसरी यह है कि चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि सम्बन्धित राज्य के विधान सभा के आम चुनावों को कराने में कठिनाइयां होने के कारण राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाना आवश्यक है।

ये ही केवल दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको सामान्यतः सारे देश में लागू किया जाता है।

अब सरकार अपनी बुद्धिमत्ता दिखाकर यह प्रस्ताव कर रही है और ये लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि केवल असम के मामले में एक अन्य खण्ड। उपलब्ध जोड़ दिया जाए ताकि वहां राष्ट्रपति शासन को और एक वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति मिल सके। मैं यह नहीं जानता कि संविधान में इस प्रकार का संशोधन करने से यह मुझे पूर्णतः असंगता और हास्यास्पद लगेगा अथवा नहीं।

बड़े-बड़े संवैधानिक विद्वान लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं उनमें से नहीं हूं।

यदि यह असंगत भी नहीं है तो भी हमने इसका विरोध किया था क्योंकि श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक में हमने यह स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ऐसा करने से भविष्य के लिए एक अलौकिक खतरनाक उदाहरण आयोग और इससे किसी भी राज्य के लोग बन उत्साहित होकर चुनाव न होने देने के लिए इस प्रकार का हिंसात्मक आन्दोलन कर सकते हैं। यह उनके लिए एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण बन जाएगा।

इसी कारण से यह नहीं चाहते कि इस प्रकार की शक्तियां सरकार को दी जाएं क्योंकि आज वे यह कहते हैं कि इसको केवल असम के मामले में ही लागू किया जाएगा किन्तु कल वे इसका उपयोग किसी अन्य ऐसे राज्य के मामले में भी कर सकते हैं, जहां वे चुनाव करना उपयुक्त न समझें।

हमने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रश्न मूल संवैधायिक सिद्धान्त के हैं। राष्ट्रपति शासन के सम्बन्ध में संविधान में जो उपलब्ध है, हम उसको संविधान का सबसे अत्यधिक अलोकतान्त्रिक भाग समझते हैं। हम असम के लोगों पर और आगे राष्ट्रपति शासन बोलने के लिए किसी संशोधन का समर्थन करने को तैयार नहीं हैं।

अतः चुनाव ही इसका विकल्प था। इसलिए दोनों ही ओर के पक्षों ने मेरी बात को उद्धृत किया है। आज सुबह तक वे शैतान का उद्धरण देते रहे हैं। अब इस शैतान को दूरदर्शन पर आने दीजिए और एक बात कहने दीजिए। मैंने इसको पूर्णतः स्पष्ट रूप से कहा था मैं अब इसको दोबारा कहना चाहता हूं।

श्रीमती गांधी ने अपने चुनाव दौरों के दौरान ईमानदार नहीं रही हैं और अपने भाषणों में वह यह कहती रही हैं कि विपक्षी दलों ने उन्होंने सभी विपक्षी दलों को एक समान माना है और एक दूसरे के बीच कोई अन्तर नहीं रहने दिया है—इस संवैधानिक संशोधन का समर्थन कहने से इन्कार कर दिया है। यह सत्य नहीं है, और इसका जोरदार तरीके से खण्डन किया गया है।

इसका मेरे मित्रों द्वारा समर्थन किया गया है। सत्य बात यह है कि वे इस संशोधन का समर्थन करने के पक्ष में थे। मैं इस बात को देश के समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं कि वे लोग इसको प्रोत्साहित करने को तैयार थे। यह एक मामूली सी बात है कि उन्होंने यह कहा कि इसको अभी कराया जा सकता है अथवा नवम्बर के प्रारम्भ में कराया जा सकता है अथवा क्या इसको 15 दिन के पश्चात अथवा एक महीने के पश्चात कराया जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त समय था।

अध्यक्ष महोदय : जब श्रीमती गांधी ने यह कहा कि कुछ विपक्षी दलों द्वारा संविधान में संशोधन का विरोध किया गया था, तब उनका तात्पर्य आपके दल तथा भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स) से होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं नहीं । अपने सभी भाषणों में उन्होंने "कुछ विपक्षी दलों ने" नहीं कहा ।

कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए । इस संशोधन को पास करने के लिए उन्हें राज्य सभा में दो-तिहाई बहुमत चाहिए था ।

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : आपने इसको रोका ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं । इन सभी दलों के समर्थन से आपको दो-तिहाई बहुमत मिल जाता । यह आपका कर्त्तव्य है कि आप सदन को तथा राष्ट्र को यह बात स्पष्ट करें कि अपने उनके प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्योंकि वे लोकतांत्रिक हैं ।

श्री इन्दजीत गुप्त : क्योकि आपने कुछ और अनुमान लगाया था जिसका निःसंदेह आपको अधिकार प्राप्त है आप कोई भी अलग अनुमान लगा सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : वे राइफल की क्षमता में विश्वास करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन बातों के सम्बन्ध में जो तर्क लगाया 2 1/2 वर्षों से चल रहे थे और जिससे मैं पूर्णतः सम्बन्धित रहा हूं उसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं । वास्तव में वहां पर जो कुछ हुआ मैं उसको जानता हूं । सामान्यतः मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है । लेकिन कभी-कभी दोस्तों से मुझे भी यह छूत की बीमारी लग जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बावजूद कि आप कभी-कभी ही झूट बोलते है आप सदन में झूट नहीं बोल सकते ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दूरदर्शन बार्ता का जिक्र किया है, मैं उसमें झूठ नहीं बोल रहा था ।

मुद्दा यह है कि यदि यह बात सच है कि वार्तायें करने से यह अनुभव हुआ है कि आन्दोलन-कर्त्ताओं तथा दूसरे पक्ष के बीच मतभेदों में पर्याप्त कमी हुई है और इसके लिए यदि आवश्यक हो तो थोड़ा सा और अधिक समय दिया जा सकता है तो वो मैं इसे समझ सकता था । आखिर हमने ढाई वर्षों का समय किस उद्देश्य के लिए व्यतीत किया है ? हम किस प्रयाम में लगे रहे ? लेकिन मैं मुझे विश्वास है तथा वार्ता में सम्मिलित कोई व्यक्ति, जो ईमानदार है, वह भी आश्वस्त होगा कि जिस विषय पर चर्चा की गई थी उसमें हमको लेशमात्र प्रगति भी हासिल नहीं हुई है, और ऐसा आन्दोलन के नेताओं की हठ के कारण हुआ जो एक बात से कूदकर दूसरी पर जाते रहे और किसी भी बात पर सहमत नहीं हुए ।

आखिर यदि आप विदेशियों का पता लगाना चाहते हैं तो, जैसा कि श्री वाजपेयी जी ने ठीक ही कहा है, इसके लिए सबसे पहले विदेशी लोगों का पता लगाना होगा। पता लगाने के लिए किसी प्रक्रिया पर सहमत होना होगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि श्री वाजपेयी जी एक विदेशी हैं और वे यह कहें कि मैं एक विदेशी हूं और मामला यूं ही समाप्त हो जाये। किसी प्रक्रिया पर भली-भांति चर्चा भी नहीं की थी, आपको याद होगा—कि यह बात समाचार-पत्रों में आई कि 126 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक में अपील करने के अधिकार आदि के साथ एक न्यायाधिकरण बनाने का सुझाव दिया गया था।

न्यायाधिकरण के गठन के विशाद प्रश्न पर यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक न्यायाधिकरण में दो सलाहकार होने चाहिए। उनमें से एक एक सलाहकार ए० ए० एस० यू० तथा ए० ए० जी० ए० पी० की ओर से होगा और दूसरा सलाहकार दूसरे वर्गों का प्रतिनिधित्व करेगा।

लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया और कहा—'कि किसी भी अन्य सलाहकार को अनुमति नहीं दी जायेगी। केवल हमारा ही सलाहकार होगा। न्यायाधिकरणों के समक्ष क्या प्रमाण प्रस्तुत किए किए जायें, किस प्रकार के दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाए तथा किस प्रकार के भूमि रिकार्डों तथा अन्य रिकार्डों को प्रस्तुत किया जाये इसके सम्बन्ध में कोई भी सहमति कभी भी नहीं हुई।

अन्त में उन्होंने यह कहा कि "हम इन सब बातों को नहीं जानते हैं, कोई भी व्यक्ति जो नागरिकता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेगा, भारतीय नागरिकता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेगा, उसको रहने की अनुमति दी जायेगी, और जो व्यक्ति भारतीय नागरिकता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, उसको विदेशी समझा जायेगा और उसको बाहर निकाल दिया जायेगा।' ऐसी बात है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैठक में किसी व्यक्ति ने यह पूछा था कि पंजाब से जो हिन्दू तथा सिख शरणार्थी के रूप में आये हैं, उनमें से कितने व्यक्तियों को नागरिकता के प्रमाण पत्र दिये गए हैं ?'

आपको इन परिस्थितियों, वातावरण तथा हालात पर विचार करना चहिए जिनमें वे वहां से यहां आए। 1964 में पश्चिमी पाकिस्तान में गम्भीर साम्प्रदायिक दगे हुए। 1965 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस समय बहुत अधिक संख्या में शरणार्थी अपनी सम्पत्ति तथा घरों को छोड़कर आये। उनमें से अधिकतर साधारण ग्रामीण व्यक्ति थे, अशिक्षित व्यक्ति थे, जो कानून की पेचीदगियों को नहीं जानते। मैं यह नहीं जानता कि इस सदन में से कितने यह बता सकते हैं : यदि हम इस देश में नागरिकता का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो क्या हम उसके लिए योग्य हैं भी अथवा नहीं। क्या आप इस सम्बन्ध में कानूनी उपबन्ध के बारे में बता सकते हैं ?

चर्चा करने से पूर्व तथा भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 5 तथा 6 के उपबंधों

को देखने से पूर्व मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। अतः इन बातों के बारे साधारणतः लोगों जानकारी नहीं है। वे इनमें से किसी भी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।

श्री रवीन्द्र वर्मा मेरे एक अच्छे मित्र हैं यद्यपि राजनैतिक दृष्टिकोण से हम अलग-अलग हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि इन लड़कों के साथ किसी एक समझौते पर पहुंचने के लिए उन्होंने बड़ी लगन से काम किया, कठिन परिश्रम किया, तथा कोशिशें की और उन मानवीय मन्त्रियों ने भी जो इस बातचीत के दौरान उपस्थित थे श्री रवीन्द्र वर्मा को प्रोत्साहित किया तथा उनका समर्थन किया और यह कहा कि उन्हें उनके साथ पृथक् रूप से भी बातचीत करनी चाहिए। वास्तव में, अन्तिम वार्ताओं के कुछ दौरों हमसे शेष लोग वहां पर उपस्थित नहीं थे और हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा था।

यह आन्दोलनकर्ताओं और श्री वर्मा के मध्य और उसके बाद आन्दोलनकर्ताओं श्री वर्मा और मन्त्रियों के बीच पर्दे के पीछे हुई व्यक्तिगत बातचीत का प्रश्न था। यहां तक कि श्री वाजपेयी जी की पार्टी के श्री जसवन्त सिंह जी भी एक-दो बार बुड़बुड़ा रहे थे "हम यहां क्या कर रहे हैं? हर दो या तीन घण्टे के बाद हमें काफी या चाय का एक कप मिल जाता है और हमें यह पता नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है।" अतः श्री रवीन्द्र वर्मा को विशेष दर्जा दिया गया था। मैं उनकी बात से तो इन्कार नहीं करता हूं क्योंकि लड़कों का उनके प्रति विशेष सम्मान था।

हमने सोचा था कि शायद वह उनको समझा सकें। केवल पता लगाने के उद्देश्य से ही उन्होंने वैकल्पिक प्रारूप और वैकल्पिक सूत्र तैयार किए। उन्होंने कोई भी बात नहीं मानी और अन्ततः श्री रवीन्द्र वर्मा ने मुझसे मुझसे कहा—मुझे आशा है कि वह मेरी बात का खण्डन नहीं करेंगे और मैं यह कहना भी नहीं चाहता क्योंकि वह यहां पर उपस्थित नहीं हैं—'इन्द्रजीत, मैं इस सारे मामले अलग हो रहा हूं, क्योंकि वे मेरे किसी सुझाव से सहमत नही हैं।" अतः यह किसकी गलती है? एक बैठक में तो वे असम के एक भूतपूर्व पुलिस उपमहानिरीक्षक को अपने प्रतिनिधि के रूप में ले आए, जो कि बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और जिन्होंने उपमहानिरीक्षक के रूप रूप में सेवाकाल के दौरान इस आन्दोलन को सक्रिय समर्थन, सहायता और प्रोत्साहन प्रदान किया था।

भारत सरकार ने उसे उप-महानिरीक्षक के पद से च्युत करके एक वर्ष तक असम से बाहर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन कैद करके रखा। मैं नहीं जानता कि सही किया भला या गलत परन्तु मेरे विचार से उसके विचार से उसके बारे में कुछ बातें मालूम हुई थीं। जब उसे छोड़ दिया गया तो उन्होंने उसे बैठक में अपना प्रवक्ता बनाकर पेश किया और मुझे याद है कि पहली बैठक में श्री हीरामणि भट्टाचार्य ने गृहमन्त्री से कहा था कि गृह मन्त्री महोदय मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, "हम इनमें से किसी भी व्यक्ति को असम में रहने नहीं देंगे।" मैं उनकी बात को शब्दशः कह रहा हूं। उन्होंने जब ऐसा कहा तो मैं उनके शब्दों को जिस ढंग से उन्होंने कहे उन्हें मैं भुला नहीं सका, "हम उनमें से एक भी व्यक्ति को असम में रहने की अनुमति नहीं देंगे।" दो बैठकों के बाद वह फिर नहीं आए, कारण मैं नहीं जानता।

मेरे विचार से एक और सज्जन, जो कि उनकी और से वातचीत करने के लिए सर्वाधिक सक्षम श्री निवरण बोरा के जो संग्राम परिषद के भी जाने-माने व्यक्ति थे जिन्हें तथ्यों और आंकड़ों का वास्तव में ही पता था और वह दस्तावेजों, पुस्तकों तथा सन्दर्भ सामग्री आदि से सभी प्रकार से तैयार होकर आए थे। वह एक बहुत ही ठंड़े दिमाग से बातचीत करने वाले कवि थे। और वह उन के प्रमुख प्रवक्ता बन कर आए थे। परन्तु अचानक ही इन सब बातों के बीच हमने पाया कि या तो वे उससे अलग हो गए या वह उनसे अलग हो गया।

इतना मुझे पता नहीं। उन्होंने खुले आम दोष रोपण करते हुए एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया—यह मैं नहीं जानता कि यह सत्य है या नहीं—कि उन्हें विदेशी स्रोतों से धन मिल रहा है आन्दोलनकर्त्ताओं को इतना तो मैं नहीं जानता कि उन्हें मिल रहा है या इन्हें मिल रहा है परन्तु किसी न किसी को तो मिल आवश्यक रहा है। कुछ भी हो उन्होंने उन पर देश रोपण करते हुए उनसे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। अतः, इस प्रकार की बातें हो रही।

मैं अब एक बात के लिए सरकार को दोषी ठहराता हूं। इसमें सन्देह नहीं कि वे बड़े ही शान्त थे परन्तु उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। असम की जनता सभी वर्गों के नाम पर बोलने का एकमात्र अधिकार देते हुए इन लोगों को आमन्त्रित करना उस भयानक आग में घी डालने जैसा काम है। उन्हें इस एकाधिकार का ठेका किसने दिया? बैठकों के बीच-बीच में उठने पर मैंने कई बार श्री वेंकटरामन को आन्दोलनों को सुझाव दिया था—पहले वही प्रभारी "यह ठीक है आप इन लोगों से बात कीजिए परन्तु असम में और लोग भी तो हैं। उनके भी अपने संगठन हैं। उन्हें वार्ता के लिए क्यों नहीं आमन्त्रित किया जा रहा है? उनकी बात भी सुनिए।"असम में अन्य लोग भी काफी संख्या में है। असम प्लेन्स ट्राइवल्स काउन्सिल को ही लीजिए इसे इस तरह आसानी से समाप्त करने की बात नहीं। वे 20 लाख आदिवासी लोगों का प्रतिनिधित्व करते है। उन्हें वार्ता के लिए कभी आमन्त्रित नहीं किया गया। 2 1/2 वर्ष से ये लोग देखते चले आ रहे हैं। केवल अखिल असम क्षात्र संघ और गण संग्राम परिषद को ही और असम का एकमात्र प्रवक्ता होने का दर्जा दिया गया है। मेरे विचार में सरकार ने यह बहुत ही बुरी बात की है। अब जो बहुत सी मुसीबतें सिर उठा रही हैं उनके जड़े उसी में हैं.....

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : आपको भली भांति पता है कि हमने अन्य बहुसंख्यक ग्रुपों से भी सलाह-मशबिरा किया है; सरकार ने उनसे सलाह की है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां देश और जनता का प्रश्न है हम नहीं जानते कि आप निजी रूप क्या कर रहे हैं। मुझे बताया गया था। कि उन्हें मार्ग से हटकर ही बुलाया गया था। किसी ने उनसे निजी तौर पर गुप्त रूप से बातचीत की थी। क्या आपको उनसे बात करने में शर्म आती है? क्या वे मनुष्य नहीं है। कोई भी दर्जा नहीं दिया गया। फिर मैं एक और बात और कहना चाहूंगा कि अचानक ही इन आन्दोलनकर्ताओं ने अभियान चलाना आरम्भ कर दिया था। फिर इन तथा

कथित विदेशियों की संख्या जो कि असम में घुस आए हैं और असमियों के आलोप के लिए खतरा बन रहे हैं, 40 लाख, 50 लाख, 60 है। वे कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि कोई भी इसे सिद्ध नहीं कर सकता है। बैठक में जब 1961-71 के प्रश्न पर विचार किया गया तो सरकार ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए और आन्दोलन-कर्त्ताओं के वे आंकाड़े स्वीकार्य थे। उन्होंने उन आंकड़ों को कभी चुनौति नहीं दी। सरकार के आंकड़े के अनुसार 1961-71 के मध्य जो लोग असम में घुसे थे उनकी कुल संख्या 9.67 लाख थी जिनमें से केवल 37,000 लोग ही मुस्लिम थे, उनमें से मुट्ठीभर लोग बौद्ध थे और उनमें से शेष हिन्दू हैं और वे 1964-65 में आए थे। स्पष्टतः कोई भी यह समझ सकता है कि उनमें से अधिकांस पूर्वी-पाकिस्तान से भागकर आने वाले शरणार्थी थे। मेरा केवल इतना कहना है कि 9.67 लाख की इस संख्या को चुनौती नहीं दी गई थी।

सरकार ने अचानक एक बात और यह की थी कि बैठक में हमसे सलाह मशबिरा किए बिना उन्होंने अचानक कह दिया कि सरकार समस्या के किसी हल पर पहुंचने की इच्छुक हैं और वे एक और अवसर प्रदान कर रहे हैं कि 1971 के बजाए सरकार 1965 का आधार वर्ष मानने के लिए तैयार है।

श्री नीरेन घोष (दमदम): मुझे आपको यह बता देना चाहिए कि मैंने सलाहकार समिति में यह प्रश्न श्री सेठी के समक्ष रखा था और उन्होंने यह अस्वीकार किया था कि लेकिन -

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने बैठक में विरोध प्रकट किया था । मेरा कहना था कि आपको 1971 को 1965 कर देने का अधिकार किसने दिया था ? इसका आश्चर्य क्या है ? जो लोग कल तक 1971 के अन्तर्गत वे सभी लोग जो 1965-71 के बीच घुस आए थे, सरकार की इच्छा से अचानक स्वयंमेव विदेशी समझ लिए गए हैं और इस देश से निकाले जाएगे। क्या लोग सामान और चल सम्पत्ति है जो उनको यहां-वहां भेजा जाए ? मेरे विचार से श्री सेठी के संकेत को आन्दोलनकर्त्ताओं ने यह अर्थ लगा लिया कि सरकार झुक रही है और यदि वे और अधिक कठोर रवैया अपनाएं तो सरकार और अधिक झुक जाएगी। मैं यह नहीं कहता हूं कि उन्होंने ऐसा समझ बूझ कर किया था। वे तो किसी निर्णय पर पहुंचने के इच्छुक थे। परन्तु खेल इसलिए खत्म हो गया क्योंकि वे कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थे।

उसके बाद चुनावों की घोषणा कर दी गई। सरकार को वह बहुत पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए था कि यदि बातचीत में कोई समझौता नहीं होता है तो या तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा—जिसके लिए कुछ दल समर्थन देने के इच्छुक थे—या उन्हें चुनाव कराने होंगे। यदि वे दोनों ही विकल्पों को ध्यान में रखते तो जहां तक चुनाव के लिए प्रशासनिक प्रबन्धों का सम्बन्ध है तो वे कहीं बहुत पहले आरम्भ कर दिए जाने चाहिए थे। उन्होंने मतदाता सूचियों को पहले से ही संशोधित क्यों नहीं किया ? उन्होंने जनवरी में चुनाव करने की घोषणा की और फिर उसके बाद करने को कुछ नहीं रह गया था फिर निःसन्देह मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने इस बात को पुष्टि की है कि साम्प्रदायिक झगड़ों के रूप में जो बड़े पैमाने पर हिसा हुई थी जिसमें कि बड़ी

संख्या में लोग उलझ गए थे वह 13 तारीख तक आरम्भ ही नहीं हुआ था। चुनावों से केवल दो दिन पहले ही चित्रपट पर यह दृश्य उभरकर आया था। मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि प्लेन ट्राइनल्स काउन्सिल के लोग...

श्री वाजपेयी ने अपने भाषण में कहा है कि ये आदिवासी मतदाता नहीं थे। मैं यह नहीं जानता हूं। यदि वे मतदाता नहीं हैं तो उन्हें मतदाता बनाया क्यों नहीं गया है? उन्हें मतदाता बनने से किसने रोका था ? मैं नहीं जानता। परन्तु मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि प्लेन ट्राइबल काउन्सिल ने लोक सभा की दो सीटों और विधान सभा की बीस सीटों के लिए नामांकन पत्र भरे हैं। उनके मतदाता बने बगैर यह कैसे हो सकता है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह एक अटकलबाजी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न यह है कि यदि वे तीन वर्ष बाद आपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तो इस बड़ी सरकार ने उन्हें असमिया जनता के किसी भी वर्ग का प्रतिनिधित्व, मानते हुए उनकी बात क्यों नहीं सुनी। फिर उनको पता चला कि उन्होंने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं तो यह भयभीत करने वाला अभियान उन्हें मतदान करने से रोकने हेतु चलाया जा रहा है। मैं इसे सही नहीं मानता हूं। कोई इसे न्यायोचित ठहरा भी कैसे सकता है ? क्या हो रहा है ? परन्तु आप इन आदिवासियों को जानते हैं—हर कोई उनके मनोविज्ञान से परिचित हैं—जिनकी अपनी धरती के अवैध कब्जे किए जाने सम्बन्धी अन्य अनेक शिकायतें हैं—और आप जानते हैं कि यह सब कुछ हो रहा है; यद्यपि अब यह कहना बहुत आसान है कि जो कुछ हमने नक्शा में समझा था वह यह था कि आप चुनाव कराते हैं तो यही होगा। मैं नहीं जानता कि किसने यह भविष्यवाणी की थी, उसे पता था कि अखिल असम छात्र संघ और असम गण संग्राम परिषद इसका विरोध करेंगे। समस्या इस प्रकार की थी। जिसका कि सामना किया जाना था। श्री वाजपेयी ने अपनी सभा पर पाबंदी की बात की थी। सरकार द्वारा या वहां के अधिकारियों द्वारा उनकी सभाओं पर या बन्दी लगाने पर कुछ खेद है। परन्तु आन्दोलनकारियों द्वारा अन्य लोगों की सभाओं पर पाबन्दी के बारे में आपको क्या कहना है ? मैं शिवसागर में था।

हमारे प्रत्याशी श्री परमई भोगई ने पिछले तीन चुनावों में लगातार यह सीट जीती है। मैं वहां चुनाव प्रचार के लिए गया था। हम बेगबारी नामक स्थान में बैठक करने के लिए गया था। वहां सड़क काट दी थी। गांव को जाने वाली सड़क इस तरह से काट दी गई थी कि वहां से कोई भी वाहन नहीं, निकल सकता था। और उस क्षेत्र में कर्फ्यू लागू था या और भी जो कुछ बात थी इसकी मैं घोषणा इस क्षेत्र में कर दी गई थी और हर कोई बाहर आने में डर रहा था। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक व्यक्ति डर के कारण भीतर रुका हुआ था, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों का आन्दोलन के पक्ष में हैं और वे असम के लोगों के साथ-साथ वे भी आदोलन का समर्थन कर रहे हैं। हमें इसे कम महत्व नही देना चाहिए कम महत्व देना गलत होगा

लेकिन भय भी एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी आदमी बाहर आना नहीं चाहता और अपनी एक आंख या टांग अथवा बाजू तुड़वाना नहीं चाहता। यह आम आदमी की मनोकामना नहीं हो लेकिन जो लोग हिन्दी राजनैतिक दलों अथवा विचारधाराओं से बंधे हुए हैं, वे खतरा मोल ले सकते हैं, लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। अतः इस कम मतदान आदि का यह अर्थ निकाला कि इससे यह प्रकट होता है कि बहिष्कार अथवा असहयोग किया गया बिल्कुल गलत है। लोग आतंकित हैं। गोहाटी में, जहां मैंने रात बिताई, पहली रात के बाद मैंने सर्किट हाउस में रहने से मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं रात्रि को दल के कार्यालय में ठहरूंगा और दल का कार्यालय बहुत ही खुले स्थान में था। और इस शाम उन्होंने घोषणा की थी कि रात को 8 बजे के बाद वहां पूर्णतः ब्लैक-आऊट हो जाना चाहिए कोई भी व्यक्ति कहीं बत्ती नहीं जलाए। निश्चय ही हम इस तरह की धमकी के आगे नहीं झुके परन्तु फिर भी पूरा क्षेत्र घोर अंधकार में डूबा हुआ था। केवल अपने दल के कार्यालय में ही हमने बत्तियों जलाए रखी और वहीं बैठे रहे। मैं नहीं जानता था क्या होने जा रहा था, कोई बम फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या किया जाए। लेकिन हमने बत्तियां जलाए रखीं। कुछ भी नहीं हुआ। यदि अन्य लोग, तीस-चालीस या साठ घरों के लोग बत्तियां जलाए रखते तो मैं नहीं जानता कि क्या घटना घटनी। कुछ भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। लेकिन वहां डर और संग्राम का ऐसा वातावरण बना हुआ था कि किसी ने भी कुछ करने का साहस नहीं किया क्योंकि वे समझते थे कि बम गिर सकता है अथवा कुछ और हो सकता है।

मैं अपने उन मित्रों की बात से सहमत हूं जिन्होंने यह कहा कि "आखिर प्रत्येक को मतदान करने का अथवा मनदान में भाग न लेने या मतदान का बहिष्कार करने का लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त है।" और निश्चय ही सरकार ने लोगों को उस समय से गिरफ्तार करके जब वे दिल्ली से वापिस आए थे, स्थिति को बिगाव दिया। अन्यथा वे चले गए होते और पूरे क्षेत्र में बैठक करके लोगों से यही कहते कि उन्हें इस चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, यह चुनाव और हैं, यह चुनाव इन-इन कारणों से अन्यायपूर्ण हैं—मतदान में भाग मत लो, इसका बहिष्कार करो और इनकी कलई खोलो। वे ऐसा कर सकते थे। उन्हें कौन रोकता ? वे शान्तिपूर्ण आन्दोलन कर सकते थे। वे सत्याग्रह या प्रदर्शन या आय जो चाहे कर सकते थे। लेकिन एक बार यह रास्ता अपनाने के बाद कि जो व्यक्ति मतदान करना चाहता है, उसे भयभीत किया जाए अमित्रस्त किया जाएगा डर पैदा किया जाए वे अपने मार्ग में विचलित हो गए। इसका अर्थ है उन्हें अपनी शक्ति पर इतना विश्वास नहीं था जिसका वे दावा करते थे। अन्यथा उन्होंने यह रास्ता नहीं अपनाया होता।

अब, जो हो गया सो हो गया। मैं दिमोह नामक एक अन्य स्थान पर गया। मैं वहां की कहानी बताना नहीं चाहता कि उन्होंने हमारी वहां हो रही बैठक को कैसे रोका। मेरी बैठक को रोकने वाले कौन होते हैं। अपनी वे बैठक बुलाकर जितना मन चाहे हम लोगों को गालियां दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वह यह है। मैं नहीं समझता कि यहां बैठे मेरे मित्र उनके द्वारा इस तरह लोगों को शारीरिक रूप से समस्त करने और सड़कें काटने का समर्थन करेंगे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : परन्तु जब आपका मजदूर सदा हड़ताल करता है तो आप दूसरों को काम पर जाने से रोकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे आश्चर्य है कि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं।

अब मैं सुरक्षा बल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ मित्रों ने कहा है कि इतनी सुरक्षा बल की इतनी बटालियनें वहां पर भेज दी गयीं। यह भी सत्य है कि मतदाताओं या इन साधारण व्यक्तियों की रक्षा करने में ये सुरक्षा कर्मचारी और प्रशासन पूर्ण रूप से अपर्याप्त साबित हुए। मैंने शिव सागर में एस० डी० ओ० और एस० जी० पी० ओ० से बात की। एस० डी० ओ० ने कहा था कि "मेरे अनुदेश केवल मतदान केन्द्रों की रक्षा करने के लिए हैं। प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए मैं छः सशस्त्र कार्मिक भेज रहा हूं"। इसका तात्पर्य है कि उन्होंने यह अनुमान लगा लिया होगा कि अगले दिन जितने मतदान केन्द्रों पर उन्हें आदमी लगाने हैं उनके आधार पर उन्हें छः व्यक्ति प्रति मतदान केन्द्र के हिसाब से इतने सशस्त्र पुलिस कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। उस आधार पर उन्होंने कहा : "मेरे पास अन्य कोई सुरक्षा कर्मचारी नहीं है, अतः मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता।" मैंने उनसे पूछा "क्या आपने उन मतदाताओं की रक्षा करने के लिए जो अपने घरों से मतदान केन्द्रों में आयेंगे, कोई योजना बनायी है कोई गस्ती टुकड़ी या कुछ स्थानों पर कोई स्थायी टुकड़ा तैनात की है कि उन्होंने कहा :" मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतने अधिक कर्मचारी नहीं हैं। मैं केवल प्रत्येक मतदान केन्द्र पर छः व्यक्ति लगा सकता हूं। "मेरी समझ में नहीं आया कि क्या कहें। मैंने कहा" यदि आप प्रत्येक मतदान केन्द्र की जगह चार व्यक्ति लगाकर वहां दो आदमी कम कर दें तो क्या आप गस्त व टुकड़ी की व्यवस्था कर सकते हैं"। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने छः से कम की इकाई में कभी काम नहीं किया है। इसको आप आधी टुकड़ी कहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि मैं इसमें परिवर्तन करना चाहूं तो मुझे दिल्ली से अनुदेश प्राप्त करने पड़ेंगे। ये वृहद पैमाने पर जो दंगे हुए हैं वे इस कारण आसानी से किए जा सकें कि जो लोग इतने बड़े पैमाने पर आक्रमण करना चाहते थे उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम था कि सुरक्षा बल के लोग चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने तथा मतदान केन्द्रों की रक्षा करने में व्यस्त हैं।

मुझे इन सब बातों के विस्तार का नहीं मालूम परन्तु जब वे कहते हैं कि इन क्षेत्रों में इतने लोग मारे और घर जला दिए गए तो स्पष्ट है कि उन स्थानों पर पुलिस नहीं थी। यह बिल्कुल सम्भव है मुझे नहीं मालूम कि अब स्थिति क्या है। कुछ स्थानों पर सेना को बुला लिया गया है परन्तु उस समय से सुरक्षा बल कर्मचारी केवल कुछ मतदान केन्द्रों की रक्षा करने मात्र के लिए ही समर्थ थे। उसके अलावा वे कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। मुझे नहीं मालूम कि अन्त में भी सरकार ने किस प्रकार का मूल्यांकन किया तथा क्या अनुमान लगाया। आप गुरचरों की कुछ रिपोर्ट के आधार पर काम करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि केन्द्रीय खुपिया विभाग ने आपको उन घटनाओं के बारे में किस प्रकार की रिपोर्ट दी थी तथा वहां की क्या स्थिति बताई थी। आपको मालूम होना चाहिए था कि तनाव किस प्रकार से पैदा किया जा रहा था और इस प्रकार प्रशासन अपने कार्य में निश्चित रूप से तथा दयनीय तरीके से असफल रहा है।

अब क्या किया जाना है उसके बारे में हम कल जानना चाहेंगे हालात क्या हैं यह हमें मालूम है जिस प्रकार विध्वंस हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती इन लोगों को किस प्रकार से सहायता प्राप्त तथा संरक्षण दिया जाना है स्पष्ट है कि आने वाले कुछ समय तक इन सेनाओं को वहां से नहीं हटाया जा सकता मैं अब एक बात और कह कर समाप्त कर दूंगा मैं नहीं समझता कि यदि इन दलों ने उनको और अधिक उत्साहित करने और भड़काने का फैसला न किया होता तो यह मामला हम तक न पहुंचता। उन्होंने महसूस किया कि कुछ महत्वपूर्ण राजनैतिक दल हैं जो उनके लिए लड़ रहे हैं और संसद में भी इस चुनाव के विरुद्ध लडेंगे और इसलिए उन्होंने कहा "आओ हम सारे मामले को आगे बढ़ायें।" और बारह तारीख से आगे इसे और बढ़ा दिया गया। दिन प्रतिदिन अभित्रास का अभियान बढ़ता गया। कोई भी इसे देख सकता है।

किसी ने तेजपुर की बात की थी। तेजपुर नगर के मुख्य मार्ग पर एक व्यक्ति को मार दिया गया। एक मजिस्ट्रेट का दिन दहाड़े एक अपहरण करके उसे दूर ले जाया गया और उसका पता तीन दिन बाद चला। उसे तेजपुर से कई मील दूर रांगिया में छुड़ाया गया। और लोग कहते हैं "ओह ! यदि एक मजिस्ट्रेट का दिन दहाड़े अपहरण करके इसे इस प्रकार दूर ले जाया जा सकता है तो हमारे जैसे लोगों का क्या होगा। बाहर मत जाईये। अन्दर ही रहिये ।' इसे असहयोग ! समझा जा रहा है। मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार का असहयोग है। इसका कारण केवल भय और संज्ञान है अन्य कुछ भी नहीं।

अन्त में, मैं इतना ही कहूंगा कि मैं इतने विश्वास से भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं जितने विश्वास से कुछ मित्रों ने कहा है—वहां किस प्रकार की सरकार बनेगी और क्या वह सरकार टिकेगी भी या नहीं। यदि वह टिकेगी तो कितने दिन टिकेगी ? मेरे लिए यह एक छोटी सी बात है। लेकिन किसी ने भी चुनावों में हुई गड़बड़ी के बारे में नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : कोई उपदेश नहीं दिया जायेगा। आप किसी बात का उपदेश नहीं दे सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जबकि दिन में अधिकांश समय मतदान केन्द्र खाली रहे या आधे खाली रहे तो गड़बड़ी करने की भी पर्याप्त सम्भावना थी। हमें वहां घटी कुछ अन्य घटनाओं का भी पता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यह चुनाव हारने का बहाना नहीं है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है, आप तो रणक्षेत्र के निकट पहुचे बिना ही इसमें हार गये हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, हो सकता है हम हारे हों, परन्तु वे तो बुरी तरह डरे हुए हैं। उन्होंने तो चुनाव ही नहीं लड़ा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं श्री समर मुखर्जी द्वारा कही गयी अनेक बातों का समर्थन करता हूं। परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि क्या असम एक पूर्ण राज्य बना रहेगा या नहीं? यह प्रश्न अब खड़ा हुआ है। 1960 और 1968 के दंगों का उल्लेख करने से बात नहीं बनेगी। वे तो स्पष्टतया बंगाली विरोधी दंगे थे और मेरे इस कथन के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे कि ये तो भाषा के प्रश्न पर स्पष्ट रूप से बंगाली-विरोधी दंगे थे। परन्तु असम के बंगाली-विरोधी दंगों को असम से बाहर अधिक सहानुभूति और समर्थन नहीं मिलता है। इस बार इसे और अधिक संवेदनशील बना दिया गया है और इसे बंगाली विरोधी न रखकर विदेशी-विरोधी बना दिया गया है कुछ भी हो, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या असम एक वैसा ही पूर्ण राज्य बना रह सकता है। जैसा कि हम चाहते हैं क्योंकि ऐतिहासिक रूप में इसका विकास इसी रूप में हुआ है। वहां के चाय बागान के समस्त श्रमिक वे आदिवासी हैं जो कि मूल रूप में छोटा नागपुर से आए थे। वहां पर मैदानों और पहाड़ों पर जनजातियों के लोग हैं, वहां पर बंगाली और मुस्लिम बसते हैं। और नैपाल के लोग भी वहां पर बसे हैं। वहां पर भारत के बिहार, राजस्थान आदि अन्य राज्यों से बहुत से लोग गये हुए हैं। आजकल वे इन्हें विदेशी कहते हैं, परन्तु वर्षों से बाहिरागत कहते आ रहे थे जिसका अर्थ है बाहर का व्यक्ति। इसका अर्थ विदेशी नहीं है। इसका अर्थ है बाहर का आदमी। इसका अधिक व्यापक अर्थ है। बाहिरागत को अब बदलकर विदेशी कर दिया गया है।

कुछ भी हो, बात यह है कि यह तो समस्त देश की अखण्डता और एकता को चुनौती है, क्योंकि यदि असम एक ऐसा पूर्ण ठोस राज्य बना नहीं रह सकता है, जिसमें विभिन्न ग्रुपों और भिन्न-भिन्न भाषाओं धर्मों और संस्कृतियों के लोग इस विश्वास के साथ मिलकर रह सकते हैं कि उनके अधिकार और हित सुरक्षित हैं। और कोई भी एक-दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करेगा तो मुझे आशंका है कि देश के विभिन्न भागों में इसकी प्रतिक्रिया होगी। विभिन्न राज्यों में पहले ही इस प्रकार के तत्व मौजूद हैं।

एक माननीय सदस्य : धरती-पुत्र।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बहिरागत शब्द असम में गढ़ा गया है। इसको प्राहर किया जाना चाहिए। कई राज्यों में ऐसी ही मनः स्थिति बनी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : बाहिरागत का अर्थ विदेशी व्यक्ति नहीं है। इसका अर्थ बाहरी व्यक्ति है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यह सिद्धान्त का प्रश्न है। यदि देश को अपना अस्तित्व बनाए रखना है, चाहे वह असम में हो, यदि पंजाब में या अन्य किसी स्थान पर हो, तो इन सिद्धान्तों के लिए सबको लड़ना चाहिए श्री के० के० तिवारी ने कहा कि हम सबकी राष्ट्रीयता एक ही हैं, जी हां, हमारी राष्ट्रीयता एक है, हम सब भारतीय हैं। परन्तु अनेक उप दल अथवा उप-राष्ट्रीयताएं हैं या हम जो कुछ उन्हें कहें। यदि आपको यह शब्द पसन्द नहीं हैं तो

कुछ अन्य शब्द कहें, परन्तु देश की स्थिति से अनजान मत बनिए । लोगों को एक साथ मिलकर रहना है और एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना है और सरकार ने उनमें कुछ विश्वास फूंकना है और यह कहना है कि हम इसे देखेंगे ।

महोदय, मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लोगों में विशेष रूप से युवकों में यह भावना है कि इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं पर उनके आर्थिक सांस्कृतिक और भाषायी विकास पर इतनी दूर दिल्ली में बैठी केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित ध्यान नहीं दिया जाता है उस क्षेत्र के युवकों में काफी शेष है।

क्या आप यह सोचते हैं कि मिजोरम त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर में जो कुछ हुआ है, वह कुछ विदेशी ताकतों द्वारा भड़काए जाने के अतिरिक्त कुछ नहीं है ? उन्हें भड़काने के लिए जगह क्यों मिल जाती हैं। ऐसी कुछ गुंजायश अवश्य है जिसका विद्रोही तत्व अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

उन्हें उनको भड़काने के लिए आधार क्यों मिलता है कुछ आधार अवश्य है जिसका प्रतिकूल तत्व द्वारा उपयोग किया जा रहा है। आसाम के मामले में हमारी पार्टी इस आन्दोलन के खिलाप रही है क्योंकि यह विभाजन कारी आन्दोलन है जो हमारे देश में विभिन्न समुदायों की एकता को नष्ट करने वाला है। एक बार आप इसको बढ़ने दें तो यह फैल जायेगा और वह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता समाप्त हो जायेगी अतः हमें चाहे जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े —हम शेखी नहीं मार रहे—हम उसके विरुद्ध हैं। इसीलिए वे हमसे अधिक नाराज हैं उन्होंने आकर हमें धमकी दी है कि एक बार सी० आर० पी० हट जाये तो गोहाटी में कोई, सी० पी० आई० का कार्यालय नहीं रहेगा, हम परवाह नहीं करते । बहुत से लोगों ने हम पर हमला किया है।

सी० पी० आई० (एम०) ने भी इसका बहादुरी से विरोध किया। वे भी उनके हमलों का लक्ष्य बने। हमने 7 फरवरी को गोहाटी में एक जन सभा की थी। उसमें उपस्थित होने के लिए आ रहे कुछ जुलुसों पर रास्ते में हमला किया गया परन्तु वे उससे विचलित नहीं हुए ।

मैं सभा के सभी वर्गों को बतला दूंगा राजनीति में एक दूसरे पर आरोप लगाना ठीक है। कुछ पार्टियों का इस आन्दोलन से पहले आसाम में कोई प्रभाव नहीं था। वे समझते हैं कि इस आन्दोलन का समर्थ करके उनके पैर जम जायेंगे। वे खुशी से इस विचार को अपनायें। हमें राष्ट्रीय हितों के बारे में सोचना चाहिए। अतः मैं अच्छे के लिए आशा करता हूं। मैं वास्तव में कह नहीं सकता मैं कुछ हो रहा है उससे बहुत अधिक चिन्तित तथा परेशान हूं मैं नहीं जानता कि क्या होगा परन्तु इस मामले पर सामूहिक रूप से विचार किया जाना चाहिए ताकि संयुक्त आसाम राज्य का मूल सिद्धान्त समाप्त न हो जाये ।

श्री चिरजी लाल शर्मा (करनाल) : स्पीकर साहब,

शोकत आशना हूं, वाकिये, इसरारे हस्ती हूं ।
समझता हूं, मगर दुनिया को समझना नहीं आता ।

सुबह से आसाम के मसले पर डिस्कशन चल रहा है । विरोधी दल के मेम्बरान प्रो० दण्डवते जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तकरीर की, बड़ा जोश था । अटल जी ने ड्रामाई अन्दाज में अपनी तकरीर शुरू की जबकि आसाम के इलैक्शन को नाटक करार दिया । अभी आपने श्री इन्द्रजीत गुप्त जी की सोबर स्पीच सुनी, श्री समर मुखर्जी ने अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार किया और इससे सदन के जो हालात है, उसकी असली पिक्चर सदन के सामने आई । ममला इतना गम्भीर है कि सारा देश इस पर चिंता कर रहा है । मगर अफसोस इस बात का है कि सदन में बैठकर चन्द मेम्बरान हरेक चीज को पालिटिकल रूप देने की कोशिश करते हैं और उसका पालिटिकल एक्सप्लायटेशन करते हैं ।

अटल जी ने तो कमाल ही कर दिया । प्रधान मन्त्री का शब्द इस्तेमाल किया बड़े लच्छेदार अन्दाज में कि लाशों के ढेर पर सत्ता का महल बनाने की कोशिश की जा रही है । यह मामला ऐसा नहीं है जिसको गम्भीरता से न लिया जाए । असलियत क्या है, इलैक्शन क्यों कराए गए यह समर मुखर्जी और इन्द्रजीत गुप्त जी के विचार सुनने के बाद स्पष्ट हो गया । क्या प्रधान मन्त्री या उनकी सरकार की नीयत खराब थी, क्या वे लोकतन्त्र का जनाजा निकालना चाहते थे । या हिन्दुस्तान की असल डेमोक्रेसी का जिन्दा सबूत देना चाहते थे । आसाम में इलैक्शन पिछले तीन साल से क्यों नहीं कराए गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार ?

मैं पूछना चाहता हूं माननीय अटल जी और प्रो० दण्डवते जी से, जो अभी सदन में नहीं हैं, चले गये हैं, माननीय दण्डवते जी वापस आ गये इसकी मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे जज्वात का ऐतराम किया । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि फौरेनर्स का मामला अभी खड़ा हुआ या पहले से भी था ? यह 47 लाख की तादाद, जिसके आंकड़े सदन में दिए गए और जिनको फौरनर्स कह कर पुकारा जाता है वह कांग्रेस पार्टी के बरसरे इक्तदार आने के बाद असम में आ टपके या उनमें आने के बाद 1951 से सिलसिला चल रहा है, 1952, 1957, 1962, 1967, 1971, 1972 1977 में चुनाव हुए और 1977 के चुनाव में जिसमें जनता पार्टी बरसरे इक्तदार हुई, केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, और असम में भी बनी, तो क्या वह फौरेनर्स के बोट से चुनकर आये थे ? अगर वह फौरेनर्स थे, अगर वह इस चीज को मुनासिब समझते थे कि उनको असम से बाहर निक ला जाय तो जब तक वह बरसरे इक्तदार रहे, उनके हाथ में सत्ता रही क्यों नहीं उन्होंने दिलेरी से इसका फैसला किया ? यह ऐसी चीजें हैं जिनका वह जवाब नहीं दे सकते ।

स्पीकर साहब, असम का मामला कब खड़ा हुआ ? कांग्रेस पार्टी तो 1980 में बरसरे इक्तदार आयी है, उससे पहले असम में आग लग चुकी थी, बेकारी पैदा हो चुकी थी । क्या इसके लिये वह इन्दिरा जी और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहरायेंगे ? कौन हैं वह फौरेनर्स इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे ? हिन्दुस्तान को आजादी की कीमत पंजाब और बंगाल ने अदा की जब और बंगाल से लाखों की तादात में हमारी बहनों और भाइयों को गिना सामान के वतन से देवतन

होना पड़ा । कुछ तो खून की होली खेली, हजारों और लाखों माताओं की गोदें खाली हुई, लाखों गहनों के माथे का सिन्दूर मिटा, और इन दो प्रान्तों ने हिन्दुस्तान की आजादी की कीमत अदा की । असम में उनमें से कुछ ज्यादा तादाद में आबाद हुए । लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मसला गुजिस्ता 3 साल में क्यों आग की तरह भड़क उठा ? मैं समझता हूं कि इसके पीछे एक राजिश है, षड्यन्त्र रचा जा रहा है । वह असम जिसमें सारा हिन्दुस्तान बसता है, जिसमें हरियाणा के लोग भी हैं, राजस्थान के भी हैं, बिहारी भी हैं, बंगाली भी हैं, हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई और ट्राइबल्स सब हैं, वहां ऐसे हालात क्यों पैदा किये गये ?

इलैक्शन का सवाल आया । अगर इलैक्शन न कराते तो हमारे विरोधी दल के लोग इन्दिरा जी पर इल्जाम लगाते इन्दिरा गांधी जम्हूरियत का खून कर रही हैं, लोगों के हकूक का जनाजा लोगों के कन्धे पर निकाल रही हैं । अगर इलैक्शन कराने का फैसला कर दिया तो उन्होंने इलैक्शन काबायकाट करने में मसलिहत समझी । वह बायकाट कैसा और क्यों ? मैं पूछना चाहता हूं कि बायकाट शब्द के मायने क्या हैं ?

अगर जनता पार्टी और बी० जे० पी० असम में इलैक्शन का बायकाट करने जा रही थी तो मैं क्या वाजपेयी जी से पूछ सकता हूं कि उनकी पार्टी के आनरेबल मेम्बर श्री जसवन्त सिंह वहां क्यों एक महीने से पड़े हैं और वह वहां किस फरायज की अदायगी कर रहे हैं ? अगर बायकाट था तो अटल बिहारी जी क्यों गये और क्या आवश्यकता पड़ गई थी उनको तकरीर करने की ? सूखे में घास के ढेर को आग लगाना आसान है, लेकिन उसे बुझाना मुश्किल है ।

अटल जी ने कहा कि इन्दिरा जी उस इलाके में गई जहां ट्राइबल्स और बंगाली बसते हैं । वहां जाकर उन्होंने यह तकरीर की और कहा कि यह सद्भावना और साम्प्रदायिक एकता के लिए कदम थे । अगर अटल जी यहां होते तो मैं उनसे पूछता कि आपने किस सिलसिले में किसकी मदद में और किस लिये तकरीर की जबकि आप पार्टी के प्रधान हैं और आपकी पार्टी उसका बायकाट कर चुकी है ।

असलियत कुछ और है । उनको अपना भविष्य असम में उज्ज्वल दिखाई नहीं देता था । अगर वह समझते थे कि उनका मजबूत स्तूप वहां पर है, उनकी पार्टी वहां कदम जमाये हुए है तो इन्डिपैंडैंट रूप में अपने उम्मीदवार वहां क्यों खड़े किये ? असलियत यह है कि एक मुरतिया में दो सूरतियां, हाथी के दांत खाने के और; दिखाने के और । उन्होंने अपने उम्मीदवार इंडिपैंडैंट कैपेसिटी में खड़े कर दिये और वहां जाकर उनकी सपोर्ट में लच्छेदार तकरीर की, बलबलाउगंज, पारकाखेज तकरीर की और वहां के लोगों को भड़का दिया । सदन में आनरेबल मेम्बर्स ने अपने विचार रखते हुए बताया और श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने तो जनता पार्टी और बी० जे० पी० की सारी कलई खोल दी ।

सदन के सामने असलियत आई । कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट चाहते थे तो कोई पार्टी उसका विरोध करती है कोई पार्टी सपोर्ट करती है । कांस्टीट्यूशन में प्रावीजन के मुताबिक यह इम्पैरेटिव

था कि एक साल से पहले नहीं कर सकते थे। आखिर वक्त में भी इन्दिरा जी ने और उनकी सरकार ने कांफीडैंस में लेने की कोशिश की, स्पेशल सदन बनाया जाये, यह किया जाए, वह किया जाये। इलैक्शन कराने का फैसला कर दिया। पहले यह कहते थे कि इलैक्शन कराओ असम लोगों को उनके अकूक से क्यों महसूम किया जा रहा है, फिर असली रूप में नमोदार हुए, लोगों के सामने आए और लगे अपने कारनामे दिखाने, जो कि उनकी पालिसी का एक हिस्सा है। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है।

असम के 10 जिलों में से 6 जिले ऐसे हैं जहां बिल्कुल सकून है जहां अटल जी के सख्त कदम नहीं रखे गये। कहीं 60 परसेंट कहीं 70 परसेंट मतदान हुआ। यह बात आंकड़े अखबारों में बता रहे हैं इलैक्ट्रोरेट्स ने वोट का इस्तेमाल किया है। कहीं 40 परसेंट भी हुआ है और कहीं 30 परसेंट भी। जो 3, जिले गड़बड़ के हैं, जहां कि गड़बड़ कराई गई है, जहां लोगों के जजबात को भड़काया गया है, उनके साथ खिलवाड़ किया गया है।

वहां अमन नहीं रहा। अटलजी ने कहा कि आज ही खबर आई है कि कल वहां पर सौ आदमी मरे और दो हजार जख्मी हुए। किस आथेंटिक सोर्स से यह खबर आई है—यह वे बता सकते हैं? इलैक्शन शुरू होने से पहले भी डेढ़ सौ आदमियों के सर कलम किए जा चुके थे। गवर्नमेन्ट ने आसू और परिषद को कांफिडेन्स में लेकर जरूरत से ज्यादा मौका दिया था बाइज्जत फैसला करने का जिसका सारा नक्शा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यहां पर खींचा है। सवाल यह पैदा होता है कि 6 जिलों में तो एलैक्शन आराम से हो और बाकी जगह गड़बड़ हो तो स्पीकर साहब आप अन्दाज लगा सकते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं?

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर एलैक्शन तो हो चुके अब जो सरकार बनेगी वह चलेगी या नहीं इसकी भविष्यवाणी अटलजी पंडित होने के नाते कर सकते हैं, यह उनका पैदायशी हक हैं लेकिन मैं भी एक पंडित हूं मैं भी कहना चाहता हूं कि वह सरकार चलेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके इस अधिकार को किसी को नकारने नहीं दूंगा मैं संरक्षण जन्मना न सही, कर्मणा ही सही।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : मैं भी एक भविष्यवाणी कर दूं कि अटल जी, विरोधी दलों की तजाकत क्या, जमीन की ताकत क्या, तूफान और आसमान की बिजलियां भी उस सरकार को नहीं डिगा सकेंगी।

अध्यक्ष महोदय : एक बात साफ हो गई, आप या वे, दोनों में एक पक्का ज्योतिषी होगा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : गुप्ता जी ने यहां पर जिक्र किया कि असम में एलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी का इन्तजाम इनएडिक्वैट था। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने ला ऐण्ड आर्डर को मेनटेन करने के लिए और वोटर्स की हिफाजत के लिए इन्तजाम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। सी० आर० पी० भी भेजी गई और फौज की खिदमत भी भेजी गई और फौज की खिदमत भी हासिल की गई ताकि घर से पालिंग स्टेशन तक जाते हुए वोटर्स को यह

महसूस न हो कि उसे कोई खतरा है। लेकिन इसके बावजूद एक कैंडीडेट के प्रपोजर की हत्या कर दी गई। इन हालात की तह में जाने की जरूरत है। वह कैंडीडेट भी कांग्रेस आई का कैंडीडेट था। वहां पर हमारी कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स पर भी बम फेके गए हैं। इन हालात पर गौर करने की जिम्मेदारी इस सदन और इसके मेम्बरान की है। आज यह मुल्क ऐसे दहाने पर खड़ा है कि जिला पार्टी पालिटिक्स का लिहाज किए हुए, इस देश की अखण्डता, इस देश की स्वतंत्रता ही सबके सामने होनी चाहिए।

जब भी ऐसे मौके आते हैं, तो हमारी प्रधान मन्त्री जी ने विपक्ष के सदस्यों को भी कांफिडेंस में लिया है और उनसे सलाह मश्विरा किया है और उनसे कहा है और उनसे कहा आप असम के मामले को हल करने के लिए आप प्रपोजल दीजिए। जिसका जिक्र श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी ने भी अपनी तकरीर में किया है। स्पीकर साहब, आप देख रहे हैं कि पंजाब के हालात बड़े खराब हैं। यह मामला यहां पर पिछले नवम्बर के सेशन से चल रहा है।

प्रधान मन्त्री ने कैबिनेट के सीनियर मैम्बर्स की कमेटी बनाई है। जिसकी कम से कम दस-पन्द्रह सीटिंग्स हो चुकी हैं, जिनमें अपोजीशन के लीडर्स को भी इन्वाइट किया गया, जो इफैक्टेड राज्य हैं, उनके मुख्य मन्त्रियों को भी इन्वाइट किया गया—इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमन्त्री ने लोगों को डेमोक्रेटिक राइट दिया हैं, जमहूरियत हकूक दिया है, और कहा कि हम सभी विचारधाराओं के साथियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अगर इसके बावजूद मसले का कोई हल न निकले, तो क्या अपोजीशन को यह हक हासिल होगा कि वे प्रधान मन्त्री को इसका दोषी ठहरायेंगे। यदि प्रधान मन्त्री कान्फ्रेंस में अकेली होतीं, तो कह दिया जाता कि प्रधान मन्त्री ने अपना विचार थोपने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अपने कैबिनेट के सीनियर मैम्बर्स और अपोजीशन के मैम्बर्स पर इस बात को छोड़कर यह फैसला करने के लिए कहा। असम के हालात आपके सामने हैं, पंजाब के हालात आपके सामने हैं, नार्थईस्टर्न-रीजन के हालात आपके सामने हैं—इन हालात में इस सदन के मैम्बरान की क्या जिम्मेदारी है, वह मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं।

"प्यार और युद्ध से सब कुछ उचित है, ठीक ही कहा गया है। यह पश्चिमी का युद्ध है। स्पीकर साहब, इलैक्शन पर्चियों की लड़ाई है और इस लड़ाई में यदि हम अपने फर्ज को छोड़ कर गलत रास्ते को अख्तियार करें, तो हम अपने फर्ज को अदा करने में कोताही करेंगे।

असम में इलैक्शन हो चुके हैं, लेकिन इलैक्शन से मामला हल नहीं होगा। असम के भयानक हालात हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, हमें यह देखना है कि असम के हालात देश के किसी दूसरे हिस्से में न दोहराए जा सकें। इसके लिए हम सब की जिम्मेदारी है, सदन के चाहे उधर के मैम्बर्स हो या इधर के मैम्बर्स हों। ओनरेबिल मैम्बर्स के ख्यालात, जजबात और तासिरात इस मामले में आए हैं और बाकी सदस्यों के भी आयेंगे। होम मिनिस्टर साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया है और प्रधान मन्त्री जी खुद वहां पर तशरीफ ले गई हैं, जिससे जाहिर है हालात गम्भीर हैं। इन गम्भीर हालात को और ज्यादा गम्भीर बनाने के बजाय, उनको भयानक सूरत इख्तियार करने से

रोकने के लिए लोगों के नुमाइन्दे होने की हैसियत से हम अपने कर्त्तव्य का पालन करें। हिन्दुस्तान की 65-68 करोड़ जनता ने हमारे अन्दर विश्वास प्रकट करके हमें यहां चुनकर भेजा है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उस विश्वास के पात्र साबित हों, न कि विश्वासघात करें। जहां भी देश की एकता और अखण्डता का सवाल आता है—जैसा कि अभी एक आनरेबिल मैम्बर ने बोलते हुए कहा—जब हरिजनों पर ज्यादती का मसला सामने आया तो सारे सदन ने इत्तिफाक राय से एक रेजूलूशन पास किया। एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की जिसकी सारे देश में सराहना हुई। यह असम का मसला भी ऐसा ही है जिसमें हम सब पार्टीबाजी से बालातर रह कर अपना-अपना योगदान दें और वहां के हालात को बिगड़ने से रोकें।

स्पीकर साहब, मुझे यही अर्ज करना था। धन्यवाद।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : एक मुद्दे पर पूरी सभा एक मत है कि आसाम की स्थिति बहुत खराब है। **(व्यवधान)** मैं खुश नहीं हूं। शायद कांग्रेस (आई) के लोग खुश हैं। आसाम की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक तथा दुर्भाग्य पूर्ण है और यह समूचे देश के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय बन गया है। फिलहाल आसाम में जो स्थिति बनी हुई है उससे भारत की जनता बहुत ही चिन्तित है। वहां जो कुछ हो रहा है वह कांग्रेस (आई) सरकार—वह सरकार जो काम करती है—के कुशासन के परिणाम के अलावा कुछ नहीं है। सुबह जब गृह मन्त्री वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि आसाम की स्थिति बहुत गम्भीर है और उन्होंने यह भी कहा कि इसका वर्णन करना कठिन है। सरकार सामान्य रूप से जनता की और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने में पूर्णतः असमर्थ है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आप जैसे नेताओं के बारे में क्या है ? हमने आपको संरक्षण दिया है।

श्री हरिकेश बहादुर : वे जनता को संरक्षण कैसे प्रदान कर सकते हैं जब एक मन्त्री वहां जाकर अपनी पार्टी के लोगों को सलाह देते हैं कि यदि तुम्हारी पार्टी का एक आदमी मरे तो आपको उस पार्टी के चार आदमी मारने चाहिए। यह एक मन्त्री द्वारा दिया गया एक बहुत ही गम्भीर वक्तव्य है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि—प्रो० दण्डवते ने भी कहा है कि यदि उनकी बात गलत साबित हो जाए तो वे सार्वजनिक जीवन में निवृति ले लेंगे।

अतः सरकार को इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिए। यदि मन्त्री ने वास्तव में यह वाक्य बोला है यदि उन्होंने ऐसा भाषण दिया है तो उनको न केवल मन्त्रिमण्डल से निकाला जाना चाहिए बल्कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही भी की जानी चाहिए क्योंकि वह लोगों को मारने के लिए उकसा रहे हैं और इसके फलस्वरूप आसाम में बहुत से लोग मारे गए हैं जो हमें मालूम है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत जब कि लोग मारे जा रहे हैं वहां पर स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आसाम में चुनावों का वातावरण नहीं है। सरकारी मन्त्री भी उन बातों के लिए भड़का रहे हैं जो कि आज आसाम में हो रहा है कुछ नेताओं ने यह

भी कहा है कि सरकार ने उन्हें जन सभायें आयोजित करने की अनुमति नहीं दी श्री वाजपेयी ने कहा है कि सरकार ने उनको जनसभाएं करने की अनुमति नहीं दी थी। साथ ही श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि जनता कर्फ्यू की वजह से वे कुछ जन सभाओं को सम्बोधित नहीं कर सकें। जब विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता जन सभाएं सम्बोधित नहीं कर सके तो चुनाव कैसे हो सकता था।

इसीलिए हमारा मत है कि फिलहाल आसाम में चुनावों के लिए उचित वातावरण नहीं है। परन्तु फिर भी कांग्रेस (आई) ने चुनाव प्रक्रिया जारी रखी। बहुत से लोगों को मरवा दिया और अभी भी चुनाव जारी है। यह सत्तारूढ़ दल प्रजातन्त्र को कुचलने के लिए बहुत खतरनाक तरीका अपना रहा है।

हेरा-फेरी एक आम बात हो गयी है। जहां कहीं भी चुनाव होते हैं वहीं पर रिगेंगवाजी होती है। लोग कह रहे हैं कि हेरा-फेरी हो रही है। विभिन्न प्रकार से भयभीत करना सतत प्रक्रिया बन गई है। जब गढ़वाल चुनाव हुए थे तो ये सब बातें हुई थी। अब यह जो कुछ हो रहा है वह वहां पर उपयोग की गई सभी युक्तियों का भारी पैमाने पर आसाम में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रजातन्त्र के समूचे ताने-बाने को अस्त व्यस्त किया जा रहा है तथा नष्ट किया जा रहा है तथा नष्ट किया जा रहा है। आसाम में चुनाव सूची को पुनरीक्षित भी नहीं किया गया था उसको पुनरीक्षित किया जाना चाहिए था। समय-समय पर मन्त्री लोग कहा करते थे कि चुनावों से पहले चुनाव सूचियों को पुनरीक्षित कर दिया जाएगा। परन्तु दुर्भाग्य से यह नहीं किया गया। और और भूतपूर्व चुनाव आयुक्त ने भी कहा था "यदि चुनाव होना है तो चुनाव सूचियों को पुनरीक्षित किया जाना चाहिए।" न तो उनकी सलाह मानी गई और न ही सरकार ने अपनी बुद्धि से यह कराने का निर्णय किया परन्तु उन्होंने चुनाव करा दिए चुनाव सूचियों को पुनरीक्षित क्यों नहीं कराया गया ? चुनाव आयोग को भी इस मुद्दे पर अड़ना चाहिए था परन्तु मैं दुःख के साथ कहता हूं कि इसने भी सरकार को इस मामले विशेष पर सलाह नहीं दी। जब अखिल आसाम छात्र संघ और अखिल आसाम गण संग्राम परिषद के साथ विपक्षीय वार्ताए हो रही थी तो सरकार की ही गलती की वजह से कोई समझौता नहीं हो सका था। इसके लिए मै सरकार पर आरोप लगाता हूं। सरकार अनन्य रुख स्पष्ट नहीं कर रही थी। क्यों ? हमारे नेता श्री नाडार जो वार्ता में भाग ले रहे थे बैठक से उठकर बाहर चले क्योंकि वे कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहते थे। इससे पहले इन्दिरा-मुजीब तथा नेहरू लियाकत सन्धियां हुई थी वह जानना चाहते थे कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उस सन्धि में क्या था। सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया। यदि उन सन्धियों के बारे में स्पष्ट कर दिया जाता और सरकार अपनी बात पर मजबूती से अड़ जाती तो समस्या का समाधान हो जाता क्योंकि यदि कोई अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है तो कोई भी सरकार को उस समझौते का उल्लंघन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। परन्तु सरकार ने समझौते को स्पष्ट नहीं किया। इसीलिए समस्या का समाधान हो नहीं सका।

जहां तक संवैधानिक संशोधन का सम्बन्ध है उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से राजनैतिक दल ऐसे थे जो संविधान संशोधन के मुद्दे पर सरकार का समर्थन करने के लिए

तैयार थे। परन्तु सरकार ने इस मामले में उनसे सहयोग नहीं मांगा। पहले वे चाहते थे परन्तु जब उन्हें पता चला कि विपक्षी दल इस मामले में सहमत हैं तो उन्होंने चुनावों की घोषणा कर दी और संविधान में संशोधन नहीं किया। अब, भारत की प्रधान मन्त्री कुछ लोगों पर आरोप लगा रही हैं कि वे संविधान संशोधन के लिए तैयार नहीं थे। यह बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है। और यह समझना भी बहुत कठिन हैं कि प्रधान मन्त्री के स्तर का व्यक्ति ऐसी बात कहे जो पूर्णतया गलत और झूठ है। कम से कम प्रधानमन्त्री को ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी क्योंकि जिन नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया था वे कह रहे हैं कि जहां तक संविधान संशोधन का सम्बन्ध है विपक्षी दल सरकार को यह सहयोग देने के लिए तैयार थे।

बहुत से कांग्रेस के लोग पृथकवादी शक्तियों की बात कर रहे हैं। परन्तु मैं पूछना चाहूंगा कि इन पृथकवादी शक्तियों को प्रोत्साहित कौन कर रहे हैं।

[श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए]

कांग्रेस(इ) ने त्रिपुरा में उपजाति युवा समिति का सहयोग मांगा था जो स्पष्ट रूप से पृथकवादी शक्ति है और बाहरी तत्वों से सहायता ले रही है लोग सी० आई० ए० की बात कर रहे हैं मैं कह सकता हूं कुछ विदेशी शक्तियां ऐसी हैं जो भारत में समृद्धि नहीं देखना चाहती इसलिए वे गड़बड़ करने के प्रयत्न करती हैं परन्तु कभी-कभी सत्ताधारी दल भी इस प्रकार के तत्वों से सम्बद्ध हो जाता क्या कारण है कहीं पर तो सत्ताधारी दल क्षेत्रीय दलों तथा शक्तियों को प्रोत्साहित कर रही है और कहीं साम्प्रदायिक शक्तियों को प्रोत्साहित कर रही हैं वे बस चुनाव जीतने के उद्देश्य से जाते इस प्रकार की शक्तियों से सम्बन्धित हो जाते हैं यह बहुत ही दुभाग्य पूर्ण स्थिति हैं दूसरों पर आरोप लगाते समय वे अपने आप जो कुछ कर रहे हैं उसको अनदेखी कर जाते हैं कुछ शक्तियां ऐसी है जो इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं तथा जो इस देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं परन्तु सत्ताधारी दल ऐसे मामलों पर उचित रुख नहीं अपना रहा है वे केवल विपक्षपर अरोप लगा रहे हैं परन्तु जो कुछ वे कर रहे हैं उसको नहीं देख रहे।

उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रही हैं हमें समय-समय पर ऐसी रिपोर्ट मिली परन्तु सरकार ऐसी पता लगाने और उनकी गतिविधियों को दबाने के लिए कार्यवाही नहीं कर रही है इसीलिए मूल रूप से सत्ताधारी दल की गलती है इस प्रकार की स्थिति के लिए जो आसाम में है वे ही मुख्य रूप से जिम्मेदारी है।

समूची समस्या और उसको सुलझाने की जिमम्मेदारी सरकार के कन्धों पर है अतः सरकार को इस समाचार को शान्ति पूर्ण ढंग से हल करने क प्रयत्न करना चाहिए परन्तु साथ ही साथ आन्दोलन के नेताओं को भी इन मुद्दों पर कड़ा रूख नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि इस मामले में अन्ततः राष्ट्रीय अखण्डता का प्रश्न जुड़ा है किसी को भी दृढ़ रुख नहीं अपनाना चाहिए मैं आसाम के लोगों से देश के उस क्षेत्र में शान्ति एकता और सदभावना बनाये रखने के लिए अपील करता हूं।

साथ ही साथ मैं सरकार को यह सलाह देना चाहूंगा कि वे निर्दय बने और इस समस्या को सुलझाने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करने का प्रयत्न करें ताकि भविष्य में ऐसी बात न हो उन्हें समस्या को इस प्रकार से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसी स्थिति समाप्त हो और समस्या का समाधान हो ।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं सुबह से आसाम मुतल्लिक अपने दोस्तों के बयान सुन रहा था और सुनने के बाद मुझे एक शेर याद आ गया—

"मुनकिर नकीर ने पीटा मुझको मेरे ही मजार में ।"

इसके माने यह हुआ कि वे लोग जो डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं वे ही उसके बड़े दुश्मन हैं इस वक्त ।

आसाम का मसला संगीन है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन वे लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जो इतने पुराशोब दौर में जो कि कुछ लोगों ने बना रखा है, 600 कैंडीडेट डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए इलैक्शन लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि हर आजादी को हासिल करने के लिए कुरबानी देनी पड़ती है । हमारे मोरिशों ने कुरबानी दी है इस मुल्क की आजादी के लिए । 1857 से शुरू कीजिए । तारीख गवाह है कि बहादुरशाह जफर ने कुरबानी दी, रानी झांसी ने कुरबानी दी और हाल-फिलहाल में आइए तो भगतसिंह ने कुरबानी दी, बंगाल के कितने सपूत सहीद हुए और अगर वेस्टर्न यू० पी० की बात ली जाए तो बहुत सारे लोगों में अराफाकउल्लाह खां नाम भी लिया जाएगा । इन सब लोगों ने जद्दोजहद की और आजादी हासिल की और मुल्क में डेमोक्रेसी बरकरार हुई । ठीक इसी तरीके आसाम में कुछ ऐन्टीनेशनल फोर्सेस से मुक्ति हासिल करने के लिए 600 केंडीडेट मैदान में हैं वे सब मुबारकबाद के हकदार हैं जो जान हथेली पर लेकर जरूरियत की हिफाजत के लिए इलैक्शन लड़ रहे हैं ।

आसाम के हालात तो मैं पीछे कहूंगा, लेकिन ये देन है हमारे फादर्स आफ कांस्टीट्यूशन की कि डेमोक्रेसी इस शुल्क में रहे और सेकुलरिज्म इस मुल्क में रहे । लेकिन कुछ लोगों ने डेमोक्रेसी के माने को गलत लिया है इसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

उन्होंने आजादी का मतलब लिया है, रेल को तोड़ना, स्ट्राइक करना, इकानामी को नुकसान पहुंचाना, दंगे-फसाद करवाना, डेमोक्रेसी की रेल को नीचे गिरा देना और इतना ही नहीं वह लोग जो अपने अख्तियार को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये लोग रोढ़ा अटकाना चाहते हैं, यह उन्होंने आजादी और डेमोक्रेसी के मायने ले रखे हैं । अगर यह डेमोक्रेसी है तो मैं आपके माध्यम से सरकार को असरे नौ के मुताल्लिक कहना चाहूंगा कि इस पर सोचा जाए । कुछ लोग मुल्क में अफरातफरी कर रहे हैं । आइन में इतनी तब्दीली करनी चाहिए कि डेमोक्रेसी सोशलिज्म और लोग भी जिन्दा रहें, असम भी हमारा पार्ट बहा रहे, इस पर सोचना होगा । यह खुली छूट किसी कीमत तक नहीं दी जा सकती । मेरी सरकार के ऊपर चार्ज है कि मेरी सरकार और हमारे नेता इससे दिलचस्पी नहीं रखते । मैं आपके जरिए यह बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की 21 राउण्ड

मीटिंग हुई है उन संघर्ष करने वालों के साथ और सात राउण्ड मीटिंग हुई है सबों के साथ मिलकर। जितनी किस्म की बातें होनी चाहिए थीं, वह सारे अपोजीशन के लोगों को बैठाकर कान्फिडेंस में रखकर की गई है। ऐसा नहीं है कि सब मनमाना किया गया।

हमारे एक दोस्त श्री इंद्रजीत गुप्त कह रहे थे कि सिर्फ "आसू" और आसाम गण-संग्राम परिषद को ही इन्वाइट नहीं करना चाहिए था बल्कि माइनारिटीज और दूसरी भाषा के लोगों को लेकर बात करनी चाहिए थी। चाहे वो गुजरात, राजस्थान, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के हों जिनका असम में पुरखा गुजर गया है, आसाम के मामले, में ऐसे लोगों को लेकर के कान्फिडेंस में बात करनी चाहिए थी। अभी मौका है कि एक डेमोक्रेसी के मातहत जो इलैक्शन हुए हैं, इलैक्शन के बाद उसके नतीजे आयेंगे, जो सरकार बनेगी यह जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए कि सारे लोगों को मिलाकर, एक अच्छा हल, एक अच्छा मश्विरा करके एक अच्छा रास्ता निकालें।

मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि असम में 375 पुलों को जलाया और उड़ा दिया गया। किसका नुकसान हुआ, मुल्क का नुकसान हुआ। पुलिस पर आपने अटैक करके आपने पुलिस को मारा और जान से खत्म किया। पुलिस के स्टेशन आपने जलाए, किसका नुकसान हुआ, कौम और मुल्क का नुकसान हुआ। आपने सोफिस्टीकेटेट फायर आर्म्स इस्तेमाल किए। यह कहां से लाए इसको पता लगाए।

आपने 84 बम एक्सप्लोजन करके अपनी कौमी प्रापर्टीज को नुकसान पहुंचाया। किसका नुकसान हुआ ? इस देश के गरीबों का नुकसान हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने जो रेलगाड़ियां सामान लाने-लेजाने के लिए रखी हैं उसमें 57 एक्सप्लोजन के केसेज ट्रैक पर किए। किसका नुकसान हुआ है ? कौमी नुकसान हुआ और इतना ही नहीं आपने जो नुकसान पिछले दो सालों में किया है, उसका अन्दाज नहीं हो सकता है।

आपने नेशनल प्रोपर्टी यानी कि तेल का प्रोडक्शन रोक दिया जिसके बगैर कोई इंडस्ट्री, या खेती नहीं चल सकती है और जिसकी दुश्मन का मुकाबला करने के वक्त सख्त जरूरत होती है। इससे देश का ही नुकसान हुआ। आप लोगों ने रोक दिया।

आप डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं। आपने यू० पी० की पुलिस को भड़का कर रिबैलियन करने पर आमादा किया। अभी हमारे साथी कह रहे थे असम में पुलिस को भड़का कर रिबैलियन पर आमादा किय। किसका नुकसान होगा इससे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सरकार 1977 से 1980 तक रही क्यों नहीं आपने उस समय इस मामले को हल करने के लिए स्टैप लिये क्योंकि नहीं आपने उन फोरेनर्स को हटाया जिनकी वजह से आपको दिमागी खलल पैदा हो गया है ? आपको विश्वास था कि आप 5, 7 वर्ष तक शासन में रहेंगे। लेकिन अपने कुकर्मों से खुद मारे गए और लोगों का विश्वास खो दिया। हमने तो आपको हटाने के लिए कुछ नहीं किया। क्या मजाक है कि हर सेशन में नौ-कान्सीडेंस मोशन लाते हैं। इससे मसले का हल नहीं होगा।

अभी माननीय इद्रजीत गुप्त जी आंकड़े दे रहे थे, जितनी बातें मसले के हल के लिए की गयीं वह ए० ए० एस० यू और ए० ए० जी० एस० सी० वालों ने नहीं मानीं। उन्होंने 9 लाख 67 हजार की फिगर दी थी, जब कि वाजपेयी जी ने 45 लाख की दी वह तो हर मीटिंग से निकलने के बाद 1 लाख बढ़ा देते हैं। आखिर मीटिंग में तो 9 लाख 67 हजार में से 37,000 मुसलमान हैं और बाकी दूसरे लोग हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हमारे मुल्क के क्या हैं। हमारा इण्टरनेशनल कामिटमेंट, एग्रीमेंट है, देश का बंटवारा हुआ यह फैक्ट है बंगला देश बना लोगों की मर्जी से जिससे इन्कार नहीं कर सकते, हमारे देश के साथ कुछ ऐग्रीमेंट है उससे इन्कार नहीं कर सकते। और इस सदन ने एक साथ कानून पास किया है उसको देखिए। लेकिन देखने की बजाय आप खून दिखा रहे हैं, डेमोक्रेसी को आप दिखा रहे हैं। और यही नहीं जब आखिर में नहीं हुआ तो एक मेम्बर जो इस के सदस्य नहीं हैं इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। एक माननीय सदस्य संसद सदस्य आसाम तशरीफ ले गये और उनके जाने के बाद मामला बढ़ा और गांव-गांव में रायट फैल गये। फिरकादाराना भसाद करवा रहे हैं। यह शर्म की बात है चाहे ट्राइबल को मार दें, चाहे नान-आसामी या बंगाली हो, या मुसलमान को मार दें, उनकी मौजूदगी के बाद ही जब असम उन्होंने छोड़ा वहां फिरकादाना हंगामा शुरू हो गया। गृहमन्त्री इसका पता लगायें कि वह कौन है जो एक-दूसरे मुल्क के साथ रिश्ता रखकर हमारे मुल्क को तोड़ना चाहता है। इस पर सख्ती से कार्यवाही की जाय।

इतनी ही बात नहीं है, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जैसा श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी ने कहा कि किसी बात पर यह संघर्ष वाले लोग स्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। अब इससे बेहतर सौल्यूशन कुछ नहीं हो सकता था कि 129 कांस्टीटुएन्सी में हर कांस्टीटुएन्सी में एक ट्रिब्यूनल या एक कमेटी बनाई जाये। इससे छोटा दायरा बन जायेगा, छोटा एरिया हो जायेगा और वह जाकर पता लगाये कि वाकई अगर कोई घुसपैठ हो गई है तो उसे कानून के तहत हटा दिया जाये। लेकिन इससे बढ़कर और बदकिस्मती क्या होगी कि यह सदन में जो डैमोक्रेसी का रखवाला है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

आसाम के हिस्से के लोगों को अपने 1980 से वंचित कर रखा है। क्या जबाव है इसका आपके पास ? आपने डरो-खौफ दिखाकर राज्य के एक हिस्से के लोगों को इस हाउस में जहां सिर्फ डैवलपमेंट और तरक्की की बात ही होती है, जहां तालीम की बात होती है वहां 3 वरस से इन्हें आने से वंचित कर रखा है ? आपने उसको इस हाउस का मैम्बर नहीं होने दिया है।

इतना ही नहीं, जैसा कि 1957 में जंगे आजादी हुई थी, आसाम में जो कैंडीडेट अब हैं या जो मारे गये उनका नाम सुनहरे हरनामों में लिखा जायेगा। यह सब डेमोक्रेसी को, सैकुलरिस्जम को बरकरार रखने के लिए है। इतने सारे लोग 600 के करीब मरे, उसमें से एक हमारी पार्टी का कैंडीडेट भी है। हमारी पार्टी हमेशा कुर्बानी देती आई है। यहाँ भी हमारे एक कैंडीडेट शहीद हो गये। हमारी तरफ से मुबारिकबाद है उस खानदान वाले लोगों को, हमने शहादत का सबक सीखा है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं, हमारी सिरिष्ट में यह बात है कि हम जंगे-आजादी में लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, खून दे सकते हैं मुल्क को बचाने के लिए।

हमारा एक कैंडिडेट मारा, उसके बच्चे किडनैप कर लिये गये, पब्लिक सर्वेन्ट को किडनैप कर लिया गया । इस मुवारिकवादी के मुस्तहिक हैं वह कैंडीडेट जो मारे गये हैं, जो शहीद हुए हैं वतन के लिए, असम को आजाद कराने के लिए ऐसी फोर्सेज के खिलाफ जो मुल्क में फिसाद पैदा करना चाहती हैं ।

इतना ही नहीं, हमारे लिए एकसेलन्सी माननीय राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इसका सकेत दिया है । पार्लियामेंट को बहुत ही ठंडे दिल से इस पर गौर करना होगा । पार्लियामेंट जामिन है हिफाजत का, मुल्क की तरक्की का, लोगों की जिन्दगी का, औरतों को बचाने का, बच्चों को तालीम देने का । जैसा हमारे प्रैजीडैंट साहब ने अपने एड्रेस में, जिस पर बहस होनी बाकी है, उन्होंने 18 फरवरी को जिक्र किया है और ठीक ही जिक्र किया है—

"सरकार ने विरोधी दलों को भी असम और पंजाब जैसे बड़े मामलों पर चर्चा के लिए सहयोजित करने की पहल की है और यह अच्छी प्रवृत्ति जारी रहनी चाहिए ।"

उन्होंने एक बात का और संकेत दिया है :

"साम्प्रदायिक और राष्ट्र-विरोधी तत्व कई क्षेत्रों में आपत्तिजनक कार्यों में लगे हुये हैं, जिन्हें कि सख्ती से दबाना होगा ।"

उन्होंने बहुत सही बात कही है कि मेम्बर्स को सोचना है कि वह कौन सी ऐन्टीनेशन-फोर्सेज हैं जो इस मुल्क के टुकड़े करना चाहती हैं ? वह कौन-सी फोर्सेज हैं जो इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहती हैं ? वह कौन-सी फोर्सेज हैं जो डैवलप मेंट के रास्ते में रुकावट है ? कौन-सी फोर्सेज डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठा रही हैं ?

(व्यवधान)

(असम) एक बात यहां पर यह कही गई है कि प्रोटेक्शन के लिए वहां पर पूरी फोर्स नहीं भेजी गई । अगर कम भेजी गई तो ज्यादा भेजी जानी चाहिए थी ताकि सिक्योरिटी का अच्छा इन्तजाम होता । (व्यवधान) हरिकेश जी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सात जिलों में इलैक्शन बड़े पीसफुल हुए लेकिन जहां-जहां भाईजान वाजपेयी तशरीफ ले गये, वहां जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई । मेरा इशारा वाजपेयी जी की तरफ है । अगर वे और मुल्क के अन्दर चले जाते तो और भी ज्यादा फसादात होते । इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें गौर करना होगा ।

आखिर मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस वक्त मुल्क बहुत ही संकट में है । मुल्क माली और समाजी—दोनों ही परेशानियां में मुब्तला है । पश्चिम और पूरब दोनों ही तरफ से कुछ रिएक्शनरी फोर्सेज ने ऐसा हौवा खड़ा कर रखा है जिससे एक शुबहा पैदा होता है । गवर्नमेंट का जो शुबहा है वह जायज हैं । आज बाहर से कुछ लोग रकम लेकर इस मुल्क में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं जिसकी मिशालें अखबारों मे भी छपी हैं । एक साहब तो

बहरे अरब में एक जजीरा (आईलैंड) ही खरीद रहे हैं। आसाम में जो हालत हुई है वह आपके सामने ही है। दूसरी जगहों पर भी जो हालात हैं उनसे भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। साल भर से भी ज्यादा वक्त से बम्बई में कपड़ा मिलें बन्द हैं। हम लोग जो पार्लमेंट के मेम्बर हैं वह तो किसी भी कीमत पर जरूरत का कपड़ा खरीद ही लेंगे लेकिन जो देहात के लोग हैं उनकी क्या हालत होगी ? जिन बुनकरों का काम बन्द है वे क्या करेंगे—इस पर आपको सोचना होगा।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पुनः भारी मन दुख और तीव्र व्यथा के साथ इस चर्चा में भाग ले रहा हूं। इसका कारण यह है कि असम के लोगों के साथ दुखदः घटना घटी है।

शुरू में, मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि असम समस्या के सम्बन्ध में मेरा दृष्टिकोण किसी एक राजनैतिक दल की चुनावों में हुई सफलता या असफलता या किसी एक भाषायी ग्रुप या किसी धार्मिक अल्पसख्यकों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम राष्ट्रीय संदर्भ पर असम समस्या को छोड़कर बातचीत करें तो मैं समझता हू कि कम से कम इस सदन में हमारे लिए असम समस्या का हल निकालना मुश्किल होगा। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि असम के प्रश्न पर देश की एकता और अखण्डता के परिवेश मे विचार किया जाना चाहिए, श्रीमन मैं समझता हूं कि आप भी मुझ से इस बात पर सहमत होंगे और मैं आशा करता हूं कि प्रो० मधु दंडवते भी अगर पसन्द करें तो इस बात पर सहमत होंगे कि आज असम में राष्ट्रीय एकता और अखण्डता चुनौती पर है। इसमें कोई शक नहीं है कि असम के लोगों की भाषा एक भाषी राज्य नहीं है। यहां पर कई भाषाएं बोली जाती हैं और तरह-तरह के लोग रहते हैं। इसलिए कुछ एक तनाब हो सकता है और हमेशा ही यह नहीं हो सकता कि विशेष ग्रुप की मागों के आधार पर उनकी मांगों को माना जाये इसलिए यह आवश्यक है कि असम पर चर्चा करते हुए हम देश की एकता और अखण्डता को भी मूलतः ध्यान में रखें।

श्रीमन, इस स्थिति मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आसू असम गण संगतम परिषद द्वारा तीन वर्ष पहले चलाया गया। आन्दोलन, राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए एक चुनौती है। इस मारे इस सदन में और सारे राष्ट्र में किसी के भी मन में यह सन्देह नहीं होना चाहिए कि यह आन्दोलन असम में और उसके बाहर की बामपंथी और लोकतांत्रिक ताकतों के विरुद्ध हैं। इस बारे में कोई शक नहीं रहना चाहिए कि आसु और असम गण-संग्राम परिषद द्वारा जो आन्दोलन चलाया जा रहा है वह धार्मिक और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध है।

श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी : इस देश में कोई भी धर्म नहीं है। यह एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र है।

श्री चित्त बसु : धर्म निरपेक्षता में भी इन अल्पसंख्यकी को यहां रखने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए श्रीमन अगर कोई यह कहना चाहता है कि आसू और असम गण् संग्राम परिषद द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन में कोई लोकतान्त्रिक तत्व मौजूद है, तो मुझे अफसोस है कि मैं इसे

मानने को तैयार नहीं हूं। सभी राज्यों को लोगों की आशा को आकांक्षाओं के अनुरूप किसी भी जनतांत्रिक आन्दोलन का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। समूचा देश एक धर्म और मानवजाति की इकाई है और कोई भी आन्दोलन जो कि किसी के भी विरुद्ध किया जाता है, उसे लोकतांत्रिक आन्दोलन नहीं कहा जा सकता। श्रीमन, मैं यह नही मान सकता कि आसू और गणा संग्राम परिषद द्वारा किए जा रहे आन्दोलन में किसी भी प्रकार जनतांत्रिक तत्व मौजूद हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह आन्दोलन बामपंथियों और पूरे तौर पर लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के ही विरुद्ध हैं। इसलिए आन्दोलन का विवेचन करते हुए हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

हाल ही में आपने शायद ध्यान दिया होगा कि इस इस प्रकार की विघटनकारी या पृथकतावादी ताकतें न केवल असम अपितु अन्य कई पडौसी राज्यों में भी सक्रिय हो गई हैं। असल में ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा षड्यन्त्र रचा गया है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में सात राज्यों का एक अलग प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य का गठन किया जाए। आसू वे आन्दोलन के इन संकेतों से यह कहा जा सकता है कि एक संगठन नरेसु यानि पूर्वोत्तर क्षेत्र छात्र संघ का संगठन किया गया है। इस तरह की भावनाओं को वहां भी भड़काया जा रहा है, पहले उन्होने इसे 'बाहरीगातास' नाम दिया अब वह विदेशी कह रहे हैं। विदेशियों को निकालने की मांग सिर्फ असम में ही नहीं की जा रही बल्कि अन्य सात पूर्वोत्तर राज्यों में भी की जा रही हैं। इसलिए इस प्रकार के अन्य गौर लोकतांत्रिक गलत गौर सामाजिक प्रतिक्रियावादी ताकतों से किया गया किसी भी प्रकार का समझौता या उनके प्रति दिखाई गई नरमी से निश्चय ही इस क्षेत्र से अन्य राज्यों और असम से छूट अन्य राज्यों पर यह अलगावादी और विघटनकारी तावतों को बल मिलेगा और इसके बुरे परिणाम निकालेंगे।

अगर आप इस सिद्धान्त को मानते हैं कि केवल असमिया लोगों को ही कुछ लाभ मिलें, कुछ विशेषाधिकार मिलें, हालांकि संविधान में इस बात का प्रावधान है, तो आप बम्बई में रहने वाले अल्पसंख्यकी को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, जबकि वहां पर भी यह मांगा कि जा रही है कि सभी 'लुंगी वालों को वहां से निकाला जा जाये। आप उनका मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि यह मांग शिव सैना ने की थी, उनसे लड़ने के लिए आपके पास काफी साहस नहीं था। कई दफा कांग्रेस (ई) और शिव सेना का गठबंधन हुआ था, और कई दफा श्री दंडवते आपने भी उनका साथ दिया, इसे नकार नहीं सकते। इसलिए इस तरह वे कई एक उदाहरण हैं, और मेरे लिए उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है कि मगर मलगांववादी, पृथकतावादी, आदि ताकतों को प्रोत्साहन दिया गया तो, असम राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की लगातार गड़बड़ी होगी।

इस की अन्य राजनैतिक पेचीदत्रियां भी हैं। मुझे यह कहते दुख होता कि यह एक सीमावर्ती प्रदेश है और हमारे कई एक राष्ट्रभक्त इस पहल को नजरान्दाज कर देते हैं। इस बात को सत्ता दल समेत कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि देश के अन्दर कुछ एक ऐसी विदेशी

एजेंसियां हैं जो कि देश का विभाजन करने और कमजोर बनाने में लगी हुई हैं। क्या आप इससे इन्कार कर सकते हैं और न आप इन्कार कर सकते है। और दुर्भाग्यवश इन बाहरी ताकतों साम्राज्यवादी ताकतों को हमारे देश की ही पृथकतावादी गैर लोकतांत्रिक संकीर्णतावादी ताकतों से गठबन्धन हैं। जो देश का विभाजन करने तथा देश में अस्थितरता पैदा करने में लगी हुई है। पृथकतावादी ताकतें देश के अन्दर भी हैं। इन में आपस में लगातार ताल मेल बना हुआ है। लेकिन हर देशभक्त हर नागरिक के लिए इसको नजरान्दाज करना पाप है। इसलिए यह चुनावों में किसी पार्टी की जीत या हार का प्रश्न से सभी को चिन्ता है जो कि देश की अखण्डता और एकता को बचाना चाहते हैं और धर्म-निरपेक्ष और देश की एकता के सिद्धान्त को बचाने में विश्वास रखतें हैं।

मेरे सरकार के विरुद्ध भी कुछ आरोप हैं। सरकार ने इस समस्या व्यापक संदर्श में समझते और महसूस करते हुए भी और असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र की पृथकतावादी ताकतों को अलग अलग करने की संयुक्त अभियान के बावजूद भी वाक्छल की नीति अपनायी है उन्होंने स्थिति की की गम्भीरता को नहीं पहचाना है और ना ही उसे जाहिर किया है, इसलिए वे आम असम निवासियों के मन में उत्पन्न निराशा का फायदा उठा सकते थे। और इस स्थिति मैं यह कहना चाहता हूं कि और इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि असम के लोग अपने आप को अलग-अलग समझते हैं और उनमें निराशा की भावना उत्पन्न हो गई हैं। असम समेव पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास की ओर ध्यान न देने की बजह से खासकर वहां के युवकों में अलगाव निराशा की भावना व्याप्त है। इन 35 वर्षों के शासन में आपने असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों भावनओं और आशाओं की लगातार अवेहलना की है। योजना मंत्री यहां पर बैठे हैं और जो कुछ मैंने पढ़ा है उससे पता लगता है कि यद्यपि 1983-84 की वार्षिक योजना में राष्ट्रीय औसत परिव्यय में 17 प्रतिशत की वृद्धि की गई है किन्तु पूर्वोत्तर और पूर्व क्षेत्र में यह वृद्धि गलत हो सकती है, लेकिन आप इस विषय के विशेषत हैं और इसको स्पष्ट कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : अब वे ऐसा करेंगे।

श्री चित्त बसु : इसलिए, श्रीमन् आज जबकि सारा पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्तेजित है, तब भी आपने अपनी नीति नहीं बदली है। इसलिए वहां की उपयुक्त जरूरतें और शिकायतें हैं। इसलिए श्रीमन्, एक ओर सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र और असम के लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की बराबर उपेक्षा कर रही है वहां दूसरी ओर वह आसू और गण संग्राम परिषद् को गुमराह करने तथा उनकी हमदर्दी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है।

मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। 1977 में राष्ट्रीय मतैक्य यह माना गया कि 1971 को आधार वर्ष माना जाना चाहिए। लेकिन आपकी प्रधान मंत्री और सत्तारूढ़ दल में खुले आम यह बात कहने का साहस नहीं थी। आप उनके साथ बातचीत कर रहे थे। इससे उन्हें और बल मिला, प्रोत्साहन मिला। उन्होंने समझा कि यदि उन्होंने आंदोलन तेज कर दिया तो ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें सरकार की स्थिति और खराब हो जायेगी। यहां तक कि कामरेड नीरेन घोष

ने भी इसका उल्लेख किया कि गृह मंत्री ने भी इस विशेष स्थिति में यह कहा कि 1965 को आधार वर्ष माना जाए।

गृह मंत्री, श्री प्रकाश चन्द्र सेठी किस अधिकार से, किसके निर्देशों पर और किसके सुझाव पर यह घोषणा की और अखिल असम छात्र संघ के प्रतिनिधि-मंडल से यह यह कहा कि सरकार वर्ष 1965 को आधार वर्ष मानने पर विचार करेगी जबकि राष्ट्रीय मतैक्य वर्ष 1971 को आधार-वर्ष मानने का है। अतः आपने उन्हें छल-कपट से, टाल मटोल करके अप्रत्यय रूप से दबाब डालने के लिए प्रोत्साहित किया है। और यहां तक कि जब आपने चुनावों के लिए कहा, आपकी टाल मटोल करने और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन करने की नीति ने ही उन्हें चुनाव प्रक्रिया का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

महोदय, दुर्भाग्य से कुछ दल लोक दल, जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी—जो लोकतंत्र और निर्वाचन नीति से जुड़े होने का दावा करते हैं—उन्होंने अपनी ही बातों का आशय नहीं समझा है कि वे अनर्थ कर रहे हैं। उन्होंने समर्थन नहीं किया होता मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि स्थिति वैसी नहीं होती जैसी आज हम देख रहे हैं। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया है। वे जानते हैं कुछ दल ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें उनके आंदोलन में समर्थन देंगे।

प्रो० मधु दंडवते ने कहा है कि मतदाता सूची दोषपूर्ण थी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या उनकी यह मांग नहीं थी कि जब तक सारे विदेशियों को नहीं निकाल दिया जाता, मत-दाता-सूची में संशोधन नहीं किया जा सकता ? सारी बात-विदेशी-राष्ट्रीयता की समस्या का समाधान और निर्वाचन सूची—सब ढोंग थी। यदि आप विदेशी-राष्ट्रीयता के मामले को ही टाल देते तो इसका अर्थ है कि आप भारत की एकता पर प्रहार कर रहे हैं।

मुझे श्री वाजपेयी की बात सुन कर दुःख हुआ। यदि मैंने उनकी बात ठीक से सुनी है कि उन्होंने यह कहा कि भारत में जो शरणार्थी आए हैं उन्हें यहां का नागरिक होने का कोई अधिकार नहीं है।

एक माननीय सदस्य : ठीक इसी बात को दूसरी तरह से कहा गया है।

श्री चित्त बसु : जैसा कि मुझे समझ आया है उनका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा। लेकिन राष्ट्र द्वारा दिए गए वचन के बारे में क्या विचार है कि उन्हें नागरिकता प्रदान की जाए ? श्री वाजपेयी ने यह सब कहा। लेकिन राष्ट्र के लोगों ने यह वचन दिया है कि वे हमारा ही अंग हैं, हमारा ही खून है। क्या इस धारणा से उन्हें राष्ट्र का नागरिक होने का समान अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने यह कहा कि जहां तक शरणार्थियों का संबंध है उस संबंध में राष्ट्र ने वचन दिया था, लेकिन क्या ऐसा कहा गया था कि उन सब को असम में रखा जाए ? दूसरे, ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया था कि उन्हें रात ही रात में यहां की नागरिकता

दे दी जाए। अन्ततः हमारा संविधान और कानून है। आप कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही देश का नागरिक बन सकते है। कार्यालय के आदेश मात्र से ऐसा नहीं किया जा सकता। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या 'नागरिकता अधिनियम' की प्रति से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा ?

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) वह यह नहीं जानते। श्री श्याम प्रसाद मुकर्जी 1946 के अन्त अथवा 1947 के आरम्भ में ढाका गए थे और वहां उन्होंने एक जनसमूह को संबोधित किया था जिसमें एक लाख लोग शामिल थे। उन्होंने कहा था कि वे सब लोग जो हमारे यहां आते हैं उन्हें स्वतंत्र भारत की नागरिकता के सभी अधिकार दिए जायेंगे। उन्हें उनकी पुस्तकों में इसका पता लगाना चाहिए।

श्री चित्त बसु : किसी ने यह दावा नहीं किया कि उन्हें रात ही रात में नागरिकता का अधिकार दिया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है; लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं कि जो लोग इस देश में 20 या 20 वर्ष पूर्व आए थे, उन्हें उनके नागरिकता के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस देश में जन्मे बच्चे इस देश के नागरिक हैं।

श्री चित्त बसु : यह दावा नहीं है कि उन्हें एक ही दिन में नागरिकता प्रदा कर दी जाए। लेकिन नागरिकता राष्ट्र द्वारा दिए गए वचन के अनुसार शरणार्थियों का अहस्तान्तरणीय अधिकार है अर्थात वे हमारा ही एक हिस्सा है; हमारा ही खून है। शरणार्थी केवल असम में ही नहीं हैं वे पूरे देश में हैं। विस्थापित व्यक्तियों को यह अधिकार है। वे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहां तक कि अन्य राज्यों में भी बसे हुए हैं (**व्यवधान**) वे अन्य स्थानों पर चले गए हैं। क्या हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि जो लोग असम में 20-30 वर्ष पूर्व आए थे वे मात्र मवेशी हैं जिन्हें निकाल दिया जाना चाहिए यैह बात व्यथित कर देने वाली है ऐसा नहीं हो सकता।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : उन सिंधियों का क्या होगा जो कि हमारे देश की सीमा में आ गए हैं ?

श्री चित्त बसु : मैं उनके द्वारा कही गई बात से सहमत नहीं हूं।

अंततः मैं यही कहूंगा एि सरकार भी स्वतंत्रतापूर्वक मतदान करने के लिए मतदाताओं की रक्षा के उचित प्रबंध करने में असफल रही है। जब भारत सरकार ने चुनावों की घोषणा की थी तो यह उनकी जिम्मेदारी थी। अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। मेरा सदन से तथा सरकार से अनुरोध है कि विभिन्न धार्मिक दलों और गैर-ईसाई दलों के बीच वैमनस्य को जितना शीघ्र संभव हो सके, दूर करने का प्रयास करें। जो लोग इस हिंसा के शिकार हुए हैं उन्हें सहायता देने और उनकी रक्षा करने के पर्याप्त प्रबन्ध किए जाने चाहिए। सभी दलों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान

की जानी चाहिए। ताकि वे असम में अपने घरों और झोंपड़ियों में रह सकें। मुझे आशा है कि जिन लोगों को उनके घरों से उजाड़ा गया था उनके पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं बेगम आविदा अहमद को बोलने के लिए बुलाऊं, इस विषय पर वक्तव्य देने वाले तीन वक्ता और हैं और वे अपने भाषण शाम 6 बजे या इससे कुछ देर बाद समाप्त करेंगे। तत्पश्चात कल मंत्री महोदय हस्तक्षेप करेंगे और प्रो० मधु दंडवते उत्तर देंगे।

बेगम आबिदा अहमद।

बेगम आबिदा अहमद (बरेली) : आली जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब और पार्लियमेंट के आनरेबल मेम्बरान, मेरा ताल्लुक आसाम से सन 1946 में हुआ। जब मैं वहां गई थी तो फखरुद्दीन साहब मुझे अपने साथ लेकर गए थे और खासतौर पर उस इलाके में भी लेकर गए जहां से वो बराबर चुनकर पहले विधान सभा में और फिर पार्लियामेंट में आते रहे। वहां जब मैं पहुंची तो वहां के लोगों ने जिनको कि आजकल बंगला भाषी कहा जाता है, उन्होंने मुझसे हंसकर, प्यार और मोहब्बत से कहा " अखमियांखिकी बो, लगी बो" आपको आसामी सीखनी पड़ेगी। अगर वो अपने आपको आसामी नहीं समझते, अगर अपने आप मैं और आसामी में फर्क समझते तो उन्होंने मुझसे आसमी सीखने के लिए क्यों कहा, बंगाली सीखने के लिए क्यों कहा ? इसलिए, मैंने वहां अपनों को पाया, गैरों को कभी नहीं पाया।

सन 1980 में आपको मालूम है, जब मैं आसाम गई थी तो वहां जो मेरे साथ किया गया या मेरा जो बना, वह आप सभी को मालूम है मुझे वह दोहराने की जरूरत नहीं है लेकिन वहां पहुंचकर मुझे इस कद्र दुख हुआ क्योंकि मैं एक मोहब्बत और प्यार लेकर पहुंची थी। मैंने वहां जाकर देखा नक्शा पलटा हुआ था। क्या बात थी, कैसे पलट गया ? आपसमझ सकते हैं कि कैसे पलट गया क्योंकि उस जमाने में जो सरकार थी, वहां कम्युयिस्ट की सरकार नहीं थी बल्कि दूसरी सरकार नहीं थी। उन्होंने ऐसे जजबात लोगों के उभारे, आपस में नफरत पैदा की गई और एक ऐसा नफरत का बीज बोया, एक चिन्गारी वहां छेड़ी गई जिसने आग की शक्ल अख्तियार कर ली। वह चाहते होंगे कि वह ऐसी आग हो जो सारे आसाम को जलाकर खत्म कर दे। जब वही लोग आजकल यह कहते हैं कि आसाम जल रहा है। जलाने वाले कौन थे जिन्होंने वह चिन्गारी लगाई थी। यह तो वही बात हुई, हमारे यहां एक मिसाल है

"भूस में चिन्गारी दे, बी जमालों अलग खड़ी" जिन्होंसे चिन्गारी लगाई, वे उससे बिल्कुल हट गए जैसे कि वे कुछ जानते ही नहीं कि परेशानियां और गड़बड़ी कहां से पैदा हुई।

मैं जानती हूं, मेरी जिन्दगी का बेहतरीन हिस्सा असम में गुजरा है, मैं जब असम पहुंची थी किस कदर प्यार और मोहब्बत के साथ लोग रहते थे, दिमाग में ख्याल भी नहीं था कि मैं कुछ और हूं या वह कुछ और हैं, और मैं सोच नहीं सकती थी कि असम भी कभी इस तरह से वरगलाने में आ जाएगा। यह क्यों किया गया ? मैं समझती हूं जिन लोगों ने ऐसा किया वह समझते

होंगे कि क्यों ऐसा किया। सिर्फ इसलिए कि अपनी जातियात को आगे बढ़ा सके। सुबह के वक्त चूंकि मेरा नाम लिया गया, माननीय स्टीफन ने कहा था, इसलिए बता रही हूं ताकि उस जमाने की फिजा का कुछ खाका आपके सामने रख सकूं। जिनकी बंगलादेशी कहा जाता है जब यह असम आये थे सालहासाल पहले प्रोपार्टीशन डेज में उस जमाने में जो सरकार थी उसने उनकी जमीनें दी दीं ब्रह्मपुत्र के किनारे, यह वह जमीने थी जहां कोई बीज बोयी नहीं जा सकती थी। लेकिन उन लोगों ने वहां बैठकर धान उगाया और वही जमीन जो बेकार पड़ी थी वह सोना उगलने लगी। इतने सालों से उस धान को सब असमियों ने खाया और जब कभी खाया तो यही कहते सुना कितना अच्छा धान वहां पर पैदा किया गया है। इतने दिन उसको खाने के बाद उन्हीं लोगों की मेहनत को आज कहते हैं कि उनको वहां से निकाल दो क्योंकि वह असमी नहीं हैं, वह विदेशी हैं।

जब मैं वहां चुनाव लड़ने गई थी तो मुझे किसी ने बताया वहां एक माइल स्टोन पर लिखा हुआ था इण्डियन डौग्स गो अवे। और मेरे ख्याल में इस माइल स्टोन की तस्वीर भी छपी थी जिसको सबने देखा होगा। तो इण्डियन डौग के क्या माने हैं? मतलब यह कि असम जैसे बिल्कुल अलग हो गया, यानी उनकी जहनियत इतनी खराब कर दी गई कि हम कुछ और हैं और सारा देश कुछ और है। मतलब यह कि वह हिन्दुस्तान को छोड़कर अलग रह सकते हैं। तो उनके दिमाग को इतना गन्दा कर दिया गया कि वह सोचने लगे कि असम कुछ और पूरा हिन्दुस्तान अलग है तो यह वह असम नहीं था जिसमें कभी गई थी और जहां 21 साल गुजारे। यह दूसरा असम है, ऐसा कर दिया गया जैसा कि हमारे अपोजीशन पार्टी के लोग चाहते थे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? अब इलैक्शन हो रहा है। इलैक्शन न होता तो कहा जाता कि इलैक्शन नहीं कराया और अमेंडमेंट करा कर बैठ गए क्योंकि इलैक्शन नहीं करा सके अब अगर चुनाव हो रहा वो कहते हैं कि क्यों चुनाव हो रहा है। इलैक्शन कांस्टीट्यूशन के मुताबिक हो रहा है। वहां के लोगों ने खत लिखे सुप्रीम कौर्ट को कि इलैक्शन स्टे कर दिया जाय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है कि स्टे नहीं हो सकते। क्या किया जाय? जो ऐजीटेटर्स हैं वह यह नहीं चाहते कि वहां चुनाव हो क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं कांग्रेस आई० जीत न जाए क्योंकि उसने आवाज उठाई उनके लिए जिनकी ऐजीटेटर्स विदेशी कहते हैं, बंगलादेशी कहते हैं।

असम के लोग कहते हैं कि हमारा ऐजीटेशन बड़ा पीसफ़ल है, पुरसुकून कहा जाएगा?

जहां मासूम बच्चे रहते हैं और न मालूम किन-किन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इस ऐजीटेशन को आप पुर-अमन कहेंगे? इस वक्त आप कहते हैं कि असम की भलाई या यह और बह, मैं पूछना चाहती हूं जिस समय यह ऐजीटेशन शुरू कराया गया उस समय कीं भलाई कहां चली गई थी? जो लोग असम की भलाई चाहते हैं, वह हरिगिज अपने घर को अपने हाथ से जला नहीं सकते तबाह और बर्बाद नहीं कर सकते। अगर असमी हैं, सच्चे असमी हैं असम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे तरक्की की मन्जिल पर ले जाना चाहते हैं तो वह हरगिज नहीं चाहेंगे कि उनके घर में आग लगे, बच्चे मरें और औरतें बर्बाद हों। सारा असम बजाय आगे बढ़ने के 15 वर्ष पीछे हट गया है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है?

असम को हुआ है जिस प्रकार की हरकतें की गई हैं, जो लोग यह समझते हैं कि असम को अलग करके जो संकेत है तो यह ना-मुमकिन है ।

अभी रशीद मसूद साहब ने फरमाया था कि जब कभी इलैक्शन होता है तो हमारी कांग्रेस सरकार और हमारी पार्टी सब को याद करने लगती है । बेशक, इसमें क्या सुबाह है, हम हमेशा सब को याद रखते हैं हमारे दिल में सबके वोटों की कद्र है, इज्जत है । हम जानते हैं कि तनाह कुछ नहीं हो सकता, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए । समझ में नहीं आता कि कौन-सी तरकीब आपके पास है कि बगैर किसी की परवाह किए आप इलैक्शन जीत जाते हैं? यह तरकीब आपको आती होगी हमको नहीं आती । हम तो सब को साथ लेकर चाहे हिन्दू हो, मुसलमान, सिख ईसाई कोई भी हो, सब को साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं और तरक्की की मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं ।

मैं आज यही कहना चाहूंगी । जब कि हम एक बहुत ही संगीन दौर से गुजर रहे हैं, इस वक्त हमें एकता चाहिए, यकजहती चाहिए । यह नहीं कि हमारे आपस में टुकड़े कर दिए जाएं । कोई स्कूल के बच्चे नहीं, हम सब जानते हैं कि टुकड़े होने से कमजोर हो जाते हैं । हमारे टुकड़े कर दिए जाय और हम सोचने लगे कि हम तरक्की करने वाले हैं तो तो यह हमारी खाम खयाली है ।

आज सुबहस्टीफन साहब ने एक बात कही थी कि अगर इलैक्शन असम में इस वक्त न होते तो यह सब बहकाने वाली ताकतें जो देश अपना सिर ऊंचा कर रही हैं, वह और जगह भी ऐसा करती । कई जगह कर रही हैं शुरू तो उन्होंने कर दिया है । कम से कम वहां होने से इतना तो मालूम हुआ कि इस किस्म की खराब बातें जो मुल्क को कमजोर करें, उनको रवां नहीं रखा जा सकता ।

मैं यही चाहूंगी कि हमारे कांग्रेस आई, बहिन और सब भाई बहिन इस वक्त यह देखेंगे कि मुल्क को किस चीज की जरूरत है । मुल्क को इस वक्त एकता, यकजहती और रवादारी की जरूरत है क्योंकि बगैर इसके आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं पहुंचा जा सकता ।

रवादारी ही इस मंजिल में शर्तें कामयावी हैं चलो मिलकर कि रबैत बाहिनी है, फर्ज यकजाई ।। शुक्रिया ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उपाध्यक्ष महोदय इस ओर से तथा सरकारी की ओर से बहुत से लोगों ने भाषण दिए और हस्तक्षेप किए जिन में से कुछ ने वही वाकपटटता से और कुछ लोगों ने बहुत भावुकता पूर्ण ढंग से भाषण दिए । ऐसी स्थिति में जबकि लोग इस तरह के बड़े संघर्ष में लगे होते हैं जो कि विदेशियों के लिए मात्र भ्रातृहत्या है, शब्दों का कोई असर नहीं होता और जब इस तरह की घटनायें निर्दयता से घट रही है, जैसा कि ग्रीक में हुआ था, भाषणों की सार्थकता बहुत कम रह जाती हैं । यह इस तरह के भाषण हो जातें हैं जो कि कोई इतिहास में लीग आफ नेशनल में पढ़ता है, जब कि युद्ध हो रहे थे । लेकिन भारत की प्रभुसत्त सम्पन्न संसद अपनी

जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती । अतः हमें इस पर वाद-विवाद करना ही होगा चाहे वह उसका महत्व हो ।

महोदय मुझे अपने देश विरासत में मिली लोकतांन्त्रिक प्रणाली तथा इसके मूल्यों के भविष्य के बारे में गहरी चिन्ता और वेदना है । जब मैंने असम में नेल्ली और गोहपुर में हुए सामूहिक कत्ल के बारे में पढ़ा और सुना तो मुझे न केवल अत्याधिक दुःख हुआ बल्कि शर्म महसूस हुई क्योंकि मुझे याद है इसी सदन में मैंने वियतनाम और कम्पुच्चया में हुए माईलाई हत्याकांड का उल्लेख किया था। हमें उस समय दुख हुआ था । विश्व जनता को एक जबरदस्त धक्का पहुंचा और हमने इसकी निंदा की ।

हमने सोचा था कि हमें ऐसा करने का नैतिक अधिकार प्राप्त है । लेकिन आज, दुर्भाग्य से, अब असम में जो कुछ हो रहा है उसके लिए विश्व में हमारी निंदा की जा रही है ? मैं इस असम को कोई आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ है हमें उस पर शर्म आनी चाहिए और अब हमें यह देखना है कि इस स्थिति से हम कितनी अच्छी तरह निकल सकते हैं ।

महोदय, पिछले 40 महीनों से और विशेषकर पिछले कुछ दिनों में ब्रह्मपुत्र के किनारे व्यापक रूप से जो हत्याकांड हो रहा है उसकी जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता न तो प्रधान मंत्री और न ही केन्द्रीय सरकार क्योंकि जब वे इस सदन में न केवल भारी बहुमत से आए थे बल्कि अत्याधिक सद्भावना वापिस आए थे उस समय हममें से कुछ ने पहले ही कहा था कि अब अवसर आ गया है कृपया इसे जाने दीजिए ।

फिर इस समय जो कुछ ताकतें बहुत महत्वपूर्ण थीं उन्होंने सोचा कि वे उन्हें समाप्त कर देंगे क्योंकि उन्होंने राजनीति शास्त्र चलाने की विधा सीखी जिससे पता चलता है कि इस प्रकार की स्थिति का सामना कैसे किया जा सकता है उन्होंने ट्रकों द्वारा आसाम के लोग भेजे जिसके परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण रहे उस बात पर एक दिन जब मैंने हस्तक्षेप किया तो प्रधान मंत्री ने क्रोध में कथन को बेहूदा बताया मैं कह नहीं सकता कि वे आज भी वैसा ही कहेंगे । वह अवसर चला गया है नहीं हम में से किसी ने अपने आपको प्रतिष्ठित किया आन्दोलनकारियों तथा उनकी संख्याओं ने भी ऐसा नहीं किया ।

अतः मैं यही कहना चाहता हूं कि यह मौका देश के किसी और पर लगाने का नहीं है क्योंकि यह बहुत ही नाजुक तथा गम्भीर मामला है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ नाटक ऐसे लोगों के कामों की याद आनी ही चाहिए । असम की समस्या अचानक ही राष्ट्रीय एजेन्ड समस्या नहीं बनी है विभाजन के समय एक तरह से यह समस्या थी ।

यह समस्या दशकों से विशेष प्रकार के भौगोलिक वातावरण तथा जन आन्दोलनों के कारण रही है लेकिन इस बात की ओर ध्यान दिया जाना अभी बाकी है कि पिछले 35 वर्षों से केन्द्रीय

सरकार ने आसाम की बुरी तरह से अपेक्षा की है जिसके फलस्वरूप आसाम की नई पीढ़ि के मन बहुत क्षोम रहा है। अतः में उन घटनाओं पर प्रकाश नहीं डालना चाहता जो पिछले 40 महीनों में इस आन्दोलन के दौरान हुई।

मैं इस घटना की जड़ों इसके कई चरणों वार्त्ताओं त्रिपक्षीय वार्त्ताओं इसकी असफलताओं पर भी नहीं मानता तो मैं चुनाव होने के फलस्वरूप इन प्रयत्नों की सहसा समाप्ति ही मानता हूं लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट करके शुरू करना चाहता हूं। मेरा दल बामपंथी प्रजातांन्त्रिक गठबन्धन के साथ आसाम में चुनाव में भाग ले रहा है। मुझे इसका कोई खेद नहीं मैं कोई क्षमायाचना करना चाहता हूं पिछले कुछ दिनों से मैं इस बारे में बहुत ही चिंतित रहा हूं जितना अधिक मैं इस बारे में सोचता हूं कि बुनियादी तौर पर यह एक ठीक और अच्छा निर्णय था मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है लेकिन जो कुछ वहां हो रहा है या हुआ है उसका बहुत क्षोप है सम्भवतः 1979 की मतदाता सूची जिसके आधार पर चुनाव हो रहे हैं पर्याप्त न हो में उस सेंसर-सिप के बिल्कुल विरुद्ध हूं जिसे कुछ नौकरशाहों ने लगाया और जिसे कोई उचित नहीं कह सकता।

लेकिन आज मैं अपने मित्रों मधुजी तथा अटल जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और वह यह कि क्या मतदाता सूचियों की छानबीन कुछ संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं होनी चाहिए अथवा इसकी छानबीन एक मनमानी तरीके से होनी चाहिए क्या चुनाव सूचियों से मनमानी तरीके से उचित मानते हैं क्या किसी को इसी कारण हटाए जाएं कि क्योंकि वह या कोई और व्यक्ति कहता है कि वह एक विदेशी है और उसे वहां रहने का कोई हक नहीं हैं। हो सकता हैं कि वह एक विदेशी हो लेकिन क्या यह कार्य संवैधानिक प्रक्रिया एक कानूनी प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए ? अन्यथा इन नामों को हटाना बैध नहीं होगा। किसी अबधि के कोई व्यक्ति कभी हटा सकता है इसे कोई नहीं स्वीकार कर सकता। यह मनमर्जी होगी सत्ता का एक गैर-कानूनी उपयोग होगा और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

त्रिपक्षीय वार्त्ताओं में एक भाग लेने वाला होने के नाते मैं आपको एक बात की याद दिलाना चाहता हूं जो पहले दिन और पहले घेर की बैठक में हुई थी जब एक समझौता प्रस्तुत किया गया था जिसे तैयार करने में मेरा हाथ था। वे आसू तथा गण संग्राम परिषद के प्रतिनिधि इस बात से सहमत हो गए थे कि सभी समझौते।

> "संविधान तथा नागरिकता अधिनियम विदेशी आधिनियम तथा पारपत्र अधिनियम आदि राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित होने चाहिए।"

अतः वे इस बारे में सहमत हो गए थे। ऐसा न हो कि कोई इस बात को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसलिए सहमत हुए कि यही एक कानूनी दृष्टिकोण है जिसे हर व्यक्ति स्वीकार कर सकता है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम हटाया जाना हो कि क, ख अथवा ग विदेशी हैं तो उन्हें केवल कुछ कानूनी अथवा आपसी स्वीकार्य प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है।

अतः यह भी स्पष्ट था कि यह एक अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया थी। जब हम कई दिनों तक प्रश्नावली बनाते रहे तो किसी ने कल्पना भी नहीं की अथवा सुझाव दिया कि इसे तुरंत किया जा सकता है। उस समय भी हममें से कुछ ने लिखा मुझे खेद है कि सेठी जी तथा वेंकटरामन जी यहां नहीं हैं कि सम्भवतः आपको इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आपको चुनाव कराने पड़ेंगे।

मैं बीच में गोहाटी तथा शिलांग में हुई घटनाओं के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, जिससे निश्चय ही इस महान् प्रजातंत्र में राज्यपाल का गौरव नहीं बढ़ता इस बारे में जितना कम कहें, उतना ही अच्छा है। जब उन लोगों को, जिनका आसाम विधान मंडल में बहुमत था, सरकार बनाने से रोका गया और जिन लोगों का बहुमत नहीं था, अर्थात वे लोग जो अब प्रजातंत्र की बातें कर रहे हैं, उन्हें तैमूर तथा गोइपेई जैसे लोगों को सरकारें बनाने तथा तैमूर को हटाने, और गोइपेई को हटाने आदि आदि की अनुमति दी गई। बाद में यही कुछ हुआ।

इससे निश्चय ही इन लोगों से, जो संवैधानिक मूल्यों का आयकर करते हैं, कोई श्रेय नहीं मिला है।

लेकिन मैं एक बात पूछता हूं और मैं अपने मित्रों से जानना चाहता था—अप्पू नेताओं से जानना चाहता था—जो दुर्भाग्यवश अब भूमिगत हैं और इस प्रकार के अन्धेलन का नेतृत्व कर रहे हैं।

उनके भूमिगत होने से पहले मैं उनसे बात कर चुका था। संवैधानिक वाधाओं के लिए आपके पास क्या हल है? मैंने उनसे कहा कि मैं उन लोगों में से हूं जो कई कारणों से सरकार पर चुनाव न कराने तथा स्थगित करने सम्बन्धी पूरे अधिकारों के मामले में विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूं कि उसका उपयोग अपने वाले समय में कहीं और स्थानों पर प्रजातंत्रीय प्रयोगों के विफल करने के लिए किया जाएगा अब यह आसाम में है कल यह कहीं और हो सकता है फिर ऐसा ही चलता रहेगा जो प्रजातंत्र को चोट पहुंचाएगा, अत मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा जिसका मुझे उत्तर नहीं मिला—क्या आप राष्ट्रपति तथा केन्द्रीय नौकरशाहों का शासन चाहते हैं अथवा अपने लोगों का राज चाहते हैं—जिन्हें भी आप चाहें। इसका कोई उत्तर नहीं आया। इसका उत्तर उन में से कोई भी नहीं दे सका—कि क्या आप राज्य को राष्ट्रपति राज में नौकरशाहों को सोचेंगे? उनके पास कोई उत्तर न था। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव बहिष्कार का निर्णय एक असाधारण स्थिति है जिसे मैं नहीं समझ सकता। उन्होंने राजनैतिक दृष्टि से प्रतिक्रिया वाली स्थिति को अपनाया है।

मैं कुछ समझ भी सकता था क्योंकि उन्होंने इन सब लोगों का बाहर निकालने का वचन दे दिया था और वे ऐसा कर नहीं पाए। अतः उन लोगों के सामने कैसे जायें। यह तो शेर पर चढ़ने जैसी बात है। ऐसा निर्णय लेना, शेर पर चढ़ने वाली जैसी बात है। आप उत्तर नहीं दे सकते। मैं बहिष्कार के लिए की गयी अपील को समझ सकता था। लेकिन इसके हर कदम के पीछे कोई न कोई उद्देश्य था जो हिंसा और नरसंहार में परिणत हुआ। मैं नहीं कह सकता कि यह

हिंसा अचानक हुई है यह उद्देश्यपूर्ण है। यह संयोगवश नहीं है। अब आज क्या हो रहा है? मैं आज कुछ विस्फोटकों के बारे में पढ़ रहा था। यह एक सचेत उद्देश्य का परिणाम है। यह संयोग नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी सूचना है। उनके पास जो सूचना है, उसे सभा को भी दिया जाना चाहिए क्योंकि अब मैं नहीं जानता कि यह समाचार किस समाचार पत्र में छपा—कामरूप जिला एक विस्फोटक कारखाने के रूप में परिवर्तित हो गया है। कामरूप, जिसे संस्कृति तथा तंत्र विद्या का एक बड़ा केन्द्र माना गया है। जैसे कि डाक्टर कर्णसिंह हमें बतायेंगे, अब एक तरह से एक प्रयोगशाला में बदल गया है। अतः उन्हें यह सूचना हमें देनी चाहिए।

अब इस हिंसा के दौरान असहनशीलता तथा जोश का वातावरण सारे राज्य में फैल गया है। अब मैं अपने मित्रों मेरे दिल में उनके लिए बहुत अच्छा तथा प्यार है—मधु जी तथा अटलजी से आशा रखता हूं कि वे इस हिंसा की निंदा करें। इस बारे में दो रास्ते नहीं हैं। हो सकता हैं कि उन्होंने निंदा कर दी हो। लेकिन इनके तथा अटल जी से कुछ मित्र छाती उठा कर भिन्न भाषा बोलते हैं। यहां मैं कुछ कहना चाहता हूं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, एक बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। मैं कहना चाहता हूं कि आसाम के विद्यार्थियों की नीति कितनी प्रतिक्रियावादी तथा राजनैतिक रूप से मूर्खतापूर्ण रही है। कुछ संवैधानिक योजनाओं से अन्तर्गत कुछ नाम हटाए गए थे और कांग्रेस के अन्दर यह चर्चा चली कि क्या वे परिषद में जाएं या नहीं—'नो चेंजरर्ज', 'प्रो-चेंजरर्ज और पहले से महान् हस्तियां—सभी इस चर्चा में शामिल थे।

लेकिन कांग्रेस ने चुनाव लड़ा बात यह नहीं थी कि यह आखरी लक्ष्य नहीं था। कांग्रेस परिषद अथवा विधान सभा में प्रविष्ट हुई। रुचि लेने वालों को अनुमति दी गयी। लेकिन इसका कारण यह नहीं था कि कांग्रेस ने आजादी के आखरी लक्ष्य से समझौता किया।

अतः मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि बहिष्कार का रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है। इससे ऐसी हिंसा और आंतक का जन्म हुआ जो अब तक अन्य राज्यों में अनसुनी थी। क्या हम इसके परिणामों से अपनी आंखें मूंद सकते हैं? इससे मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि चुनाव एक हल था और राज्य के सभी समस्या का समाधान था।

आन्दोलन से उत्पन्न आसाम के समस्या और वहां की पहली समस्या हमारे राष्ट्र की समस्या है मैं इस मामले पर विशेष बल देना चाहता हूं। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष ने ही हमें एकता के सूत्र में बांधा है। उस समय महात्म गांधी की दूरदर्शिता ने ही हमारी क्षेत्रीय एकात्मकताओं हमारी क्षेत्रीय शक्तियों और हमारे क्षेत्रीय जीवनज्ञापन तरीकों को महत्व से अनुभव किया था। इस बात को मानने में कोई खराबी नहीं है। यह भारत में जीवन का एक तथ्य है।

मैं लोगों से कुछ लोगों द्वारा क्षेत्रीय दलों अथवा आन्दोलनों से पृथकतावादी कहते सुनता हूं। यदि आप राष्ट्रीय दल अथवा राष्ट्रीय आन्दोलन से भाग नहीं है, तो आपको पृथकतावादी

समझा जाता है या आपको राष्ट्रविरोधी माना है। यह एक खतरनाक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी, इसलिए तो 1920 में महात्मा गांधी ने कहा था, कांग्रेस के विभाजन, भाषायी प्रान्तों के आधार पर करना होगा ; कांग्रेस में कई लोगों ने इसका विरोध किया और कहा, "यह आदमी क्या बात कर रहा है" उसने कहा, "नहीं।"

आन्ध्र विश्वविद्यालय के अभिलाशा में बोलते हुए तत्कालीन उप-कुलपति डा० सी० आर० रेड्डी को उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था "भारतीय इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रवाद का यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमारे देश में फिर भी एकता है ! श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी विभिन्नता में एकता के सिद्धांत पर जोर दिया था।"

एकरूपता को इस देश में लागू करने से एकता प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति यह कल्पना करता है कि शक्तियों के केन्द्रीयकरण करने अथवा एकरूपता को लागू करने से एकता को प्राप्त किया जा सकता है, तो वह गलती करता है। इसी कारण से हमने एकात्मक राज्य की बात करने का विरोध किया था, जिसका मेरे माननीय मित्र श्री वाजपेयी जी कुछ समय पूर्व विरोध किया करते थे। इस प्रकार के राष्ट्रवाद को इस देश में कायम नहीं किया जा सकता। इसी कारण से महात्मा गांधी ने भी जब वे असम साहित्य सभा को सम्बोधित करने गये थे, तब उन्होंने असम सम्बन्ध में कहा था "स्वतंत्रा भारत में आप सबके समान होंगे।" उन्होंने उनको इसका आश्वासन दिया था राष्ट्रीयता का हमने इस प्रकार विकास किया है जिसका कुछ समय पूर्व मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उल्लेख किया था। हमारा मिश्रित राष्ट्रवाद है। हमें इस तथ्य को पहचानना चाहिए। एक आधुनिक राष्ट्र की आवश्यकता भी है राष्ट्रीय आयोजन रक्षा तथा आर्थिक पूर्ति की आवश्यकता हैं।

असम में एक मूल समस्या आर्थिक पूर्ति की भी है। यदि कोई व्यक्ति आता है तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि वे यह व्यक्ति भी हमारे हिस्से को विभाजित करेगा। अतः जब तक आप विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं करते हैं और राष्ट्रीय लाभों को विस्तृत करने के लिए अपनी नीति को विस्तृत नहीं बनाते हैं तब तक क्षेत्रों के बीच तथा एक क्षेत्र के अन्दर भी हमेशा आशंका बनी रहेगी। इसके लिए हमारी आर्थिक प्रगति में मूल रूप से नया परिक्षेप होना चाहिए जो समाजवादी जागरुकता पर आधारित हो।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि असम की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसे अभी हल नहीं किया जा सका है, जिसको हल करने की आवश्यकता है। केवल चुनावों के द्वारा ही इसको हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए मूल रूप से नयी नीति अपनाने की आवश्यकता है। एक अन्य प्रश्न जिसके बारे में मैंने अभी कुछ समय पूर्व जिक्र किया है सांस्कृतिक पहचान के प्रश्न से सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय : बाद में हम इस पर एक सामान्य चर्चा करेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्ण : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती

मैं यह चाहता हूं कि असम के मेरे मित्र यह समझें कि बंगाली उनके शत्रु नहीं है। पूर्व में बंगाली अतिराष्ट्रयिता का भूत हमेशा कायम रहा है। यह केवल असम में ही नहीं, बल्कि उड़ीसा में भी तथा पूर्वोत्तर के अन्य भागों में भी है। दक्षिण के कुछ भागों में तमिल अतिराष्ट्रयिता का भूत भी सवार रहा है। लेकिन में सब बाते असंगतपूर्ण है और जहां पर भी हमें ये प्रवृत्तियां नजर आयें हमें उनका सामना करना है ताकि इस देश की एकता को सुनिश्चित किया जा सके।

मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि असम में जो हिंसा की वारदातें हुई हैं हमें उनको देखकर न केवल शर्म से अपने सिर झुका लेने चाहिए बल्कि हमें बैठ कर इस पर विचार करना चाहिए।

डा० **कर्ण सिंह** : (ऊधमपुर) : महोदय, ग्रीक की दुःखद घटना की भांति, जो पृथम दृश्य से ही संकट की ओर कठोरता तथा दृढ़ता से बढ़ती है असम की स्थिति भी पिछले पांच अथवा छः वर्षों से उसी रूप में प्रकट हुई है। अन्त पाशविक तथा शोक की स्थिति से आतंकित हुआ है।

असम के फोटोग्राफों को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि असम में एक बहुत भंयकर घटना हुई है। असम में एक दिन में ही इतने व्यक्ति मारे गए हैं, जितने संभवत हमने भारत पाकिस्तान के प्रत्येक युद्ध में भी नहीं खोये थे। हमने असम में "गृह युद्ध" के कारण इन लोगों को खो दिया है।

यह दुःखद घटना बहुत गंभीर है और मेरा यह विचार है कि इस पर दलगत भावना से विचार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री **एम० राम गोपाल रेड्डी** (निजामाबाद) : यह कोई गृह युद्ध नहीं।

डा० **कर्ण सिंह** : जब भारतीय ही भारतीयों को मार रहे हैं तो क्या वास्तव में यह गृह युद्ध नहीं है। इसके सिवाय यह क्या है ? कोई भी व्यक्ति इस शब्द को इस्तेमाल करना नहीं चाहता है। लेकिन आपने 6,000 लोगों को अपने आदमियों से कत्ल करवा दिया है। मैं श्री रेड्डी की इस बात से सहमत हो सकता हूं कि साहित्यिक दृष्टि से इसको गृह युद्ध नहीं कह सकते। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीय लोग ही भारतीयों को मार रहे हैं। औरतों तथा बच्चों का कत्ल किया गया है। पिछले चार अथवा पांच वर्षों से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही हैं। मैं अति संवेदन शील सीमावर्ती राज्य से आता हूं। मैं महसूस करता हूं कि इस सम्पूर्ण स्थिति से राष्ट्रीय एकता को गंभीर खतरा है।

असम के नौजवान विद्यार्थियों की देश भक्ति की भावना के बारे में कोई भी विवाद नहीं कर सकता। वास्तव में, उनके प्रति हम सभी गहरी सहानुभूति रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से यह स्थिति सामने आई है मुझे उसके बारे में चिंता है। पिछले पांच या छः वर्षों में असम की स्थिति को गलत तरीके से निपटाने की कोशिश की गई है। भारतीय एकता का विरोध करने वाली एजेंसियां स्थिति का लाभ उठा रही हैं। स्थिति इतनी साधारण नहीं है जितनी लगती है।

व्यक्तिगत अनुभव से हम यह जानते हैं, कि इन संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में ये सभी प्रकार की विघटनकारी शक्तियां इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रही हैं।

इसके अलावा, आज मैंने सदन के दोनों पक्षों द्वारा दिए गए भाषणों को बहुत ही दिलचस्पी से सुना है। एक निर्दलीय सदस्य होने के नाते मैं किसी भी पक्ष की ओर नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय आप सभी के लिए आकर्षक बने हुए हैं।

डा० कर्ण सिंह : मैं वास्तव में सदन के दोनों ही पक्ष के कुछ वक्तव्यों को बंधाई देना चाहता हूं। कुछ तो बहुत ही बेहतर भाषण किए गए हैं। बहुत ही प्रभावित करने वाले तथा चर्चा के मुद्दे उठाए गए हैं। जहां तक दोषी ठहराने का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति हमें दोषी ठहराएगा। यह बात बिल्कुल सच है कि यह स्थिति जिस रूप में उत्पन्न हुई है, इसको सरकार द्वारा बहुत ही दूरदर्शन से निपटाया जा सकता था।

यह बात संभव हो सकती है कि विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा कार्य किया हो और इसके बावजूद कि असमिया बोलने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपना जरूरत से अधिक हाथ बढ़ाया हो।

मुझे काफी समय तक चलती रही वार्ताओं की जानकारी प्राप्त है और अन्ततः इनसे कुछ भी निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

हो सकता है विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार न किया होता और चुनाव आयुक्त भी यह कह सकता था कि इस समय चुनाव कराना उचित नहीं है। इन सभी की संभावनाएं थीं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समय किसी भी पक्ष को दोष देना नहीं चाहता हूं मैं इस समय यह चाहता हूं कि अब क्या किया जा सकता है, अब हमारा क्या कर्त्तव्य है। क्योंकि इस समय स्थिति बिगड़ गई है। हिंसा की वारदातें अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं जैसा कि मैंने कहा है संभव हो सकता है कि हिंसा की चिन्गारियां सारे असम में फैल जाएं जिसका दूसरी जगह पर भी प्रभाव पड़ सकता है अतः दोनों पक्षों के भाषणों को सुनने के पश्चात मैं चार सूत्री कार्यक्रम आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं यह महसूस करता हूं, कि सरकार तथा विपक्षी दलों की ओर से इस पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिए।

मेरा पहला मुद्दा यह है कि सबसे पहले वहां पर नागरिकों के लिए कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पैदा की जाए तथा नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाए। कोई भी राज्य जो अपने नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है वह वास्तव में शासन करने के लिए योग्य नहीं है। अतः मुझे ऐसा लगता है कि अब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है और मैं ऐसा महसूस नहीं करता हूं कि नई विधान सभा की आशा करना यथार्थवादी होगा अथवा नहीं। तथापि, चाहे यह प्रतिनिधित्व करे अथवा नहीं लेकिन फिर भी एक कामचलाऊ सरकार को वहां पर स्थापित किया जा सकता है। मुझे इस बात की चिन्ता है कि यह इस विषय से अलग की बात है। अतः इस समय

हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है । सिवाय इसके कि चुनी गई विधान सभा को स्थगन की स्थिति में रखा जाए तथा राष्ट्रपति शासन को उस राज्य में एक वर्ष के लिए जारी रखा जाए । लेकिन आज के शासन की तरह उसको न चलाया जाए जिसमें लोग अपने जीवन तथा सम्पत्तियों की सुरक्षा करने में भी समर्थ नहीं है । इसलिए यदि आवश्यक हो तो वहां पर एक नए राज्यपाल को भेजा जाए, नए सलाहकारों को वहां पर भेजा जाए । वहां पर आपको कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को पुनः स्थापित करना चाहिए ।

यह प्रश्न हिन्दू, अथवा इकाई अथवा आदिवासी का नहीं है । मैं विराट हिन्दू समाज का प्रेसीडेन्ट हूं । लेकिन यदि इस देश में कोई मुस्लिम व्यक्ति उत्पीड़ित किया जाता है अथवा मारा जाता है तो ऐसी स्थिति में मुझे हिन्दू होने के नाते इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए । यह प्रश्न किसी धर्म से सम्बन्धित नहीं है । यह प्रश्न इस बात से सम्बन्धित है कि भारतीय नागरिक शान्ति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें । वहां पर हिन्दुओं मुसलमानों, आदिवासियों तथा बंगालियों का कत्ल किया गया है । हम उस राज्य की स्थिति को किस रूप में संभाल रहे हैं । क्या हम धीरे-धीरे अराजकता की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं । भारत सरकार की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी यह है कि उस राज्य में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को पुनः बहाल करे । अतः आपको इस विधान सभा को स्थगित रूप में रखना चाहिये । यदि आवश्यक हों तो आपको एक नए राज्यपाल तथा नए सलाहकारों को नियुक्त करना चाहिए । आपको वहां पर कानून तथा व्यवस्था को तुरन्त पुनः बहाल करना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि इस आन्दोलन के भयानक कत्लों तथा झगड़ों से जो स्थिति बिगड़ी है उसको सुधारने में कई दशक का समय लगेगा । आप कानून तथा व्यवस्था को लागू कर सकते हैं लेकिन आप लोगों के दिलों तथा दिमागी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते । मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि दोनों सदनों के सभी दलों का एक संसदीय शिष्टमण्डल शीघ्र ही असम में भेजा जाना चाहिए तथा कोई समाधान ढूढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए तथा मदद करनी चाहिए । संसद के सदस्य होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि इसको राष्ट्र के साथ मिलाकर रखा जाए । अब एक भाई का हाथ अपने दूसरे भाई के खिलाफ उठ जाता है तो हमें यह चाहिए कि उनकी मदद करें ताकि वे मिलकर चल सकें । हमें केवल फोटोग्राफों को देखकर अपने सिर ही नहीं झुका लेने चाहिए हमें इस स्थिति में हाथ बटाना चाहिए । यह मेरा दूसरा मुद्दा हैं ।

मेरा तीसरा प्रस्ताव है कि वहां के लोगों को भारी मात्रा में सहायता सामग्री और इनके पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए । जब कभी विपदा मानी है जैसे जब आन्ध्र प्रदेश में समुद्र में ज्वार भाटा आया था तो उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, सारे देश ने इनको सहायता पहुंचाई थी । यह एक राष्ट्रीय विपदा है । यह कोई बंगालियों या असमियों की समस्या नहीं है । यह भारतीयों की समस्या है । इसके लिए व्यापक सहायता और पुनर्वास कार्यक्रम होना चाहिए । रेडक्रास और अन्य सभी एजेंसियों और ठोस कार्य करने वाले कार्यकर्त्ताओं की एजेंसियों को अवश्य वहां जाना चाहिए और उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए । मैदानों में शव सड़ रहे हैं ।

वहां हजारों लोग घायल हुए होंगे। यहां यह भी कहा जा रहा है कि वहां दवाईयां उपलब्ध नहीं हैं क्या देश में नागरिकों के कर्त्तव्य नाम की कोई चीज नहीं रह गई है ? हम इन सब चीजों को एकदम इकट्ठा करके वहां उनके पुनर्वास और सहायता के लिए इनको क्यों नहीं पहुंचा सकते ?

चौथी बात यह कि वार्ता पुनः शुरू की जानी चाहिए। लोकतन्त्र में आप पुलिस या हथियारों द्वारा, किसी भी समय तक, कोई भी समस्या हल नहीं कर सकते। आपको वार्ता पुनः शुरू करनी होगी। जो नेता आपने गिरफ्तार किए हैं उनको छोड़ना होगा। वार्ता को पुनः शुरू करना होगा। यह एक बहुत उलझा हुआ मसला है। हम जम्मू और काश्मीर में भी शरणार्थियों की समस्या से निपट रहे हैं। मैं विषय की जटिलता को जानता हूं। अब जब कि इन मौतों और दुखों के रूप में इतनी बड़ी कीमत अदा की जा चुकी है तो कम से कम वार्ता के पुनः शुरू होने पर समझदारी से काम लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जो हजारों की संख्या में हमारे भाई-बहिनों की हत्या हुई है वह नहीं होती।

इस समस्या का कोई न कोई हल निकालना ही होगा। अगर भारत माता जीवित रहती है तभी असम, कश्मीर, आन्ध्र और अन्य राज्य बने रह सकते हैं। अगर भारत माता ही नहीं रहेगी, अगर इसके टुकड़े हो जाते हैं तो बाहरी शक्तियां उसे हड़पने और हमें तहस-नहस करने को तैयार बैठे हैं। एक हजार वर्षों के बाद भारत एक स्वतन्त्र प्रभुसत्ता सम्पन्न और लोकतान्त्रिक देश के रूप में उभरा है। हमारा देश महान है। हमें अब पुनः इस एकता को पुनःस्थापित करना है। इस सदन को स्थिति की गम्भीरता को पहचानना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कल जब इनका जवाब दें और अपने-अपने अच्छे और योग्य मित्र प्रो० मधु दण्डवते से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे इस चार-सूत्री कार्यक्रम को स्वीकार करें या इसका विस्तार करें और कल किसी ठोस निर्णय पर ताकि हम सब असम समस्या के समाधान और राष्ट्रीय मेल-मिलाप की प्रक्रिया में सहयोग दे सकें।

धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल व्यास(भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय असम के सम्बन्ध में यहां बात हो रही है। असम की जो समस्या यहां उपस्थित हुई है उसके पीछे जो कारण हैं उनको खास तौर से देखा जाना चहिये। मैं सी० पी० ए० की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस चुनाव में हिस्सा ले कर ऐसा काम किया है जिसकी वजह से देश में डैमोक्रेसी सुदृण होगी। मगर जिन्होंने चुनाव का वायकाट किया है उन्होंने भारत माता के लिए सबसे बुरा काम किया है, इसके डिसइंटेगरेशन के सम्बन्ध में यह कदम उठाया है और अपने को देश भक्त बताया है इनकी कहनी और करनी में बड़ा अन्तर है। माननीय वाजपेयी जी ने भाषण दिया जो हालत असम में पैदा किये उनका देश कभी नहीं भुला सकेगा। इस प्रकार के इनके कारनामे हैं जिनको हर देश भक्त याद रखेगा। माननीय वाजपेयी जी ने और उनकी पार्टी ने तथा अन्य दलों ने भी जिन्होंने चुनाव के वायकाट किया है

उन्होंने जो देश की डिसर्विस की है उसको कोई नहीं भूल सकेगा। इस प्रकार के लोग यहां रहते हैं और ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं तो हम तमाम लोगों को विरोध करना चाहिये हर स्तर पर तब यहां की व्यवस्था ठीक से चल सकेगी। आज देश में इस बात की आवश्यकता है। यह बात सही है जो फौरेनर्स की बात कही गई हमारे ऊपर जो पार्टीशन की जिम्मेदारी आयी है उसको निभाने के लिये भारत सरकार ने कदम उठाये हैं और हमारे ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां भी हैं जब 1965 की लड़ाई हुई एक माननीय सदस्य ने ठीक कहा था, उस वक्त जिस प्रकार की टेशन थी बंगला देश में उसकी वजह से वहां के लोग सोचते थे कि भारत में जाने के बाद उनकी रक्षा हो सकेगी सुख सुविधा रहेंगे वह लोग अगर वहां पर आये और 20 मार्च तक रहे दो, तीन चुनाव में हिस्सा भी लिया और अब उनको कहा जाय कि निकाल दिया जाय तो यह व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिये इसको रोका जाय। मैं सरकार की तारीफ करता हूं कि उससे ठीक फैसला करा लिया कि यहां पर चुनाव कराए जायें।

इलैक्शन के सिवाय और कोई चारा नहीं था, जो हम यहां कर सकते थे। आज थोड़ी देर पहले अलग-अलग पार्टियों के लोगों ने जो विवरण दिया इस सम्बन्ध में कि कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए या नहीं, उससे आपको मालूम पड़ गया होगा कि कहीं मार्क्सवादी पार्टी ने और कहीं वी० जे० पी० और जनता पार्टी ने विरोध किया। एक राय से जब तक यह सारी पोलिटिक्ल पार्टी तैयार नहीं होती है, तब तक कोई भी कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें दो-तिहाई से ज्यादा वोट चाहिए, नहीं हो सकता है। इसलिए इसके सिवाय और कोई चारा सरकार के सामने नहीं रह गया था कि चुनाव कराए जाएं।

जिस प्रकार के हालात वहां पैदा हुए हैं, उसमें विरोधी पार्टियों की जिम्मेदारी हैं, जिन्होंने वहां के लोगों को उकसा कर दंगे और फिसाद कराये हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि 1,000 आदमियों का कत्ले आम हो गया, इससे बुरी बात और नहीं हो सकती। इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है बल्कि वी० जे० पी० की और उन पार्टियों की है जिन्होंने वहां कौमुनल टेंशन फैलाने की कोशिश की।

दिल्ली के चुनाव में इस पार्टी को बड़ी उमीद थी कि हम दिल्ली का चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए यहां इन्होंने विरोध नहीं किया और अशांति पैदा नहीं की। अगर इनको मालूम होता कि इस प्रकार के रिजल्ट आएंगे, जैसे कि अब आए हैं तो निश्चित तरीके से ये दिल्ली में भी अशांति पैदा करने की कोशिश करते।। इनका दिल और दिमाग यह है कि येन-केन-प्रकीरण सत्ता पर कब्जा किया जाए। इस प्रकार की इनकी नियत है और कोई काम इनका नहीं है। इस प्रकार की इनकी नियत है और कोई काम नहीं है। इनका न कोई सिद्धान्त है और न कार्यक्रम है। इनका सिद्धान्त केवल यह है कि चाहे तलवार से या धोखेबाजी से यह अन्य प्रकार से इस राज्य पर कब्जा करो और उसके बाद तानाशाही, जिसमें आर० एस० एस० विश्वास करता है, उसकी इस देश में स्थापना करके इस देश में एकाधित्य का राज्य करे जिसमें इन्हें कोई हटा नहीं सके। इस तरह की हालात यह पैदा करना चाहते हैं और जगह-जगह अशांति फैलाना चाहते हैं।

आज कई पार्टीज हैं जो देश को खण्ड-खण्ड में विभाजित करने की कोशिश करती हैं। ऐसी परेलिटिक्ल पार्टीज के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको बैन कर देना चाहिए, उनका अस्तित्व ही समाप्त कर देना चाहिए ताकि वह दोष का विभाजन न करा सके और देश को खण्डित न कर सकें।

हमारी सरकार ने और हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने इलैक्शन का जो डिसीजन लिया है, वह बिल्कुल वाजिब डिसीजन है और उसकी वजह से आज जो भी जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है उसकी जिम्मेदारी इन लोगों पर है। हमारे डाक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है, सबको स्थिति पैदा करनी चाहिए जिससे असम में शांति हो, सब लोग मिल-जुलकर काम कर सकें वहां की आर्थिक स्थिति सुधरे और वहां डैवलपमेंट के काम की स्थिति मजबूत बने। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिससे सही काम चल सके।

हम यह भी नहीं चाहते कि जो लोग वहां, 20,20 और 25,25 साल से रह रहे हैं जो वहां नागरिक बन गए हैं, उनको किसी भी प्रकार वहां से हटाया जाए कि बल्कि उनको जो अधिकार प्राप्त हो गया है, उससे उनको वंचित न किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे असम हिन्दुस्तान का मुख्य अंग बनकर रहे और देश की प्रगति के साथ वह भी प्रगति करता रहे।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर व्यवस्था बनाने में सभी लोगों को अपना पूरा सहयोग देना, चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी इस कार्य में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। इस समय असम में जो अशान्ति पैदा हुई है उसका निवारण करने में सभी को मिलकर अपना सहयोग देना चाहिए ताकि वहां पर शान्ति स्थापित हो सके और वहां की व्यवस्था ठीक प्रकार से चले तथा यह देश खण्डित होने से बच चलस केएवं सभी लोगइस देश की प्रगति के लिए काम कर सकें।

धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री इन्द्रजीत यादव बोलेंगे। तब आखरी वक्ता, श्री जी० एम० बनातवाला बोलेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : श्रीमन्, आज असम के लोगों के और हमारे दिल रो रहे हैं, क्योंकि वे सारे भारत के एक अभिन्न अंग हैं। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण-राष्ट्रीय दुःखद घटना है जो कि देश में घटित हो रही हैं, असम के लोगों को सबसे भयानक साम्प्रदायिक दंगों और हिंसा से गुजरना पड़ रहा है। देश के इस भाग हिंसा का सबसे खतरनाक खेल और साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन का पहला कार्य इस देश में हिंसा की सर्वसम्मति से निन्दा करना होना चाहिए। हमने कभी भी, यहां तक कि स्वतन्त्रता-संगाम में भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। हमारे राष्ट्रपिता श्री गांधी ने कहा था कि हम वर्षों और दशकों तक इंतजार कर सकते हैं 'लेकिन सच्चाई और अहिंसा के मार्ग को छोड़कर हिंसा का मार्ग नहीं अपनायेंगे।' यह

दुःख की बात है कि आजादी के 35 वर्ष बाद देश के कुछ हिस्सों में पागलपन सवार है। मेरे पास 'टेलीग्राम' समाचार पत्र हैं। इसमें कहा गया है कि "नेल्ली के कत्ले आम में 600 लोगों की जानें गईं—शुक्रवार प्रातः को नौगांग जिले के जागीरोड के नजदीक नेल्ली के आसपास के गांवों के समूह में हुए हमलों में कम से कम 800 बंगाली मुसलमानों की मृत्यु हुई।"

यह कत्ल पुलिस या सी० आर० पी० या सेना के लोगों द्वारा नहीं किए गए, बल्कि एक प्रकार के लोगों द्वारा दूसरे प्रकार के लोगों पर किए हैं। जो लोग मरे हैं, उनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक है। उनके मन में मासूम बच्चों के लिए कोई प्यार नहीं है, न ही हमारी माताओं और बहनों के लिए इज्जत है। इस पर देश को बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए। इसका हल ढूढ़ने के लिए हमें अपने मनों को टटोलना चाहिए। लोगों के मन में साम्प्रदायिकता का उन्माद है, घृणा का वातावरण है, बड़े पैमाने पर हत्याएं की जा रही हैं, और हम बहुत ही ज्यादा पाशविक अमानव बन गये हैं। हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए। आजादी के 35 वर्षों के बाद हम किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ गलत है। हरिजनों की हत्या करने के लिए, उनको एक पंक्ति में खड़ा किया जाता है। गरीब लोगों और कमजोर वर्गों के लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। वे इन लोगों का इसलिए कत्ल कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों का धर्म अलग है, वे अलग भाषा बोलते हैं और उनके अलग रहने का ढंग अलग है।

ऐसा वातावरण क्यों है ? मैं इस देश में इस कत्लेआम, इस हिंसा पर और घृणा पर खासतौर से दुःखी हूं। इन हालातों में हम सबका एक कर्तव्य है कि कल यह सदन असम के लोगों के नाम अपील जारी करें कि वे साम्प्रदायिक तालमेल बहाल करें और परस्पर विश्वास की भावना पैदा करें, हिंसा से बचें, हिंसा की निन्दा करें और शान्ति से रहें। इस देश के राष्ट्रीय मंच के रूप में इसका यह सबसे पहला और आवश्यक कार्य होना चाहिए।

मैं यहां पर इसे वाद-विवाद के लिए चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता। यह चर्चा का प्रश्न नहीं है। हमें अपने देश के आसपास होने वाली घटनाओं पर गम्भीरता से सोचना चाहिए। असम में कुछ लोगों का समूह अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए यह सब कर रहा है और इस प्रकार की हिंसा के लिए जिम्मेवार हैं। उनकी संविधान, मातृभूमि, लोगों और मानवीय मूल्यों में आस्था नहीं है। उनका पर्दाफाश करना ही चाहिए।

आज हमारे सामने एक गम्भीर प्रश्न है। यह कैसे हो गया कि वे किसी तरह कुछ लोगों को गुमराह करने में सफल हो गये और इस तरह असम आन्दोलन एक जन-आन्दोलन बन गया ? इसमें लोग शामिल हैं। इस देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सरकारी कर्मचारियों ने इतनी बड़ी तादाद में कार्य करने से मना किया हो। वहां पर सरकारी कर्मचारी और यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों ने कार्य करने से मना कर दिया। यहां तक कि बूढ़े लोगों और औरतों ने तथा स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों ने भी इस आन्दोलन का समर्थन किया है।

इसका एक अन्य पहलू भी है। शायद वे आवाज उठाने वाले लोग हैं जिनका संस्कृति और

भाषा के नाम में अपना निहित हित है । वहां 60 से 90 प्रतिशत गरीब लोग हैं, क्योंकि वे अलग अलग हैं, इसलिए उनकी कोई आवाज नहीं है, वे अपने आप को संगठित नहीं कर सके हैं, नहीं तो घटनायें इस तरह घटित न होतीं ।

मैं अच्छी प्रकार से समझा हूं कि वहां पर चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व था और इसी कारण वहां चुनाव कराए गये हैं । इससे बचा नहीं जा सकता था । अगर प्रो० मधु दण्डवते या श्री वाजपेयी या अन्य कोई मित्र यह आश्वासन देते कि छः मास या कुछ समय बाद वहां पर सामान्य स्थिति आ जायेगी, तब तो ऐसा करना ठीक था, लेकिन ऐसी बात की गारंटी कौन दे सकता है ? पिछले तीन वर्षों में हम ऐसा नहीं कर सके, वहां के 80 प्रतिशत लोगों का इस सदन में प्रतिनिधित्व नहीं था, और वे पिछले तीन वर्षों से अपनी विधान सभा के लिए भी अपने प्रतिनिधि नहीं चुन सके । क्या देश में संसदीय लोकतन्त्र की रक्षा के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था । कुछ लोगों ने कहा कि, "आप हमारी मांगें माने नहीं तो हम बन्दूकें उठा लेंगे, नहीं तो हम देश में संविधान से नहीं चलने देंगे । क्या हम ऐसा करके संसदीय लोकतन्त्र के हित में कार्य कर रहे हैं ? कल आन्ध्र प्रदेश में जो दल जीतकर आया है, वह कह सकता है कि क्योंकि लोग उसके साथ हैं इसलिए या तो भारत सरकार यह कार्य करें या वे सरकार को चलने नहीं देंगे । उस हालत में क्या स्थिति होगी ? कुछ दिन बाद कोई और ऐसी ही आवाज उठायेगा । इसलिए हमें सिद्धान्त रूप में कुछ निर्णय लेना होगा । इसलिए कुछ बातों पर राष्ट्रीय मतैक्य होना आवश्यक है और कुछ आधारभूत सिद्धान्तों पर राजनीतिक आचरण संहिता होना भी अनिवार्य है । जिससे कि इस देश में हम लोकतन्त्र की रक्षा कर सकें और उसे मजबूत बना सकें ।

मैं सरकार से भी एक निवेदन करना चाहता हूं । आपने वहां संवैधानिक दायित्व की पूर्ति कर दी है । लेकिन हर कोई अपने मन में यह अच्छी तरह जानता है कि असम के इन चुनावों का कोई महत्व नहीं । अगर आप समझते हैं कि इन चुनावों के बाद विधान सभा सुचारू रूप से कार्य करेगी या वहां पर लोकप्रिय सरकार ठीक ढंग से कार्य करेगी, तो आप आपने आपको धोखा दे रहे हैं । इस प्रकार की धारणा न बनायें । वहां चुनाव हो चुके हैं और संवैधानिक दायित्व की पूर्ति हो चुकी है । अब वहां के लोगों के साथ बैठकर, उनको समझने, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको गम्भीरता से प्रयत्न करने चाहिए और उनके सम्बन्ध में संसद और राजनैतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए ताकि समस्याओं का कोई सर्वसम्मत हल निकल सके ।

शायद सरकार को भी यह आशा नहीं थी कि इस प्रकार की बात होने जा रही है । हो सकता है कि उनको चेतावनी दी गयी हो परन्तु मैं सोचता हूं कि उनको उन्होंने कभी भी ऐसी आशा नहीं की होगी कि यह होने जा रहा है । अतः मैं कह रहा हूं कि यह राजनैतिक प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि एक बड़ी समस्या है जिसके बारे में इस देश को सोचना चाहिये और वह यह है कि हमें थोड़े से राजनैतिक लाभ के लिए मूल सिद्धान्तों को नष्ट नहीं करना चाहिए । यदि हम तुरन्त राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं तो उसे कुछ ऐसी बहुत सी गम्भीर बातें हो सकती है

जिनसे अन्ततः हमारी संस्थायें और मूल्य नष्ट हो जायें। उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

मेरे मित्र श्री सत्य साधन चक्रवर्ती यहां बैठे हैं। उन्होंने और बहुत से लोगों ने यह कहा है कि यह आन्दोलन सी० आई० ए० के कार्यों तथा अमेरिका के धन की वजह से चल रहा है। महोदय यदि सी० आई० ए० इतनी शक्तिशाली बन गयी है, यदि अमेरिका का धन इतनी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। जिससे ऐसी लहर पैदा हो जाये इस तरह की स्थिति पैदा हो जाये तो हमारी स्वतन्त्रता खतरे में है और हम इस देश पर शासन करने के लायक नहीं हैं। क्या ऐसा है? मुझे मालूम है कि सी० आई० ए० के धन का इस देश में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इस बात से सत्य नहीं करता। मुझे मालूम है कि सी० आई० ए० संसार के बहुत से हिस्सों में हाल ही में स्वतन्त्र हुए बहुत से देशों को मैं अस्थिरता पैदा करने की योजना बना रही है उनकी नजर हमारे देश पर भी है, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हरेक बात सी० आई० ए० के नाम पर हो रही है। मुख्य बात यह है कि सरकार को मूल कमजोरियों को नहीं भूलना चाहिये। आम जनता की शिकायतों को भूल जाते हैं, आप देश की मुख्य समस्याओं को भूल जाते हैं। अतः मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में कुछ गम्भीर बातें हो रही हैं और उन पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। उद्योगों तथा आर्थिक क्षेत्र में निहित स्वार्थों में वृद्धि हो रही है। संस्कृति धर्म और भाषा के नाम पर साम्प्रदायिक शक्तियां सिर उठा रही हैं। ऐसा इसलिये हो रहा है कि जो साम्प्रदायिक दंगों के लिये जिम्मेदार हैं ? उनको सजा नहीं दी जाएगी। उसके लिए कौन जिम्मेदार है निर्दोषों की इतनी जानें क्यों जा रही हैं ? महोदय दो वर्ष पूर्व मैंने इस सभा में यह प्रश्न उठाया था कि जो लोग साम्प्रदायिक दंगों के लिए षडयन्त्र रचते हैं, जो साम्प्रदायिक मृत्युओं के लिये जिम्मेदार हैं उनके लिये मौत की सजा की व्यवस्था की जानी चाहिये। उनको फांसी लगायी जानी चाहिए। परन्तु इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। अब समय आ गया है कि जो धर्म, भाषा और किसी भी पुकार की अन्य देशभक्ति के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, उन दोषी लोगों का पता लगाया जाये तथा सरकार उन्हें दण्ड अवश्य ही दे। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक इस प्रकार की शक्तियां बढ़ती जायेंगी।

हम सब न केवल दुखी हैं बल्कि हमें शर्म से अपना सिर भी झुका लेना चाहिये। हमारे दिल भी इस बात से व्यथित हैं कि देश के एक भाग में ऐसा हो रहा है। कल गृह मंत्री ने वहां का दौरा किया। आज प्रधानमन्त्री दौरा कर रही हैं। आज देश की नेता के रूप में प्रधानमन्त्री की यह जिम्मेदारी है कि आसाम से वापस आने के बाद उन्हें इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि गड़बड़ कहां है ऐसा क्यों हो रहा है कि आज मामले हाथों से निकल रहे हैं ? मामलों को केवल नौकरशाही पर ही मत छोड़िये। नौकरशाही द्वारा कार्य सम्भाला जाना नौकर शाही की रिपोर्ट, गुप्तकर विभाग की रिपोर्ट सभी गुमराह करने वाली सावित हो चुकी है। एक उचित राजनैतिक तंत्र बनाने का प्रयत्न कीजिए। संसदीय प्रजातन्त्र में स्थिति से एक उपयुक्त राजनैतिक तन्त्र के माध्यम से निपटिये ? उचित राजनैतिक वातावरण बनाइये, केवल तभी मामला

ठीक हो सकता है। अन्यथा महोदय, हालात बहुत ही खराब हैं। देश के दूसरे होट में—पंजाब में कुछ लोग आन्दोलन उभार रहे हैं। सरकार को परिपक्वता और समझदारी से काम लेना चाहिए और वहां के लिये भी कोई समाधान, कोई सर्व सम्मत समाधान निकाल जाना चाहिए।

महोदय मैं आशा करता हूं कि इन घटनाओं से हम सभी को गम्भीर सबक लेना चाहिए। यह किसी एक राजनैतिक दल का प्रश्न नहीं है। यह समूचे देश के लिए गहन चिन्ता का प्रश्न है। और इसलिए हमें उचित सबक लेने चाहिए, उचित कदम उठाने चाहिए, उचित वातावरण तैयार करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा भविष्य में उचित उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि हमारी सर्वभौमिकता की रक्षा हो सके, हमारी स्वतन्त्रता मजबूत हो सके और संयुक्त रह सके और हमारी जनता, मित्रता, शान्ति तथा आपसी सूझ बूझ के साथ रह सके। यदि विदेशी धन और विदेशी ताकतें, क्रियाशील होकर अस्थिरता की स्थिति पैदा करने का प्रयत्न करती हैं तो इन शक्तियों को दबाने के लिए भी कारगर उपाय किये जाने चाहिए ताकि ये शक्तियां कुछ कमजोरियों व देश की स्थिति का लाभ उठाने में सफल न हो सकें।

मैं आशा करता हूं कि इस सभा का यह संदेश देश के प्रत्येक कोने में पहुंच जाना चाहिए, कि हम सब गम्भीर रूप से चिन्तित हैं। क्योंकि यह पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने का प्रश्न नहीं है। यह लोगों द्वारा जाने और उन लोगों को मारने का प्रश्न है जो दूसरी भाषा बोलते हैं जो अन्य धर्मों से सम्बन्धित हैं और जो अन्य वर्गों से सम्बन्धित है। यह बहुत खराब शकुन है। अतः मैं कह रहा हूं कि कल इस सभा को एकमत होकर जनता से अपील करनी चाहिए कि उन्हें अहिंसा से दूर रहना चाहिए तथा समझ बूझ के साथ रहना चाहिए तथा आपसी विश्वास पुनः जागृत किया जाना चाहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आसाम में हुई अहिंसा की प्रर्याप्त रूप से तथा दृढ़ता से निन्दा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। वहां पर अहिंसा के दैत्य ने जो नृत्य किया है उस मानवता का सिर शर्म से झुक जाता है।

मैं अपने लोगों के मृत शवों पर बोलने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता हूं। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जोर देने के लिए उठा हूं यह कदाम्बित दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आसाम की स्थिति को गृह युद्ध की स्थिति कहा गया है। इसको गृहयुद्ध कहना बिल्कुल मिथ्या है। ऐसी स्थिति हमने·····

उपाध्यक्ष महोदय : डा० कर्णसिंह ने अपनी गलती सुधार ली है।

श्री जी० एम० बनातवाला : नहीं वह अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि भारत-वासी भारतवासियों से लड़े। और उन्होंने यह कहकर स्थिति को और अधिक खराब कर दिया। कि यह गृह युद्ध के अलावा और क्या है ? मैं कहता हूं कोई सीमा होनी चाहिए—आसाम की घट-

नाओं को गृह युद्ध कहना उचित नहीं। ऐसी दुखत घटनायें हुई हैं जहां पर झुड के झुँड गांवों में उत्तर आये ऐसी दुखद घटनायें हुई हैं, जैसे कि नेल्ले में, जहां पर 600 बंगाली मुसलमानों को, निस्संहाय अल्प संख्यकों को, पूर्णतया साफ कर दिया गया फिर यह गृह युद्ध नहीं है। यह तो नर संहार है। यह धार्मिक और भाषाई अल्प संख्यकों का नरसंहार है। अतः मैं कहता हूं कि गृह युद्ध शब्द से दो लड़ रहे वर्गों का अर्थ निकलता है। परन्तु यहां पर तो निस्सहाय लोगों को कत्ल किया जा रहा है इस प्रकार की दुखत घटनाओं का वर्णन करने के लिए मैं समझता हूं कि नर-संहार शब्द ही ठीक है।

जैसा कि मैंने कहा कुछ बातें हैं जिन्हें हमको दिमाग में रखना है। सबसे प्रथम तथा सबसे अधिक महत्व पूर्ण बात यह है कि हमारा देश प्रजातन्त्र और धर्म निरपेक्षता के *सिद्धांतों के प्रति* बचनबद्ध हैं और हमारे इस वचन की कुछ बाधायें हैं और हमारे वचन की सबसे अधिक महत्व-पूर्ण बाध्यता यह है कि भारत के किसी भी हिस्से में प्रजातन्त्र की प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसा होता है तो इसे संसदीय लोकतन्त्र की मौत की घंटी समझिये। यहां भी इस सभा में आसाम के लगभग 12 प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति कुछ विघटन कारी तत्वों की मनपसन्द और विचारों के अनुकूल बात हो सकती है परन्तु यह निश्चित रूप से हमारे देश के संसदीय लोकतन्त्र की कार्य प्रणाली पर एक धब्बा है।

जब चुनाव करना संवैधानिक दायित्व बन जाये तो चुनावों को हिंसा या किसी अन्य तरीके से रोकना देश में संसदीय लोकतन्त्र की मौत की घंटी बजा देना है। आन्दोलनकारियों द्वारा इसके विभिन्न विकल्प सोचे जा सकते थे। वे चुनावों में भाग ले सकते थे और यदि जीत सकते होते तो दुनिया को अपनी लोकप्रियता दिखा सकते थे। चुनाव के बाद वे त्यागपत्र देकर संविधान के मुताबिक स्थिति पैदा कर सकते थे जिससे उनके पक्ष की विजय होती। उन्होंने अहिंसा का सहारा लिया जिससे पता चलता है कि ये विघटन कारी शक्तियों का उन लोगों से परायापन है। जो कि देश में धर्म निरपेक्षता और लोकतन्त्र के सिद्धान्त के अनुसार शान्ति से जीना चाहती है।

वे पार्टियां जिन्होंने चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय किया उन्होंने केवल ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित किया है तथा देश में प्रजातन्त्र और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा नहीं दिया। सत्तारुढ़ दल के मत्थे सारा दोष मढ़ देना बहुत आसान है। परन्तु हमें यह भी महसूस करना है कि किन परिस्थितियों में हमें देश में प्रजातन्त्र की परम्परा को जारी रखना है। अतः मुझे कहना चाहिए कि जिन विपक्षी दलों ने चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय किया है वे अपने आपको आसाम में हुए खून खराब की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकते। यदि उन्होंने धैर्य से काम लिया होता तो मुझे पूरा निश्चय है कि स्थिति इस हद तक न बिगड़ती। साथ ही साथ मुझे इस सरकार की निर्दयता और लापरवाही पर भी दुःख होता है जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करने में असफल रही है। यह जानकर बड़ा धक्का लगता है कि विभिन्न स्थानों पर जहां कत्ले आम हुए हैं वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस नहीं थी। केवल इसी बात से अपराधों के प्रति सर-

कार की लापरवाही और लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबन्ध न किये जाने के बारे में बहुत अधिक पता चल जाता है।

महोदय यह बहुत ही भयावह बात है कि आधिकारीगण की लापरवाही इस गम्भीर सीमा तक बढ़ गई है कि आज जीवन रक्षक औषधियां भी उपलब्ध नहीं हैं। यह जिम्मेदारी पूर्णतया सत्ताधारी दल के ऊपर आती है। उन्हें निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी माननी होगी। परन्तु जैसा कि मैंने कहा लोकतन्त्र की प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं रखा जा सकता। तीन वर्ष तक इस सभा में आसाम का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रहा। धैर्य की भी सीमा होती है सरकार ने और सभी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव करने का तात्पर्य यह नहीं कि आसाम की समस्या विदेशियों की तथकाथित समस्या का अध्याय बन्द कर दिया जायेगा। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि चुनावों के बाद भी उचित प्रतिनिधियों के साथ बैठकर कोई संतोष-जनक समाधान ढूंढ़ने के लिए बातचीत जारी रहेगी। इसलिए इस प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पर अमल करना सभी पार्टियों तथा आन्दोलनकारियों द्वारा अपनी विजय के लिए आवश्यक था।

इस बात से वे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए हैं कि उन्होंने लोकतान्तिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया है और बहिष्कार तथा हिंसा की बात सोचने से मात्र विचारों की कमजोरी प्रकट होती है और स्पष्ट है कि ऐसे लोगों के विचारों के बहुत कम समर्थन प्राप्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, विडंवना की बात है कि ये विपक्षी दल जो आरम्भ से ही राज्यों में राष्ट्र-पति शासन लागू करने का विरोध करते थे वे ही विपक्षी दल राष्ट्रपति शासन जारी रखने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन तक भी करने की सोच रहे हैं। वह निश्चय ही अनैतिकता तथा उनके पूर्णतः अवसरवादी रुख का प्रतीक है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस समय आवश्यकता इस बात की है कि यह सदन—यह पूरा सदन एकमत होकर इस हिंसा की निंदा करे। और आरम्भ के सभी लोगों से यह निवेदन करे कि वे हिंसा से दूर रहें, शान्ति बनाए रखें और वहां सांप्रदायिक सामंजस्य को बढ़ावा दें अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का एकमात्र यही तरीका है।

इसमें संदेह नहीं कि वहां जो नर संहार हुआ उससे हमें बहुत दुःख होता है और हमें इस सरकार द्वारा असम के लोगों की रक्षा न कर पाने में दी गई लापरवाही पर बड़ा दुःख है। लेकिन इस व्यवस्था के बावजूद, इन दंगों के बावजूद हमें राष्ट्र के प्रति कुछ जिम्मेदारियों को निभाना है और इसलिए जैसा कि मैंने कहा हमें समय की इस मात्रा को पूरा करना है। इस सदन को अब उन दलों संहित जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है असम के सभी लोगों से अपील करनी चाहिए कि वे शांति स्थापित करें और सांप्रदायिक सद्भाव बनाये दखें। भारत का भविष्य लोक-तन्त्र के सिद्धांतों की सुरक्षा करने में ही है। भारत का भविष्य, वास्तविक धर्म निरपेक्षता, जिसका हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है, में ही निहित है। अतः धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र के सिद्धांतों

तथा संविधानों के प्रति हमारी बचन बद्धता के रास्ते में हमें छोटे-छोटे राजनीतिक लाभों के लिए अड़चन नहीं डालनी चाहिए ।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मेरा प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन है कि हमारे सामने जो काम पड़ा है उसे पूरा करें । वहां पुनः शान्ति स्थापित करनी चाहिए, सांम्प्रदायिक सद्भाव बनाना चाहिए क्योंकि हमें इस देश में और असम को भारतीय संघ के एक राज्य के रूप में रहना है, अभी हमारे सामने आहतों के व्यावसायिक पुर्नवास और उनकी सहायता का बहुत बड़ा काम है । मुझे विश्वास है कि यह सदन राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्यों से पीछे नहीं रहेगा ।

सरकार की भी निश्चित रूप से अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं उन दलों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिन्होंने वहां चुनावों का बहिष्कार करने और बिघटनकारी दलों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है, ये सब जिम्मेदारियां उन पर भी हैं । अब हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती और कठिन कार्य है । अब हमें सरकार के व्यवहार के बारे में राजनैतिक उपदेश देकर अथवा किसी एक के या दूसरे के द्वारा कोई रास्ता अपनाये जाने पर टिप्पणी करके चुप नहीं जो जाना चाहिए । हमारे सामने जो काम पड़ा है हमें उसके प्रति स्वयं को समर्पित कर देना चाहिये ।

मैं जानता हूं कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना हमारे लिए बहुत कठिन है लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए कि किसी तरीके से यह नरसंहार समाप्त हो जाए, हर जगह व्यापक दृष्टिकोण वाली और बुद्धिमत्तापूर्ण बातें हों और अपने देश की एकता और अखंडता सहित हम अपने सामने आई समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ें ।

कार्य-मंत्रणा समिति

39वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, मैं कार्य-मंत्रणा समिति का 39वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल प्रातः 11 बजे समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

6.53 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 22 फरवरी, 1983/3 फाल्गुन, 1904, (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : दी इण्डियन प्रेस, दिल्ली-110034.